मतादर्श

सामाजिक विज्ञान, मानविकी एवं वाणिज्य की शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ० प्रसून दत्त सिंह

प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

संपादक

डॉ० रितेश भारद्वाज

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

मेखला प्रकाशन

एफ-3/139, सेक्टर-16, रोहिणी

वर्ष : 17 **अंक :** 1 ❑ जनवरी–मार्च, 2025

मतादर्श

मतादर्श भारत में समाचार पत्रों के निबंधक (आर.एन.आई.) द्वारा अनुमोदित है।

संपादक मंडल

डॉ॰ आर. एन. कुंअर

डॉ॰ बामेश्वर सिंह

डॉ॰ विद्या भूषण श्रीवास्तव

डॉ॰ रवीन्द्रनाथ राय

डॉ॰ अमरकान्त सिंह

डॉ॰ लक्ष्मेश्वर ठाकुर

फोन : 01135522994, 40564514, -22753916

e-mail : matadarsh.journal@gmail.com

मुद्रक एवं प्रकाशक अलका सिंह द्वारा एफ-3/139, सेक्टर-16, रोहिणी दिल्ली-110089 से प्रकाशित तथा बी. के. ऑफसेट, नवीन शाहदरा दिल्ली-32 से मुद्रित

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

Editorial

The World Trade Organisation on Life Support: Can it Survive the Global Trade Turmoil?

The World Trade Organisation (WTO) was born in the 1990s as a symbol of globalisation. It was said that the world is like a village and, therefore, the unhindered free flow of not only goods and services but also capital should be ensured so that the cheapest goods and services can be made available to people across nationalities. It was also said that the free flow and adequate availability of capital would improve the possibilities of development in developing countries as well. The specialty of the WTO was that, through it, the conduct of international trade was made rule-based. That is, if a country was not behaving in accordance with WTO agreements—imposing higher tariffs or placing barriers or obstacles on goods coming from foreign countries against WTO rules—then legal action could be taken against that country.

However, from the very beginning, developing countries were apprehensive about the stated benefits of the WTO because they felt they would not be able to protect their industries and agriculture properly through tariffs and other barriers against competition from highly subsidized agricultural products from foreign countries. Not only this, but it would no longer be possible to safeguard the economy from the adverse effects of agreements related to TRIPS, TRIMS, services, and agriculture, especially those concerning health security, agricultural security, and industrial security.

Most economists applauded rule-based international trade as a boon due to the benefits arising from the formation of the WTO and the unhindered movement of goods and services. However, the disadvantages caused by the new agreements made under GATT in that era of globalisation were either not studied properly or were ignored.

For the past eight years, since Donald Trump first took office as President of the USA, the WTO—which was a major tool for conducting global trade—has been losing its relevance. The decisions taken by Trump at the very beginning of his second term further accelerated the WTO's decline. Concerns are being expressed worldwide about its future. Interestingly, those who once considered the WTO a symbol of human welfare, development, and smooth global trade are now debating how soon the WTO will meet its end.

There is no doubt that the World Trade Organisation is now paralyzed. The process of its paralysis began with the Doha Development Round, initiated at the WTO Ministerial Conference in Doha. At this conference, developing countries raised the issue that since developed countries are economically strong, the development process in developing nations is obstructed due to unequal trade. Therefore, international trade rules needed to be amended to accelerate the development of developing countries. This led to the Doha Development Round discussions within the WTO. However, developed countries had no interest in this, and due to their indifference, the Doha Development Round ended without a conclusion. Developing countries, including India, were obviously disillusioned with the WTO.

But it was not just that developed countries were indifferent to the problems of developing nations—the US developed the belief that it had already gained all it wanted from the WTO. American corporations were now receiving much more in royalties and technical fees than before, as the intellectual property regime post-WTO establishment favoured companies—mostly American ones—that owned the majority of patents and other intellectual property rights. US companies gained ample opportunities to invest in developing countries, and American agricultural products began to enjoy unprecedented market access in these nations. However, after China's entry into the WTO in 2001 and its subsequent economic rise, Chinese goods started dominating US markets, leading to a massive US trade deficit with China. The US also began to grumble that, due to the WTO's dispute settlement system, it was losing many trade disputes with other member countries.

In the past, America made financial contributions to various international institutions, including numerous United Nations organisations, the World Health Organisation, the World Bank, and the International Monetary Fund. However, since Donald Trump first became President, the US began to feel that financing these institutions with American taxpayers' money was not in its best interest. As part of its strategy, America obstructed the appointment of judges in the World Trade Organisation. As a result, the WTO's dispute settlement system became almost paralyzed. It is well known that the dispute settlement process is an integral part of the WTO's rule-based system. Consequently, ensuring compliance with WTO rules by member countries has become increasingly difficult. It can be said that the WTO has been weakening due to the apathy of the US and even its allies.

In successive ministerial conferences of the WTO, it has become evident that the US has lost interest in the organisation. But at a time when developing countries—including most of the world except China—have not only suffered industrially due to their markets being flooded with Chinese products but have also lost their freedom to make laws for public health and international trade under the guise of free trade and globalisation, the WTO was their only tool for accessing global markets. In this situation, they have continuously worked through WTO conferences to make the organisation effective.

However, with Donald Trump returning to power in the US, the very existence of the WTO is now in danger. After assuming office, Trump launched a frontal attack on the global free trade system. The same America that once championed the WTO's negotiations, formation, and free trade advocacy is now pushing for protectionism. The US argues that since other countries impose higher tariffs, it will also impose higher import duties under what Trump calls "reciprocal tariffs." With the declaration of this tariff war, the relevance of the WTO is eroding.

It is important to note that, at the time of the WTO's formation, India and other developing countries were granted flexibility, allowing them to maintain higher import tariffs even if developed nations reduced theirs. India's average bound tariff (the tariff permitted under WTO rules) is 50.8%. Despite this, since 2006, India has actually imposed a weighted average import duty of only 6%—much lower than the bound tariff.

Although the US has no justification for imposing retaliatory "reciprocal import duties," it enjoys a privilege within the WTO that allows it to impose country-specific import duties—a right not granted to other nations. By misusing this privilege, the US has begun challenging the entire WTO free trade system. In such a scenario, the world must reconsider whether one-sided free trade can continue. Many experts now suggest that the rest of the world—excluding the US—can strengthen the WTO by remaining within it. However, this may not be practical. Today, the entire free trade system is in crisis. In this situation, countries worldwide must conduct international trade based on their national interests, which may not necessarily align with the principles of free trade.

—Editor

इस अंक में

मार्कण्डेय की कहानी 'हलयोग' में चित्रित सामाजिक भेदभाव–डॉ० नीरज कुमार 7
बिहार में बाढ़ की समस्या और स्थायी समाधान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० बिंध्याचल साह 10
''समकालीन भारतीय समाज में मानवाधिकारों को कायम रखने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता''–चन्द्रभान सिंह 15
हिन्दी और असमीया के होली गीत: एक तुलनात्मक अध्ययन–डॉ० प्रीति बैश्य 20
प्राकृतिक आपदा एक परिचय–डॉ० संदीप सिंह 25
रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका अध्ययन–अभिषेक कुमार; श्रीमती सीमा खरे 28
पर्यटन स्थल के रूप में बिहार के प्रति पर्यटकों की धारणा और संतुष्टि–डॉ० मो० परवेज यहया 33
बिहार में पंचायतों का डिजिटलीकरण व ई-प्रशासन का प्रभाव–अभिषेक कुमार 39
छात्र जीवन में बढ़ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग वरदान या बाधा?–डॉ० अंकित दयाल 44
बिहार में जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा का स्तर–डॉ० मो० शाहनवाज यहया 48
समकालीन हिन्दी कहानियों में दलित विमर्श–डॉ० उपासना 56
इतिहास के सभी कालों में (प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक) में प्रचलित न्याय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन –डॉ० गौरी कुमारी 59
बिहार में विरासत पर्यटन की संभावनाएँ: ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास का अध्ययन –डॉ० मनोज कुमार सिन्हा 64
वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की उपादेयता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० संतोष कुमार सिंह 71
समकालीन हिन्दी गजल में नारी शोषण एवं अत्याचार–डॉ० नूतन शर्मा 80
ऐतिहासिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण–डॉ० मीनू कुमारी 83
घाघरा-गंडक दोआब में लिंग आधारित साक्षरता में प्रभेद: एक भौगोलिक अध्ययन–डॉ० गणेश कुमार शर्मा 88
प्रेमचंद के उपन्यासों में कृषक-चेतना–डॉ० शीतला प्रसाद सिंह 93
अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० अलोक तिर्की 98
बिहार में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता: एक अध्ययन–डॉ० जोनी इम्मानुएल तिरकी 102
राजनीतिक सहभागिता का मनोवैज्ञानिक परिवेश: एक अध्ययन–डॉ० प्रीति कुमारी 105
बिहार के कोसी क्षेत्र में कम होती लिंगानुपात की परिवर्तनशील प्रवृत्तियों का भौगोलिक अध्ययन–डॉ० अमिताभ बच्चन 109
पटना जिले में शहरीकरण के रुझान: एक भौगोलिक विश्लेषण–डॉ० ललिता रानी 114
प्राकृतिक संसाधनों का महत्व एवं संरक्षणों का अवलोकन–डॉ० विक्रांत कुमार 120
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका–डॉ० सूरज प्रकाश 125
विशिष्ट बालकों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का अध्ययन–अशोक कुमार; डॉ० अंग्रेज सिंह 128
''श्री रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद् गीता में वर्णित दार्शनिक तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन'' –राजेश तिवारी; डॉ० शिवानी शर्मा 134
भारतीय सार्वजनिक ऋण और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर इसका प्रभाव: एक अध्ययन–नवल किशोर बैठा 138
बौद्ध स्थलों के उत्थान में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का अवलोकन–डॉ० सोनाली सिन्हा 144
चार महाद्वीपों की नदी सी नायिका: कैराली मसाज पार्लर–मनोहर कँवर 150
'थाली भर चाँद' कहानी संग्रह में नारी का यथार्थ चित्रण–रामअवतार यादव 154
भारत - पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम व नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन: महाशक्तियों के संदर्भ में –डॉ० मिथिलेश कुमार सिंह 156
आधुनिक भारत में शिक्षा पद्धति - एक अध्ययन–डॉ० रंजु कुमारी 159
राग भैरवी की उत्पत्ती के प्रमाण–डॉ० प्रीति शर्मा 163
उभरते हुए राष्ट्रीय संघवाद का वर्तमान संदर्भ–डॉ० रामाकांत पाण्डेय 170
नंदकिशोर आचार्य के काव्य सृजन में गांधी दर्शन का स्वरूप–मीनू मीणा 175
प्राचीन भारतीय इतिहास में वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा का विकास एवं वर्त्तमान में वैश्विक महत्त्व –डॉ० अनामिका कुमारी 178
संगीत के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विवेचनात्मक अध्ययन–डॉ० उषा 181
भारतीय प्रधानमंत्री की पद, स्थिति और भूमिका: एक अवलोकन–किशोर कुमार पासवान 184
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सांस्कृतिक एवं स्वदेशी चेतना का विकास: बिहार के मगध प्रमंडल के सन्दर्भ में एक ऐतिहासिक अध्ययन–नन्द किशोर कुमार 189
नक्सलवाद या माओवादी आन्दोलन-एक अध्ययन–डॉ० कंचन कुमारी 192
भारत में महिला सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण–डॉ० श्वेता 200
धर्मवीर भारती के निबंधों में सांस्कृतिक चिंतन–मनीष कुमार 205
आर्गेनिक कृषि और रोजगार: एक अध्ययन–सुधीर कुमार सिंह 208
शिक्षा और व्यक्तित्व का विकास: एक विश्लेषण–संगीता कुमारी श्रीवास्तव; डॉ० निशि कान्ति 214
इतिहास लेखन और छोटानागपुर की वीरांगनाएँ–प्रो० चन्द्र प्रकाश सिंह; संजीव कुमार 223
माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में पालन-पोषण शैलियाँ, आत्म-प्रभावकारिता, उपलब्धि अभिप्रेरणा और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध का एक वैचारिक विश्लेषण–पूनम कुमारी; डॉ० शकिला अजीम 225
डिजिटल इंडिया का ग्रामीण समाज पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण–डॉ० आँचल गुप्ता; श्रीमती रत्ना देवी 232
गुप्तकाल में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी–पंकज कुमार 235

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव–अमित कुमार 242
शिक्षा में नवाचार–डॉ० रणधीर सिंह 246
रूढ़िवादिता आ चक्रब्यूहकें तोड़ैत- 'सुजाता'–डॉ० अमिताभ चक्रवर्ती 255
मौर्योत्तरयुगीन जल प्रबन्धन तथा सिंचाई व्यवस्था–डॉ० विकास कुमार 261
शिकंजे का दर्द: शोषण से स्वावलंबन की यात्रा–पूनम 264
महिला लेखिकाओं के संस्मरणों में सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन–डॉ० पूनम शर्मा 267
दक्षिण एशिया में भारत: शांति, संघर्ष और संतुलन (1947-1992)–डॉ० राजपाल सिंह 270
भारतीय विदेश नीति में लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट की भूमिका–डॉ० इन्द्रजीत कुमार 275
समकालीन भारत में राज्यों की राजनीति का जातियकरण–प्रो० सुरेन्द्र सिंह 283
जौनपुर जनपद के नगरी क्षेत्र में प्री नर्सरी स्कूल के बच्चों का पोषण स्तर एक अध्ययन–डॉ० दीपक सिंह 288
पंथनिरपेक्षता का वैश्विक और भारतीय परिदृश्य: एक ऐतिहासिक अध्ययन–गौतम कात्यायन; डॉ० इम्तियाज अंजुम 294
स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता का अध्ययन–मो० जमील; डॉ० योगेश कुमार 297
अरवल जिले में ग्रामीण अवसंरचना विकास: वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ–पूजा कुमारी 304
"हिंदी दलित कथा साहित्य में दलित स्त्री की अन्त:व्यापी वेदनाओं की अभिव्यक्ति: एक गहन चिंतन"–डॉ० बबलू सिंह 308
जाति तथा क्षेत्रीय दलों की राजनीति–राज कुमार 313
व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन–राहुल कुमार यादव; डॉ० योगेश कुमार 317
जवाहर लाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री की खाद्य सुरक्षा सम्बंधित नीतियों की तुलना (A Comparison of Food Security Policies of Jawahar Lal Nehru and Lal Bahadur Shastri)–अनुपमा सिंह; डॉ० मनोज कुमार सिंह 324
पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण संरक्षण–डॉ० पी०एम० भुमरे 330
बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण बैंकों का योगदान: एक अवलोकन –रजनीश कुमार; डॉ० शारदा नन्द सहनी 333
मतदान व्यवहार में धर्म और नृजातीयता का प्रभाव: एक विश्लेषण–मिथिलेश कुमार माहथा 337
An Examination Of Internet Dependency And Mental Health Among Graduate Students—Dr. Anisha Kumari 1
Impact of GST on Small Businesses: An Overview—Vivek Kumar 7
Sustainability and the Economics of Green Sports Management : A Economic Study of Patliputra Stadium —Ajeet Kumar 12
India's Strategic Takeaways from the Russia-Ukraine War: Balancing Power in a Multipolar World —Dr. Sangeeta Chaudhary; Harshit Bhardwaj 20
Comparative Study of Various International Water Disputes Vis-a-Vis Water Sharing—Lakhvir Singh 25
The Commercial Decline of Virtual Live Music: Reclaiming Value in a Digital-First World —Dr. Akhil Kumar Dubey; Abraham Samuel George 33
"India's Road to a $5 trillion economy: Opportunities and Challenges"—Nitish Kumar Singh 41
A Study of Consumer Awareness towards Buying Behavior of Green Products in Indore District —Dr. Rajesh Shroff; Nimisha Nagar 45
Recurrence of the Images of "Glass", "Tree" and "Wall" with Special Significance in the Poetry of R. Parthasarathy —Raja Yayathi Yadav 51
Impact of Social Freedom on Women's Decision-Making—Aparna Kumari 57
Smoking: Intoxicated habit in Students—Sukina Purohit 65
Preservation of Indigenous Knowledge: An Educational Imperative—Dr. Jagrati Chaturvedi 70
Development of Indo-Russian Trade during 18th -19th Century—Dr. Pushpalata Kumari 79
Contemporary World and Humanity—Priyanka Rathore 82
Role of Dr. Bhimrao Ambedkar in the Structure of Indian Constitution and Social Upliftment (With Special Reference to Women upliftment)—Prof. Santosh Anand 85
Reforming Criminal Justice in India: A Critical Analysis of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023—Dr. Anand H. Chauhan 92
The Influence of Artificial Intelligence on Consumer Decision-Making: Examining the Effects of AI-Driven Chatbots and Predictive Analytics on Customer Interaction and Market Trends—Krishan Lal 100
Sex and Sensuality in the Poetry of Dylan Thomas—Dr Ajeet Kumar 105
Geographic Analysis of Gender Ratio and Social Implications in Muzaffarpur City, Bihar—Dr. Smriti Kumari 112
Innovative Pedagogy and Quality Concerns in Environmental Education—Shivangi Raghuvanshi 119
Voluntary Sector and its Credibility: An Evaluation of Working in Bihar—Amrita Bharti 126
10 Years of 'Make in India' Policy Importance in Current Situation Indian Economy—Dr. Niraj Kumar 130
Truth Under Threat: Ethical Challenges of AI in Information Warfare—Prof. Prashant Kumar Singh, Akash Kashyap 136
Evolution of Women's Rights in the Indian Constitution—Nehal Kishore 146
TB-HIV Collaboration In India: 2001-2011—Alka Rani 152
Social Entrepreneurship in India: Navigating Challenges and Harnessing Opportunities for Inclusive Growth—Dr. Satwant Singh 155
India's Infrastructure Challenge: It's prospect and challenges—Dr. Sohit Ram 163
Crop Diversification and Sustainable Intensification: Synergistic Models for Income Enhancement and Climate Resilience—Shiva Kant Tiwari; Dr. Ravendra Bahadur Singh 167
Amitav Ghosh's Novel the Glass Palace: A Critical Analysis—Pratibha Panday 174
Life and Role of Guru Tegh Bahadur Ji—Dr. Gurdeep Singh 178
Early Life of Baba Bhagat Singh Bilga–Dr. Virpal Kaur 181
Role of John Milton in the History of English Literature–Mohinder Pal 188
Innovation in Higher Education in Chhattisgarh- Initiatives, Impact and Future Directions –Dr. Shyam Lal Nirala 192

मार्कण्डेय की कहानी 'हलयोग' में चित्रित सामाजिक भेदभाव

डॉ० नीरज कुमार

सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, फ.अ. अ. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद, सीतापुर, उ0प्र0

मार्कण्डेय ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियों के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। वे सामाजिक चेतना को केंद्र में रखकर लेखन कार्य करते हैं। सामाजिक चेतना के अंतर्गत यथार्थ और उनके संघर्षपूर्ण लेखन का विश्लेषण करना इस शोध पत्र का मुख्य विषय है। समाज में अंधविश्वास, छुआछूत, जाति-व्यवस्था आदि रूढ़िवादी मान्यताओं का बोलबाला है। इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को लेकर मार्कण्डेय के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है। इस शोध पत्र का केंद्रीय भाव सामाजिक कुरीतियों को लेकर लेखक की समझ का व्यापक विश्लेषण करना है।

नयी कहानी आंदोलन से जुड़े प्रमुख लेखकों में मार्कण्डेय ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियों के सूत्रधार के रूप में विशिष्ट पहचान रखते हैं। सामाजिक चेतना से युक्त मार्कण्डेय कहानियों के विषय चयन में अपने आस-पास के समाज में घटित घटनाओं को महत्त्व देते हैं। डॉ० नीलांबिके एस० पाटील लिखती हैं- ''उन्होंने व्यापक सामाजिकता को अपनी रचना-चेतना में ग्रहण किया है। उनकी सामाजिक चेतना यथार्थ और संघर्षरत जीवन से जुड़ी हुई है।''[1] मार्कण्डेय समाज में व्याप्त सामाजिक विद्रूपताओं की सडाँध को समाप्त करने की महत्त्वाकांक्षा रखने वाले कथाकार हैं। वे सामाजिक बदलाव के विरोधियों का कच्चा चिट्ठा खोलने में लेशमात्र भी संकोच नहीं करते हैं। मार्कण्डेय उन सभी परम्परागत एवं रूढ़िवादी व्यवस्था से सीधे टकरा जाते हैं, जो सामाजिक समानता में बाधक बनती हैं। वे गरीबों, दलितों और शोषितों के हक और सम्मान की बात अपनी कहानियों में पूरी ईमानदारी के साथ उठाते हैं। डॉ० रामचन्द्र तिवारी के शब्दों में-''मार्कण्डेय सामाजिक विषमता और विसंगति के चित्रण तक ही अपने को सीमित नहीं रखते। वे बेहतर समाज के निर्माण के लिए क्रान्तिकारी बदलाव में विश्वास रखते हैं, इसीलिए वे यथास्थितिवाद के समर्थकों का खुलकर विरोध करते हैं।''[2]

मार्कण्डेय की 'हलयोग' कहानी समाज में व्याप्त जाति-व्यवस्था और सामंती शोषण के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। साथ ही समाज के उन लोगों को भी नंगा करती है, जो मान्यताओं के नाम पर सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। 'हलयोग' कहानी में ठाकुर बाबा के प्रयास से चमार जाति का चौथीराम गाँव के ही विद्यालय में अध्यापक बन जाता है। चौथीराम विद्यालय स्तर से जात-पाँत की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अनेक सुधार करना प्रारम्भ कर देता है। यह घटना गाँव के रूढ़िवादी मान्यताओं एवं उच्च वर्ग के वर्चस्व को ठेस पहुँचाने वाली होती है। मार्कण्डेय 'हलयोग' में तत्कालीन जाति-व्यवस्था की खामियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। "उन दिनों ब्राह्मण अध्यापकों को पण्डितजी, ठाकुरों को बाबू साहब और इतर जातियों को मुन्शीजी कहे जाने का चलन था। सो पाँचू भगत का छोटा भाई चौथिया सहसा मुन्शी चौथीराम बन गया था। उस समय किसी चमार का अध्यापक बन जाना एक अनहोनी बात थी। ब्राह्मण-ठाकुरों का हल चलाना, मरे हुए ढोर-डाँगर गाँव से उठाना, पूरे परिवार समेत मालिक के घर काम करना ही उनकी नियति थी।''[3] मार्कण्डेय चौथीराम के माध्यम से जाति-व्यवस्था के अन्दर निहित भेदभाव का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं।

चौथीराम विद्यालय में ऊँच-नीच के भेदभाव को समाप्त करने के नियत से उच्च और निम्न दोनों ही वर्ग के बच्चों को एक साथ जमीन पर बैठा देता है। बड़े घर के बच्चों द्वारा लाये गये चबैना को इकट्ठा करके सभी बच्चों में बराबर बाँट देता है। चौथीराम के इस कार्य पर बाबा ठाकुर उसे आने वाले संकट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ''ज्यादा उलट-फेर ठीक नहीं। धीरे चलो। ऐसा न हो कि उढ़ककर गिर पड़ो। मुन्शीजी ने बाबा का संकेत समझकर कहा था, 'फिर तो सब जस-का-तस बना रहेगा, ठाकुर बाबा!'

उसे तो बना ही रहना है। महात्मा अंग्रेज को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, समाज को तोड़ने के लिए नहीं, वे भी वर्णाश्रम को मानते हैं। बाबा ने थोड़ी रुखाई से कहा था।''[4] ठाकुर बाबा चौथीराम की सहायता तो करते हैं परन्तु कहीं न कहीं उनके भी मन में वर्ण-व्यवस्था को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। बाबा चौथीराम से कहते हैं, ''तुमने टाट की उस पट्टी को हटाकर बड़े महाराज के पौत्र को जमीन पर बिठाया, यह अच्छा नहीं हुआ, नाहक बखेड़ा मोल लेने से क्या फायदा?''[5] बाबा ठाकुर का संबंध उच्च वर्ग से है। फिर भी उनके द्वारा सिफारिश लगाकर निम्न जाति के चौथीराम को गाँव के ही विद्यालय में अध्यापक बनवा दिया जाता है। जाति-व्यवस्था के कुचक्र से घिरे हुए गाँव से ही बाबा ठाकुर एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरकर आते हैं, जो समाज में बदलाव की मंशा तो रखते हैं परन्तु वर्ण-व्यवस्था के खिलाफ उनके व्यवहार में दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव दिखाई पड़ता है।

गयादीन महाराज के पौत्र श्रीकांत को जमीन पर बैठा देने से महाराज चौथीराम को गालियाँ देते हैं। बाबा शाम को इसकी जानकारी देते हुए बताते हैं कि ''कह रहे थे मैं इसे गाँव की पाठशाला में रहने नहीं दूँगा। स्कूल को चमरौटी बना रहा है। सारे बच्चों को बटोरकर

स्कूल ले जाता है। इस तरह तो सारा कामधाम ही बन्द हो जायेगा। भला जानवरों का क्या होगा। उन्हें चराने और गोबर-पानी के लिए आदमी कहाँ से आयेंगे।...चरखा संघ से चरखा लाकर चमरौटी में बाँट रहा है। चमाइनों को सूत कातना सिखा रहा है।''[6] मार्कण्डेय ने 'हलयोग' कहानी के इस प्रसंग में जातिगत भेदभाव का यथार्थ चित्रण किया है। महाराज गयादीन गरीब व दलित बच्चों की शिक्षा की अपेक्षा पशुओं की देखभाल एवं उनके चारे के प्रबंध को अधिक महत्त्व देते हैं। दलित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दे पर उन्हें स्वयं के कार्य में बाधा उत्पन्न होने की चिंता होती है। मार्कण्डेय मानवीय संवेदना के क्षरण की ओर संकेत करते हैं। यहाँ शोषक वर्ग जाति-व्यवस्था को यथावत बने रहने की आवश्यकता पर बल देता है और पुष्टि के लिए स्वार्थपरायण बनकर कारण भी देता है।

चौथीराम के सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ते कदम को रोकने के लिए उच्च अधिकारियों की सहायता ली जाती है। विद्यालय में उनके द्वारा किये गये सकारात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहन के स्थान पर स्पष्टीकरण माँग लिया जाता है। ''फिलहाल तीन शिकायतों की उनसे सफाई तलब की गयी थी।

- उन्होंने बड़े घरों के बच्चों का चबैना एक जगह इकट्ठा कर, कक्षा के सारे बच्चों में बराबर बाँटा।
- उन्होंने सवर्णों की बाल्टी से हरिजन बच्चों को पानी पीने की आज्ञा दी। जबकि छोटी जातियों के लड़के अब तक बाउली का पानी पीते थे।
- उन्होंने स्कूल का टाट हटवाकर सारे बच्चों को जमीन पर बैठाया।''[7] आखिरकार मान्यताओं के नाम पर व्याप्त बुराइयों की सफाई में लगे मुंशी चौथीराम से सफाई तलब ही कर दी गई। उनके साथ इस पक्षपातपूर्ण कुकृत्य के घटित होने के पीछे का मुख्य कारण उनकी जाति थी।

मार्कण्डेय ने 'हलयोग' कहानी में मुंशी चौथीराम के विरुद्ध अपनाये गये विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों का उल्लेख किया है। उच्च अधिकारियों को शिकायत के पश्चात् अगला प्रहार मुंशी चौथीराम के बड़े भाई पाँचू पर किया जाता है। पाँचू को महाराज द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं से वंचित कर देने की धमकी दी गई। परिणामस्वरूप वह भी इस सामंती व्यवस्था से पराजित हो जाता है। ''घर पहुँचने पर जो सुनने को मिला वह और भी डरावना था। पाँचू ने अपने छोटे भाई चौथी को घर से निकाल दिया है। महाराज ने उसे हलवाही से हटा देने और अपनी जमीन से दूर कहीं और घर बनाकर ही चौथी के साथ रहने को कह दिया है।''[8]

मार्कण्डेय रूढ़िवादी मान्यताओं के गर्भ से उपजे जाति और शिक्षा के भेदभावपूर्ण संबंध की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। चमार जाति के चौथी का गाँव के विद्यालय में ही अध्यापक बन जाने की घटना को पाप-कर्म से जोड़ दिया जाता है। सवर्णों के लिए इस अप्रत्याशित घटना के पश्चात गाँव वालों को कलिकाल का भय दिखाया गया और भविष्य में आने वाले संकट से सावधान किया गया। मार्कण्डेय लिखते हैं कि ''अपनी नंगई और कठहुज्जती के लिए मशहूर रघुवर पण्डित का कहना था कि लुटिया ही डूब गयी गाँव के ब्राह्मण-ठाकुरों की। कोप होगा। महामारी और नाती-पनाती संकर बरन हो जायेंगे। इसी को कलिकाल कहते हैं। अब चमार वेद बाँचेंगे और बच्चों का विद्यारम्भ करेंगे।''[9]

मुंशी चौथीराम शिकायती परवाने का जवाब देने की बजाय उसे फाड़कर फेंक देते हैं। चौथीराम के इस कृत्य को सामंती शक्तियों ने नया नाम दे दिया। गाँव वाले यह मानने लगे कि बरम बाबा के प्रकोप के कारण ही चौथिया ऐसा कर रहा है। धीरे-धीरे गाँव वाले इस अंधविश्वास में जकड़ जाते हैं और चौथीराम से दूरी बनाने लगते हैं। विद्यालय के बच्चे भी इस अंधविश्वास से अछूते नहीं रहते। मार्कण्डेय लिखते हैं ''आजी ने शाम को ही मना किया था कि आगे न पड़ना उस चौथिया के। इस पर बरम बाबा की सवारी है। लेकिन माँ तो कहती थी कि डरने की कोई बात नहीं है। बस सिर पर कपड़ा रख लेना। ऊँची जातिवालों को नहीं पकड़ते बरम भूत।...मैं अपनी कक्षा में चला गया लेकिन देखता हूँ कि आज उनके सामने कोई लड़का नहीं बैठा। सब दूर-दूर चकित से खड़े थे या फुसफुसाकर आपस में बातें कर रहे थे।''[10]

महानन्द सोखा ने घोषित कर दिया कि चौथीराम के ऊपर ब्रह्मकोप का असर है। इसकी मुक्ति की आवश्यकता है, नहीं तो बरम इसकी जान ले लेगा। फिर प्रारम्भ होता है चौथीराम के ऊपर यातनाओं का कहर, जो कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने के बदले मिल रहा था। महानन्द सोखा द्वारा बरम के प्रकोप को समाप्त करने की अनेक कष्टप्रद युक्तियाँ की जाती हैं। मार्कण्डेय बताते हैं- ''बड़ी खोज के बाद लोगों को चौथी गोमती के तट पर मिले। उन पर ब्रह्म का ऐसा तेज था कि सात-आठ लोगों से वे घण्टे भर तक अकेले कुश्ती लड़ते रहे।...हाथ-पाँव जोड़कर किसी तरह मनाया गया और बड़ी पूजा-आरजा के बाद दोनों हाथ पीठ पर चढ़ाकर बाँधे गये और उन्हें घर लाया गया।...जन्तरी के सारे अस्त्र नाकाम हो गये। अन्त में बोरसी भर आग में लाल मिर्च की धुकनी देकर महानन्द सोखा कोठरी से बाहर आये।''[11] मार्कण्डेय अंधविश्वास की घिनौनी करतूतों को रेखांकित करते हैं। महाराज के पौत्र श्रीकांत चौथीराम के ऊपर की गयी सभी यातनाओं को बताता है। मार्कण्डेय लिखते हैं ''मैं श्रीकान्त के मुँह की तरफ एकटक देख रहा था। जैसे ही उसने बोलना बन्द किया, मैंने पूछा...फिर...क्या लोगों ने मुंशीजी को मार डाला?' ...मारने पर तो और भी संकट खड़ा होता। पुलिस दरोगा के चक्कर में सारा गाँव ही फँस जाता, लेकिन और क्या कुछ नहीं किया लोगों ने।''[12] वर्ण व्यवस्था के चक्र में फँस चुके चौथीराम अनेक कोशिशों के बाद भी स्वयं को अकेला ही पाते हैं। अन्ततोगत्वा सामंती शक्तियों द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इस ब्रह्मकोप का अंतिम विकल्प

हलयोग ही है। मार्कण्डेय की कहानी 'हलयोग' अस्पृश्यता की खाल ओढ़े समाज के ऐसे मानसिक विकृति के स्वरूप की ओर संकेत करती है, जिसका प्रभाव वर्तमान समय में भी यदाकदा देखने को मिल जाता है।

चौथीराम को ब्रह्मकोप से मुक्ति दिलाने के नाम पर सुझाया गया हलयोग विधान बहुत ही पीड़ादायक एवं हृदयस्पर्शी है। उनके एक पैर को लम्बे लकड़ी के कुंदे में इस प्रकार बैठा दिया जाता है कि मुंशीजी सदैव ही एक नियत स्थान पर रह सकें। इस विधान के पश्चात् सामाजिक बदलाव के सपने देखने वाले युवा चौथीराम की सम्पूर्ण दुनिया एक ही स्थान पर सिमटकर रह जाती है। श्रीकांत हलयोग विधान की पीड़ादायक स्थिति के बारे में बताता है- ''फिर उसी लकड़ी के कुन्दे पर उसे सब-कुछ करना है-टट्टी, पेशाब, खाना, बैठना, सोना। मतलब की अब उसको इन जरूरी कामों के लिए वहाँ से हटने की स्थिति खघ्तम हो जाती है। वहीं कटोरे में उसका खाना रख दिया जाता है। लोटे में पीने का पानी। यही हलयोग मुन्शीजी पर कर दिया गया है।''[13] चौथीराम को आखिर दुनिया से ही मुक्ति मिल जाती है। मार्कण्डेय यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या चौथीराम को मुक्ति मिलने के बाद गाँव वालों को सच्ची मुक्ति मिलती है? गाँव के उच्च वर्ग के द्वारा अपने वर्चस्व की शाश्वत स्थापना के लिए किसी दलित युवक की योजनाबद्ध हत्या स्वस्थ समाज के लिए घातक है। डॉ० जिभाऊ शामराव मोरे लिखते हैं ''यों जाति के नाम पर सवर्णों के द्वारा पढ़े-लिखे दलित नौजवान का शोषण और बाद में मृत्यु हर पाठक को सोचने पर विवश कर देती है कि अस्पृश्यता का विष अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। उसके लिए प्रयत्न अब भी अपेक्षित है।''[14]

मार्कण्डेय 'हलयोग' कहानी के माध्यम से समाज के भीतर गहरी पैठ बना चुकी वर्ण-व्यवस्था, अंधविश्वास, छुआछूत, असमानता, शोषण आदि पर कठोर प्रहार किया है। वे एक तरफ महाराज गयादीन के रूप में ऐसे सामंती मानसिकता से युक्त पात्र को प्रस्तुत करते हैं जो खाँटी वर्ण व्यवस्था का पोषक है और परम्परा से चली आ रही मान्यताओं को बलपूर्वक या फिर षड्यंत्रों की सहायता से बचाना चाहता है। महाराज सम्पूर्ण सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरी तरफ बाबा ठाकुर जैसे पात्रों का भी चयन करते हैं जो समाज के वंचित वर्ग की सहायता भी करते हैं। साथ ही समय-समय पर हिदायतें भी देते रहते हैं। मार्कण्डेय का 'हलयोग' कहानी में इस तरह के संदर्भों को सम्मिलित करना उनकी समतावादी विचारधारा की पुष्टि करता है। 'हलयोग' कहानी यथार्थ के धरातल पर रोपण किया गया वह बीज है, जो एक दिन बढ़कर मीठे फल अवश्य देगा। ऐसा मार्कण्डेय का पूर्ण विश्वास है। मार्कण्डेय के अनुसार- ''कुछ कहने और आज के सन्दर्भों की वास्तविकता से लगकर कहने की कोशिश होगी तो परिवर्तन की प्रक्रिया को बल मिलेगा और कुहासा खुद बखुद छँटेगा।''[15]

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मार्कण्डेय ने 'हलयोग' कहानी के माध्यम से सामाजिक भेदभाव के विभिन्न आयामों के सत्य को उदघाटित किया है। वे जिस प्रकार छुआछूत और अंधविश्वास रूपी दानव की चर्चा अपनी कहानी में करते हैं, वह आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। वर्तमान में देखा जाये तो विकसित हो चुके समाज में भी इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला है। मार्कण्डेय इस कहानी के माध्यम से अपने को विकसित समझने वाले ऐसे समाज के मुँह पर तमाचा मारते हैं। सामाजिक संवेदना से ओत-प्रोत मार्कण्डेय सामाजिक बुराइयों का विश्लेषण करते समय यथार्थ को अपनी कहानी में पिरो देते हैं। इनके अन्दर वर्चस्ववादी शक्तियों से सीधे मुठभेड़ करने का अद्भुत साहस है। मार्कण्डेय शोषितों, गरीबों, दलितों के वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़ इच्छा के साथ खड़े रहते हैं।

संदर्भ सूची

1. डॉ० नीलांबिके एस० पाटील, 'मार्कण्डेय का साहित्यः समग्र मूल्यांकन', वाङ्मय बुक्स, अलीगढ़, संस्करण-2014, पृ०सं०-108
2. डॉ० रामचन्द्र तिवारी, 'हिन्दी का गद्य-साहित्य', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी संस्करण-2015, पृ०सं०-392
3. मार्कण्डेय, 'हलयोग', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2012, पृ०सं०-13
4. वही, पृ०सं०-14
5. वही, पृ०सं०-15
6. वही, पृ०सं०-15
7. वही, पृ०सं०-18
8. वही, पृ०सं०-17
9. वही, पृ०सं०-13
10. वही, पृ०सं०-17
11. वही, पृ०सं०-19
12. वही, पृ०सं०-20
13. वही, पृ०सं०-21
14. डॉ० जिभाऊ शामराव मोरे, 'मार्कण्डेय का कथा-साहित्य और ग्रामीण सरोकार', विकास प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-2010, पृ०सं०-120
15. 'कथा' पत्रिका, अंक-15, मार्च-2011, पृ०सं०-238

बिहार में बाढ़ की समस्या और स्थायी समाधानः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० बिंध्याचल साह

सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, बलिराम भगत महाविद्यालय समस्तीपुर, बिहार

सारांशः उत्तर बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ के लिए अभिशप्त हैद्य बिहार के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण यहाँ प्रतिवर्ष आने वाला बाढ़ है, जो जान-माल की क्षति के साथ ही भारी मात्रा में बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। किसानों की फसलों और उनकी आजीविका को नष्ट करता है। यह प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और भारी मात्रा में पलायन का मुख्य कारण भी है। बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारणों में नेपाल से आने वाले वाली नदियों का उच्च अवसादन भार, मानसून की भारी बारिश और बांधों के कारण पीछे का जल प्रभाव शामिल है। इसके स्थायी समाधान हेतु हम एकीकृत बाढ़ प्रबंधन, सिल्ट प्रबंधन, नदियों का अंतरराज्यीय संपर्क, समुदाय आधारित चेतावनी प्रणाली और वनारोपण जैसे परिस्थितिकीय उपाय अपना सकते हैं। यह उपाय प्रकृति के अनुकूल और दीर्घकालिन प्रभावों को कम करने वाले हैं। बिहार सरकार प्रतिवर्ष बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करती रही है, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा जा सका। सरकार बाढ़ राहत, पुनर्वास और पुनः बुनियादी ढांचे को खड़ा करने पर हजारों करोड़ रूपया व्यय करती है। जब तक हम इस बाढ़ पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पा लेते, तब तक हम इस प्रभावित क्षेत्र और संपूर्ण बिहार को विकसित बिहार में नहीं बदल सकते हैं। बिहार को बाढ़ मुक्त करने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को संयुक्त रूप से मिलकर पूर्ण ईमानदारी के साथ नयी रणनीति बनाकर कार्य करने होंगे। इसमें नेपाल सरकार को भी साथ लेकर हम ज्यादा कारगर एवं टिकाऊ समाधान ढूंढ सकते हैं।प्रस्तुत शोध आलेख बिहार में बाढ़ के वर्तमान स्वरूप, इसके मुख्य कारणों और संभावित टिकाऊ समाधान को ढूंढने का प्रयास करता है।

शब्द कुंजीः बाढ़, आजीविका, पिछड़ापन, टिकाऊ, बुनियादी ढांचा, पुनर्वास, पलायन, विकसित बिहार।

परिचयः

बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। प्रतिवर्ष उत्तर बिहार बाढ़ और दक्षिण बिहार सूखा से ग्रसित होता है। इससे जानमाल और आधारभूत संरचनाओं की बड़े पैमाने पर क्षति होती है। उत्तर बिहार का लगभग 73.63% क्षेत्र बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर, 2024 में लगभग 1.5 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। इससे भारी मात्रा में फसल, संपत्ति और बुनियादी ढांचा नष्ट हुआ था। वर्ष 2008 के भयानक कोसी बाढ़ में लगभग 5 लाख किसानों, 3.5 लाख एकड़ धान, 18 हजार एकड़ मक्का और 2.4 लाख एकड़ अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा था।

बाढ़ बिहार की एक गंभीर समस्या है। यह प्रतिवर्ष बिहार के विकास को पीछे ढकेल देती है। उत्तर बिहार के लगभग 28 जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें 15 जिले सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अक्टूबर, 2024 में सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया आदि जिले बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। बाढ़ के प्रभाव से फसलों को नुकसान, पशुधन की हानि और बुनियादी ढांचे का विनाश निरंतरता से होता रहता है जिससे कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां बढ़ जाती है।उत्तर बिहार जहां राज्य की आबादी की 76% जनसंख्या रहती है, यह भारत का वह क्षेत्र है, जहां बाढ़ आने की सबसे अधिक संभावना है। भारत का 16. 5 % बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और 22.1 प्रतिशत बाढ़ प्रभावित आबादी बिहार में है। बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या निरंतर बनी हुई है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.06 प्रतिशत यानी 68800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है।

शोध अध्ययन का उद्देश्यः

1. बिहार में बाढ़ के वर्तमान स्वरूप एवं स्थिति को जानना।
2. बिहार में बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारणों, इसके प्रभावों और इसके स्थायी समाधान को जानना।
3. बिहार में बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए सरकारी प्रयासों को जानना।

शोध परिकल्पनाः

1. बाढ़ जन-जीवन, परिसंपत्ति, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
2. बाढ़ पर नियंत्रण करके हम बिहार को सक्षम, समृद्ध और विकसित बिहार बना सकते हैं।

शोध विधि:

प्रस्तुत शोध पत्र लेखन में द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों एवं तथ्यों का उपयोग किया गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों, पत्र-पत्रिकाओं और सोशल साइट्स से प्राप्त तथ्यों एवं आंकड़ों को संकलित एवं विश्लेषित किया गया है। तथ्यों एवं आंकड़ों को विश्लेषणात्मक ढंग से उद्देश्यों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। आवश्यकतानुसार यथास्थान गणितीय अंकों एवं चिन्हों का उपयोग किया गया है।

तथ्यों एवं आंकड़ों का विश्लेषण:

वर्ष 2024 में बाढ़ से बिहार के 19 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ के कारण लगभग 3 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस बाढ़ ने उत्तर बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ के कारण 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो केवल मखाना और मछली ही नष्ट हुई थी। मंगल पांडे, तत्कालीन कृषि मंत्री, बिहार सरकार के अनुसार, "भारी बारिश और पड़ोसी देश नेपाल से आई बाढ़ के कारण 19 जिलों के 92 प्रखंड प्रभावित हुए। बाढ़ से कुल 673 पंचायतों में लगभग 2,24,597 हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ। इसमें से लगभग 91817 हेक्टेयर रकबा (33% से अधिक) में फसलों की क्षति होने का अनुमान है।"

बिहार में बाढ़ से तबाही का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1979 से अब तक लगभग 9000 से अधिक लोगों की मृत्यु बाढ़ से हुई है, वहीं 30000 से अधिक मवेशियों की भी जान गई है। इसके अलावा 8 करोड़ हेक्टेयर से अधिक फसल को नुकसान हुआ है। इस अवधि में बिहार को 9000 करोड़ से 10000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वर्ष 1998 से वर्ष 2019 की अवधि के दौरान बिहार के लगभग 37.24 प्रतिशत (35.06 लाख वर्ग हेक्टेयर) भूमि क्षेत्र में बाढ आई। बिहार सरकार बाढ़ पूर्व तैयारी और बाढ़ आने पर बचाव मद में हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है। पिछले 8 वर्षों में बाढ़ पूर्व तैयारी पर बिहार सरकार के खर्च को देखें तो सरकार ने वर्ष 2017 में 317 योजनाओं पर 1231.63 करोड़ की राशि खर्च की थी, वहीं वर्ष 2023 में 296 योजनाओं पर 748. 54 करोड़ और वर्ष 2024 में 149 योजनाओं पर 350 करोड रुपए की राशि खर्च की गई।

बिहार सरकार बाढ़ से प्रतिवर्ष हुए हजारों करोड़ रूपये के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से मांग करती रही है। हालांकि कभी भी केंद्र सरकार द्वारा पूरी राशि नहीं दी गई। बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार से बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वर्ष 2016 में 4112.98 करोड़, वर्ष 2017 में 7636.51 करोड़, वर्ष 2019 में 4299 करोड़ और वर्ष 2021 में 3763.85 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में मांगी गई 3763 करोड़ की क्षतिपुर्ति राशि की तुलना में मात्र 1000 करोड रुपए के लगभग राशि ही दी गई। बाढ़ पीड़ितों के लिए वर्ष 2024 में केंद्र ने मात्र 656 करोड रुपए की राशि बिहार सरकार को दी थी जो कि 'ऊंट के मुंह में जीरा' के समान था।

बाढ़ से सुरक्षा के लिए इस वर्ष (2025 में) मानसून से पूर्व कराए जाने वाले कटाव रोधक कार्यों के लिए 562 करोड़ रुपए की लागत से 173 योजनाओं को की मंजूरी दी गई है। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार 562 करोड रुपए में से 86 करोड़ रुपए नेपाल परिक्षेत्र में 58 चिन्हित स्थलों पर कटाव निरोधक योजनाओं के क्रियान्वयन पर खर्च करेगी। शेष 115 योजनाएं बिहार के भूभाग पर 476 करोड़ की लागत से पुर्ण करने की तैयारी है।

बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण:

बिहार की भौगोलिक स्थिति के कारण हिमालय से बहने वाली बर्फ से भारी नदियाँ बाढ़ के लिए प्रवण हैं। तटबंधों ने नदी की तल छट को फंसा दिया है, जिससे नदी का तल ऊपर उठ रहा है, जिससे हर साल बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने से स्थिति और भी खराब हो जाती है। बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल से नीचे की ओर स्थित इसकी स्थिति है। कोसी, गंडक, बुढ़ी गंडक, बागमती और अन्य हिमालयी नदियाँ इस क्षेत्र में ढीली मिट्टी के कारण भारी मात्रा में तलछट लाती है। भारी बारिश के कारण ये नदियां उफान पर आ जाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। राज्य के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र के अनुसार, बिहार भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहां उत्तर बिहार की 76% आबादी नियमित रूप से बाढ़ से होने वाली तबाही के खतरे में रहती है। बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारणों में नेपाल से आने वाली नदियों का उच्च अवसादन भार, मानसून की भारी बारिश और नदियों में निरंतर जमा होने वाला गाद या सिल्ट है। इसके अलावा अनियमित रूप से बांधों का निर्माण, जलमार्गों में उत्पन्न अवरोध एवं अतिक्रमण, अनियंत्रित एवं अनियोजित विकास आदि कारण भी बाढ़ के लिए उत्तरदायी हैं। हम बाढ़ के कारणों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखकर देख सकते हैं:

(क) प्राकृतिक कारण: नेपाल से आने वाली नदियों जैसे कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा का उच्च अवसादन भार जो बिहार के मैदानों में जमा हो जाता है, यह मानसून की बारिश जो जून से सितंबर तक 80% वर्षा लाती है, नदियों के प्रवाह को 50 गुना तक बढ़ाकर और खतरनाक एवं भयावह बना देता है।

(ख) मानवीय कारण: बांधों का निर्माण: यह पीछे का जल प्रभाव उत्पन्न करता है। वर्ष 1954 में 160 किलोमीटर बांधों के साथ बाढ़ प्रवण क्षेत्र 2.5 मिलियन हेक्टेयर था, जो वर्ष 2004 में 3465 किलोमीटर लंबे बांधों के साथ बाढ़ प्रवण क्षेत्र बढ़कर 6.89 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इससे स्पष्ट होता है की अंधाधुंध बांधों के निर्माण ने बाढ़ के प्रभाव का और विस्तार किया है। हालांकि, यह एक विवादास्पद विषय भी है, क्योंकि कुछ लोग बांध निर्माण का समर्थन और कुछ पर्यावरणविद इसका विरोध करते हैं।

अनियंत्रित एवं अनियोजित विकास ने बाढ़ के रास्ते को और अधिक प्रभावित किया है। इससे बाढ़ के रास्ते परिवर्तित हुए हैं, जो जान-माल एवं बुनियादी ढांचे को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।

बिहार में बाढ़ का आर्थिक-सामाजिक प्रभाव:

1. बाढ़ प्रतिवर्ष जान और माल का भारी नुकसान करता है।
2. इससे फसलों, पशुधन और बुनियादी ढांचों की व्यापक पैमाने पर क्षति होती है।
3. इस क्षेत्र के श्रमिक स्थायी रोजगार और नियमित आय के लिए दूसरे राज्यों में भारी संख्या में पलायन करते हैं।
4. प्रभावित क्षेत्रों की आबादी आय, आवास और परिसंपत्तियों के नियमित नुकसान के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दूसरे क्षेत्रो एवं राज्यों में विस्थापित हो जाती है।
5. नियमित रूप से पलायन और विस्थापन के कारण इस क्षेत्र में श्रमिकों की कमी होती है, जिसके कारण यहां किसी भी प्रकार के उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाता और अंतत: पूरे क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है।
6. बाढ़ के कारण सरकार और निवेशक यहां वृहद पैमाने के उद्योग खड़ा नहीं कर पाते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना एवं विस्तार नहीं होने के कारण यह पिछड़ेपन में बने रहने के लिए निरंतर अभिशप्त रहता है।
7. बाढ़ के कारण बिहार का जीडीपी और आर्थिक विकास प्रभावित होता है।
8. बिहार सरकार द्वारा बाढ़ राहत और प्रबंधन पर प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रूपया खर्च किया जाता है।
9. बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, आदि सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है और बनी रहती है।
10. बाढ़ बिहार को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनने में अवरोध उत्पन्न करता है।
11. बाढ़ बिहार के विकास के सभी मापदंडों पर पीछे रहने का एक प्रमुख कारण है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए किये गए सरकारी प्रयास:

दशकों से कोसी पर बांध बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होती रही है, लेकिन नेपाल की भागीदारी ने प्रगति को रोक दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार कोसी पर डगमरा (सुपौल), गंडक पर अरेराज और बागमती पर एक और बैराज बनाने की योजना पर विचार कर रही है। बिहार के बाढ़ एटलस ने रणनीति में बदलाव की सिफारिश की है।इसने तटबंधों जैसे संरचनात्मक उपायों पर निर्भर रहने के बजाय बाढ़ के जोखिम और नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है। वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को बाढ़ से राहत और बचाव के लिए 655 करोड रुपए की राशि जारी की। इस परियोजना में काम कर चुके इंजीनियर आमोद कुमार झा के अनुसार, "गाद या सिल्ट की सफाई से भी बाढ़ को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।"

केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ से सुरक्षा की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है, इनमें:

अ) बागमती शांति धार बुढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना,

आ) कमला बलान के दोनों तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सड़क निर्माण का फेज-3 एवं

इ) सड़क निर्माण (66 किलोमीटर से 132.80 किलोमीटर तक) की योजना शामिल है।

केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिहार में प्रति वर्ष होने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसमें कोसी-मेची इंस्ट्रा स्टेट लिंक, बैराज नदी प्रदूषण को समाप्त करने और कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए सर्वे किए जाने का प्रस्ताव है। कोसी-मेची अंतर राज्य लिंक और बैराज नदी प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई पर केंद्रीत 20 अतिरिक्त योजनाओं जैसी परियोजनाएं शामिल है। सरकार ने कोसी नदी से संबंधित बाढ़ शमन और सिंचाई परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और जांच भी करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि, "हम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य वित्त पोषण स्रोतों के माध्यम से बिहार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

निरंतर सरकारी प्रयासों के बावजूद बाढ़ पर नियंत्रण नहीं हो पाने का कारण:

1. बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से और पूर्ण ईमानदारी से कार्य नहीं करना।
2. केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से अपेक्षाकृत कम सहयोग करना।
3. बाढ़ के कारणों की अपेक्षा बाढ़ के प्रभावों पर कार्य करना।
4. नेपाल सरकार द्वारा बिहार और केंद्र सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं करना।
5. शहरीकरण और विकास को अनियोजित तरीके से होने देना।
6. जल प्रवाह एवं जल मार्गों को विभिन्न तरीकों से बाधित करना।
7. अंतर्राज्यीय और अंतर क्षेत्रीय नदी जोड़ परियोजनाओं को लंबित रखना।
8. नदी के तल छट में संग्रहीत गाद की नियमित सफाई नहीं करना।
9. राजनीतिक इच्छा शक्ति का पूर्णत: अभाव होना।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण हेतु स्थायी समाधान के उपाय:

1. एकीकृत बाढ़ प्रबंधन: हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, विशेषज्ञों ने नदी बेसिन में भूमि और जल संसाधनों के विकास, बाढ़ के मैदानों का कुशल निगरानी एवं उपयोग और जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए एक एकीकृत बाढ़ प्रबंधन तंत्र की स्थापना पर जोर दिया है। इसमें सभी विभाग, प्रशासन एवं क्रियान्वयन के स्तर पर मिलकर कार्य करने एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान रणनीति बनाकर सामूहिक प्रयास करके त्वरित एवं स्थायी समाधान प्राप्त करने का प्रस्ताव है।
2. नदियों को एक-दूसरे से जोड़ना: एज इंडिया के एम दिनेश कुमार ने उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार में मानसून के पानी को स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है, जो जल वितरण को संतुलित करेगा। इससे उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। इसके अलावा छेद्रक कुंओं का निर्माण किया जा सकता है, जो नदी चौनलों में मानसून के अपवाह को सीधे रिचार्ज करने में मदद करेगा।
3. गाद अथवा सिल्ट प्रबंधन: आईआईटी रुड़की के ए एस मौर्या ने सुझाव दिया है कि उपयुक्त जलाशयों और आर्द्र भूमियों के माध्यम से सिल्ट प्रबंधन किया जा सकता है, जो बाढ़ के पानी को संग्रहित करने में मदद करेगा।
4. समुदाय आधारित चेतावनी प्रणाली: आईसीआईएमओडी नेपाल की मीरा श्रेष्ठ प्रधान ने समुदाय को शामिल करने और जल स्तर में परिवर्तन से संबंधित नियमित चेतावनियां भेजने पर जोर दिया है, जो बाढ़ की पूर्व तैयारी करने में मदद करेगा और जान-माल की नुकसान को बहुत कम कर देगा।
5. बाढ़ प्रबंधन हेतु गैर-संरचनात्मक उपायों पर जोर: बाढ़ प्रबंधन हेतु गैर-संरचनात्मक उपायों जैसे कि; आश्रय गृहों का निर्माण, सार्वजनिक उपयोग स्थलों को बाढ़ सुरक्षित बनाना, अंतर्राज्यीय नदी बेसिन का प्रबंध करना, बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रीकरण इत्यादि शामिल है।इसके अलावा बाढ़ की प्रकृति के अनुसार आपदा मोचन बल को प्रशिक्षित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैनात करना भी शामिल है।

निष्कर्ष एवं सुझाव:

निष्कर्षत: हम कर सकते हैं कि यदि उत्तर बिहार के बाढ़ पर पूर्ण नियंत्रण करना है तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की यथा संभव तकनीकी एवं आर्थिक मदद पर्याप्त मात्रा में करनी होगी। साथ हीं, नेपाल सरकार को इसके लिए तैयार और शामिल करना होगा। सरकार को विकास को नियंत्रित करने और जल मार्गो को बाधित होने से रोकने की भी आवश्यकता है। लंबित नदी जोड़ परियोजनाओं पर यथाशीघ्र और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। इससे उत्तर बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार सूखा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। हमें नदी के तल छट में संग्रहित होने वाले सिल्ट की सफाई नियमित रूप से करने की भी जरूरत है। बाढ़ नियंत्रण के लिए इसके मूल कारणों पर कार्य करने की आवश्यकता है, न कि इसके प्रभावों को रोकने पर। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाढ़ जन-जीवन, परिसंपत्ति, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह विकास को पीछे ढकेलता है और पिछड़ेपन का मुख्य कारक बनता है। यदि हम बिहार में बाढ़ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर ले तो विकसित एवं समृद्ध बिहार की महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर सकते हैं।

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित सुझावों पर अमल करना समीचीन होगा:

1. केंद्र सरकार को बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की आवश्यकता है, जो इसके मूल कारणों का गंभीर अध्ययन करके आवश्यक क्रियान्वयन हेतु उचित कदम उठा उठाएं।

2. केंद्र सरकार को नेपाल सरकार के साथ मिलकर आवश्यक समझौते और पर्याप्त निधि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
3. नेपाल सरकार से बाढ़ से हुई नुकसान की क्षतिपूर्ति लिए जाने हेतु तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता है। इससे किसी भी समय उसके द्वारा जल छोड़ने पर लगाम लगेगा और वह अपने यहां जल भरण की व्यवस्था करेगा।
4. बाढ़ नियंत्रण हेतु नवीनतम तकनीक अपनाने, समय-समय पर समीक्षा करने और ससमय उचित प्रयास करने की आवश्यकता है।
5. मजबूत तटबंध निर्माण एवं नियमित निगरानी, नियमित रूप से गाद की सफाई, जल का सिचाई परियोजनाओं में उपयोग एवं असिंचित क्षेत्रों तक पहुँच, बहुतायत में बिजली उत्पादन एवं राजस्व अर्जन पर प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है।

संदर्भः

1. https://navbharattimes.indiatimes.com date: 23 July, 2024.
2. https://ddnews.gov.in/en/union-budget/ date: 23 July, 2024.
3. https://en.wikipedia.org
4. https://apnipathshala.com date: 02 October, 2024.
5. https://testbook.com date: 13 September, 2023.
6. https://downtoearth.org.in date: 07 October, 2024.
7. Business Standard. translate.google.com date: 02 October, 2024
8. Bihar State Disaster Management.
   https://bsdma.org
9. Bihar Flood News. https://www.jagran.com
10. ETV Bharat Bihar Team https://www.etvbharat.com.
    date: 04 October, 2024.
    date: 04 October, 2024.

''समकालीन भारतीय समाज में मानवाधिकारों को कायम रखने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता''

चन्द्रभान सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, कालपी कॉलेज, कालपी, जालौन (उत्तर प्रदेश)

Abstract :

वर्तमान भारतीय समाज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों व संप्रदायों के बीच लगातार असमानता व टकराव में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक व्यक्ति, दूसरे का शोषण कर रहा है जिससे समाज में दिन-प्रति-दिन आर्थिक विषमता व संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आज गरीबों के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में विशेषकर गरीब वर्ग के अधिकारों का खुला उल्लंघन होता है। पं० दीनदयाल जी का मानना था कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास और उन्नयन करने से ही समाज का उत्थान होगा। यही भाव उनके द्वारा प्रणीत 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत में निरूपित है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव आज अपने को खोता जा रहा है। हमें मानव को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करना होगा, उसकी गरिमा का उसे ज्ञान कराना होगा, उसकी शक्तियों को जगाना होगा तथा उसे देवत्व की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थशील बनाना होगा एवं महान सोफिस्ट विचारक प्रोटेगोरस के प्रसिद्ध कथन- ''मानव प्रत्येक वस्तु का मापदंड है'' (डंद पे जीम उमेंनतम वि सस जीपदहे) को चरित्रार्थ करना होगा। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखने में मानव कल्याण के समग्र विचारधारा पर आधारित पं० दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववादी दर्शन की महत्ता एवं प्रासंगिकता स्वतःसिद्ध है।

Key Words : मानव अधिकार, एकात्म मानववाद, भारतीय संस्कृति, विकेन्द्रीकरण, अंत्योदय, एकात्म अर्थनीति

प्रस्तावना:

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के केवल इंसान होने के कारण प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों को मांगना नहीं पड़ता बल्कि मानव होने के नाते व्यक्ति को स्वतः प्रकृति से मिल जाते हैं। सी०डी० बर्न्स के शब्दों में, ''फ्रांस की क्रांति ने कोई दान नहीं मांगा, उसने मनुष्य के अधिकारों की मांग की।''[1] मानव अधिकार सार्वभौमिक है इसलिए ये हर जगह और हर समय लागू होते हैं, जो हर व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्र या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना दिए जाते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। मानवाधिकारों का संबंध मनुष्यों के व्यक्तित्व व विकास से जुड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय विभिन्न राष्ट्रों को ऐसे अधिकार प्रदान करने से है जिसका कि उपयोग करके प्रत्येक राष्ट्र अपने विकास को गतिशील कर सकता है। वास्तविकता तो यह है कि मानवीय अधिकार प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights) हैं। इसलिए सभी स्तर के राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों को अपना विकास करने के समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराए जाएं। इनमें सामाजिक (नागरिक), आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रमुख हैं। आज विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों का शायद ही कोई ऐसा संविधान होगा जिसमें किसी न किसी तरह के अधिकारों का समावेश न किया गया हो। भारत के संविधान में 'मौलिक अधिकार' के रूप में, अमेरिकी संविधान में 'सिविल राइट्स' के रूप में और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज में 'मानवीय अधिकारों' के रूप में ही प्रमुख स्थान दिया गया है।

अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां तथा अवसर हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक हैं। अधिकार उन सुविधाओं को कहते हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकते हैं। अपनी आत्मोन्नति के लिए मनुष्य को एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। इस वातावरण को उत्पन्न करना और बनाए रखना समाज और राज्य का कर्तव्य है। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। जीवन की इन्हीं परिस्थितियों को 'अधिकार' (Rights) कहा जाता है। एच०जे० लास्की के अनुसार, ''अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बगैर साधारणतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता।''[2] प्रत्येक मनुष्य में कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं।

इन शक्तियों के विकास हेतु वह समाज के सामने कुछ मांगे रखता है। ये मांगे अनेक प्रकार की हो सकती हैं। कुछ नैतिक तथा सार्वजनिक कल्याण के हित में, तो अन्य अनैतिक और पूर्णत: स्वार्थपूर्ण होती हैं। समाज पहले प्रकार की मांगों को स्वीकार कर लेता है तथा दूसरे प्रकार की मांगों को अस्वीकार कर देता है। जो मांगे समाज द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं, वे अधिकार कहलाती हैं। जैसा कि टी०एच० ग्रीन का मानना है, ''अधिकार वह शक्ति है जिसकी मांग लोककल्याण के लिए की जाती है और जिसे इसी आधार पर मान्यता भी प्राप्त होती है।"[3] इसी प्रकार बार्कर कहते हैं, ''अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक हैं, और जिनकी उपलब्धि राज्य द्वारा संरक्षित होती है।"[4] इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकार का संबंध व्यक्ति, समाज तथा राज्य तीनों से ही रहता है। वर्तमान में किसी समाज की उन्नति का मापदंड उस समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को समझा जाता है। जिस समाज में नागरिक के जितने अधिक अधिकार स्वीकार कर लिए जाते हैं, वह समाज उतना ही अधिक उन्नतिशील माना जाता है।

एक महान लेखक, कुशल संगठनकर्ता, मौलिक विचारक और सनातन संस्कृति के प्रचारक पं० दीनदयाल उपाध्याय भारत के उज्ज्वल अतीत से प्रेरणा लेकर उज्ज्वलतर भविष्य का निर्माण करना चाहते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत की विचारधारा का स्रोत 'भारतीय चिंतन' ही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही वे रूढ़िवादी नहीं बल्कि प्रगतिगामी थे। उनका कहना था कि हम भारत को न तो किसी पुराने समय की प्रतिछाया बनाना चाहते हैं और न ही रूस, अमेरिका की अनुकृति, यानी कि वे स्वदेशी को 'युगानुकूल' और विदेशी को 'स्वादेशानुकूल' बनाए जाने के प्रखर पक्षधर रहे। उनका 'एकात्म मानववाद' संबंधी मौलिक जीवन दर्शन उनकी 'मानव कल्याण' की छटपटाहट को प्रदर्शित करता है। उन्होंने सदैव आदर्शों पर बल दिया और सिद्धांतों के लिए जीना सिखाया। वे संसद सदस्य भले ही नहीं रहे, पर उन्हें संसद सदस्यों के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे जिस पावन यज्ञ के लिए जन्मे, जिए और जूझे उसी के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान भी कर दिया।

दीनदयाल जी के अनुसार ''जैसी संस्कृति होगी, वैसी ही राजनीति होगी।"[4] उनकी दृष्टि में मानवीय चेतना एवं कर्म का कोई भी आयाम संस्कृति से बाहर नहीं है। यही वजह है कि उनकी राष्ट्र कल्पना 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' का प्रतिरूप है और उनकी राजनीति 'संस्कृतिवादी' है। उनका मानना था कि संस्कृति ही किसी राष्ट्र की पहचान का आधार होती है। इसलिए उनका जोर था कि संस्कृति की आधारशिला पर ही हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चिंतन जुड़ा होना चाहिए। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है कि यह संपूर्ण मानव जीवन का और संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। यानी इसका दृष्टिकोण 'एकात्मवादी' है। पंडित जी के व्यक्तित्व में शुद्ध भारतीयता और खांटी देशीपन की गहरी छाप थी, लेकिन रूढ़ियों की जड़ता उन्हें छू भी नहीं पाई। वे बेशक चरखे के स्थान पर मशीनों के पक्षधर थे, लेकिन जो बेकारी बढ़ा दे, ऐसी स्वचालित मशीनों के वे विरोधी भी रहे। गांधीवादी विचारधारा और नेहरू दृष्टिकोण से उनके विचार इसी मायने में मेल नहीं खाते थे। अंतत: उनका मानना था कि हमें 'अतीत के गौरवशाली भारत' की नींव पर 'आधुनिकतम भारत' का ऐसा भव्य भवन खड़ा करना होगा जो समृद्ध, शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर के साथ-साथ जिसमें कम से कम आर्थिक विषमता हो, सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और जो 'समग्र मानव कल्याण' के विचार पर आधारित हो।

एकात्म मानववाद:

भारत के 'पुनर्निर्माण' के उद्देश्य से प्रेरित पंडित जी का एकात्म मानववादी दर्शन एक ऐसा मार्ग है, जो देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं का उसकी परिस्थितियों के अनुसार विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि से समाधान ढूंढ़ता है। जगत्गुरु आदि शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन के महामंत्र- 'अहम् ब्रह्मास्मि'[5] (मैं ही ब्रह्म हूँ) और 'सर्वखल्विदं ब्रह्म'[6] (ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है) पर आधारित उनका एकात्म मानववादी दर्शन यही सिद्ध करता है कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा या ब्रह्म है। वे एक-दूसरे से पृथक या द्वैत हो ही नहीं सकते। और इसीलिए भिन्न-भिन्न जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के होते हुए भी सभी व्यक्ति समान हैं। उनमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक मानव का अपने, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति या ब्रह्मांड के प्रति एकात्मतापूर्ण तादात्म्य ही एकात्म मानवता का स्वरूप है। दीनदयाल जी ने भारतीय मानस में धर्म, जाति, भाषा, आचरण, सामाजिक परंपराओं की विभिन्नता होते हुए भी राष्ट्रीय चेतना के संचार हेतु मानव के 'चित्त' की राष्ट्रीय 'चित्ति' से एकात्मता एवं एक राष्ट्रीय संस्कृति पर आधारित अखंड, सक्षम एवं संपन्न भारत संगठित करने का आह्वान किया था।

भारतीय संस्कृति एकात्मवादी है। सृष्टि की विभिन्न सत्ताओं तथा जीवन के विभिन्न अंगों के दृश्य-भेद स्वीकार करते हुए वह उनके अंतर में एकता की खोज कर उनमें समन्वय की स्थापना करती है। परस्पर विरोध और संघर्ष के स्थान पर वह परस्परावलंबन, पूरकता, अनुकूलता और सहयोग के आधार पर सृष्टि की क्रियायों का विचार करती है। वह एकांगी न होकर सर्वांगीण है। उसका दृष्टिकोण सांप्रदायिक अथवा वर्गवादी न होकर सर्वात्मक एवं सर्वोत्कर्षवादी है। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। पंडित जी के अनुसार ''राष्ट्र की सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो अत्यंत महत्व की है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र के संपूर्ण शरीर में प्राणों के समान संचार करती है। संस्कृति कभी गतिहीन नहीं होती अपितु वह निरंतर गतिशील है फिर भी उसका अपना एक अस्तित्व है। नदी के प्रवाह की भांति निरंतर

गतिशील होते हुए भी वह अपनी निजी विशेषताएं रखती है, जो उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले समाज के संस्कारों में तथा उस सांस्कृतिक भावना से अन्य राष्ट्र के साहित्य, कला, दर्शन, स्मृतिशास्त्र, समाज रचना, इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न अंग-अंगों में व्यक्त होती है।.....राष्ट्रभक्ति की भावना का निर्माण करने और उसको साकार स्वरूप देने का श्रेय भी राष्ट्र की संस्कृति को ही है, तथा वही राष्ट्र की संकुचित सीमाओं को तोड़कर मानव की एकात्मकता का अनुभव कराती है। अतः संस्कृति की स्वतंत्रता परमावश्यक है, बिना उसके राष्ट्र की स्वतंत्रता निरर्थक ही नहीं टिकाऊ भी नहीं रह सकेगी।''[7]

पं० दीनदयाल का कहना है कि समाज और व्यक्ति इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे विभिन्न अंग-प्रत्यंगों से हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार मानव से समाज। दोनों एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। बड़े फलक में देखें तो मानव से ही समाज, फिर गांव, शहर, प्रदेश, देश और फिर अंततः दुनिया बनती है। यहाँ तक कि मानव केवल व्यक्ति व समाज के रूप में ही 'एकात्म' नहीं है। वह इस संसार यानी प्रकृति का भी अविभाज्य अंग है। प्रकति के साथ सहयोग और साहचर्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि अर्थात ईश्वरीय सत्ता ब्रह्म सब आपस में गुंथे हुए हैं, एक हैं। यही दीनदयाल जी के 'एकात्म मानववाद' का आध्यात्मिक दर्शन है। कुल मिलाकर पंडित जी का एकात्म मानववाद उनके भौतिक और आध्यात्मिक दर्शन का समावेश है। भारतीय संस्कृति और परंपरा भी आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप यानी 'एकात्म' मानती है। 'एकात्म मानववाद' इसी भारतीय परंपरा की आधुनिकतम प्रकृति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक ही आत्मा न केवल सभी व्यक्तियों में विद्यमान है बल्कि वही सारे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और इसीलिए दीनदयाल जी सभी व्यक्तियों के समानता के प्रबल पक्षधर थे।

राजनीतिक चिंतनः

भारतीय राजनीति के महान विचारक और राजनीतिज्ञ पं० दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीति के नये मानदंडों का सृजन किया। पंडित जी एक ऐसे राजनेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने मूल्य खो रही राजनीति में पुनः शुचिता, आदर्श एवं मूल्यों को स्थापित किया और भारत के विकास और सुशासन हेतु भारतीय राजनीति को एक नया प्रतिरूप प्रदान किया। वह भारत की प्रकृति और परंपरा के अनुरूप एक ऐसा राजनीतिक दर्शन विकसित करना चाहते थे, जो भारत की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित कर सके। उनका मानना था कि भारतीय राजनीति को भारत की संस्कृति और जीवन दर्शन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उपाध्याय जी लोकतंत्र की तात्विक अर्थात पाश्चात्य अवधारणा से सहमत होते हुए भी उसका 'भारतीयकरण' करना चाहते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र की असली आत्मा उसके स्वरूप में नहीं, वरन् जनाकांक्षा को सही रूप से प्रतिबिंबित करने की भावना में है। और इसलिए लोकतंत्र न बहुमत का शासन है, न अल्पमत का वरन् वह जनता की 'सामान्य इच्छा' का शासन है। पंडित जी का कहना था कि प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए जनता के एक अच्छे प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। और एक समुचित उम्मीदवार वह है जो विधानमंडलों में अपने दल के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही अपने क्षेत्र के मतदाताओं की नब्ज को पहचानता हो। इस तरह दल व जन के प्रति समन्वित निष्ठा एक अच्छे उम्मीदवार की कसौटी है।

इसी प्रकार उनका मानना था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की बहुत निर्णायक भूमिका होती है। कोई समाज कितना लोकतांत्रिक है यह उसके दलों का चरित्र देखकर जाना जा सकता है। दीनदयाल जी का मानना था कि राजनीतिक दलों के लिए एक दर्शन की आवश्यकता है। उनके शब्दों में, ''भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों को अपने लिए एक दर्शन या सिद्धांत का क्रमिक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए एकत्र होने वाले लोगों का समुच्चय मात्र नहीं बनना चाहिए। उनका रूप किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से अलग होना चाहिए। यह भी आवश्यकता है कि पार्टी का दर्शन केवल पार्टी घोषणा-पत्र के पृष्ठों तक ही सीमित न रह जाए। सदस्यों को उन्हें समझना चाहिए और उन्हें कार्यरूप में परिणत करने के लिए निष्ठापूर्वक जुट जाना चाहिए।''[8] पंडित जी के अनुसार प्रजातंत्र को स्थापित करने में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धनबल आदि प्रमुख अड़चन हैं। ऐसे में इन अवांछनीय शक्तियों के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने और उसकी सफलता को स्थापित करने के लिए उन्होंने मतदाताओं को ही सबसे उपयोगी धन करार दिया। उन्होंने 'प्रत्येक को वोट' का अधिकार राजनीतिक प्रजातंत्र का मापदंड माना है। पंडित जी ने मतदाताओं के लिए सुझाव देते हुए कहा कि ''व्यक्ति को वोट दें, बटुए को नहीं य पार्टी को वोट दें, व्यक्ति को नहीं य सिद्धांत को वोट दें, पार्टी को नहीं।''[9] पंडित दीनदयाल विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था के भी बहुत हिमायती थे। उनका मानना था कि उनके एकात्मक राज्य में प्रान्तों के साथ-साथ जनपद के रूप में प्रान्तीय स्तर से नीचे तक की विभिन्न संस्थाओं के भी अधिकार बरकरार रहेंगे। पंचायतों को भी शक्तियां होनी चाहिए और कोई भी पंचायतों को भंग नहीं कर सकता। शक्ति नीचे तक जाएगी। और इस प्रकार सत्ता के विकेंद्रीकरण को पूरा किया जाएगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पंडित दीनदयाल जी राजनीतिक अधिकारों के प्रबल हिमायती थे। उन्होंने न केवल सरकार की आलोचना करने के अधिकार को स्वीकार किया बल्कि राजनीतिक संगठन बनाने, चुनाव लड़ने, वोट डालने के अधिकार के साथ-साथ उससे

संबंधित कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक थे। म० गांधी के समान उनका भी मानना था कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों की दुनिया में ही है। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं है।

एकात्म अर्थनीतिः

आज का राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य (ॅमसतिमौजंजम) है। जिसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को समृद्ध एवं सुखी जीवनयापन की सुविधाएं प्रदान करना होता है। लेकिन आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन में लगातार वृद्धि हो रही है। जबकि प्राकृतिक संतुलन के लिए जल, जंगल, जमीन, जीवन और जीव में समन्वय होने की जरूरत होती है। परंतु यहाँ आज ये एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बना दिए गए हैं। नए-नए आविष्कारों के बाद आर्थिक संसाधनों के कई स्रोतों का पता लगा है तथा उत्पादन में कई गुणा वृद्धि हुई है। आर्थिक समृद्धि की इस दौड़ में कई अर्थव्यवस्थाएं तो आगे निकल गई हैं, तो कई पिछड़ गई हैं। परंतु विकसित तथा अल्पविकसित दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं अलग-अलग समस्याओं से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं तो आई, लेकिन ये व्यवस्थाएं भी मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करने में असफल रहीं।

पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं से त्रस्त विश्व को पंडित जी ने 'एकात्म मानववादी दर्शन' का जो सिद्धांत दिया वह न केवल व्यक्ति जीवन से लेकर संपूर्ण मानव जाति का चिंतन है, बल्कि एक संधारणीय विकास (Sustainable Development) का सार्वभौमिक व शाश्वत मॉडल भी है। 'भारतीय अर्थनीतिः विकास की एक दिशा' नामक अपनी पुस्तक में अर्थनीति की विवेचना करते हुए पं० दीनदयाल जी ने कहा कि, ''पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों ही व्यवस्थाओं में मानव को सही और पूर्ण रूप से नहीं समझा गया। एक में उसे स्वार्थी अर्थपरायण, संघर्षशील एवं मत्स्य-न्याय-प्रवण प्राणी माना गया है, तो दूसरी में व्यवस्थाओं और परिस्थितियों का दास, अकिंचन एवं अनास्थामय। शक्तियों का केंद्रीकरण दोनों में अभिप्रेत है। फलतः दोनों का परिणाम 'अमानवीयकरण' में हो रहा है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव को आज पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करना होगा और यह 'स्वदेशी' तथा 'विकेंद्रित अर्थव्यवस्था' के द्वारा ही संभव है। हमें समाजवाद अथवा पूंजीवाद नहीं, मानव का उत्कर्ष और सुख चाहिए।''[10] इस प्रकार दीनदयाल जी समाजवाद और पूंजीवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं। लेकिन उनका संपूर्ण आर्थिक विवेचन समाजपरक एवं समतावादी है। वे सम्पत्ति पर व्यक्ति का समाज निरपेक्ष अधिकार स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी के समान 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धांत का समर्थन किया है। मुनाफावादी कर्मप्रेरणा तथा यांत्रिक उद्योगवाद के भी वे प्रबल विरोधी रहे हैं। उनका कहना था कि यदि औद्योगिक कार्यक्रम अपनाते समय से सचेत रहे तो हम सिद्धांतः 'विकेंद्रीकरण' स्वीकार कर भारत को पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के दुर्गुणों से बचा सकते हैं। हमारा सिद्धांत होना चाहिए छोटी इकाइयों द्वारा उत्पादन। वह बड़े उद्योगों की जगह कुटीर उद्योगों पर जोर देते हैं। इस प्रकार दीनदयाल जी 'विकेंद्रित राज्य' के साथ-साथ 'विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के भी प्रबल पक्षधर थे।

दीनदयाल जी 'आर्थिक लोकतंत्र' की स्थापना के हिमायती रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार 'प्रत्येक को वोट' का हक राजनीतिक प्रजातंत्र का मापदंड है, ठीक उसी प्रकार 'प्रत्येक को काम' आर्थिक लोकतंत्र का मापदंड है। वह कहते हैं कि काम प्रथम तो जीविकोपार्जनीय हो, दूसरा व्यक्ति को उसे चुनने की स्वतंत्रता हो। अतः काम की भांति न्यूनतम वेतन, न्यायोचित प्राप्ति एवं उसका न्यायोचित वितरण भी सुनिश्चित होना चाहिए। पंडित जी का आगे कहना है कि चूँकि व्यक्ति की इच्छाएं असीमित होती हैं इसलिए उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। जबकि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों और ऐसा करना राज्य का परम दायित्व भी है। इसी आधार पर उनका कहना है कि समाज में आर्थिक विषमता कम से कम हो। उनका मानना था कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास और उन्नयन करने से ही समाज का उत्थान होगा। और यही भाव उनके द्वारा प्रणीत 'एकात्म मानववाद' और 'अंत्योदय' के सिद्धांत में निरूपित है।

पं० दीनदयाल के अनुसार पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी होने के कारण अर्थप्रधान है और इसलिए वे पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों अवधारणाओं को भारत के लिए बुरा मानते थे। अर्थ समाज की धारणा के लिए आवश्यक तो है परंतु वह सब कुछ नहीं है। अर्थ का अभाव और प्रभाव दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं। अपने 'एकात्म मानव' के अर्थायाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि ''समाज से अर्थ के प्रभाव व अभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को 'अर्थायाम' या 'एकात्म अर्थनीति' कहा गया है।''[11] पंडित जी 'संधारणीय विकास' के हिमायती थे। उनका मानना था कि हमारे आर्थिक विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए वर्तमान व भावी पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता को कायम रखना होना चाहिए। उनका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होना चाहिए, जिससे दीर्घकालीन शुद्ध उपलब्धियां जैसे, आय तथा रोजगार में वृद्धि, निर्धनता उन्मूलन, जीवन स्तर में वृद्धि आदि के लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

पं० दीनदयाल जी का 'स्वदेशी आर्थिक चिंतन' या उनकी 'एकात्म अर्थनीति' उनके ही 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार, ''हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो 'यत् पिण्डे तत् ब्रह्मण्डे' के न्याय के अनुसार समष्टि का

जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन हैं, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है जो अनेक एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा।"[12] नि:सन्देह उनका यह आर्थिक चिंतन आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला और निर्धनों का उत्थान करने वाला प्रतीत होता है। यह पिछड़े, निर्धन, वंचित और शोषित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने वाला सिद्धांत है।

निष्कर्ष:

उपर्युक्त विवेचन के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पंडित जी द्वारा विवेचित एकात्म मानववादी सिद्धांत के मूल में मानव है। हमें मानव को उसके स्थान पर प्रतिष्ठित करना होगा, उसकी गरिमा का उसे ज्ञान कराना होगा, उसकी शक्तियों को जगाना होगा तथा उसे देवत्व की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थशील बनाना होगा। और यह सब तभी हो सकेगा जब उसका सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति को लगभग सभी तरह के मानवाधिकार प्राप्त हों। क्योंकि इनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं हो सकता। जैसा कि स्पष्ट है केंद्रीकरण पर आधारित पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाएं मानव स्वतंत्रता की विरोधी हैं और चूँकि ये दोनों व्यवस्थाएं पूर्णत: भौतिकवादी हैं, इसलिए इनके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता की खाई लगातार बढ़ती जाती है और अंतत: व्यक्ति, व्यक्ति का ही शोषण करने लगता है। ऐसे में पं० दीनदयाल द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववादी विचारधारा, जो समग्र मानव कल्याण के सिद्धांत पर आधारित है, भारतीय संदर्भ में पूंजीवाद और समाजवाद के विकल्प के रूप में सामने आई। इस विचारधारा में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों दर्शनों का समावेश है। दीनदयाल जी भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों पर, राष्ट्रीयता को पोषण करने वाली धर्म आधारित ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना चाहते थे जिसमें शोषण, दमन और अत्याचार के लिए कोई स्थान न हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के अधिकारों के साथ-साथ दूसरे के अधिकारों के लिए जागरूक तथा प्रतिबद्ध हो, जिसमें अधिकारों के साथ ही साथ कर्तव्यों के प्रति गहन बोध भी हो और जिसमें वंचित वर्ग के उत्थान की चिंता हो। अंतत: हम कह सकते हैं कि समकालीन भारतीय समाज में मानवाधिकारों को कायम रखने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की महत्ता व प्रासंगिकता लगातार बनी हुई है।

References :

1. फड़िया, डॉ० बी०एल०: राजनीतिक अवधारणाएं, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2001, पृष्ठ 247
2. गाबा, ओम प्रकाश: राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा, मयूर पेपरबैक्स पब्लिकेशंस, नोएडा, 2001, पृष्ठ 317
3. फड़िया, डॉ० बी०एल० और फड़िया, डॉ० कुलदीप: राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 1999, पृष्ठ 94
4. पोखरियाल, डॉ० रमेश 'निशंक': एकात्म मानववाद के प्रणेता- पं० दीनदयाल उपाध्याय, डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा०) लि० पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृष्ठ 6
5. बृहदारण्यक उपनिषद ससऽ।।४।।१०।। - यजुर्वेद
6. छांदोग्य उपनिषद ससऽ।।१४।।१।। - सामवेद
7. उपाध्याय, दीनदयाल: राष्ट्र जीवन की दिशा, सं०- रामशंकर अग्निहोत्री और भानु प्रताप शुक्ल, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2008, पृष्ठ 33-34
8. उपाध्याय, पं० दीनदयाल: पोलिटिकल डायरी, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ 188
9. पोखरियाल, डॉ० रमेश 'निशंक': एकात्म मानववाद के प्रणेता- पं० दीनदयाल उपाध्याय, डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा०) लि० पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृष्ठ 15
10. वही, पृष्ठ 107
11. शाही, डॉ० राजशरण और त्रिपाठी, डॉ० विवेकनाथ: संस्कृति आधारित जीवन रचना और शिक्षा- पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि में, शोध जर्नल अधिगम, अंक- 24, सित० 2022, ISSN: 2394-773X, पृष्ठ 59
12. देवधर, विश्वनाथ नारायण: पं० दीनदयाल उपाध्याय- विचार दर्शन, खंड-7, व्यक्ति दर्शन; सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ 84

हिन्दी और असमीया के होली गीतः एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ० प्रीति बैश्य

सहेयक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, प्रागज्योतिष महाविद्यालय, गुवाहाटी

होली गीत फाल्गुन मास में होली के अवसर पर गाये जाते हैं। फाल्गुन मास में गाये जाने के कारण इन गीतों को 'फाग' या 'फगुआ गीत' भी कहा जाता है। ब्रज, अवध, हरियाणा, बिहार आदि क्षेत्रों तथा असम में होली गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। असम में ये गीत 'फाकुवा गीत' नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कुछ-कुछ क्षेत्रों में इसे 'दौल गीत' भी कहा जाता है। मैथिली में ये गीत 'फाग' नाम से प्रसिद्ध हैं तो भोजपुरी प्रदेश में 'फगुआ' नाम से प्रचलित हैं। ब्रज में होली के कई रूप देखने को मिलता है। असम के बरपेटा की होली की अपनी विशेष पहचान है। 'होली' उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस उत्सव का प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य, जानवर और फसल की प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। मनुष्य के अलावा घरेलू जानवर, पृथ्वी आदि को भी होली में रंगों से शोभित किया जाता है। होली गीतों में श्रीकृष्ण के गोप-गोपियों के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इनमें राम-सीता, शिव-पार्वती के होली खेलने का चित्रण भी देखने को मिलता है। प्रह्लाद-होलिका का संदर्भ, फाल्गुन का प्राकृतिक सौन्दर्य आदि भी इन गीतों में चित्रित हैं। होली एक ऐसा उत्सव है, जिसमें लोग आपसी मनमुटाव भूलकर एक-दूसरे के प्रेम में रंग जाते हैं। इस उत्सव में मनुष्य बड़े उत्साह से होली गीत गाते हैं। ये गीत लोक को संस्कृति से जोड़ने और उसे सहेजने का काम करते हैं।

बीज शब्दः हिन्दी, असमीया, होली के गीत, श्रीकृष्ण-गोपियाँ

1. प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में त्योहार विशेष महत्वपूर्ण है। इन त्योहारों में गाये जानेवाले गीत जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। ये गीत लोक को संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। होली का उत्सव भारतवर्ष का एक प्रमुख त्योहार है। आज इसे विश्वभर में मनाया जाता है। होली का उत्सव लोगों में भातृभाव, मित्रभाव, परस्पर प्रेमभाव जगाकर आपसी अनबन को दूर करता है। होली के त्योहार में जो सार्वजनिक उत्साह है, वही इन गीतों में दिखाई पड़ता है।

फाल्गुन मास में होली के अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं, उन्हें 'होली' गीत कहते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को होली मनायी जाती है। फाल्गुन मास में गाये जाने के कारण इन गीतों को 'फाग' या 'फगुआ गीत' भी कहा जाता है। इस उत्सव का मूल उद्देश्य था मनुष्य, पशु और अनाजों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना। भारतवर्ष के ब्रज, अवध, हरियाणा, बिहार आदि क्षेत्रों में होली गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। मैथिली में ये गीत 'फाग' नाम से प्रसिद्ध हैं। असम में भी होली गीतों का विशेष महत्व है।

2. विश्लेषण एवं निर्वचन

होली रंगों का त्योहार है। होली में लोग एक-दूसरे के मुँह, सिर तथा पूरे बदन पर अबीर, गुलाल लगाते हैं। घरेलू जानवरों को भी रंग लगाया जाता है। होली उत्सव के साथ अलग-अलग कहानी, पौराणिक आख्यान, मिथक, किंवदंती आदि जुड़े हुए हैं। इनमें होलिका, हिरण्यकश्यप, पूतना, राम-सीता, राधा-कृष्ण, यशोदा और कृष्ण की कहानियाँ, शंखचूड़ मिथक आदि प्रमुख हैं।

होली गीतों में राधा-कृष्ण, राम-सीता, शिव-पार्वती का होली खेलने का वर्णन मिलता है। ये गीत गाकर लोग मस्ती से झूम उठते हैं। इन गीतों में प्रेम का स्वर मिलता है। शीत ऋतु के बीत जाने पर वसंत के आगमन से प्रकृति और मनुष्य के जीवन में एक नवीन परिवर्तन देखा जाता है। इन गीतों में प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलता है।

हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाया जाता है। इसे वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी दिन से गाँव के लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर-घर जाकर होली का गाना गाते हैं। लेकिन फाल्गुन की शुक्ल पूर्णिमा को होली मनायी जाती है। उसकी पूर्व रात्रि को होलिका जलायी जाती है, जिसे संवत् जलाना भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में यह कथा प्रचलित है कि असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रह्लाद को आग में भस्म करने के उद्देश्य से प्रह्लाद की बुआ होलिका के साथ उसे आग में बैठा दिया था। लेकिन विष्णु की कृपा से प्रह्लाद बच गया और होलिका आग में जलकर भष्म हो गई।

ब्रज में बड़े उत्साह के साथ होली उत्सव मनाया जाता है। वहाँ यह उत्सव राधा-कृष्ण के प्रति उनके दिव्य प्रेम की याद में मनाया जाता है। वहाँ हफ्ते भर से भी अधिक दिनों तक होली चलती है। ब्रज में होली कई रूपों में खेली जाती है, जिसमें गुलाल की होली, फूलों की होली, लड्डू की होली आदि प्रमुख हैं। वहाँ खेली जानेवाली 'लट्ठमार होली' में स्त्रियाँ पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। पुरुष इसे ढाल से बचाने की कोशिश करते हैं। यह परंपरा राधा-कृष्ण की प्रेम गाथा को दर्शाती है। मंदिरों में भजन-कीर्तन भी होते हैं। इस उत्सव पर ब्रज निवासी 'रसिया' गीत गाते हैं। ये गीत राधा-कृष्ण की प्रेम कहानी से संबंधित होते हैं। ब्रज में गाये जानेवाले इन गीतों को लोग ताल, मृदंग, झाल आदि बजाकर गाते हैं। ब्रज में प्रचलित होली गीत का एक उदाहरण इसप्रकार है-

आज बिरज में होरी रे रसिया
होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया !
उड़त गुलाल लाल भये बादर,
केसर रंग में बोरी रे रसिया।
बाजत ताल मृदंग झाँझ डफ,
और मजीरन जोरी रे रसिया।[1]

गेयता के कारण 'फाग' अत्यंत लोकप्रिय हैं। ब्रज की होली में संपूर्ण ब्रजवासी राधा-कृष्ण के प्रेम में रंग जाते हैं और आनंद से झूम उठते हैं। प्रेम के इस रंग से प्रकृति किसप्रकार रंगीन हो उठती है और आकाश, वन सभी रंग जाते हैं, उसका मनमोहक चित्रण देखिए -

ब्रज में खेले फाग कनाई, राधे संग सुहाई।
चलत अबीर रंग केसर कौ, नभ अरुनाई छाई।
लाल-लाल ब्रज, लाल-लाल बन, बीथन कीच मचाई।[2]

असम में भी होली का उत्सव बड़े उमंग के साथ मनाया जाता है। उस दिन धरती माँ को भी रंगों से सजाया जाता है। मंदिर की विग्रह, मूर्ति आदि को भी अबीर से पूजा की जाती है तथा विविध रंगों से सजाया जाता है। गाँव तथा शहर के लोग नामघरों में जाकर स्तुति करते हैं और वहाँ होली खेलते हैं। वे सत्र, नामघर के 'गोसाँइ थान' (= भगवान या गुरु की पूजा या सेवा के लिए आसन और वस्त्रों से सुसज्जित ऊँची वेदी), धार्मिक पोथी आदि को श्रद्धापूर्वक घर-घर ले जाकर गृहस्थ को आशीर्वाद देते हैं और एक-दूसरे को रंग लगते हैं। शाम को उन्हें पुनः पूर्ववत स्थान पर रखा जाता है। कहीं-कहीं यह त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। वे फाल्गुन की प्राकृतिक सौन्दर्य से समृद्ध होली-गीत गाते हुए खोल, ताल बजाते हुए मस्ती से झूम उठते हैं ।

होली उत्सव में यहाँ के 'दौल गृह' का विशेष महत्व है। असम के हाजो के मणिकूट पर्वत में स्थित हयग्रीव-माधव मंदिर के पास आहोम राजा प्रमत्त सिंह ने 1750 ई. में 'दौल गृह' बनाया था, जिसे सिर्फ होली के त्योहार में कुछेक दिनों के लिए ही व्यवहार किया जाता है।[3]

फाल्गुन की होली लोगों को पागल कर देते हैं। भँवरे फूलों पर मंडराते हैं और उन्हें आलिंगन करने के लिए पल-पल रोमांच जगाते हैं। इस मदहोश करनेवाले फाल्गुन के अवसर पर श्री कृष्ण आनंदित होकर होली खेलते हैं -

फागुन परिछे
फागुन हलिते
आमार पराण
पागल करे रि सते।
आरे जाके-जाके भोमोरा
गुंजरे कुसुमे
पलके पलके पुलक जगाइछे
आबरि लबले
आरे उतला फागुन बेला
कानाइ खेलिछे हलि रङते ।[4]

असम के बरपेटा में बड़े उत्साह के साथ होली का उत्सव मनाया जाता है। इस अंचल तथा यहाँ के सत्रों में प्रचलित होली गीत, जिसे 'दौल गीत' कहा जाता है, विशेष प्रसिद्ध हैं। होली उत्सव अगर तीन दिनों तक मनाया जाता है तो उसे 'बुढ़ा दौल' और पाँच दिनों तक मनाया जाता है तो उसे 'डेका दौल' कहा जाता है। इसके अंतिम दिन को 'सुँवेरी' कहा जाता है। उस दिन सत्र के 'गुरु आसन'

को बाँस के साथ संयोग करके उसे परिभ्रमण किया जाता है। परिभ्रमण के समय लोग इसे घिरकर बाँस तोड़ते हुए जिस प्रथा का पालन करते हैं, उसे 'बाँह भाङा' या 'हाङार भाङा' कहते हैं। लोग विश्वास करते हैं कि उस दिन 'गुरु' स्वयं आकर गुरु आसन में बैठते हैं। बाद में इसे फिर से पूर्ववत जगह पर रखा जाता है। उस दिन स्त्री-पुरुष असमीया पारंपरिक पोशाक 'चादर-मेखला', 'गामोचा' (=सूत से बुने वस्त्र), धोती-कुर्ता आदि नए कपड़े पहनते हैं।

बरपेटा में प्रचलित इस होली गीत में फाल्गुन के आगमन पर, होली के समय मन-प्राण किसप्रकार आनंदित हो उठते हैं, राम-कृष्ण के साथ ही नंदराज, यशोदा तथा समष्ट पुरवासी कितने उल्लास से आबीर के रंग में रंग जाते हैं, उसका वर्णन मिलता है-

फागुन आहिछे आजि।
मन-प्राण जागिछे,
खेले फागु पुरबासी।
मनर हरषे आजि हो-ली,
खेले फागु पुरबासी।
मनर उल्लासे फागु खेले नंदराज
खेले रंग यशोमती।
बिरिन्दा बन माजे आनंद मूरुति
आजि .... हो....ली।
बिरिन्दा बने खेले सुंदर मूरुति
नाचे हासे राम-कृष्ण।[5]

बरपेटा के इस होली गीत में करुणा के सागर, देवताओं में दुर्लभ मथुरा में रहनेवाले भगवान श्रीकृष्ण किसप्रकार गोप-गोपियों के साथ होली खेलते हैं, उसका वर्णन है। सूर्य की किरण पर्वतों पर पड़ने पर वे जिसप्रकार प्रकाशित हो उठते हैं, रंगों से सुशोभित श्रीकृष्ण का शरीर भी ऐसे ही झिलमिला रहा है। गुलाल कर्पूर के समान सुगन्धित हैं, जिसको गोप-गोपियाँ आनंदित होकर एक-दूसरे को लगा रहे हैं -

फागुखेले करुणामय एनन्द कुमार।
देवर दुर्ल्लभ केलि फागुर बिहार ।
फागुपरि श्यामतनु करे तिरिमिरि।
रबिर किरणे जेन मरकत गिरि ।
कंपूर कुंकुमे फागु आति सुबासित।
गोप-गोपी सवे खेला हुया आनंदित ।[6]

अवध में होली के समय पर गाये जाने वाले होली लोकगीतों में रामख्रसीता, राधाख्रकृष्ण के साथ ही शिव-पार्वती का उल्लेख मिलता है। इस होली गीत में राम हाथ में सोने की पिचकारी लेते हुए और सीता हाथ में अबीर लेती हुई होली खेलने का वर्णन मिलता है -

होरी खेलैं रघुवीरा, अवध में होरी खेलैं रघुवीरा
राम के हाथ कनक पिचकारी, सीता के हाथ अबीरा।[7]

असम के दक्षिण कामरूप में प्रचलित इस होली गीत में चौत्र-फाल्गुन की होली का वर्णन है। इसमें राम के वनवास जाने और रावण द्वारा सीता को हरण करके पाताल ले जाने की कहानी का वर्णन है -

आजि आमि होली खेलिम
दिने राति।
चौते फागुनर मास,
राम गेल बनबास,
महीरावन हरि निला पाताले ।[8]

हरियाणा में भी फाल्गुन पूर्णिमा को बड़े उत्साह से होली खेलते हैं। उस दिन होली गीत गाए जाते हैं। प्रेम की डोर से बंधकर सभी एक-दूसरे को रंग लगाते हैं। यहाँ के होली गीतों में प्रह्लाद-होलिका के पौराणिक आख्यान का उल्लेख भी मिलता है। हरियाणा में गाये जानेवाले एक होली गीत का उदाहरण इसप्रकार है -

होली बी खेले ढप बीबजा के गलियाँ में उड़ाए गुलाल
कहियो मुरैहण से होली खेलण आवै नवाब ।[9]

हरियाणा में होलिका द्वारा भक्त प्रह्लाद को जलाये जाने के प्रयत्न को लेकर एक 'हरजस' गाया जाता है।[10] यह हरि (विष्णु) का स्तुति-गीत होता है। हरियाणा में चौत्रकृष्ण प्रतिपदा को भी होली जलाई जाती है।

हरियाणा में होली के अवसर पर 'धमाल गीत' गाते हैं। ये गीत बड़े जोश के साथ वहाँ के वीर पुरुष गाते हैं, जिनमें पुराण, इतिहास का चित्रण मिलता है। इसके अलावा शृंगार तथा घरेलू वातावरण का वर्णन भी मिलता है -

फागण के दिन चार री सजनी
मध जोबन आया फागण में।[11]

राजस्थान में होली गीतों को चंग अथवा डफ के साथ गाये जाते हैं। वहाँ इन लोकगीतों के साथ चंग या डफ वाद्ययंत्र बजाने की प्राचीन प्रथा प्रचलित है। इसमें लड़कियाँ और स्त्रियाँ वस्त्राभूषण से सजकर गीत गाती-बजाती हुई एक विशेष प्रकार का नृत्य 'लूर' नाचती हैं। इसमें स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार रूप में नाचती हैं, जिसे 'लुवर' या 'घूमर' भी कहते हैं।[12]

असम के खटरा अंचल में भी होली उत्सव बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। होली के उत्सव पर प्रचलित इस गीत में कृष्ण के विविध नामों का उल्लेख हैं, जिसे वसुदेव, यशोदा, गोपिनी और राधा ने दिया था -

वसुदेवे नाम थैला नंदेर नंदन।
जशोदाइ राखिला नाम जादुर बाचाधन।
उपनन्द नाम राखे शतेक गोपिनी।
कालसोना नाम राखे राधा बिनन्दिनी।[13]

खटरा सत्र में होली उत्सव के साथ लोक नाट्य भी होता है। इसमें मुख्य पात्र के रूप में लक्ष्मी का पांडा और कृष्ण का पांडा होता है। इस वार्तालाप में लक्ष्मी का पांडा कृष्ण के पांडे से पूछते हैं कि क्या हुआ है? इसके जवाब में कृष्ण का पांडा कहता है कि सत्र का 'गोसाँइ थान' सात दिनों तक दौल यात्रा करने गये थे। वे अब घर आ गये हैं। इसलिए दरवाजा बंध कर दीजिए। दोनों के वार्तालाप के माध्यम से दौल यात्रा का चित्रण मिलता है -

लक्ष्मीर पांडा : ओं कि हैछे?

कृष्णर पांडा : आमार गोसाइ थानखन आजि सात दिन हैछि ख्र देउल जात्रा करिबलै गैछिल। तेओं घर सोमेइ आइछि एतेके दुवारखन मारि देक ।14

3.उपलब्धियाँ

प्रस्तुत अध्ययन के बाद हमें निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं-

- होली गीत होली के अवसर पर गाये जाते हैं।
- फाल्गुन की शुक्ल पूर्णिमा को होली मनायी जाती है।
- मैथिली में ये गीत 'फाग' तथा भोजपुरी में 'फगुआ' नाम से प्रसिद्ध हैं तो असम के बरपेटा में 'दौल गीत' नाम से प्रचलित हैं।
- हिन्दी और असमीया के होली गीत बड़े उत्साह के साथ गाये जाते हैं।
- ये गीत लोक को संस्कृति से जुड़ते हैं।
- इन गीतों में लोक-संस्कृति के विविध तत्व समाहित होते हैं।
- भारतवर्ष के ब्रज, अवध, हरियाणा, बिहार, असम आदि क्षेत्रों में होली गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। ये लोगों के कंठ-कंठ में बसे हैं।
- हिन्दी और असमीया के होली गीत विविध जगहों में चंग, डफ, झाल, ढोलक, मृदंग, खोल, ताल आदि अलग-अलग वाद्ययंत्रों के साथ गाये जाते हैं।
- ब्रज में होली कई रूपों में खेली जाती है।
- हरियाणा में होली के अवसर पर विष्णु का स्तुति गीत 'हरजस' और 'धमाल गीत' गाया जाता है।
- राजस्थान में होली के समय घूमर लोक नृत्य किया जाता है।
- असम के बरपेटा की होली की अपनी विशेष पहचान है, जो इसे दूसरे जगहों की होली से अलग बनाती है।

- खटरा सत्र में होली उत्सव के साथ लोक नाट्य भी होता है।
- होली उत्सव में असम के 'दौल गृह' का विशेष महत्व है।
- होली गीत अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध हैं।
- हिन्दी और असमीया के होली गीत सहज और स्वाभाविक हैं।
- इन होली गीतों में राधा-कृष्ण, राम-सीता, शिव-पार्वती का होली खेलने का वर्णन मिलता है।
- इन गीतों में प्रेम का स्वर मिलता है।
- इन गीतों में प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलता है।
- होली उत्सव के साथ अलग-अलग कहानी, पौराणिक आख्यान आदि जुड़े हुए हैं।

4. निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हिन्दी और असमीया के होली गीतों के माध्यम से संस्कृति के विविध पक्ष उजागर होते हैं। इनमें शृंगार, प्रेम, भक्ति, संस्कार, मूल्यबोध आदि के विविध चित्रण मिलते हैं। इन गीतों में फाल्गुन और उसके सौन्दर्य का मनमोहक वर्णन मिलता है। होली गीत बहुत ही लोकप्रिय हैं। होली का उत्सव लोगों में परस्पर प्रेमभाव जगाकर आपसी अनबन को दूर करता है।

संदर्भ

1. लोकसाहित्य एवं संस्कृति, राधेश्याम सिंह और पवन कुमार रावत, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, पहला, 2024, पृ. 46
2. वही, पृ. 179
3. चित्र-बिचित्र असम, प्रदीप बरुवा, ज्योति प्रकाशन, पानबजार, चौथा, दिसंबर, 2020, पृ. 78
4. असमर लोक साहित्य, नबीनचन्द्र शर्मा, ज्योति प्रकाशन, पानबजार, पहला, मई, 2014, पृ. 424
5. वही, पृ 420, 421
6. वही, पृ. 424
7. लोकसाहित्य एवं संस्कृति, प्रो. राधेश्याम सिंह और पवन कुमार रावत, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, पहला, 2024, पृ. 111
8. असमर लोक साहित्य, नबीनचन्द्र शर्मा, ज्योति प्रकाशन, पानबजार, पहला, मई, 2014, पृ. 423
9. उत्तर-भारत के लोकवाद्य, फात्मा आब्दी, पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग, वाराणसी, पहला, 2014, पृ. 66
10. लोकगीतों के संदर्भ और आयाम, शांति जैन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1999, पृ. 284
11. उत्तर-भारत के लोकवाद्य, फात्मा आब्दी, पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग, वाराणसी, पहला, 2014, पृ. 66
12. लोक-साहित्य की भूमिका, कृष्णदेव उपाध्याय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2022, पृ. 85
13. असमर लोक साहित्य, नबीनचन्द्र शर्मा, ज्योति प्रकाशन, पानबजार, पहला, मई, 2014, पृ. 421
14. वही, पृ. 423

प्राकृतिक आपदा एक परिचय

डॉ० संदीप सिंह

अतिथि व्याख्याता, (भूगोल विभाग), शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव पी०जी० कालेज, बैकुंठपुर कोरिया, (छ०ग०)

प्रस्तावना-

मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास भी बहुत पुराना माना जाता है। जब से मानव ने अपनी आवश्यकताओं तथा उदेश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का दोहन करना शुरू किया। उसके साथ-साथ प्राकृकिक खतरों की प्रवृति भी बढने लगी है। जब प्राकृतिक खतरों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ने लगता है और उस प्रभाव से मानव जीवन में संकट तथा पर्यावरण का संन्तुलन बिगडने लगता है तो उसे प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ-साथ मानव के अवैज्ञानिक एवं अनियोजित विकास कार्यों के कारण मानव जनित आपदाएं भी धरातल पर घटित होने लगी है। इन प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से आज सम्पूर्ण विश्व एक महामारी के रूप में ग्रस्त हो गया है। जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये आपदायें मानव जीवन, आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं, पर्यावरण व प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रही है।

औद्योगिक क्रांन्ति और जनसंख्या वृद्धि ने मानव के तकनीकी ज्ञान व कौशल में अद्‌भुत प्रगति की है जिसके फलस्वरूप उसने अपने विकासात्मक कार्यों के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों का दास के रूप में शोषण करना प्रारम्भ कर दिया था और इस शोषण से पृथ्वी के धरातल पर एक ऐसी असन्तुल की स्थिति उत्पन हो गयी है जिसे आज आपदा के नाम से जाना जाता है।

आपदा का अर्थ-

सामान्यतया आपदा से तात्पर्य अचानक घटित होने वाली उन विषम परिस्थितियों से है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा सामान्य दिनचर्या में भी भारी व्यवधान डालती है।

आपदा का सामान्य अर्थ संकट या विपत्ति है। जिसे अंग्रेजी में (Disater) के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी का यह Desatre शब्द फ्रांसीसी शब्द Disater _dis=k evil +aster=k star) तथा ग्रीक शब्द Disater (dis=kbadaster=kstar) से बना है। इस शब्द का अर्थ होता है- विनाश या बुरा तारा। ये प्रकृति के द्वारा प्रकोप बनकर आते हैं। इस प्रकार से प्रकोप प्राकृतिक हो या मानव जनित वह भयानक घटना है जिससे मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तथा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है और पर्यावरण व प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को अत्यधिक नुकसान होता है। इस भयानक संकट को विपत्ति, विपदा, या आपदा के नाम से जाना जाता है। हम प्राय: प्राकृतिक प्रकोप तथा प्राकृतिक आपदा शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन दोनो शब्दों में अर्थ में प्रयाप्त अन्तर माना जाता है जिस कारण से इस अन्तर को जान लेना आवश्यक है।

आपदा की परिभाषा

आपदाओं को आकस्मिक या बेकाबू घटनाओं के तौर पर देखा जा सकता है वास्तविक या खतरनाक जो एक समय और जगह में केंद्रित है जिसमें एक समाज या एक अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर समाज का उपखंड, गंभीर खतरे से होकर गुजरता है और अपने सदस्यों और भौतिक सामानों के तौर पर बड़ी इतनी क्षति होती है कि सामाजिक गंचा पूरी तरह से टूट जाता है और पूर या फिर समाज के बुनियादी काम रुक जाते हैं।

आपदा की परिभाषा कुछ इस तरह है-

जॉन हिटो "संकट एक प्राकृतिक घटना है, जबकि आपदा उसका परिणाम है''

निक कार्टर "प्राकृतिक या मानव जनित, तीव्र या क्रमबद्ध घटना जिसका प्रभाव इतना त्वरित हो कि प्रभावित जन समुदाय को प्रतिवादन (Response) हेतु असाधरण कार्यवाही करनी पड़े और बाहरी हस्तक्षेप अनिवार्य हो।''

भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005) के अनुसार "आपदा का तात्पर्य प्राकृतिक या मानव जनित दुर्घटना, लापरवाही अथवा गलती के कारण घटित ऐसी घटना से है जिसके कारण बड़े पैमाने पर मानव क्षति, सम्पति की क्षति या विनाशकारी पर्यावरणीय

क्षति हो और घटना का परिणाम प्रभावित जन समुदाय के सामना करने की सीमा से अधिक हो।'' भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005) के अनुसार।

प्राकृतिक आपदाए

ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे प्राकृतिक आपदा कहलाता है। सदियों से प्राकृतिक आपदायें मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही है। जंगलो में आग, बाढ़, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकम्प, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदायें बार-बार मनुष्य को चेतावनी देती है। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनो का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ये मनुष्य के मनमानी का ही नतीजा है। इन आपदाओं को 'ईश्वर का प्रकोप या गुस्सा भी कहा जाता है। आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों, जंगलो मैदानों, पहाड़ो, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। उसी के परिणाम स्वरुप प्राकृतिक आपदायें दिन ब दिन बढ़ने लगी है। हमे सावधानीपूर्वक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिये। ऐसी आपदाओं के कारण भारी मात्रा में जान-माल की हानि होती है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार

प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार निम्नलिखित है -

भूकम्प (Earthquake)

भूकम्प का सामान्य अर्थ पृथ्वी का हिलना या काँपने से लगाया जाता है। जब पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर तक गहराई में स्थित चट्टानो में उपस्थित दरारो, भ्रंशों, कमजोर सतहो में परस्पर आपसी टकराव, गति, हलचल, घषर्ण आदि से उत्पन्न एंव प्रसारित कम्पन जो उत्पत्ति केन्द्र से चारो ओर प्रसारित होकर सतह पर स्थित वस्तुओं आदि को हिला डुला कर असन्तुलित कर देती है। सामान्यत: ऐसी स्थिति को भूकम्प कहा जाता है। सभी व्यक्तियों के लिए भूकम्प शब्द का सामान्य अर्थ है पृथ्वी का हिलना, साधारण अर्थ में भूकम्प वह प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा हो जाती है तथा कम्पन होने लगता है। यह कम्पन तरगों के रूप में होता है। जैसे-जैसे यह तरगें केन्द्र से दूर होती जाती है उनकी शक्ति तथा तीव्रता में कमी होने लगती है।

जिस प्रकार से शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेकने से गोलाकार लहरें केन्द्र से चारो तरफ बाहर की ओर प्रसारित होती है। उसी प्रकार जब कम्पन उत्पन होता है तो उत्पति केन्द्र से लहरें निकलकर बाहर चारों ओर फैलती है। जैसे-जैसे यह लहरें केन्द्र से दूर होती जाती है इनकी शक्ति तथा तीव्रता में कमी होने लगती है। भूकम्प का प्रभाव प्राय: दो रूपों में होता है। प्रथम प्रभाव उत्पति केन्द्र से चारों तरफ तरगों के द्वारा प्रसारित होता है। यह प्रभाव क्षैतिज होता है। द्वितीय प्रभाव कम्पन होने पर धरातलीय भागों में ऊपर तथा नीचे की तरफ लम्व्त रूप में धसाव होने लगता है। भूकम्प का यह रूप अत्यन्त विनाशकारी होता है।

भूस्खलन (Landslide)

भूस्खलन एक गुरूत्व प्रेरित घटना है, जो मुख्यत: पहाड़ी भागों में घटित होती है। पृथ्वी के धरातल पर स्थिर मिट्टी, मलवा, पत्थर व चट्टानों का गुरूत्वाकर्षण के कारण ढाल पर नीचे की ओर गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी सोख लेने के कारण सतह पर स्थित मलवे का भार बढ़ जाता है। इस बढेघ हुए भार के कारण मलवा ढाल पर रूक नहीं पाता है और भार अधिक होने के कारण यह नीचे की ओर को खिसकने लगता है। पानी के कारण जमीन तथा चट्टानों की सतहों के बीच का घर्षण कम हो जाता है जिसके तरलता के कारण खिसकने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसलिए अधिकांश भूस्खलन की घटनायें वर्षा ऋतु में घटित होती है।

सुनामी

सुनामी वास्तव में जापानी भाषा का शब्द जिसमें सु का अर्थ 'बंदरगाह' और नामी का अर्थ 'लहर' होता है। दूसरे शब्दों में हम सुनामी को तटीय लहर कह सकते हैं। ये समुद्र के अंदर आए शक्तिशाली भूकंप, उल्कापात अथवा ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रलय का तांडव करती हुई सुनामी तरंगें 600 किमी प्रति घंटे की तेज चाल से गमन करती हैं और इनकी लंबाई 300 किमी से भी अधिक हो सकती है। ये इतनी सशक्त होती हैं कि पूरे द्वीप को देखते-देखते नष्ट कर सकती है। रोचक बात यह है कि.बीच समुद्र में इनकी ऊंचाई मात्र 2 फुट होती है परंतु समुद्र तट तक पहुंचते-पहुंचते इनकी ऊंचाई 50-60 फुट तक हो सकती है। सुनामी का दायरा, भूकंप प्रभावित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है। ये लहरें मूल रूप से मेहराब के आकार की होती हैं। सुनामी तरंगें, ज्वारीय अथवा चक्रवात तरंगों से भिन्न होती हैं। खुले समुद्र में सुनामी तरंगें विनाशकारी नहीं होती लेकिन तटीय क्षेत्रों में पहुंचकर रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। सुनामी का प्रकोप जापान के तटीय किनारों पर अधिक देखा गया है।

बादल का फटना

वर्तमान समय में धीरे-धीरे हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदायें घटित हो रही है जिसमें अतिवृष्टि या बादल फटना एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा है। जो वर्षा ऋतु में उच्च पर्वतीय भागों के संकरे तथा घने वनों से घिरे क्षेत्रों में अधिकतर घटित होती है। बादल फटना भी एक प्राकृतिक घटना है जिसमें मानव का कोई सहयोग नहीं होता है बल्कि यह प्रकृति पर निर्भर करता है। बादल फटने की अधिकांश घटनायें हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। सामान्यत: जब धरातल के किसी निश्चित भाग पर एक घण्टे में 100 मिमी0 (3.9 इंच) से अधिक वर्षा तीव्र गति से होती है तो इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बादल फटने के नाम से जाना जाता है।

बाढ़ (Floods)

सामान्यत: बाढ़ का अर्थ होता है नदी या समुद्र के जल का अपने किनारों को पार कर आसपास की भूमि को जलमग्न कर देना। विश्वभर में सर्वाधिक बाढ़ के खतरों का सामना कर रहे देशों में भारत का भीनाम आता है। भारत की लगभग सभी नदी बेसिनों में बाढ़ आती है। देश के 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से 22 में बाढ़ आती है। इस कारण 40 मिलियन हेक्टेयर इलाके अर्थात देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग आठवें भाग में बाढ़ का खतरा बना रहता है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। बाढ़ का मुख्य प्रकोप उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम एवं उड़ीसा में देखा जाता है।

सूखा

वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा वह प्राकृतिक अवस्था है जब वर्षा सामान्य से कम और कुल वाष्पीकरण से भी कम हो। सूखा मौसम की वह असामान्य अवस्था है जहांदीर्घ काल से वर्षा न होने या कम होने के कारण शुष्कता की स्थिति बनी रहती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत से कम हो जाती है। आईएमडी ने सूखे को दो स्वरूपों में विभक्त किया है- प्रचंड सूखा तथा सामान्य सूखा। प्रचंड सूखे की स्थिति में वर्षा की मात्रा सामान्य के 50 प्रतिशत से भी कम हो जाती है जबकि सामान्य सूखे की अवस्था में यह मात्र 25 से 50 प्रतिशत तक कम रहती है।

आज के वैज्ञानिक युग मे प्राकृतिक एंव मानव जनित उन सभी विनाशकारी घटनाओं को आपदा कहा जाता है जो मानव समाज तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस नकारात्मक प्राकृतिक एवं मानवजनित घटनाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र या राज्य में मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था पर निम्न रूप से आघात पहुंचता है-

1. समाज के सामान्य काम काज रूक जाते है जिससे अनेक लोग प्रभावित होते है।
2. देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति होती है जिससे विकास की गति कमजोर पड़ जाती है।
3. दैनिक जीवन-यापन में पूरी तरह से व्यवधान पैदा हो जाता है।
4. जीवनयापी सुविधाये जैसे-भोजन, आवास, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य सेवायें, पेयजल, बिजली की आपूर्ति आदि नष्ट होना एंव बाँधा पहुंचाना।
5. दैनिक जीवन में भय तथा तनाव पैदा करना आदि।
6. प्रभावित जन समुदाय को शरण स्थलों, पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं व अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता उत्पन करना।
7. आपदा ग्रसित क्षेत्र में तत्काल बाह्री सहायता की स्थिति पैदा करना।

निष्कर्ष

उपरोक्त घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपदा एक ऐसी विनाशकारी घटना है जिसके कारण समाज, जनसमुदाय आदि की आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय व प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को क्षति के साथ-साथ मानवीय संसाधनों का भी विनाश होता है तथा उक्त घटना से प्रभावित समाज की कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ

1. वर्ल्ड फोकस, अगस्त 2016, पृ0 47।
2. आपदा प्रबन्धन पर राष्ट्रीय नीति-2005।
3. National Institute of Disaster Management, *Post Disaster Need Assessment (PDNA) Study for India,* New Delhi, 2017 .
4. आपदा प्रबन्धन कार्य योजना-2017, जनपद उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।

रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका: एक अध्ययन

अभिषेक कुमार

बिलासपुर, छत्तीसगढ़

श्रीमती सीमा खरे

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) दुर्गा कन्या महाविद्यालय खम्हरिया मढ़ई, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश:-

सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में यूक्रेन को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यूक्रेन 1991 तक सोवियत संघ का सदस्य था, जब यह विघटित हो गया, और तब से रूस उसे अपने साथ बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। 2014 में, यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र डोनेट्स्क बेसिन में एक अलगाववादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, क्रीमिया पर आक्रमण और उसके विलय के कारण रूस को इस क्षेत्र में समुद्री लाभ और भी अधिक प्राप्त हो गया। परिणामस्वरूप, अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने यूक्रेन की सीमाओं की अखंडता की रक्षा करने का वचन दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक और भाषाई संबंध रहे हैं। यूक्रेन सोवियत संघ में रूस के बाद सबसे शक्तिशाली देश था। यूक्रेन वाणिज्यिक उद्योगों, कारखानों और रक्षा विनिर्माण का केंद्र रहा है। यूक्रेन रूस को काला सागर तक पहुंच और भूमध्य सागर तक महत्वपूर्ण संपर्क भी प्रदान करता है। रूस नाटो के महत्वाकांक्षी सदस्य यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर सैन्य निर्माण में लगा हुआ है। रूस ने कहा है कि उसकी सेना की तैनाती नाटो के लगातार पूर्व की ओर विस्तार के जवाब में है। रूस का तर्क है कि उसके कदमों का उद्देश्य अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं की रक्षा करना है।

रूस ने नाटो के आगे विस्तार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है जिसमें यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देश शामिल हैं जो रूस की सीमा से लगते हैं। वहीं अमेरिका ने नाटो की ''खुले द्वार की नीति" में बदलाव से इनकार कर दिया है, जिसका अर्थ है कि नाटो, और अधिक सदस्यों को शामिल करना जारी रखेगा।

भारत ने "क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान" का आह्वान किया। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से अपेक्षा की जा रही है कि वे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों से शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करेंगे, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी।

प्रस्तावना:-

रूस

पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल तथा साम्यवादी देश है। यह यूरोप और दुनिया का सबसे बड़ा देश (क्षेत्रफल की दृष्टि से) हैय यह यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। रूस की राजधानी मॉस्को, यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। सैन्य व आर्थिक शक्ति दृष्टि से भी रूस विश्व के पाँच महाशक्तियों की सूची में शामिल है।

यूक्रेन

पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिणपश्चिम में रोमानिया एवं मॉल्डोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। यूक्रेन, रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश (क्षेत्रफल दृष्टि से) है। कीव, देश की राजधानी होने के साथ-साथ सबसे बड़ा शहर भी है। सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक यूक्रेन सोवियत संघ के विघटन के बाद पुनः स्वतंत्र देश बना। वर्तमान में यूक्रेन सरकार- एकात्मक अर्द्ध अध्यक्षीय गणतंत्र, बहुदलीय प्रणाली के ढांचे में है।

- रूस-यूक्रेन युद्ध के ऐतिहासिक कारण क्या है.?
- रूस-यूक्रेन युद्ध मे भारत की भूमिका क्यो महत्वपूर्ण है.?
- आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से भारत द्वारा मध्यस्थता का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा.?
- रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता से क्या भारत के रिश्ते दोनों देशों के साथ निष्पक्ष बने रहेंगे.?

शोध अध्ययनों की समीक्षाः-

(यारोस्लाव ट्रोफिमोव 2022)

अपने पुस्तक ''हमारे दुश्मन गायब हो जाएंगे: रूसी आक्रमण और यूक्रेन का स्वतंत्रता संग्राम" में ट्रोफिमोव लिखते है कि यूक्रेन के बाहर, शायद ही किसी को विश्वास था कि रूस के हमले का सामना करने के लिए देश के पास कोई मौका था, चाहे उसने कितनी भी बहादुरी से प्रतिरोध किया हो।" ''पश्चिमी खुफिया सेवाओं ने भविष्यवाणी की थी कि कुछ ही दिनों में रूस की जीत निश्चित थी।" ट्रोफिमोव ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन सहित कितने सारे लोग इतने गलत हो सकते हैं। रूस द्वारा जारी युद्ध की निंदा की है।

(कुजूर दीपकलाल 2005)

नई रूसी कूटनीति व्यावहारिक है। इसका मानना है कि रूस की विदेश नीति के भीतर पश्चिम को पूर्व के साथ असंगत दिशाओं के रूप में कृत्रिम रूप से विरोध करना राज्य के हितों के विपरीत है। अपने शोध ''व्लादिमीर पुतिन के अधीन रूसी विदेश नीति" में लिखा है कि रूस अपने पड़ोसी देश (बेलारूस को छोड़कर) रूस के अलावा अन्य आर्थिक साझेदारों की भी तलाश करेंगे तो भविष्य में रूस को आपत्ति होगी।

(त्रिपाठी,संदीप, 2018)-

अपने शोध ''यूक्रेन के प्रति रूस की नीति को समझना (1991-2014)" में बताया है कि यह विद्रोह मेहनतकश जनता का अपने अधिपतियों के खिलाफ युद्ध है, रूसी इतिहासकार यूक्रेन पर शाही आख्यान थोपने की कोशिश करते हैं। रूस के लिए, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक यूक्रेन के प्रति विदेश नीति को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन-रूस और पश्चिम के बीच एक युद्ध के मैदान के रूप में उभरा यह युद्ध एक वैश्विक चुनौती है।

(सेरही प्लोखी-2022)-

अपने शोध ''रूसो-यूक्रेनी युद्धः इतिहास की वापसी" में बताया है कि रूस की रणनीति कई वर्षों से-वर्तमान तक यूक्रेन को नियंत्रित करने, उसकी सेना को निरस्त्र करने और पुतिन की पसंद के अनुसार नेतृत्व चुनने की नीति रही है।

(डॉ जेफरी मैनकॉफ, यूरोप 2022)-

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण यूरोप में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मॉस्को की महत्वाकांक्षाएं यूक्रेनी नाटो सदस्यता को रोकने से परे हैं और यूक्रेन को राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से हावी होने की अधिक व्यापक आकांक्षा को शामिल करती हैं। अपने शोध ''यूक्रेन में रूस का युद्धः पहचान, इतिहास और संघर्ष'' में जेफरी सुझाव देते हैं कि रूस और यूक्रेन के आधुनिक राज्यों को आज और भविष्य में एक राजनीतिक नियति साझा करनी चाहिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यूक्रेन और रूसः

- यूक्रेन और रूस के बीच सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक और भाषाई संबंध रहे हैं।
- यूक्रेन सोवियत संघ में रूस के बाद सबसे शक्तिशाली देश था। 18वीं शताब्दी में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट (1762-1796) ने पूरे जातीय यूक्रेन के क्षेत्र को रूसी साम्राज्य में मिला लिया था। रूसीकरण की जारिस्ट नीति द्वारा यूक्रेनवासी सहित जातीय पहचान और भाषाओं का दमन किया गया। रूसी साम्राज्य के भीतर हालाँकि कई यूक्रेनियन समृद्धि और महत्त्व के पदों पर पहुँच गए तथा बड़ी संख्या में रूस के अन्य हिस्सों में बस गए।
- प्रथम विश्व युद्ध में 3.5 मिलियन से अधिक यूक्रेनवासियों ने रूसी साम्राज्य के पक्ष में लड़ा तथा एक छोटी संख्या ने ऑस्ट्रो-हंगेरियन के साथ जार की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यूक्रेन का नैत् का हिस्सा बनना: प्रथम विश्व युद्ध के कारण जार साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य दोनों का अंत हो गया। मुख्य रूप से कम्युनिस्ट के नेतृत्त्व वाले यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ जिससे कई छोटे यूक्रेनी राज्य उभरे।
- वर्ष 1917 की अक्तूबर क्रांति में बोल्शेविकों के सत्ता में आने के कई महीनों बाद एक स्वतंत्र यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक की घोषणा की गई, लेकिन सत्ता के विभिन्न दावेदारों के बीच गृहयुद्ध जारी रहा, जिसमें यूक्रेनी गुट, अराजकतावादी, जार साम्राज्य और पोलैंड शामिल थे। वर्ष 1922 में यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (नैत) संघ का हिस्सा बन गया।

रूस-यूक्रेन संघर्ष का हालिया कारण

आर्थिक कारक-

रूस ने यूक्रेन के आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यूरेशियन आर्थिक समुदाय (ईएईसी) में यूक्रेन की सदस्यता मांगी, जो एक मुक्त व्यापार समझौता है जो 2015 में अस्तित्व में आया। अपने विशाल बाजार और उन्नत कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के साथ, यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। लेकिन यूक्रेन ने समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया।

भू-राजनीतिक और सामरिक कारक-

रूस का दावा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) द्वारा पूर्व की ओर विस्तार जिसे वे ''विस्तार" कहते हैं, ने रूस के हितों को खतरा बना दिया है और उसने नाटो से लिखित सुरक्षा गारंटी मांगी है। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने रूस की अंतरमहाद्वीपीय दूरी की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे पूर्वी यूरोप के देशों में मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है।

- फरवरी 2014 में शुरू हुआ एक निरंतर और लंबा संघर्ष है, जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और दूसरी ओर यूक्रेन और उसकी समर्थक सेनाएं शामिल हैं। युद्ध क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर केंद्रित है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव विशेष रूप से 2021 से 2022 तक भड़क उठा, जब यह स्पष्ट हो गया कि रूस,यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाह रहा है। फरवरी 2022 में संकट गहरा गया और यह संकट अभी भी जारी है।
- वर्ष 2014 में रूस ने जल्दबाजी में जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई शुरू कर दी।
- हाल ही में यूक्रेन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) से संगठन की सदस्यता ग्रहण करने की आग्रह किया है, पर रूस ये नही चाहता।
- रूस ने यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर लगभग 1,00,000 सैनिक तैनात किये हैं।
- रूस द्वारा इस तरह के कदम को ''रेड लाइन" घोषित किया गया और अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन का अपनी देश की सीमा के करीब विस्तार के परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की।
- यह रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान युद्ध का कारण बना है।

रूस द्वारा यूक्रेन पर कब्जा

यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्र दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र हैं जो रूस-यूक्रेन युद्ध और चल रहे आक्रमण के परिणामस्वरूप रूस द्वारा नियंत्रित हैं। जिसमे यूक्रेन के निम्नलिखित हिस्से रूस के कब्जे में है-

- डोनेट्स्क
- लुहांस्क,
- जापोरिज्जिया
- क्रीमिया

और खेरसॉन प्रांतों के कुछ हिस्से शामिल है।

वहीं यूक्रेन कई जवाबी हमले, मिसाइलें द्वारा रूस को देते आ रहा है हाल ही में यूक्रेन,मॉस्को में घुसकर रूसी जनरल को मारने में भी सफल रहा, जिससे रूस खुद ही सुरक्षा दृष्टि से सवालों के घेरे में आ गया है।

दोनों देशों के साथ भारत के सम्बंध

भारत रूस सम्बंध

भारत-रूस संबंध वैश्विक कूटनीति में शायद सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी के रूप में उभरे हैं, जो केवल रणनीतिक सहयोग से कहीं आगे निकल गए हैं। रूस उच्च तकनीक रक्षा और तेल आपूर्ति में भारत का सबसे अधिक अनुकूल भागीदार बना हुआ है। इस साझेदारी के माध्यम से भारत, रूस को चीन की ओर पूरी तरह से बढ़ने से रोकता है, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करता है, और ठत्ब्रै जैसे उभरते हुए शक्ति ब्लॉक में एक उदारवादी समर्थक बनाए रखता है। कश्मीर और गोवा की मुक्ति जैसे प्रमुख

मुद्दों पर भारत के लिये सोवियत समर्थन साझा रणनीतिक हितों को दर्शाता है। वर्ष 1971 की शांति, मित्रता और सहयोग संधि, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान महत्त्वपूर्ण थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारत और रूस ने रक्षा तथा रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिये अपने संबंधों को फिर से संतुलित किया।

भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी है. दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है। मुख्य रूप से भारत-रूस तेल और हथियारों के व्यापार के लिए जाने जाते है, भारत-रूस संबंधों की जड़ें सोवियत काल से चली आ रही हैं. सोवियत संघ के विघटन के बाद भी वर्तमान में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मैत्री संबंध जारी हैं। आज वर्तमान में भी पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच, भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए रूस के साथ ऊर्जा एवं रक्षा संबंधों को गहन किया है। रूस अभी भी भारत के रक्षा आयात का 45% आपूर्ति करता है, भले ही भारत फ्राँस और इजरायल जैसे अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ विविधता ला रहा हो।

भारत और रूस बहुध्रुवीय विश्व के लिये एक दृष्टिकोण साझा करते हैं तथा पश्चिमी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिये _BRICS¼ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) तथा ळ20 जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं।

- भारत यूक्रेन संबंध:-एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत, यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। यूक्रेन के सूरजमुखी तेल का प्रमुख निर्यातक भारत है, इसके बाद अकार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक व रसायन हैं। भारत से यूक्रेन को प्रमुख आयात फार्मास्युटिकल उत्पाद हैं।

भारत की भूमिका/मध्यस्थता

- दोनों देशों के साथ भारत के राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बंध अच्छे रहे है, रूस और यूक्रेन दोनों ने इच्छा जताया है कि इस आपसी युद्ध मे भारत मध्यस्थता कर सकता है क्योंकि यह जगजाहिर है कि भारत एक निष्पक्ष व तटस्थ राष्ट्र है जो कि विश्व शांति के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। कोई भी देश मध्यस्थता के लिए वैसे ही देशों का नाम प्रस्तावित करता है, जिनके ऊपर भरोसा होता है कि वार्ता प्रक्रिया में उसके हित भी सुरक्षित रहेंगे,चूंकि भारत का नाम विशेष रूप से रूस-यूक्रेन दोनों ने लिया है, तो इसका अर्थ है कि भारत पर विश्वास भी अधिक है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के संबंध में जो शांति सम्मेलन स्विट्जरलैंड 2024 में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। उस सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था. इस कारण कुछ और देशों ने भी अपने को बैठक से अलग कर लिया था। सम्मेलन की अंतिम घोषणा पर भारत ने यह कहते हुए हस्ताक्षर नहीं किया था कि जब तक किसी वार्ता में दोनों पक्ष नहीं शामिल होंगे, तब तक शांति स्थापित करना संभव नहीं होगा.
- कूटनीति और संवाद के रास्ते भारत शांति स्थापना के लिए तैयार है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कीव (यूक्रेन) यात्रा की और कुछ ही दिनों बाद, उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत ने इस बात की उम्मीद जगा दी है कि नई दिल्ली रूस-यूक्रेन संघर्ष में शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयास करने के लिए तैयार है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने के साथ-साथ भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। मुख्य रूप से इसका प्रभाव ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतों पर अभी से ही दिखाई देने लगा है।
- यूक्रेन में भारतीय समुदाय सीधे खतरे में आ गया है। ऑपरेशन गंगा के फलस्वरूप, फरवरी 2022 से लगभग 22500 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है जिसमे से ज्यादातर भारतीय छात्र है।वही भारत द्वारा यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता भी पहुँचाई गई है।
- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रूस का भी दौरा किया और रूस-यूक्रेन को आपसी संवाद के जरिये सुलझाने की बात कही। वहीं भारत,रूस की आलोचना नही कर रहा तो दूसरी तरफ रूस द्वारा जारी युद्ध का समर्थन भी नही कर रहा,यह भारत की निष्पक्षता को दर्शाता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के भारत पर प्रभाव

रूस के आक्रमण से भारत पर पश्चिमी गठबंधन और रूस के बीच चयन करने का दबाव पड़ेगा। रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। भारत को रूस के साथ मजबूत रणनीतिक गठबंधन बनाए रखना होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत रूस को अलग-थलग करने के उद्देश्य से किसी भी पश्चिमी रणनीति में शामिल नहीं हो सकता। एस-400 सौदे के परिणामस्वरूप अमेरिका द्वारा भारत पर ब।ै। प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। अमेरिका और रूस के बीच समझौता चीन के

साथ रूस के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इससे भारत को रूस के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। यूक्रेन के साथ समस्या यह है कि दुनिया आर्थिक और भू-राजनीतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ती जा रही है। रूस-चीन संबंधों में किसी भी सुधार का भारत पर असर होगा। इसका असर क्षेत्र में मौजूद मजबूत भारतीय प्रवासी समुदाय पर भी पड़ रहा है, जिससे हजारों भारतीय छात्रों का जीवन खतरे में पड़ गया है।

यूक्रेन ने अपने 20% से ज्यादा क्षेत्र रूस के हाथों खो दिए हैं और युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए हैं। लाखों यूक्रेनवासी देश छोड़कर भाग गए हैं। इसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है और रूस द्वारा इसके बुनियादी ढांचे पर बार-बार बमबारी करने की वजह से ऊर्जा क्षेत्र को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश अपनी कम से कम आधी हथियार जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी आपूर्ति पर निर्भर है, जिसमें तोपखाना और गोला-बारूद शामिल हैं।

अंत में, युद्ध का वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। रूस और यूक्रेन गेहूं, तिलहन और उर्वरक जैसे अन्य कृषि-वस्तुओं के सबसे बड़े वैश्विक उत्पादकों में से हैं। भारत को तिलहन की बढ़ती कीमतों और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह सालाना 2.5 मिलियन टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है, जिसमें से 70 प्रतिशत यूक्रेन से, 20 प्रतिशत रूस से। संकट का असर भारत के साथ-साथ दुनिया भर में महसूस किया जाएगा।

यूक्रेन को अपने नॉरमैंडी फॉर्मेट सहयोगियों, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए , ताकि रूसी सरकार को अपने प्रॉक्सी के लिए सहायता वापस लेने के लिए राजी किया जा सके और क्षेत्र को यूक्रेन में धीरे-धीरे सुरक्षित रूप से पुनः एकीकृत किया जा सके। यूक्रेन में रूसी सैन्य विस्तार को भू-आर्थिक आधार पर रोका जा सकता है, क्योंकि इससे क्षेत्र में उसके व्यापार में बाधा उत्पन्न होगी, विशेष रूप से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के साथ, जो चल रहे संकट को हल करने का एक रास्ता बना सकती है।

क्षेत्र में शांति के विकास के लिए मिन्स्क समझौते को पुनर्जीवित करने तथा चल रहे तनाव को समाप्त करने के लिए यूक्रेन की आंतरिक गड़बड़ियों को दूर करने की आवश्यकता है

यूक्रेन संकट पर भारत कूटनीतिक रूप से बहुत ही सावधानी से चल रहा है, और यह बात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब कोई यह याद करता है कि गुटनिरपेक्षता भारत के कूटनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हालाँकि, मौजूदा संकट भारत के बहु-गठबंधन दृष्टिकोण को दर्शाता है जहाँ वह अपने निर्णयों पर रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और अपने हितों को प्राथमिकता देने में सक्षम है। यह भारतीय राजनयिकों और विदेश नीति के नेताओं का श्रेय है जो इस स्थिति को सभी पक्षों तक पर्याप्त सफलता के साथ पहुँचाने में सफल रहे हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, भारत की स्थिति को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से नए सिरे से दबाव का सामना करना पड़ेगा। पर यह संभावना नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद दिल्ली अपनी स्थिति पर नरमी बरतेगी।

भारत-रूस संबंध बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत की रणनीतिक विदेश नीति की आधारशिला है। यद्यपि रक्षा, ऊर्जा और बहुपक्षीय कूटनीति जैसे क्षेत्रों में साझेदारी लगातार बढ़ रही है, फिर भी व्यापार असंतुलन, रसद बाधाओं एवं रूस की चीन के साथ बढ़ती निकटता जैसी चुनौतियों से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है। आर्थिक संबंधों में विविधता लाकर, कनेक्टिविटी बढ़ाकर और उभरते क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि रूस के साथ उसके संबंध मजबूत बने रहें एवं वैश्विक कूटनीति में सकारात्मक योगदान दें।

संदर्भ सूचीः -

- गूगल विकिपीडिया
- BBC न्यूज हिंदी, लंदन
- दैनिक भास्कर पेपर, भारत
- रूस का युद्ध, लेखक-जेड मैकग्लिन (रूस)
- रूस यूक्रेन युद्धः संघर्ष और इसका वैश्विक प्रभाव-लेखकः मेजर जनरल ध्रुव सी. कटोच (भारत)
- ऑपरेशन जेड लाइव, रूस-यूक्रेन युद्ध'. -पत्रकार नीरज राजपूत (भारत)
- यूक्रेन और रूसः सभ्य तलाक से असभ्य युद्ध तक-पॉल डी'अनिएरी (अमेरिका), प्रोफेसर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी

पर्यटन स्थल के रूप में बिहार के प्रति पर्यटकों की धारणा और संतुष्टि

डॉ० मो० परवेज यहया

(असिस्टेंट प्रोफेसर) तक्षशिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फुलवारीशरीफ, पटना

शोध-सार

पर्यटकों की संतुष्टि को किसी गंतव्य की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के तरीके के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। बिहार को पर्यटन स्थल के रूप में देखने वाले पर्यटकों की बेहतर समझ हासिल करने के लिए, बिहार का एक केस स्टडी प्रस्तुत है, जिसका लक्ष्य पर्यटकों की संतुष्टि के अंतर्निहित आयामों की पहचान करना, यह निर्धारित करना है कि क्या पर्यटकों को अलग-अलग खंडों में विभाजित किया जा सकता है, और खंडों और सामाजिक-जनसांख्यिकीय और यात्रा व्यवस्था विशेषताओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर की जाँच करना है। गंतव्य आयामों के आधार पर विभाजन प्रक्रिया से तीन समूह उभरे: 'उच्च-संतुष्ट', 'बीच में' और 'कम-संतुष्ट'। अध्ययन के निहितार्थ और निष्कर्षों पर बिहार पर्यटन के भविष्य के विपणन के संबंध में चर्चा की गई है।

मूल शब्द: धारणा; संतुष्टि; पर्यटन; बिहार; पर्यटन स्थल

परिचय

बिहार राज्य में पर्यटन उद्योग समस्याओं से घिरा हुआ है। लेखक की सामान्य राय है कि बिहार विकास के परिपक्व चरण में है। बिहार के पर्यटन उद्योग के वर्तमान खराब प्रदर्शन के तीन मुख्य कारण हैं। पहला, 2018 और 2021 के बीच, विमान से आने वाले आगंतुकों की संख्या में 6.56 प्रतिशत की कमी आई है। दूसरा, विभिन्न होटल व्यवसायियों ने इस तथ्य पर अपना असंतोष व्यक्त किया है कि कई वर्षों से औसत दैनिक दरें स्थिर या घट रही हैं। इनमें से कई मुद्दे टूर ऑपरेटरों की नीतियों का परिणाम हैं, जिसमें बिहार के होटल व्यवसायियों पर कीमतें कम रखने के लिए तीव्र दबाव डाला जाता है और उच्च लाभ मार्जिन बनाए रखने के लिए बिहार को कम लागत वाला गंतव्य माना जाता है। बिहार देश के उन ऑफ-बीट गंतव्यों में से एक है जो वास्तव में हमारे ध्यान का हकदार है । सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध, धर्मों से परिपूर्ण और कई वन अभ्यारण्यों का घर, बिहार देश के उन अनोखे स्थलों में से एक है जो वास्तव में हमारे ध्यान का पात्र है। कई वर्षों से, यह भारत में एक कम आंका गया पर्यटन स्थल बना हुआ है। बिहार, जो संस्कृत शब्द 'विहार' से लिया गया है, जिसका अर्थ है धार्मिक समुदाय, भारत में इसका गौरवशाली इतिहास है। राज्य की राजधानी पटना प्रसिद्ध है, और बोधगया, नालंदा, वैशाली, राजगीर, पावापुरी और केसरिया जैसी जगहें बिहार के शीर्ष-रेटेड पर्यटन स्थलों में से हैं।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुद्ध ने बिहार में ही ज्ञान प्राप्ति की यात्रा शुरू की थी। भगवान बुद्ध ने यहाँ एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था, जो इसे बिहार के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक बनाता है। हालांकि बिहार में पर्यटन अनुसंधान ने उद्योग के अधिकांश मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि मौसमी, टूर ऑपरेटरों पर निर्भरता, कम लाभप्रदता और बढ़ती प्रतिस्पर्धा, लेकिन राज्य के वर्तमान खराब प्रदर्शन के अंतर्निहित कारण के रूप में आने वाले पर्यटकों की समग्र संतुष्टि की जांच नहीं की गई है।

पटना से 90 किलोमीटर दूर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल खंडहर पाँचवीं शताब्दी के हैं, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक बनाता है। 2016 में, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नालंदा, जैसा कि आप जानते होंगे, एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्र था, जिसमें अनुमानित 10,000 भिक्षु और छात्र थे। यह बारहवीं शताब्दी तक चला, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे लूट लिया और इसके पुस्तकालय में आग लगा दी। रिपोर्टों के अनुसार, नौ मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया माना जाता है।

राजगीर में विश्व शांति स्तूप है, जिसे विश्व शांति पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सात शांति पैगोडा में से एक है और जापानी शैली की वास्तुकला का एक सच्चा उदाहरण है। पैगोडा 1969 में बनकर तैयार हुआ था और इसमें बुद्ध की चार मूर्तियाँ हैं, जो बुद्ध के जीवन के चार प्रमुख चरणों में से प्रत्येक के लिए एक हैं: जन्म, ज्ञान, शिक्षण और मृत्यु। इसे अवश्य देखना चाहिए विक्रमशिला, नालंदा के साथ, पाल साम्राज्य के दौरान भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्रों में से एक था। 1193 के आसपास, इसे कथित तौर पर मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इन खंडहरों को देखने के लिए यात्रा करना

वाकई काफी फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, बिहार में वार्षिक सोनपुर मेला एक जीवंत ग्रामीण मेला है जो आध्यात्मिकता, पशु व्यापार और मनोरंजन को जोड़ता है। किसी भी अन्य कार्निवल से अलग यह सड़क के जादूगरों, धार्मिक गुरुओं और तांत्रिकों, तीर्थयात्रियों, स्नैक स्टॉल, हस्तशिल्प, सवारी, सर्कस कलाकार, मार्शल कलाकार और नर्तकियों द्वारा बनाया जाता है। यह नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया जाता है और पूरे एशिया से आगंतुकों को आकर्षित करता है। बिहार में लिट्टी चोखा एक जाना-माना नाम है। इसे गेहूं और सत्तू से बनाया जाता है और छोटी-छोटी गोलियां बनाकर मसालेदार बनाया जाता है और घी में पकाया जाता है

नवलखा महल के खंडहरों का अन्वेषण करें

- छठ पर्व का अनुभव लें
- मधुबनी कला की खरीदारी करें
- छऊ नृत्य प्रदर्शन देखें
- सम्राट शेरशाह सूरी के मकबरे का अन्वेषण करें
- इसके अलावा आप कबाब, लिट्टी चोखा, बिहारी बोटी का भी स्वाद ले सकते हैं।
  बिहारी चिकन मसाला, सत्तू पराठा (भरवां पराठा)।
  भुना हुआ बेसन) और भी बहुत कुछ ।

पर्यटन व्यवहार का अध्ययन करते समय संतुष्टि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। परिणामस्वरूप, विभिन्न लेखकों के अनुसार, सभी यात्रा स्थलों के लिए संतुष्टि के स्तर की जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि संतुष्टि "गंतव्य-निर्धारित" होती है और अनुभवों से बनती है। निर्णयकर्ता बेहतर तरीके से आगंतुक बाजारों की पहचान कर सकते हैं जो विकास के अवसर प्रदान करते हैं, अपने मुख्य उपभोक्ता समूहों द्वारा सबसे अधिक मांग वाले पर्यटन उत्पादों के प्रकार विकसित करते हैं, और इस डेटा का उपयोग करके पर्यटन उपज को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करते हैं, जिससे मार्केटिंग प्रचार का निर्माण और अनुकूलन किया जा सके।

पर्यटकों की संतुष्टि को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस अध्ययन में बिहार को पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों की संतुष्टि के अंतर्निहित आयामों की पहचान करना, यह निर्धारित करना है कि क्या पर्यटकों को अलग-अलग खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और खंडों और सामाजिक-जनसांख्यिकीय और यात्रा व्यवस्था विशेषताओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर की जांच करना है।

पर्यटक संतुष्टि मापन और विभाजन अनुसंधानः-

पर्यटन स्थलों को आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए सेटिंग के रूप में पेश किए जाने वाले उत्पादों के रूप में माना जाने लगा है। आवास, खाद्य और पेय पदार्थ की खरीद, भ्रमण, खरीदारी, मनोरंजक और खेल गतिविधियों में भागीदारी, मनोरंजन, इत्यादि सभी इन उत्पादों का हिस्सा हैं। ये सभी उप-उत्पाद, जब संयुक्त होते हैं, तो वे छुट्टी पैकेज बनाते हैं जिसे अधिकांश पर्यटक खरीदते हैं। नतीजतन, एक गंतव्य को "आकर्षण और संबंधित पर्यटक सुविधाओं और सेवाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे एक पर्यटक या टूर समूह देखना चुनता है या जिसे प्रदाता बढ़ावा देना चुनते हैं"। हालांकि, अगर गंतव्य की कोई भी विशेषता खराब प्रदर्शन करती है, तो असंतोष व्यक्त किया जा सकता है।

कई लेखकों ने यात्रा उद्योग में बाजार विभाजन अनुसंधान किया है। इनमें से अधिकांश अध्ययनों ने सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें कम आय और शिक्षा वाले छुट्टियों के साथ-साथ वृद्धावस्था समूहों के लोग भी छुट्टियों की संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करते हैं।

चूंकि पर्यटन डेटा एकत्र करने और व्याख्या करने के लिए मूल देश को सार्वभौमिक रूप से आधार के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए आगंतुकों का विभाजन अक्सर उनके भौगोलिक मूल के आधार पर किया जाता है। लेखक ने पाया कि राष्ट्रीय यात्री अधिक मनोरंजन सुविधाएँ चाहते थे, जबकि उनके अंतर्राष्ट्रीय यात्री होटलों की सुविधाओं के बारे में अधिक चिंतित थे। अन्य अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न यात्रा व्यवस्था विशेषताएँ, जैसे कि पिछली यात्राएँ, ठहरने की अवधि और यात्रा समूह का आकार, पर्यटकों की संतुष्टि के स्तर को समझा सकते हैं। सबसे कम श्रेणी के आवासों की तुलना में, पर्यटकों ने चार और पाँच सितारा आवासों में सेवा की गुणवत्ता के आयामों को अधिक रेट किया

कार्यप्रणाली

इस शोध में वर्णित शोध बिहार को पर्यटन स्थल के रूप में देखने आने वाले पर्यटकों की संतुष्टि पर केंद्रित है।

नमूनाकरण

उन पर्यटकों की मदद से नमूनाकरण किया गया जो पहले बिहार आए थे और जिन्होंने Google फॉर्म प्रश्नावली में जवाब दिया था। जून और अक्टूबर 2021 के बीच पटना और गया स्टेशन से प्रस्थान करने वाले पर्यटकों से डेटा एकत्र किया गया था, जो अध्ययन की आबादी का हिस्सा थे। स्टेशन पर प्रतीक्षा करते समय, पर्यटकों को एक सर्वेक्षण भरने के लिए कहा गया। यात्रियों के चढ़ने से पहले, सभी प्रश्नावली वापस कर दी गई, चाहे वे पूरी हों या नहीं। जो प्रश्नावली अधूरी थीं या जिनमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा गायब था, उन्हें आगे के विश्लेषण से बाहर रखा गया। 60% की प्रतिक्रिया दर के साथ, वितरित 200 में से। 200 प्रश्नावली में से 91 उच्च मौसम (15 जुलाई से 15 अगस्त) के दौरान और 29 कम मौसम (20 सितंबर से 10 अक्टूबर) के दौरान पूरी की गई।

सर्वेक्षण उपकरण

प्रत्येक गंतव्य की अपनी अनूठी विशेषताएँ हो सकती हैं। एक गंतव्य से संतुष्ट पर्यटक दूसरे गंतव्य से असंतुष्ट हो सकते हैं, यह प्रत्येक गंतव्य की विशेषताओं पर निर्भर करता है (34)। परिणामस्वरूप, गंतव्यों की तुलना करते समय पारंपरिक संतुष्टि पैमाने अप्रभावी होते हैं। परिणामस्वरूप, बिहार पर्यटन उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं के लिए एक संतुष्टि पैमाना विकसित करना पड़ा, जो पिछले शोध पर भी आधारित था।

पर्यटकों से 20-आइटम, 5-पॉइंट लाइकर्ट स्केल पर अपनी संतुष्टि का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया। अत्यधिक असंतुष्ट से लेकर अत्यधिक संतुष्ट तक। सामग्री की वैधता सुनिश्चित करने के लिए एक साहित्य समीक्षा आयोजित की गई, और विशेषज्ञों से यह निर्णय लेने के लिए कहा गया कि सर्वेक्षण उपकरण ने उस सीमा को कवर किया है या नहीं जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। प्रश्नों के उचित और व्यापक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त विधि के रूप में पाँच पर्यटकों के साथ एक पायलट परीक्षण का उपयोग किया गया

डेटा विश्लेषण

सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज का उपयोग इस शोधपत्र के लिए कई सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को करने के लिए किया गया था। आवृत्तियों, माध्य और मानक विचलन जैसे एकतरफा सांख्यिकी की गणना करना पहला कदम था। कारकों और समूहों का विश्लेषण अगला कदम था। क्लस्टर और कारक विश्लेषण करने से पहले डेटा की वैधता निर्धारित करने के लिए नमूना पर्याप्तता के कैसर-मेयर-ओल्किन परीक्षण का उपयोग किया गया था। परीक्षण ने 0.918 का मान दिया, जो दर्शाता है कि चर और नमूना आकार की संख्या कारक और क्लस्टर विश्लेषण दोनों के लिए उपयुक्त थी। पैमाने की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए क्रोनबाक के अल्फा की गणना की गई। क्रोनबाक का अल्फा .9393 था, जो ननली के सुझाए गए न्यूनतम 0.80 से अधिक था और यह दर्शाता है कि पैमाने की आंतरिक स्थिरता विश्वसनीयता संतोषजनक थी।

पर्यटक संतुष्टि से जुड़े अंतर्निहित निर्माणों को खोजने के लिए 20 कथनों को वैरिमैक्स रोटेशन के साथ प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण का उपयोग करके समूहीकृत किया गया था। कारकों की संख्या निर्धारित करने के लिए 1 से अधिक आइगेनवैल्यू के मानदंड का उपयोग किया गया था। चर को पर्याप्त रूप से लोड करने के लिए कारक मॉडल में 0.45 या उससे अधिक के निरपेक्ष मान के लोडिंग पर विचार किया गया था और क्योंकि यह चर की संख्या और नमूना आकार के लिए उपयुक्त था।

नमूने को सार्थक उप-समूहों में विभाजित करने के लिए ज्ञ-मीन्स क्लस्टर विश्लेषण में 20 संतुष्टि चर का उपयोग किया गया था। शोधकर्ता ज्ञ-मीन्स विश्लेषण में क्लस्टरों की संख्या चुनता है, और मामलों को निकटतम केंद्र वाले क्लस्टर में समूहीकृत किया जाता है। इस मामले में तीन, चार और पाँच क्लस्टर समाधानों की जाँच की गई। उत्तरदाता विभेदन और क्लस्टर व्याख्या के संदर्भ में, तीन-क्लस्टर समाधान को सबसे व्यवहार्य के रूप में चुना गया था। क्लस्टरों की पहचान करने के बाद, उनकी प्रमुख विशेषताओं की जाँच की गई, और प्रत्येक प्रश्न के लिए औसत प्रतिक्रियाओं और लिकर्ट स्केल रेटिंग की तुलना करके उन्हें नाम दिए गए। क्लस्टरों के बीच डेटा संरचना में अंतर को इंगित करने के लिए ANOVA परीक्षणों का उपयोग किया गया।

एनोवा परीक्षणों से पता चला कि सभी आइटम महत्वपूर्ण थे। हालाँकि, चूँकि क्लस्टरों को विभिन्न क्लस्टरों में मामलों के बीच अंतर को अधिकतम करने के लिए चुना गया था, इसलिए F-परीक्षणों का उपयोग केवल वर्णनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए नहीं कि क्लस्टर माध्य समान हैं ।

रिश्ते की मजबूती का निर्धारण करने, सामाजिक-जनसांख्यिकीय रूप से समूहों की रूपरेखा तैयार करने और यात्रा व्यवस्था वरीयताओं और अनुकूल व्यवहारिक इरादों की पहचान करने के लिए, दो परीक्षणों के साथ क्रॉस टैब्यूलेशन का उपयोग किया गया और क्रैमर के वी की गणना की गई। ओपन-एंडेड प्रश्नों के उत्तरों को नाममात्र चर के रूप में कोडित किया गया और फिर कई

प्रतिक्रिया क्रॉसटैब्यूलेशन में परिवर्तित किया गया। प्रतिक्रिया में अंतर का सांख्यिकीय परीक्षण करना संभव नहीं था क्योंकि कई प्रतिक्रिया क्रॉसटैब्यूलेशन के लिए कोई सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त नहीं है।

परिणाम

तालिका 1 में 20 संतुष्टि कथनों के उत्तरों के संबंध में परिणाम दिखाए गए हैं। 20 कथनों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया गया है, जो उच्चतम माध्य से शुरू होकर निम्नतम पर समाप्त होता है। 'व्यक्तिगत सुरक्षा और संरक्षा की भावना' कथन को संतुष्टि का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ, उसके बाद 'रेस्तरां की उपलब्धता' कथन का स्थान रहा। दूसरी ओर, गंतव्य रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता वाला कथन मध्य बिंदु से थोड़ा नीचे था। सामान्य तौर पर, नमूने में शामिल पर्यटकों ने बिहार की अपनी यात्रा के साथ समग्र संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त किया।

पर्यटकों की संतुष्टि कई कारकों से प्रभावित होती है:

38 मदों को कम, अधिक प्रबंधनीय कारकों में संघनित करने के लिए वैरिमैक्स रोटेशन के साथ प्रमुख कारक विश्लेषण का उपयोग किया गया था। 1.00 के बराबर या उससे अधिक आइगेनवैल्यू के मानदंड ने नौ कारकों की खोज की, जो 60.1 प्रतिशत विचरण को स्पष्ट करते हैं। तीन चर 0.45 कट-ऑफ पॉइंट को पूरा करने में विफल रहे क्योंकि उन्होंने किसी भी कारक को लोड नहीं किया। 'संकेतक (दिशाएँ),' 'समुद्र तटों पर स्थान की उपलब्धता,' और 'रिसॉर्ट और गंतव्य रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी' चर थे। सभी चर में स्वीकार्य अल्फा स्तर थे। जैसा कि तालिका 2 में दिखाया गया है, कारक समाधान ने कारकों को उनके महत्व के क्रम में निकाला, सबसे बड़े और सबसे अच्छे संयोजनों से शुरू करके छोटे लोगों तक काम किया।

पहले कारक को 'पर्यटक उत्पाद' नाम दिया गया था, क्योंकि यह पर्यटकों की संतुष्टि का आकलन करने वाले चरों से बना था, जो पर्यटक उत्पाद के विभिन्न आयामों की उपलब्धता के बारे में बताते हैं। हालाँकि पर्यटक उत्पाद कारक सबसे ज्यादा भिन्नता (28. 3%) की व्याख्या करता है, लेकिन यह दूसरे कारक के महत्व को नकारता नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा लोडिंग वाले चर हैं, जो 0. 791 से 0.740 तक हैं, जो चरों के उच्च अंतर्संबंध को दर्शाता है। 'रेलवे स्टेशन' नामक इस कारक ने भिन्नता का 5.7 प्रतिशत समझाया और यह मुख्य रूप से गंतव्य रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित चरों से बना था।

तीसरा कारक, जिसने 5.2 प्रतिशत भिन्नता को स्पष्ट किया, उसे "मेजबान रवैया" कहा गया क्योंकि इस कारक में लोड किए गए चार चर में से तीन स्थानीय निवासियों और कर्मचारियों के पर्यटकों के प्रति दृष्टिकोण से संबंधित थे। ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि इस कारक में सबसे कम महत्वपूर्ण चर, जो व्यक्तिगत सुरक्षा और संरक्षा की भावनाओं से संबंधित है और दिखाता है कि पर्यटक सुरक्षा और संरक्षा को मेजबान के रवैये से जोड़ते हैं, का उल्लेख करना उचित है। शेष छह कारक प्रत्येक एक छोटे प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थे।

तालिका 1: संतुष्टि कथनों पर समग्र प्रतिक्रियाएँ।

S.No	Particulars	Mean	Std. deviation
1	Feelings of personal safety and security	5.82	1.13
2	Availability of restaurants	5.76	1.18
3	Friendliness of local residents	5.67	1.32
4	Cleanliness of accommodation	5.33	1.5
5	Attractiveness of natural environment	5.32	1.3
6	Attitude of local shopkeepers and staff	5.29	1.35
7	Availability of shopping facilities	5.27	1.43
8	Quality of food	5.24	1.3
9	Level of language communication	5.22	1.47
10	Quality standard of accommodation	5.17	1.76
11	Availability of museums and historical places	5.14	1.48
12	Availability of daily tour services	5.12	1.42
13	Availability of health services	5.06	1.49
14	Comfort of local transport services	5	1.36
15	Taxi services	4.98	1.38
16	Value for money	4.92	1.4
17	Level of hygiene and sanitation	4.89	1.44
18	Attitude of local drivers	4.85	1.48
19	Cleanliness	4.83	1.49
20	Existence of information Centres	4.81	1.53

तालिका 2: संतुष्टि कारक

S.No	Particulars	Factors loadings	Eigen value	Variance explained	Alpha
1	Feelings of personal safety and security	0.701	10.75	28.3	0.85
2	Availability of restaurants	0.685			
3	Friendliness of local residents	0.679			
4	Cleanliness of accommodation	0.643			
5	Attractiveness of natural environment	0.609			
6	Attitude of local shopkeepers and staff	0.574	2.18	5.7	0.81
7	Availability of shopping facilities	0.562			
8	Quality of food	0.791			
9	Level of language communication	0.761			
10	Quality standard of accommodation	0.740			
11	Availability of museums and historical places	0.675	2	5.2	0.76
12	Availability of daily tour services	0.684			
13	Availability of health services	0.690			
14	Comfort of local transport services	0.567			
15	Taxi services	0.543			
16	Value for money	0.778	1.71	4.5	0.77
17	Level of hygiene and sanitation	0.738			
18	Attitude of local drivers	0.629			
19	Cleanliness	0.570			
20	Existence of information Centres	0.860			

तालिका 3: क्लस्टरों के औसत अंक

S.No	Particulars	Mean	Std. deviation
1	Feelings of personal safety and security	149.861	815
2	Availability of restaurants	116.975	803
3	Friendliness of local residents	189.975	815
4	Cleanliness of accommodation	127.632	825
5	Attractiveness of natural environment	97.126	788
6	Attitude of local shopkeepers and staff	188.95	809
7	Availability of shopping facilities	61.837	802
8	Quality of food	156.615	785
9	Level of language communication	90.817	799
10	Quality standard of accommodation	70.922	803
11	Availability of museums and historical places	137.686	820
12	Availability of daily tour services	155.907	766
13	Availability of health services	128.191	826
14	Comfort of local transport services	132.316	753
15	Taxi services	102.317	678
16	Value for money	119.158	666
17	Level of hygiene and sanitation	106.533	561
18	Attitude of local drivers	111.413	740
19	Cleanliness	86.533	782
20	Existence of information Centres	65.444	606

परिवर्तनशीलता (5% से कम) के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और उनके घटक चरों की विशेषताओं के अनुसार लेबल किया गया है (तालिका 1 और 2)।

पर्यटकों को तीन समूहों में बांटा गया है

पर्यटकों को उनकी संतुष्टि के स्तर के आधार पर क्लस्टर विश्लेषण का उपयोग करके विभाजित किया गया था। प्रत्येक आइटम के लिए औसत संतुष्टि स्कोर की गणना क्लस्टरों को सीमांकित करने और लेबल करने के लिए की गई थी। तीन क्लस्टरों को तालिका कथनों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर नाम दिए गए थे: 'उच्च-संतुष्ट,' 'बीच में,' और 'कम-संतुष्ट।' प्रत्येक संतुष्टि कथन के माध्य को क्लस्टर समूह द्वारा तालिका 3 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 3 के आधार पर और प्रत्येक क्लस्टर के औसत स्कोर को आरेखीय रूप से दर्शाया गया है। कथन संख्याएँ क्षैतिज अक्ष पर संख्याएँ हैं। क्लस्टर समूहों के बीच अंतर तालिका का ध्यान केंद्रित है। निम्नलिखित प्रत्येक क्लस्टर का विवरण है।

क्लस्टर 1: पहला क्लस्टर कुल नमूने का 50.833: है। 'उच्च-संतुष्ट' क्लस्टर का नाम इसके सदस्यों के बिहार में अपनी छुट्टियों से संतुष्टि के उच्च स्तर के नाम पर रखा गया है। इस क्लस्टर में प्रत्येक संतुष्टि कथन के लिए तीन क्लस्टरों में से उच्चतम औसत मूल्य था। 'व्यक्तिगत सुरक्षा और संरक्षा की भावना' कथन को सबसे अधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिलीं, उसके बाद 'स्थानीय

निवासियों की मित्रता' कथन आया, जिसमें केवल 'पैसे के लिए मूल्य' और 'संकेत (दिशाएँ)' कथन 5-बिंदु लिकर्ट स्केल के मध्य से नीचे स्कोर कर रहे थे।

क्लस्टर 2: दूसरा क्लस्टर नमूने में सबसे अधिक आबादी वाला है, जो कुल का 80.33 प्रतिशत है। इस क्लस्टर में उत्तरदाताओं को 'इन-बीटवीनर्स' लेबल किया गया था क्योंकि वे सभी संतुष्टि कथनों में अन्य दो क्लस्टरों के बीच में थे। चार कथनों को छोड़कर, उनकी संतुष्टि उन सभी के लिए मध्य बिंदु से ऊपर थी, जिसमें 'गंतव्य रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता' कथन को सबसे कम संतुष्टि रेटिंग मिली।

क्लस्टर 3: यह सबसे छोटा क्लस्टर है, जो कुल सैंपल का केवल 24% हिस्सा है। इस क्लस्टर में तीनों क्लस्टर में सबसे कम औसत मूल्य थे, इसलिए इसे 'कम-संतुष्ट' लेबल किया गया था। अधिक विस्तार से, उत्तरदाताओं ने नीचे दिए गए 20 कथनों में से 16 को रेट किया, लेकिन मध्य बिंदु के करीब। 'गंतव्य रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता' कथन को सबसे कम संतुष्टि मिली, जबकि 'रेस्तरां की उपलब्धता' कथन को सबसे अधिक संतुष्टि मिली। इस अध्ययन के निष्कर्ष बिहार पर्यटन उद्योग की समग्र वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए एक दिलचस्प शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं,

विशेष रूप से क्योंकि यह आधिकारिक आंकड़ों और पिछले शोध द्वारा प्रमाणित राज्य के खराब प्रदर्शन से संबंधित है। संतुष्टि के उच्च स्तर और इस तथ्य को देखते हुए कि लगभग 75% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे बिहार वापस आएंगे और 90% से अधिक ने कहा कि वे इन छुट्टियों के अनुभवों को दूसरों को सुझाएंगे, यह संभावना नहीं है कि बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी संक्षेप में, पर्यटकों को उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर विभाजित करने से गंतव्य विपणक को पर्यटकों की संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन करने और भविष्य की विपणन रणनीतियों को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, विपणन अनुसंधान में वास्तविक प्रगति इन पैटर्नों को रेखांकित करने वाले कारकों की बेहतर समझ पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, बिहार में, सीमित पिछले तुलनात्मक अध्ययनों से यह पता नहीं चला है कि पर्यटकों की संतुष्टि होटल से होटल में भिन्न होती है या नहीं। परिणामस्वरूप, बिहार के विभिन्न स्थानों में सर्वेक्षण करके इस शोध का विस्तार करना उपयोगी हो सकता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई अंतर या समानता है जो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि होटलों के बीच सामान्य विशेषताएं हैं, जिससे विशिष्ट होटल के लिए नीतिगत निहितार्थ सुझाए जा सकें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक गंतव्य की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए जो पर्यटक एक स्थान पर संतुष्ट हैं, वे दूसरे स्थान पर संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, इस अध्ययन के निष्कर्षों को अन्य गंतव्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अंत में, यह शोध पटना में पर्यटन स्थल के रूप में आने वाले आगंतुकों पर केंद्रित था। हालांकि, इस बात पर सवाल उठ सकते हैं कि व्यक्तिगत होटल प्रबंधक और विपणक अपने मेहमानों की संतुष्टि के बारे में किस हद तक जागरूक हैं। नतीजतन, व्यक्तिगत संपत्तियों के प्रबंधकों और विपणकों को अपने मेहमानों की जरूरतों और संतुष्टि पर नजर रखनी चाहिए ताकि उनकी जरूरतों के हिसाब से मार्केटिंग रणनीति बनाई जा सके।

संदर्भ-सूची

1. Anagnostopoulou K, Arapis T, Bouchy I, Micha I. Tourism and the structural funds-the case for environmental integration. RSPB Athens. 1996.
2. Andriotis K. Hosts, guests and politics: Coastal resorts morphological change. Annal Tourism Res. 2006;33(4):1079- 98.
3. Andriotisy K. Dependency on tour operators: Problems faced by Cretan tourism businesses and the views of their owners/ managers. Int J Hosp Tourism Admin. 2004;4(3):23-47.
4. Briassoulis H. Crete: Endowed by nature, privileged by geography, threatened by tourism? J Sust Tourism. 2003;11(2- 3):97-115.
5. Bird L. Greece: Operators in more to stem slump. Travel Weekly. 1995;1259(5):53-57.
6. Dighe A. As Greece attempts to go on a quality drive for 1998. Travel Trade. 1997;2273:30
7. Andriotis K. Seasonality in crete: Problem or a way of life? Tour Econ. 2005;11(2):207-24.
8. Drakatos C. Seasonal concentration of tourism in Greece. Annal Tour Res. 1987;14(4):582-586.
9. Andriotis K. Problems faced by the Cretan tourism industry as perceived by the business people. Tourism Int Interdis J. 2003;51(1):21-30.
10. Andriotis K. Local authorities in Crete and the development of tourism. J Tour Sudies. 2002;13(2):53-62. [Google Scholar]
11. Ekinci Y, Prokopaki P, Cobanoglu C. Service quality in Cretan accommodations: Marketing strategies for the UK holiday market. Int J Hosp Manag. 2003;22(1):47-66.
12. Ross EL, Iso-Ahola SE. Sightseeing tourists' motivation and satisfaction. Annal Tour Res. 1991;18(2):226-37.
13. Crompton JL. Motivations for pleasure vacation. Annal Tour Res. 1979;6(4):408-24.
14. Schneider I, Sönmez S. Exploring the touristic image of Jordan. Tour Manag. 1999;20(4):539-42.
15. Reid LJ, Reid SD. Traveler geographic origin and market segmentation for small island nations: The Barbados case. J Travel Tourism Market. 1997;6(3-4):5-21.
16. Suh YK, Gartner WC. Perceptions in international urban tourism: An analysis of travelers to Seoul, Korea. J Travel Res. 2004;43(1):39-45.

बिहार में पंचायतों का डिजिटलीकरण व ई-प्रशासन का प्रभाव

अभिषेक कुमार

अतिथि सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, जमुनी लाल कॉलेज, हाजीपुर

शोध सार:-

भारत में डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार विभिन्न डिजिटल पहल कर रही हैं ताकि सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जा सके। बिहार विशेष रूप से डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस लेख में हम बिहार की पंचायतों में डिजिटल योजना की स्थिति उसके कार्यान्वयन और इसके सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्थानीय सरकारों को आईटी अवसंरचना में मौजूदा निवेश का उपयोग करना चाहिए और नागरिक और सरकार के बीच बेहतर संपर्क के लिए अपने ई-गवर्नेंस प्रयासों का विस्तार करना चाहिए। ई-गवर्नेंस के लिए एक वेब साइट शुरू करने से पहले सरकारी प्रक्रियाओं को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। एक स्थानीय सरकार द्वारा पायलट परियोजनाएं शुरू करना अन्य सरकार के लिए उदाहरण स्थापित करेगा। नागरिक परिप्रेक्ष्य को ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन सिस्टम के विकास को चलाना चाहिए। क्योंकि सूचना की उपलब्धता में भारी वृद्धि के साथ, नागरिकों की ज्ञान साझा करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई और वे पहले की तरह सशक्त हो गए। ई-प्रशासन की सफलता नागरिकों, बुनियादी ढांचा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों को शामिल करके प्राप्त की जाएगी। जो कि एक पारदर्शी समाज के निर्माण में काफी हद तक सहायक सिद्ध होगी। वर्तमान में वैशाली के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत कई पहल की गईं, जैसे कि डिजिटल शैक्षिक सामग्री, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच को बढ़ाना, जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं। डिजिटल योजना के अंतर्गत पंचायतों में कई डिजिटल पहल शुरू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य पंचायतों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। पंचायतों में डिजिटल कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इन कार्यालयों में कंप्यूटर इंटरनेट और अन्य आवश्यक डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से पंचायत प्रशासन की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है, जैसे कि दस्तावेजों की स्वीकृति, प्रमाण पत्रों की जाँच और अन्य सरकारी सेवाएँ।

मूल शब्द:- डिजिटल पहल, डिजिटल शैक्षिक सामग्री, डिजिटल सेवाएं, इंटरनेट।

परिचय

1990 के दशक की शुरुआत में था कि विश्व बैंक द्वारा दो रिपोर्टों के प्रकाशन के साथ सुशासन की अवधारणा सुर्खियों में आई थी। पहली रिपोर्ट में "सबसहारन अफ्रीका: क्राइसिस फ्रॉम सस्टेनेबल ग्रोथ (1989) शीर्षक, बैंक ने सुशासन की आवश्यकता पर जोर दिया। "गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट" (1992) शीर्षक की दूसरी रिपोर्ट में, बैंक ने सुशासन के विभिन्न पहलुओं की पहचान की। सुशासन पर जोर अब SMART गवर्नेंस के लिए स्थानांतरित हो गया है:- सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन। ई-गवर्नेंस स्मार्ट1 गवर्नेंस की दिशा में एक ऐसी पहल है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने वर्ष 2006 में इसके लिए इमारत ए प्रौद्योगिकी समर्थित ज्ञान अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी। भारत में डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, और बिहार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। पंचायत डिजिटलीकरण बिहार योजना का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह योजना पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता, और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य, अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के अलावा, अब आधुनिक प्रशासनिक सुधारों की दिशा में भी अग्रसर है। इस विस्तृत विश्लेषण में, बिहार में पंचायतों का डिजिटलीकरण योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यान्वयन, लाभ, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ शामिल हैं।

प्रारंभिक स्थिति बिहार में पंचायतों की व्यवस्थाएँ पारंपरिक रूप से कागजी दस्तावेजों और मैनुअल रिकॉर्ड्स पर निर्भर थीं। यहाँ के निवासियों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबी प्रक्रियाओं और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता था। डिजिटलीकरण की शुरुआत 2015-16 भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत

ग्राम पंचायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना शुरू की गई। 2017 में बिहारमें पंचायतों के डिजिटलीकरण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार को चुना गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पंचायत कार्यों को डिजिटल तरीके से संचालित करना था। कार्यान्वयन के प्रमुख चरण 2018 पंचायतों में आवश्यक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर का समावेश था।

2019 में पंचायत कर्मचारियों और प्रतिनिधियों के लिए डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2020 पंचायतों में मौजूदा रिकॉर्ड्स और डेटा को डिजिटल रूप में ट्रांसफर किया गया। डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की गई, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज वितरण। 2021 में डिजिटलीकरण के प्रारंभिक परिणाम और प्रभाव सकारात्मक रहे, जैसे कि सेवाओं की गति में सुधार और पारदर्शिता बढ़ी। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ, जैसा डिजिटल साक्षरता की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएँ सामने आईं। 2022 में बिहार में पंचायतों का डिजिटलीकरण योजना को सफलता को देखकर अन्य प्रखंडों में भी योजना लागू करने के लिए एक सफल मॉडल के रूप में पहचाना गया।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा 2023 में बिहार में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसका प्रभाव देखा जा रहा है। आगे की योजनाओं में अधिक प्रभावी तकनीकी अपडेट, नागरिकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण और नए सेवाओं का समावेश शामिल है।

बिहार में पंचायतों का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जिसने ग्रामीण प्रशासन को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित किया है। यह पहल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, हालांकि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए निरंतर सुधार और निगरानी की आवश्यकता है।

बिहार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो अपनी प्राचीन विश्वविद्यालय और बौद्ध स्थल के लिए जाना जाता है। वर्तमान में, वैशाली जिले में सरकारी प्रशासन और विकास की दिशा में डिजिटल परिवर्तन की पहल की जा रही है। पंचायती राज प्रणाली भारत की ग्रामीण विकास की नींव है, और यह स्थानीय स्वायत्तता और विकास के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, पारंपरिक तरीकों के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न होती रही हैं, जैसे कि पारदर्शिता की कमी, सेवाओं में विलम्ब, और भ्रष्टाचार। इस संदर्भ में, पंचायत डिजिटलीकरण योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो पंचायतों की पारदर्शिता लाने एवं कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

योजना के उद्देश्य

पंचायत डिजिटलीकरण योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- पारदर्शिता और जवाबदेही- पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- सुविधा और दक्षता- सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकरण के माध्यम से अधिक सुविधाजनक और दक्ष बनाना।
- सूचना और डेटा प्रबंधन- पंचायतों में दस्तावेज और डेटा को डिजिटल रूप में संग्रहित और प्रबंधित करना।
- डिजिटल साक्षरता- पंचायत कर्मियों और ग्रामीणों को डिजिटल कौशल और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।
- ग्राम विकास को प्रोत्साहन- डिजिटल माध्यम से ग्राम विकास योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

पंचायत डिजिटलीकरण योजना का कार्यान्वयन

डिजिटल अवसंरचना का निर्माण

पंचायत डिजिटलीकरण योजना का पहला चरण डिजिटल अवसंरचना का निर्माण है। इसमें पंचायत कार्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर, और इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, पंचायतों में वाई-फाई सुविधाएं और डेटा संग्रहण के लिए सर्वर की व्यवस्था की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पंचायत कर्मियों को आधुनिक तकनीकी उपकरण और संसाधन प्राप्त हों, जो उनकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकें।

ई-सेवाएं और पोर्टल्स

पंचायत डिजिटलीकरण के तहत, विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके माध्यम से ग्रामीण लोग सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से, ग्रामीण लोग सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, और शिक्षा से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली सेवाओं की उपलब्धता को त्वरित और पारदर्शी बनाती है।

डिजिटल रिकॉर्डिंग और डेटा प्रबंधन

सभी प्रखंड की पंचायतों में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को डिजिटलीकरण के माध्यम से संग्रहित किया जा रहा है। इससे न केवल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि रिकॉर्ड्स को आसानी से ट्रैक और प्रबंधित किया जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में, पुराने कागजी दस्तावेजों को स्कैन किया जाता है और डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक कार्यों को त्वरित और सटीक बनाती है।

कर्मचारी प्रशिक्षण और शिक्षा

पंचायत कर्मचारियों को डिजिटल कौशल और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग, डेटा प्रबंधन, और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की विधियाँ सिखाई जाती हैं। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ती है और वे डिजिटल प्लेटफार्म का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

ग्रामीणों की भागीदारी और जागरूकता

ग्रामीणों को डिजिटलीकरण के लाभों और डिजिटल सेवाओं के उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों को डिजिटल प्लेटफार्म पर सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ती है और वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

लाभ और संभावनाएँ

पारदर्शिता और जवाबदेही

डिजिटलीकरण के माध्यम से पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ती है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जवाबदेही सुनिश्चित होती है। सभी लेन-देन और गतिविधियाँ रिकॉर्ड में रहती हैं, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्र होता है।

समय और संसाधनों की बचत

डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सेवाओं और दस्तावेजों की त्वरित उपलब्धता होती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। यह पंचायतों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है।

उन्नत डेटा प्रबंधन

डिजिटलीकरण से डेटा प्रबंधन में सुधार हुआ है। रिकॉर्ड्स को आसानी से ट्रैक किया जा रहा है और सूचनाओं की सटीकता सुनिश्चित की जा सकती है। यह डेटा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाता है।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा

डिजिटलीकरण के द्वारा सुविधाजनक सेवाओं और पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। डिजिटलीकरण से ग्रामीणों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ तेजी से और प्रभावी तरीके से मिल सकता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हा सकता है।

चुनौतियाँ और समाधान

डिजिटल साक्षरता की कमी

डिजिटल साक्षरता की कमी एक प्रमुख चुनौती हो सकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों और सेवाओं के प्रति जागरूकता की कमी है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। पंचायत कर्मचारियों और ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

तकनीकी समस्याएँ

इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी समस्याएँ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में रुकावट डाल सकती हैं। इसके लिए, बेहतर तकनीकी समर्थन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। स्थानीय सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सुरक्षा और डेटा प्रबंधन

डिजिटलीकरण के साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। डेटा एन्क्रिप्शन, सुरक्षा प्रोटोकॉल, और नियमित सुरक्षा जांच के माध्यम से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

भविष्य की संभावनाएँ

पंचायत डिजिटलीकरण योजना के सफल कार्यान्वयन से न केवल पंचायत प्रशासन में सुधार होगा, बल्कि यह अन्य जिलों और ब्लॉकों के लिए भी एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। भविष्य में, योजना की निरंतर निगरानी और सुधार के माध्यम से पंचायतों की कार्यप्रणाली को और भी सशक्त और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की पहलों को अपनाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

पंचायत डिजिटलीकरण योजना के सफलताएँ

पंचायत डिजिटलीकरण के तहत कई सफल उदाहरण देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, पंचायतों में ई-सेवा पोर्टल की स्थापना से ग्रामीणों को विभिन्न सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। डिजिटल रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से प्रशासनिक कार्यों में सुधार हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है।

अन्य जिलों में सफलता के उदाहरण

सभी पंचायतों में भी पंचायत डिजिटलीकरण योजना की सफलता के उदाहरण देखे जा सकते हैं। इस प्रखंड में डिजिटलीकरण से ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन हुआ है। इन प्रखंड की सफलताओं को मॉडल के रूप में अन्य जिलों और ब्लॉकों में भी लागू किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पंचायत डिजिटलीकरण बिहार योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली को सुधारने में सहायक है, बल्कि ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहित करता है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो सकती है और ग्रामीणों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसके लिए, निरंतर निगरानी, सुधार, और समन्वय की आवश्यकता है ताकि योजना के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके यथा पंचायत प्रशासन को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुधारने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता, और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन सही रणनीति और निरंतर प्रयास के साथ, यह योजना बिहार के पंचायतों के लिए एक स्थायी और लाभकारी परिवर्तन ला सकती है।

संदर्भ सूची

1. डॉक्टर सचिन चौधरी, इलेक्ट्रॉनिक शासन, एमपीए-17, 2009, पृ.सं.-16
2. विकास कानूनगो, भारत में नागरिक केन्द्रित ई-गवर्नेंस, 10 जनवरी 2014.
3. वार्षिक विवरण (2015)-"डिजिटल इंडिया के तहत ई-गवर्नेंस नीति की पहल", इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार पृ.सं.-11.
4. प्रशान्त वेलवारियर, बिहार में ई-पंचायत, जनवरी, (2005)
5. योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार, बिहार में 11 पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण: त्वरित समावेशी विकास के लिए विजन (2006) पृ. सं.-09.
6. वनवर्ल्ड फाउंडेशन इंडिया, सार्वजनिक सेवाओं के लिए वितरण और जवाबदेही ढांचे को मजबूत करने पर राष्ट्रीय परामर्श पर रिपोर्ट। यूएनडीपी, दिसंबर (2011) पृ.सं.-03.
7. संजीव मित्तल, ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस, कुरूक्षेत्र, अगस्त (2017), पृ.सं.-06
8. विश्व बैंक, बेहतर प्रबंधन के माध्यम से भारत के बिहार राज्य को बढ़ावा देना, MARCH (2010) पृ.सं.-05.
9. के जगनाथन राय, सूचना प्रौद्योगिकी शोध, पेसिफिक बुक इन्टरनेशनल (2013), पृ.सं.-02
10. बिहार जन सेवा का अधिकार, 15 अगस्त 2011.

11 भारतीय सरकार की डिजिटल इंडिया योजना भारत सरकार. (2015) डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नई दिल्ली सरकारी प्रकाशन।
12 डिजिटल ग्राम पंचायत पहल पंचायत राज विभाग. (2017). डिजिटल ग्राम पंचायत एक मार्गदर्शिका. पटना, बिहार सरकार।
13 पंचायतों के डिजिटलीकरण पर शोध पी. शर्मा, (2019) ग्रामीण प्रशासन में डिजिटलीकरण, वैशाली जिला का अध्ययन. भारतीय प्रशासनिक पत्रिका, 52 (1), 78-92
14 आर. सिंह, (2020) डिजिटल साक्षरता और पंचायतों में सुधार, एक केस स्टडी. ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी, 52 (2), 112-126
15 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण (2018) डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण, पंचायतों में बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी और समाज, 52 (3), 55-67
16 प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता प्रियंका यादव, (2021) डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता, वैशाली के पंचायत अनुभव, सार्वजनिक प्रशासन समीक्षा, 60(1), 90-104
17 टी. मिश्रा, (2022) . डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्रशासनिक पारदर्शिता एक केस स्टडी. सरकारी व्यवस्थाएँ और सुधार, 10 (2), 75-89
18 प्रभाव मूल्यांकन और चुनौतियाँ टी. चौधरी, (2023). डिजिटल पंचायतों का मूल्यांकन, वैशाली जिला के परिणाम, ग्राम विकास और नीति विश्लेषण, 18 (1), 34-49
19 शेख, (2023) डिजिटल विभाजन और चुनौतियाँ, पंचायतों में सामना किए गए मुद्दे, सूचना और विकास, 27(3), 123-137

छात्र जीवन में बढ़ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग वरदान या बाधा?

डॉ० अंकित दयाल

पूर्व शोधार्थी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगाग्राम - सरैया पोस्ट - सरैया, भाया - सिलौत, जिला - मुजफ्फरपुर

शोध सारांश- हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग मानवीय जीवन में अधिक तेजी से बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग में छात्र जीवन को भी प्रभावित किया है एवं इसके कई सकारात्मक प्रभाव यथा लेखन शैली में सुधार, विषयों पर बेहतर पकड़ बनाने में सहयोग, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहयोग, समय प्रबंधन करने में मदद आदि जैसे कई लाभ छात्रों को हुए हैं। इसके प्रयोग में कई आशंका को भी जन्म दिया है जिसमें आने वाले समय में बेरोजगारी में बढ़ोतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर छात्रों की अत्यधिक निर्भरता गोपनीय डाटाओं का गलत प्रयोग तथा मानवीय मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में रेखांकित किया गया हैं। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में वर्तमान मानवीय जीवन को कई रूप में आकर्षित तथा प्रभावित किया है।

प्रयुक्त शब्दावली - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टूल, तकनीक, छात्र, जीवन शैली, डाटा।

वर्तमान का युग तकनीक नवाचार एवं भविष्य उन्मुखी आयाम से घिरा हुआ है, सूचना क्रांति से हुए बदलाव ने विश्व को एक नई जीवन शैली से सरोकार कराया है। वर्तमान समय में हमारी जीवनशैली जो एक महत्वपूर्ण शब्दावली के इर्द-गिर्द घूम रही है वह है। AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुबहु मानव मस्तिष्क के समानांतर इंटेलिजेंस को धारण किए हुए है, जिसके माध्यम से कृत्रिम तरीके से भी मानव के द्वारा किए गए कार्य को किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के माध्यम से विकसित किया गया एक तकनीक है जिसमें डेटाओं का विश्लेषण, एल्गोरिथम एवं गणितीय फॉर्मूलाओं का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान युग में तथा कंप्यूटर, मोबाइल जिसका एंड्रॉयड वर्जन स्वरूप हम प्रयोग में लाते हैं, रोबोट, वीडियो गेम, चित्र एवं वीडियो एआई जैसे कई टूल का प्रयोग मानव जीवन को बेहतर करने में किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग ने इसे मानवीय जीवन शैली पर गहरा प्रभाव छोड़ा है तथा इसके विस्तृत प्रयोग के मांग को भी रेखांकित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक नाम छात्र जीवन में भी पढ़ाई के स्वरूप पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, इसकी मदद से छात्र अपने विषय को समझने में, असाइनमेंट तैयार करने में, करियर का चुनाव करने में, इसका सहारा ले रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शैक्षणिक जगत में निर्णय लेने की क्षमता को निश्चित तौर पर बढ़ाया है ताकि मनुष्य एक पैटर्न तथा रुझानों की मदद से तथा एल्गोरिथम के माध्यम से कई तरह के दाताओं का विश्लेषण करने में सक्षम हुआ है। इससे सटीक सूचना तथा सटीक समय पर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है, बदलते समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से जोखिम शून्यता भी देखने को मिल रहे हैं। इसकी मदद से शिक्षा के क्षेत्र ही नहीं यथा अंतरिक्ष में जाना हो, महासागरों के अंदर छिपे संसाधनों का पहचान करना हो, प्रतिकूल वातावरण की स्थितियों को पहचाना हो, बम को निष्क्रिय करना हो, रोबोटिक्स के माध्यम से कई तरह के कार्य को करना हो, इन सभी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी खासियत इस इंटेलिजेंस कि यह है कि यह 24 घंटे उपलब्ध है जिसके माध्यम से बिना थके पूर्णत: किसी भी समय इसका लाभ लिया जा सकता और छात्र किसी भी समय इसके माध्यम से अपनी शैक्षिक क्रियाकलाप को आगे बढ़ा सकते हैं। यह डिजिटल सहायता ने छात्र जीवन में आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग ने इसे छात्रों के शुरुआती समय से ही सरोकार करने पर बल दिया है।

विद्यार्थी जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले लाभ को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं।

1. छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा स्तर को सुधारने में सहयोग -

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से छात्रों को नई भाषा सीखने में मदद मिलता है जिससे उनका संप्रेषण शैली विकसित होती है, साथ-साथ उसे उस भाषा को लिखने अर्थात लेखन शैली में भी सहयोग करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से कई ऐसे ऐप एवं वेबसाइट उपलब्ध है जो छात्रों के लेखन शैली में होने वाले व्याकरण त्रुटि को भी सुधरता है, इसके साथ-साथ उनके कंटेंट को भी बेहतर करने में सहयोग करता है जिससे उनकी लेखन शैली भी सुधरता है।

2. विषय को समझने तथा परीक्षा की तैयारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग -

छात्र जीवन में जब हम अक्षर ज्ञान से ऊपर उठते हैं तथा अपने रुचि के अनुरूप विषय एवं क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी कई ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म है जो छात्र के आवश्यकता अनुरूप विषय - वस्तु को समझने में मदद करता है उदाहरण के तौर पर यदि हम गणित विषय को चुने तो फोटोमैथ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप जो चंद सेकंड में सवालों को स्कैन कर उसे सॉल्व करता से काफी मदद मिलता है। यदि हम विज्ञान की बात करें तो लाइव स्टार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित काल्पनिक प्रयोगशाला में हम रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, एवं भौतिक विज्ञान से जुड़े काल्पनिक प्रयोग हमें विषय वस्तु को समझने में मदद करता है। व्याकरण के क्षेत्र में ग्रामरली एवं क्यिलबॉट जैसे टूल व्याकरण की शुद्धियों को सुधरता है तथा लिखने में हमारी मदद करता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में गूगल स्कॉलर एवं टाइमलाइन जैसे मंच के माध्यम से हम इतिहास एवं सामाजिक विज्ञान से जुड़े विषय वस्तुओं का गहन अध्ययन कर सकते हैं। भूगोल के क्षेत्र में गूगल अर्थ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन ने उदाहरण स्वरूप पृथ्वी के 3D मैप जैसे सुविधा उपलब्ध कराया है जिसकी मदद से हम ज्वालामुखी, जंगल, पर्यावरण, आदि का वर्चुअल अध्ययन कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में बात करें तो कैनवास जैसे ग्राफिक डिजाइन प्लेटफार्म के माध्यम से कई चित्र तथा वीडियो से जुड़े डिजाइन सीख सकते हैं जो बहुत उपयोगी है। संगीत के क्षेत्र में गैरेजबैंड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंच ने संगीत को काल्पनिक रूप से धून बनाने में मदद करता है तथा अन्य कई ध्वनि मिश्रण में भी उपयोगी है जिससे छात्रों के संगीत से जुड़े कौशल को सिखाने में मददगार साबित होता है , इसी तरीके से चाहे वह अर्थशास्त्र हो जिसमें सेंट लुईस फेड फ्रीड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा विश्लेषण जो छात्रों को रियल टाइम आर्थिक डाटा तक पहुंचने एवं उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। इस प्रकार से देखें तो छात्र जीवन के हर कदम उठा रहा है।

3. समय प्रबंधन उत्पादकता तथा संसाधन के बेहतर प्रयोग को बढ़ावा देता है -

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से छात्र अपने नोट्स, होमवर्क आदि को अत्यधिक स्पष्टता से तथा कम समय में बना सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध गई कोर्स की मदद से छात्र विषय पर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, क्विज जैसे कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं तथा अपना असाइनमेंट भी तेजी से कर सकते हैं जिसमें उन्हें डाटाओं के संग्रहण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी उपयोगी है। इसके साथ-साथ इन प्रक्रिया में छात्र अपने होमवर्क, पढ़ने की अवधि, आने वाले परीक्षा के लिए अपना समय प्रबंधन करते हुए रूटीन भी बना सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से छात्रों का बेहतर समय प्रबंधन एवं बचत होता है।

4. विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं काउंसलिंग में भी सहयोग करता है-

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कई ऐसे टूल्स है जो छात्रों के तनाव को समझ कर उसे तुरंत आराम प्रदान करने हेतु गए तनाव मुक्त एक्सरसाइज करने हेतु प्रेरित करता है, उदाहरणस्वरुप माइंडफुलमेट और फ्रेशमाइंड जैसे टूल इसमें अति सहयोगी हैं इसके साथ-साथ कई ऐसे एप जो व्यक्ति के संवेदनाओं को समझते हुए उसे पर्सनलाइज्ड सहयोग भी प्रदान करता है एवं मेडिटेशन तथा योगा जैसे कार्य को करने हेतु प्रेरित करता है।

5. वैश्विक समझ तथा रचनात्मक को उभारने में मदद करता है -

वर्तमान समय में कई ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल विकसित हो गए तो छात्रों के उनके क्षेत्र में होने वाले नई खोज, नवाचार आधारित प्रयोग से उनके अंदर रचनात्मकता को बढ़ावा देता है तथा उस क्षेत्र एवं विषय वस्तु से जुड़े समस्याओं को समाधान भी करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मंचों ने वैश्विक स्तर पर कई लर्निंग समुदाय से एक संपर्क स्थापित कराया है जिसके मदद से छात्र आपस में जुड़कर अपने विचारों का आदान-प्रदान अपने संस्कृति तथा अकादमी आदान-प्रदान कर विषय वस्तु को आगे ले जा सकते हैं।

6. कम आर्थिक व्यय तथा उन्नत शैक्षणिक गुणवत्ता के मापदंड को बनाने में कारगर -

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से छात्र आंकड़ों का संग्रहण बहुत आसानी से कर रहे हैं। इसके साथ-साथ एक प्लेटफार्म पर उनके विषय वस्तु से जुड़े कई शैक्षणिक सुविधाएं कम आर्थिक खर्चे में उपलब्ध है जिससे छात्रा उन्नत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ-साथ इसे दीर्घकालीन समय तक उपलब्ध करने की सुविधा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदान कर रहा है इसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता के संसाधन एजुकेटर के माध्यम से बहुत कम आर्थिक खर्चे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए छात्रों को प्रदान किया जा रहे हैं। वर्तमान समय में विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र तथा सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के बीच कई तरह के विकल्प अत्यंत कम खर्चे में उपलब्ध हुए हैं जिससे कई छात्र अपने मन मुताबिक सच में उपलब्ध कंटेंट से आसानी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

7. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शैक्षणिक जगत में निर्णय लेने की क्षमता को निश्चित तौर पर बढ़ाया है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के पैटर्न तथा रुझानों की मदद से तथा एल्गोरिथम के माध्यम से कई तरह के डाटाओं का विश्लेषण करने में सक्षम हुआ इससे सटीक सूचना तथा सटीक समय पर निर्णय लेने की क्षमता बदलते समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से मिला है इसमें जोखिम शून्यता भी देखने को मिल रहे हैं। इसकी मदद से शिक्षा के क्षेत्र ही नहीं यथा अंतरिक्ष में जाना हो, महासागरों के अंदर छिपे संसाधनों का पहचान करना हो, प्रतिकूल वातावरण की स्थितियों को पहचाना हो, बम को निष्क्रिय करना हो, रोबोटिक्स के माध्यम से कई तरह के कार्य को करना हो, इन सभी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है सबसे बड़ी खासियत इस इंटेलिजेंस किया है कि यह 24 घंटे उपलब्ध है जिसके माध्यम से बिना थके पूर्णत: किसी भी समय इसका लाभ लिया जा सकता और छात्र किसी भी समय इसके माध्यम से अपनी शैक्षिक क्रियाकलाप को आगे बढ़ा सकते हैं।

8. न्यूरो डायवर्स छात्रों के लिए यह अत्यंत सहयोगिक साबित हो रहा है -

छात्र परिस्थितिकी में कई ऐसे छात्र भी देखने को मिलते हैं जो परंपरागत रूप से उपलब्ध सेटिंग या सीखने के तरीकों में अत्यंत संघर्ष करते रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित व्यवस्था ने उन छात्रों को पढ़ने की चुनौतियों में मदद किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह न्यूरोडायवर्स छात्रों के आंखों की हरकतों का विश्लेषण करता है तथा इसके माध्यम से उससे जुड़े कठिनाइयों का भी पता लगाते हुए तुरंत समाधान प्रस्तुत करता है। यही नहीं शारीरिक रूप से डिस्लेक्सिया से जूझने वाले छात्रों को भी उनके आवश्यकता के अनुरूप यह सुविधा प्रदान करता है। वस्तुत: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस त्वरित समय पर प्रतिक्रिया एवं फीडबैक देने की प्रणाली से छात्रों के कई त्रुटियां को दूर किया जा सकता है। न्यूरोडाइवर्सिया से जूझने वाले छात्र को भी इस तरह के सुविधाओं का लाभ स्वाभाविक तौर पर देखने को मिल रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग ने यद्यपि नई दुनिया को एक ताकत दिया है परंतु इससे होने वाले कई निम्न संभावित खतरों को भी रेखांकित किया Gsa

1. छात्रों के अति निर्भरता से शिक्षा जगत के रोजगार पर प्रभाव -

वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता ने कई टूल पोर्टल ऐप्स आदि को बढ़ावा दिया है जिससे इस कार्य को जो पहले मैन्युअल किया जाता था अब उसे क्षेत्र में रोजगार की कमी देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप एक स्कैन की मदद से गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने से गुरुकुल की परंपरा प्रभावित हुई है वही उपलब्ध लाखों विषय आधारित वीडियो लेक्चरों ने कोचिंग संस्थान के द्वारा विकसित किए गए परंपरा को भी प्रभावित किया है।

2. छात्रों के आत्मनिर्भरता तथा गहराई से सोचने में कमी -

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अत्यधिक प्रयोग ने छात्रों के तुरंत उत्तर जानने के उत्सुकता को बढ़ाया है जिससे उनकी स्वयं की रचनात्मकता भी प्रभावित हुई है। छोटी से छोटी ज्ञान को वह कंप्यूटर तथा मोबाइल के एक क्लिक में जानना चाहते हैं जो पुरानी मैन्युअल पढ़ने की परंपरा को प्रभावित किया है। पूर्व के दौर में छात्र इस तरह की समस्या समाधान करने हेतु अपने मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाते थे एवं मानसिक मेहनत किया करते थे जिसमें अब नि:संदेह गिरावट आई है।

3. छात्रों के बीच उपलब्ध डिजिटल असमानता का प्रभाव -

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीक का लाभ लेने हेतु मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरणों की आवश्यकता है वर्तमान समय में वैसे क्षेत्र जहां आज भी आर्थिक पिछड़ापन एवं सामाजिक पिछड़ापन साक्षात देखी जा सकती है जिनके पास नियमित तौर पर अपने मोबाइल रिचार्ज करने की भी आर्थिक क्षमता नहीं है वह अपने बच्चों को इस उन्नत तकनीक से सक्रियता से जोड़ दे इसकी संभावना वर्तमान समय में धूमिल दिखाई देती है जिससे छात्रों की दुनिया में दो वर्ग उभरता हुआ दिखाई दे रहा है एक वैसा छात्र जो इसका लाभ ले रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इससे वंचित छात्र।

4. छात्रों के डाटा का निजता तथा सुरक्षा का संकट -

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े मंच कोई भी जानकारी देने से पहले छात्रों से कई तरह के उनके निजी सूचनाओं का संग्रहण करता है जिससे संभव है इस तरह के मंच आने वाले समय में इसका दुरुपयोग कर सकता है जिससे उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

5. मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक जगत में कौन होना तथा धोखाधड़ी जैसे मुद्दे की आशंका -

एक महत्वपूर्ण चिंता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलने वाले शिक्षा में यह है किया आने वाले समय में कई तरह के धोखाधड़ी के मुद्दे को बढ़ावा दे रहा है। छात्र पूर्व के उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री का दुरुपयोग करते हुए भी पाए जाते हैं जिससे उनके शैक्षणिक क्रियाकलाप में ईमानदारी का अभाव पाया जा रहा है।

उपरोक्त कथनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल प्रतीत हो रहा है इसके माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों के पढ़ने के तरीके में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं मानवीय त्रुटि को कम कर रहा है यह जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिक चिंता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाए जिससे विश्वास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पारिस्थितिक तंत्र के सभी हिट धारक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक प्लेटफार्म में जो परंपरागत अकादमी शिक्षा मिलती थी उसमें वह नहीं भावनात्मक सहयोग एवं मेंटरशिप से भी मिला करती थी जो गौन होता दिखाई पड़ रहा है, छात्रों का शिक्षकों से संपर्क टूटा है तथा शिक्षा प्रदान करने में सचारित्रता, भावनात्मक विकास एवं अभिप्रेरणा की भी कमी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मिलने वाले शिक्षा में देखने को मिल रहे हैं।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है की वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक ने छात्रों को कई तरह की सुविधा प्रदान किया है जिससे उनके जीवन शैली कई मायने मैं उन्नत तथा आसान हुई है वहीं दूसरी तरफ इसकी कई सीमाएं भी हैं जिसके तहत इसके अत्यधिक प्रयोग ने छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहा है, हमें यह समझना होगा की इन प्रभावों का किस तरीके से संतुलित समाधान निकाला जा सके जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को बढ़ावा भी दिया जाए एवं छात्र जीवन में इसका सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रभाव पड़े तथा प्रत्येक छात्र को इसका लाभ मिले।

संदर्भ सूची

1. https://urbeuniversity.edu/blog/the-future-benefits-of-artificial-intelligence-for-students
2. https://www.cis-spain.com/en/blog/the-benefits-of-ai-in-education/
3. https://www.ucanwest.ca/blog/education-careers-tips/advantages-and-disadvantages-of-ai-in-education
4. https://www.researchgate.net/search?context=publicSearchHeader&q=
5. https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-023-00411-8
6. https://www.mdpi.com/2227-7102/15/3/343
7. https://www.google.com/amp/s/www.digiexam.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-artificial-intelligence-in-education%3fhs_amp=true
8. https://virtualspeech.com/blog/benefits-ai-education
9. https://provost.wsu.edu/benefits-of-ai/
10. https://thejournal.com/articles/2021/06/23/7-benefits-of-ai-in-education.aspx
11. https://onlineprograms.education.uiowa.edu/blog/role-of-ai-in-modern-education
12. https://newo.ai/insights/benefits-of-artificial-intelligence-for-students/
13. https://education.illinois.edu/about/news-events/news/article/2024/10/24/ai-in-schools—pros-and-cons
14. https://capacity.com/the-benefits-of-ai-in-education/
15. https://www.jamf.com/blog/pros-cons-ai-in-education/

बिहार में जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा का स्तर

डॉ० मो० शाहनवाज यहया

सुल्तानगंज, पटना

शोध. सार:

प्रस्तुत शोधपत्र में 1951 से 2011 तक भारत और बिहार में जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता दर की प्रवृत्तियों और उनके सहसंबंध का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जो सकारात्मक सहसंबंध के उच्च स्तर को इंगित करता है और बिहार के संदर्भ में 95% विश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में यह सकारात्मक सहसंबंध के निम्न स्तर को इंगित करता है और महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, हमने बिहार में शिक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए जनसंख्या वृद्धि दर और साक्षरता दर के साथ-साथ सोलह अन्य चर में जिला स्तर की असमानता को समझने की कोशिश की है। समग्र स्कोर मूल्य के आधार पर यह स्थापित किया गया है कि 38 जिलों में से केवल चार जिलों में सकारात्मक समग्र स्कोर दर्ज किया गया है, जो स्पष्ट रूप से बिहार में शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, जिसे 2011 में सभी भारतीय राज्यों में बिहार की सबसे कम साक्षरता दर 61.80 प्रतिशत के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है। अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले सभी चार जिले उत्तर बिहार में स्थित हैं और उच्च साक्षरता दर वाले सभी चार जिले दक्षिण बिहार में स्थित हैं। कार्ल पियर्सन की विधि के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर और जिला स्तर पर साक्षरता दर सहित शिक्षा के स्तर से संबंधित सत्रह चर के बीच सहसंबंध के गुणांक की पहचान करने का भी प्रयास किया गया है। जनसंख्या वृद्धि दर और साक्षरता दर में मध्यम स्तर का नकारात्मक सहसंबंध है, और 99% विश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, दो अन्य चर जैसे संबद्ध कॉलेज और घटक कॉलेजों की संख्या में नकारात्मक सहसंबंध का स्तर कम है, और महत्वपूर्ण नहीं हैं। जबकि, शेष चौदह चर जनसंख्या वृद्धि दर के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं।

मूल शब्द: जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा का स्तर, बिहार, साक्षरता दर, सहसंबंध गुणांक, स्कोर, जनसंख्या वृद्धि के रुझान, साक्षरता दर के रुझान

प्रस्तावना

जनसंख्या वृद्धि दुनिया की अधिकांश समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या हर चीज को प्रभावित करती है चाहे वह खाद्यान्न की कमी हो, पीने के पानी की कमी हो, ऊर्जा संसाधन हो या शिक्षा प्रणाली हो, जो किसी न किसी तरह से आज की दुनिया के लिए आवश्यक है। जनसंख्या के आकार में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है जो न केवल संस्कृति, परंपरा, व्यवहार और रीति-रिवाजों में बल्कि शिक्षा के स्तर में भी परिवर्तन लाती है। जनसंख्या वृद्धि भारत जैसे विकासशील देश और विशेष रूप से बिहार राज्य में बच्चों द्वारा प्राप्त शिक्षा की मात्रा को कम करती है। बिहार की जनसंख्या 2011 में 25.42 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर के साथ बढ़ रही है, जबकि पूरे देश में यह 17.70 प्रतिशत है। इसके अलावा भारत एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है जो जाति, पंथ और धर्म के बावजूद हर छात्र को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करती है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन के इस चरण में, जहाँ मृत्यु दर और प्रजनन दर दोनों में गिरावट आई है, युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिन्हें उचित शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि वे उत्पादक रूप से रोजगार प्राप्त कर सकें। छोटे परिवार का आकार अधिक बच्चों को शिक्षित करने की अनुमति देता है और लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि बड़े परिवार के आकार और सीमित संसाधनों वाली लड़कियों के स्कूल जाने की संभावना सबसे कम होती है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर बिहार में शिक्षा प्रणाली के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। जनसंख्या अध्ययनों में यह स्थापित किया गया है कि शिक्षा का जनसांख्यिकीय विशेषताओं, विशेष रूप से जनसंख्या वृद्धि से गहरा संबंध है। शिक्षा आज के समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कुशल और विशिष्ट जनशक्ति का उत्पादन करती है और समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती है। लेकिन बिहार में शिक्षा प्रणाली बढ़ती जनसंख्या से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, जो हमेशा उच्च रही, 1971 से 20 प्रतिशत से ऊपर, जबकि पूरे भारत में गिरावट का रुझान दिखा।

विकास दर के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या के कारण अधिक स्कूलों, शिक्षकों और अन्य सुविधाओं जैसे पुस्तकों और इससे संबंधित कई अन्य चीजों की भी मांग होती है, जिसे बिहार में पूरा करना अभी भी एक चुनौती है, जहां शिक्षा के लिए संसाधनों की बहुत कमी है। जब हम शिक्षा की समस्या पर विचार करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या को नजरअंदाज करना संभव नहीं है, इस बढ़ती जनसंख्या के साथ यह कहने

की आवश्यकता नहीं है कि हमें बढ़ती हुई संख्या में उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल शुरू करने चाहिए, जो पहले से भी अधिक मोटे हैं, जिसका सभी छात्रों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम और यहां तक कि शिक्षण विधियों पर भी असर पड़ा है। ऐसे कई छात्र हैं जिनकी रुचि और बौद्धिक क्षमता अलग-अलग है, जिन्हें इन छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता है। इसलिए पारंपरिक सरकारी स्कूलों के अलावा विभिन्न प्रकार के स्कूल शुरू करने की आवश्यकता है। बिहार जैसे राज्य में सभी को बेहतर शिक्षा प्रदान करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा के स्तर के बीच सीधा संबंध हो सकता है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में सबसे कम लिंग जनसंख्या दर्ज की गई है, जहाँ महिला-पुरुष शिक्षक अनुपात 1% 4 है, दूसरे शब्दों में 75.3 प्रतिशत पुरुष और केवल 24.7 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण अपर्याप्त और बेमेल शैक्षिक बुनियादी ढाँचा रहा है। बिहार राज्य में शैक्षिक परिदृश्य बहुत निराशाजनक है और नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी प्रमुख स्थिति खोकर उच्च शिक्षा में लगभग स्थिर हो गया है। उच्च शिक्षा और समग्र शैक्षिक स्थिति की विशेषता कम नामांकन और बड़ी संख्या में ड्रॉपआउट हैं, खासकर लड़कियों के बीच। शैक्षिक विकास सूचकांक, व्यावसायिक शिक्षा के लिए कॉलेज जनसंख्या सूचकांक (2001-02), सकल नामांकन अनुपात (2009-10) और उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक (2009-10) में बिहार का स्थान सबसे निचला है। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार ने 2015-16 में 30 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में समग्र प्रदर्शन में 7.3 प्रतिशत का मामूली सुधार दर्ज किया है और झारखंड के बाद स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEiQI) में दूसरे सबसे निचले स्थान पर उभरा है। भारत सरकार के भारत व्यय विश्लेषण के अनुसार भारत का छठा सबसे गरीब राज्य, बिहार, प्रति छात्र सबसे कम राशि खर्च करता है। इस तथ्य के कारण बिहार में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में संकट है और इसकी कक्षाएँ भारत में सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली हैं और यहाँ सबसे कम शिक्षक हैं

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- 1951 से 2011 तक भारत और बिहार दोनों में जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता दर की प्रवृत्ति और उनके सहसंबंध के साथ-साथ महत्व के स्तर का विश्लेषण करना।
- जिला स्तर पर जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता दर में स्थानिक भिन्नता का विश्लेषण करना (2011)
- शिक्षा के स्तर से संबंधित चरों की स्थानिक भिन्नता का विश्लेषण करना और स्कोर सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करके शिक्षा के स्तर का पता लगाना।
- जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता दर सहित शिक्षा के स्तर से संबंधित सत्रह चरों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना और बिहार में शिक्षा के स्तर से संबंधित जनसंख्या वृद्धि और इन स्वतंत्र चरों के बीच संबंध की डिग्री और महत्व के स्तर का परीक्षण करना।

डेटाबेस और कार्यप्रणाली

यह शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और डेटा विभिन्न जनगणना रिपोर्ट, बिहार के सभी जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट और आर्थिक सर्वेक्षण 2019 - 20, वित्त विभाग, बिहार सरकार से एकत्र किया गया है। वर्तमान शोध पत्र में शिक्षा के स्तर और जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ उनके सहसंबंध और 95 और 99 प्रतिशत विश्वास के स्तर पर उनके महत्व के स्तर को समझने के लिए सबसे उपयुक्त सांख्यिकीय और कार्टोग्राफिक तकनीक, जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, जेड-स्कोर और कार्ल पियर्सन की सहसंबंध पद्धति को लागू किया गया है। इस अध्ययन के लिए जिलों को अध्ययन की सबसे छोटी इकाई माना गया है और जिला स्तर पर जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता का अध्ययन करने के लिए अध्ययन 2011 की जनगणना रिपोर्ट पर आधारित है, जबकि शिक्षा के स्तर से संबंधित डेटा नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 2017-18 की अवधि के बीच लिया गया है।

बिहार में जिला स्तर पर शिक्षा के स्तर की पहचान के लिए सत्रह संबंधित चर (स्वतंत्र) निर्धारित किए गए हैं, जिनमें साक्षरता दर 1, प्राथमिक में कुल नामांकन 2, उच्च प्राथमिक में कुल नामांकन 3, प्राथमिक में कुल नामांकन 4, उच्च प्राथमिक में कुल नामांकन 5, प्राथमिक में कुल नामांकन 6, उच्च प्राथमिक में कुल नामांकन 7, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 8, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 9, प्राथमिक में शिक्षकों की संख्या 10, उच्च प्राथमिक में शिक्षकों की संख्या 11, एमडीएमएस (कक्षा I & V) का कवरेज कुल नामांकन 12, एमडीएमएस (कक्षा I & V) का प्रतिदिन कवरेज 13, एमडीएमएस (कक्षा VI & VIII) का कवरेज कुल नामांकन 14, एमडीएमएस (कक्षा VI & VIII) का प्रतिदिन कवरेज 15, संबद्ध कॉलेजों की संख्या जिसमें चर का माध्य घटाया जाता है और

चर के मानक विचलन से विभाजित किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक चर के स्कोर मान को एक साथ जोड़ दिया गया है और बिहार में शिक्षा के समग्र स्तर का आकलन करने के लिए प्रत्येक जिले के सभी चरों का एक समग्र स्कोर तैयार किया गया है। इसके बाद बिहार में शिक्षा के स्तर से संबंधित सत्रह स्वतंत्र चरों को कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विधि का उपयोग करके आश्रित चर (जनसंख्या वृद्धि, 2011) के साथ सहसंबंधित किया गया है और उनके महत्व के स्तर का परीक्षण 95% और 99% विश्वास के स्तर पर किया गया है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा की स्थिति की चर्चा विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। 4. अध्ययन क्षेत्र बिहार नेपाल के साथ अंतरराज्यीय सीमा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी दर्शाता है। नेपाल बिहार के उत्तर में स्थित है, जबकि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश पश्चिम में, झारखंड दक्षिण और पश्चिम में और पश्चिम बंगाल बिहार के पूर्व में स्थित है। बिहार 240 20'10" उत्तर से 270 31'15" उत्तर और 830 19'50" पूर्व से 880 17'40" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है जिसका क्षेत्रफल 94163 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.68 प्रतिशत है। 2011 में बिहार में 38 जिले शामिल थे और सबसे बड़ा शहर राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में छोटानागपुर पठार स्थित है। राज्य को गंगा नदी ने दो भागों में विभाजित किया है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान, जो दोनों निचले मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ और वितरिकाएँ जैसे गंडक, बागमती, कोसी, काली, सोन और घाघरा बिहार में कृषि के लिए पानी का सतत स्रोत हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी मुख्य रूप से पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी है, जो गहरे रंग की मिट्टी या पीली दोमट से बनी है। बिहार राज्य की विशेषता आर्द्र और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण मौसम होते हैं, गर्म मौसम (मार्च से जून), बरसात का मौसम (मध्य जून से अक्टूबर) और ठंडा मौसम (नवंबर से फरवरी)। सबसे गर्म महीना जून और सबसे ठंडा महीना जनवरी है। लगभग 70 से 80 प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई है और गैर-कृषि और सेवा क्षेत्रों की लगभग अनुपलब्धता के कारण यह अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बिहार भारत में फलों और सब्जियों के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार, 104099452 की कुल जनसंख्या वाले बिहार में 21100943 की पूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत 17.70 प्रतिशत की तुलना में 25.42 प्रतिशत की वृद्धि है। बिहार की कुल जनसंख्या में से 54278157 पुरुष और 49821295 महिलाएं हैं। कुल जनसंख्या में से 11.29 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिसमें पिछले 10 वर्षों में 11.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत है, जबकि भारत की 74.04 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता दर 71.2 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 51.5 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण साक्षरता दर 59.78 प्रतिशत है, जबकि शहरी साक्षरता दर 76.86 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष साक्षरता दर 69.67 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 49 प्रतिशत है।

Table1: TrendsofPopulationGrowthandLiteracyRate(1951-2011)

Year	PopulationGrowth(%)		LiteracyRate(%)	
	India	Bihar	India	Bihar
1951	13.31	10.58	18.33	13.49
1961	21.51	19.79	28.3	21.95
1971	24.8	20.91	34.45	23.17
1981	24.66	24.16	43.57	32.32
1991	23.87	23.38	52.21	37.49
2001	21.54	28.62	64.84	47.53
2011	17.7	25.42	74.04	61.8
			India	**Bihar**
CoefficientofCorrelation(PopulationGrowth&LiteracyRate)			**0.171826721**	**0.800303753**
P- value			**0.712584928**	**0.03063817**
t Stat			**0.390016877**	**2.984571656**

Source: Census Reports

शिक्षा बिहार राज्य के साथ-साथ पूरे देश के विकास के लिए पूर्व-आवश्यक शर्त है। बिहार में साक्षरता दर संतोषजनक नहीं है और पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है। उत्तर प्रदेश (199812341) और महाराष्ट्र (112374333) के बाद बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी कुल जनसंख्या 104099452 है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में भारत में 74.

04 प्रतिशत की तुलना में बिहार में साक्षरता दर 61.80 प्रतिशत है। बिहार में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक निरक्षर लोग हैं, जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा प्रणाली में संकट के कारण हो सकता है। इसके बावजूद सरकार ने बिहार में शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा के महत्व के बारे में कई अन्य जागरूकता कार्यक्रम। सरकार ने छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी भी प्रदान की, ताकि उनके माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित हों। बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उठाए गए इन कदमों के बावजूद, यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है।

वर्ष 2001 और 2011 के बीच साक्षरता दर में 14.27 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। यदि हम तालिका-1 को देखें तो हम पाते हैं कि भारत में साक्षरता दर में अधिकतम वृद्धि वर्ष 1991 से 2001 के दौरान हुई, जिसमें 12.63 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, जबकि बिहार में साक्षरता दर में अधिकतम वृद्धि वर्ष 2001 से 2011 के दौरान हुई, जिसमें 14.27 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी, जबकि बिहार में यह 13.49 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से 4.84 प्रतिशत अंक कम है। वर्ष 1961 में भारत में साक्षरता दर बढ़कर 28.3 प्रतिशत और बिहार में 21.95 प्रतिशत हो गई, जिसमें पिछले दशक की तुलना में भारत में 9.97 प्रतिशत अंकों और बिहार में 8.46 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। वर्ष 1981 में भारत में साक्षरता दर 43. 57 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले दशक की तुलना में 9.12 प्रतिशत अधिक है, जबकि बिहार में साक्षरता दर 32.32 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले दशक की तुलना में 9.15 प्रतिशत अधिक है, लेकिन यह राष्ट्रीय साक्षरता दर (43.57) से 11.25 प्रतिशत कम है। जनगणना वर्ष 2001 में भारत में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि बिहार में साक्षरता दर 47.53 प्रतिशत दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से 17.31 प्रतिशत कम है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले जनगणना वर्ष 2001 की तुलना में 9.2 प्रतिशत अधिक है, जबकि बिहार में साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से 12.24 प्रतिशत कम है, लेकिन यह पिछले जनगणना वर्ष 2001 की तुलना में 14.27 प्रतिशत अधिक है।

यदि हम साक्षरता दर की तुलना जनसंख्या वृद्धि दर से करें तो पाते हैं कि बिहार में 1951 के बाद से 2011 में सर्वाधिक 25.42 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है, लेकिन समग्र रूप से भारत में जनसंख्या वृद्धि में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, 1981 के बाद से 24.66 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2011 में 17.70 प्रतिशत हो गई। जनगणना वर्ष 1951 में 10.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो 2011 में बढ़कर 25.42 प्रतिशत हो गई, जो बिहार में छह दशकों में 14.84 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि भारत में 1951 में 13.31 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई, जो 2011 में 17.70 प्रतिशत थी, जो बिहार की तुलना में मात्र 4.39 प्रतिशत अंकों की वृद्धि थी। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 104099452 की कुल जनसंख्या के साथ बिहार देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि की गति 1951 से 2011 तक जारी रही, लेकिन जनगणना वर्ष 1991 में 1981 में 24. 16 प्रतिशत से 1991 में 23.38 प्रतिशत तक 0.78 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह 2011 में भी 2001 में 28.62 प्रतिशत से 2011 में 25.42 तक 3.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 1951 से 2011 तक के इन छह दशकों में, 1951 से 1961 के दौरान जनसंख्या की उच्च वृद्धि हुई, जिसमें 1951 में 10.58 प्रतिशत से 1961 में 19.79 तक 9.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत ने भी इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जो 1951 में 13.31 प्रतिशत से बढ़कर 1961 में 21.51 प्रतिशत हो गई, जिसमें 8.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि बेहतर व्यापार, परिवहन, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के कारण हुई। बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण जीवन स्थितियों में सुधार के परिणामस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई, जिससे जनसंख्या में तेजी से प्राकृतिक वृद्धि हुई। 1951 से 2011 तक भारत और बिहार में जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता दर की प्रवृत्ति को समझने के लिए साक्षरता दर और जनसंख्या वृद्धि के बीच सहसंबंध का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, सहसंबंध का पता लगाने के लिए, सहसंबंध गुणांक की कार्ल पियर्सन की विधि को लागू किया गया है। इस अध्ययन में साक्षरता दर को एक स्वतंत्र चर माना गया है, जबकि जनसंख्या वृद्धि को एक आश्रित चर माना गया है। यह देखा गया है कि बिहार में सकारात्मक सहसंबंध का उच्च स्तर है, और मान + 0.800303753 (सकारात्मक सहसंबंध का उच्च स्तर +0.75 से +1) आता है, और P मान 0.03063817 है जो इसे 95% विश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है, जबकि भारत में,

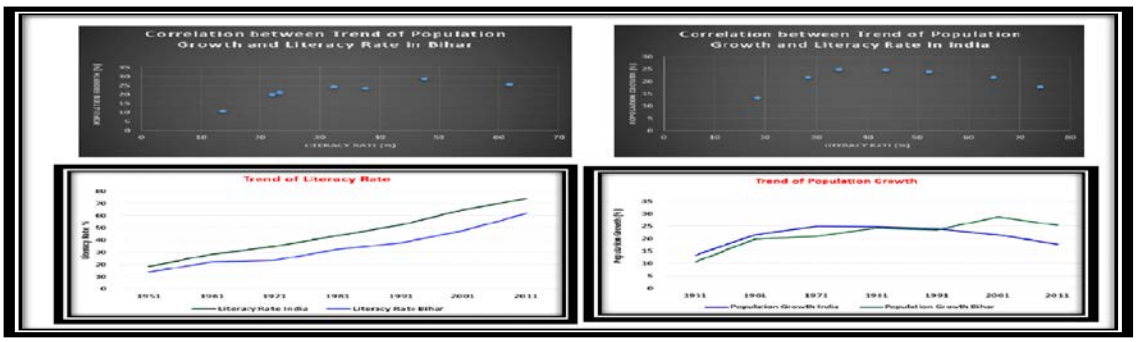

सकारात्मक सहसंबंध का स्तर कम है और सहसंबंध गुणांक का मान 0.171826721 (सकारात्मक सहसंबंध का निम्न स्तर 0 से +0.25) है, और मान 0.712584928 है, और यह महत्वपूर्ण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता दर में स्थानिक भिन्नता बिहार में 1951 से 2001 तक जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर्ज की गई, जनगणना वर्ष 1991 को छोड़कर, जब जनसंख्या वृद्धि दर पिछले जनगणना वर्ष 1981 की तुलना में 0.78 प्रतिशत कम हो गई थी। जनगणना वर्ष 2011 में भी पिछले दशक की तुलना में 3.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई। 2011 में जनसंख्या की जिलावार वृद्धि से पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भिन्नता रही है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के 38 जिलों में से किसी की भी जनसंख्या वृद्धि दर पूरे देश की औसत वृद्धि दर (17. 70 प्रतिशत) से कम नहीं है, लेकिन 22 जिले ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर पूरे राज्य की तुलना में अधिक (25.42 प्रतिशत) दर्ज की गई है। 2011 में 2001762 की कुल जनसंख्या वाले मधेपुरा में सबसे अधिक 31.12 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसके बाद किशनगंज (30.40 प्रतिशत), अररिया (30.25 प्रतिशत), खगड़िया (30.19 प्रतिशत) और पूर्वी चंपारण (29.43 प्रतिशत) का स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले मधेपुरा की साक्षरता दर 2001 में 36.07 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 52.25 प्रतिशत है। यदि हम मधेपुरा की साक्षरता दर की तुलना राज्य की औसत साक्षरता दर (61.80 प्रतिशत) से करें तो पाते हैं कि यह राज्य औसत से 9.55 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार किशनगंज की साक्षरता दर 55.46 प्रतिशत है जो राज्य औसत से 6.34 प्रतिशत कम है, अररिया की साक्षरता दर 53.53 प्रतिशत है जो राज्य औसत से 8.27 प्रतिशत कम है। इसके अलावा खगड़िया में साक्षरता दर 57.92 प्रतिशत और पूर्वी चंपारण में 55.79 प्रतिशत दर्ज की गई। इन चारों जिलों की साक्षरता दर से स्पष्ट है कि साक्षरता दर जितनी कम होगी, जनसंख्या वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज जिले में देखी गई है, जिसकी वृद्धि दर 19.02 प्रतिशत है, जिसके बाद अरवल (19.23 प्रतिशत) और दरभंगा (19.47 प्रतिशत) का स्थान है। यहाँ यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि गोपालगंज और अरवल दोनों में क्रमशः 65.47 प्रतिशत और 67.43 प्रतिशत साक्षरता दर दर्ज की गई है, जो राज्य की औसत साक्षरता दर (61. 80 प्रतिशत) से अधिक है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि साक्षरता दर ने इन जिलों में जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यदि हम बिहार के सभी 38 जिलों को निम्न (20 प्रतिशत से कम), मध्यम (20.01 से 25 प्रतिशत), उच्च (25.01 से 30 प्रतिशत) और बहुत उच्च (30 प्रतिशत से अधिक) जनसंख्या वृद्धि के रूप में वर्गीकृत करें, तो हम पाते हैं कि गोपालगंज, अरवल और दरभंगा जैसे तीन जिले ऐसे हैं जिन्हें निम्न जनसंख्या वृद्धि (20 प्रतिशत से कम) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, नवादा, सारण, सीवान, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय जैसे बारह जिले हैं, जिन्हें 20.01 से 25 प्रतिशत के बीच मध्यम स्तर की जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि उन्नीस जिले हैं, जिनके नाम कैमूर, गया, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार हैं, जिन्हें उच्च स्तर की जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और केवल चार जिलों को 30 प्रतिशत से अधिक बहुत उच्च स्तर की जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। 30 प्रतिशत से अधिक बहुत उच्च स्तर की जनसंख्या वृद्धि वाले जिले मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया हैं, और ये सभी उत्तर बिहार के मैदान में स्थित हैं। साक्षरता किसी भी भाषा को समझकर पढ़ने और लिखने की क्षमता है जो किसी भी क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करती है, खासकर जनसंख्या वृद्धि को दूसरे शब्दों में प्रजनन दर को। बिहार भारत का सबसे निरक्षर राज्य है। कुल 104099452 जनसंख्या में से 52504553 साक्षर हैं और इनमें से 31608023 पुरुष साक्षर हैं और 20896530 महिला साक्षर हैं। दूसरे शब्दों में महिला साक्षर कुल जनसंख्या का 51.50 प्रतिशत है और शेष निरक्षर महिलाएँ अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती हैं। बिहार में कम साक्षरता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण गरीबी और गैर-कृषि और सेवा क्षेत्र की अनुपलब्धता है। इसके अलावा महिलाओं में कम साक्षरता दर लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह के कारण है, क्योंकि परिवार आमतौर पर अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो बेटी के बजाय बेटे को चुनते हैं। बिहार में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था भी संकट में है। भारत के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य होने के कारण, कक्षाएँ भीड़-भाड़ वाली हैं, और उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक भी कम हैं। बिहार सरकार ने 2019-20 के दौरान शिक्षा के लिए अब तक का सबसे अधिक 34798.69 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया (एनडीटीवी - शिक्षा, 12 फरवरी, 2019)। बिहार की साक्षरता दर 2001 में 47.53 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई, जिसका कारण था

सरकारी प्रयासों, विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, के परिणामस्वरूप साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। जनगणना वर्ष 2011 में 14.27 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2001-2011 के दौरान सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए बिहार को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार केंद्र सरकार से धन का शिकार रहा है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार, बिहार के 38 जिलों में से 22 जिलों में साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर 61.80 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। इन 22 जिलों में से सात जिले, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय उत्तर बिहार के मैदान में स्थित हैं, जबकि बाकी दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित हैं। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार, रोहतास ने 73.37 की साक्षरता

दर के साथ सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की, जिसके बाद पटना (70.68), भोजपुर (70.47), मुंगेर (70.46) और औरंगाबाद (70.32) का स्थान है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि रोहतास ने 2001 में 61.28 प्रतिशत की साक्षरता दर दर्ज की थी और पटना के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन जनगणना वर्ष 2011 में 12.09 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई और साक्षरता दर में पहले स्थान पर रहा। साक्षरता दर में शीर्ष स्थान पर रहने वाले ये सभी चार जिले दक्षिण बिहार में स्थित हैं और इनकी जनसंख्या वृद्धि 25 प्रतिशत से कम दर्ज की गई है, सिवाय औरंगाबाद के, जहाँ जनसंख्या वृद्धि 26.28 प्रतिशत दर्ज की गई। रोहतास, जिसने सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की है, उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, यहाँ यह बताना जरूरी है कि रोहतास में 3.38 लाख बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं और 1.07 लाख उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं। इसके अलावा 1525 प्राथमिक विद्यालय और 1031 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 3538 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2780 है, जो रोहतास में उच्च साक्षरता दर का पर्याप्त समर्थन करता है। लेकिन यहाँ यह बताना बेहद आश्चर्यजनक है कि प्राथमिक विद्यालयों में 7.32 लाख बच्चे, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3.12 लाख, प्राथमिक विद्यालय 2190, उच्च प्राथमिक विद्यालय 1176, प्राथमिक विद्यालयों में 9220 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 11127 शिक्षकों के साथ पटना साक्षरता दर में रोहतास के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता दर 51.08 प्रतिशत वाले पूर्णिया में 28.33 प्रतिशत की बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, लेकिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पूर्णिया में रोहतास की तुलना में अधिक छात्र दर्ज किए गए, यहां तक कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या भी रोहतास से अधिक है। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (1326) और उच्च प्राथमिक (955) के मामले में पूर्णिया रोहतास से पीछे है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार, हम बिहार के सभी 38 जिलों को निम्न (60 प्रतिशत से नीचे), मध्यम (60.01 से 65 प्रतिशत), उच्च (65.01 से 70 प्रतिशत) और बहुत उच्च (70 प्रतिशत से ऊपर) में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके तहत वर्गीकरण में सत्रह जिले हैं, जिनका नाम इस प्रकार रखा गया है:-

नवादा (59.76), पश्चिमी चंपारण (55.70), पूर्वी चंपारण (55.79), सीतामढी (52.02), शिवहर (53.78), दरभंगा (56.56), मधुबनी (58.62), जमुई (59.79), खगड़िया (57.92), बांका (58.17), सहरसा (53.20), सुपौल (57.67), मधेपुरा (52.25), पूर्णिया (51.08), किशनगंज (55.46), अररिया (53.53) और कटिहार (52.25), हो सकता है 60 से नीचे साक्षरता दर के निम्न स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है प्रतिशत. जबकि, आठ जिले हैं, जिनके नाम हैं नालंदा (64.43), गया (63.67), मुजफ्फरपुर (63.43), समस्तीपुर (61.86), बेगुसराय (63.87), शेखपुरा (63.86), लखीसराय (62.42) और भागलपुर (63.14), जिन्हें 60.01 से 65 प्रतिशत के बीच मध्यम साक्षरता दर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। कैमूर (69.34), जहानाबाद (66.80), अरवल (67.43), सारण (65.95), सीवान (69.45), गोपालगंज (65.47) और वैशाली (66.60) नामक सात जिले हैं, जिन्हें 65.01 से 70 प्रतिशत के बीच मध्यम स्तर की साक्षरता दर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन पटना (70.68), भोजपुर (70.47), बक्सर (70.14), रोहतास (73.37) और मुंगेर (70.40) नामक छह जिले हैं और औरंगाबाद (70.32) को 70 प्रतिशत से अधिक साक्षरता दर के उच्च स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और ये सभी पांच जिले बहुत उच्च साक्षरता दर वाले हैं जो दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित हैं और इनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 70.04 प्रतिशत से अधिक है। शिक्षा के स्तर शिक्षा हमें विभिन्न क्षेत्रों और तकनीकों के बारे में ज्ञान, कौशल, जानकारी प्रदान करती है, जो हमें अपने परिवार, समाज और सबसे बढ़कर अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाती है। यह हमें अपने आस-पास की दुनिया को समझने की दृष्टि देती है और हमें अपने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनाती है। किसी भी क्षेत्र को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब हम भारत और बिहार जैसे राज्यों में साक्षरता दर के स्तर पर नजर डालते हैं, तो हम पाते हैं कि उच्च साक्षरता दर वाले क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित हैं और कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढाँचा है। शिक्षा हमें ज्ञान, कौशल, संस्कृति, मूल्यों और समाजों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के माध्यम से विभिन्न समाजों के बीच की खाई को कम करने में मदद करती है। विकास के लिए प्रयासरत हमारा समाज शिक्षा के महत्व को समझता है, जिसे अच्छे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। हमें इस समकालीन, प्रतिस्पर्धी और औद्योगिक दुनिया में लड़ने के लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षित समाज द्वारा युवा पीढ़ी का बेहतर पालन-पोषण किया जा सकता है, ताकि वे अशिक्षितों की तुलना में अपने परिवेश के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठा सकें। ज्ञान के क्षितिज को बेहतर और प्रामाणिक शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है क्योंकि समाज के व्यवहारिक पहलू यहां तक कि व्यक्ति भी शिक्षा और साक्षरता दर पर निर्भर करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाती है, गरीबी को दूर करती है, महिलाओं को सशक्त बनाती है, अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है, उच्च आय हासिल करने में मदद करती है, समस्याओं को हल करने के लिए कौशल विकसित करती है, समृद्ध और खुशहाल जीवन प्रदान करती है, सभी के लिए समान अवसर पैदा करती है और सबसे बढ़कर अर्थव्यवस्था में सुधार करती है। बिहार प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था और दो प्रमुख विश्वविद्यालयों, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का घर था और अब इसे प्राचीन भारत के शैक्षणिक संस्थानों के अवशेषों का घर माना जा सकता है। नीति आयोग द्वारा 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में स्कूली शिक्षा

गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में बिहार को दूसरे सबसे निचले स्थान पर रखा गया था। वर्तमान में बिहार के सरकारी स्कूलों में कर्मचारियों की 40 प्रतिशत रिक्तियां हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों में से मात्र 21 प्रतिशत ही 10वीं कक्षा पास कर पाए हैं (बिहार के शिक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, वाईकेए, मालविका द्वारा डेमोक्रेसी अड्डा, बिहार, शिक्षा, शासन, 19 अक्टूबर 2020)। (63.86), लखीसराय (62.42) और भागलपुर (63.14), जिन्हें 60.01 से 65 प्रतिशत के बीच मध्यम साक्षरता दर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। कैमूर (69.34), जहानाबाद (66.80), अरवल (67.43), सारण (65.95), सीवान (69.45), गोपालगंज (65. 47) और वैशाली (66.60) नामक सात जिले हैं, जिन्हें 65.01 से 70 प्रतिशत के बीच मध्यम स्तर की साक्षरता दर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन पटना (70.68), भोजपुर (70.47), बक्सर (70.14), रोहतास (73.37) और मुंगेर (70.40) नामक छह जिले हैं और औरंगाबाद (70.32) को 70 प्रतिशत से अधिक साक्षरता दर के उच्च स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और ये सभी पांच जिले बहुत उच्च साक्षरता दर वाले हैं जो दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित हैं और इनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 70.04 प्रतिशत से अधिक है। शिक्षा के स्तर शिक्षा हमें विभिन्न क्षेत्रों और तकनीकों के बारे में ज्ञान, कौशल, जानकारी प्रदान करती है, जो हमें अपने परिवार, समाज और सबसे बढ़कर अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाती है। यह हमें अपने आस-पास की दुनिया को समझने की दृष्टि देती है और हमें अपने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनाती है। किसी भी क्षेत्र को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब हम भारत और बिहार जैसे राज्यों में साक्षरता दर के स्तर पर नजर डालते हैं, तो हम पाते हैं कि उच्च साक्षरता दर वाले क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित हैं और कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढाँचा है। शिक्षा हमें ज्ञान, कौशल, संस्कृति, मूल्यों और समाजों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के माध्यम से विभिन्न समाजों के बीच की खाई को कम करने में मदद करती है। विकास के लिए प्रयासरत हमारा समाज शिक्षा के महत्व को समझता है, जिसे अच्छे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। हमें इस समकालीन, प्रतिस्पर्धी और औद्योगिक दुनिया में लड़ने के लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षित समाज द्वारा युवा पीढ़ी का बेहतर पालन-पोषण किया जा सकता है, ताकि वे अशिक्षितों की तुलना में अपने परिवेश के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठा सकें। ज्ञान के क्षितिज को बेहतर और प्रामाणिक शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है क्योंकि समाज के व्यवहारिक पहलू यहां तक कि व्यक्ति भी शिक्षा और साक्षरता दर पर निर्भर करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाती है, गरीबी को दूर करती है, महिलाओं को सशक्त बनाती है, अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है, उच्च आय हासिल करने में मदद करती है, समस्याओं को हल करने के लिए कौशल विकसित करती है, समृद्ध और खुशहाल जीवन प्रदान करती है, सभी के लिए समान अवसर पैदा करती है और सबसे बढ़कर अर्थव्यवस्था में सुधार करती है। बिहार प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था और दो प्रमुख विश्वविद्यालयों, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का घर था और अब इसे प्राचीन भारत के शैक्षणिक संस्थानों के अवशेषों का घर माना जा सकता है। नीति आयोग द्वारा 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में बिहार को दूसरे सबसे निचले स्थान पर रखा गया था। वर्तमान में बिहार के सरकारी स्कूलों में कर्मचारियों की 40 प्रतिशत रिक्तियां हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों में से मात्र 21 प्रतिशत ही 10वीं कक्षा पास कर पाए हैं (बिहार के शिक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, वाईकेए, मालविका द्वारा डेमोक्रेसी अड्डा, बिहार, शिक्षा, शासन, 19 अक्टूबर 2020)।

निष्कर्ष:

बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है और जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 25.42 प्रतिशत है, जबकि पूरे भारत में यह 17.70 प्रतिशत है। 1951 से जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है और जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। 1951 से 2011 तक छह दशकों में, जनसंख्या वृद्धि दर 1991 में 0.78 प्रतिशत अंक और 2011 में 3.2 प्रतिशत अंक घटी। 1951 से 2011 तक, 14.84 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। इसलिए बिहार को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी जो जाति, पंथ, धर्म और उनकी वित्तीय क्षमता के बावजूद हर छात्र को उचित शिक्षा सुनिश्चित करे। आर्थिक बाधाओं के कारण बिहार के लिए इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना बहुत मुश्किल लगता है। स्कूली आयु वर्ग के बच्चों की अधिक संख्या के कारण, अधिक शिक्षकों, स्कूलों और कक्षाओं की आवश्यकता होती है, जो बिहार में पहले से ही तनावग्रस्त शिक्षा प्रणाली पर दबाव डालता है। अत्यधिक तनावग्रस्त शिक्षा प्रणाली के कारण, सीमित शिक्षा बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक भीड़भाड़ हो गई है, जिससे छात्रों का दूसरे राज्यों में पलायन होता है। छात्रों के इस पलायन को रोकने के लिए, बिहार को बड़े स्कूल बनाने और शिक्षक-छात्र अनुपात को कम करने की आवश्यकता है, ताकि छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। बिहार में शिक्षा प्रणाली के विकास में अधिक जनसंख्या हमेशा एक बड़ी बाधा रही है। 1951 से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है, जो 1951 में 13.49 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 61.80 प्रतिशत हो गई है। इस तथ्य के बावजूद, बिहार ने जनगणना वर्ष 2011 में सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम साक्षरता

दर दर्ज की। यदि हम बिहार में जनसंख्या वृद्धि (आश्रित चर) और साक्षरता दर (स्वतंत्र चर) की प्रवृत्ति के बीच सहसंबंध की कार्ल पियर्सन विधि के माध्यम से सहसंबंध का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि सकारात्मक सहसंबंध +0.8003 का उच्च स्तर है और 95: विश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण है। जिला स्तरीय विश्लेषण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता दर के साथ-साथ बिहार में शिक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए चुने गए सोलह अन्य चर में अंतर-राज्य असमानता है। यह देखा गया है कि उत्तर बिहार में स्थित जिलों में साक्षरता दर कम और जनसंख्या वृद्धि अधिक है। पांच जिले, मधेपुरा (31.12), किशनगंज (30.40), अररिया (30.25), खगड़िया (30.19) और पूर्वी चंपारण (29.43), जनसंख्या वृद्धि दर में उच्च स्थान पर हैं और उत्तर बिहार में स्थित हैं, जबकि पांच जिले, जिनमें उच्च साक्षरता दर दर्ज की गई है, जैसे रोहतास (73.37), पटना (70.68), भोजपुर (70.47), मुंगेर (70.46) और औरंगाबाद (70.32) दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित हैं। यदि हम समग्र-स्कोर द्वारा प्राप्त शिक्षा के स्तर पर जाएं, तो हम पाते हैं कि केवल चार जिले, पटना, गया, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर सकारात्मक दिशा में दर्ज किए गए हैं, जो दर्शाता है,

सन्दर्भ सूची

1. समाज कल्याण मार्च, 2024, पृ० 11।
2. रानू शर्मा, लक्ष्य से दूर ग्रामीण नारी, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ० 170-711
3. रानू शर्मा, लक्ष्य से दूर ग्रामीण नारी, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ० 62-68
4. शीला सजूला एवं चुन्नीलाल सलूजा, कामकाजी महिलायें समस्यायें एवं समाधान, पुस्तक महल दिल्ली, 2001, पृ० 138-1391
5. Coker, A., Smith, P., Bethea, L., King, M., & McKeown, R. (2000). Physical health conswquences of physical and psychological intimate partner violance. Arch Fam Med, 42, 451-457.
6. Coker, A., Smith, P., Bethea, L., King, M. & McKeown, R. (2000). Physical health consequences of physical and psychological intimate partner violence. Archives of Family Medicine, 9(5), 451-457
7. Collet BJ, Cordle CJ, Stuart CR, Jagger C. A(1998). Comparative study of Women with chronic pelvic pain, chronic non pelvic pain and those with no history of pain attending general practioners. Br J Obstet Gynaecol 105 : 87-92.
8. Dutton, M.A., Green, B., Kaltman, S., Roesch, D., Zeffiro, T. & Krause, E. (2006). Intimate partner violence, PTSD, and adverse health outcomes. Journal of Interpersonal Violence, 21(7), 955-968.
9. ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) (1992). Domestic Violence against Women in Latin America and the Caribbean. Proposal for Discussion Social Development Division; Santigo Chile. Griso JA, Schwarz DF, Hirschininger N et al.(1999). Violent injuries among Women in Urban areas. N Engl J Med ; 341 : 1899-1905.
10. Henning, K., & Klesges, L.M (2003). Prevalence and characteristics of psychological abuse reported by courtinvolved battered women. Journal of Interpersonal Violence, 18(8), 857-871.
11. Kaukinen, C. (2004). Status compatibility, physical violence, and emotional abuse in intimate relationships. Journal of Marriage and Family, 66(2), 452-471
12. Caldwell, John C. (1980) Mass Education as a Determinant of the Timing of Fertility Decline. Population and Development Review 6: 2, 225–255.
13. Deaton, A. and C. Paxton (2000) The Effects of Economic and Population Growth on National Savings and Inequality. Demography 34, 97–114.
14. Mahbub - ul - Haq Development Centre (2008) Human Development in South Asia 2007: A Ten Year Review. Oxford University Press.
15. Singh, S, J Darroch, L Ashford and M Vlassoff.2009. Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and Maternal and Newborn Health. New
16. United Nations Population Division.2004. World Population Monitoring 2003: Population, Education and Development. New York: UN Population Division.
17. Shahid Imam, "Spatio - Temporal Variation in Population Growth of South Bihar Plain: A District Level Study (1901 - 2011) ", International Journal of Science and Research, (IJSR), Volume 9 Issue 8, August 2020, 1142 - 1153
18. Women's Health", Population Geography a Journal of the association of population, Geographers of India, Vol.19 No. l &2 PP: 29 - 46.

समकालीन हिन्दी कहानियों में दलित विमर्श

डॉ० उपासना

प्रवक्ता, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, शाहदरा, दिल्ली

हिन्दी में दलितों को विषय बनाकर कहानी-लेखन की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ऐसी कहानियों की रचना प्रेमचन्द-युग से लेकर अद्यतन युग तक हो रही है। इन कहानियों में जहाँ रूढ़ि, अन्धविश्वास, वाह्याडम्बर आदि पर प्रहार किया गया है, वहाँ वर्ण-व्यवस्था, नस्ल-भेद और जाति-पाँति आदि का भी विरोध किया गया है।

यह अन्य बात है कि बहुत-सी दलित कहानियों में शास्त्रीयता का अभाव है, मगर उनमें दलित जीवन के भोगे हुए यथार्थ सामन्ती आतंक और मनुवादी व्यवस्था का बड़ा ही सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है।

हिन्दी के समकालीन दलित कहानीकारों में मोहन नैमिषराय, ओमप्रकाश वाल्मीकि, भयोराज सिंह 'बेचैन', रमणिका गुप्ता, दयानन्द बटोही, सुशीला टाँकभौरे, डॉ. शत्रुघन कुमार, स्वरूपचन्द बौद्ध, गिरिराजशरण, ठाकुर प्रसाद राही, सत्यप्रकाश, प्रह्लादचन्द दास, रजतरानी मीनू, कर्मशील भारती, मुकेश मानस आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक विद्रूपता तथा दलितों की विडम्बनापूर्ण स्थिति का बड़ा ही यथार्थ चित्र उकेरा गया है। समकालीन दलित कहानियों में मोहन नैमिषराय लिखित 'आवाजें' कहानी-संग्रह को काफी ख्याति मिली है। इसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित 'सलाम' और 'घुसपैठिए' कहानियाँ भी खूब चर्चित हुई हैं। 'हंस' सहित अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित विपिन बिहारी के कहानी-संग्रह 'पुनर्वास', 'अपना मकान', 'आधे पर अन्त' को भी काफी प्रसिद्धि मिली है। डॉ. कुसुम वियोगी की कहानी-पुस्तक 'समकालीन दलित कहानियाँ', 'चर्चित कहानियाँ', 'दलित महिला कथाकारों की चर्चित कहानियाँ', और 'चार इंच की कलम' में भी समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था का पर्दाफाश किया गया है। जय प्रकाश कर्दम का कहानी-संग्रह 'सांग' और सूरजपाल चौहान का 'हैरी कब आयगा' कहानी-संग्रह भी काफी चर्चित रहा है। रमणिका गुप्ता की कहानी 'बहुजुठाई', 'दलित कहानी संचयन, दूसरी दुनिया का यथार्थ' आदि कहानी-संग्रह भी समकालीन दलित रचनाओं में विशेष स्थान रखता है।

समकालीन दलित-कहानियों में ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी 'सलाम' एक चर्चित कहानी हैं इस कहानी में प्राचीन काल से दलित समाज में प्रचलित 'सलाम' की रूढ़िवादी प्रथा पर प्रहार किया गया है। यह प्रथा दलित-समाज की हीनता और अपमान को दर्शाती है। विवाह के अवसर पर बेटी की विदाई के दिन दलित दुल्हे को गाँव के बड़े लोगों और सवर्णों के यहाँ गाजे-बाजे के साथ ले जाया जाता है। दलितों की स्त्रियाँ गीत गाती रहती हैं। दुल्हे को मालिक-मालकिन या उनके परिवार को सलाम करना पड़ता है और उस सलाम के बदले दुल्हे को फटे-पुराने कपड़े या टूटे-फूटे बर्तन दे दिये जाते हैं। मगर इन सामानों की प्राप्ति के बदले मालिक या मालकिनी से उसे खरी-खोटी भी सुननी पड़ती है तथा अपमानित भी होना पड़ता है। लेखक ऐसी प्रथा का विरोध इस कहानी के माध्यम से करता है। वह दलितों में यह भावना भरना चाहता है कि मालिक-मालकिनी के पास जाकर सलामी के बहाने कुछ माँगना अपने आपको ओछा दिखलाना है। इससे उसके स्वाभिमान पर भी धक्का पड़ता है।

इसी प्रकार मोहनदास नैमिषराय लिखित 'कर्ज' शीर्षक कहानी में भी दलित-चेतना की व्यंजना हुई है। इसमें लेखक ने दलित-जीवन के आर्थिक पक्ष को सामने रखा है और बताया है कि दलित लोग किस प्रकार कर्ज में ही जन्म लेते, कर्ज में ही पलते और कर्ज में ही मर जाते हैं तथा उनकी सन्तानों को कर्ज चुकाने के लिए महाजन तंग करता है, प्रताड़ित करता है।

इस कहानी के नायक अशोक के पिता की चालीस-पैंतालीस वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के कारण कर्ज का बोझ, महाजन के यहाँ बेगारी करना और बेटी कमला की शादी की चिन्ता थे। अशोक को हाल ही में शहर के एक छोटे से मिल में नौकरी लगी थी। उसे आशा थी कि वह पिता द्वारा लिए गये कर्ज को तो सधा ही देगा, कमला की भी शादी कर लेगा, मगर उसकी आशा पूरी न हो सकी। गाँव के महाजनों ने उसे पिता का श्राद्ध करने को कहा। मगर शहर में रहने वाला अशोक इस रूढ़ि को मानने को तैयार न था क्योंकि कर्ज लेकर श्राद्ध करना वह उचित न समझता था। मगर महाजनों ने पंचायत बैठा दी। पंचायत में इस नये विचार के अशोक को खूब प्रताड़ित किया गया और उसकी बुरी तरह पिटाई भी कर दी गयी। एक महाजन उससे यह भी स्वीकार करवाना चाह रहा था कि उसके (अशोक के) पिता ने उससे जो कर्ज लिया था, वह बाकी ही रह गया।

अशोक पिटाई खाकर घर लौट आया और दूसरे ही दिन नौकरी पर चला गया। मगर उसे आशंका थी कि कहीं उसकी माँ और बहन के साथ कोई अनहोनी न हो जाय। हुआ भी ऐसा ही। उसकी माँ और बहन के साथ बलात्कार कर महाजन ने उन दोनों की हत्या करवा दी। यह सूचना मिलते ही अशोक शहर से आ गया। उसने खून से लथपथ अपनी माँ और बहन की लाश एक खेत में देखी और वह

चुपचाप रात के समय महाजन की कोठरी में पहुँच गया। उसने दीवार पर टँगी महाजन की बन्दूक उठा ली और उसे उन पर तान दिया। महाजन के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसने गोली चलाकर उसकी हत्या कर ही दी। जो कारिन्दे और नौकर-चाकर उन्हें बचाने के लिए वहाँ आये थे, उन सबकी हत्या भी अशोक ने कर दी। उसे लगा जैसे उसने उन सभी दलितों का कर्ज उतार दिया जिसकी इज्जत महाजन लूटता था और उन्हें प्रताड़ित भी करता था। इस कहानी का अंत यहीं हो जाता है।

इस कहानी में दलित-समस्या का बड़ा ही यथार्थ चित्र उकेरा गया है। 'दलित चेतना का इतना आक्रामक और तीखा रूप शायद ही देखने को मिले। इस कहानी द्वारा दलितों को सामाजिक विसंगतियों और दलित-शोषण के विरूद्ध आक्रामक तेवर अपनाने और प्रतिकार लेने की प्रेरणा दी गयी है।'[1]

समकालीन कहानियों में जयप्रकाश कर्दम लिखित 'नोवार' भी एक ऐसी कहानी है जिसमें सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष किया गया है। एक सवर्ण पिता ने अपनी लड़की की शादी के लिए अखबार में विज्ञप्ति निकलवायी - 'वांटेड ए सूटेबुल ग्रूम फॉर एम. ए. , 24/158 सी. एम. व्हीटिश, स्लीम, शार्प फिचर्ड गर्ल ..... हाईली एजुकेटेड प्रोग्रेसिव फैमिली, नो कास्ट बार।' यह विज्ञप्ति देखकर एक सुशिक्षित दलित लड़के राजेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपना बायोडाटा लड़की के पिता के पास भेज दिया। एक सप्ताह बाद राजेश को लड़की वाले के यहाँ आने का आमंत्रण मिला। राजेश वहाँ आ पहुँचा। लड़के को लड़की पसन्द आ गयी और लड़की को भी लड़का पसन्द आ गया। मगर शादी होते-होते न हुई क्योंकि लड़की के पिता को एक निम्न जाति के लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना उचित न लगा। उन्होंने राजेश से कहा -

"..... हम जाति-पाँति नहीं मानते और हमारे 'मैट्रीमोनियल में भी 'नो कास्ट बार' छपा था, फिर भी कुछ चीजें तो देखनी ही पड़ती हैं। आखिर 'नो बार' का यह मतलब तो नहीं कि हम किसी चमार-चूहड़े के साथ .....।'[2]

यह सुनते ही राजेश हक्का-बक्का रह गया और वहाँ से चला गया। यहीं यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में यह बताया गया है कि जाति-व्यवस्था समाज के लिए एक अभिशाप है।

दयानन्द बटोही लिखित 'सुरंग' कहानी में भी दलित-चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। एक दलित छात्र शोध-कार्य करना चाहता है मगर ब्राह्मण जाति के विभागाध्यक्ष डॉ. विष्णु को जब इस बात का पता चल जाता है कि शोध-कार्य करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हरिजन है तो, वे उसे तरह-तरह से बाधा पहुँचाने का काम करते हैं। आखिर वह मामला छात्र-संघ तक और वाइस चांसलर तक पहुँच जाता है। वाइस चांसलर डॉ. विष्णु को लिखते हैं - 'हेड, प्लीज कन्सीडर द केस'। छात्र-संघ के लड़के डॉ. विष्णु का घेराव करते हैं। बड़ी-बड़ी मुश्किल से डॉ. विष्णु जब बाहर आते हैं तो वे उस छात्र का आवेदन स्वीकार लेते हैं। यहीं कहानी समाप्त हो जाती है।

इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार दलित छात्र शिक्षण- संस्थानों में भी प्रताड़ित किये जाते हैं और बिना किसी कारण के उन्हें परेशान किया जाता है।

समकालीन कहानियों में ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित 'जूठन' भी बहुचर्चित कहानी है। यह उनकी आत्मकथा है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार दलित छात्रों के प्रति विद्यालयों में दुर्व्यवहार किया जाता है। वहाँ प्यासे दलित छात्रों को पानी भी नहीं पीने दिया जाता है तथा उन्हें भाँति-भाँति की यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। सवर्णों की ही भाँति मुस्लिम लड़के भी उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। इन अछूतों को बड़े घर में होने वाले उत्सव के अवसर पर जूठन उठाना पड़ता है। सुखदेव सिंह की बेटी के विवाह के अवसर पर लेखक की माँ को जूठन उठाने के क्रम में काफी प्रताड़ना मिली थी। लेखक भी अपनी माँ के साथ वहाँ गया था।

इसी प्रकार, सूरजपाल चौहान लिखित 'तिरस्कृत' ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित 'शाल का पेड़', प्रह्लाद चन्द्र दास लिखित 'लटकी हुई शर्त', राजेन्द्र यादव लिखित 'दो दिवंगत' आदि कहानियों में भी दलितों की दु:स्थिति का बड़ा ही कारुणिक चित्र उकेरा गया है।

nfyr&dgkfu;kadsl Eccaekeajkt sUnz;kno usvi uhfVi .kh nhgS& ^Hkkjrh; lkfgR; eamiyC/kk vc rd dh dgkfu;kadks nsk dj ;gh yxrk gSfd xjhch] vf'k{kk] 'kks"k.k vkSj o.kZO;oLFkk&t fur nkalkadks>sy rk gq;k nfyr&l ekt vkt Hkh vi uh mUgha l eL; kvkals tw jgk gSA nfyr dgkfu;k mUgha n[k] i hMk vkØks k vkS fonzkg dh i fjorZd kjh vfHO;fDr gSA[3]

'शैलेश मटियानी' ने भी 'गोपुली गफूरन', 'हत्यारे' आदि समकालीन कहानियों में दलित-जीवन की त्रासदी का बड़ा ही सजीव चित्रांकण किया है। उनका कहानी-साहित्य भारतीय समाज के पिछड़े, वंचितों और आर्थिक रूप से विपन्न निम्नवर्गीय जीवन से सम्बद्ध रहा है।[4]

जो भी हो, इतना तो मानना ही होगा कि 'दलित-कहानियों की अपनी भिन्न ही विशेषताएँ हैं जिनमें दलितों के जीवन की वास्तविकता उभरी है।'[5]

इस प्रकार उपरिलिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि हिन्दी की समकालीन कहानियों में दलित चेतना की अभिव्यक्ति यथार्थ के धरातल पर हुई है।

सन्दर्भ-सूची:

1. दलित विमर्ष और दलित साहित्य, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, पृ.सं. 105
2. हरिनारायण ठाकुर - दलित साहित्य का समाजशास्त्र, प्र.सं. 2009, भारतीय ज्ञानपीठ, 18 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली, पृ.सं. 418
3. सं. एम. फीरोज अहमद - वाङ्मय, दलित विशेषांक अंक, वर्ष-2, अंक-8, जनवरी-मार्च 2006, पृ.सं. 131
4. डॉ. छेदी पासवान - हिन्दी की दलित कहानियाँ: एक सर्वेक्षण, शारदा प्रिंटिंग प्रेस, आगरा, प्र. सं., पृ.सं. 64
5. उपरिवत्, पृ.सं. 66.

इतिहास के सभी कालों में (प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक) में प्रचलित न्याय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ० गौरी कुमारी

सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, सर्व नारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय, सहरसा

सारांश

समाज का अस्तित्व सुचारू रखने के लिए समाज में व्यवस्था होना अति आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में सुव्यवस्था न हो तो हमारा सामाजिक जीवन नष्ट हो जाएगा एवं समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी एवं लोगों का जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाएगा। इस अव्यवस्था भरे जीवन में लोग अपने को असुरक्षित अनुभव करेंगे।

समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज में व्यवस्था आवश्यक है। अतः समाज को व्यवस्थित रखने के लिए अपराधियों में दण्ड का भय आवश्यक है। यदि अपराधियों में दण्ड का भय न हो तो जिस प्रकार एक तालाब में एक बड़ी मछली छोटी मछलियों का भक्षण करती है उसी प्रकार समाज में बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों को सताने लगेंगे।

प्राचीन धर्म ग्रंथो में विधि और न्याय प्रशासन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन वेद, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदो, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ आदि को न्याय व्यवस्था का आधार सूत्र मानते है।

प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल की न्याय प्रणालियों की तुलना में, यह स्पष्ट है कि समय के साथ न्याय की अवधारणा और प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है। प्राचीन काल में, न्याय अक्सर व्यक्तिगत बदला, धार्मिक अनुष्ठान और समुदाय की भागीदारी पर आधारित होता था। मध्य युग में, न्याय व्यवस्था अधिक केंद्रीयकृत हुई, लेकिन इसमें अभी भी धार्मिक और सामाजिक नियमों का प्रभाव था। आधुनिक काल में, न्याय व्यवस्था अधिक औपचारिक, कानूनी और वैज्ञानिक आधारित हुई है।

मूल शब्दः इतिहास, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, प्रचलित, न्याय व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली

प्रस्तावना

समाज में सभी मनुष्य समान नहीं होते हैं। कुछ स्वभाव में सरल एवं सीधे एवं कुछ व्यक्ति झगडालू प्रकृति के होते हैं। इसलिए उनमें संघर्ष होता रहता है। इस संघर्षमय जीवन का मूल कारण खोजकर दोषी व्यक्ति को उसके दोष के आधार पर दण्ड देना, कानून व्यवस्था बनाए रखना आदि के कार्यों के लिए न्याय व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है।

न्याय व्यवस्था, जिसे न्यायिक प्रणाली भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रणाली है जो विवादों का निपटारा करती है और कानून का पालन सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली न्यायालयों, कानूनी प्रक्रियाओं और लोगों से मिलकर बनी होती है जो कानून की व्याख्या और उसे लागू करने में शामिल होते हैं।

न्याय व्यवस्था वैदिक युग में ही स्थापित होना प्रारम्भ हो गई थी। बाद में मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, नारद, शुक्र आदि स्मृतिकारों एवं धर्मसूत्रों में इसे और अधिक विधिवत बनाया गया। सूत्र साहित्य में विधि का मुख्य आधार वेदों को ही माना गया। जब राज्य की स्थापना हुई तो राजा को न्याय प्रशासन का कार्य सौंपा गया।

न्याय का दर्शनः प्राचीन विचारों से आधुनिक न्याय प्रणाली तक

"न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को वह देना जिसका वह हकदार है। यह अधिकार, ईमानदारी, समानता और कानून के पालन की पुष्टि से जुड़ा है।" न्ध्याय के अन्ध्य निकटवर्ती अर्थ हैं - ईमानदारी, समानता, अधिकार की पुष्टि, कानून का प्रशासन आदि। न्याय अति महत्तवपूर्ण नैतिक और राजनीतिक अवधारणाओं में से एक है जिसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं है पर न्याय होने की बात विशिष्ट परिस्थितियों और सांस्कृतिक संदर्भो में निकल कर आती है।

न्याय की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि हमारी सभ्यता है। कोई भी समुदाय या समाज बिना न्ध्याय के नहीं बना रह सकता। ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी इस तथ्य का पता चलता है कि एक सभ्य समाज अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय के अस्तित्व

के बिना नहीं रह सकता। जिन सभ्यताओं में न्यायपूर्ण व्यवस्था की उपस्थिति नहीं थी, वे समय के साथ लुप्त हो गईं। संक्षेप में न्याय किसी भी समाज, समुदाय एवं राष्ट्र के सबसे खास स्तंभों एवं समतापूर्ण विकास की आधारशिला है।

समाज में न्याय को केवल कानूनों की सही व्याख्या और उनके पर्याप्त पालन से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि न्याय एवं निष्पक्षता निकट से जुड़े हुए शब्द हैं।

न्याय का एक तीसरा एवं महत्तवपूर्ण अर्थ, मूल्यांकन परकता के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सही या गलत की एक न्यूनतम सीमा लागू होनी चाहिए। किसी कार्य को इस आधार पर देखा जाना चाहिए कि उससे संबंधित मूल्य क्या हैं और वह उस मूल्घ्य की कसौटी पर कितना खरा उतरता है।

यह स्वीकार किया गया है कि न्याय एक विकासवादी अवधारणा है। किसी न किसी तरह से न्याय का विचार हमेशा राजनीतिक विचारधारा, धर्म, सांस्कृतिक असहिष्णुता, गरीबी और अभाव, लैंगिक भेदभाव, मानवाधिकारों का उल्लंघन, असमानता, अन्य सामाजिक बाधाओं के बीच से विकसित होता आया है। इसलिए यह आसानी से देखा जा सकता है कि जिन समाजों में समय के साथ-साथ प्रगति हुई है वहां प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय को शामिल करने की आवश्यकता को महसूस किया गया और सत्ता में बैठे लोगों का दृष्टिकोण अधिक सतर्क और व्यवस्थित होता गया।

न्याय के प्राचीन भारतीय संदर्भों को देखें तो यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल का न्यायशास्त्र कानून के शासन पर आधारित था और राजा स्वयं कानून के अधीन था। भारतीय राजनीतिक सिद्धांत और न्यायशास्त्र में मनमानी शक्ति का अस्वीकार करके, शासन करने का अधिकार कर्तव्यों के पालन के अधीन रखा गया। कर्तव्य के उल्लंघन का परिणाम राजत्व के हनन के रुप में देखा समझा गया।

प्राचीन ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि "जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की शपथ लेने के बाद भी उसकी रक्षा करने में असफल रहता है, उसे पागल कुत्ते की तरह मार डालना चाहिए।" इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है कि "लोगों को उस राजा को मार डालना चाहिए जो उनकी रक्षा नहीं करता, उन्हें उनकी संपत्ति और परिसम्पत्तियों से वंचित करता है और जो किसी से कोई सलाह या मार्गदर्शन नहीं लेता। ऐसा राजा, राजा नहीं बल्कि दुर्भाग्य है।" ये प्रावधान संकेत देते हैं कि यदि राजा न्यायिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता था, तो वह अपना राजत्व खो देता था।

मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक समय में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार किया है: "अपनी प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता निहित है; उनकी भलाई में उसकी ही भलाई है; जो कुछ भी उसे अच्छा लगता है, उसे वह अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन जो उसकी प्रजा को अच्छा लगता है, उसे वह अच्छा मानेगा।" इसी किताब के अनुसार न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए राज्य को कुछ इकाइयों में विभाजित किया गया। इन इकाईयों में न्यायालय स्थापित किए गए और इनमें न्यायविद (धर्मस्थ) और मंत्री (अमात्य) नियुक्त होते थे। महान न्यायविदों मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति आदि एवं बाद के समय में वाचस्पति मिश्र और अन्य टीकाकारों ने प्राचीन काल से लेकर मध्य युग के अंत तक भारत में प्रचलित न्यायिक प्रणाली और कानूनी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है।

प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में, न्याय का संबंध अधिकारों की धारणा से अधिक अपने बताए गए कर्तव्यों के पालन से था। प्राचीन भारतीय परंपरा में, न्याय से संबंधित दो दृष्टिकोण थे पहना दंडनीति और और दूसरा था धर्म या कर्तव्य। 'दंडनीति' न्याय की दंड संबंधी आधुनिक धारणाओं के बहुत निकट थी। इसने न्याय के कानूनी पहलू पर बल दिया। धर्म, वर्णाश्रम संबंधी कर्तव्यों की संहिता का दूसरा नाम था और इस तरह से न्याय, धर्म के साथ सद्गुणी आचरण के साथ संयुक्त होकर विकसित हुआ।

मध्ययुग में मुगल साम्राज्य के तहत देश में शासन की एक कुशल प्रणाली थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय की प्रणाली आकार ले चुकी थी। न्यायिक प्रशासन की इकाई काजी थी। प्रत्येक प्रांतीय राजधानी का अपना काजी होता था और न्यायिक प्रशासन का मुखिया साम्राज्य का सर्वोच्च काजी (काजी-उल-कुजात) होता था। इसके अलावा, प्रत्येक शहर और हर बड़ा गांव या कस्बा में अपना काजी होता था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में लोहे की जंजीरें लगाई गईं ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बादशाह से न्याय पाने का अनुरोध कर सके। इससे मध्ययुग में भी न्घ्याय की अवधारणा और राजत्व के घनिष्ठ संबंध का पता चलता है।

आधुनिक समय में भी कई भारतीय विचारकों ने भी न्याय पर अपनी बात कही है। महात्मा गांधी के अनुसार, ''सच्चा न्याय सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं और अदालतों द्वारा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता और आत्म-नियम के माध्यम से प्राप्त होता है।" अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा सभी मनुष्यों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए है। वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे जो जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य और मनुष्य के बीच उचित संबंधों पर आधारित हो। एक तर्कवादी और मानवतावादी के रूप में, उन्होंने धर्म के नाम पर मनुष्य द्वारा मनुष्य के किसी भी प्रकार के पाखंड, अन्याय और शोषण को अस्वीकार किया।

पश्चिमी दार्शनिक आम तौर पर न्याय को पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित करने और एक स्थिर राजनीतिक समाज की स्थापना एवं उसे बनाए रखने के लिए सभी गुणों में सबसे आवश्यक गुण में एक मानते हैं।

प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार, न्याय एक ऐसा गुण है जो तर्कसंगत व्यवस्था को स्थापित करता है। इस व्यवस्था का प्रत्येक भाग अपनी उचित भूमिका निभाता है और अन्य भागों के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता है। प्लेटो के ही शिष्य और महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तू ने कहा कि न्याय में वही तत्व शामिल होते है जो कि वैध और निष्पक्ष हैं। न्याय में निष्पक्षता का व्यवहार हो और समान वितरण की भावना के साथ जो असमान है, उसका सुधार होना शामिल है।

आधुनिक युग के अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम ने न्याय के बारे में कहा कि न्याय अनिवार्य रूप से संपत्ति की रक्षा करके उसे एक सार्वजनिक उपयोगिता प्रदान करता है और न्याय का व्यापक रूप से यही कार्य समझा जाता है।

महान दार्शनिक कांट ने कहा कि न्याय एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम दूसरों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान करते हैं। न्याय तब होता है जब लोगों के स्वैच्छिक कार्यों में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हो जब तक कि वे किसी दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

न्याय संबंधी अवधारणा के सबसे चर्चित समकालीन विचारक रॉल्स ने न्याय का विश्लेषण समाज के सभी सदस्यों के लिए बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में अधिकतम समान स्वतंत्रता के संदर्भ में किया है। ऐसा समाज जिसमें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के हल के लिए सभी के लिए समान अवसर और लाभकारी परिणामों के संदर्भ में नैतिक औचित्य की आवश्यकता होती है।

न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारतीय संविधान के निर्माता देश में न्याय की स्थापना की आवश्यकता के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इसे भारतीय संविधान में शामिल किया जाए। प्रस्तावना के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 भी संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय के विचार को दर्शाते हैं। ये सभी अनुच्छेद संविधान के भाग तीन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं जो प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39क के अंतर्गत 'समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता' से संबंधित प्रावधान निहित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में न्य्याय की अवधारणा मिलती है।

भारतीय संविधान में न्याय के तीन प्रकार परिभाषित किये गये हैं:-सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।

सामाजिक न्याय का अर्थ है अधिक से अधिक लोगों का कल्याण और असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, मूलवंश या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना अपने व्यक्तिगत विकास के लिए समान सामाजिक अवसर उपलब्ध हों। सामाजिक न्याय की यह अवधारणा सामाजिक समानता के अभ्यास पर आधारित है। सामाजिक न्याय ऐसी व्य्यवस्थ्था है जहां, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं किया जाता है।

आर्थिक न्याय का तात्पर्य है आर्थिक अवसर प्रदान करना, आर्थिक समानता देना और आर्थिक अक्षमता को दूर करना। इसे हमेशा सामाजिक न्याय के तहत लागू किया जाता है। सभी के बीच आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों के बीच कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। किसी को भी उसकी आर्थिक स्थिति के कारण किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

राजनीतिक न्याय का आशय है राजनीतिक मनमानी से मुक्त व्यवस्था। सरकार के कामकाज में राजनीतिक निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति को देख कर कोई लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए और उसके साथ हर दूसरे नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। हर कानून हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे उसकी राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो।

आज के समय में न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षक है, यह मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय संविधान के तहत दिए गए तीनों प्रकार के न्याय को लागू करने में खास भूमिका निभाती है।

देश में न्याय की स्थापना और संविधान की प्रस्तावना में दी गई न्याय की अवधारणा को साकार करने में न्यायपालिका ने खास भूमिका निभाई है। इस संबंध में न्यायपालिका का दृष्टिकोण प्रगतिशील रहा है और इसने अपने निर्णयों के माध्यम से यह दर्शाया है कि न्याय एक विकसित और कानून का पालन करने वाले समाज का एक अनिवार्य घटक है।

प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक समय की न्याय प्रणालियों की तुलना

प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक समय की न्याय प्रणालियों की तुलना में, यह स्पष्ट है कि समय के साथ न्याय की अवधारणा और प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है। प्राचीन काल में, न्याय अक्सर व्यक्तिगत बदला, धार्मिक अनुष्ठान और समुदाय की भागीदारी पर आधारित होता था। मध्य युग में, न्याय व्यवस्था अधिक केंद्रीयकृत हुई, लेकिन इसमें अभी भी धार्मिक और सामाजिक नियमों का प्रभाव था। आधुनिक काल में, न्याय व्यवस्था अधिक औपचारिक, कानूनी और वैज्ञानिक आधारित हुई है।

प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा

प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा व्यक्तिगत बदला, सामाजिक नियमों और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित थी। उदाहरण के लिए, पुराने समय में, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाता था, तो उस व्यक्ति के परिवार या समुदाय से बदला लेने की उम्मीद की जाती थी।

न्यायिक प्रक्रिया

प्राचीन काल में, न्याय प्रक्रिया अक्सर औपचारिक नहीं होती थी। आम तौर पर, समुदाय के सदस्य मिलकर मामलों को सुलझाते थे।

उदाहरण

कई प्राचीन संस्कृतियों में, न्याय प्रक्रिया में "अग्नि परीक्षा" या अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल थे।

मध्यकालीन काल में न्याय की अवधारणा

मध्ययुगीन काल में, न्याय व्यवस्था अधिक केंद्रीयकृत हुई, लेकिन इसमें अभी भी धार्मिक और सामाजिक नियमों का प्रभाव था। उदाहरण के लिए, मध्ययुगीन यूरोप में, न्याय व्यवस्था राजा या चर्च के द्वारा नियंत्रित की जाती थी।

न्यायिक प्रक्रिया

मध्ययुगीन काल में, न्याय प्रक्रिया अधिक औपचारिक हो गई, लेकिन इसमें अभी भी धार्मिक और सामाजिक नियमों का प्रभाव था।

उदाहरण

मध्ययुगीन भारत में, न्याय व्यवस्था में राजा, जमींदार और धर्मगुरु शामिल थे।

आधुनिक काल न्याय की अवधारणा

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद २६ जनवरी १९५० से भारतीय संविधान लागू हुआ। इस संविधान के माध्यम से ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नयी न्यायिक संरचना का गठन हुआ था। इसके अनुसार, भारत में कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं।

आधुनिक काल में, न्याय व्यवस्था अधिक औपचारिक, कानूनी और वैज्ञानिक आधारित हुई है। न्याय की अवधारणा में समानता, स्वतंत्रता और न्याय शामिल हैं।

न्यायिक प्रक्रिया

आधुनिक काल में, न्याय प्रक्रिया औपचारिक, कानूनी और वैज्ञानिक आधारित है। इसमें अदालतें, वकील और जूरी शामिल हैं।

उदाहरण

आधुनिक भारत में, न्याय व्यवस्था में अदालतें, वकील, जूरी और पुलिस शामिल हैं।

आधुनिक भारत में, न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कानून की व्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और नागरिकों को न्याय प्रदान करती है।

निष्कर्ष

न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कानून का पालन सुनिश्चित करना, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करना है।

प्राचीन काल में विधि अथवा न्याय प्रशासन को धर्म का ही एक अभिन्न अंग माना गया है इसीलिये विधि के अनुपालन में नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है। भारत के हिन्दू शासन काल में न्याय एवं दण्ड व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व शासक पर होता था क्योंकि इस काल में आम धारणा थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा उसके द्वारा किया गया हर कार्य चाहे वह न्याय ही क्यों न हो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार होगा व ईश्वर कभी गलत नहीं होता।

उसके आदेशों का पालन किया जाना चाहिये। इस काल में प्रायः लोग अपराधों से दूर रहते थे उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता था कि बुरे कार्य करेंगे तो पाप लगेगा या नर्क में जाएगें परिणाम स्वरूप अधिक अपराध नहीं होते थे। जो व्यक्ति दुराचरण करते थे

उन्हें कठोर दण्ड मिलता था। तत्कालीन न्याय प्रणाली मुख्यत: ''कर्तव्य" की भावना पर आधारित थी। ''कर्तव्य" का पालन न करने पर दण्डित किया जाना था।

प्राचीन भारत में प्रचलित रीतियाँ, रूढ़ियों तथा परम्पराओं को, हिन्दू कालीन विधि में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था उन्हें धर्म के प्रमुख स्त्रोतों के रूप में मान्यता दी गई है। न्यायालयों में भी रूढ़ियों को महत्व को विधि से बढ़कर माना है।

भारत अपनी न्याय प्रक्रिया व न्यायपालिका में अगाध विश्वास रखने वाला देश है। यह बात यहाँ आम बोलचाल से लेकर सिनेमा के संवादों तक में परिलक्षित होती है।

भारत में न्याय व्यवस्था के ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात की जाए तो वे कौटिल्य के समय, अर्थात् मौर्य काल से ही मिलते रहते हैं। हालाँकि यह अनेक वंशों, शासकों व धार्मिक परंपराओं से होकर गुजरी व सभी के अनुरूप इसमें बदलाव भी देखे गए। वर्तमान स्वरूप में भारतीय न्याय व्यवस्था की आधारशिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। 1773 में रेग्युलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद मार्च 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ भारतीय न्यायपालिका के वर्तमान स्वरूप की विकासयात्रा शुरू होती है। उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद क्रमश: 1800 व 1823 में बॉम्बे और मद्रास में भी सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना हुई और अंग्रेजी स्वरूप में भारतीय न्याय व्यवस्था ने पैर जमाने शुरू किये।

जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय की बात है तो भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत 1937 में लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में स्थापित संघीय न्यायालय वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था बना।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि न्याय का प्रवर्तन किसी राष्ट्र के बेहतर राजनीतिक जीवन के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। एक समावेशी और निष्पक्ष न्याय प्रणाली के बिना लोकतांत्रिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें सामाजिक समानता, आर्थिक अवसर, और राजनीतिक निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए न्याय को सशक्त करना होगा। न्याय का क्रियान्वयन मानव कल्याण और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अवधारणा को संविधान की प्रस्तावना के साथ-साथ भाग 3 और 4 में भी शामिल किया। यह सही है कि न्याय के तीनों रुप आदर्श रुप में हैं और इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य कठिन है लेकिन मानव कल्याण के लिए इनको अपनाना अनिवार्य है।

सन्दर्भ

1. नीति वाक्यामृतम समुदेश 28 श्लोक 23 पृष्ठ 158
2. नीति वाक्यामृतम समुदेश 28 श्लोक 5 पृष्ठ 155
3. रामायण, अयोध्या काण्ड 75, 58
4. शुक्रनीति अध्याय 4 श्लोक 6 पृष्ठ 278
5. नीति वाक्यामृतम समुदेश 28 श्लोक 22 पृष्ठ 158
6. एल्फिंस्टन - History of India
7. प्राचीन भारत में शासन पद्धति: अल्टेकर पृष्ठ 189
8. शुक्रनीति अध्याय 4 श्लोक 29 पृष्ठ 272
9. नीति वाक्यामृतम समुदेश 28 पृष्ठ 155
10. हेलहेड्स ऑन जेंटू लॉ (1776 संस्करण) लंदन । यह संहिता मनु, याज्ञवल्क्य, जीमूतवाहन, शूलपणि, पारिजात आदि की कृतियों पर आधारित है।
11. डॉ. पेंडसे एस.एन - Oaths and ordeals in Dharmasastras (1985) M.S. University- Vadodara Publication PP 296

बिहार में विरासत पर्यटन की संभावनाएँ: ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास का अध्ययन

डॉ० मनोज कुमार सिन्हा

इतिहास विभाग

सारांश

यह अध्ययन बिहार राज्य में विरासत पर्यटन की संभावनाओं का मूल्यांकन करता है, जिसमें ऐतिहासिक स्थलों की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। बिहार भारत का एक ऐतिहासिक रूप से समृद्ध राज्य है, जहाँ नालंदा, विक्रमशिला, बोधगया, राजगीर, वैशाली, और पावापुरी जैसे अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं। यह आलेख इस बात का विश्लेषण करता है कि इन स्थलों का संरक्षण, प्रचार-प्रसार, और पर्यटन के रूप में विकास किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और सांस्कृतिक पहचान को प्रोत्साहित कर सकता है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हुए यह भी समझने का प्रयास किया गया है कि किन बाधाओं के कारण विरासत पर्यटन का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, और किन रणनीतियों के माध्यम से इसे सुदृढ़ किया जा सकता है। आलेख का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि यदि इन स्थलों का समुचित प्रबंधन, अवसंरचना विकास और स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो विरासत पर्यटन बिहार के लिए एक प्रभावशाली आर्थिक इंजन सिद्ध हो सकता है।

मुख्य बिन्दु: बिहार, विरासत पर्यटन, ऐतिहासिक स्थल, क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक सशक्तिकरण, बौद्ध सर्किट, पर्यटन नीति, रोजगार, संरक्षित स्मारक

परिचय

भारत एक प्राचीन सभ्यता और विविध संस्कृति का देश है, जिसमें पर्यटन को न केवल आर्थिक विकास का साधन माना जाता है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सामाजिक समरसता और वैश्विक पहचान का आधार भी समझा जाता है। भारत के विविध राज्यों में से बिहार एक ऐसा राज्य है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है।[1] यह प्रदेश महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, आर्यभट, और अशोक महान जैसी ऐतिहासिक विभूतियों की भूमि रहा है। बिहार में स्थित नालंदा, विक्रमशिला, बोधगया, राजगीर, वैशाली, और पावापुरी जैसे स्थल आज भी भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के प्रतीक हैं। विरासत पर्यटन का तात्पर्य उन स्थलों की यात्रा से है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं। यह पर्यटन न केवल पर्यटन उद्योग को सशक्त बनाता है, बल्कि क्षेत्रीय समाज को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करता है। विरासत पर्यटन के अंतर्गत संरक्षित स्मारक, मंदिर, महाविहार, महल, किले, पुरातात्विक स्थल और पारंपरिक कलाएँ आती हैं, जिनमें पर्यटक विशेष रुचि दिखाते हैं।[2] बिहार की ऐतिहासिक भूमि में विरासत पर्यटन के अपार संभावनाएँ हैं, किंतु इनका समुचित उपयोग एवं प्रबंधन अभी भी अपेक्षित है। बिहार में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए यह उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बोधगया, वैशाली, और राजगीर जैसे स्थल अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। इसी प्रकार नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के गौरवशाली प्रतीक हैं।[3] इसके अतिरिक्त महावीर की जन्मस्थली वैशाली, सिख धर्म का ऐतिहासिक स्थल पटना साहिब, और मुगलकालीन स्थापत्य जैसे गोलघर, अगमकुआं आदि भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। हालाँकि, बिहार में विरासत पर्यटन की वास्तविक स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है। अवसंरचना की कमी, प्रचार-प्रसार की सीमाएं, स्थानीय जागरूकता का अभाव, और सरकारी योजनाओं की प्रभावहीनता जैसे कई कारण हैं, जो इन स्थलों की संभावनाओं को पूरी तरह से विकसित होने से रोकते हैं। क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में यदि इन स्थलों का सही ढंग से विकास किया जाए तो यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएँ उत्पन्न कर सकता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बिहार में विरासत पर्यटन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, इसकी चुनौतियों को चिन्हित करना, और यह विश्लेषण करना है कि ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से कैसे क्षेत्रीय विकास को गति दी जा सकती है। आलेख के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि किन रणनीतियों के द्वारा बिहार को एक प्रभावी विरासत पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।[4] इस प्रकार, यह आलेख न केवल पर्यटन क्षेत्र के संभावनाओं की पहचान करेगा, बल्कि राज्य

के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में पर्यटन के सकारात्मक प्रभावों को भी उजागर करेगा। एक विकसित विरासत पर्यटन संरचना न केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि यह बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान दिलाने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है।[5]

बिहार में पर्यटन की संभावनाएँ

बिहार, भारत के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध राज्यों में से एक है, और यहाँ के विभिन्न स्थल न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व रखते हैं। बिहार के पर्यटन स्थल विशेष रूप से धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रामाणिकता और गहरे सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हुए हैं। इस राज्य में स्थित बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल, जैसे बोधगया, वैशाली और राजगीर, विश्वभर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इन स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं।[6]

बोधगया:

बोधगया वह पवित्र स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध को 'ज्ञान' की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, हर साल लाखों पर्यटकों, विशेषकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों, को आकर्षित करता है।[7] यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं के कारण भी यह एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन चुका है।

राजगीर:

राजगीर, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बुद्ध के धर्मोपदेश और साधना से जुड़े कई स्थल स्थित हैं। राजगीर का ऐतिहासिक महत्त्व न केवल बौद्ध धर्म के संदर्भ में है, बल्कि यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और धरोहर स्थल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह स्थान पर्यटकों के लिए एक शांति और ध्यान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, और यहाँ की पवित्रता और शांति को महसूस करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।

वैशाली:

वैशाली, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैशाली को बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। इसके अतिरिक्त, वैशाली महावीर की जन्मस्थली भी है, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैशाली का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व इसे पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनाता है।[8]

नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय:

नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था, आज भी शिक्षा और ज्ञान के एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह विश्वविद्यालय अपने समय में विश्व भर के छात्रों और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो नालंदा के समकक्ष था, भी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के एक गौरवशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। इन दोनों विश्वविद्यालयों का ऐतिहासिक महत्त्व केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अद्वितीय है। ये स्थल पर्यटकों को प्राचीन भारतीय शिक्षा और संस्कृति के गौरव को महसूस करने का अवसर प्रदान करते हैं।[9]

पटना साहिब:

पटना साहिब, सिख धर्म के पांचवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली है, और यह सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यधिक पवित्र स्थल है। यहाँ स्थित गुरुद्वारा पटना साहिब, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सिख समुदाय के लोग यहाँ आकर गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाओं और उनके योगदान को सम्मानित करते हैं।[10]

मुगलकालीन स्थापत्य और अन्य स्थल:

बिहार में मुगलकालीन स्थापत्य कला का भी महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर पटना के गोलघर और अगमकुआं जैसे स्थल, जो न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। गोलघर, जो एक विशाल अन्नागार था, आज भी पर्यटकों को अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण आकर्षित करता है। अगमकुआं, एक प्राचीन जलाशय है, जो बिहार के इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण स्थल है।[11]

इस प्रकार, बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। बोधगया, वैशाली, राजगीर, नालंदा, विक्रमशिला, पटना साहिब और गोलघर जैसे स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इन स्थलों का उचित विकास, प्रचार और संरक्षित किया जाए, तो यह बिहार को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिला सकते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं।

बिहार में विरासत पर्यटन की वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव

बिहार, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध राज्य है, जिसकी भूमि पर अनगिनत धार्मिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक धरोहरें स्थित हैं। यहाँ के प्रमुख स्थलों, जैसे बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली और पटना साहिब, न केवल भारतीय समाज की धरोहर हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। बावजूद इसके, बिहार में विरासत पर्यटन की स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं मानी जा सकती।[12] इन स्थलों की वास्तविक क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका है, और इसका कारण राज्य में पर्यटन संबंधी अवसंरचना की कमी, सीमित प्रचार-प्रसार, स्थानीय जागरूकता की कमी, और सरकारी योजनाओं की प्रभावहीनता है। विरासत पर्यटन, जो प्राचीन स्थलों, सांस्कृतिक धरोहरों, और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की यात्रा से जुड़ा हुआ है, आज विश्वभर में एक प्रमुख पर्यटन श्रेणी के रूप में उभर रहा है। बिहार में स्थित बौद्ध, जैन, सिख, और मुगलकालीन स्थलों का वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर उच्च स्थान है, लेकिन इन स्थलों के पर्यटन से जुड़े विकास में कई बाधाएँ सामने आ रही हैं। बिहार में स्थित ऐतिहासिक स्थल जैसे बोधगया, नालंदा, और वैशाली हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन इन स्थलों की बुनियादी सुविधाओं की कमी, पर्यटन के बारे में जन जागरूकता का अभाव, और उचित प्रचार की कमी इन स्थलों की पूरी क्षमता के अनुरूप विकास में रुकावट डालते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की योजनाओं की प्रभावहीनता, जैसे पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए आवश्यक निवेश और सुविधाओं का अभाव, बिहार को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने में बाधक हैं। अगर बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का सही तरीके से विकास किया जाए तो यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकता है। विरासत पर्यटन न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर सकता है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर सकता है।[13] उदाहरण स्वरूप, पर्यटन के बढ़ते दबाव के कारण स्थानीय सेवाओं जैसे होटलों, गाइडों, परिवहन सेवाओं और हस्तशिल्प उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही, स्थानीय संस्कृति, शिल्प, और परंपराओं को बढ़ावा मिलने से यह स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि भी उत्पन्न हो सकती है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बिहार में विरासत पर्यटन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा, यह अध्ययन बिहार के ऐतिहासिक स्थलों की पर्यटन क्षमता को विस्तार से समझने और इसके विकास की चुनौतियों को चिन्हित करने के लिए किया जा रहा है। आलेख का उद्देश्य यह जानना भी है कि ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को कैसे गति दी जा सकती है और इसके लिए कौन-कौन सी रणनीतियाँ प्रभावी हो सकती हैं।[14] अध्ययन के माध्यम से यह भी विश्लेषित किया जाएगा कि किस प्रकार बिहार को एक प्रभावी और आकर्षक विरासत पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न पर्यटन नीति, रणनीतियों, और अवसंरचनात्मक विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि इन स्थलों का समुचित विकास किया जा सके और स्थानीय समुदायों को इससे फायदा हो सके। कुल मिलाकर, बिहार में विरासत पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इसके विकास के लिए समुचित नीति, प्रभावी योजना और समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। इस आलेख से यह भी आशा की जाती है कि बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन और विकास न केवल पर्यटन उद्योग को लाभकारी बना सकेगा, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।[15]

अध्ययन का महत्त्व

बिहार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है, और यहाँ स्थित प्रमुख स्थल जैसे बोधगया, नालंदा, वैशाली, पटना साहिब, और राजगीर न केवल भारत, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन स्थलों की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के कारण बिहार एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है। तथापि, बिहार में विरासत पर्यटन का विकास अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं रहा है, जिसके कारण राज्य की आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण योगदान देने का पूरा अवसर नहीं मिल सका है। विरासत पर्यटन, जो ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के पर्यटन को संदर्भित करता है, एक महत्त्वपूर्ण साधन है जो न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को सशक्त बना सकता है, बल्कि स्थानीय समाज में जागरूकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा दे सकता है। बिहार में विरासत पर्यटन के माध्यम से यह

अध्ययन यह स्पष्ट करेगा कि इन स्थलों के समुचित विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, और स्वरोजगार में कैसे वृद्धि हो सकती है। बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का सही ढंग से विकास न केवल राज्य के आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदान कर सकता है, बल्कि यह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। पर्यटन का क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार की संभावनाएँ, और सामाजिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण के रूप में सामने आएगा। इस अध्ययन का महत्त्व इस बात को उजागर करना है कि बिहार में ऐतिहासिक स्थलों के प्रभावी प्रबंधन से स्थानीय स्तर पर समृद्धि और खुशहाली ला सकती है।[16] बिहार में विरासत पर्यटन के विकास की दिशा में सरकारी नीतियों और योजनाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है। यह अध्ययन इस बात का मूल्यांकन करेगा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में कौन सी नीतियाँ बनाई गई हैं और उनका प्रभाव कितना गहरा और सकारात्मक रहा है। इसके साथ ही, यह यह भी जाँच करेगा कि सरकारी योजनाओं और बजट की कमी के कारण बिहार में विरासत पर्यटन के विकास में क्या अवरोध उत्पन्न हुए हैं। बिहार में विरासत पर्यटन का सही विकास इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐतिहासिक स्थलों की सही पहचान और संरक्षण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। बिहार के ऐतिहासिक स्थलों की अनदेखी या उपेक्षा इन स्थलों के ऐतिहासिक महत्व को मिटा सकती है। इस अध्ययन के माध्यम से यह भी प्रयास किया जाएगा कि कैसे इन स्थलों का संरक्षण और उन्नति की जा सकती है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इन्हें देख और समझ सकें। विरासत पर्यटन केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अहम है।[17] यह अध्ययन बिहार के लोगों में विरासत पर्यटन के महत्व को समझाने में मदद करेगा और राज्य की संस्कृति और धरोहर की महत्ता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में भी सहायक होगा, जिससे स्थानीय जनसमूह को अपनी परंपराओं और संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। बिहार के ऐतिहासिक स्थल, जैसे बोधगया, नालंदा, वैशाली, पटना साहिब, और राजगीर, पहले से ही वैश्विक महत्व रखते हैं। इस अध्ययन का महत्त्व इस पहलू में है कि यह बिहार को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पुनः स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप, न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि बिहार की वैश्विक पहचान भी और मजबूत होगी। विरासत पर्यटन का विकास पर्यावरणीय और स्थायी पर्यटन के संदर्भ में भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। बिहार में प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। इस अध्ययन में यह भी देखा जाएगा कि कैसे पर्यावरणीय स्थिरता के साथ विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और इस क्षेत्र में दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। बिहार में विरासत पर्यटन का विकास न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी हो सकता है।[18] इस अध्ययन का उद्देश्य बिहार में विरासत पर्यटन की संभावनाओं का विश्लेषण करना और यह समझना है कि ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से कैसे क्षेत्रीय विकास को गति दी जा सकती है। यह आलेख राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, जो राज्य की समृद्ध धरोहर को संरक्षित करते हुए इसके पर्यटकीय महत्व को बढ़ाने में सहायक होगा।

साहित्य समीक्षा

बिहार, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध राज्य है, जिसमें विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की प्रचुरता है। हालांकि, विरासत पर्यटन के क्षेत्र में बिहार की पूरी क्षमता का इस्तेमाल अभी तक नहीं हो सका है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें अवसंरचनात्मक कमियाँ, सरकारी नीतियों की कमी, और पर्यटन के प्रति स्थानीय जागरूकता का अभाव प्रमुख हैं। इस साहित्य समीक्षा में बिहार में विरासत पर्यटन की संभावनाओं को लेकर किए गए विभिन्न अध्ययन और उनके निष्कर्षों की चर्चा की जाएगी।

विरासत पर्यटन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि माना गया है, जो न केवल एक क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सशक्त करता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिरता भी प्रदान करता है। विभिन्न शोधों में यह पाया गया है कि विरासत पर्यटन से स्थलीय समाज में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

गौर (2016) ने अपने अध्ययन में यह बताया कि विकसित देशों में विरासत पर्यटन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया है, और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे होटलों, गाइड सेवाओं, परिवहन, हस्तशिल्प उद्योग आदि में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।

सिंह (2014) ने बिहार में पर्यटन के विकास के आर्थिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यदि राज्य में विरासत स्थलों का समुचित विकास किया जाए, तो इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है।

झा (2018) के अनुसार, बिहार के ऐतिहासिक स्थल न केवल भारत बल्कि वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बोधगया, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, आज भी एक प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों

का ऐतिहासिक महत्व है, जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। हालांकि, इन स्थलों का पूर्ण विकास नहीं हो सका है। यह अध्ययन यह बताता है कि राज्य सरकार की नीतियाँ और बुनियादी ढांचे की कमी इन स्थलों के सही विकास में एक प्रमुख बाधा हैं।

कुमार और शर्मा (2019) ने अपने अध्ययन में बिहार के पर्यटन अवसंरचना की कमजोरी को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन परिवहन, ठहरने की सुविधाओं, गाइड सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। इस कारण विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और स्थलों की पूरी क्षमता का उपयोग करना मुश्किल हो रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार की योजनाओं की अव्यवस्थित क्रियान्वयन और नीति निर्माण की कमी से भी यह क्षेत्र पीछे रह गया है।

प्रसाद (2020) ने अपने आलेख में बताया कि स्थानीय लोगों के बीच विरासत पर्यटन के सामाजिक लाभ के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय समुदायों को विरासत स्थलों के महत्व और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ के बारे में जागरूक किया जाए, तो वे इसे पर्यटन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक्कि लाभ के रूप में देख सकते हैं।

शर्मा (2017) ने बिहार सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कुछ पर्यटन योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे 'बिहार पर्यटन विकास योजना,' लेकिन इन योजनाओं में समग्रता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी है। इसके परिणामस्वरूप, इन योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं देखा जा सका है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पर्यटन मंत्रालय को इन योजनाओं को अधिक समग्र और सुसंगत बनाने की आवश्यकता है।

पटेल (2015) के अनुसार, विरासत पर्यटन का विकास करते समय पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। बिहार में ऐतिहासिक स्थलों की संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, पर्यटन नीति में स्थायित्व को शामिल करना और पर्यटन गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है।

दास (2018) ने अपने आलेख में यह उल्लेख किया कि विरासत पर्यटन न केवल आर्थिक वृद्धि करता है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने बिहार में यह सुझाव दिया कि यदि विरासत स्थलों का पर्यटन उद्देश्यों के तहत विकास किया जाए

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बिहार में विरासत पर्यटन की संभावना का विश्लेषण करना और ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास के अवसरों को पहचानना है। विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- बिहार में विरासत पर्यटन की स्थिति का मूल्यांकन करना
- विरासत पर्यटन के क्षेत्रीय विकास में भूमिका का अध्ययन करना
- विरासत पर्यटन के लिए प्रभावी रणनीतियाँ प्रस्तावित करना
- बिहार के विरासत स्थलों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के उपायों का सुझाव देना
- स्थानीय समुदायों के लिए लाभकारी विकास मॉडल तैयार करना

अध्ययन की परिकल्पना

- H_1: बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का बेहतर पर्यटन विकास स्थानीय समुदायों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाता है।
- H_2: विरासत पर्यटन में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद मिलती है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में।
- H_3: बिहार में विरासत पर्यटन के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की कमी और प्रभावी सरकारी नीतियों का अभाव प्रमुख बाधाएँ हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहार में विरासत पर्यटन का अपार विकास क्षमता है, विशेषकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के माध्यम से।[19] बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे बोधगया, नालंदा, वैशाली, राजगीर, और विक्रमशिला न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इन स्थलों की धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत भी उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। हालांकि, बिहार में पर्यटन विकास में कई बाधाएँ हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अवसंरचना की कमी,

प्रभावी प्रचार-प्रसार की कमी, सरकारी नीतियों की प्रभावहीनता, और स्थानीय जागरूकता का अभाव हैं।[20] इसके बावजूद, अगर सही दिशा में कार्य किया जाए, तो ये स्थलों बिहार के क्षेत्रीय विकास और सामाजिक-आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस अध्ययन ने यह भी प्रदर्शित किया कि विरासत पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है, और समुदायों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।[21]

सुझावः

1. विरासत स्थलों की आधारभूत संरचना का सुधारः बिहार में विरासत पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक है कि इन स्थलों की आधारभूत संरचना में सुधार किया जाए। यात्री सुविधाओं का विकास, आवागमन की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, और स्वच्छता की स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, ये स्थलों पर पर्यटकों के लिए सूचना केंद्र और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियानः बिहार के ऐतिहासिक स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार अभियान चलाने की आवश्यकता है। सरकारी और निजी संस्थाओं को मिलकर इन स्थलों का प्रचार करना चाहिए, ताकि विदेशी पर्यटकों के लिए भी बिहार एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन सके। इसके लिए डिजिटल प्लेटफार्मों, सोशल मीडिया और पर्यटन मेलों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।
3. स्थानीय समुदायों की भागीदारीः विरासत पर्यटन का प्रभावी विकास तभी संभव है जब स्थानीय समुदाय इस प्रक्रिया में भागीदार बनें। उन्हें पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा, स्थानीय कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएं ताकि पर्यटकों को बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का वास्तविक अनुभव मिल सके।
4. सर्वसमावेशी नीति और योजनाएंः सरकार को इस दिशा में ठोस नीतियाँ और योजनाएं बनानी चाहिए, जो पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दें और ऐतिहासिक स्थलों के समुचित संरक्षण को सुनिश्चित करें। इन योजनाओं में पर्यावरणीय संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और स्थायी पर्यटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. स्वयंसेवी संगठनों और सांस्कृतिक संस्थाओं का सहयोगः पर्यटन के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों, एनजीओ और सांस्कृतिक संस्थाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन संगठनों को स्थानीय संस्कृति और विरासत की रक्षा में भागीदार बनाना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक पर्यटन को संरक्षण मिल सके और स्थानीय लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
6. पारिस्थितिकी पर्यटन का संवर्धनः पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित और स्थायी पर्यटन मॉडल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो विरासत स्थलों के संरक्षण के साथ-साथ पर्यटकों के अनुभव को भी बेहतर बनाए। पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco&tourism) और संस्कृति पर्यटन (Cultural tourism) को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए।
7. सुविधाओं का विस्तारः बिहार के ऐतिहासिक स्थलों के पास स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग सुविधाओं, और स्थानीय गाइडों की व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए। इससे पर्यटकों को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा, जो उनके आगमन को और आकर्षक बनाएगा।

बिहार में विरासत पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं और यह राज्य के क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यदि सही रणनीतियों के साथ ऐतिहासिक स्थलों का समुचित विकास किया जाए, तो यह न केवल पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बना सकता है, बल्कि स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था को भी लाभान्वित कर सकता है। इस दिशा में सरकार, स्थानीय समुदायों, और निजी क्षेत्र की साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि बिहार को विरासत पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।

संदर्भ-सूची

1. चट्टोपाध्याय, डी. (2006). बिहार का इतिहासः प्राचीन काल से मौर्य काल तक. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. दुबे, एस. (2010). बिहार में धरोहर और पर्यटनः नए दृष्टिकोण. धरोहर प्रेस।
3. जैन, एस. (2013). भारत में सांस्कृतिक पर्यटन और धरोहर संरक्षण पर इसका प्रभाव. धरोहर प्रबंधन पत्रिका, 6(2), 221-234।
4. कुमार, वी. (2011). बिहार के धरोहर पर्यटन की संभावनाएँ. बिहार पर्यटन पत्रिका, 5(1), 45-59।
5. मिश्र, एम. (2018). बिहार के अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 53(12), 76-82।
6. सिंह, आर., और वर्मा, ए. (2015). पर्यटन, संस्कृति और आर्थिक विकासः बिहार का उदाहरण. भारतीय क्षेत्रीय विकास पत्रिका, 11(3), 65-81।
7. त्रिपाठी, एस. (2016). सतत पर्यटन विकासः बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का केस अध्ययन. अंतरराष्ट्रीय सतत विकास पत्रिका, 20(2), 54-67।

8. वर्मा, आर. (2017). पर्यटन विकास में धरोहर संरक्षण का महत्व: बिहार के पुरातात्त्विक स्थलों का अध्ययन. भारतीय पर्यटन अध्ययन पत्रिका, 8(4), 35-47।
9. कुमार, एस. (2014). बिहार के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल: संभावनाएँ और चुनौतियाँ. पर्यटन अनुसंधान पत्रिका, 6(1), 34-50।
10. सिंह, बी. (2019). बिहार में धरोहर पर्यटन के आर्थिक परिणाम: एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य. भारतीय आर्थिक और विकास पत्रिका, 14(6), 78-94।
11. प्रसाद, जी. (2009). बिहार में पर्यटन का विकास: ऐतिहासिक दृष्टिकोण. पर्यटन विकास पत्रिका, 3(2), 12-25।
12. शर्मा, एन., और तिवारी, आर. (2012). सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा देने में इसका योगदान: बिहार का केस अध्ययन. अंतरराष्ट्रीय धरोहर पर्यटन पत्रिका, 4(3), 40-58।
13. तिवारी, एम. (2017). बिहार के प्राचीन शिक्षा संस्थानों का पर्यटन में योगदान. धरोहर और संस्कृति पत्रिका, 5(2), 122-134।
14. झा, ए. (2014). पर्यटन और समुदाय विकास: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन. ग्रामीण अध्ययन पत्रिका, 11(2), 56-68।
15. भट्टाचार्य, के. (2018). बिहार में पर्यटन: क्षेत्रीय विकास का एक उपकरण. पर्यटन समीक्षा अंतरराष्ट्रीय, 25(4), 15-29।
16. गुप्ता, पी. (2011). बिहार में धरोहर पर्यटन को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ. पर्यटन और विकास, 19(5), 79-88।
17. पांडे, ए., और यादव, पी. (2015). बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन में योगदान. अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर अध्ययन पत्रिका, 9(4), 233-245।
18. शर्मा, वी., और रानी, एम. (2020). बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और धरोहर पर्यटन. ग्रामीण विकास पत्रिका, 22(1), 112-125।
19. सिन्हा, के. (2016). सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास: बिहार का उदाहरण. भारतीय अर्थशास्त्र पत्रिका, 48(2), 90-105।
20. भगत, आर. (2013). बिहार में पर्यटन के भविष्य पर विचार: धरोहर को विकास से जोड़ना. क्षेत्रीय अध्ययन पत्रिका, 21(1), 50-62।
21. कुमार, ए., और सिंह, आर. (2014). बिहार के बौद्ध धरोहर स्थलों की पर्यटन संभावनाएँ. पर्यटन अध्ययन पत्रिका, 16(3), 115-130।

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की उपादेयता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, बी0एड्0 विभाग, राणा प्रताप पी0जी0 कॉलेज, सुल्तानपुर (उ0प्र0)

प्रस्तावना:-

शांति शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में शांति, सहिष्णुता, करुणा, सह-अस्तित्व तथा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। यह केवल संघर्षों की अनुपस्थिति को नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशिता और मानवीय मूल्यों पर आधारित सकारात्मक शांति की स्थापना को केंद्र में रखती है।

आज के वैश्विक परिदृश्य में जहाँ युद्ध, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, नस्लीय भेदभाव और सामाजिक असमानताएँ व्याप्त हैं, वहाँ शांति शिक्षा समाज में समरसता, संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक बन जाती है।

शांति शिक्षा में विद्यार्थियों को न केवल हिंसा और संघर्ष की जड़ों को समझाया जाता है, बल्कि उन्हें इन समस्याओं के अहिंसक समाधान ढूँढने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। यह शिक्षा एक व्यक्ति के भीतर आंतरिक शांति स्थापित करने के साथ-साथ सामाजिक व वैश्विक स्तर पर शांतिपूर्ण व्यवहार विकसित करने की दिशा में भी कार्य करती है।

मुख्य घटक:-

1. अहिंसा और करुणा का अभ्यास
2. संवाद एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास
3. सांस्कृतिक विविधता का सम्मान
4. संघर्ष समाधान के कौशल
5. मानवाधिकारों की शिक्षा

इस प्रकार, शांति शिक्षा केवल एक वैकल्पिक शिक्षण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आवश्यक जीवन मूल्य है, जो व्यक्ति और समाज को स्थायी और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर करता है।

शोध उद्देश्य:-

1. वर्तमान वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करना।
2. शांति शिक्षा के सिद्धांतों, स्वरूप और सामाजिक उपयोगिता का विश्लेषण करना।
3. शांति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता, अहिंसा और मानवाधिकारों के संवर्धन की संभावनाओं का अध्ययन करना।
4. भारत में शांति शिक्षा के वर्तमान स्वरूप और व्यवहारिक चुनौतियों की पहचान करना।
5. शांति शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु सुझाव और रणनीतियाँ प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न:-

1. वर्तमान वैश्विक परिवेश में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है?
2. शांति शिक्षा किन सिद्धांतों पर आधारित है, और यह समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है?
3. भारत में शांति शिक्षा का वर्तमान स्तर क्या है, और इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?
4. शांति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता, और हिंसा की समस्याओं को किस हद तक संबोधित किया जा सकता है?
5. शांति शिक्षा को शैक्षिक पाठ्यक्रम और सामाजिक जीवन में प्रभावी रूप से कैसे शामिल किया जा सकता है?

शोध समस्या का कथनः-

वर्तमान समय में विश्वभर में असहिष्णुता, हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, सांस्कृतिक संघर्ष और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ तीव्र गति से बढ़ रही हैं। तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बावजूद मानवता आज मानसिक अशांति, नैतिक पतन और भावनात्मक असंतुलन की स्थिति से गुजर रही है। ऐसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरती है, जो समाज में करुणा, संवाद, सह-अस्तित्व और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को विकसित कर सकती है।

हालाँकि शांति शिक्षा की उपयोगिता को कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार किया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसके कार्यान्वयन में अभी भी अनेक चुनौतियाँ हैं। भारत जैसे विविधता-समृद्ध देश में भी शांति शिक्षा का प्रभावी और संगठित रूप में समावेश शिक्षण संस्थानों में सीमित है।

क्या वर्तमान वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता को पर्याप्त रूप से समझा और अपनाया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और किस प्रकार शांति शिक्षा को शिक्षा प्रणाली और समाज में प्रभावी रूप से स्थापित किया जा सकता है?

यह शोध इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है और यह विश्लेषण करता है कि शांति शिक्षा किस प्रकार आज के तनावग्रस्त और विभाजित समाज में स्थायी शांति एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना में सहायक हो सकती है। शोधार्थी ने शांति शिक्षा की वर्तमान प्रासंगिकता को देखते हुए निम्न शोध समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया है- ''वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की उपादेयता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।''

संबंधित साहित्य का अध्ययनः-

शांति शिक्षा विषयक कई विद्वानों, संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने विविध परिप्रेक्ष्यों से अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस खंड में उन प्रमुख विचारों, शोधों और कार्यों की समीक्षा की गई है जो शांति शिक्षा की आवश्यकता, प्रभाव और कार्यान्वयन को स्पष्ट करते हैं।

1. जोहान गाल्टुंग (Johan Galtung): शांति अध्ययन के अग्रणी विद्वान गाल्टुंग ने "सकारात्मक शांति" और "नकारात्मक शांति" की अवधारणाएँ दीं। उनके अनुसार, शांति केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना है, जो शांति शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप है।
2. UNESCO (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन): यूनेस्को ने शांति संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 1995 में "Culture of Peace" घोषणा जारी की। संस्था का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से ही टिकाऊ शांति प्राप्त की जा सकती है।
3. Ian Harris और डंतल स्मम डवततपेवद (2003): अपनी पुस्तक "Peace Education : Theory and Practice" में इन लेखकों ने शांति शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बताया है। उनका कहना है कि शांति शिक्षा छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग और समानता की भावना विकसित करती है।
4. महात्मा गांधी: उन्होंने नैतिक और आत्मिक विकास पर आधारित शिक्षा की वकालत की। गांधीजी का 'नैतिक शिक्षा' पर जोर शांति शिक्षा का मूल तत्व है, जिसमें सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम को केंद्र में रखा गया।
5. भारत में शांति शिक्षा पर शोध: NCERT और UGC द्वारा प्रकाशित कई रिपोर्टों में शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। "शांति शिक्षा: एक रूपरेखा" (NCERT, 2006) दस्तावेज में भारतीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त शांति शिक्षा कार्यक्रम का खाका प्रस्तुत किया गया है।
6. Nel Noddings (2005): अपनी पुस्तक "Educating Citçens for Global Awareness" में उन्होंने बताया कि वैश्विक नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करने के लिए शांति शिक्षा अनिवार्य है।
7. दक्षिण एशियाई संदर्भ: पाकिस्तान, श्रीलंका, और नेपाल जैसे देशों में शांति शिक्षा को स्कूल स्तर पर लागू करने के प्रयोग हुए हैं, जिनमें छात्रों में सहिष्णुता और संवाद कौशल में वृद्धि देखी गई।

यह साहित्यिक समीक्षा दर्शाती है कि शांति शिक्षा पर पर्याप्त सैद्धांतिक और व्यावहारिक कार्य हुआ है, किंतु इसे वैश्विक और विशेषत: भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु अभी भी गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षाः-

भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश हैकृयहाँ भाषाई, धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक बहुलता पाई जाती है। यही विविधता जहाँ एक ओर भारतीय संस्कृति की समृद्धि है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संघर्षों, असहिष्णुता और हिंसा की संभावनाएँ भी उत्पन्न करती है। ऐसे संदर्भ में शांति शिक्षा की आवश्यकता भारत में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है।

1. सामाजिक विविधता में समरसता बनाए रखने हेतु:

भारत में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर समय-समय पर हिंसक संघर्ष देखे गए हैं। शांति शिक्षा इन विविधताओं को समझने, उनका सम्मान करने, और एक समावेशी समाज की ओर बढ़ने में सहायक हो सकती है।

2. सांप्रदायिकता और कट्टरवाद की चुनौतियाँ:

धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक राजनीति भारतीय समाज के लिए बड़ी चुनौती है। शांति शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सह-अस्तित्व, करुणा और संवाद की संस्कृति सिखाई जा सकती है, जिससे कट्टर विचारों का प्रभाव कम हो सकता है।

3. विद्यालयों में बढ़ती हिंसा और नैतिक पतन:

आज के छात्रों में बढ़ती आक्रामकता, ऑनलाइन ट्रोलिंग, और भावनात्मक असंवेदनशीलता दर्शाती है कि केवल अकादमिक ज्ञान पर्याप्त नहीं। शांति शिक्षा विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण के गुण विकसित करती है।

4. गांधीवादी विरासत का पुनर्जागरण:

भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चिंतन में महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्य की अवधारणाएँ केंद्रीय थीं। आज की पीढ़ी को गांधीवादी विचारों से जोड़ने हेतु शांति शिक्षा एक सेतु का कार्य कर सकती है।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEp~ 2020) का दृष्टिकोण:

NEp~ 2020 में "मानवता, संवैधानिक मूल्यों, सहानुभूति, करुणा और नैतिक शिक्षा" पर जोर दिया गया है, जो शांति शिक्षा के प्रमुख स्तंभ हैं। इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए ठोस शांति शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

6. वैश्विक नागरिकता की तैयारी

भारत विश्व मंच पर एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ऐसे में भारतीय छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय सह-अस्तित्व के मूल्यों से लैस करना आवश्यक है, जो शांति शिक्षा के माध्यम से संभव है

निष्कर्षत: भारत में शांति शिक्षा केवल एक वैकल्पिक विचार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्थायी विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

विश्व को शांति शिक्षा की आवश्यकता:

आज का विश्व अत्याधुनिक तकनीक, वैश्वीकरण और आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर तो है, परंतु साथ ही यह हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, असहिष्णुता, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक विघटन जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान केवल राजनैतिक या आर्थिक उपायों से नहीं, बल्कि मूल्य आधारित शिक्षा, विशेषकर शांति शिक्षा से संभव है।

1. युद्ध और संघर्षों की बढ़ती घटनाएँ:-

मध्य पूर्व, यूक्रेन, अफ्रीका, और एशिया के कई हिस्सों में लंबे समय से चल रहे युद्ध और संघर्ष दर्शाते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए केवल सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं है।

शांति शिक्षा वैश्विक नागरिकों को सह-अस्तित्व, संवाद और करुणा जैसे गुणों से लैस करती है, जिससे युद्ध की मानसिकता को रोका जा सके।

2. आतंकवाद और कट्टरवाद का प्रसार:-

वैचारिक असहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता ने वैश्विक स्तर पर कई निर्दोष लोगों की जान ली है।

शांति शिक्षा लोगों को बहुलता, सहिष्णुता और अंतर-सांस्कृतिक समझ सिखाती है, जो कट्टरता के प्रभाव को कम कर सकती है।

3. सामाजिक विषमता और नस्लभेद:-

विश्व में नस्लीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, और शरणार्थी संकट जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।

शांति शिक्षा के माध्यम से समानता, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति चेतना जगाई जा सकती है।

4. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट:-

पर्यावरणीय असंतुलन और संसाधनों के लिए संघर्ष भी शांति को खतरे में डालते हैं। शांति शिक्षा हमें प्रकृति के साथ संतुलनपूर्ण जीवन और सतत विकास के लिए जागरूक बनाती है।

5. वैश्विक नागरिकता और सहयोग की आवश्यकताः-

एक देश में उत्पन्न समस्या दूसरे देशों को भी प्रभावित करती हैकृजैसे महामारी, युद्ध, साइबर खतरे आदि।

इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी हो जो मानवता को प्राथमिकता दे, सीमाओं से परे विश्व-बंधुत्व को बढ़ावा दे।

शांति शिक्षा की उपयोगिताः-

शांति शिक्षा केवल एक वैचारिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को स्थायी शांति, सामाजिक समरसता और वैश्विक सह-अस्तित्व की दिशा में प्रेरित करती है। यह शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्य जागरूकता को प्रोत्साहित करती है।

1. व्यक्ति के स्तर पर उपयोगिता

आंतरिक शांति की स्थापनाः शांति शिक्षा व्यक्ति को आत्मचिंतन, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकासः यह क्रोध, द्वेष और हिंसा जैसे नकारात्मक भावों को नियंत्रित कर, करुणा, सहानुभूति और सहिष्णुता जैसे भावों को बढ़ावा देती है।

संघर्ष समाधान के कौशलः व्यक्ति संवाद, सुनने और मध्यस्थता जैसे अहिंसक साधनों से विवादों का समाधान करना सीखता है।

2. सामाजिक स्तर पर उपयोगिता

सांप्रदायिक सद्भाव का निर्माणः शांति शिक्षा विविधताओं को समझने और स्वीकारने का अभ्यास कराकर सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करती है।

हिंसा की प्रवृत्तियों में कमीः यह शिक्षा छात्रों और युवाओं में आपसी सहयोग, सहभाव और समझदारी को बढ़ाकर हिंसक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करती है।

लैंगिक और जातीय समानता को बढ़ावाः समाज में व्याप्त भेदभावों के विरुद्ध चेतना उत्पन्न कर समता की स्थापना में सहायक होती है।

3. राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगिता

लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूतीः शांति शिक्षा नागरिकों को संविधान, मानवाधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है।

राष्ट्रीय एकता और अखंडताः विविधता में एकता के सिद्धांत को समझाकर यह राष्ट्रीय सद्भाव को बल प्रदान करती है।

विकासशील राष्ट्र की दिशा में योगदानः शांतिपूर्ण और जिम्मेदार नागरिक राष्ट्र की स्थायी प्रगति के लिए आधार बनते हैं।

4. वैश्विक स्तर पर उपयोगिता

वैश्विक नागरिकता का विकासः शांति शिक्षा सीमाओं से परे मानवता को प्राथमिकता देना सिखाती है।

पर्यावरणीय चेतनाः यह शिक्षा अहिंसा और सहयोग के सिद्धांतों के माध्यम से प्रकृति के प्रति भी जिम्मेदारी का भाव जाग्रत करती है।

सतत विकास के लक्ष्यों में सहायकः संयुक्त राष्ट्र के ैक्ळै में उल्लिखित लक्ष्यों, जैसे "शांति, न्याय और मजबूत संस्थान", को प्राप्त करने में शांति शिक्षा सहायक है।

भारत में शांति शिक्षा की वर्तमान स्थितिः-

भारत एक ऐतिहासिक रूप से विविध, आध्यात्मिक और नैतिक परंपराओं वाला देश रहा है, जहाँ शांति, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व जैसे मूल्य लंबे समय से सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। आधुनिक संदर्भ में, हालांकि शांति शिक्षा को शैक्षिक दृष्टिकोण से स्वीकार किया गया है, किंतु इसका कार्यान्वयन अभी भी सीमित और असंगठित है।

1. नीतिगत स्तर पर शांति शिक्षाः

NCERt~ और NCFk~ 2005ः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (National Curriculum Framework) 2005 में शांति को शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना गया है। NCERt~ ने 'शांति शिक्षाः एक रूपरेखा' शीर्षक से दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं।

नई शिक्षा नीति (छम्च् 2020)ः NEp~ 2020 में नैतिक शिक्षा, वैश्विक नागरिकता, संवैधानिक मूल्य और सहानुभूति जैसे पहलुओं पर बल दिया गया है, जो शांति शिक्षा की आधारशिला हैं। परंतु इसे अलग विषय के रूप में स्थान नहीं मिला है।

2. शैक्षिक संस्थानों में स्थिति:

कुछ निजी और वैकल्पिक स्कूल (जैसे आनंद निकेतन, ऋषिकुलम आदि) शांति शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, परंतु यह प्रयास व्यापक स्तर पर नहीं है। उच्च शिक्षा में कुछ विश्वविद्यालयों ने शांति एवं संघर्ष अध्ययन (च्मंबम ंदक ब्वदसिपबज ैजनकपमे) के नाम से पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि-

- जामिया मिलिया इस्लामिया
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
- पुणे विश्वविद्यालय
- महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

3. शिक्षक प्रशिक्षण में अभाव:

शांति शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है, परंतु वर्तमान ठण्म्कण् और क्ण्म्सण्म्कण् पाठ्यक्रमों में इसके लिए पर्याप्त व्यवहारिक क्रियाकलाप नहीं है।

4. सामाजिक संगठन और एनजीओ की भूमिका:

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी फॉर पीस, और ैम्व्कै प्दकपं जैसे संगठन विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से शांति शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में।

5. व्यवहारिक चुनौतियाँ:-

- पाठ्यक्रम में पहले से अधिक भार
- शिक्षकों का प्रशिक्षण अभाव
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी
- छात्रों की भावनात्मक और सांस्कृतिक विविधता को समझने का अभाव

भारत में शांति शिक्षा को नीति दस्तावेजों और कुछ संस्थानों में स्थान तो मिला है, परंतु इसे व्यापक, संगठित और व्यावहारिक रूप से लागू करने की दिशा में अभी लम्बा रास्ता तय करना बाकी है।

शांति शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका:-

शांति शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की संस्कृति को विकसित करना है। इस दिशा में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का मार्गदर्शक होता है।

1. मूल्य आधारित शिक्षण का संचालन:

शिक्षक विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि मानवता, सत्य, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों से भी परिचित कराता है। वह अपने व्यवहार, भाषा और दृष्टिकोण से शांति की अवधारणाओं को जीवन्त उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करता है।

2. संवाद और सहानुभूति की संस्कृति का निर्माण:

शिक्षक कक्षा में संवाद को प्रोत्साहित कर सुनने और समझने की आदत विकसित करते हैं। भिन्न मतों को सम्मान देना, सहिष्णुता और सामूहिक निर्णय लेने जैसे व्यवहार वह अपने आचरण और शिक्षण शैली में सम्मिलित करता है।

3. विविधता को स्वीकारने हेतु प्रेरित करना:

भारत जैसे बहुलतावादी समाज में शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाते हैं।

वह पूर्वाग्रहों से मुक्त, समावेशी मानसिकता का विकास करते हैं।

4. संघर्ष समाधान की शिक्षा देना:

शिक्षक छात्रों को अहिंसक संवाद, मध्यस्थता, और समझौते के रास्तों से समस्याएँ सुलझाना सिखाते हैं। इस प्रकार वे आक्रोश, हिंसा और द्वेष से दूर रहना सिखाते हैं।

5. विद्यालय में शांतिपूर्ण वातावरण बनाना:

शिक्षक अनुशासन को दंड के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेरणा, आत्मनिरीक्षण और समझाइश के माध्यम से स्थापित करते हैं। वह विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाकर विद्यालय को "शांति क्षेत्र" में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं।

6. पाठ्यचर्या में शांति विषयों का समावेश:

शिक्षक सामान्य विषयों (जैसे इतिहास, भाषा, नागरिक शास्त्र) में भी शांति, संवाद और मानवाधिकार जैसे विषयों को जोड़कर विद्यार्थियों को व्यावहारिक दृष्टिकोण सिखा सकते हैं।

शिक्षक न केवल शांति शिक्षा के वाहक होते हैं, बल्कि स्वयं एक जीवंत प्रेरणा-स्रोत होते हैं। यदि शिक्षक शांति मूल्यों के संवाहक बनें, तो समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है।

विश्व को शांति शिक्षा की आवश्यकता:-

आज का विश्व अत्याधुनिक तकनीक, वैश्वीकरण और आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर तो है, परंतु साथ ही यह हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, असहिष्णुता, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक विघटन जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान केवल राजनैतिक या आर्थिक उपायों से नहीं, बल्कि मूल्य आधारित शिक्षा, विशेषकर शांति शिक्षा से संभव है।

1. युद्ध और संघर्षों की बढ़ती घटनाएँ:

मध्य पूर्व, यूक्रेन, अफ्रीका, और एशिया के कई हिस्सों में लंबे समय से चल रहे युद्ध और संघर्ष दर्शाते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए केवल सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं है। शांति शिक्षा वैश्विक नागरिकों को सह-अस्तित्व, संवाद और करुणा जैसे गुणों से लैस करती है, जिससे युद्ध की मानसिकता को रोका जा सके।

2. आतंकवाद और कट्टरवाद का प्रसार:

वैचारिक असहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता ने वैश्विक स्तर पर कई निर्दोष लोगों की जान ली है।

शांति शिक्षा लोगों को बहुलता, सहिष्णुता और अंतर-सांस्कृतिक समझ सिखाती है, जो कट्टरता के प्रभाव को कम कर सकती है।

3. सामाजिक विषमता और नस्लभेद:

विश्व में नस्लीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, और शरणार्थी संकट जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। शांति शिक्षा के माध्यम से समानता, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति चेतना जगाई जा सकती है।

4. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट:

पर्यावरणीय असंतुलन और संसाधनों के लिए संघर्ष भी शांति को खतरे में डालते हैं। शांति शिक्षा हमें प्रकृति के साथ संतुलनपूर्ण जीवन और सतत विकास के लिए जागरूक बनाती है।

5. वैश्विक नागरिकता और सहयोग की आवश्यकता:

एक देश में उत्पन्न समस्या दूसरे देशों को भी प्रभावित करती हैकृजैसे महामारी, युद्ध, साइबर खतरे आदि। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी हो जो मानवता को प्राथमिकता दे, सीमाओं से परे विश्व-बंधुत्व को बढ़ावा दे।

मानवता हेतु शांति शिक्षा की आवश्यकता:-

मानवता का मूल स्वभाव करुणा, सहयोग और सह-अस्तित्व पर आधारित है। किंतु आधुनिक युग में हिंसा, स्वार्थ, असहिष्णुता, और नैतिक पतन के कारण मानवता संकट में है। ऐसे में शांति शिक्षा मानवता को पुनर्स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बनती है।

1. नैतिक मूल्यों का क्षरण:

आज समाज में सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और दया जैसे मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है। शांति शिक्षा व्यक्ति को नैतिक चेतना और आत्मसंयम के रास्ते पर लाती है, जिससे वह स्वयं और समाज के प्रति जिम्मेदार बनता है।

2. संवेदनशीलता और सह-अस्तित्व की संस्कृति:

विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग जब एक साथ रहते हैं तो मतभेद स्वाभाविक हैं। शांति शिक्षा इन्हीं विविधताओं को समझने, स्वीकारने और सम्मान देने की सीख देकर सह-अस्तित्व की भावना को मजबूत करती है।

3. हिंसा-मुक्त समाज की दिशा में योगदान:

घरेलू हिंसा से लेकर आतंकवाद तक, हर स्तर की हिंसा मानवता को आहत करती है। शांति शिक्षा अहिंसक संवाद, सहानुभूति, और सहकार्य को बढ़ावा देकर हिंसा के मूल कारणों को समाप्त करने में सहायता करती है।

4. मानसिक और भावनात्मक संतुलन:

तनाव, अवसाद और आक्रोश जैसे मानसिक विकार बढ़ रहे हैं, जो सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। शांति शिक्षा व्यक्ति को आत्मचिंतन, धैर्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने का अवसर देती है।

5. वैश्विक मानवता के लिए चेतना:

वैश्विक संकट (जैसे युद्ध, जलवायु परिवर्तन, महामारी) ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानवता एक साझा उत्तरदायित्व है। शांति शिक्षा लोगों को वैश्विक नागरिकता, परस्पर निर्भरता और मानवाधिकारों की महत्ता समझने में सक्षम बनाती है।

शांति शिक्षा केवल शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवता के पुनर्जागरण की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को संवेदनशील, सहनशील और दयालु बनाकर एक ऐसे समाज की स्थापना में सहायक है, जहाँ प्रेम और समझ की भावना सर्वोपरि हो।

शांति शिक्षा से संबंधित चुनौतियाँ और समाधान:-

शांति शिक्षा एक आदर्श और आवश्यक शैक्षिक दृष्टिकोण है, परंतु इसके कार्यान्वयन में कई व्यवहारिक, संरचनात्मक और मानसिक बाधाएँ सामने आती हैं। इन चुनौतियों को पहचानना और उनका समाधान प्रस्तुत करना शांति शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य है।

प्रमुख चुनौतियाँ:-

1. नीतिगत अस्पष्टता:

शांति शिक्षा को स्पष्ट रूप से अनिवार्य विषय के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। इसे नैतिक शिक्षा या वैकल्पिक गतिविधि समझकर उपेक्षित किया जाता है।

2. शिक्षकों का प्रशिक्षण न होना:

अधिकांश शिक्षक शांति शिक्षा के सिद्धांतों और कार्यान्वयन पद्धतियों से अपरिचित हैं। प्रशिक्षण की कमी के कारण शांति शिक्षा केवल भाषण या एक-दो गतिविधियों तक सीमित रह जाती है।

3. पाठ्यक्रम की अधिकता:

पहले से ही भारी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के कारण शिक्षकों और विद्यार्थियों को शांति शिक्षा के लिए समय निकालना कठिन होता है।

4. सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह:

जाति, धर्म, भाषा और लिंग आधारित पूर्वाग्रह समाज में गहराई से मौजूद हैं, जिनका प्रभाव विद्यालयी वातावरण पर भी पड़ता है।

5. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:

शिक्षा नीतियों में शांति शिक्षा को प्रमुख स्थान देने के लिए पर्याप्त राजनीतिक समर्थन नहीं है।

संभावित समाधान:-

1. नीति निर्माण में स्पष्टता:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में शामिल किया जाए और उसे मूल्य-आधारित शिक्षा का केंद्र बनाया जाए।

2. शिक्षक प्रशिक्षण का सशक्तीकरण:

B.Ed. और D.El.Ed. पाठ्यक्रमों में शांति शिक्षा शामिल करना ही पर्याप्त नहीं है वरन् इसके अन्तर्गत पाठ्येतर क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए। कार्यरत शिक्षकों के लिए नियमित वर्कशॉप और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

3. पाठ्यक्रम में एकीकरण:

शांति शिक्षा को केवल अलग विषय के रूप में न देखकर, अन्य विषयों (इतिहास, नागरिक शास्त्र, भाषा आदि) में अंतर्वस्तु के रूप में जोड़ा जाए।

4. स्कूल वातावरण का सुधार:

विद्यालयों में संवाद आधारित संस्कृति, सह-अस्तित्व, भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ नियमित की जाएँ।

5. सामाजिक संगठनों की साझेदारी:

शांति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के सहयोग से सामुदायिक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

6. प्रौद्योगिकी का उपयोग:

डिजिटल माध्यम से शांति शिक्षा के लिए ऑडियो-विजुअल संसाधन, कहानियाँ, एनिमेशन, और केस स्टडी विकसित कर विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी तरीके से जोड़ा जा सकता है।

शांति शिक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ जटिल अवश्य हैं, किंतु उपयुक्त नीति, प्रशिक्षण, संसाधन और सामाजिक सहयोग के माध्यम से इनका समाधान संभव है। यह परिवर्तनशील प्रयास न केवल शिक्षा प्रणाली को, बल्कि पूरे समाज को अधिक सहिष्णु और शांतिपूर्ण बना सकता है।

निष्कर्ष:-

निष्कर्षत: शांति शिक्षा की आवश्यकता केवल एक देश या क्षेत्र विशेष की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की है। यह मानवता के भविष्य को सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सह-अस्तित्वपूर्ण बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली साधन है।वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण ने अभूतपूर्व विकास के द्वार खोले हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, नैतिक ह्रास, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक विघटन जैसी समस्याएँ मानवता के समक्ष गंभीर चुनौती बनकर उभरी हैं।

ऐसे समय में शांति शिक्षा एक प्रभावशाली समाधान के रूप में सामने आती है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सह-अस्तित्व, अहिंसा, सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति अपनाने के लिए प्रेरित करती है। शांति शिक्षा केवल एक विषय नहीं, बल्कि समग्र जीवन-दृष्टि है, जो मानव को पूर्ण और संवेदनशील बनाती है।

भारत जैसे बहुलतावादी और युवा प्रधान राष्ट्र में इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि शिक्षा नीति और कुछ शैक्षणिक प्रयासों के माध्यम से इस दिशा में पहल हुई है, परंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ अब भी विद्यमान हैं।

सुझाव:-

1. नीतिगत हस्तक्षेप:

शांति शिक्षा को शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक एक स्पष्ट, अनिवार्य और मूल्य-आधारित विषय के रूप में स्थान दिया जाए।

2. शिक्षक प्रशिक्षण:

B.Ed. एवं D.El.Ed. जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शांति शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, और कार्यरत शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

3. पाठ्यक्रम का पुनर्गठन:

विभिन्न विषयों में शांति से जुड़े मूल्य जैसे करुणा, समानता, सहिष्णुता आदि को अंतरविषयी दृष्टिकोण से जोड़ा जाए।

4. विद्यालयीन वातावरण का सशक्तीकरण:

विद्यालयों को केवल ज्ञान केंद्र नहीं, बल्कि "शांति के प्रयोगशाला" के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी शांति के मूल्य आत्मसात करें।

5. समाज एवं अभिभावकों की सहभागिता:

शांति शिक्षा के प्रयासों में समुदाय, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की भूमिका को सक्रिय किया जाए।

6. प्रौद्योगिकी का उपयोगः

डिजिटल सामग्री, वीडियो, कहानियाँ, केस स्टडी, और संवाद आधारित मंचों के माध्यम से शांति शिक्षा को आकर्षक और प्रभावी बनाया जाए।

अंततः यदि शांति शिक्षा को नीति, व्यवहार और संस्कृति का अंग बनाया जाए, तो यह न केवल वर्तमान पीढ़ी को बेहतर मनुष्य बना सकती है, बल्कि विश्व को भी अधिक न्यायपूर्ण, करुणामयी और स्थायी शांति की ओर अग्रसर कर सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः-

1. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की शांति शिक्षा पर रिपोर्ट्स।
2. गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित सामग्री।
3. गांधी, महात्मा (1929): हिन्द स्वराज शांति, अहिंसा और नैतिक शिक्षा पर गांधीजी की मूलभूत विचारधारा।
4. जॉन डेवी (John Dewey) (1916): Democracy and Education शिक्षा और लोकतंत्र के माध्यम से शांति के विकास पर दृष्टिकोण।
5. पाउलो फ्रेरे (1970): Pedagogy of the Oppressed शोषण से मुक्ति और समता की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले विचार।
6. मारिया मोंटेसरी: Education and Peace बाल्यकाल से ही शांति मूल्यों के विकास पर बल।
7. जोहान गालतुंग (Johan Galtung): Peace by Peaceful Means (1996) सकारात्मक और नकारात्मक शांति, संघर्ष समाधान आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत।
8. यूनेस्को (UNESCO) रिपोर्ट (1995): Learning : The Treasure Within (Delors Report) शिक्षा के चार स्तंभों में "साथ रहने की कला" को शांति शिक्षा का आधार माना गया।
9. UNESCO (2002): Education for a Culture of Peace वैश्विक शांति संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीति का दस्तावेज।
10. कस्तूरी, के0जी0 (2003): शांति शिक्षा: अवधारणा और परिप्रेक्ष्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा का विश्लेषण।
11. श्रीवास्तव, ए0एन0 (2012): शांति और मूल्य शिक्षा विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति और नैतिक शिक्षा का समावेश।
12. भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT): शांति शिक्षा: शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका (2006)
13. "Peace Education : Theory and Practice" & lan Harris vkSj Mary Lee Morrison
14. "Teaching Peace : A Dialogue on the Purpose of Education" & bell hooks.
15. "Peace Education : How We Come to Love and Hate War" & Nel Noddings Faster Capital 3.

समकालीन हिन्दी गजल में नारी शोषण एवं अत्याचार

डॉ० नूतन शर्मा

एम. ए., एम. फिल., पीएचडी., हिन्दी विभाग, युनिवर्सिटी ऑफ मैसूर

सारांश – हिन्दी साहित्य में गजल का आगमन तो उर्दू से ही हुआ है लेकिन हिंदी साहित्य में एक लोकप्रिय तथा सशक्त विधा के रूप में प्रयुक्त हुई है। समकालीन हिन्दी गजल अपनी परंपरागत श्रृंगार से आगे बढ़कर सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक मुद्दों तथा सांस्कृतिक पहचान की तरफ अपना पैंठ जमा चुकी है। जिसमें नारी शोषण एवं अत्याचार एक प्रमुख धारा के रूप में उभरा है। समकालीन हिंदी गजलकारों ने नारी शोषण एवं अत्याचार के हर पहलू पर प्रकाश डालें हैं।

प्रस्तावना – हमारे भारतीय समाज की यह एक निंदनीय विडम्बना ही है कि जिस भारत में नर से कई गुना बढ़कर नारी का अस्तित्व होता था और "यत्रनर्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता" उसी भारत में नारी शोषण एवं अत्याचार व्याप्त होता चला आ रहा है। नारी को भोग एवं विलास की वस्तु के रूप में भी देखा गया है। नारी शोषण एवं अत्याचार से स्वतंत्र होने के लिए साहित्य में हमेशा से प्रयास भी होते रहे हैं परन्तु उसकी स्थिति दयनीय ही रही है। वर्तमान भोगवादी समाज में नारी शोषण एवं अत्याचार दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम सब इससे भलीभांति अवगत है कि गजल एक ऐसी विधा है जिसका उद्‌गम नारी से हुआ है अर्थात 'प्रेमिका से वार्तालाप'। समाज में नारी के अस्तित्व का समय के साथ परिवर्तन होते रहे उसी प्रकार नारी शोषण एवंम अत्याचार को प्रयुक्त कर हिन्दी गजल को अभिव्यक्त करने के अंदाज में परिवर्तन हुआ है।

परिवार की निर्धनता का सर्वप्रथम प्रभाव नारी पर ही पड़ता है जिसमें प्राचीन काल से ही हमारे समाज में अनमेल विवाह की कुप्रथा मौजुद है। गरीब पिता को लालच देकर उसकी कम उम्र की बेटी के साथ अधेड़ उम्र का व्यक्ति शादी करता है एक युवती को बूढ़े के साथ अधेड़ उम्र का व्यक्ति वैवाहिक जीवन व्यतीत करने को मजबूर किया जाता है। उस शोषित नारी की इच्छा और जरुरत को महत्त्व नहीं दिया जाता है। नारी की मार्मिक वेदना का चित्रण करते हुए जहिर कुरेशी जी कहते हैं –

"उस सुहागिन की व्यथा आप भला क्या समझे
जिसके तपते हुए यौवन का मिला तन बूढ़ा"।[1]

आज के युग में ज्यादातर लोग हवस के शिकारी हो गए है और हर आये दिन गली चौराहों पर बलात्कार होती रहती है। कहीं भी रास्ते में एक अकेली औरत को देखकर जंगली जानवर की तरह झपट पड़ते है। नारी की कोई इज्जत मर्यादा नहीं रह गई है। नारी तो बस हवस की भूख मिटाने वाली मशीन है। इस पाशविक समाज में नारी का जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। जहिर कुरेशी जी जी नारी की इस मार्मिक चित्रण की अभिव्यक्ति इस प्रकार करते है–

" एक औरत अकेली मिली जिस जगह
मर्द होने लगे जंगली जानवर"।[2]

कलयुगी पति अपनी पत्नी को निर्जीव वस्तु समझकर जैसे चाहे वैसे नचाता फिरता है। तरक्की के लोभी तथा स्वार्थी पति अपनी पत्नी को साहब के बिस्तर तक भेजने से भी कतराते नहीं है। जहिर कुरेशी जी इस यथार्थ का चित्रण को इस प्रकार अभिव्यक्त करते है–

"महत्वाकांक्षी पति के इशारों पर
गयी थी कल भी वो साहब के बिस्तर तक"।[3]

हम कितना भी कहे कि औरत आज हर क्षेत्र में आगे है पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है फिर भी नारी को वो स्थान नहीं मिल पाया है जो पुरूषों का है। नारी आज अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए आर्थिक रूप से भी मदद करने में सक्षम होती है। लेकिन औरतों को घर में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक की औरतो को स्वयं का भी निर्णय लेने का अधिकार व उचित सम्मान एवं आजादी नहीं मिल पाई है। इस यथार्थ को जहिर कुरेशी जी इस प्रकार कहते है–

"आपने पत्नी को सारे सुख बराबर के दिए
किन्तु, मिल सकती नहीं उसको बराबर की जगह"।[4]

हमारे समाज में पुरूषों की तुलना में नारी की संख्या घटती जा रही है। पुरूषों और महिलाओं में अनुपात बढ़ गया है। जन्म से पूर्व लिंग परिक्षण करके कन्या को कोख में ही मार दिया जाता है। वर्तमान युग में हमारे समाज की 'भ्रूण हत्या' सबसे चिंतनीय समस्या है। सरकार ने इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है लेकिन फिर भी डाक्टर पैसे के लालच में लिंग परिक्षण कर रहे हैं। पढ़े लिखे ज्ञाता

लोग भी नारी की समानता की बात तो करते ही है लेकिन उन्हें अपने घर में लड़का ही चाहिए क्योंकि उन्हें अपने घर के वंश को आगे जो बढ़ाना है। इस घिनौनी एवं चिंतनीय समस्या से कुरेशी जी बहुत दुखी होते हुए कहते हैं-

"लिंग निर्धारण समस्या हो गई
कोख में ही कत्ल कन्या हो गई
लोग कर पाए नहीं खुल कर विरोध
सिर्फ अखबारों में निंदा हो गई"।[5]

नारी का स्थान कभी पूजा घरो में हुआ करता था लेकिन अब नारी की स्थिति दयनीय होती जा रही है। डा. कुंअर बेचौन जी नारी के प्रति अपनी करुणा को अभिव्यक्त करते हुए बताते है कि नारी मात्र भोग की वस्तु ही नहीं बल्कि माँ बहन और बेटी भी है। समाज के पुरूष अगर नारी को इन सब रिश्तों की दृष्टि से देखने लगे तो नारी के जीवन में भी रोशनी आ सकती है। इसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार करते है-

"ये बीवी ही नहीं, माँ है, बहन है, और बेटी है
ये किसने कह दिया औरत तो बिस्तर का खिलौना है"।[6]

इस समाज में मनुष्य पाशविक विचारधारा के हो गए है। नारी को मात्र भोग की वस्तु तथा हवस की भूख मिटाने वाली मशीन समझ कर उपभोग करते है और नारी इसी को प्रेम समझकर पूजती है। प्रेम के नाम पर पुरूष औरत को सताते रहते है और औरत चुपचाप सहती है। जबकि औरत दया और करुणा की मूरत है लेकिन पुरूष भोग की वस्तु समझकर इन पर अन्याय तथा अत्याचार करते रहते है। डॉ कुंअर बेचौन जी कहते है-

"मोहब्बत ने कहा मुझसे सताये जा सताये जा
तुझे मैं प्यार ही दूँगी कि औरत की तरह हूँ मैं"।[7]

एक औरत की जिंदगी भगवान भरोसे ही है वो न घर की होती है न घाट की दरअसल वो कहीं की भी नहीं होती है। बचपन से ही लड़की को पराया धन कहकर पुकारा जाता है और शादी के बाद ससुराल में पराये घर से आई है यह कहकर पुकारा जाता है। औरत अपनी इच्छा को त्यागकर सभी लोगो का ख्याल रखती है तन मन धन सब न्यौछावर कर देती है तभी भी यह एहसास कराया जाता है कि वह दुसरे घर से आई है। बेटियों को जन्म से ही पराया धन कहकर दुसरे वर्ग की श्रेणी में दर्ज किया गया है। औरत की इसी व्यथा को अशोक अंजुम जी इस प्रकार व्यक्त करते है-

"किस घर को अपना घर समझे
जीवन भर कब जानी बिटिया
चौका, चूल्हा, झाड़ू, बर्तन
भूल गई शैतानी बिटिया"।[8]

बेटी के जन्म पर पिता कोई खुशियाँ नहीं मना पाता क्योंकि उसको बेटी की शादी के लिए जो दहेज खर्च है उसकी चिंता सताने लगती है। बेटी की विदाई पर जीवन यापन तथा उपहार के तौर पर कुछ दिया जाता था लेकिन अब वो एक दहेज नामक अभिशाप समाज में पैर फैला चुकी है। एक मजबूर पिता अपनी बेटी के जन्म से ही यौवन तक दहेज के खर्च जुटाने में ही तबाह रहता है। ऐसे बेचौन पिता के दर्द को गजलकार निरंजन जी इस प्रकार व्यक्त किया है ख

"बेटी हुई सयानी, व्यहूँगा कैसे उसको
मुफलिस का जिस्म, उसकी चिन्ता में गल रहा है"।[9]

महिलाओं पर हमेशा शोषण और अत्याचार होता रहा है। पुरूष प्रधान समाज में नारी को कान पकड़कर जिस तरह चाहे नचा सकते है ये उनका सर्वसिद्ध अधिकार है। नारी के साथ दुर्व्यवहार हर जगह किया जा रहा है लेकिन दु:ख इस बात का है कि आज नारी पुरूष से कंधे से कन्धा मिलाकर चल रही है फिर भी हर क्षेत्र में उनसे आगे है तब भी उनके साथ छल कपट हो रहा है। इक्कसवीं सदीं में corporate office में ये देखने को मिलता है कि समंअम पद तमसंजपवद में रहने का चलन हो गया है और जब मन भर जाये तो नारी को मक्खी की तरह बाहर निकाल फेको उसके बावजूद नारी समाज के डर से मौन रहती है। ऐसी मानसिकता को अदम गोंडवी जी इस प्रकार व्यक्त करते है-

"औरत तुम्हारे पाँव की जूती की तरह है
जब बोरियत महसूस हो घर से बाहर निकाल दो"।[10]

इस समाज में औरत के लिए कोई खुशी कोई तीज त्यौहार कुछ भी नहीं है। औरत की जिंदगी हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। यहाँ पर हर रोज औरत के साथ शोषण होता रहा है। वो हमेशा डरी सहमी सी रहती है औरते अपने अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ओमप्रकाश यती जी कहते है-

"हँसी खामोश हो जाती , खुशी खतरे में पड़ती है
यहाँ हर रोज कोई दामिनी खतरे में पड़ती है"।[11]

कई जगह पर नारी पर हो रहे दुष्कर्म का आरोप स्वयं नारी ही है गजलकारों का ऐसा मानना है कि आजकल महानगरों में लडकियाँ उच्च शिक्षा तथा नौकरी प्राप्त कर रही है जिससे वो पूरी तरह से आजाद है। इनपर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता कि ये कहाँ आ जा रही है तथा किससे मिल जुल रही है। इसी बात की कुछ लडकियाँ अपने सौक को पूरा करने के लिए देह व्यापार कर रही है। आजकल के शहरी चकाचौंध में लोग पैसे के खातिर कुछ भी करने से कतराते नहीं है। कुछ लडकियाँ अपनी नौकरी पेशा में उन्नति प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत से काम ना करके देह बेचकर सौदेबाजी कर रही है। जवानी में तो खूब खुलकर देह व्यापार करने में मदमस्त है लेकिन एक दिन पछताना पड़ेगा। शहरी वातावरण में पली बढ़ी लड़कियों के बिगड़े हुए रूप का चित्रण किया गया है–

"जो अपनी देह को , यौवन में खुलकर खर्च करती थी
वो लड़की अपनी इस करनी पे कल पछताने वाली है"।[12]

समाज में भी यह दृश्य देखने को मिलता है कि गरीब परिवार की औरत को अपने बच्चे के पालन पोषण की खातिर अपने शरीर को बेचकर ही अपने बच्चों का पेट भरती है। औरत खुशी से नहीं तंगहाली जिंदगी से मजबूर होकर अपने जिस्म की सौदेबाजी करती है। ये पेट की भूख एक ऐसी तड़प है कि इंसान से कुछ भी करा सकता है। अदम गोंडवी जी कहते है ख्र

"रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बतायेगी
जिसने जिस्म गिरवी रख के ये किमत चुकाई है"।[13]

सम्पूर्ण समाज में दहेज नामक विषैली बीमारी बहुत तेजी से पैर पसार ली है। भारत सरकार ने दहेज विरोधी कानून बनाये है फिर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गरीब पिता इतने लचार हो गए है कि अपनी बेटी का कन्यादान तक नहीं कर पाते है इस पीड़ा से आहत होकर गरीब घर की लडकियाँ आत्महत्या कर लेती है। कहीं पर तो ये भी देखा जाता है कि ससुराल वाले दहेज के खातिर अपनी बहू को जिन्दा जला देते है। समाज की हर प्रथा में नारी ही प्रताड़ित होती है। चंद्रसेन विराट जी व्यक्त करते है–

"पाया नहीं दहेज जला दी गई बहू
हसते है हैवान कि अपना देश यही
फाँसी पर लटकी खुद कुँवारी कन्याएँ
दे दहेज प्रतिदिन कि अपना देश यही"।[14]

निष्कर्ष – समकालीन हिंदी गजल में नारी शोषण एवं अत्याचार का बहुआयामी रूपों हिंदी गजलकारों द्वारा चित्रण किया गया है। जिसमें नारी पर हो रहे अत्याचार, भ्रूण हत्या, बेमेल विवाह, देह व्यापार ,दहेज हत्या आदि इस गंभीर मुद्दों पर हिंदी गजलकारों ने अपनी कलम से नुकीली प्रहार किये हैं। हिंदी गजल में नारी पर अत्याचार एवं शोषण को केंद्र में रखकर हम यह कह सकते है कि यह केवल मनोभाव की अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक दस्स्तावेज बन गई है इसीलिए यह एक प्रभावशाली विधा बनकर उभरी है। समकालीन हिंदी गजलकारों में नारी विमर्श पर दृष्टि डालने में जहिर कुरेशी जी का योगदान अमूल्य है। गजलकारों ने नारी पर हो रहे अत्याचार तथा शोषण को जीवित रूप में दर्शाया है लेकिन नारी की मन:स्थिति तथा वेदना के आत्मीय रूप का ना के बराबर ही प्रस्तुतीकरण हुआ है। फिर भी नारी शोषण एवं अत्याचार का व्यापक रूप में चित्रण कर समाज को नारी के प्रति संवेदनशील बनाया है।

संदर्भ सूची:

1 चाँदनी का दु:ख – जहिर कुरेशी – 69
2 चाँदनी का दु:ख – जहिर कुरेशी– 73
3 वही – 73
4 समंदर व्याहने आया नहीं – जहिर कुरेशी –28
5 Kavitakosh-org>jahirkureshi
6 तो सुबह हो – डॉ कुंअर बेचौन – 53
7 नाव बहता हुआ कागज – डॉ कुंअर बेचौन – 56
8 अशोक अंजुम की प्रतिनिधि गजलें – अशोक अंजुम – 59
9 गजल के बहाने [पत्रिका] डॉ दरवेश भारती – अंक15 मई 2014
10 हिंदी गजल के नवरत्न – डॉ मधु खराटे – 109
11 वही – 211
12 पेड़ तन कर भी नहीं टूटा – जाहिर कुरेशी – 114
13 धरती के सतह पर – अदम गोंडवी – 26
14 न्याय कर मेरे समय – चंद्रसेन विराट – 63

ऐतिहासिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण

डॉ० मीनू कुमारी

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, आर.डी.एस. कॉलेज, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति के विश्लेषण पर केन्द्रित है। यद्यपि, हिन्दू माइथोलोजी के अनुसार, भगवान विष्णु के शासन में तीन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विभाग महिलाओं को दिए गये थे। लक्ष्मी, धन की देवी, सरस्वती, ज्ञान की देवी एवं दुर्गा, शक्ति की देवी के रूप में थीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सनातन धर्म के लोग तीन देवियों की पूजा करते हैं। उनके नाम के पहले उनकी पत्नी का नाम आता है। जैसे, लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर, सीताराम, राधेकृष्ण। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति पुरूषों की तुलना में कम नहीं थी हालांकि वस्तुस्थिति पर अगर ध्यानाकृष्ट किया जाए तो भारत में महिलाएँ सदियों से शोषित, पीड़ित दमित, उपेक्षित एवं पराधीन रही है। दारूण दु:ख के बावजूद दया, करूणा, ममता, संवेदनशीलता, मातृत्व तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी पति के प्रति निष्ठा, समर्पण, सेवा भाव महिलाओं की विशिष्ट पहचान रहा है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने नारी की स्थिति का मार्मिक विश्लेषण करते हुए लिखा ''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखो में पानी''। वस्तुत:, जैसे-जैसे पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक सत्ताएँ मजबूत होती गई, पितृसत्तात्मक समाज का स्वरूप स्पष्ट होता गया, वैसे-वैसे महिलाओं की स्थिति समाज में दोयम स्तर की होती गई। हालांकि 20वी शताब्दी के पूर्वाद्ध में देश को मिली स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान में स्त्रियों के गुणात्मक विकास हेतु आरक्षण के प्रावधान ने उनके जीवन को एक नया आयाम प्रदान किया है किन्तु समाज एवं परिवारिक स्तर पर स्त्री-पुरूष प्रभेद विद्यमान है। अतएव प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं की ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हेतु द्वितीयक आँकड़े का स्त्रोत व आनुभावात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि द्वारा विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

संकेत शब्द:- महिला, पुरूष, ऐतिहासिक, राजनीतिक, परिप्रेक्ष्य, अनुभावात्मक एवं विश्लेष्णात्मक

यद्यपि, 'मातृ देवों भव:' या 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' या 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता: की अवधारणा इस बात का सबूत है कि तत्कालीन समाज में महिलाओं की समाजिक स्थिति पुरूषों के मुकाबले कम नहीं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार ए. एस. अल्तेकर ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक श्जेम चवेपजपवद वि वउमद पद भ्पदकन ब्पअपसप्रंजपवदश् में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की सामाजिक हैसियत पुरूषों के बराबर ही थी।1 इसी तरह राष्ट्रवादी इतिहासकार और प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं महिलाओं पर सम्यक् ब्यौरा देने वाले आर.सी. दत कहते हैं

''महिलाओं को पुरी तरह अलग-थलग रखना और उनपर पाबंदियाँ लगाना हिन्दू परम्परा नहीं थी। मुसलमाओं के आने तक ऐसी बातें अजनबी थी। महिलाओं की ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हिन्दुओं के अलावा और किसी प्राचीन राष्ट्र में नहीं दी गई थी"।[2] आर.सी.दत्त आगे लिखते हैं कि प्राचीन हिन्दू साहित्य का अध्ययन करने वाले भारत के इतिहासकारों को यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि ग्रीस एवं रोम के सबसे सुदंर दिनों में भी महिलाओं को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं था जैसा कि तीन हजार साल पहले भारत में था।[3]

विदित हो कि इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही स्याह है। शास्त्रों में इच्छानुसार स्त्री पर शासन और योग करने का अधिकार पुरूष को दिया गया है। यज्ञ के पश्चात् दक्षिणा के रूप में गाय और स्त्रियों का दान देने का रिवाज था। 'ऐतरेय ब्राह्मण' में कन्या के जन्म को अभिशाप कहा गया। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को मिथ्याचारिणी, दुर्भाग्यस्वरूपा, मदिरा या जुए की तरह व्यसन मात्र कहा गया। सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ नारी को भी अधम पुरूष से हीन माना गया। मनुस्मृति में नारी के चरित्र को अविश्वसनीय कहा गया- 'त्रिया चरित्रम्, पुरूषस्य भाग्यम् देवौ ना जानाति कुतो: मनुष्य:'।[4] महिलाओं के चाल-चलन पर शक करना तथा पुरूषों को विवाहेत्तर संबंध रखने की आजादी पुरूष प्रधान समाज की वर्चस्ववादी मानसिकता का परिचायक है। इसी तरह, विवाह के सभी मंत्रों में कहा गया है कि पत्नी चिन्तन और कर्म के स्तर पर पति की अनुवर्तिनी हो, पति के चित्त की अनुगामिनी हो लेकिन पति के लिए कोई आचार-संहिता निर्धारित नहीं की गई। ज्यों-ज्यों पितृसत्तात्मक समाज और ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत होती गई, नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्तर गिरते गए। तमाम तरह की समाजिक बंदिशें, वर्जनाएँ महिलाओं के ऊपर थोप दी गई। चूँकि, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था पर पुरूषों का एकछत्र आधिपत्य था। इसलिए नारियों का शोषण, दमन और उपेक्षा सामाजिक रीति-रिवाज बन गया। प्राचीन काल में तो महिलाओं को थोड़ी-बहुत आजादी भी थी लेकिन मध्यकाल या सामंतवादी युग आते-आते सामाजिक-राजनीतिक वातावरण

ऐसा बना जिसमें महिलाओं की दशा और दयनीय हो गई। सती-प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-हत्या, पर्दाप्रथा जैसी तमाम कुरीतियाँ एवं बुराईयाँ घर कर गई। साहित्य, समाज का आईना होता है। मध्यकालीन साहित्यिक रचनाओं को देखने से तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। महाकवि तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस हर हिन्दू परिवार में पाई और पढ़ी जाती है, महिलाओं के बारे में अच्छे विचार व्यक्त नहीं किये हैं। जैसे:-

'बृद्ध रोग बस जर धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना
ऐसेहुँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दु:ख नाना'[5]

'जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसिअ नाथ पुरूष बिनु नारी'[6]

'ढ़ोल, गंवार, शुद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी'[7]

'महावृष्टि चलिफूटी किंआरी, जिमि स्वतंत्र भए बिगरहिं नारी'[8]

'विधिहू न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अध अवगुण खानी'[9]

'पतिबंचक परपति रति करई, रौरव नरक कलपसत परई'[10]

'नारी स्वभाव कवि सब कहहिं, अवगुण आठ सदा उर रहहीं'[11]

जैसी तमाम पंक्तियाँ इस बात का परियचायक है कि जमाने में महिलाओं के प्रति किस प्रकार की सोच थी। पुरूष के लिए महिला पैर की जूती के समान थी और कुछ नहीं। विद्रोही कवि कबीर दास जिन्हें सामाजिक-धार्मिक बुराईयों के खिलाफ खूब लिखा है, महिलाओं के बारे में उनकी धारणा कैसी है, यह उनकी इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाती है- 'नारी की झाँई परत, अंधा होत भुजंग'। स्पष्ट है कि मध्ययुग सामंतवादी मानसिकता का बोलबाला था जिसमें महिलाओं की स्थिति दासी या सेविका से अधिक की न थी। 'वीर भोग्या वसुंधरा या 'जोरू-जमीन' जोर की, नहीं तो और के जैसी लोकोक्तियाँ तत्कालीन समान महिलाओं की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। यहाँ यह भी काबिलेगौर है कि संपन्न घर की महिलाओं के स्थिति विपन्न परिवार की महिलाओं से अच्छी थी और गरीब महिलाओं का तो दोहरा शोषण होता था। भोजपुरी की इस कहावत से यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है- 'गरीब की लुगाई, सबकी की भौजाई महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर उनकी भूमिका बच्चा पैदा करने तथा चूल्हा-चौका तक सीमित करने में धार्मिक मठाधीशों एवं शासकबाजों की मिलीभगत रही। फलत:, आम महिला स्त्री विरोधी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाई। धार्मिक मान्यताओं के विरोध का अर्थ इहलोक और परलोक दोनों को बिगाड़ना बाताकर धर्म की गुलामी की मानसिकता पर मजबूती से सीमेंट लगा दिया गया ताकि उसमें कोई दरार भी न पड़ पाये। वस्तुत: सभी धर्मों की जकड़ महिलाओं पर सर्वाधिक रही है।[12] यही कारण है कि हमेशा से नारी पुरूष से अधिक धर्मभीरू रही हैं। चूंकि धर्म और नैतिकता परम्परा पर फलते-फूलते हैं, धर्मभीरू होने का अर्थ ही है 'बदलाव को रोकना'। चाहे वह बदलाव महिला की स्वयं की स्थिति को मानवीय बनाने की दिशा में अदना सा कदम ही क्यों न हो। धर्मभीरू महिला धर्म के नाम पर प्रगतिशील एवं बहुलवादी कदमों का विरोध करती रही हैं। धर्म और नैतिकता के नाम पर असामनता और शोषण पर फलने-फूलने वाली व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक महत्त्वपूर्ण सफल रणनीति बनाई गई।[13] ज्योतिबा फूले, रमाबाई, ताराबाई, एम.जी. रानाडे, के. वीरेशलिंगम, भाई रामसिंह जैसे समाज सुधारक और इनके संगठनों के अथक प्रयास से अंग्रेजी सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कई कानून बनाये जो निम्नवत है:-

(1) सती प्रथा रोकने के लिए कानून बनाए गए, 1829।
(2) विधवा पुनर्विवाह कानून, 1856।
(3) बालिका हत्या निषेध कानून, 1830।
(4) बाल-विवाह पर रोक लगाने हेतु कानून, 1929।
(5) हिन्दू वीमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी कानून पास हुआ, 1937।[14]

यद्यपि, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुन: काफी संघर्ष के बाद कानून बनाये गए जो निम्नवत् है:-

(6) हिन्दू विवाह कानून, 1955।
(7) हिन्दू उत्तराधिकारी कानून, 1956। साथ ही, हिन्दू अल्पवयस्क और संरक्षण कानून संसद से पास हुआ।
(8) दहजे निरोधक अधिनियम पारित किया गया, 1961 में जिसमें दहेज लेना और देना दोनों को संगीन अपराध घोषित किया गया।
(9) महिला हित में पाारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984।
(10) महिला अशिष्टरूपण निषेध कानून, 1986।
(11) सती प्रथा निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1987।
(12) महिला घरेलू हिंसा निषेध कानून पारित किया गया।
(13) 1990 में पारित कानून के तहत 31 जनवरी 1992, एक संवैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग गठन किया गया जो महिला विकास एवं कल्याण के लगभग हर पक्ष पर काम करता है।

विदित हो कि यह महिलाओं को मिले कानूनी अधिकारों से जुड़े सभी मुद्दों की मॉनिटरिंग करता है। यह मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है तथा जहाँ भी उसे कोई कमी या जरूरत दिखाई देती है, सरकार को उचित संशोधन का सुझाव देता है।

अतएव, इसका मूल कार्य महिलाओं को दिए गए संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है।[15] इसी तरह, समय-समय पर न्यायालय ने भी महिला-सशक्तिकरण के रथ को अपने निर्णयों से आगे बढाने का काम किया है- चाहे तलाकशुदा महिलाओं के जीवन-यापन संबंधी निर्णय हो या बिना शादी किए पति-पत्नी के रूप में रहने के लिए (लिव-इन-रिलेशनशिप) वाली महिलाओं के अधिकारों का सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष मे फैसला दिया है।[16] महाराष्ट्र सरकार बनाम सी.पी. जैन मामलों में 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त को सजा देने के लिए पीड़ित महिला का प्रमाण कथन मात्र ही पर्याप्त है।[17]

ध्यातव्य है कि कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन-शोषण एवं उत्पीड़न न हो, इसके लिए विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लैंगिक समानता के लिए महिलाओं के कार्य-स्थल पर सुरक्षित माहौल हो क्योंकि संविधान में वर्णित जीने के अधिकार में सम्मान से जीना शामिल है। निर्णय के अनुसार नियोजक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यौन-उत्पीड़न की हरकतें रोकने का उपाय करें तथा उसे सुलझाने एवं अभियोजन चलाने हेतु समुचित करवाई करें।[18] सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में 6 जुलाई 2015 को एक मामले में फैसला दिया कि अविवाहित माँ अपने बच्चों का अभिभावक होगी, पिता के नाम की अनिवार्यता अब नहीं होगी।[19]

यद्यपि, भारत का संविधान स्त्री-पुरूष सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, धर्म एवं उपासना की आजादी की गारंटी देता है तथा इसमें महिला हितों एवं संरक्षण के कई अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है किंतु विद्वानों ने संविधान में भी कई खामियों का उल्लेख किया है। प्रो0 उपेन्द्र बक्शी लिखते हैं कि पुरे संविधान में स्त्रियों का संदर्भ केवल छः बार आया है। इनमें पाँच बार यह संदर्भ पुरूषों तथा बच्चों के साथ है। धारा 15(2) लिंग के आधार पर केवल सार्वजनिक स्थानों पर तथा सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग पर किसी प्रकार के भेद-भाव को रोकती है। संविधान में महिलाओं को दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ती-जातियों की तरह सामाजिक उपेक्षा एवं अलगाव का शिकार नहीं माना गया। अतएव, इन कमजोर जाति की महिलाओं को भी कमजोर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। संविधान में पितृसत्ता को महिला समानता की राह में रोड़ा न मानकर एक नैसर्गिक संस्थान के रूप में लिया गया है।[20] प्रो0 ए0 आर0 देसाई के अनुसार, संविधान के भाग तीन और चार में महिलाओं को संरक्षण देने वाली धाराएँ संविधान के भाग तीन 25-28 धाराओं से निरस्त हो जाती है। ये धाराएँ देश के सभी नागरिकों को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार देती हैं। समाज के सभी धर्म व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं यौन संबंधी मामलों में महिलाओं के समानता के अधिकार के आड़े आते हैं। संविधान सभी की महिला तथा अन्य संवेदनशील सदस्यों ने उस समय भी धार्मिक विश्वासों की आजादी को मूल अधिकार के आड़े बताया। संविधान सभा की महिला तथा अन्य संवेदनशील सदस्यों ने उस समय धार्मिक विश्वासों की आजादी को मूल अधिकार घोषित करने को महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन कहा और उसका विरोध किया था। राजकुमारी अमृत कौर और हंस मेहता ने जोर देकर कहा था कि पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, बहु विवाह, अर्न्तजातीय विवाह एवं विधवा विवाह का विरोध असमान उत्तराधिकार तथा संपत्ति के अधिकार, देवदासी जैसी कुप्रथा की जड़े धर्म में ही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों का हिस्सा बन जाने से इन कुप्रथाओं को मिटाना असंभव हो जाएगा। इसी तरह 23-24 में शोषण के विरूद्ध अधिकार में उद्योगपतियों एवं जमीदारों द्वारा बिना मजदूरी के किये गये श्रम को भी श्रम नहीं माना गया।[21]

ध्यातव्य है कि रत्ना कपूर तथा उनके सहयोगियों ने संविधान के स्त्री संरक्षण संबंधी कानूनी पहलूओं का गहन अध्ययन किया है। उनका मत है कि पिछले 50 सालों में लिंग-भिन्नता के संदर्भ में तीन दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। उनमें से एक रक्षावादी है। इसमें महिलाओं को पुरूषों से भिन्न कमजोर पुरूष पर आश्रित तथा सुरक्षा का आकांक्षी माना जाता है। दूसरा दृष्टिकोण समानता या एकरूपता का समर्थक है। तीसरा दृष्टिकोण महिलाओं को सदियों से दमित या शोषित मानता है। उनकी स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रावधानों की वकालत करता है। इसी दृष्टिकोण के समर्थकों का विश्वास है कि लिंगतटस्थ कानून वास्तव में तटस्थ नहीं होते बल्कि पुरूषों की आवश्यकताओं के अनुसार बनते हैं। महिला सुरक्षा के प्रावधानों की अवधारणा अक्सर पारिवारिक अवधारणा से प्रभावित होती है। लिंगो की कुदरती भिन्नता को कानूनी सुरक्षा का जामा पहनाया जाता है। अक्सर इससे महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन होता है।[22]

यद्यपि शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है किन्तु कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन-शोषण और उत्पीड़न भी बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष या संकेत रूप से प्रदर्शित सारे अवांछित यौन व्यवहार आते हैं जो शारीरिक संपर्क या संकेतकों, यौन कार्य की याचना, यौन सूचक टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना या अन्य अवांछित शारीरिक यौन जनित व्यवहार के रूप में व्यक्त किये गये हो जिसमें महिलाओं के लिए यह विश्वास करने का आधार विद्यमान हो कि उसका अस्वीकार (यौन उत्पीड़न में) उसकी नियुक्ति या प्रोन्नति को प्रभावित कर सकता है। वस्तुतः

महिला अपनी अस्मिता एवं सम्मान के प्रति इतनी संवेदनशील होती है कि कदम-कदम पर उसे तत्कालीन परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारी, सम्मान की चिंता, लोक-लाज का भय, सामाजिक तिरस्कार की ग्लानि, कुछ ऐसे भी कारण हैं कि जिनकी वजह से वे अपने साथ हुए दुर्व्यवहारों एवं यौन उत्पीड़न को सह लेती है। इस संबंध में सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर विशाखा कानून को लागू करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। तरूण तेजपाल जैसे बड़े पत्रकार और आर.के. पचौरी जैसे नोबेल पुरूस्कार विजेता का नाम जब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की भूमिका भी नकारात्मक ही रही है और कई बार तो हाजत में या पुलिस कस्टडी में बलात्कार की खब्बरे मानीवय संवेदना को झकझोर देती हैं। स्पष्ट है कि आम महिलाओं के लिए सामाजिक हालत में आज भी बहुत बदलाव नजर नहीं आता है।

जहाँ तक महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में बदलाव का प्रश्न है तो शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण महिला-शिक्षा में भी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह का परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। आजादी के समय शिक्षित महिलाओं की संख्या नगण्य थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरों का प्रतिशत 65.46 हो गया है जो पुरूष साक्षरता की तुलना में तो कम है लेकिन प्रगति संतोषप्रद है। सरकार के सर्वशिक्षा अभियान, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना क्रियान्वयन से ही महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती है और आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को निर्णय लेने की आजादी देता है और व्यक्तिगत मामलों में निर्णय लेने की आजादी तथा पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने में साझेदारी की क्षमता, यही तो महिला सशक्तिकरण का निहितार्थ है। हाल के वर्षों में महिलाओं ने इस बात को साबित किया है कि यदि उन्हें उचित अवसर, सकारात्मक माहौल संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो वे किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से उन्नीस साबित नहीं होगी। भारतीय गहिलाओं के लिए यह गर्व का विषय होना चाहिए कि 2015 के संघ लोक सेवा आयोग जैसे देश के सर्वोच्च प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रथम चार स्थान पर लड़कियों का कब्जा रहा और हालांकि, आज भी सौ में 35 महिलाएँ शिक्षा से वंचित हैं। खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यक महिलाओं में शिक्षा का स्तर काफी निम्न है और यह समाज और सरकार के लिए चिन्ता का विषय है।

विदित हो कि महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने में धर्म एवं धार्मिक परम्परा की बड़ी भूमिका रही है। इसने समाज में महिलाओं की भूमिका सीमित एवं निर्धारित कर दी है। वर्तमान 21वीं सदी में भी आम भारतीय नारी इस सोच से उपर नहीं उठ पायी है कि ''जैसा भी पति परमेश्वर है।'' पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी पति के दीर्घायु होने के लिए करवाचौथ, तीज, मधुश्रावणी जैसे कठोरव्रत एवं अनुष्ठान करती है, जबकि पति अपने पत्नी की दीर्घायु होने के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता है। ऐसे कई सर्वेक्षण सामने आये हैं जिसमें 60 प्रतिशत पत्नियाँ अपने पति के हाथों पिटती हैं, और वे इसे बुरा भी नहीं मानती हैं।[23]

ज्ञातव्य है कि समाज में साधारणतया विधवा विवाह वर्जित है लेकिन पत्नी की मौत के बाद पुरूषों के द्वारा दूसरी शादी करना सामान्य फितरत है। स्पष्ट है कि इस वैज्ञानिक युग में भारत में महिलाएँ धार्मिक परम्पराओं एवं वर्जनाओं के मकड़जाल में उलझी हैं।

जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का सवाल है तो यह क्षेत्र प्रारम्भ से ही महिलाओं के लिए एक प्रकार से नकारात्मक रहा है। सामान्यतौर पर कहा जाता है कि राजनीति महिलाओं के वश की बात नहीं है (यह समय की माँग करता है तथा भाग-दौड़ भी होता है साथ ही महिलाओं को पारिवारिक जवाब देही का भी निर्वहन करना पड़ता है)। चूँकि राजनीति सत्ता का खेल है और पुरूष इस खेल में महिलाओं को भागीदार नहीं बनाना चाहते हैं। क्योंकि सत्ता में भागीदारी से उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा लेकिन लोकतांत्रिक भारत में आधी आबादी को राजनीतिक सहभागिता एवं सत्ता की साझेदारी से ज्यादा दिनों तक अलग रखना न तो उचित था और न ही संभव। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता लगभग 40 प्रतिशत ही है। हालांकि, जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत है। बिहार राज्य के राजनीति में विधान सभा में महिलाओं का सर्वाधिक उच्च प्रतिशत 44.8 प्रतिशत रहा है। विदित हो कि सरकार ने 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटे आरक्षित कर दी। हालांकि, दुर्भाग्य यह है कि देश की चार बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ए.आइ.डी.एम.के. एवं बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष कभी सर्वेसर्वा महिलाएँ थी उन लोगों ने भी टिकट बंटवारा में महिलाओं का सहयोग नहीं किया था। अतएव, समय के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का राजनीति की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उन्हें विधायकी के चुनाव में आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए ताकि उन्हें सत्ता एवं निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी मिल सके । साथ ही साथ सशकतीकरण हेतु जेंडर बजट (50 प्रतिशत महिलाओं के लिए) की आवश्यकता वक्त की पुकार है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 78 वर्षों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं लेकिन सफलता का स्तर और प्रतिशत बहुत कम है। भारत में स्त्री-विमर्श आम तौर पर मध्यवर्गीय सवर्ण महिलाओं के सवालों से ही जुझता रहा है। दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक महिलाएँ स्त्री-विमर्श के केन्द्र में नहीं रही जबकि 80 प्रतिशत महिलाएँ इसी श्रेणी में आती है। इसलिए, जबतक समाज की इन शोषित, उपेक्षित एवं वंचित महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तब तक महिला

सशक्तिकरण नारा अर्थहीन ही रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा भारत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। एक पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।'' अन्ततः, महिला सशक्तिकरण के नारे को यथार्थ के धरातल पर साकार करने हेतु महिलाओं को खुद इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि 'हम किसी से कम नहीं' तभी, सशक्तिकरण का सफर जल्दी अपने मंजिल तक पहुँचेगा और इस कार्य में समाज और सरकार के भागीरथ प्रयास की जरूरत है।

संदर्भ सूचीः-

1. Alterkar , A.S. (1962) Position of women in Hindu Civilization from Pre-historic times to the present day, motilal Banarsidass, Delhi; R.P.-88
2. Datt. R.C. 1972, A. History of Civilization in Ancient India P. 168.
3. वहीं पृ. 171
4. मनुस्मृति
5. दास, तुलसी, रामचरित मानस आरण्य कांड, 2.3
6. दास, तुलसी, रामचरित मानस अयोध्या काण्ड 65-4
7. दास, तुलसी, रामचरित मानस सुन्दर कांड 62-3
8. दास, तुलसी, रामचरित मानस किस्किधा कांड 16-4
9. दास, तुलसी, रामचरित मानस अयोध्या कांड 162-2
10. दास, तुलसी, रामचरित मानस अरण्य कांड 7.4
11. दास, तुलसी, रामचरित मानस अरण्य कांड 7.4
12. Sharma Arbind; Women in world Religion, P. 18
13. भट्टाचार्य, सुकुमारी 1992, प्राचीन भारत समाज और नारी; कोलकता
14. Agrwal Bina A field of one's own; Gender and Land rights in south Asia, New Delhhi, P.P. 163-170.
15. शर्मा, ममता 2012 योजना जून पृ0-15
16. दैनिक जागरण 2013 पटना, 8 मार्च
17. शर्मा सुभाष, भारत में मानवाधिकार; एन.बी.टी. दिल्ली; पृ0 87
18. वही पृ0 88
19. Hindus Times Patna 2015, 7th July
20. Baxi Upendra 1984 Patrirchy and Law.
21. Desai A.K. 1994 Gender Role in the constitution, Vikash Publication, Ne Delhi P.P. 413
22. Kapur Ratna 1976 Subversive Sites, Sage, Delhi
23. इंडिया टुडे (हिन्दी) 2012 9-15 मई

घाघरा-गंडक दोआब में लिंग आधारित साक्षरता में प्रभेद: एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ० गणेश कुमार शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, आर.डी.एस. कॉलेज, बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर (बिहार)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र घाघरा गंडक दोआब में लिंग आधारित साक्षरता में स्थानिक कालिक प्रभेद पर केन्द्रित है। ये प्रभेद सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के परिवेश का प्रतिफल है। लिंग आधारित साक्षरता के स्थानिक प्रभेद के निर्धारण के लिए यहाँ समानता गुणांक (Coffeicient of Equality) सांख्यिकीय विधि अपनाई गई है। यह क्षेत्र राज्य के समग्र साक्षरता दर की तुलना में उच्चतर साक्षरता दर के साथ-साथ स्त्री-पुरूष साक्षरता अन्तरीय में भी उच्चतर है जो स्थानिक स्तर पर स्त्रियों के निम्न जीवन स्तर को परिलक्षित करता है।

संकेत शब्द:- प्रभेद, साक्षरता, समग्र साक्षरता, स्त्री-पुरूष साक्षरता, अन्तरीय, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, समानता गुणांक।

अवस्थिति एवं विस्तार - पश्चिमोत्त बिहार के सिवान एवं गोपालगंज जिलों से सह-सीमांकित घाघरा गंडक दोआब 25053' उ0 से 26044' उ0 अक्षांश एवं 83053' पू0 से 84045' पू0 देशान्तर के मध्य 4252 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में विस्तारित है। जिसके अन्तर्गत अंचल स्तर के 33 संघटक है। यहाँ 5892474 (2011) मानव आत्माओं का वास है। क्षेत्र की समग्र साक्षरता दर 67.7 प्रतिशत है।

संकल्पना

साक्षरता व्यक्ति समाज या राष्ट्र की सांस्कृतिक प्रगति की कसौटी है, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए न्यूनतम स्तर की साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आर.सी. चान्दना (1986)1 के अनुसार राष्ट्रीय हित में सुधारात्मक उपायों की स्वीकार्यता भी व्यक्ति में साक्षरता द्वारा ही आती है। राष्ट्रीय साक्षरता योजना (नेशनल लिटरेसी मिशन 1988)[2] ने साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने तथा अंक गणना की क्षमता का दैनिक जीवन में व्यवहृत किए जाने तक सीमित रखा गया, लेकिन उसका आयाम विस्तृत है। क्रियात्मक रूप में सम्मिलित उसके संकेतक-(1) श्री0 आर0 एस0 में आत्म-निर्भरता (2) वंचित होने के कारणों के प्रति जागरूकता तथा विकास कार्यों का सहभागी बन दशाओं का उन्नयन (3) अर्थ एवं सामान्य ज्ञान की वृद्धि हेतु कार्य कौशल की उपलब्धि तथा (4) राष्ट्रीय समाकलन पर्यावरण संरक्षण महिलाओं के प्रति समानता भाव एवं लघु परिवार की स्वीकारोक्ति है। साक्षरता का दर और स्तर अर्थतन्त्र, नगरीकरण, रहन-सहन के स्तर, स्त्रियों की हैसियत एवं धार्मिक अवधारणाओं पर आधारित जीवन मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है।

घाघरा-गंडक दोआब शहरी और औद्योगिक की तुलना में ग्रामीण तथा कृषीय अधिक है। जहाँ साक्षरता संक्रमण प्रारम्भिक अवस्था या अभी-अभी समाप्त हुआ है, अथवा वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ स्त्री पुरूष के साक्षरता में बहुत अन्तर है। स्त्रियों की साक्षरता दर इतनी न्यून है कि वहाँ की पुरूष साक्षरता दर तथा समग्र साक्षरता दर में अन्तर नगण्य है। स्त्रियों की निम्न साक्षरता दर के मुख्य कारक आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक कारक है। आर्थिक दृष्टि से गरीबी और स्त्रियों की निम्न व्यवसायिक संलग्नता के कारण स्त्री और पुरूष की साक्षरता दर में अन्तराल अधिक है। राज्य में व्यापक गरीबी, स्त्रियों की साक्षरता प्रसार एवं विकास मे महानतम अवरोध है। ऐसी गरीबी में स्त्रियों की शिक्षा की अपेक्षा पुरूषों की शिक्षा को प्रधानता प्रदान की जाती है, उसी भाँति आर्थिक लाभ परक कार्यों में स्त्रियों का योगदान भी कम है, स्त्रियाँ घरेलू छोटे-मोटे कार्यों में संलग्न होती है (कृष्ण और श्याम, 1973)[3] चूंकि स्त्रियों के शिक्षा की कोई कार्यकारी उपदेयता नही के बराबर है, फलत: उनकी साक्षरता पर कम ध्यान दिया जाता है। सामाजिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा के विरूद्ध भाव स्त्रियों के परिसंचरण पर अवरोध, उनका समाज में निम्न स्तर, बाल विवाह, विवाह के बाद पिता के घर से पति के घर गमन आदि कारणों से शिक्षा दर निम्न है। इन कारणों के अलावा ग्राम अंचलों में बालिका-विद्यालयों की कमी के साथ शिक्षिकाओं की कमी होना है। पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों के शारीरिक दुर्व्यवहार की सभावना अधिक होने के कारण बहुत से अभिभावक बालिकाओं को घर से बाहर आने जाने पर रोक लगाए रहते हैं इस प्रकार पुरूष वर्ग समाज में अपना उच्च स्थान बनाए रखते हैं। अत: शिक्षा के प्रति अरूचि रखते हैं और घर से बाहर किसी प्रकार सेवाकार्य करने के विरूद्ध रहते है (डेविड किंग्सले, 1951)[4]। इस्लाम धर्म बहुल अंचल में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति लोगों का भाव ठीक नहीं है, वहाँ समग्र साक्षरता दर उच्च है लेकिन स्त्री शिक्षा निम्नतर है। स्त्रियों की साक्षरता दर और उनके सामाजिक स्तर में उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध है। स्त्रियों को पुरूषों से निम्न स्तर प्रदान किया जाता है (चान्दना, आर0 सी0, 2006)[5]।

उद्देश्य:

वर्तमान शोध आलेख का प्रमुख उद्देश्य निम्न है:-

1. लिंग आधारित साक्षरता का स्थानिक-कालिक विश्लेषण।
2. लिंग आधारित साक्षरता-अन्तरीय का स्थानिक विश्लेषण।
3. लिंग आधरित साक्षरता में समानता गुणांक प्रवृत्ति की विवेचना।

विधितन्त्र

प्रस्तुत अध्ययन में अंचल स्तर पर साक्षरता विश्लेषण हेतु जनगणना निदेशालय से प्राप्त पी0 सी0 ए0 (2001, 2011)के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सामान्य सांख्यिकीय विधि अपनाई गई है। अंचल स्तर पर स्त्री-पुरूष साक्षरता की गणना हेतु पुरूष साक्षरता दर तथा स्त्री साक्षरता दर के अन्तर को ज्ञात किया गया है। द्वितीय चरण में, साक्षरता में पुरूष स्त्री प्रभेद के क्षेत्रीय विषमताओं के विश्लेषण के लिए यहाँ समानता का गुणांक ;ब्वर्मिपबपमदज वि म्नंसपजलद्ध विधि' अपनाई गई है।

* 1

$$C.E. = X_2/X_1$$

Where C.E. = Coffeicient of Equality

=k X_1 > or = X_2 , X_1 and X_2 are the literacy rate of alphas and non alphas respectively.

विश्लेषण

घाघरा-गंडक दोआब, राज्य स्तरीय साक्षरता दर (63.82 प्रतिशत) की तुलना में (तालिका-1) उच्चतर आलेखित है। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति स्व0 डॉ0० राजेन्द्र प्रसाद की जन्म स्थली जीरादेई (सिवान) द्वारा दोआब पहले ही महिमा मंडित हो चुका है। तालिका-1 द्वारा स्पष्ट है कि स्वातंत्र्योत्तर अवधि में दोआब में हुई साक्षरता दर की वृद्धि की प्रवृति का प्रस्फुटन हुआ है। समग्र जनसंख्या का 1951 की जनगणनानुसार 8.51 प्रतिशत जनसंख्या दोआब में साक्षर थी। एक दशक बाद 1961 में स्वतन्त्रता के बाद आए सांस्कृतिक नवोन्मेष के कारण साक्षरता दर में वृद्धि दोगुणी (16.56 प्रतिशत) प्रतिवेदित हुई, लेकिन 1961 से 1971 का दशक बाढ़, सुखा और भारत-पाकिस्तान तथा भारत-चीन युद्धों के कारणं शिक्षा के लिए एक सुस्त दशक साबित हुआ। इस अवधि में साक्षरता दर (17.36 प्रतिशत) की वृद्धि नाम मात्र की थी। तदुपरान्त इस क्षेत्र में दूसरा नवोन्मेष 1971-81 दशक से प्रारम्भ हुआ, जो 2011 की जनगणना तक उत्तरोतर रूप में तीव्रतर होता गया है। सर्वाधिक वृद्धि का कीर्तिमान 2001 एवं 2011 के मध्य स्थापित हुआ जिसमें साक्षर हाने वाली जनसंख्या मुख्यत: महिलाओं की रही। घाघरा-गंडक दोआब में साक्षरता की लैंगिक खाई अब तक के प्राप्त इतिहास के अनुसार प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है, हालांकि पुरूष-स्त्री साक्षरता का अन्तरीय सदा एक सा नहीं रहा है। यहाँ विदेशियों के सत्तासीन होने के पूर्व पर्दा प्रथा के बावजूद शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उत्थान में स्त्रियों की भागीदारी हुआ करती थी, कालांतर में जब उनकी अस्मिता पर खतरा बढ़ा तो रक्षात्मक दृष्टि से घर की चहारदिवारी से बाहर आना सामाजिक रूप में प्रतिबन्धित किया गया। अंग्रेजों का शासन काल इतना दमनकारी तो था, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा पर उनका भी ध्यान सीमित रहा, क्योंकि उन्हें तो यहाँ शिक्षा उतनी ही देनी थी, जिससे की उनका शासन तंत्र सुचारू रूप से चल सके।

तालिका-1: घाघरा-गंडक दोआब: लिंग आधारित साक्षरता का स्थानिक-कालिक प्ररिप्रेक्ष्य में, प्रभेद, 1951-2011

वर्ष	साक्षरता %				
	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री	अन्तरीय	समानता गुणाक (CE)
1	2	3	4	5	6
1951	8.57	14.14	2.03	12.11	0.14
1961	16.56	28.48	4.65	23.91	0.16
1971	17.36	29.46	5.84	23.62	0.20
1981	22.69	36.19	9.74	26.45	0.27
1991	37.29	54.86	19.78	35.08	0.36
2001	49.80	65.33	34.82	30.51	0.53
2011	67.73	78.63	56.98	21.65	0.72

स्त्रोत - डि0 सी0 एच0 सारण (1951-1971) सिवान एवम् गोपालगंज (1981) पी0 सी0 एव0 थ्रू0 सी0 डी0 (1991-2011), सिवान एवम् गोपलगंज।

तालिका 01 के 5वें 6वें खण्ड के विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वतंत्र्योत्तर अवधि में दोआब में स्त्री-पुरूष साक्षरता अन्तराल (12. 11) आलेखित है। एक दशक बाद 1961 में यह दोगुणी (24.33) प्रतिवेदित हुई जो समाज में स्त्री की स्थिति को कालान्तर निम्नतर दर्शाती है। इसके बाद के दशकों में भी यह अन्तराल मध्यम गति से बढ़ता गया, लेकिन 1991 एवं 2001 की जनगणना में साक्षरता में स्त्री-पुरूष अन्तराल की खाई और गहरी हो गयी। इस तरह, बाद के दशकों में राज्य स्तरीय अन्तराल से दोआब में स्त्री-पुरूष साक्षरता अन्तरीय उच्चतर आलेखित है। अर्थात्, राज्य में स्त्रियों की साक्षरता दर के वृद्धि एवं शिक्षा में आई क्रान्ति का प्रभाव यहाँ न्यून रहा। वर्तमान में भी दोआब की महिलाओं की आधी आबादी निरक्षर है। पिछले दशकों में उत्तरोत्तर वृद्धि के पश्चात् स्त्री-पुरूष साक्षरता अन्तराल में गत दशक (2011) में न्यूनीकरण आलेखित है, जो बिहार में स्त्रियों के साक्षरता दर में वृद्धि एवं शिक्षा में आयी क्रान्ति के परिणामस्वरूप हुआ है।

स्थानिक भिन्नताएँ

2001 जनगणनानुसार दोआब की औसत साक्षरता 49.80 प्रतिशत आलेखित की गई। यद्यपि अधिकतम साक्षरता दर सिवान (59.95 प्रतिशत) अंचल एवं निम्नतम साक्षरता दर बैकुण्ठपुर (40.80 प्रतिशत) आलेखित की गई। जनगणना वर्ष 2011 में भी सिवान (83.43 प्रतिशत) साक्षरता दर उच्चतर वृद्धि के साथ क्षेत्र में प्रथम स्थान पर पदस्थापित रहा, जबकि साक्षरता के अन्तिम पायदान पर थावे को आलेखित किया गया। क्षेत्रीय औसत साक्षरता 67.73 प्रतिशत से उच्चतर साक्षरता वाले अंचल सिवान, भगवानपुर हाट, गोपालगंज, जीरादेई, गुठनी, मैरवा, आन्दर, हसनपुरा, हथुआ, उचकागाँव, महाराजगंज, बसंतपुर, हुसैनगंज, रघुनाथपुर, गोरियाकोठी, दरौली, दरौन्धा चिह्नित है। जबकि, बैकुण्ठपुर, सिधवलिया, पंचदिउरी, भोरे, बरौली, लकड़ी नवीगंज, माझा, बरौली, कुचायकोट, फुलवरिया, नौतन, बड़हरिया, सिसवन और पंचरूखी अंचल क्षेत्रीय औसत से निम्नतर आलेखित है।

बीसवीं सदी के प्रथम जनगणनानुसार दोआब में औसत साक्षरता अन्तराल 30.51 प्रतिशत आलेखित है। औसत से उच्चतर अन्तराल फुलवरिया (33.2 प्रतिशत), हसनपुरा (33.05 प्रतिशत), दुरौन्धा (32.92 प्रतिशत), नौतन (32.78 प्रतिशत), हथुवा (32.53 प्रतिशत), सिधवलिया (32.08 प्रतिशत) भोरे (32.61 प्रतिशत), विजयपुर (32.56 प्रतिशत), पंचरूखी (31.99 प्रतिशत), महाराजगंज (31.78 प्रतिशत), मैरवा (31.76), बसन्तपुर (31.62), लकड़ीनवीगंज (31.53 प्रतिशत), भगवानपुर हाट (31.5 प्रतिशत) एवं कटैया (31.15 प्रतिशत), अंचल चिह्नित हैं। ये वे अंचल हैं, जो अनुमण्डल मुख्यालय और जिला मुख्यालय से निकट स्थित हैं। उस समय इन अंचलों में शिक्षा का अलख जग चुका था लेकिन स्त्रियों में शिक्षा की जागरूकता में अरूची एवं आधारभूत संरचना की कमी विद्यमान थी। औसत साक्षरता अन्तराल से निम्नतर संघटक, गोपालगंज (25.73) एवं सिवान (26.68) चिह्नित है, जो शहरी अपेक्षाकृत विकसित अंचल है, जहाँ महिला महाविद्यालय, गर्ल्स स्कूल जैसी आधारभूत संरचना के साथ-साथ महिला शिक्षकों का योगदान भी स्त्री साक्षरता वृद्धि में सहायक है। जबकि, बैकुण्ठपुर (26.29 प्रतिशत), माझा 28.73 प्रतिशत, रघुनाथपुर 28.37 प्रतिशत, हुसैनगंज (28.43 प्रतिशत), जीरादेई (29.37), थावे (28.69) है। इन संघटकों में साक्षरता संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में है, जहाँ समग्र साक्षरता दर भी न्यून है।

तालिका-2: घाघरा-गंडक दोआब: लिंग आधारित साक्षरता में प्रेभेद (2001-2011)

क्र0 सं0	अंचल	साक्षरता–2001				साक्षरता–2011						समानता गुणांक प्रवृति (2001–2011)
		व्यक्ति	पुरूष	स्त्री	अन्तरीय	समानता गुणांक CE(X_2/X_1)	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री	अन्तरीय	समानता गुणांक CE= (X_2/X_1)	
1	नौतन	49.19	65.78	33.00	32.78	0.50	68.72	80.11	57.23	22.88	0.71	0.21
2	सिवान	59.95	71.93	42.25	26.68	0.59	74.78	83.43	64.97	18.46	0.78	0.19
3	बड़हरिया	49.26	64.50	34.81	26.69	0.53	68.93	79.28	58.11	21.17	0.73	0.20
4	गोरिया कोठी	50.29	65.79	35.98	29.81	0.55	67.17	78.70	55.94	22.76	0.71	0.16
5	लकड़ी नवीगंज	45.45	61.71	30.18	31.53	0.49	64.46	75.55	53.78	21.77	0.71	0.22
6	बसंतपुर	51.22	67.72	36.10	31.62	0.53	67.70	77.81	50.20	27.61	0.64	0.11
7	भगवानपुर हॉट	53.78	70.41	38.87	31.54	0.55	70.35	81.26	57.11	24.15	0.70	0.15
8	महाराजगंज	51.37	68.28	36.5	31.78	0.53	68.49	79.47	57.88	21.59	0.73	0.20
9	पंचरूखी	49.77	66.12	34.13	31.99	0.52	69.07	80.59	58.30	22.29	0.72	0.20
10	हुसैनगंज	50.93	65.16	36.73	28.43	0.56	69.04	79.18	58.57	20.61	0.74	0.18
11	जिरादेई	53.31	68.17	38.80	29.37	0.57	70.55	81.59	59.74	21.82	0.73	0.16
12	मैरवा	53.25	69.05	37.29	31.76	0.54	71.46	81.30	61.29	20.01	0.75	0.21
13	गुठनी	52.44	68.51	37.10	31.41	0.54	70.96	82.49	58.48	24.01	0.71	0.17
14	दरौली	50.13	65.14	36.08	29.06	0.54	69.08	80.12	58.04	22.08	0.72	0.18
15	आन्दर	52.38	68.14	37.68	30.46	0.55	69.15	80.53	58.22	22.31	0.72	0.17
16	रघुनाथपुर	50.90	65.89	37.52	28.37	0.57	68.16	78.11	58.01	20.7	0.74	0.17
17	हसनपुरा	51.72	68.90	335.85	33.05	0.52	68.35	80.11	57.45	22.61	0.72	0.20
18	दरौन्धा	50.18	67.27	34.35	32.92	0.51	68.82	80.93	57.17	23.76	0.71	0.20
19	सिसवन	49.47	65.13	35.24	29.89	0.54	68.47	79.52	57.37	22.18	0.72	0.18
20	कटैया	47.90	63.94	32.79	31.15	0.51	66.73	78.21	56.45	21.76	0.72	0.21
21	विजयपुर	44.67	61.46	28.92	32.56	0.47	64.03	76.44	52.85	23.59	0.69	0.22
22	भोरे	44.14	60.86	28.25	32.61	0.46	63.54	76.05	52.03	24.02	0.68	0.22
23	पंचदिउरी	42.10	59.21	28.28	30.93	0.48	61.82	73.11	51.15	21.96	0.70	0.22
24	कुचायकोट	48.98	65.46	33.34	31.22	0.52	66.86	77.91	55.99	21.92	0.72	0.20
25	फुलवरिया	49.10	65.73	32.53	33.2	0.49	69.91	8.19	58.63	22.56	0.72	0.23
26	हथुआ	51.55	67.81	35.26	32.55	0.52	69.76	80.69	57.70	22.99	0.72	0.20
27	उचकागांव	51.36	66.32	36.11	30.21	0.54	68.80	79.93	58.43	21.5	0.73	0.19
28	थावे	54.54	68.61	39.92	28.69	0.58	69.44	79.78	58.76	21.02	0.74	0.16
29	गोपालगंज	53.31	65.66	39.93	25.73	0.61	68.09	77.09	58.84	18.25	0.76	0.15
30	माझा	46.55	60.84	32.14	28.73	0.54	64.00	74.35	54.33	20.02	0.73	0.18
31	बरौली	44.30	59.72	29.96	29.76	0.52	62.88	73.68	52.43	21.27	0.71	0.21
32	सिधवलिया	42.89	59.09	27.01	32.08	0.46	59.73	70.67	49.02	21.65	0.69	0.23
33	बैकुण्ठपुर	40.80	51.37	25.08	26.29	0.49	61.02	72.39	49.25	23.41	0.68	0.19
घाघरा–गंडक दोआब		49.80	65.33	34.82	30.51	0.53	67.73	78.63	56.98	21.65	0.72	0.18

स्त्रोत :– शोधार्थि द्वारा परिगणित

एक दशक पश्चात् 2011 की जनगणना में स्त्री साक्षरता में सुधार एवम् औसत अन्तराल में संकुचन (21.65 प्रतिशत) द्रष्टव्य है। औसत से उच्चतर साक्षरता अन्तराल बसतपुर (27.61 प्रतिशत), चिह्नित है। इसके पश्चात् भगवानपुर हाट (24.15 प्रतिशत), भोरे (24. 23 प्रतिशत), गुठनी (24.02 प्रतिशत), बैकुण्ठपुर (23.41 प्रतिशत), विजयपुर (23.59 प्रतिशत) प्रमुख है। बसतपुर, भगवानपुर हाट में स्त्री साक्षरता के साथ-साथ पुरूष साक्षरता में भारी वृद्धि हुई है। अन्य संघटकों में समग्र साक्षरता में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है ये संघटक पिछड़े एवम् शहरी क्षेत्रों से दूरस्थ तथा बाढ आपदा से ग्रसित क्षेत्र है, औसत साक्षरता अन्तराल से न्यूनतर साक्षरता अन्तराल गोपालगंज (18.25 प्रतिशत) आकलित है। इसके पश्चात् सिवान (18.46 प्रतिशत), मैरवा (20.01 प्रतिशत), माझा (20.02 प्रतिशत), रघुनाथपुर (20.07 प्रतिशत) प्रमुख है। इन सभी संघटकों में साक्षरता संक्रमण प्रारम्भ हो गयी है। ये शहरी यातायात परिवहन, संचार के माध्यम से जुड़े है। इन संघटकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

साक्षरता समानता गुणांक की प्रवृत्ति (2001-2011)

अध्ययन-क्षेत्र में लिंग आधारित साक्षरता समानता गुणांक में विभिन्नता के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर दशकीय प्रवृत्ति में भी विभिन्नता परिलक्षित है। क्षेत्रीय औसत समानता गुणांक की प्रवृत्ति 0.18 अंकित की गई है जबकि, निम्नतम बसन्तपुर (0.11) एवं उच्चतम क्रमशः बैकुण्ठपुर और हथुआ (0.23) अंकित हैं। उपरोक्त प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की साक्षरता समानता गुणांक की प्रवृत्ति को तीन स्तर में विभक्त किया गया है।

I. उच्च समानता गुणांक की प्रवृत्ति (ढ0.20)

III. मध्य समानता गुणांक की प्रवृत्ति (0.16-0.19)

III. निम्न समानता गुणांक की प्रवत्ति (ढ0.19)

I. उच्च समानता गुणांक की प्रवृत्ति -

इस संभाग शिक्षा में पिछड़े तथा विशेषकर स्त्री साक्षरता में निम्न दर वालें अंचल समाहित हैं। विगत जनगणना में यहाँ सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा साइकिल योजना, पोशाक योजना, इत्यादि से स्त्री साक्षरता में उछाल आ गया है और इस अंचल में राष्ट्रीय स्तर की तुलना भी महिला साक्षरता उच्च वृद्धि वाले अंचलों में गणना हुई है जिसका श्रेय सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाओं को जाता है। दोआब का आधे से अधिक अंचल इसी प्रवृत्ति स्तर के अन्तर्गत आते हैं, जहाँ साक्षरता वृद्धि में स्त्री साक्षरों का योगदान है।

II. मध्य समानता गुणांक प्रवृत्ति

इस संभाग का विस्तार 0.16-0.19 के अन्तर्गत सिवान, उचकागाँव, जिरादेई, रघुनाथपुर शहरी जनसंख्यायुक्त अंचल है जहाँ विगत जनगणना 2001 में स्त्री साक्षरता औसत क्षेत्रीय से उच्चतर रहा है। और अगले दशक तक उत्तरोत्तर वृद्धि दृष्टव्य है। दूसरी तरफ, औसत स्त्री साक्षरता से निम्नतर माझा, दरौली हुसैनगंज एवम् बैकुण्ठपुर अंचल में जहाँ वर्तमान में स्त्रियों में शिक्षा के प्रति उदासीनता और धर्मभीरूता, गरीबी, शैक्षणिक सुविधाओं की स्थापना की कमी इत्यादि है। ये सभी अंचल नगरीय केन्द्र से दूरस्थ तथा ग्रामीण अंचल है, जबकि साक्षरता दर में लिंग-भेद की प्रवृत्ति नगरीकरण के स्तर के साथ-साथ घटती रहती है।

III. निम्न समानता गुणांक प्रवृत्ति

निम्न प्रवृत्ति स्तर के तीनों संघटकों में 2001 की स्त्री साक्षरता क्षेत्रीय औसत साक्षरता से उच्च था। ये संघटक इक्कीसवीं सदी के प्रथम जनगणना में ही महिला शिक्षा में जागरूक थे। ये शहरी यातायात के साधनों से जुड़े तथा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं वाले संघटक हैं।

उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिस क्षेत्र में 2001 में साक्षरता दर निम्न थी उन क्षेत्रों में उच्च साक्षरता दर वाले अंचलों की अपेक्षा उच्चतर वृद्धि द्रष्टव्य हुई।

निष्कर्ष

अन्ततः, घाघरा-गंडक दोआब में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पुरूष स्त्री साक्षरता में क्रमशः वृद्धि द्रष्टव्य है, यद्यपि प्रभेद में न्यूनीकरण हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता के प्रसार के कारण हुआ है। यह प्रसार सभी क्षेत्रों में समान नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय सिवान एवं गोपालगंज साक्षरता के न्यूनतम अन्तरीय है, जबकि बसन्तपुर, गुठनी, महाराजगंज, भोरे, गुठनी संघटकों में पुरूष-स्त्री की साक्षरता उच्चतर अन्तरीय से स्पष्ट है कि क्षेत्र में स्त्री साक्षरता का प्रश्न अभी भी विद्यमान है।

यद्यपि 2011 की जनगणना में पुरूष-स्त्री समानता गुणांक 72 परिगणित किया गया है, जो स्त्री साक्षरता के संतोषजनक सुधार को दर्शाता है। इसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारणों में केन्द्र एवम् राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय

किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमन्त्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमन्त्री बालिका प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क शिक्षण इत्यादि के क्रियान्वयन एवम् शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि, शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार, महिला शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों में शौचालय का निर्माण, साथ ही, यातायात परिवहन, संचार के साधनों में प्रसार इत्यादि हैं।

संदर्भ सूचीः-

1. चान्दना, आर.सी. 1986 ए जियोग्राफी ऑफ पोपुलेशन डिटरमीनेन्ट्स एण्ड पैटर्न्स कल्याणी पब्लिशर्स, न्यू देलही, पृ0-1।
2. नेशनल लिटरेसी मिशन 1988
3. कृष्ण, जी. एण्ड श्याम, एम. 1973 स्पाशियल पर्सपेक्टिव ऑन प्रोग्रेस ऑफ फिमेल लिटरेसी इन इण्डिया 1901-71, पेसिफिक ब्यू प्वाइंट वाल्यूम 14, पृ0-204।
4. डेविस, किंग्सले, 1951 दि पोपुलेशन ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान दि प्रिसटन यूनिवर्सिटी प्रेस प्रिसटन।
5. चान्दना, आर.सी., 2006, जनसंख्या भूगोल कल्याणी पब्लिशर्स, नयी देलही, पृ0-280-304।

प्रेमचंद के उपन्यासों में कृषक-चेतना

डॉ० शीतला प्रसाद सिंह

असिस्टेंण्ट प्रोफेसर हिंदी, केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला महाविद्यालय, औराई, भदोही

भारत एक कृषि और ग्रामीण संस्कृति प्रधान राष्ट्र रहा है। वर्तमान में भी ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि व कृषि आधारित अन्य उद्यम ही है। प्रेमचंद कृषक चितेरे लेखक हैं। प्रेमचन्द ऐसे रचनाकार हैं, जिन्होंने भारतीय किसान- जीवन के कर्म और मर्म को सहज संवेदना के साथ अनुभूत और अंकित किया है। प्रेमचंद का समग्र साहित्य मूलतः किसान और गांव पर आधारित है। प्रेमचंद अपने कथा साहित्य में कृषि कर्म को कृषक जीवन की वांछनीय मर्यादा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके कथा साहित्य में उपस्थित प्रत्येक किसान पात्र दैनन्दिनी जीवन में क्रमशः अनेक ठोकरें खाकर भी किसान-मर्यादा और गृहस्थ धर्म रूपी मोह का त्याग नहीं कर सका है। उसके लिए कृषक-मर्यादा ऐसी वस्तु और गृहस्थ कहलाने का गौरव एक ऐसा मोह है जिसे किसान चाहकर भी छोड़ नहीं पाता है। प्रेमचंद किसान की इस भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं- ''कृषि प्रधान देश में खेती केवल जीविका का साधन नहीं है, सम्मान की वस्तु भी है। गृहस्थ कहलाना गर्व की बात है। किसान गृहस्थी करता है। मान-प्रतिष्ठा का मोह औरों की भांति उसे घेरे रहता है। वह गृहस्थ रहकर जीना और गृहस्थी ही में मरना भी चाहता है। उसका बाल-बाल कर्ज से बंधा हो, लेकिन द्वार पर दो-चार बैल बांधकर वह अपने को धन्य समझता है। उसे साल में 360 दिन आधे पेट खाकर रहना पड़े, पुआल में घुसकर राते काटनी पड़े, बेबसी से जीना और बेबसी से मरना पड़े, कोई चिंता नहीं, वह गृहस्थ तो है। यह गर्व उसकी सारी दुर्गति की पुरौती कर देता है।''[1] प्रेमचंद अपने समग्र साहित्य के अंतर्गत कृषक जीवन की इसी मर्यादा और गृहस्थ धर्म के संरक्षण की चिंतन चेतना से संस्यूत गोचर होते हैं। वे किसानों की आर्थिक मुक्ति को भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्वाधीनता से सम्बद्ध करते हुए कहते हैं कि किसान की आर्थिक मुक्ति के बिना पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे किसानों के महत्त्व व उनकी तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में लिखते हैं, ''भारत के अस्सी फीसदी आदमी खेती करते हैं। कई फीसदी वह हैं, जो अपनी जीविका के लिए किसानों के मुहताज हैं, जैसे गाँव के बढ़ई, लुहार आदि। राष्ट्र के हाथ में जो कुछ विभूति है, वह इन्हीं किसानों और मजदूरों की मेहनत का सदका है। हमारे स्कूल और विद्यालय, हमारी पुलिस और फौज, हमारी अदालतें और कचहरिया सब उन्हीं की कमायी के बल पर चलती हैं, लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न और वस्त्रदाता हैं, भरपेट अन्त को तरसते हैं, जाड़े-पाले में ठिठुरते हैं, और मक्खियों की तरह मरते हैं।''[2]

ध्यातव्य है, प्रेमचंद जिस कालखंड में अपना कथावितान रच रहे थे उस कालखण्ड में भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन उपनिवेशवादी दोहन और जमीदारी शोषण का पर्याय बन चुका था। तत्कालीन भारतीय जीवन पर अंग्रेजी शासन और अपनी ही अशिक्षा, अज्ञानता तथा स्व्वार्थांधता का दोहरा दबाव था। जिसने कृषक जीवन को आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक आदि सभी स्तरों पर गुलाम बनने को मजबूर कर दिया था। एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार अपने फायदे के लिए कृषकों का शोषण कर रही थी, वहीं कुछ ऊँचे वर्ग के धनी भारतीय इस बहते पानी में हाथ धो रहे थे, जिसके कारण भारतीयों को न सिर्फ विदेशी, अपितु देशी मार भी सहनी पड़ रही थी, जिसने उनके आत्मविश्वास की कमर तोड़ दी थी। तत्कालीन सामाजिक और औपनिवेशिक अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत किसान सामाजिक बुराइयों तथा विदेशी शासक के दो पाटों के मध्य बुरी तरह पिसते जा रहे थे। वह किसान जो अपने खून-पसीने से भूमि को सींचकर देश को अन्नदान देता था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित तत्कालीन जमीदारी और भूमि व्यवस्था के कारण वही अब नीलामी और बेदखली की ठोकरें खा रहा था, भूमिहीन हो रहा था। जिस भूमि पर किसान का अस्तित्व और जीविका अवलंबित थी, वही भूमि क्रमशः उसके हाथ से निकलती जा रही थी, उसका विश्वास टूटता जा रहा था और उसकी आर्थिक-सांस्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्तर निम्नतम कोटि को प्राप्त होता जा रहा था। अनावृष्टि, अतिवृष्टि और प्राकृतिक प्रकोपों से जान बचाकर जो अत्यल्प फसल घर में आती थी, वह भी उन हमारे ही देश के तथाकथित पूंजीपति और जमींदार, जमींदारों के कारिंदे जो अंग्रेजों की निर्दयता और कठोरता से रत्तीभर भी कम न रहने की प्रतियोगिता में थे, द्वारा अब अंग्रेजों की कृषि-अर्थ नीति के अनुकूल नकद लगान के रूप में अत्यंत निर्दयता से निगल ली जाने लगी थी। तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी विडंबना यह भी थी कि देश की 80 प्रतिशत जनता, जिसने देश को देश बनाया था, शासन प्राणाली और व्यवस्था के द्वारा सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार हो रही थी। प्रेमचंद अपने सम्पूर्ण साहित्य में किसानों के इसी मौलिक अधिकार की बात करते गोचर होते हैं। वे चाहते है कि जमीन उसी की हो, जो उसे रात-दिन खटकर जोतता है, उसकी नहीं जो महलों में बैठकर उनके खून-पसीने पर की कमाई पर रंजन करता है। इसी क्रम में किसानों के अधिकारों को इंगित करते हुए प्रेमचंद अपने उपन्यास 'प्रेमाश्रम' के पात्र प्रेमशंकर के माध्यम से कहते है- ''भूमि उसकी है जो उसको जोते। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए है कि वह देश में शांति और रक्षा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना खेती हो नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है।''[3]

ध्यातव्य है, प्रेमचंद युगीन समाज कई वर्गों में विभाजित था तथा प्रत्येक उच्च वर्ग स्वयं से निम्न वर्ग पर अधिकार जमाता था। अधिकार की यह वैचारिकी जाति, वर्ग और पद से अधिक धन पर आद्धृत थी, परिणामस्वरूप समाज के निम्नतम वर्ग के किसान, मजदूर और श्रमिकों का जीवन शासन और शोषण के अनगिनत तहों के नीचे दबता-पिसता और संकुचित होता जा रहा था। जमींदार, कारिंदे, पटवारी, साहूकार इत्यादि के रूप में प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य में इन्हीं शोषक तहों का सूक्ष्मतिसूक्ष्म चित्रण किया है और स्पष्टत: दिखाया है कि इन तहों के नीचे किस तरह किसान, लगान और कभी न खत्म हो सकने वाले ऋण-के भार से आकण्ठ दबा हुआ है। तथ्य स्वयंसिद्ध है कि इसी ऋण और ब्याज पर आधारित व्यवस्था और विचार के पार्श्व में महाजनी पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता का कृषक जीवन में प्रवेश हुआ। इस महाजनी सभ्य्यता की समग्र प्रक्रिया को लक्ष्य करते हुए कृष्णदेव झारी लिखते है- ''गांवों में महाजनी पूंजीवाद प्रचलित था। यह महाजनी शोषण कई प्रकार का था। गांव में जिस किसी के पास चार पैसे हुए, वही महाजन बनने लगा था। सूअर का खून मुंह लग गया था।''[4] इस महाजनी सभ्यता ने लोगों को इतना हृदयहीन और संवेदनाशून्य बना दिया था कि साहूकारों और महाजनों के समानान्तर वो किसान जो स्वयं उधार लेने पर ब्याज के बोझ के नीचे दबा रहता है, महाजनों को गालियां देता है और उनकी गलियाँ खाता भी है, उनकी हृदयहीनता एवं अमानुषिकता पर ताने भी कसता है, स्वयं कुछ पैसे एकत्रित करने के पश्चात उसी व्यवहार को अपनाने लगता है। गोदान आदि उपन्यास के अनेक पात्र इसका सजीव उदाहरण हैं। प्रेमचंद ने इसे भी 'महाजनी सभ्यता' का कुप्रभाव ही कहा है।

महाजनी सभ्यता में पैसा ही सबकुछ है। इस सभ्यता में न केवल पैसे के कारण मनुष्य स्वयं का अपितु स्वयं के मत मान्यताओं और मूल्यों का भी व्यापार सहज भाव से करता है। इस पूंजीवादी सभ्यता में उसके ईमान का, धर्म का कोई मोल नहीं है, यहाँ तो सिर्फ व्यापार ही प्रभावी है, मानव की कोरी भावुकता से इसका कोई सरोकार नहीं है। कहना न होगा, इस सभ्यता में मानव पूर्णत: मूल्यहीन हो चुका है। प्रेमचंद का साहित्य इसी मान्यता के सुनियोजित और शाश्वत विरोध का उत्कृष्ट प्रमाण है। प्रेमचंद अपने निबंध 'महाजनी सभ्यता' में इस सभ्य्यता की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए लिखते हैं- ''इस महाजनी सभ्यता में सारे कामों का गरज महज पैसा होती है। किसी देश पर राज्य किया जाता है, तो इसलिए कि महाजनों, पूंजीपतियों को ज्यादा-से-ज्यादा नफा हो। इस दृघष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य-समाज दो भागों में बंट गया है। बड़ा हिस्ब्सा तो मरने और खपने वालों का है, और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का, जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने वश में किए हुए है।''[5] महाजनी सभ्यता के द्वितीय आयाम को लक्ष्य करते हूए प्रेमचंद आगे कहते हैं- "इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत है 'बिजनेस इज बिजनेस। अर्थात व्यवसाय है उसमें भावुकता के लिए गुंजाइश नहीं। पुराने जीवन सिद्धांत में वह लट्ठमार साफगोई नहीं है, जो निर्लज्जता कही जा सकती है और इस नवीन सिद्धांत की आत्मा है। जहां लेन-देन का सवाल है, रूपये-पैसे का मामला है, वहां न दोस्ती का गुहर है, न मुरौवत का, न इंसानियत का। 'बिजनेस' में दोस्ती कैसी। जहां किसी ने इस सिद्धांत को आड़ ली और लाजवाब हुए। फिर आपकी जबान नहीं खुल सकती।''[6] इस महाजनी सभ्यता ने न केवल किसानों का दिन दूना रात चौगुना शोषण किया अपितु ऋण भार से ग्रस्ब्त, भूमि से हीन होकर और गरीबी से त्रस्त होकर भूख से मरते हुए उन गरीब किसानों के समक्ष कोई अन्य विकल्प ही नही छोड़ा सिवाय इसके कि वह औद्योगिक जगत की तरफ मजदूर बनकर दौड़े।

महाजनी सभ्यता के सन्दर्भ में प्रेमचंद की यही पीड़ा, प्रेमचंद के कई उपन्यासों में किसान से मजदूर बनने की प्रक्रिया के हृदय-विदारक यथार्थ के रूप में उभरकर सामने आई है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की संपूर्ण कथा होरी से गोबर बनने की, किसान से मजदूर बनने की कालजयी कथा ही है। गोदान की कथातन्त्र के अंतर्गत जहाँ एक ओर होरी पूरे जीवन में अपने किसान होने के गौरव को खोना नहीं चाहता, ऋणों का असीमित भार उसे पंगु बना देता है, भूख उसे अशक्त बना देती है, अलग्घ्योझा उसकी कमर तोड़ देता है, धार्मिक पाखंड उसके चोटों पर नमक छिड़कता रहता है, बिरादरी का डर और डांड का बोझ उस पर कहर बनकर बरसता है, लगान उसकी रही-सही कसर पूरी करता रहता है, किंतु होरी फिर भी अपने किसान होने के गर्व से अभिभूत रहने में ही संतुष्टि खोजता है। 'गोदान' का होरी अपनी भूमि को अपना बनाए रखने की हर संभव कोशिश करता है, किंतु अंतत: इस देश की व्यवस्था उसे मजदूर बनने पर विवश कर देती है और यही पीड़ा अंतत: होरी की जान ले लेती है। किंतु हर किसान होरी नहीं होता जो मरते दम तक जमीन को सीने से चिपटाए रखे। तो वहीं दूसरी तरफ गोबर गांव की अव्यवस्था, अत्याचार, गरीबी और अनाचार से ऊबकर शहर चला जाता है तथा खन्ना की मिल में आर्थिक और सामाजिक उन्नयन की आकांक्षा से मजदूर बन जाता है। उपन्यास के कथांतर्गत सालों बाद अपेक्षाकृत मोटे पैसे कमाकर गोबर घर तो वापस आता है किन्तु उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मूलत: जस की तस ही बनी रहती है और गुलामी इसका एक महत्वपूर्ण आयाम थी। तात्कालिक महाजनी सभ्यता में यही गुलामी मजदूर और किसान दोनों की नियति थी और इस नियति से न तो किसान होरी मुक्त था न ही मजदूर गोबर। उपन्यासकार के अनुसार, ''गोबर ने घर पहुंचकर उसकी (घर की) दशा देखी, तो ऐसा निराशा हुआ कि इसी वक्त यहां से लौट जाय। घर का एक हिस्सा गिरने-गिरने हो गया था।

द्वार पर एक बैल बंधा हुआ था, वह भी नीमजान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या आशा है। वह गुलामी करता है, लेकिन भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहां तो जिसे देखो, वही रोब जमाता है। गुलामी है, पर सुखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपये मिले, वह दूसरों को दे दो। आप बैठे jk&jk djkSA[7] उपन्यास में होरी के घर की स्थिति न केवल होरी के घर की स्थिति है अपितु यह गाँव और अन्य अनेक किसानों की स्थिति की भी सूचक है, प्रतिनिधि है। स्पष्ट है, होरी के घर की स्थिति से तनिक भी बेहतर स्थिति बेलारी गाँव की नही है। गाँव की स्थिति की ओर संकेत करते हुए उपन्यासकार लिखता हैख्र ''और यह दशा कुछ होरी ही की न थी। सारे गांव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं, जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते-फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है, न कोई उमंग जैसे उनके जीवन में सोते सूख गए हों, सारी हरियाली मुरझा गई हो।''[8]

गोदान उपन्यास के नायक वर्ग अर्थात किसानों के खलिहान में अनाज तो है, किंतु उनके सिर पर लगान का बोझ भी है। इस लगान को चुकाने के लिए उन्हें पूरा खलिहान खाली करना पड़ता है फिर भी लगान चुकता नहीं हो पाता है और अंततः उन्हे लगान चुकता करने के लिए महाजन से ऋण लेना पड़ता है और फिर उस ऋण के मूल और सूद को चुकाने के क्रम में जहाँ एक ओर उनके मजदूर बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है तो वहीं दूसरी ओर अनाज के दाने दाने के लिए मोहताज भी होना पड़ता है। परिणामस्वरूप ऋण और ब्याज के क्रम में अभाव और ऋण के अन्यानेक अध्याय कृषक जीवन से जुड़ना प्रारम्भ होते है परिणामस्वरूप कृषक-जीवन के समस्त नैतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्रमशः ध्वस्त होते हुए गोचर होते हैं। और अंततः कृषक-वर्ग के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की दयनीय दिशा और दशा संपुष्ट होती है। उपन्यास के अंतर्गत कृषक जीवन की इसी अर्ध और अधः चेतना की दशा का वर्णन प्रेमचंद कुछ इस प्रकार करते है- ''द्वार पर मानों कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है, न आंखों में ज्योति। सरेआम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा-झोटा आ जाता है, वह खा लेता है, उसी तरह जैसे इंजिन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी-चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले-धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी-भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा हैं, जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है।''[9]

प्रेमचंद युग में किसानों की उपर्युक्त स्थिति का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण महाजनी सभ्यता के समानान्तर पूंजीवाद और औद्योगिक सभ्यता का उदय है। ध्यातव्य है, सरकार और जमींदारों की उपेक्षा और शोषक प्रवृत्ति के कारण जहाँ एक ओर कृषि की उन्नति अधिकांशतः बाधित हो गई थी तो वहीं दूसरी ओर पूंजीवादी सभ्यता के परिणामस्वरूप मिल, कारखानों आदि की स्थापनाएं किसानों के लिए स्वतः अहितकर थीं क्योंकि किसान की उपज को उद्योग-धंधे के लिए सस्ते दामों पर खरीदा जाने लगा था, जिससे किसानों को तो नाम-मात्र का ही लाभ होता था, किन्तु पूंजीपति उससे कई गुना लाभ प्रपट कर रहे थे। प्रेमचंद ने अपनी कथा-सृष्टि की सार्थकता को पूंजीवाद के प्रति विरोध के रूप में सहज प्रकट किया है। कहना न होगा, प्रेमचंद को औद्योगिकरण से अगर बहुत ज्यादा नफरत न थी, तो उन्हें उससे आवश्यकता से अधिक लगाव भी नहीं था। प्रेमचंद पूंजीवाद और औद्योगिकरण को भारतीय समाज और विशेषकर कृषक-वर्ग के लिए अतिशय हानिकारक ही समझते थे। अतः उपन्यास 'रंगभूमि' में वे सूरदास के माध्यम से औद्योगिकरण के संपूर्ण गुण-दोषों की उचित व्याख्या भी करवाते हैं। उद्धरण कुछ इस प्रकार है- ''सरकार बहुत ठीक कहते हैं, मुहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगार लोगों को फायदा भी खूब होगा। लेकिन जहां यह रौनक बढ़ेगी, वहां ताड़ी-शराब का भी तो परचार बढ़ जाएगा, बस्तियां भी तो आकर बस जाएंगी, परदेसी आदमी हमारी बहू-बेटियों को घूरेंगे, कितना अधरम होगा। दिहात के किसान अपना काम छोड़कर मजूरी के लालच से दौड़ेंगे, यहां बूरी-बूरी बातें सीखेंगे और अपने बुरे आचरन अपने गांव में फैलायेंगे। दिहातों की लड़कियां, बहुएं मजरी करने आएंगी और यहां पैसे के लोभ में अपना धरम बिगाड़ेंगी। यही रौनक शहरों में है। वही रौनक यहां हो जाएगी। भगवान न करे, यहां वह रौनक हो।''[10]

समानान्तर, उपन्यास 'प्रेमाश्रम' के पात्र रायकमलानंद के माध्यम से भी प्रेमचंद औद्योगीकरण के अतिवादी दुष्प्रभाव को इंगित करते हैं। 'प्रेमाश्रम' के रायकमलानंद औद्योगिकरण के सहस्रों ताम-झाम के बावजूद न तो यह स्वीकार करते कि सहस्रों किसान कुली बनकर अपने भाग्य को सराहेंगे और न ही औद्योगीकरण की इस वर्तमान प्रवृत्ति को अपना समर्थन प्रदान करते हैं अपितु उन्हें अच्छी तरह से यह ज्ञात है कि किसानों की मजबूरी ही उनकी मजदूरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही, वे यह भी जानते हैं कि किसानों की मरजाद छोड़ने में उनका गौरव कुचल जाता है। अतः स्वयं की चिंतन-चेतना के स्तर पर औद्योगीकरण का निषेध करते हुए कमलानंद कहते हैं- "किसान कुली बनकर कभी अपने भाग्य-विधाता को धन्यवाद नहीं दे सकता, उसी प्रकार जैसे कोई आदमी व्यापार का स्वतंत्र सुख भोगने के बाद नौकरी की पराधीनता को पसंद नहीं कर सकता। संभव है कि अपनी दीनता उसे कुली बने रहने पर मजबूर करे,

पर मुझे विश्वास है कि वह इस दासता से मुक्त होने का अवसर पाते ही तुरंत अपने घर की राह लेगा और फिर उसी टूटे-फुटे झोपड़ी में अपने बाल-बच्चों के साथ रहकर संतोष के साथ कालक्षेप करेगा।''[11]

तथ्य स्वयंसिद्ध है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के अधिकांश प्रतिनिधि पात्र प्रेमचन्द्र के आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक विचारों का प्रत्यक्ष वहन करते हैं। प्रेमचंद स्वयं भी नहीं चाहते थे कि प्रकृति से गहरे सम्बद्ध भोले भाले गरीब ग्रामीण पूंजीवाद की इस लहर के संपर्क में आने से बचें। वे जानते थे कि अधिकांश भारत गांवों में बसता है और कृषक-संस्कृति पर आधारित है। अत: यदि वह अद्योगीकरण के परिणामस्वरूप मजदूर बनने को मजबूर होने लगे तो देश में तो खाद्य-संकट उत्पन्न होगा ही, साथ ही भारतीय संस्कृति पर भी कुठराघात होगा, स्त्रियों की स्थिति निम्नतर होती जायेगी, अनाचार और अनैतिकता का प्रसार होगा। इसलिए प्रेमचंद जहाँ एक ओर गोदान के होरी के माध्यम से कृषक-जीवन की दुरूहता और संतुष्टि को समानान्तर रेखांकित और पोषित करते हैं तो वहीं 'कर्मभूमि' के काशी के माध्यम से भी उपर्युक्त वैचारिकी को समर्थन प्रदान करते हुए यह प्रमाणित कर देना चाहते हैं कि होरी अकेला ही ऐसा किसान नहीं है जो खेती में कृषक-जीवन की मान और मर्यादा समझता है, अपितु उसके जैसे अन्य अनेकों पात्र हैं जो किसानी को अपने पूर्वजों की मर्यादा-प्रतीक के रूप में सुख और गर्वपूर्वक धारण करते हैं। उपन्यास के अंतर्गत काशी के शब्दों में प्रेमचंद कहते हैं- "मजूरी, मजूरी है, किसानी, किसानी है। मजूरी लाख हो, तो मजूर ही कहलाएगा। सिर पर घास लिए चले जा रहे हैं। कोई इधर से पुकारता है- ओ घासवाले! कोई उधर से। किसी की मेड़ पर घास कर लो, तो गालियां मिले। किसानी में मरजाद है।''[12] कहना न होगा, प्रेमचंद का औद्योगीकरण के प्रति यह दृष्टिकोण न तो उनकी कोरी भावुकता है और न ही उनकी सांस्कृतिक और वैचारिक प्रतिबद्धता अपितु उपन्यास में प्रेमचंद स्वयं पूंजीवाद के कुप्रभाव को रेखांकित करते हुए उसके विरोध के औचित्य को समानान्तर प्रमाणित भी करते है। उपन्यास में सूरदास की जमीन पर जबसे मिल लग गई है तब से- ''यहां बड़ी चहल-पहल रहती थी। दुकानदारों ने भी अपने-अपने छप्पर डाल लिए थे। पान, मिठाई, नाज, गुड़, घी, साग, भाजी और मादक वस्तुओं की दुकानें खुल गई थीं। ...दस-ग्यारह बजे रात तक यहां बड़ी बहार रहती थी। कोई चाट खा रहा है, कोई तंबोली की दुकान के सामने खड़ा है, कोई वेश्ध्याओं से विनोद कर रहा है। अश्ध्लील हास-परिहास, लज्जास्पद नेत्र-कटाक्ष और कुवासनापूर्ण हाव-भाव का अविरल प्रवाह होता रहता था। ...प्रत्येक प्राणी स्वच्छंद था, उसे न किसी का भय था, न संकोच। कोई किसी पर हँसनेवाला न था।''[13]

ध्यातव्य है, प्रेमचंद अपने विचार और व्यवहार में इस मूल्यहीनता को कतई स्वीकार करने को तैयार नही गोचर होते है। अत: वे अपने उपन्यासों में न केवल औद्योगीकरण के विरोध की पृष्टभूमि तैयार करते हुए उसका उचित विरोध करते हैं अपितु समानान्तर किसानों के संदर्भ में घरेलू शिल्प के प्रचार-प्रचार को भी अपना सहज और पुरजोर समर्थन भी प्रदान करते दृष्टिगत होते हैं। इसी क्रम में, प्रेमचंद गोदान उपन्यास में रायसाहब के माध्यम से इस मंतव्ध्य को जनता के समक्ष कुछ यूँ उद्घटित करते हैं- "किसानों को यह विडंबनाएं इसलिए सहनी पड़ती हैं कि उनके लिए जीविका के और सभी द्वार बंद हैं। निश्चय ही उनके लिए जीवन-निर्वाह के अन्य साधनों का अवतरण होना चाहिए, नहीं तो उनका पारस्परिक द्वेष और संघर्ष उन्हें हमेशा जमींदारों का गुलाम बनाए रखेगा, चाहे कानून उनकी कितनी ही रक्षा और सहायता क्यों न करे। किंतु यह साधन ऐसे होने चाहिए जो उनके आचार-व्यवहार को भ्रष्ट न करें, उन्हें घर से निर्वासित करके दुव्यसनों के जाल में न फँसाएं, उनके आत्माभिमान का सर्वनाश न करें और यह उसी दशा में हो सकता है जब घरेलू शिल्प का प्रचार किया जाए और वह अपने गांव में कुल और बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना-अपना काम करते रहें।''[14]

समग्रत: कह सकते हैं कि प्रेमचंद तदयुगीन कृषक जीवन, कृषक जीवन की दुरूहता और दुश्चिंता, महाजनी सभ्यता के उदय और कुप्रभाव, पूंजीवाद के आगमन तथा इसके परिणामस्वरूप कृषक चेतना में परिवर्तन और नैतिक-मूल्यों में गिरावट आदि को अत्यंत मार्मिक ढंग से महसूस कर रहे थे। चूँकि प्रेमचंद स्वयं महाजनी और पूंजीवादी सभ्यता के कट्टर विरोधी थे। अत: वे अपने समग्र कथा-वितान विशेषकर उपन्यासों की कथावस्तु के अंतर्गत इस सभ्यता से उत्पन्न समस्याओं के प्रति चिंतित और समाधान-मूलक चिंतन-चेतना से संपृक्त गोचर होते हैं। प्रेमचंद ने अपने लगभग सभी उपन्यासों के माध्यम से भारतीय किसानों की स्थिति का, ग्रामीण भारत की स्थिति का और जर्जर कृषि व्यवस्था का सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण किया है। समानान्तर, महाजनी और पूंजीवादी व्यवस्था का संतुलित, तार्किक और यथार्थ विरोध भी किया है। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि प्रेमचंद की समस्त कृषक-चेतना इसी व्यवस्था-विरोध के आधार पर उपजती और पुष्ट होती है। परिणामात: प्रेमचंद की कृषक-चेतना का मूल लक्ष्य जहाँ एक ओर कृषक जीवन में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण का पर्दाफाश करना था तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण-कृषक-जीवन की यथास्थिति को जन सामान्य के समक्ष मार्मिक और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हुए उसकी वर्तमान स्थिति में मूलभूत परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा भी थी।

संदर्भ सूची

1 कर्मभूमि, प्रेमचंद, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, संस्करण : 2015, पृष्ठ- 243
2 प्रेमचन्द के विचार (भाग-1), प्रेमचन्द, प्रकाशन संस्थान, दरियागंज, दिल्ली, संस्करण : 2003, पृ. 474
3 प्रेमाश्रम, प्रेमचंद, अनुपम प्रकाशन, पटना, संस्करण : 2008, पृष्ठ- 272
4 उपन्यासकार प्रेमचंद और उनका गोदान, डॉ. कृष्णदेव झारी, प्रथम संस्करण : 1965, भारतेंदु भवन, चंडीगढ़, पृष्ठ- 10
5 प्रेमचंद, महाजनी सभ्याता, संपा.-सत्यप्रकाश मिश्र, प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध, संस्करण : 2003, ज्योति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ- 132
6 वही, पृष्ठ संख्या - 135
7 गोदान, प्रेमचंद, रजत प्रकाशन, मेरठ, संस्करण : 1995, पृष्ठ- 272
8 वही, पृष्ठ- 272
9 वही, पृष्ठ- 272
10 रंगभूमि, प्रेमचंद, अनुपम प्रकाशन, पटना, संस्करण : 2005, पृष्ठ- 70
11 प्रेमाश्रम, प्रेमचंद, अनुपम प्रकाशन, पटना, संस्करण : 2008, पृष्ठ- 67
12 कर्मभूमि, प्रेमचंद, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, संस्करण: 2015, पृष्ठ- 127
13 रंगभूमि, प्रेमचंद, अनुपम प्रकाशन, पटना, संस्करण : 2005, पृष्ठ- 366
14 प्रेमाश्रम, प्रेमचंद, अनुपम प्रकाशन, पटना, संस्करण : 2008, पृष्ठ- 68

अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० अलोक तिर्की

शोध छात्र, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा, चुनाभट्ठी, लक्ष्मीसागर, दरभंगा (बिहार)

भारतीय संविधान एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो देश को प्रभावी ढंग से संचालित करता है, सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है और मानव जाति को गंभीर अपराधों से बचाता है। हालाँकि, वैश्विक और घरेलू सुरक्षा स्थिति, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में भारत-पाक सीमा की जाँच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्र दुनिया के सबसे जटिल और खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। यह कई जटिल मुद्दों से ग्रस्त है, जिन्हें केवल सुरक्षा बनाए रखने और शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए कानून के अधिनियमन के माध्यम से ही संबोधित किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान के लगातार हस्तक्षेप, उसके बाद कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद चीन की हालिया भागीदारी, जिसमें लद्दाख क्षेत्र में हमला भी शामिल है, ने इन दबाव वाले मुद्दों को हल करने की जटिलता को और बढ़ा दिया है।

इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और आर्थिक सफलता की विशेषता वाले भविष्य के संबंध स्थापित करना है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों की विशिष्ट स्थिति को भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के प्रमुख चित्रण के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। यह 17 अक्टूबर, 1949 को भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। अनुच्छेद 370 भारत-जम्मू और कश्मीर संबंधों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 370 में भारत जम्मू और कश्मीरियों के प्रति प्रतिबद्ध है। परिग्रहण संधि के अनुसार, संसद को रक्षा, संचार, विदेशी मामलों और संबंधित चिंताओं में जम्मू और कश्मीर पर अधिकार क्षेत्र है। राज्य शेष कार्यों को बनाए रखेगा। जम्मू और कश्मीर इस मायने में अद्वितीय है कि भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 1 और 370 ही लागू होते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत शेष अनुच्छेदों को लागू करने के लिए राज्य की संविधान सभा को राष्ट्रपति के आदेश को मंजूरी देनी होगी।

कश्मीर में वर्षों से चले आ रहे रक्तपात और आतंक के कारण लाखों सैनिकों की तैनाती हुई है और लाखों लोग मारे गए हैं। हिंसा और आतंक आम बात है। सैन्य या अर्धसैनिक बल के जवान कश्मीर के चुनावों की सुरक्षा करते हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए लगभग छह लाख सशस्त्र कर्मी तैनात किए गए हैं। घाटी में नागरिकों की रक्षा के लिए कई सैनिक थे, जैसा कि निवासियों और सैन्य कर्मियों के 1:18 के अनुपात से पता चलता है। जम्मू और कश्मीर में 1.47 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि भारत में 140 करोड़। घाटी के लिए सैन्य सैनिक बहुत बड़े हैं। राज्य से जुड़े सैन्य सदस्यों ने मानवाधिकारों का उल्लंघन और आपदाएं की हैं। जैसे घाटी में सैन्य हमले, छेड़छाड़, उत्पीड़न और अपहरण। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य को भारतीय सेना द्वारा मानवाधिकारों के हनन का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने ऐसी कठिनाइयों को सहन किया। वे लगातार ऐसी स्थितियों से बचते रहे।

साहित्य समीक्षा

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अद्यतन किया गया। यह 2019 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की एक अत्यंत आवश्यक प्रति है, जो भारतीय संविधान का एक अद्यतन संस्करण है, जिसमें अनुच्छेद 370 का विस्तार से वर्णन किया गया है: अनुच्छेद 370 खंड (1) (ए), (1) (बी), (1) (सी), और (1) (डी)। अनुच्छेद 370 का खंड (2) और खंड (3)। यह संसाधन लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर में जमीन पर मौजूदा स्थिति को समझने के लिए बेहद फायदेमंद है। डॉ सोना शुक्ला और फिरदौस अहमद दोनों लेखक जम्मू और कश्मीर के ऐतिहासिक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थात् 26 अक्टूबर, 1947 को शुरू हुए पाकिस्तानी आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह का शासनकाल राज्य ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में प्रवेश किया, जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए। आखिरकार, आधिकारिक दस्तावेज (विलय पत्र) जिस पर राज्य ने भारत के साथ सहमति व्यक्त की और आगे की पृष्ठभूमि इतिहास पर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए। एक लघु लेख में, लेखक महावीर गोलेछा शांति और विकास के लिए कश्मीर को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देता है। लेखक ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करने के लिए भारत सरकार की संवैधानिक शक्ति के उपयोग पर चिंता जताई। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया और दो केंद्रीय नियंत्रित केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया- जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। लेखक का तर्क है कि मुस्लिम बहुल राज्यों में अनुच्छेद 370 का वर्तमान परिदृश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। नतीजतन, अधिकांश आबादी

के पास आदिवासी संवैधानिक अधिकार, सूचना का अधिकार (आरटीआई), संवैधानिक अधिकारों को संशोधित करने और बनाए रखने की इच्छा, सामाजिक-आर्थिक प्रगति, निवेश, नवाचार, अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देती है।

इरा सिंघल, लेखक महत्वपूर्ण समस्या को सामने लाते हैं क्योंकि शोध पत्र का शीर्षक कहता है, 'अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए: उनकी कानूनी वैधता का आसन्न प्रश्न।' एक कानूनी विश्लेषण के आधार पर, इस अध्ययन के लेखक इन दो अनुच्छेदों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सबसे महत्वपूर्ण मामलों के साथ जटिल समस्या के बारे में बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर को होने वाले बदलावों से लाभ होगा। लेखक कई मुद्दों को सामने लाते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 370 के बारे में कुछ बिंदुओं का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का विवादास्पद इतिहास और अनुच्छेद 35 ए और इसकी संवैधानिकता।

दुर्गा दास बसु, एकात्मक संविधान और संघीय संविधान के बीच क्या अंतर है, इस बारे में बात करते हैं। इस लेख में, लेखक जम्मू और कश्मीर और अन्य भारतीय राज्यों के बीच अंतर के बारे में भी बात करते हैं। उदाहरण के लिए, वे इस बारे में बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ नहीं हैं क्योंकि इसे भारतीय संविधान में एक अलग राज्य माना जाता है और इसका अपना संविधान है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का अवलोकन और पृष्ठभूमि:

वस्तुत: सबसे विभाजनकारी भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 370 है। इसका एक समृद्ध इतिहास है, जो स्थायी और क्षणिक दोनों है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान में एक 'अस्थायी प्रावधान' माना गया था। भारतीय संविधान जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का आह्वान करता है। यह अनुच्छेद विधानसभा को जम्मू और कश्मीर के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित, बदलने या बाहर करने की अनुमति देता है। यह एक क्षणिक प्रावधान है जिसे बदला या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। 2019 में इसके निरस्त होने से पहले, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 370 को भारतीय सरकार के राष्ट्रीय दायित्व के रूप में जाना जाता है। इस अनुच्छेद में व्यापक साहित्य और इतिहास शामिल है जो न तो कानूनी है और न ही संवैधानिक, बल्कि राजनीतिक और धार्मिक है। अनुच्छेद और इसके राजनीतिक संदर्भ को समझने के लिए, किसी को भी परस्पर जुड़े तथ्यों और कारकों के बारे में गहराई से जानना चाहिए। किसी एक देश में एकतरफा और द्विपक्षीय सरकार की गहन समझ होना बहुत जरूरी है।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के महत्व को बहुत कम लोग समझते हैं, जिसने जम्मू और कश्मीर को राष्ट्र का एक मूलभूत हिस्सा बनने में मदद की है। सरदार पटेल, राजनीतिक दलों और संविधान सभा की राजनीतिक चिंताओं के बावजूद ऐसा हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपने वफादार कैबिनेट सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर को नियुक्त किया, जब बी.आर. अंबेडकर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। शुरुआत में, शेख अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 बनाने में बी.आर. अंबेडकर के साथ शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। 1950 में, भारतीय संविध ान ने जम्मू और कश्मीर को एक विशिष्ट दर्जा दिया। राज्य और संघ के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने 'दिल्ली समझौता' किया था। नेहरू ने भारतीय नागरिकों को आश्वासन दिया कि अनुच्छेद 370 को एक सीमित अवधि के बाद हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद निर्माताओं ने अवधि का संकेत नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अस्थायी का उपयोग किया। आश्चर्यजनक यह है कि हमारे संविधान के भाग ग्प् से 'अस्थायी, अनुवादात्मक और विशेष प्रावधान' जैसी भाषा को हटाने में 50 साल से अधि क का समय लगा। राज्य द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर पर भारत का प्रभुत्व रक्षा, बाहरी मामलों और संचार तक सीमित है, तथा अन्य मामलों पर महाराजा या सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विलय पत्र के खंड 7 में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान में किसी भी अतिरिक्त कानून से छूट प्राप्त है।

अस्थायी प्रावधान

भारतीय संविधान की तैयारी के दौरान जम्मू-कश्मीर एक अनिश्चित स्थिति में था। पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर संघर्ष ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वादा किया था कि एक बार लड़ाई बंद हो जाने और हमलावरों को कश्मीर से बाहर निकाल दिए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोग मतदान के माध्यम से संघर्ष में अपना पक्ष चुनने में सक्षम होंगे। हालाँकि, जम्मू-कश्मीर प्रश्न का समाधान स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को स्थगित नहीं कर सका। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर खंड संविधान में एक अल्पकालिक संशोधन होना चाहिए। हालाँकि, मूल आधार हमेशा यह रहा है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की स्वीकृति के बिना राज्य की शक्तियों का उपयोग नहीं करेगी।

संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में, बी.एन. राव ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए संक्रमणकालीन खंड की धारणा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने भारत सरकार के राज्य मंत्रालय को भेजे गए एक दस्तावेज में लिखा था

कि जम्मू और कश्मीर की 'विशेष स्थिति' को भारत के संविधान में संबोधित करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने पूछा, 'जब तक हम राज्य की अंतिम स्थिति निर्धारित नहीं कर लेते, क्या एक संक्रमणकालीन प्रावधान रखना संभव है जो नए संविधान के तहत भी वर्तमान विलय के साधन को जीवित रखे?' महाराजा ने 5 मार्च, 1948 को जम्मू और कश्मीर में 'लोकप्रिय अंतरिम सरकार' का नेतृत्व करने के लिए शेख अब्दुल्ला को प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद के रूप में चुना। महाराजा ने इस अस्थायी प्रशासन को चुना नहीं, बल्कि मनोनीत किया। घोषणा में कहा गया था कि 'सामान्य स्थिति' बहाल होने पर 'वयस्क मताधिकार' पर आधारित राष्ट्रीय सभा राज्य का संविधान लिखेगी। नेहरू ने मई 1949 में शेख अब्दुल्ला को सूचित किया कि जम्मू और कश्मीर विदेशी मामलों, रक्षा और संचार में भारतीय संघ में शामिल हो गया है। अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा तय करेगी कि राज्य किन अन्य विषयों में शामिल हो सकता है। अगले महीने अब्दुल्ला और तीन अन्य ने भारतीय संविधान सभा में कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित जनमत संग्रह के.टी. शाह की संविधान सभा में कश्मीरी प्रतिनिधित्व की मांग थी। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कश्मीर का भारत में प्रवेश 'बिना शर्त' था और संविधान सभा का प्रतिनिधित्व जनमत संग्रह की समय-सारिणी या परिणाम से अप्रभावित था।

जुलाई 1949 में, वल्लभभाई पटेल के अधीन राज्यों के मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। नोट में कहा गया था कि महाराजा द्वारा भारत की संसद को रक्षा, बाहरी मामलों और संचार के अलावा अन्य विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देने से इनकार करने के कारण जम्मू और कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों की तरह नहीं माना जा सकता है जब तक कि संविधान सभा निर्णय नहीं लेती। कश्मीर का भारत में विलय तब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया जब तक कि यह अन्य राज्यों के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। संक्रमणकालीन व्यवस्था के लिए एक अद्वितीय संवैधानिक खंड की आवश्यकता थी। सितंबर 1949 में संविधान सभा की मसौदा समिति ने अनुच्छेद 306, बाद में अनुच्छेद 370 साझा किया। यह मसौदा राष्ट्रपति को सरकार की सहमति के बिना जम्मू और कश्मीर प्रावधान को समाप्त करने की अनुमति देता है। संशोधित प्रस्ताव में, अयंगर ने जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 306ए को समाप्त करने को स्वीकार करने की मांग की। अयंगर की योजना ने जम्मू और कश्मीर के भारतीय संवैधानिक कवरेज को नाटकीय रूप से सीमित कर दिया। 16 अक्टूबर को, सरदार पटेल ने अयंगर को लिखा, उन्हें चिंता थी कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने टिप्पणी की, 'आप इन प्रावधानों को स्वीकार किए बिना राज्य के भारत में शामिल होने के विरोधाभास को देख सकते हैं।' अगले दिन, 17 अक्टूबर को गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306ए को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। पूर्व कश्मीरी प्रधानमंत्री अयंगर ने कश्मीर पर UNSc~ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका भाषण जानबूझकर और सम्मोहक था। वक्ता ने कहा कि कश्मीर में 'विशेष परिस्थितियों' के लिए इस खंड की आवश्यकता थी। तीन परिस्थितियाँ मौजूद थीं।

अनुच्छेद 370 का ह्रास:

विलय के दस्तावेज ने संसद की विधायी शक्ति को तीन विषयों तक सीमित कर दिया था, लेकिन समय के साथ, कई और विषय जोड़े गए, और अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारतीय संविधान के प्रावधानों को राज्य पर लागू किया गया। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसने राज्य को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया, जिससे जनमत संग्रह की आवश्यकता समाप्त हो गई। जम्मू और कश्मीर की राज्य संविधान सभा की स्वीकृति से ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को कम कर सकते हैं। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 367 में संशोधन किया, जिसमें 'संविधान सभा' शब्द को 'विधान सभा' से बदल दिया गया। इस परिवर्तन ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को निरस्त कर दिया। सरकार ने तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए प्राधिकरण की गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 में कहा गया है कि राज्यपाल शासन के दौरान, राज्यपाल राज्य विधानसभा के समक्ष घोषणा करने के लिए जिम्मेदार हैं, सरकार ने तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए प्राधिकरण की गारंटी दे सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति, जिसे अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए द्वारा संरक्षित किया गया था, को भारत सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को रद्द कर दिया, जिससे स्थिति समाप्त हो गई। स्थिति को विपरीत दिशा में बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधि या संसद के सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती। दोनों को ही अमल में आने में अतिरिक्त आधी सदी लग सकती थी, अपनी लंबे समय से चली आ रही प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए।

निष्कर्ष:

जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो भारत का एक अनिवार्य घटक है। संघीय व्यवस्था और राज्य के भारत संघ में शामिल होने के विलक्षण इतिहास को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 के अनुसार राज्य को एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 370 का उद्देश्य स्वायत्तता या संघवाद प्रदान करना है, यह एकीकरण के बारे में नहीं है। चूंकि राज्य की संविधान सभा अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 370 एक ऐसा

प्रावधान है जो हमेशा के लिए प्रभावी रहेगा। अनुच्छेद 370 को भारत सरकार द्वारा अन्य सभी कानूनी मुद्दों को दरकिनार करने के लिए 'निष्क्रिय' कर दिया गया था, फिर भी यह अपने निरंतर अस्तित्व के कारण भारत के संविधान के भीतर एक स्थान रखता है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर अन्य राज्यों के बराबर एक सामान्य राज्य की स्थिति में वापस आ जाएगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही रियल एस्टेट व्यवसाय शुरू हो जाएगा, साथ ही यह अनुमान भी है कि अन्य उद्योगों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाएगी। इसके कारण, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में निकट भविष्य में तीव्र और व्यापक विकास की लहर आने वाली है।

संदर्भ सूची

1. "THE CONSTITUTION OF INDIA" pdf. file published by authority as of ministry of law and justice, New Delhi, India.
2. Nirupama Subramanian, The Hindu, "India, Pakistan had a solution for Kashmir in 2007: Kasuri," http://www.thehindu.com/news/national/india-pakistan-had-a-solutionfor-kashmir-in-2001- kasuri/article6805890.ece.
3. Dr. Preeti Sharma and Dr. Sheila Rai, "Article 35 A and its implementation- A quest of stability in Jammu and Kashmir" (Research paper is based on research project granted by ICSSR), JETIR, ISSN-3249-5162, Volume 6, Issue 4,2019, www.jetir.org
4. Aastha Mehta, "Genesis and the nature of article 370 of the constitution of India", International journal of law and legal jurisprudence studies, ISSN- 2348-8212, 2019.
5. "What is article 370: Three key points", Times of India (New Delhi), May28, 2014
6. Utkarsh Anand, ""PIL against article 35 A: Special Status to State Permanent Feature of Constitution, says J&K government," Indian Express, December 4, 2015

बिहार में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता: एक अध्ययन

डॉ० जोनी इम्मानुएल तिरकी

(अतिथि शिक्षक) सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, बी० एम० ए० कॉलेज, बहेड़ी, दरभंगा (बिहार)

परिचय

भारत एक संघीय देश है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर तीन स्तरीय शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्य शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत खराब है। बिहार राज्य में स्थानीय स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक सहभागिता आरक्षण के माध्यम से भी सुरक्षित है। महिलाओं का यह प्रतिनिधित्व महिला सशक्तिकरण का छद्म संकेतक है, लेकिन यह महिला समुदाय में गर्व की भावना स्थापित करता है। भारत में बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद और अन्य सामाजिक संकेतकों के मामले में सबसे गरीब राज्यों में से एक है। बिहार राज्य ने शहरी और स्थानीय स्तर पर विभिन्न पदों के लिए महिला समुदाय के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। यह पत्र बिहार राज्य में स्थानीय शासन में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए विभिन्न आरक्षणों की जांच करता है।

एक महिला, एक पुरुष के विपरीत, एक वयस्क महिला मानव है, जबकि एक लड़की एक युवा महिला है। महिला शब्द का उपयोग जैविक लिंग भेद, सांस्कृतिक लिंग भूमिका भेद या दोनों को इंगित करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को बाधित करते हुए यह इंगित किया गया कि हॉब्सियन या लॉकियन अनुबंध सार्वजनिक, 'नागरिक' नागरिकता के क्षेत्र पर केंद्रित था, जिसमें पुरुषों का वर्चस्व था और इस तरह महिलाओं को निजी क्षेत्र से बाहर रखा गया था। महिलाओं को जो अनुबंध दिया जाता है वह वैवाहिक या यौन अनुबंध होता है जिसमें वे अपने पुरुष भागीदारों के बराबर नहीं होती हैं। सशक्तिकरण का अर्थ है 'विभिन्न कार्यों या कर्त्तव्यों को करने के लिए शक्ति, अधिकार या प्राधिकार प्रदान करना।' इस प्रकार, 'महिला सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति बदलने की शक्ति देना है।'

महिला सशक्तिकरण घर से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक समाज के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक महिलाओं को भाग लेने की अनुमति देकर सामाजिक प्रगति को बढ़ावा दे सकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है उन्हें अधिक जागरूक व्यक्तियों के रूप में विकसित करना, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय, आर्थिक रूप से उत्पादक और स्वतंत्र हों और उन मामलों में बुद्धिमानी से चर्चा करने में सक्षम हों, जो उन्हें प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप, महिला सशक्तिकरण उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और अधिक अवसरों और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। पिछले कुछ दशकों में, समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए महिलाओं को बेहतर ढंग से सशक्त बनाने का मुद्दा दोनों क्षेत्रों में प्रगति के बारे में चर्चाओं में सबसे आगे रहा है। लगभग हर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास संगठन की नीतियां हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना है।

महिलाओं को कई तरह के सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से सहायता मिल रही है जो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता पहल और उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आत्मनिर्भरता को तीन तरीकों से परिभाषित किया जाता है, आत्मनिर्भर विकास को उस प्रकार के विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उनके अपने मानवीय और भौतिक संसाधनों या स्वयं-करने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना सतत विकास हासिल नहीं किया जा सकता। इसके बिना लैंगिक समानता और प्रगति नहीं हो सकती। बर्नार्ड वान लीयर फाउंडेशन के न्यूज लेटर ने दुनिया की आबादी की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 1992 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तर्क दिया कि लैंगिक समानता दीर्घकालिक प्रगति के लिए आवश्यक है क्योंकि महिलाएँ अपने समुदायों के सबसे कीमती संसाधन अपने बच्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निश्चय ही घर वह पहला स्थान है जहाँ सशक्तिकरण का अभ्यास किया जाना चाहिए। महिलाओं की स्वतंत्रता परिवार के भीतर उनकी सामाजिक स्थिति पर आधारित है। इसके लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या उनके पास आभूषणों की खरीद, धन के हस्तांतरण, दोस्तों और परिवार के लोगों से मिलने का कार्यक्रम और चिकित्सा देखभाल के प्राधिकरण के बारे में निर्णय लेने की कानूनी क्षमता है।

होक, एम. इटोहारा, 2009 के शोध के अनुसार, माइक्रोक्रेडिट का ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों और परिवार निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। महिला सशक्तिकरण पर शोध को तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनमें से सभी

एक ही पाँच सिद्धांतों की ओर इशारा करते हैं- बेहतर कल्याण, समान पहुँच, अधिक जागरूकता, सक्रिय सहभागिता और निर्णय लेने की शक्ति। यह एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके साथ कई कारक रखे जा सकते हैं, जिनमें नीचे सूचीबद्ध कारक भी शामिल हैं, जो किसी न किसी तरह से महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं।

हालांकि, अगर लक्ष्य राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजनीति में महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए। पहले से लागू किए गए सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों की वैधता पर अभी भी बहस चल रही है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि महिलाएँ, जो कुल विश्व जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा हैं, निर्वाचित राजनीतिक निकायों में काफी कम उपस्थिति साझा करती हैं। 1995 में 176 सांसदों में महिलाओं की संख्या केवल 11.6% थी। समान नागरिकता के लिए महिलाओं की माँगों को ऐतिहासिक रूप से स्थापित 'आभासी अनुबंध' का उल्लंघन और समाज में पुरुषों द्वारा एकाधिकार वाले स्थानों में घुसपैठ करने का प्रयास माना जाता था, विशेष रूप से राजनीति, जिसे एक सार्वजनिक गतिविधि और इसलिए पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता था। भले ही महिलाओं ने समय के साथ समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त किये (मतदान आदि के संदर्भ में), लेकिन इससे उन्हें प्रतिनिधि संस्थाओं में अपने लिए जगह बनाने में मदद नहीं मिली। प्रक्रिया में समानता की गारंटी दी गई थी, लेकिन इससे कोई सार्थक लोकतांत्रिक सहभागिता नहीं हुई। सरकारी निकायों में महिलाओं की अनुपातहीन संख्या इस विरोधाभास को दर्शाती है। इसने कोटा के लिए आवाज उठाई ताकि महिलाओं के राजनीतिक पद पर रहने की संभावना बढ़े, जहाँ उनकी आवाज नीतियों को आकार देने में मदद कर सकती है जो वास्तव में परिणाम प्राप्त करती हैं। इसने नारीवादी संघर्षों के भीतर 'विचारधारा की राजनीति' से 'उपस्थिति की राजनीति' में बदलाव को चिह्नित किया।

पिछले तीन दशकों में बिहार का मानव विकास सूचकांक लगातार प्रमुख भारतीय राज्यों में अंतिम स्थान पर रहा है। कई स्वास्थ्य संकेतकों पर राज्य का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है, इसलिए समग्र रूप से इसकी आबादी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। कुछ वेक्टर जनित रोग, संचारी रोग और जल जनित रोग भी भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में बिहार में सबसे अधिक प्रचलित हैं। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट (एएचएस) के अनुसार, हाल के वर्षों में बिहार का आईएमआर भारत के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत तेज दर से गिर रहा है, लेकिन राज्य में अभी भी किसी भी अन्य की तुलना में कुल आईएमआर बहुत अधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16 के अनुसार, बिहार में आधे बच्चे कम वजन के हैं (राष्ट्रीय औसत 46: की तुलना में), और 3 वर्ष से कम उम्र के 42.3% बच्चे बौने हैं, जो जीवन के पहले कुछ वर्षों के दौरान व्यापक दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत देता है।

पिछले दो दशकों में, राजनीतिक विकेंद्रीकरण विश्व राजनीति में एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरा है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 5 मिलियन से अधिक आबादी वाले कई विकासशील और संक्रमणकालीन देशों ने राजनीतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू किया। भारतीय अधिकारियों ने अप्रैल 1993 में यह बदलाव किया। 73वें और 74वें संशोधन ने औपचारिक रूप से स्थानीय सरकारों (भारत में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जाना जाता है) की स्थापना की और संघीय सरकार से उन्हें अधिक अधिकार हस्तांतरित किए। नए नियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि महिलाएं सभी स्थानीय निर्वाचित पदों में कम से कम एक तिहाई का गठन करें और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विधायी सीटों का आनुपातिक हिस्सा दें। बिहार की राज्य सरकार द्वारा 2001 में 73वें संशोधन को अपनाने से पहले, राज्य में कभी भी स्थानीय चुनाव नहीं हुए थे।

2006 में दूसरे पंचायत चुनाव में बिहार पहला राज्य बना जिसने पंचायत सीटों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया गयां, जो कि संविधान संशोधन में निर्धारित 33% से अधिक है। बिहार में पहले पंचायत चुनाव को लगभग दो दशक बीत चुका है, इसलिए, स्वास्थ्य परिणामों सहित विकासात्मक परिणामों पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण और महिला आरक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करना अत्यधिक नीतिगत रुचि का विषय है। संशोधन अधिनियमों के सुझावों का पालन करते हुए भारत राज्य ने स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संस्थाओं) में महिलाओं के लिए 33: सीटें आरक्षित किया। लेकिन बिहार राज्य इस कोटा सीमा से आगे निकल गया है और बिहार पंचायत राज अध्यादेश के माध्यम से स्थानीय सरकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50: आरक्षण लागू किया है। धारा 13 (2) उप-धारा (1) के तहत आरक्षित कुल सीटों की लगभग पचास प्रतिशत से अधिक सीटें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित न की गई कुल सीटों में से लगभग पचास प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँगी। बिहार में यह सुधार भारत में अपनी तरह का पहला सुधार है और इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आईडीईए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जहाँ स्थानीय शासन ने पचास प्रतिशत आरक्षण अपनाया हो। बिहार में कुल 9032 स्थानीय सरकारी निकाय हैं, इसमें 8463 ग्राम पंचायतें, 531 पंचायत समितियाँ और 38 जिला परिषदें शामिल हैं। बिहार पंचायत राज अध्यादेश 2006 के बाद चुनाव हुए और 54% से अधिक महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई। यह महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि है और ऐसा माना जाता है कि इस तरह की आरक्षण नीति का महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

महिलाएँ और स्थानीय शासन

यह विषय विकेंद्रीकरण के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोणों से घटना का विश्लेषण करके भारत में स्थानीय शासन की गतिशीलता पर प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों पर जोर दिया गया है और भारत के कई उदाहरणों एवं मामलों का उपयोग मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करने और समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। स्थानीय सरकार को बड़े राजनीतिक संदर्भ में रखकर, यह भारत में स्थानीय सरकार को देश की वृहद राजनीति के लिए मौलिक रूप से फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है। मनरेगा जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर शासन की संरचनाओं के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से शासन की अवधारणा की नीति-उन्मुख समझ प्रदान करना।

जिन देशों में महिलाओं के लिए कोटा लागू किया गया है, कम से कम नगरपालिका स्तर पर, उनमें भारत भी शामिल है। इस बात पर अभी भी बहुत बहस चल रही है कि राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद को एक ही रणनीति का उपयोग करना चाहिए या नहीं, और तथाकथित 'महिला विधेयक' विधानमंडल में तीन बार पराजित हो चुका है। कुछ पाठकों को आश्चर्य हो सकता है कि भारत ने महिलाओं के लिए कोटा लागू किया है, जबकि देश की नकारात्मक छवि ऐसी है कि महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कन्या भ्रूण का गर्भपात, दहेज से संबंधित मौतें और विधवाओं को जलाना भारत के बारे में आम जनता की धारणा को आकार देना जारी रखता है। दूसरी ओर, 1992 में, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय सरकारों (जिसे पंचायती राज कहा जाता है) के गठन और संगठन के लिए नए दिशा-निर्देश स्थापित किए। इस संशोधन की एक आवश्यकता यह है कि सभी निर्वाचित और नियुक्त पदों में महिलाओं की संख्या कम से कम 33 प्रतिशत होनी चाहिए। समर्थकों का तर्क है कि कोटा महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा, जबकि आलोचकों का कहना है कि चुनी गई महिलाएँ शक्तिशाली पुरुषों के लिए 'प्रॉक्सी' से थोड़ी अधिक होंगी और मुख्य रूप से अभिजात वर्ग से आएंगी। विरोध करने वालों द्वारा दिया गया एक और तर्क यह है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं को प्रभावी राजनीतिक अभिनेता बनने के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी है।

वास्तव में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना बनी हुई है। सार्वजनिक स्थानों तक महिलाओं की पहुँच सीमित है, हालाँकि यह किस हद तक है यह सामाजिक स्तर, धर्म, आयु और पारिवारिक स्थिति के अनुसार भिन्न होता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में मौजूद संस्कृति के कारण महिलाओं के राजनीति में शामिल होने की संभावना भी कम है। आजकल राजनीति में वफादारी और ईमानदारी को पुराने गुणों के रूप में देखा जाता है, और जीत हासिल करने के लिए चालाकीपूर्ण रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पहले से ही राजनीति में काम कर रही महिलाओं को भी वर्तमान माहौल के लिए अपने गुस्से और तिरस्कार को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से हतोत्साहित किया जाता है। चुनावों में हिंसा का प्रचलन एक और कारक है जो महिलाओं को कार्यालय के लिए दौड़ने से हतोत्साहित करता है। अधिकांश जाति-आधारित हिंसा तब होती है जब निचली जातियों के सदस्य (जिन्हें पारंपरिक रूप से कम बुद्धिमान माना जाता है) कार्यालय के लिए उच्च जातियों के उम्मीदवारों को चुनौती देते हैं। हाल के चुनावों में, मतदान केंद्रों पर कब्जा करना आम बात हो गई है। चुनावी प्रक्रियाओं में राजनीति के अपराधीकरण की अस्थिर प्रवृत्ति भी प्रचलित है। इन कारकों के कारण, महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से हतोत्साहित किया जाता है। इस शोध का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या राजनीतिक सत्ता के पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में सार्थक वृद्धि होगी और इस प्रकार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। शोध में उन कारकों की पहचान की गई है जो राजनीति में महिलाओं के प्रवेश और सहभागिता को प्रोत्साहित और हतोत्साहित करते हैं तथा महिला सशक्तिकरण पर लिंग कोटा के प्रभावों की बहुलता को समझने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान की गई है।

संदर्भ सूची:

1. होक, एम., इटोहारा. (2009). माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम में सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण: बांग्लादेश से एक केस स्टडी. जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, साइंस पब्लिकेशन्स, गेल।
3. कबीर, एन. (2005). लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, लैंगिक और विकास खंड 13, संख्या 1.
4. कौर, एस. (2009). महिला सशक्तिकरण के मुद्दे: एक आलोचना, LXX(4) पृष्ठ 333-344,. द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
5. कोको, यू. (1992). स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए लोगों को सशक्त बनाना. IASSI त्रैमासिक पत्रिका, 11(2), पृष्ठ 2-12.
6. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण. (2015-16). स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. NFHS-4 से लिया गया.
7. नोरिस, आई. ए. (2001). कैम्ब्रिज इंटरनेशनल आईडिया 2006. बढ़ती हुई लहर: लैंगिक समानता और सांस्कृतिक परिवर्तन,. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. राय. (1999). 'लोकतांत्रिक संस्थाएँ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण: भारत में कोटा बहस', डेमोक्रेटाइजेशन में, 6(3), पृष्ठ 84-99.

राजनीतिक सहभागिता का मनोवैज्ञानिक परिवेश: एक अध्ययन

डॉ० प्रीति कुमारी

असिस्टेंट प्रोफसर (मनोविज्ञान) डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा महिला महाविद्यालय, मोतिहारी

लोकतांत्रिक व्यवस्था को एकमात्र ऐसी व्यवस्था माना जाता है जो लोगों की इच्छा पर आधारित है और जो सत्ता के संघर्ष में यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता की कामना करती है। सहभागिता का इस प्रकार का विस्तार "आंशिक रूप में सहमति, उत्तरदायित्व और राजनीतिक विरोध के सिद्धांत की सार्थकता तथा बल प्रदान करने की इच्छा से उत्प्रेरित किया गया है। सहभागिता वह प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा प्रजातंत्र में सहमति को मान्य अथवा अमान्य किया जाता है तथा शासकों को प्रजा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। नार्मन एच. नीई और सिडनी वर्बा ने अपने लेख पोलिटिकल पारर्टिसिपेशन में लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधि सम्मत गतिविधियां है जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निरूपण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। विस्तृत अर्थ में, यह किसी भी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधि हो सकती है। लोकतंत्र में नागरिक सहभागिता के विश्लेषण के लिए अनेक मापदंड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अन्तर्गत मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को राजनीतिक सहभागिता का सूचक मान लिया जाता है। कहीं कहीं राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा पर भी विचार किया जाता है। राजनीतिक सहभागिता के अनेक तरीके हैं जेसे सामुदायिक गतिविधि जिसके अन्तर्गत समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे कि स्वच्छता, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था के लिए एक दूसरे के साथ मिल जुलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामलों को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से सम्पर्क करता है या जब कोई नागरिक जलसे-जु-लूस, विरोध प्रदर्शन, हड घ्ताल,धरने या बहिष्कार की गतिविधियों में हिस्सा लेता है तो इस कार्यवाही को भी राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति माना जाता है। नागरिक सहभागिता की मुख्य कसौटी यह है कि इस गतिविधि के बल पर कोई नागरिक सार्वजनिक नीति और निर्णयों को कहां तक प्रभावित कर पाता है। शासन तंत्र में लोगों की सहभागिता या उनकी असहभागिता का तथ्य ही उनके स्वरूप का स्पष्टीकरण कर देता है। राजव्यवस्थाओं की प्रकृति, उनकी कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता और प्रभावकारिता को समझने में सहभागिता का निर्णायक महत्व होता है। सहभागिता मुख्य रूप से उन लोकतांत्रिक समाजों का तत्व माना जाता है जिनमें सम्मति, समानता, उत्तरदायित्व, बहुसंख्यकों का शासन तथा लोकप्रिय सम्प्रभुत्ता इत्यादि विशेषताएं पायी जाती हैं। राजनीतिक सहभागिता या लोकतांत्रिक सहभागिता सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया की मांग करती है। अत: यह दो तरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है दूसरे शब्दों में, लोकतंत्रीय सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं और सरकार भी पहल कर सकती है। इनमें कुछ परम्परागत तरीके और गैर परम्परागत तरीके हो सकते हैं। परम्परागत तरीकों में सरकार या जन प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क, हित समूहों की गतिविधियां, राजनीतिक प्रचार अभियान, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड घ्ना, प्रत्याह ्वान, चुनावों का आयोजन, सार्वजनिक सुनवाई, सलाहकार परिषद, परिपृच्छा आदि शामिल है जबकि गेर परम्परागत तरीकों में विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा, राजनीतिक हिंसा, राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि शामिल है।

राजनीति सहभागिता का आशय "राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों की संलिप्तता से है। राजनीतिक गतिविधियां असंलिप्तता से लेकर पद धारण तक हो सकती है। इस बात पर भी बल देना महत्वपूर्ण है कि सहभागिता का परिणाम अधिक सहभागिता की प्रेरणा भी हो सकता है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के पदों को धारण करना सम्मिलित है तथा जिसमें राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। यद्यपि राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन प्रजातंत्र के अध्ययन से जुड़ा हुआ है किन्तु केवल प्रजातंत्र ही राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान नहीं करता बीसवीं शताब्दी के सभी राजनीतिक तंत्र चाहे वे सर्वसत्तावादी हो, अनुदारवादी हों या प्रति क्रियावादी हो अपने नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार देते रहै हैं।

राजनीतिक सहभागिता की प्रकृति

सहभागिता प्रकृतित: बहुमुखी होती है और साथ ही बहुस्तरीय भी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता अनेक बार केवल ओपचारिक और आभासी हो जाती है, अर्थात् जनता अथवा जनता का कोई भाग, अनायास ही राजनेतिक प्रक्रिया के किसी पक्ष में

भागीदार हो जाते हैं, किन्तु न तो यह भागीदारी सुविचारित अथवा योजनाबद्ध होती है, न ही यह भागीदारी उससे संबद्ध व्यवस्थागत कारकों से निर्धारित और प्रभावित होती है। स्वाभाविक रूप से ऐसी 'अचेतन' और 'यांत्रिक' भागीदारी राजनेतिक सहभागिता के वास्तविक स्वरूप के समरूप नहीं मानी जा सकती। राजनीतिक सहभागिता हर प्रकार की, हर संरचनात्मक व्यवस्था की राजनीतिक गतिविधि को भी नहीं कहा जाता है। यह संकल्पना केवल व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें 'व्यक्ति' ही प्रमुख होता है। देश के नागरिकों की ऐसी क्रियाओं को ही राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है जो शासन तंत्र की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसमें मूल तथ्य व्यक्ति है। यह व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि है, अर्थात् राजनीतिक सहभागिता में व्यक्ति का राजनीति में आवेष्टन या उलझाव या राजनीतिक कृत्य अनिवार्यत: रहता है।

ऑमण्ड और पॉवेल ने हित एकीकरण व हित अभिव्यक्ति में राजनीतिक सहभागिता का विवेचन करते हुए राजनीतिक दलों व हित समूहों के योगदान का वर्णन किया है। इससे उनका आशय है कि राजनीतिक सहभागिता में दलों व समूहों की भूमिका को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक कृत्य का माध्यम इन्हीं में पाता है। दल एवं अन्य राजनीतिक संगठन राजनीतिक सहभागिता के प्रति नागरिक जागरूकता उत्पन्न करने के ही महत्वपूर्ण माध्यम नहीं है अपितु इन्हीं से व्यक्ति का राजनीतिकरण होता है और व्यक्ति राजनीतिक कर्म करने लगता है। अत: राजनीतिक सहभागिता में केवल व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि नहीं राजनीतिक समूहों व दलों की राजनीतिक क्रयायें भी सम्मिलित हो जाती हैं। राजनीतिक समाजीकरण के इन अभिकरणों से ही तो व्यक्ति राजनीति की और झुकता है उसमें राजनीति के प्रति लगाव पेदा होता है, उसकी राजनीतिक भर्ती और राजनीतिकरण होता है। उसकी राजनीति के प्रति यह रूचि, रूख व रवैया ही उसकी राजनीतिक गतिविधि का आधार होता है। राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य नागरिक की राजनीतिक गतिविधि से है और इस अर्थ में वोट देना और वोट देने के लिए व्यक्ति द्वारा प्रचार करना एक सी राजनीतिक गतिविधियां नहीं होते हुए भी राजनीतिक सहभागिता है। दोनों में व्यक्ति का राजनीतिक कृत्य है और दोनों राजनीतिक व्यवस्था की परिधि में किए गए कार्य हैं। अत: राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति के उन सब राजनीतिक कार्यों को कहा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारिता के प्रभावक होते हैं।

राजनीतिक सहभागिता सीमित अर्थबोधन वाली संकल्पना है। इसमें व्यक्ति का ऐसा राजनीतिक कर्म जो राजनीतिक व्यवस्था में निष्पादित होता है वही सम्मिलित रहता है। यह नागरिकों की सामूहिकता में निष्पादित गतिविधि नहीं है। यह व्यक्ति का व्यक्तिगत हैसियत से किया गया राजनीतिक कर्म, राजनीतिक क्रिया, राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक व्यवहार है जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक व्यवस्था उन्मुखी और राजनीतिक निर्णय करता का प्रभावक होता है। यह राजनीतिक व्यवस्था की परिधि में किया गया कर्म है। मिलब्राथ ने अपनी पुस्तक "पोलिटिकल पार्टिसिपेशन'' में राजनीतिक सहभागिता को समुच्चयी क्रिया माना है। उसके अनुसार जब व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से एक कर्म करता है तो वह दूसरी राजनीतिक क्रिया भी करता हुआ पाया जाता है। जैसे वोट देने वाला व्यक्ति, वोट के लिए प्रचार भी करता है, धन या जन से सहयोग भी देता है तथा राजनीति में उलझाव अन्य तरीकों से राजनीतिक गतिविधि करता है तो तथा राजनीति में उलझाव के अन्य तरीकों से राजनीतिक गतिविधि करता है तो उसकी यह सब गतिविधियां राजनीतिक सहभागिता ही है। मिलब्राथ का यह विचार इस रूप में मान्य है कि इन सब में राजनीतिक क्रिया का केन्द्र व्यक्ति रहता है। यह राजनीतिक कृत्य व्यक्ति के हैं, समूहों या दलों के नहीं है। अत: यह सब कार्य राजनीतिक सहभागिता कहै जायेंगे। यदि व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि है तो यह राजनीतिक सहभागिता है और अगर उसकी संस्थागत या समूह व्यवस्थाओं दलों व हित समूहों की गतिविधि से है तो यह राजनीतिक सहभागिता नहीं, राजनीतिक सहभागिता की प्रेरक व प्रोत्साहक गतिविधि है। अत: राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि से ही सरोकार रखती है। राजनीतिक सहभागिता के आयाम राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोगों की राजनेतिक सहभागिता के आयाम या मात्रा भी अलग-अलग होते हैं। मिलब्राथ राजनीति में सहभागी लोगों में मात्रात्मक अंतर की बात करते हैं। उनके अनुसार राजनीति में सहभागी लोग तीन प्रकार के होते हैं अत: इन लोगों की राजनीतिक सहभागिता की मात्रा के आधार पर राजनीतिक सहभागिता के तीन आयाम हो सकते हैं जो कि राजनीतिक गतिविधि की गहराई से नहीं बल्कि उसकी मात्रात्मकता से निर्धारित होते हैं इस प्रकार राजनीति में सहभागी लोगों की गतिविधियों के तीन प्रतिमान हो सकते है।

1. अत्यधिक सक्रिय स्तर कुछ लोग राजनीति में अत्यधिक सक्रियता से जुड़े होते हैं। ऐसी गतिविधियाँ राजनीति में व्यक्ति की पेशेवर गतिविधियाँ कही जा सकती है। इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति पेशे के रूप में राजनीति को अपना लेते हैं तथा अपना अधि कांश समय व शक्ति राजनीतिक कार्यों को करने में ही व्यय करते हैं। जैसे - राजनीतिक प्रचार में अधिकांश समय लगाना, राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना, दल की चुनावी सांठ गांठ वाली बैठकों में भाग लेना, राजनीतिक चंदा इकट्ठा करना, चुनाव में उम्मीदवार होना, दल के नेता या सार्वजनिक नेता आदि का पद संभालना आदि।
2. साधारण से अधिक सक्रिय एक श्रेणी ऐसी भी होती है जो अत्यधिक सक्रिय रूप से राजनीति में सहभागी नहीं होते तो पूर्णत: उदासीन भी नहीं रहते हैं। उनकी गतिविधियाँ ऐसी राजनीति सहभागिता से संबंधित होती है जिसमें व्यक्ति की साधारण से अधि क रूचि और सक्रियता रहती है। जेसे राजनीतिक बैठकों, प्रदर्शनों व रेलियों में सम्मिलित होना, राजनीतिक नेताओं से सम्पर्क करना, किसी उम्मीदवार या दल को वित्तीय सहायता देना।

औपचारिक सक्रिय स्तर

इसमें सहभागिता में ओपचारिकता का पुट रहता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति से विरक्त तो नहीं होता पर उसका राजनीति में उलझाव भी बहुत नरम रहता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यता राजनीति का ऐसा दर्शक रहता है जो उसमें कूदता नहीं पर अवसर आने पर सहभागी बनता है। जेसे - वोट देना, राजनीतिक वार्तालाप शुरू करना, दूसरों से इस तरफ या उस तरफ वोट देने की बात करना, अपने वाहन पर किसी राजनीतिक चिन्ह का स्टीकर चिपकाना आदि। इन गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि हर देश में अधिकांश जनता इस प्रकार की राजनीतिक सहभागिता तक ही सीमित रहती है। उनका राजनीति से न तो अलगाव न ही उलझाव होता है। वे न तो राजनीति की तरफ दोडते हैं न ही राजनीति से दूर भागकर उससे कतराते हैं।

आम व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में भाग लेने के संबंध में प्रमुख तीन दृष्टिकोण पाये जाते हैं - आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक। आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति राजनीतिक जीवन में इस कारण भाग लेता है ताकि वह अपने आर्थिक स्वार्थों और हितों की पूर्ति तथा रक्षा कर सके। जिन व्यक्तियों के आर्थिक स्त्रोत अपेक्षाकृत संतोषजनक हैं उनमें राजनीतिक सहभागिता की मात्रा भी अधिक पायी जाती है। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति में दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की आकांक्षा, अहं, अर्जनात्मकता, सांसारिक सफलता प्राप्ति की कामना, दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, सामाजिक अभियोजन की इच्छा आदि व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता के लिए प्रेरित करती है। कुछ मनोवेज्ञानिकों ने राजनीतिक सहभागिता को दमित आकांक्षाओं का प्रतिफल, नेतृत्व की नैसर्गिक इच्छा और मूल प्रवृत्यात्मक विशेषताएँ प्रस्फुटित करने का स्वाभाविक अभिकरण माना है। सांस्कृतिक दृष्टि से व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता का अंतर विभिन्न संस्कृतियों में व्याप्त समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर, सत्ता और अधीनता के मूल्यों के तुलनात्मक महत्व और भूमिका ग्रहण संबंधी सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। सामान्यतया सहभागिता के दो प्रकारों की बात की जाती है। पहला सक्रिय सहभागिता और दूसरा निष्क्रिय सहभागिता। आमण्ड और बर्बा ने इन दोनों के अंतर को समझाते हुए कहा है कि इन दोनों में अंतर, विशिष्ट राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर ही किया जाता है। राजनीतिक दलों की बेठकों में सम्मिलित होना, प्रचार करना तथा उनके लिए काम करना सक्रिय सहभागिता है। निष्क्रिय सहभागिता में राजनीति के बारे में जानकारी रखना, मतदान के समय वोट देना आदि शामिल हैं।

राजनीतिक सहभागिता के निर्धारक तत्व विभिन्न व्यक्तियों की राजनीति सहभागिता में अंतर पाया जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति की राजनीति में रूचि समान नहीं होती तथा वे राजनीतिक गतिविधियों, कार्यों आदि में भाग समान रूप से नहीं लेते हैं। राजनीति से लगाव और उदासीनता के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों के कारण व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता में अंतर दिखायी देता है। राजनीतिक सहभागिता के निर्धारक तत्व निम्न हैं

सामाजिक परिवेश

किसी देश में राजनीतिक सहभागिता शिक्षा, व्यवसाय, आयु, जाति, लिंग, गतिशीलता, अधिवास आदि पर निर्भर करती है। यही वे तत्व हैं जो कि किसी देश में राजनीतिक सहभागिता की मात्रा से संबद्ध होते हैं। ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में अधि क व्यापक राजनीतिक सहभागिता दिखायी देती है क्योंकि वहाँ लोगों के शेक्षिक तथा व्यवसायिक स्तर बहुत ऊँचे होते हैं। राजनीतिक सहभागिता में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधारों पर प्रतिबंध नहीं होता और सबसे बढ़कर राजनीतिक उदासीनता सहसा भड घ्काने वाले दंगों तथा अनायास हिंसा के प्रयोग की मात्रा बहुत कम होती है।

मनोवेज्ञानिक परिवेश

राजनीतिक सहभागिता इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें उन लोगों को पुरस्कृत करने की क्षमता का गुण है जो कि इसमें लीन रहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चर शामिल हैं जैसे सत्ता की आवश्यकता, स्पर्द्धा, उपलब्धि, लगाव, संचय, धन, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्तर, मान्यता, भाव, जोड़-तोड़, सहानुभूति, उत्तरदायित्व अथवा ऐसी आवश्यकता जो कि मानव व्यवहार को प्रभावित करती है आदि। सामान्यतया लोग शांतिप्रिय होते हैं परन्तु वे हिंसा अथवा आंदोलन की राजनीति के अन्य रूपों का आश्रय लेते हैं जब देश के शासक उनकी सहनशीलता पर अनुचित प्रहार करते हैं या फिर जब राजनीतिक व्यवस्था का संचालन उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं हो पाता है।

राजनीतिक परिवेश

राजनीतिक परिवेश के तत्वों में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के आकार, दूरी, जटिलता, चुनावों की आवृत्ति, भरे जाने वाले पदों की संख्या की अवधि, राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षैत्रीय व स्थानीय प्रशासन के स्तर, राजनीतिक दल शामिल होते हैं। राजनीतिक सहभागिता अनेक घटकों जैसे पंजीकरण की कष्टादायक प्रक्रिया, निवास की शर्त, मतदान के स्थान की दुर्गमता तथा परिस्थिति जन्य तत्व जिनमें युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा देश विदेश में गंभीर उपद्रव जेसी बाधायें शामिल हैं द्वारा भी प्रभावित होती हैं। प्रत्येक देश की जनता अपने देश

की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है परन्तु सहभागिता का स्तर स्थान-स्थान पर, समय-समय पर, तथा लोगों के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में भिन्न दिखायी देता है इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीतिक सहभागिता स्थैतिक न होकर गतिशील परिकल्पना है। सहभागिता का अपेक्षित स्तर स्वतः प्राप्त नहीं हो सकता है, अपितु इसके लिए विभिन्न स्तरों पर गंभीर प्रयास करने अपेक्षित होते हैं। सहभागिता की अभिव्यक्ति के संस्तरों की विविधता तथा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में उसके स्वरूप में परिलक्षित होने वाली विभिन्नता के कारण सहभागिता की सटीक परिभाषा किया जाना कठिन है, किन्तु उसके सामान्य भाव को अवश्य इंगित किया जा सकता है। सिडनी वर्बा ने सहभागिता को ऐसी स्थिति के रूप में इंगित किया है जिसमें ओपचारिक रूप से निर्णय-निर्माण की शक्ति से सम्पन्न न होने वाले लोग, उन लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए सक्रिय होते हैं, जिन्हैं ऐसे निर्णय-निर्माण की शक्ति ओपचारिक रूप से प्राप्त है। क्योंकि यह सक्रियता राजनीतिक निर्णय कर्ताओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए निर्दिष्ट होती है, अतः परिधि में बहुविधि गतिविधियां समाविष्ट होती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सहभागिता का मर्म निर्णय-निर्माताओं को वस्तुतः प्रभावित कर पाने की प्रभावशीलता में नहीं, अपितु प्रभावित करने के मन्तव्य में निहित होता है।

सहभागिता एक बहुआयामी और बहु-स्तरीय स्थिति के रूप में अनेक कारकों से निधारित और प्रभावित होती है। यह टिप्पणी भी प्रासंगिक है कि सहभागिता शासकीय संस्थाओं के निर्वाचन में जनता की यांत्रिक भागीदारी के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। सहभागिता का मम्र राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया के विभिन्न संदर्भों में जनता की जागरूकता, रूचि और सचेतन भागीदारी में समाविष्ट है। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राजनीतिक सहभागिता सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से मुक्त अथवा स्वतंत्र नहीं की जा सकती है।

संदर्भ सूची

1. हरबर्ट मेक्यूलोस्की, डेविड मित्स (संपादित), पोलिटिकल पार्टिसिपेशनस, ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स, 2014, पृ. 254
2. बर्बा एस. मिडनी, डोमोक्रेटिक पार्टीशिपेशन, दी एनल्स ऑफ अमेरिकन ऐडमी ऑफ पॉलिटिकल एण्ड सोशियल साइंस, CCLXIII, सितम्बर 2007, पृ. 59
3. बर्बा एस. सिडनी एण्ड नॉर्मन एच. नी, पार्टीसिपेशन इन अमेरिकाः पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एण्ड सोशियल इक्वॉलिटी, न्यूयॉर्क हॉपर एण्ड रॉ पब्लिशर्स, 2019, पृ. 223
4. आमण्ड एण्ड बर्बा, सिविक कल्चर, स्कॉट फोर्समैन एण्ड कम्पनी, 2011, पृ. 12
5. नॉर्मन डी. पामर, इलेवशन्स एण्ड पॉलिटिकल डवलपमेंट, द साउथ एशियन एक्पीरियेंस, डरहम एन.सी. डूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 2015, पृ.सं. 18
6. मिलब्राल एल. डब्ल्यु., पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन, हाउ एण्ड वाई डू पीपल गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, 1999, पृ. सं. 18
7. धर्मवीर, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2001, पृ. 152-153

बिहार के कोसी क्षेत्र में कम होती लिंगानुपात की परिवर्तनशील प्रवृत्तियों का भौगोलिक अध्ययन

डॉ० अमिताभ बच्चन

भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया

शोध सार:-

किसी जनसंख्या में महिलायों तथा पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसे भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलायों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनगणना-2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है अर्थात 1000 पुरुषों पर मात्रा 918 स्त्रियाँ है। जो राष्ट्रीय औसत 943 से 25 कम है। उसी तरह कोसी क्षेत्र में लिंगानुपात मात्रा 913 है जो कि बिहार के औसत लिंगानुपात से 5 कम है। लिंगानुपात के वितरण में क्षेत्रीय असमानताएँ देखने को मिलता है। लिंग अनुपात किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक सूचक है तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए अत्यन्त लाभदायक यन्त्र है[1]। लिंग अनुपात का प्रभाव अन्य जनसांख्यिकीय तत्वों जैसे जनसंख्या वद्धि, विवाह-दर व्यावसायिक संरचना पर भी माना गया है अत: लिंग अनुपात का ज्ञान रोजगार तथा उपभोग प्रारुप तथा किसी समुदाय की सामाजिक आवश्यकताओं को समझने के लिए आवश्यक है।

मूल शब्द:- लिंगानुपात, शिशु लिंग-अनुपात, जनगणना, भ्रूण हत्या, लिंग संघटन।

प्रस्तावना:-

बिहार के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को कोसी क्षेत्र कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से कोसी, महानन्दा और इनके अनेक सहायक नदियाँ बहती है। इस क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी प्रलयकारी बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है जो अपना रौद्र रूप समय-समय पर दिखाती रहती है, इसने अपना रौद्र रूप हाल ही में 2003 व 2008 में दिखा चुकी है। इस क्षेत्र के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है[2]। बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में गरीबी का दुसरा चक्र चलता रहता है। इस क्षेत्र में सामान्यत: आन्तरिक समानता देखने को मिलता है तथा इस क्षेत्र का भौगोलिक सीमा इसे एक अलग पहचान देता है। इस क्षेत्र के पश्चिम की सीमा कोसी नदी के द्वारा तथा दक्षिण की सीमा कोसी व गंगा नदी के द्वारा बनती है। इस क्षेत्र के पूरब में बिहार से सटे पर्व बंगाल की सीमा तथा उत्तर में भारत व नेपाल की सीमा लगती है[3]।

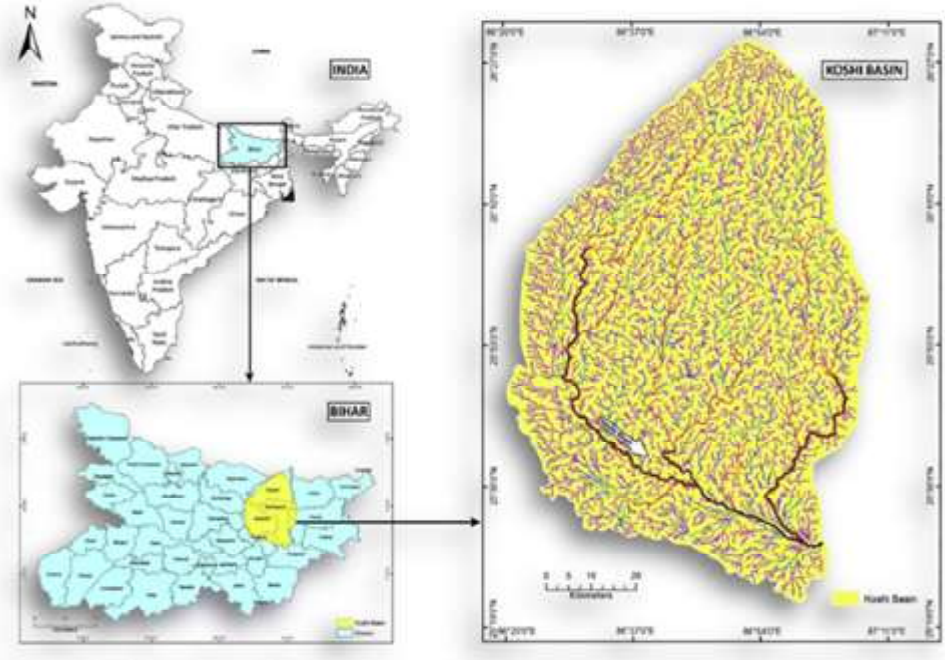

जनगणना–2011 के अनुसार बिहार का औसत लिंगानुपात '918' है जो कि भारत के औसत लिंगानुपात '943' से '25' कम है। कोसी क्षेत्र का लिंगानुपात '913' है जो बिहार के औसत लिंगानुपात से कम है। इसमें भी क्षेत्रीय भिन्नता है जो कि '950' किशनगंज से '880', उत्तरी भागलपुर तक है। कोसी क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार के नौ जिले आते हैं जो इस प्रकार है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज पूर्णिया, कटिहार खगडिया उत्तरी भागलपुर। कोसी प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि की दर काफी तीव्र है। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जहाँ 17.7 प्रतिशत है तथा बिहार की जनसंख्या वृद्धि की दर 25.4 है वहीं कोसी प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 28.7 प्रतिशत है जिसके कारण इस प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जो एक चिन्ता का विषय है[4]।

टेबुल–1

Sl. No	District	Total Population	Decadal Growth Rate	Sex Ratio	Density	Child birth rate (0-6)	Literacy (in%)
1	Supaul	22,29,076	28.66	929	919	944	57.67
2	Saharsa	19,00,661	26.02	906	1127	933	53.20
3	Madhepura	20,01,762	31.12	911	1120	930	52.25
4	Araria	28,11,569	30.25	921	993	957	53.53
5	Kishanganj	16,90,400	30.40	950	897	971	55.46
6	Purnia	32,64,619	28.33	921	1011	954	51.08
7	Katihar	30,71,029	28.35	919	1005	961	52.24
8	Khagaria	16,66,886	30.19	886	1122	926	57.92
9	N.Bhagalpur	30,37,776	25.36	880	1182	938	63.14
	Koshi Region		28.74	913	1041	946	55.16

जनसंख्या वृद्धि की दर भी अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग है। जहाँ मधेपुरा में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 31.12 प्रतिशत है वहीं भागलपुर में 25.36 है। इस प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत भी सम्पूर्ण बिहार के औसत 61.8 से काफी कम 55.16 है। साक्षरता के वितरण में भी क्षेत्रीय असमानता है जहाँ पूर्णिया में मात्रा 51.08 प्रतिशत लोग साक्षर हैं वही भागलपुर में 63.14 प्रतिशत लोग साक्षर हैं[5]।

Trends of Sex Ratio: Table-2, Sex Ratio in Koshi Region

Sl. No	District	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
1	Supaul	1014	1006	983	966	964	965	950	930	937	904	920	929
2	Saharsa	1014	1006	983	966	964	965	963	926	934	884	910	906
3	Madhepura	1014	1006	983	966	964	916	928	902	919	885	915	911
4	Araria	962	963	941	936	949	920	933	920	928	907	913	921
5	Kishanganj	962	963	941	936	949	863	873	907	922	933	936	950
6	Purnia	962	963	941	936	949	925	928	914	924	903	915	921
7	Katihar	962	963	941	936	949	930	931	925	928	909	919	919
8	Khagaria	962	1046	1022	998	998	939	943	894	902	868	885	886
9	N.Bhagalpur	1045	1040	1028	987	968	944	929	887	898	864	876	880
	Koshi Region	999	995	974	959	962	930	931	912	921	895	910	913

Source: Census of India 2011, Final Data Totals, Bihar Series,2011

1901 में कोसी प्रदेश में औसत लिंगानुपात 999 था जो कि भागलपुर में 1057 व अररिया, खगरिया, कटिहार, पूर्णिया में 962 तक था। जनगणना 1921 में कोसी प्रदेश के सभी जिलों की स्त्री–पुरुष अनुपात में कमी दर्ज की गई। 1991 की जनगणना में एक बार फिर लिंगानुपात में कमी देखी गई। इस साल औसतन लिंगानुपात 895 दर्ज की गई जबकि इससे पिछले जनगणना, 1981 में लिगानुपात

921 थी। सहरसा 884, मधेपुरा 885, खगड़िया 868 व भागलपुर 864 में लिंगानुपात 900 से नीचे चली गई। उसी साल 910 से उस पर लिंगानुपात मात्रा एक जिला किशनगंज 933 में दर्ज की गई। जनगणना 2001 में सभी जिलों के लिंगानुपात में सुधार हुआ तथ यह औसतन 910 दर्ज की गई फिर भी यह भारत के औसत लिंगानुपात 933 से काफी निम्न था[6]। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोसी क्षेत्र के लिंगानुपात में पिछली जनगणना की अपेक्षा सुधार हुआ है तथा लिंगानुपात 910 से बढ़कर 913 हो गई है। परन्तु ध्यान देनेवाली बात यह है कि इस दौरान कुछ जिलों का प्रदर्शन खराब रहा जहाँ लिंगानुपात में और कमी देखी गई वे जिला है–सहरसा व मधेपुरा। इस जनगणना में किशनगंज की स्थिति अच्छी रही जहाँ लिगानुपात 950 दर्ज की गई जो भारत के औसत लिंगानुपात 943 से ज्यादा है, लेकिन बाकी सभी जिलो में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहा है।

लिंगानुपात का सत्यापनः

Table-2 or Figure-2 में जनगणना 1901–2011 के बीच कोसी प्रदेश में हुई लिगांनुपात की भिन्नता (Variation) को दर्शायी गई है। 1901 से 1911 के बीच लिंगानुपात में 4 अंकों की औसत कमी दर्ज की गई जो कि 999 की तुलना में 995 थी। यह कमी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और उत्तरी भागलपुर में देखी गई। उसी तरह 1921 की जनगणना में लिंगानुपात 974 दर्ज की गई, 1931 में 959, 1941 में 962, 1951 में 930 थी जो लिंगानुपात में लगातार हुई कमी को दर्शाती हैं लेकिन लिंगानुपात 1961 में एक अंक बढ़कर 931 हो गई. जो कि 1971 में गिरकर 912 तक पहुँच गई 1981 में इसमें बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जो 921 थी। फिर अगले ही जनगणना में औसत लिंगानुपात में कमी हो गई तथा यह 895,991 तक पहुँच गई। कोसी क्षेत्र की औसत लिंगानुपात 2011 में 913 दर्ज की गई है जो समाज में महिलाओं के प्रति बदलती धरना को बताती है7।

लिंगानुपात का आध्यात्मिक विवरण रू.

कोसी प्रदेश में उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम खण्ड की तरफ लिंगानुपात में अत्यधिक भिन्नता है।

Figure-3 Distribution of Sex Ratio in Kosi Region

Figure-3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि एक मात्रा किशनगंज जिला में लिंगानुपात 940 से अधिक है (High Sex Ratio) पूर्णिया, अररिया व सुपौल में मध्यम लिंगानुपात मिलता है जो 920 से 940 के बीच है (Moderate Sex Ratio (920–940) जबकि कटिहार, मधेपुर और सहरसा में निम्न लिंगानुपात मिलता है जो 900 से 920 के बीच है (Low Sex Ratio)। लिंगानुपात का चौथा इकाई खगड़िया 886 व उत्तरी भागलपुर, 880 है जहाँ लिगानुपात 900 से भी कम है तथा यह कोसी प्रदेश में अति निम्न लिंगानुपात का क्षेत्र है[8]।

कोसी प्रदेश में लिंगानुपात की कमी और भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक

कोसी प्रदेश के लिंगानुपात के वितरण को बहुत से कारको के आधर पर व्याख्या किया जा सकता है. सबसे पहले लिगानुपात की प्रवृत्ति इस क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संतुलित मिलता है। पुर्णिया, कटिहार व सहरसा के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात, किशनगंज, अररिया व सुपौल जैसे ग्रामीण जनसंख्या बहुत क्षेत्रों की तुलना में कम मिलता है। लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या का धर्मिक संघटन। सामान्यतः मुस्लिम जनसंख्या में लिंगानुपात हिन्दु जनसंख्या की अपेक्षा अधिक मिलता है। उसी तरह जिस क्षेत्र से या जिला से उत्प्रवास अधिक हुआ है वहाँ लिंगानुपात अधिक मिलता है क्योंकि रोजगार की तलाश में ज्यादातर पुरुष प्रवास कर जाते है जब जनगणना होती है तो महिलाओ की गिनती हो जाती है और पुरुष के वहाँ

छुटने के कारण स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में चली जाती है[9]। किशनगंज, पूर्णिया व अररिया से अध्कि संख्या में पुरुष पर बंगाल व बांग्लादेश को आर्थिक कारण से प्रवास कर गए है जिसके कारण इस क्षेत्र में लिंगानुपात अधिक मिलती है। कोसी प्रदेश के दक्षिणी खण्ड जो कि पश्चिम में खगड़िया व भागलपुर नौगछिया सब डिविजन तक तथा पूरब में कटिहार जिला तक का एक बढ़ा क्षेत्र विकास में आगे है। यहाँ अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य व शिक्षा की भी अच्छी सुविधाएँ मौजुद है फिर भी यहाँ लिंगानुपात कम मिलता है, इसका कारण है भूण हत्या, लचर व्यवस्था, कानून का सही से पालन नहीं होना, भ्रष्टाचार के कारण लिंग परीक्षण के उपरान्त बालिका होने पर भ्रूण हत्या कर देना।

बालिका भूण हत्या पढ़े-लिखे परिवारों में ज्यादा देखने को मिलता है कौशिक, एस पी 2010 हाल ही में हुए नए शोध लिंगानुपात व महिला साक्षरता के बीच नकारात्मक सह-सम्बंध को दर्शाता है। मधेपुरा सहरसा व कटिहार में मध्यम लिंगानुपात मिलने का कारण है इन जिलो के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिशु के प्रति लापरवाही जिसका कारण है यहाँ के परिवारों का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना यहाँ फैली दहेज की कुप्रथा भी बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोंच पैदा करता है[10]। इस क्षेत्र की महिलाएँ भी सशक्त नहीं है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ महिलाओं की जीवन सम्भाव्यता बढ़ी है। ऐसा पता बदलता है कि कोसी प्रदेश में जो महिलायों की कमी चली आ रही है वह भूतकाल के कारको के कारण है क्योंकि इस क्षेत्र में अब स्त्रियों की औसत आयु 67.7 वर्ष व पुरुषो की औसत आयु 64.6 से थोड़ी अधिक है।

शिशु लिंग अनुपातः

यह जनसख्या में 0-6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषो की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या है। भारत में शिशु लिंगानुपात, लगातार कम होता जा रहा है जो एक खतरे की घंटी है। 2001 की जनगणना में भारत का SCr~ जहाँ 927 था वही जनगणना 2011 में यह घटकर 919 पर पहुँच गई। हमारे अध्ययन क्षेत्र में औसतन शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 919 से अधिक 946 है। पिछले जनगणना से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि जहाँ अररिया, पुर्णिया, कटिहार खगड़िया व उत्तरी भागलपुर में शिशु लिगानुपात में कमी दर्ज की गई वही सुपौल सहरसा, मधेपुरा व किशनगंज जैसे जिलों में शिशु लिगानुपात बढ़ा है1[11]

Table –III: Child Sex Ratio In Kosi Region

SI.No.	District	2001	2011
1	Supaul	921	944
2	Saharsa	900	933
3	Madhepura	918	930
4	Araria	967	957
5	Kishanganj	941	971
6	Purnia	968	954
7	Katihar	966	961
8	Khagaria	942	926
9	N. Bhagalpur	966	938
Kosi Region		943	946

Source: Census of India 2011, Final Data Totals, Bihar Series,2011

Fig.-4 कोसी क्षेत्र के अलग-अलग जिलों के शिशु लिंगानुपात को दर्शाया गया है। खगड़िया और उत्तरी भागलपुर में 2001 की तुलना में शिशु लिंगानुपात में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है।

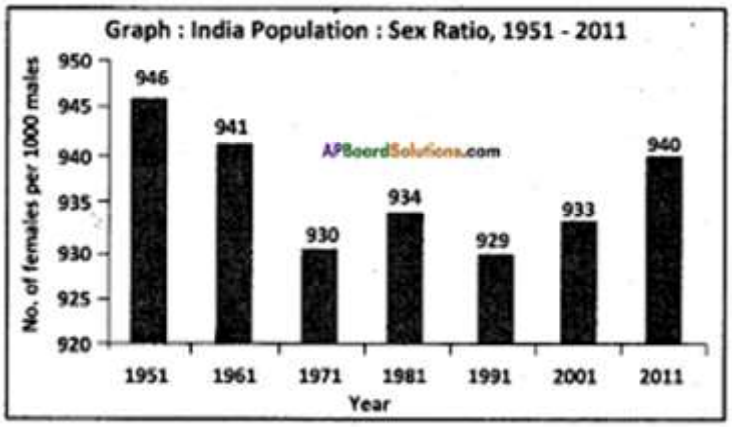

Fig.-5 कोसी प्रदेश के जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात के वितरण को दर्शा रही है। इस क्षेत्र में किशनगंज (971) सबसे अधिक शिशु-लिंगानुपात वाला जिला है। तत्पश्चात् कटिहार जिला (961) का स्थान है 960 से अधिक। अररिया पूर्णिया और सुपौल जिला मध्यम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है 940-960 के बीच कोसी प्रदेश के पश्चिम व दक्षिण का क्षेत्र निम्न लिंगानुपात वाला क्षेत्र है, 920 से 940 के बीच।

शिशु लिंग-अनुपात के वितरण को बहुत सारे कारको के आधर पर व्याख्यायित किया जा सकता है। अध्ययन यह बताते हैं कि इस क्षेत्र के परिवारों में बालको के प्रति अत्यधिक चाहत है। इसके कई कारक हैं, जैसे सामान्यत बालकों/पुत्र का उत्पादक होना, माता-पिता का अंतिम संस्कार पुत्र द्वारा किया जाना वंश को आगे बढ़ाने का काम पुत्र द्वारा किया जाना, इस क्षेत्र में फैले पुराने रीति-रिवाज, पुरूष प्रधान मानसिकता व दहेज प्रथा जैसी कुरितियों के कारण बालिका को हाँसिए पर धकेल दिया जाता है[12]। परिणाम स्वरूप बालिका भ्रुण हत्या, बालिका के जन्म लेने के बाद उसके पालन-पोषण में लापरवाही, कम उम्र में शादी कर देना. महिलाओं में स्वास्थ्य की गंभीर समस्या जैसे कारक इस क्षेत्र में कम होती शिशु लिंगानुपात का कारण है।

जनसंख्या वृद्धि कम करने की नीति में खामी भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम दो हमारे दो नीति को जागरूक लोगों ने हम दो हमारे दोनों ही लड़के में बदल दिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र के पिछड़े, दलित व असाक्षर लोगों की तुलना में साक्षर और स्वर्ण जातियों में बालिका भ्रुण हत्या ज्यादा प्रचलित है।

Das Gupta M, 1987 के अनुसार Higher mortality among later birth order daughters with increasing level of education of the mother is a serious pointer'

इस क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के लोगों में शिशु लिंगानुपात बाकि सभी धर्मों के शिशु लिंगानुपात से अधिक है। यह उसके धर्मिक भावना के कारण है। अरिजित दास ने पंजाब के ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन किया और निरंतर कम हो रहे शिशु लिंगानुपात का पता लगाया[13]। इस क्रम में उन्होंने पाया कि आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सांस्कृतिक रीति-रिवाज के कारण इस क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात में कमी हो रही है। स्कूल की उपलब्धता व शिशु लिंगानुपात में विपरीत सह-सम्बंध पाई गई है। उसी तरह से कामकाजी महिला व शिशु लिंगानुपात में नकारात्मक सह-सम्बंध पाया गया है। अध्ययन क्षेत्र के खगड़िया, नावगछिया, भागलपुर, पूर्णिया व कटिहार जिलों के शहरी क्षेत्रों के निकट कम शिशु लिंगानुपात पाया गया। जैसे खगड़िया 926 उत्तरी भागलपुर: 938, कटिहार 961 व पूर्णिया 954 आदि। जबकि किशनगंज जिला 971 के 70 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या में शिशु लिंगानुपात अधिक पाई गई है[14]।

निष्कर्ष:-

कोसी प्रदेश के सामान्य लिंगानुपात व शिशु लिंगानुपात के वर्णन से हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस प्रदेश में किशनगंज जिला को छोड़कर बाकि सभी जिलों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से कम है। इस प्रदेश के दक्षिण गंगा नदी से सटा हुआ क्षेत्र में लिंगानुपात अति निम्न है। खगड़िया जिला व भागलपुर का नवगछिया उप विभाग को इसमें रखा गया है। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में दक्षिणी खण्ड को छोड़कर सामान्यत: लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी हुई है[15]। ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता/नगरीकरण का निम्न स्तर, मुस्लिम जनसंख्या की बहुलता तथा निकट ही पश्चिम बंगाल व बंग्लादेश में जनसंख्या प्रवास के कारण कोसी प्रदेश के पूर्वी खण्ड में लिंगानुपात उँच्च मिलता है।

संदर्भ सूची

1. Chung, Woojin and Das Gupta, Monica (2007). Population and Development Review, Vol-33, No.4, New York, P-798
2. Das Arijit (2010) Pattern and Determinants of Child Sex Ratio in Rural Punjab, Hill Goegrapher, Vol. XVI- 1 & 2, p.-37.
3. Dasgupta, M. (1987) Selective Discrimination Against Female Child in Rural Punjab, Population and Development Review, 13(1): 77-100
4. Franklin S.H (1956): The Pattern of Sex Ratio in New Zealand, Economic Geography, Vol. 32, P.168.
5. Gailmoto, C.Z. (2007): Characteristics of Sex Ratio Imbalance in India and Future.
6. Jha, S.N. (2009): Regional Geography of Kosi-Mahananda Interfluve, Janaki Prakashan, Patna. p-3.
7. Kaushik, S.P. (2010) Imbalanced Sex Ratio in Haryana Trends and Social Dimension. Annals of the NAGI, Vol. XXX, No.2, p.72.
8. Kaushik, S.P. (2010): Opt. Cit. p. 69.
9. Miler, B.D. (1985), Prenatal and postnatal Sex Selection in India: The Patriarchal Context, Ethical Questions and Public Policy" working paper 107,
10. Women in International Development Publication Series, Michigan State University, 1985.
11. Internet www.censusofindia.com, total population, final data.
12. C.H.Hanumath Rao, Agriculture: Policy and Performance, in Bimal Jalan (ed.), The Indian Economy: Problems and Prospects (New Delhi, 1992), p.121
13. Utsa Patnaik, "India's Agricultural Development in the light of Historical Experience, in Terence J. Byres (ed.), The State, Development Planning in India (New Delhi, 1997), Table 5, p. 194.
14. G.S. Bhalla and G.K. Chaddha, Green Revolution and the Small Peasant. A study of Income Distribution in Punjab Agriculture, Economic and Political Weekly, May 15 and 22, 1982
15. Lbid., May 22, 1982, p. 876.

पटना जिले में शहरीकरण के रुझानः एक भौगोलिक विश्लेषण

डॉ० ललिता रानी

भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

शोध-सारः-

शहरीकरण समाज के मुख्य रूप से ग्रामीण से शहरी आबादी में परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें शहरी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि और ऐसे स्थानों पर रहने वाले गैर-कृषि गतिविधियों में लगे लोगों के प्रतिशत में वृद्धि शामिल है। इसलिए, प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य पटना जिले में शहरीकरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है। डेटा के द्वितीयक स्रोतों के आधार पर, पूरे जिले में शहरी आबादी के साथ-साथ शहरी केंद्रों में वृद्धि को समझाने का प्रयास किया गया है। यह शहरीकरण के परिणामों और शहरी केंद्रों तथा पर्यावरण पर इसके प्रभाव को भी समझाने का प्रयास करता है।

मूल शब्दः शहरी समूह, सुविधाएँ, पर्यावरण, आबादी, जनसांख्यिकी, स्थानिक।

प्रस्तावनाः-

शहरीकरण समाज के मुख्य रूप से ग्रामीण से शहरी आबादी में परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें शहरी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि और ऐसे स्थानों पर रहने वाली गैर-कृषि गतिविधियों में लगी आबादी के प्रतिशत में वृद्धि शामिल है। शहरीकरण और इसके प्रभाव का अध्ययन हमेशा से भूगोल में अध्ययन का हिस्सा रहा है। भूगोल में विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है और यह सामाजिक वैज्ञानिकों की भी रुचि रही है। सिन्हा (2013) ने शहरी आबादी में जिलेवार वृद्धि और इसकी वृद्धि दर के विशेष संदर्भ में बिहार में शहरीकरण के रुझानों की व्याख्या की है। सिन्हा और सिंह (2019) ने बिहार में जनसांख्यिकी में बदलाव की जाँच की। अध्ययन से शहरीकरण और जनसांख्यिकीय घटना पर इसके प्रभाव का पता चलता है, जिसने शहरी समाज में संरचनात्मक परिवर्तन किए। नाजिम और रंजन (2019) ने बिहार में शहरी केंद्रों की स्थानिक विशेषताओं का विश्लेषण किया। शहरी केंद्रों के वितरण पैटर्न के साथ-साथ चयनित शहरी केंद्रों में भूमि-उपयोग पैटर्न को भी शामिल किया गया है। अध्ययन में बिहार राज्य में शहरी केंद्रों के विकास के रूप में क्षेत्र और जनसंख्या के बीच संबंधों का भी पता चलता है[1]।

2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 377.11 मिलियन व्यक्ति 7935 शहरी क्षेत्रों/केंद्रों में रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 31.16 प्रतिशत है। शहरीकरण के स्तर का स्थानिक पैटर्न सभी राज्यों और क्षेत्र में एक समान नहीं पाया जाता है। यह गोवा में 62. 17 प्रतिशत से लेकर हिमाचल प्रदेश में 10.04 प्रतिशत तक राज्यों में भिन्न-भिन्न है। बिहार 11.30 प्रतिशत के साथ दूसरे अंतिम स्थान पर है, जो राष्ट्रीय औसत 31.16 प्रतिशत से तीन गुना कम है। बिहार के जिलों में, यह समस्तीपुर जिले में 3.46 प्रतिशत से लेकर पटना जिले में 43.48 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है। केवल 11 जिलों की शहरी आबादी राज्य के औसत से अधिक है। इसलिए, पटना सबसे अधिक शहरीकृत जिलों में से एक है, जिसमें राज्य की कुल शहरी आबादी का 21.40 प्रतिशत और जिले की 43.48 प्रतिशत आबादी है। 22 शहरी केंद्रों में रहती है। राज्य के राजधानी क्षेत्र होने और ऐतिहासिक क्षेत्र होने के कारण भी इसे लाभ मिला है। इसी तरह पटना जिले में भी शहरीकरण का स्थानिक स्वरूप एक समान नहीं पाया जाता है। जिले के 23 ब्लॉक में से 14 ब्लॉक में शहरी आबादी है। पालीगंज में यह 4.2 प्रतिशत से लेकर पटना ग्रामीण ब्लॉक में 95.3 प्रतिशत तक है। प्रस्तुत शोध में पटना जिले में शहरीकरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना है[2]। इसमें ऐसे पैटर्न के लिए जिम्मेदार कारकों और इसके परिणामों पर भी चर्चा की गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों की समस्याओं के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र में सतत शहरी विकास के प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं।

वर्तमान अध्ययन के लिए पटना जिले को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह जिला ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत विपरीत विशेषताएँ प्रदान करता है। यह जिला उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में जहानाबाद और नालंदा जिलों, पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण-पूर्व में लक्षिसराय से घिरा हुआ है। यह जिला 25° 12' उत्तर से 25° 44' उत्तर अक्षांश और 84° 42' पूर्व से 85° 48' पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। (चित्र 1) इस जिले में 23 विकास खंड और 1157 गाँव और 15 कस्बे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, पटना जिला एक बड़ा जिला है और जनसंख्या के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है, जिसकी कुल जनसंख्या 5,838,465 है, जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या का 5.6 प्रतिशत हिस्सा पटना जिले में आता है। राज्य के 3.4 प्रतिशत क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 3,078,512 और 2,759,953 है। जिले की कुल आबादी में से 43.07 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जबकि 56.93 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

साक्षरता के मामले में यह 70.68 प्रतिशत साक्षरों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 78.84 प्रतिशत पुरुष और 61.96 प्रतिशत महिला साक्षर हैं। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 897 महिलाओं के रूप में पाया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी लिंग अनुपात क्रमशः 904 और 887 है। बाल लिंग अनुपात क्रमशः कुल, ग्रामीण और शहरी लिंग अनुपात के रूप में 909, 923 और 883 पाया गया है। लगभग 46.08 प्रतिशत आबादी तृतीयक क्षेत्र में लगी हुई है, जबकि 49.39 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है, जिसमें लगभग 34. 98 प्रतिशत कृषि मजदूरों के रूप में गिने गए हैं। पूरे जिले में बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया है[3]।

जनगणना 2011 के अनुसार, जिले के 22 शहरी केंद्रों में 1332487 पुरुषों और 1182103 महिलाओं सहित लगभग 2514590 व्यक्ति निवास करते हैं, जो जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 43.07 प्रतिशत है। तालिका 1 में 1951 से अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या और शहरी आबादी की वृद्धि के रुझान प्रस्तुत किए गए हैं। 1951 में पटना जिले में कुल आबादी का लगभग 18.14 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता था। यह जनगणना 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 के दौरान क्रमशः 20.13 प्रतिशत बढ़कर 22. 54, 37.12, 38.05, 41.57 और 43.07 हो गई। इससे पता चलता है कि 1951 में शहरी आबादी 18.14 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 43.28 प्रतिशत हो गई है4। 1971 और 1981 के जनगणना वर्षों के बीच, शहरी आबादी में 14.58 के रूप में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए, 1971 में शहरी आबादी का प्रतिशत हिस्सा 22.54 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 37.12 प्रतिशत हो गया। कुल जनसंख्या और शहरी आबादी के विकास पैटर्न को भी चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

तालिकाः 1: जिले में कुल और शहरी जनसंख्या, 1951-2011

Census Years	Total Population			Urban Population					
	Total	Male	Female	Total	%	Male	%	Female	%
1951	2523272	1297266	1231006	457794	18.14	246852	19.03	210942	17.14
1961	2949746	1522687	1427059	593896	20.13	327525	21.51	266371	18.67
1971	3556945	1866152	1690793	801793	22.54	440172	23.59	361621	21.39
1981	3019201	1690793	1421357	1120689	37.12	613027	36.26	507662	35.72
1991	3618211	1938340	1679871	1376701	38.05	748508	38.62	628193	37.40
2001	4718592	2519942	2198650	1961532	41.57	1063534	42.20	897998	40.84
2011	5838465	3078512	2759953	2514590	43.07	1332487	43.28	1182103	42.83

स्रोतः नगर निर्देशिका, जनगणना 2011 से गणना की गई

तालिका 2 में 1951 के बाद बिहार राज्य और पटना जिले में कस्बों की संख्या दिखाई गई है। इससे पता चलता है कि 1951 में अध्ययन क्षेत्र में केवल 6 शहरी केंद्र और राज्य में 66 शहरी केंद्र स्थापित हुए, जो 1961 की जनगणना में क्रमशः 8 और 84 शहरी केंद्रों के रूप में बढ़े और 1971 की जनगणना में राज्य और अध्ययन क्षेत्र में क्रमशः 10 और 96 शहरी केंद्र हो गए। फिर, 1981 की जनगणना में यह 12 और 111 शहरी केंद्रों के रूप में बढ़ गया। अध्ययन क्षेत्र में 1991 और 2001 की जनगणना के दौरान शहरी केंद्रों की संख्या समान रही। लेकिन राज्य में 1991 और 2001 की जनगणना के दौरान यह 124 और 127 तक बढ़ गया। जिसमें पाटलिपुत्र, हाउसिंग कॉलोनी, नोशा, कुर्थरपुर, परेओ, जानीपुर और 3 नगर पंचायतें बिहटा, नौबतपुर और बिक्रम आदी है5। जबकि राज्य में शहरी केंद्रों की कुल संख्या 199 दर्ज की गई है। इसमें पटना, गया और कटिहार के तीन शहरी समूह और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, बिहार शरीफ, बेगुसराय, आरा और मुंगेर के 8 नगर निगम, 44 नगर परिषद, 85 नगर पंचायत और 59 छावनी क्षेत्र शामिल हैं।

तालिकाः 2 बिहार राज्य और पटना जिले में शहरी केंद्रों में वृद्धि की प्रवृत्ति

Census Year	NO. of Towns	
	Bihar	Patna District
1951	66	6
1961	84	8
1971	96	10
1981	111	12
1991	124	12
2001	127	12
2011	199	22

स्रोतः नगर निर्देशिका, जनगणना 2011 से गणना की गई

तालिका: 3 शहरी जनसंख्या और वृद्धि दर (1951-2011)

Census Years	Percentage of Total Population			Urban Population Growth Rate		
	India	Bihar	Patna District	India	Bihar	Patna District
1951	17.29	6.46	18.14	41.42	21.03	6.93
1961	17.97	7.47	20.13	26.41	39.12	7.84
1971	19.91	9.50	22.54	28.23	25.46	7.88
1981	23.34	9.75	37.12	46.14	50.48	22.01
1991	25.71	13.95	38.05	37.52	29.99	20.79
2001	27.81	10.48	41.51	31.52	29.44	15.26
2011	31.16	11.30	43.07	31.80	27.38	14.54

स्रोत: जनगणना 1951-2011 से गणना की गई।

तालिका 3 में 1951 से 2011 तक भारत, बिहार और पटना जिले में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की तुलनात्मक प्रवृत्ति दर्शाई गई है। यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर के बदलते स्वरूप को भी प्रदर्शित करती है। 1951 में लगभग 18.14 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के रूप में गिनी गई थी, जो राष्ट्रीय और राज्य औसत दोनों से अधिक थी। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से में वृद्धि की प्रवृत्ति 2011 की जनगणना तक समान रही। लेकिन राज्य के औसत के साथ तुलनात्मक रूप से उच्च अंतर रहा है। ऐतिहासिक विकास और राज्य की राजधानी क्षेत्र का परिधीय क्षेत्र होने के कारण अध्ययन क्षेत्र को शहरीघ्करण के दृष्टिकोण से लाभ मिला6। दूसरे शब्दों में, अध्ययन क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन 1971 और 1991 के दौरान यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रुक गई।

शहरी विकास दर की बात करें तो 1951 की जनगणना के दौरान यह केवल 6.43 प्रतिशत थी। 1961 और 1971 की जनगणना के दौरान यह 7.84 और 7.88 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो राष्ट्रीय औसत और राज्य औसत से कम थी। इसके बाद 1981 की जनगणना के दौरान 22.01 प्रतिशत की बहुत उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई, जो 1951 से 2011 के बाद से शहरी आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर है। 1991 के दौरान शहरी विकास दर में मामूली कमी आई और यह 22.79 प्रतिशत दर्ज की गई। फिर से, यह 15.26 प्रतिशत तक कम हो गई और 2001 की जनगणना के दौरान यह 14.54 प्रतिशत तक कम हो गई।

तालिका:4 पटना जिले में शहरी केंद्रों की श्रेणी और नागरिक स्थिति

S.N.	Town Name	Class	Civic Status of Town	Area (sq.Km.)	Total Population	Total	%	Male	%	Female	%
1	Maner	III	NP(Nagar Panchyat)	12	40068	40068	1.59	21046	52.53	19022	47.47
2	Dinapur Nizamat	I	Nagar Parishad	16.41	182429	182429	7.25	96875	53.1	85554	46.9
3	Dinapur Cantonment	III	CB	3.42	28723	28723	1.14	16099	56.05	12624	43.95
4	Khagaul	III	Nagar Parishad	3.66	44364	44364	1.76	23492	52.95	20872	47.05
5	Saidpura	V	CT(Cantonment Area)	1.66	7392	7392	0.29	3900	52.76	3492	47.24
6	Patna	I	(M Crop+ OG)M Corp	107.69	1684297	1684297	66.98	893445	53.05	790852	46.95
7	Patliputra Housing Colony	VI	CT(Cantonment Area)	0.64	3531	3531	0.14	1825	51.69	1706	48.31
8	Phulwari sharif	II	Nagar Parishad	6.48	81740	81740	3.25	42840	52.41	38900	47.59
9	Nohsa	IV	CT(Cantonment Area)	2.5	16680	16680	0.66	8809	52.81	7871	47.19
10	Kurthaur	V	CT(Cantonment Area)	2.04	9880	9880	0.39	5198	52.61	4682	47.39
11	Bihta	III	NP(Nagar Panchyat)	25.91	47549	47549	1.89	24823	52.21	22726	47.79
12	Pareo	V	CT(Cantonment Area)	4.53	8435	8435	0.34	4480	53.11	3955	46.89
13	Naubatpur	III	NP(Nagar Panchyat)	14.39	25011	25011	0.99	13197	52.76	11814	47.24
14	Bikram	III	NP(Nagar Panchyat)	13.99	22486	22486	0.89	11657	51.84	10829	48.16
15	Janpur	IV	CT(Cantonment Area)	2.22	10614	10614	0.42	5364	50.54	5250	49.46
16	Masaurhi	II	Nagar Parishad	9.43	59803	59803	2.38	31389	52.49	28414	47.51
17	Fatwah	II	NP(Nagar Panchyat)	4.9	50961	50961	2.03	26953	52.89	24008	47.11
18	Khusrupur	IV	NP(Nagar Panchyat)	4.23	15731	15731	0.63	8250	52.44	7481	47.56
19	Bakhitarpur	III	NP(Nagar Panchyat)	13.18	47897	47897	1.9	25168	52.55	22729	47.45
20	Barh	II	Nagar Parishad	4.5	61470	61470	2.44	32823	53.4	28647	46.6
21	Mokameh	II	Nagar Parishad	14.18	60678	60678	2.41	32277	53.19	28401	46.81
22	Dariapur	VI	CT(Cantonment Area)	1.81	4851	4851	0.19	2577	53.12	2274	46.88
	Total 22 Towns			269.77	2514590	2514590	100	1332487	53	1182103	47

स्रोत: जनगणना 2011 से गणना की गई।

शहरी केंद्रों को आमतौर पर उनके आकार वर्ग और नागरिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 100000 से अधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों को श्रेणी I शहर कहा जाता है। इसी तरह 50000–99999 व्यक्तियों वाली आबादी को श्रेणी II, 20000–49999 व्यक्तियों को श्रेणी III, 10000–19999 व्यक्तियों को श्रेणी IV, 5000–9999 व्यक्तियों को श्रेणी ट और 5000 से कम व्यक्तियों को श्रेणी VI कहा जाता है। उन्हें स्टैच्यूरी टाउन, सेंसस टाउन, शहरी समूह और आउट ग्रोथ के रूप में भी पहचाना जा सकता है। बिहार राज्य में, 199 शहरी केंद्रों में से, 26 शहरी केंद्र, 28 शहरी केंद्र, 76 शहरी केंद्र, 22 शहरी केंद्र, 38 शहरी केंद्र और 9 शहरी केंद्रों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार श्रेणी I, II, III, IV, V और श्रेणी VI शहरी केंद्रों के रूप में गिना जाता है। तालिका संख्या 4 पटना जिले में शहरी केंद्रों की वर्ग और नागरिक स्थिति को अलग-अलग क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ प्रस्तुत करती है[7]। पटना (एम फसल) और दानापुर निजामत (नगर परिषद) वर्ग प् के दो शहरी केंद्र हैं जो शहरी क्षेत्रों के लगभग 46.00 प्रतिशत और जिले की कुल शहरी आबादी के 74 प्रतिशत पर कब्जा करते हैं और जिले के सभी 22 शहरी केंद्रों में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। यह भी पता चलता है कि इन दो शहरी केंद्रों पर आबादी का अत्यधिक दबाव है। फिर से, केवल पटना शहरी समूह, जिसमें कुल मिलाकर 5 छावनी क्षेत्र और दो नगर परिषदें हैं, जिले के शहरी क्षेत्र के लगभग 45 प्रतिशत और जिले के शहरी क्षेत्र के लगभग 85 प्रतिशत पर कब्जा करते हैं। यह फिर से इस शहरी क्षेत्र पर बहुत अधिक दबाव साबित होता है। यद्यपि, शहरी बस्तियों की ऊर्ध्वाधर वृद्धि शहरी आबादी की ज्यामितीय वृद्धि और कस्बों/शहरी केंद्रों के क्षेत्रों में वृद्धि से अधिक क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह अत्यधिक द्रव्यमान के लिए काफी नहीं है। पाँच शहरी केंद्र यानी फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, बाढ़ और मोकामा के नगर परिषद के साथ-साथ फतवा की नगर पंचायत श्रेणी II के अंतर्गत आती है। मनेर (एनपी), दीनापुर कंटेनमेंट (सीबी), खगौल (नगर परिषद), बिहटा (एनपी), नौबतपुर (एनपी), बिक्रम और बख्तियारपुर श्रेणी III के शहरों में आते हैं। जबकि नोशा (सीटी), जानपुर (सीटी) और कुशरुपुर (एनपी) को श्रेणी IV के शहरों में पाया गया। सैदपुरा (सीटी) पटना (नगर निगम और बाहरी विकास) जिले का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है, जो जिले की कुल शहरी आबादी का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इसके बाद दीनापुर निजामत और फुलवारी का स्थान है, जहाँ शहरी आबादी का 7.25 प्रतिशत और 3.25 प्रतिशत हिस्सा है।8 तालिका शहरी केंद्रों के स्थानिक विकास या क्षेत्रीय पैटर्न को भी दर्शाती है। पूरे जिले में कुल शहरी क्षेत्र लगभग 269.77 वर्ग किमी है, फिर से पटना (एमसी+ओजी) 107.69 वर्ग किमी के साथ सबसे अधिक हिस्सा रखता है, इसके बाद बिहटा, दीनापुर निजामत और नौबतपुर क्रमशः 25.91 वर्ग किमी, 16.41 वर्ग किमी और 14.39 वर्ग किमी है।

तालिका 5 में 1951 से सभी शहरी केंद्रों की शहरी आबादी का अस्थायी पैटर्न दिखाया गया है। दीनापुर निजामत, खगौल, पटना (एमसी), फहतुआ, बाढ़ और मोकामा 6 शहरी केंद्र थे, जिनकी आबादी 390791 थी, जो 1951 में शहरी आबादी का 18.14 प्रतिशत थी। दीनापुर (सीटी) के छावनी क्षेत्र और बख्तियारपुर की नगर पंचायत को 1961 की जनगणना में जोड़ा गया है, और इस प्रकार, 8 शहरी केंद्र दर्ज किए गए हैं, जिनमें 506282 व्यक्ति शामिल हैं, जो शहरी आबादी का 20.13 प्रतिशत है। फिर से, फुलवारी शरीफ और मसौढ़ी की नगर परिषदों को 1971 की जनगणना में शहरी केंद्रों के रूप में जोड़ा गया है, इसलिए, कुल मिलाकर 10 शहरी केंद्र दर्ज किए गए हैं; कुल जनसंख्या 674367 व्यक्ति या शहरी आबादी का 22.54 प्रतिशत है। मनेर और खुशरुपुर नगर पंचायत को 1981 की जनगणना में जोड़ा गया है, इस प्रकार, 12 शहरी केंद्र हैं जिनकी कुल जनसंख्या 1120689 व्यक्ति या शहरी आबादी का 37.12 प्रतिशत है। शहरी केंद्रों की संख्या अगले दो जनगणना वर्षों 1991 और 2001 में समान रही[9]। बिहटा, नौबतपुर और बिक्रम की तीन नगर पंचायतों और सैदपुरा, पाटलिपुत्र हाउसिंग कॉलोनी, नोशा, कुरथरपुर, परेओ, जौनपुर और दनियापुर की 7 छावनी सहित कुल दस (10) शहरी केंद्रों को जनगणना 2011 में शामिल किया गया है। इस प्रकार, 2011 की जनगणना में 22 शहरी केंद्रों की गणना की गई है।

तालिका: 5 पटना जिले में शहरी केंद्रों की जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न (1951-2011)

S.N.	Town Name	Town Population						
		1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
1	Maner (Np)				19386	24343	30082	40068
2	Dinapur Nizamat (Nagar Parishad)	42684	35159	42694	58684	84616	131176	182429
3	Dinapur Cantonment (CB)		15058	17299	23544	23491	28234	28723
4	Khagaul (Nagar Parishad)	15748	20549	24266	34161	40453	52906	44364
5	Saidpura (CT)							7392
6	Patna(M Corp+OG)	283470	364594	475300	813963	956417	1432209	1684297
7	Pataliputra Housing Colony(CT)							3531
8	Phulwari Sharif (Nagar Parishad)			15917	22712	35123	53451	81740
9	Nohsa (CT)							16680
10	Kurthaur (CT)							9880
11	Bihta (NP)							47549
12	Pareo (CT)							8435
13	Naubatpur (NP)							25011
14	Bikram (NP)							22486
15	Janpur (CT)							10614
16	Masaurhi (Nagar Parishad)			16055	24252	33049	45248	59803
17	Fatwah (NP)	8482	11823	15309	21252	30668	38672	50961
18	Khusrupur (NP)				8461	10258	12204	15731
19	Bakhtiarpur (NP)		4548	5764	11358	26867	32293	47897
20	Barh (Nagar Parishad)	11099	18808	23599	31869	45285	48442	61470
21	Mokameh (Nagar Parishad)	29308	35743	38164	51047	59528	56615	60678
22	Dariapur (CT)							4851
	District's Total Urban Population	390791	506282	674367	1120689	1370098	1961532	2514590

स्रोत: जनगणना 1951–2011 से गणना की गई।

पटना जिले के शहरी केंद्रों के बीच जनसंख्या वृद्धि दर प्रस्तुत करती है। यह दर्शाती है कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद की 2011 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 53 प्रतिशत थी। भूमि की तुलनात्मक रूप से कम कीमत के कारण, बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं और बड़ी संख्या में शहरी आबादी में शामिल होते हैं। इसके बाद बख्तियारपुर, दीनापुर निजामत, मनेर, मसौढ़ी और फतुहा में क्रमशः 39.1 प्रतिशत, 33.2 प्रतिशत, 32.2 प्रतिशत और 31.80 प्रतिशत है। पटना (एमसी) की वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से कम लगभग 17.60 प्रतिशत है। जिले की कुल वृद्धि दर 14.54 प्रतिशत की तुलना में बाकी शहरी केंद्रों की जनसंख्या वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से अधिक है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह देखा गया है कि ये केंद्र जनसंख्या वृद्धि में निरंतर वृद्धि नहीं दिखा रहे हैं। जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों के सीमांकन के कारण, प्राकृतिक वृद्धि दर और प्रवास के अलावा इस प्रकार का परिवर्तन पाया गया[10]। लेकिन जिले के छोटे शहरों या कस्बों में इस वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर पलायन मुख्य कारक है।

तालिका: 6 "पटना जिले में शहरी केंद्रों की जनसंख्या की वृद्धि दर(1951-2011)

S.N.	Town Name	Population Growth Rate						
		1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
1	Maner (Np)					25.6	23.6	33.2
2	Dinapur Nizamat (Nagar Parishad)	40.8	-17.6	21.4	37.5	44.2	55.0	39.1
3	Dinapur Cantonment (CB)			14.9	36.1	-0.2	20.2	1.7
4	Khagaul (Nagar Parishad)	79.1	30.5	18.1	40.8	18.4	30.8	-19.26
5	Saidpura (CT)							
6	Patna(M Corp+OG)	44.3	28.6	30.4	71.3	17.5	49.7	17.6
7	Pataliputra Housing Colony(CT)							
8	Phulwari Sharif (Nagar Parishad)				42.7	54.7	52.2	52.9
9	Nohsa (CT)							
10	Kurthaur (CT)							
11	Bihta (NP)							
12	Pareo (CT)							
13	Naubatpur (NP)							
14	Bikram (NP)							
15	Janpur (CT)							
16	Masaurhi (Nagar Parishad)				51.1	36.3	36.9	32.2
17	Fatwah (NP)		39.4	29.5	38.8	44.3	26.1	31.8
18	Khusrupur (NP)					21.2	19	28.9
19	Bakhtiarpur (NP)			26.7	97.1	13.6	20.2	48.3
20	Barh (Nagar Parishad)	-2.1	69.5	25.5	35.0	42.1	7.0	26.9
21	Mokameh (Nagar Parishad)	46.7	22.0	6.8	33.8	16.6	-4.9	7.2
22	Dariapur (CT)							
	District's Total	6.93	7.84	7.88	22.01	20.79	15.26	14.54

स्रोत: जनगणना 2011 से गणना की गई।

1951 के दौरान, खगौल में 79.10 प्रतिशत की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई, जो पटना (44.3 प्रतिशत) से लगभग 25 प्रतिशत अधिक थी। जबकि दीनापुर निजामत और मकामेह में 40.8 प्रतिशत और 46.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। हालांकि, बाढ़ और फतवा के शहरी केंद्रों में शहरी आबादी में -2.10 और -56.30 की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। यह जनगणना द्वारा शहरी क्षेत्रों के परिसीमन के कारण है। 1961 के दौरान, शहरी केंद्रों में, बाढ़ शहर में 69.5 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर देखी गई। इसके बाद फतुहा, खगौल, पटना और मोकामेह क्रमशः 39.4 प्रतिशत, 30.5 प्रतिशत, 28.6 प्रतिशत और 22.0 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि दीनापुर निजामत शहर में -17.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई। 1971 के दौरान, शहरी केंद्रों में, पटना (एमसी) में सबसे अधिक 30.4 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई[11]। इसके बाद फतवा, बख्तियारपुर, बाढ़, दीनापुर निजामत, खगौल, दीनापुर छावनी और मोकामा में क्रमशः 29.5 प्रतिशत, 26.7 प्रतिशत, 25.5 प्रतिशत, 21.4 प्रतिशत, 18.1 प्रतिशत, 14.9 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर है। 1981 के दौरान, शहरी केंद्रों में, बख्तियारपुर में सबसे अधिक 97.1 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। इसके बाद पटना, मसौढ़ी, फुरवारी शरीफ और खगौल में क्रमशः 71.3 प्रतिशत, 51.1 प्रतिशत, 42.7 और 40.8 प्रतिशत की वृद्धि दर है। सबसे कम वृद्धि दर मोकामा में 33.8 प्रतिशत पाई गई है। 1991 के दौरान, शहरी केंद्रों में फुलवारी में सबसे अधिक 54.7 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। इसके बाद फतवा, दीनापुर निजामत और बाढ़ में क्रमशः 44.3 प्रतिशत, 44.2 प्रतिशत और 42.1 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। सबसे कम वृद्धि दर मोकामा और दीनापुर छावनी में क्रमशः 16.6 प्रतिशत और -0.2 प्रतिशत पाई गई। 2001 के दौरान, शहरी केंद्रों में फुलवारी शरीफ में सबसे अधिक 52.2 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। इसके बाद पटना, मसौढ़ी और खगौल का स्थान है, जहाँ विकास दर क्रमशः 49.7 प्रतिशत, 36.9 प्रतिशत और 30.8 प्रतिशत है[12]। बाढ़ और मोकामा में सबसे कम विकास दर 7.0 और 4.9 प्रतिशत पाई गई है। शहरी आबादी की प्रतिशत वृद्धि निरपेक्ष जनसंख्या में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है, लेकिन यह

कुछ शहरी केंद्रों के मामले में नकारात्मक वृद्धि भी दर्शाती है। यह परिसीमन जनगणना क्षेत्रों में परिवर्तन या बड़े पैमाने पर पलायन के कारण हो सकता है।

निष्कर्ष:-

यद्यपि बिहार कम शहरीकृत राज्यों में से एक है, लेकिन पटना जिला राज्य के सबसे अधिक शहरीकृत जिलों में से एक है, जिसकी 43.48 प्रतिशत आबादी पटना और अन्य शहरों के शहरी समूह में रहती है। वर्तमान समय में शहरी विकास के गंभीर संकट का सामना करने के मामले में जिले ने शहरीकरण के विपरीत परिणाम देखे हैं। इसके अलावा, शहरीकरण को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के साधन के रूप में माना जाता है, इसने गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को भी जन्म दिया है13। अनियंत्रित रूप से बढ़ती शहरी आबादी, शहरी क्षेत्रों का बेतरतीब और अनियोजित विकास और बुनियादी ढांचे के विकास की भारी कमी ऐसी स्थिति के मुख्य कारण हैं। प्राकृतिक और बड़े पैमाने पर प्रवास के माध्यम से शहरी आबादी की तीव्र वृद्धि ने आवास, स्वच्छता, परिवहन, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं पर भारी दबाव डाला है। अत्यधिक भीड़भाड़ और झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण क्योंकि अत्यधिक भीड़भाड़ और निर्माण तेजी से कीमती कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। इसलिए, शहरीकरण न केवल विकास का अच्छा संकेतक है, बल्कि यह अध्ययन क्षेत्र में सतत विकास में बाधा भी पैदा करता है। उचित नियोजन के मामले में यह विकास की बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। शहरी देशों के प्रत्येक घर में सार्वजनिक उपयोगिताएँ प्रदान की जा सकती हैं। शहरी धब्बों और मलिन बस्तियों को भी ध्यान में रखा गया है। अंतिम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शहरी पर्यावरण को शहरी लोगों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए उचित स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. प्राथमिक जनगणना सारांश, भारत की जनगणना, खंड I, 2011.
2. नगर निर्देशिका, भारत की जनगणना, 2011.
3. सिन्हा, एम. पी. एट अल (2013): बिहार, लोग और अर्थव्यवस्था, राजेश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 261-264.
4. सिन्हा, एम.के. और सिंह, एस.के. (2019): बिहार की शहरी जनसांख्यिकी, यू. वर्मा द्वारा शहरी और क्षेत्रीय विकास अध्ययन में, राजेश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 39-52.
5. नाजिम, एम.डी. और रंजन, ए. (2019): बिहार के शहरी केंद्रों की स्थानिक विशेषताएं, यू. वर्मा द्वारा शहरी और क्षेत्रीय विकास अध्ययन में, राजेश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 53-79.
6. खुल्लर, डी.आर. (2018); एक व्यापक भूगोल, पुनर्मुद्रण कल्याणी प्रकाशक, नई दिल्ली, पृ.457-497. कपिला, यू. (2015-16)। भारतीय अर्थव्यवस्था: प्रदर्शन और नीतियाँ। अकादमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली-110002।
7. कुमार एट अल. (2016)। भारत में खाद्यान्न की माँग बनाम आपूर्ति का भविष्य का अनुमान। प्रोक इंडियन नेशनल साइंस एकेड, 82(5),1579-1586।
8. एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन) (2011)। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. पाटिल, जे.एस. और कदम, बी.जे. (2014)। भारतीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सतत विकास। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 5(19), 144-149।
10. भारतीय रिजर्व बैंक (2019), भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, मुंबई।
11. सिंह, एस.के. और परिहार, ए. (2015)। भारत में सतत कृषि विकास की चुनौतियाँ। जर्नल ऑफ एग्रोइकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, 2(5), 355-359।
12. झाओ एट अल. (2008)। चीन में सतत कृषि विकास के अवसर और चुनौतियाँ। दार्शनिक लेन-देन: जैविक विज्ञान, 363(1492), 893-904
13. चहल, एम. (2015)। सतत विकास और कृषि क्षेत्र के मुद्दे और चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड रिव्यू, 5(3), 217-222।

प्राकृतिक संसाधनों का महत्व एवं संरक्षणों का अवलोकन

डॉ० विक्रांत कुमार

अतिथि सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ, गोपालगंज

शोध सार:-

मानव की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर है। मानव जीवन जिन आधारभूत साधनों पर निर्भर है और जिनसे उसकी भौतिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सभी संसाधन है। कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग में आने पर ही संसाधन का रूप देता है, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए कहा भी गया है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। मानव की किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले तत्वों को संसाधन के नाम से संबोधित किया जाता है। आज आधुनिक युग में राष्ट्रों के विकास का आधार शक्ति के साधनों पर ही निर्भर करता है। आज वहीं राष्ट्र विकसित हैं जिनमें शक्ति के साधनों का उत्पादन अथवा भण्डार है या आयात करने की क्षमता है।

मूल शब्द:- पर्यावरण, संसाधन, उत्पादन, वितरण, परिवहन, विकसित, जलवायु

प्रस्तावना:-

शब्दकोश के अनुसार संसाधन से अभिप्राय: अवलम्ब या जीवनयापन के साधन से है। संसाधन शब्द 'Resource' का हिन्दी अनुवाद है जो कि त्म अर्थात् पुन: पूर्ति वाले साधन या पदार्थ1। संसाधन की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, जिनमें प्रमुख निम्न हैं:

ई. डब्लयू जिमरसेन के अनुसार-"पर्यावरण के वे लक्षण जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के सक्षम माने जाते हैं तथा मानव की क्षमताओं और इच्छाओं के अनुरूप जिन्हें उपयोगिता प्रदान की जाती है।

जे. फिशर के शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है, संसाधन है"

जे. स्मिथ के अनुसार - "पर्यावरण का वह लक्षण या तत्व जो किसी न किसी रूप में मानव के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है।" निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कोई पदार्थ, तत्व या लक्षण जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति, कार्यसिद्धि अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता रखता हो, संसाधन कहलाता है[2]।

संसाधनों का महत्व:-

सामान्यतया मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है, अर्थात संसाधन मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर हम उन प्रमुख संसाधनों के महत्व का वर्णन करेंगे जो हमारे लिये अतिआवश्यक है।

- मिट्टी संसाधन का महत्व - सामान्य अर्थो में पृथ्वी के धरातल की उपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है, मिट्टी कहलाती है, मिट्टी मानव का सबसे मूलभूत संसाधन है। पृथ्वी तल पर पाया जाने वाला समस्त जीवन मिट्टी से ही पूर्ण होती है, समस्त प्राणियों, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी, का भोजन मिट्टी से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त होता है। मानव के वस्त्र तथा आवास की आवश्यकताएँ भी मिट्टी से ही पूर्ण होती है। व्यवहारिक रूप से मनुष्य की सारी आर्थिक क्रियाएँ मिट्टी पर ही आधारित होती हैं।
- जल संसाधन का महत्व - जल संसाधन मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्राणों की रक्षा के लिये वायु के बाद दूसरा स्थान जल का ही है[3]। जल संसाधन को भूपटल पर जल के वितरण और प्राप्ति के अनुसार निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. **स्थलीय जल संसाधन** - स्थलीय या आन्तरिक जल संसाधन के विभिन्न रूप नदियाँ, नहरें, झीले, नाले, तलैया और दलदल हैं। स्थलीय जल संसाधन का मानव के लिये महत्व

- घरेलू और नगर-निगम के जल की माँग पूर्ति
- औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिये जल-पूर्ति

- कृषि की फसलों की सिंचाई
- जल-विद्युत और वाष्प-शक्ति का उत्पादन
- वर्षा से प्राप्त हुए जल का प्रवाह

2. मनुष्य के लिये महासागरीय संसाधनों का महत्व

- महासागरों का प्रभाव जलवायु पर होता है, इसके द्वारा मानव की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। महाद्वीपों पर वर्षा का मूल स्रोत महासागर ही हैं, वे तापमान को भी मृदुल और नियमित करते हैं।
- महासागरों की समीपता मानव स्वास्थ्य के लिये अनुकुल हैं।
- महासागरों से कुछ खनिज-पदार्थो और रासायनिक पदार्थो की प्राप्ति होती है।
- मत्स्य के द्वारा खाद्य सामग्री की प्राप्ति होती है।
- व्यापारिक परिवहन, विशेषत: अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन तो 98 प्रतिशत महासागरों द्वारा ही होती है।
- सागरों का प्रयोग मनोरंजन, दृश्यावलोकन, खेल, तैरने, नाव चलाने, आदि के लिये होता है।
- महासागरों का मानवीय सभ्यता पर गहरा प्रभाव रहता है।

3. खनिज संसाधन का महत्व - सामान्य शब्दों में वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजैव पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो तथा उनके कणों के मिश्रण से शैल की रचना होती है। खनिज पदार्थ संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में से है। किसी न किसी रूप में वे मनुष्य के लिये परमावश्यक है[4]।

4. शक्ति संसाधनों का महत्व - समस्त संसाधनों में से शक्ति के संसाधन अपनी एक अलग भूमिका व महत्व रखते हैं। आर्थिक उद्योगों में उत्पादन, वितरण तथा परिवहन, आदि के लिये मानव प्राचीन काल से ही अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करता रहा है। बाद में मनुष्य ने पवन और बहते जल चक्कियों और यन्त्रों को चलाना आरम्भ कर दिया। अठारहवीं सदी की औद्योगिक क्रांति के बाद कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल-विद्युत का प्रयोग शक्तिसाधन के रूप में किया जाने लगा। पिछली चौथाई शताब्दी से आणविक शक्ति का प्रयोग भी विकसित होने लगा।

5. जीविय संसाधनों का महत्व - जीविय संसाधनों के अन्तर्गत वनस्पति और जन्तु-जगत् के संसाधन आते हैं। जैसा विदित है इस जगत् में तीन प्रकार के जीवधारी हैं - वनस्पति, जंतु और मानव। तीनों के पारस्परिक योग से ही तीनों का सह अस्तित्व होता है।

वनस्पति के बिना संसार में मनुष्य की सत्ता कायम नहीं रह सकती। मानव और वनस्पति का इतना घनिष्ठ सम्बन्धा है कि मानव को जीवित रहने के लिये जिस प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वह वनस्पति से ही प्राप्त होती है[5]। वनस्पति का महत्व इस प्रकार है।

- भोजन के लिये कन्द, मूल, फल इत्यादि
- वस्त्र बनाने के लिये रेशे जैसे पटसन, सन, भंगेला आदि
- मकान बनाने के लिये लकड़ी, छप्पर आदि।
- उद्योगों के लिये कच्चे माल के रूप में
- खाना पकाने और कारखाने चलाने की भट्ठियों के लिये ईंधन के रूप में।
- परिवहनों की गाड़ियों, रेल के डिब्बों, नावों को बनाने के लिये।
- व्यापार के लिये वन-सम्पदा।
- आश्रम और रक्षा के लिये शरण।
- भूमि-कटान और मिट्टी कटाव रोकने के साधन।
- औषधियों के लिये जड़ी-बूटियाँ।

जीविय संसाधन में वनस्पति के पश्चात् जन्तु संसाधन का स्थान आता है। जन्तु संसाधन का महत्व इस प्रकार है -

- डेयरी उद्योग हेतु।
- मांस उद्योग के लिए।
- मत्स्य उद्योग।
- चमड़ा, हड्डियों, दवाओं के लिए जन्तुओं का महत्व।

6. मानव संसाधन का महत्व- सभी संसाधन में से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन ही है, क्योंकि प्रकृति का कोई भी पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक कि मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये उसका उपयोग नहीं करता है। मानव ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है।

संसाधन संरक्षण

संसाधनों के संरक्षण का विचार नया नहीं है। संरक्षण शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम 1907 में अमेरिकी वन अधिकारी गिफोर्ड पिन्चोत द्वारा किया गया था। किन्तु इससे पूर्व 1861 में अमेरिका में विलियम पैन ने तथा 1828 में प्रेसिडेन्ट जॉन क्विन्सी एडम ने वन संरक्षण के विकास के आदेश दिये थे[6]।

परिभाषाएँ

संरक्षण का अर्थ है सुरक्षित रखना। प्रेसिडेन्ट टॉफ 1908 के अनुसार "दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई ही संरक्षण हैं।"

जॉन हेज टेमण्ड के अनुसार

> "संरक्षण का अर्थ व्यय से अधिक बचत को सूचित करता है या सावधानी पूर्वक विकास को सूचित करता है, यह शब्द सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।"

ऐली के अनुसार

> "वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है।"

कुछ प्रमुख संसाधनों का संरक्षण

मृदा (मिट्टी) संसाधन संरक्षण

मृदा संरक्षण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले इसकी समस्याओं को जानना आवश्यक है। मिट्टी से सम्बन्धित दो मुख्य समस्याएँ हैं।

मृदा अपरदन

मृदा अपरदन का तात्पर्य जल एवं वायु द्वारा मृदा के विनाश और क्षयण से होता है। मृदा की एक सेमी परत जो 200 से 300 वर्षो के लम्बे समय में बनती है, वह भारी वर्षा या धूल भरे तुफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट कर दी जाती है। इस प्रकार मृदा का तीव्र गति से विनाश हो जाता है, परन्तु उसका निर्माण एक लम्बे काल में होता है। इसी कारण मृदा का रक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है[7]।

जल द्वारा मृदा अपरदन

जल द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक विनाशकारी एवं विस्तृत है। यह मुख्यत: ढालों पर तथा मानव द्वारा भूमि के अनुचित प्रयोग से होता है। जल द्वारा मृदा अपरदन तीन प्रकार का होता है।

- परत अपरदन
- छोटी सरिता अपरदन
- अवनालिका अपरदन

मृदा संरक्षण - मिट्टी से लम्बे समय तक अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करते रहने के लिए मृदा का संरक्षण अत्यावश्यक है।

मृदा संरक्षण की तकनीके - मृदा अपरदन को प्रमुखत: प्रभावी वनस्पति आवरण को बनाये रखकर, समोच्च रेखीय, जुताई, सस्यावर्तन या फसलों के हेर-फेर, खेतों के वेदिकाकरण, कम्पोस्टिंग, आवरण फसलों को उगाकर, वृक्षों एवं बाड़ से वायु अवरोध उत्पन्न करके, अवनालिका अपरदन के लिए पाइप-अपवाह को प्रयोग में लाकर, अवनालिकाओं पर बाँध बनाकर या झाड-जंगलों को उगाकर, रक्षार्थ कृषि, नदी तटो पर बन्ध लगाकर, पशुचारण को नियन्त्रित करके तथा अस्थाई कृषि के नियंत्रण द्वारा रोका जा सकता है[8]।

वन संसाधन संरक्षण:-

i. संरक्षण की आवश्यकता

- वनों के अधिक कटने से भुस्खलन और भूमि कटान तथा मृदा अपरदन हो रहा है।
- बाढ़ों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे जन-धन का ह्रास हो रहा है।
- वनों के द्वारा पृथ्वी की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक रहती है।

ii. वन संरक्षण की तकनीके

- वनों की नियन्त्रित एवं वैज्ञानिक विधि से कटाई
- वनों का आग से बचाव
- वनों का हानिकारक कीटों से रक्षण
- पुनर्वनारोपण

जल संसाधन संरक्षण

वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों के तेजी से विकास तथा सिंचित भूमि के विस्तार के कारण जल संसाधनों का शोषण तीव्र गति से बढ़ा है। संसार में जल का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन उपभोग, ग्रामीण क्षेत्र में 50 लीटर तथा नगरों में 150 लीटर तक रहता है। विकसित देशों में बड़े नगरो में इससे कहीं अधिक जल का उपभोग किया जाता है। उद्योगों में भी जल की बृहत् मात्रा में आवश्यकता होती है[9]। पृथ्वी ग्रह पर जल के उपभोग में होने वाली इस तीव्र वृद्धि के कारण निकट भविष्य में मानव को जल की कमी का सामना करना पड सकता है। इस दृष्टि से जल के संरक्षण के लिये जल के व्यय में होने वाली वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपायों को अपनाना और उसका विवेकपूर्ण शोषण करना अति आवश्यक है।

जल संरक्षण की तकनीके

(i) जल का पुनर्वितरण
(ii) भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग
(iii) भूतापीय जल का प्रयोग
(iv) जल का प्रदूषण से बचाव

खनिज संसाधन संरक्षण

खनिज पदार्थ अनवीकरणीय संसाधन है अर्थात ये एक बार प्रयोग कर लिये जाने पर समाप्त हो जाते हैं तथा इनकी दोबारा पूर्ति सम्भव नहीं है। इसके साथ-साथ ये प्रकृति में सीमित परिमाण में हैं और इनका प्रकृति में पुनर्स्थापन सम्भव नहीं है।

खनिज संसाधनों के सम्बन्धा में सबसे अधिक ध्यान दिये जाने की बात यह है कि समस्त विश्व के वर्तमान खनिज उद्योग का 90 प्रतिशत भाग केवल पिछले 150 वर्षों में ही स्थापित हुआ है। वास्तव में औद्योगिक क्रांति का संबंध खनन क्रांति से रहा है[10]। हमारे औजार, यन्त्र, शस्त्रास्त्र, बर्तन, इमारते, मलनल व्यवस्था, मशीनें, रेलगाडियों, मोटरगाड़ियों, समुद्री जलपान, वायुयान और टेलीफोन तथा विद्युत आदि सभी निर्माण प्रमुखत: खनिजों पर आधारित हैं। इनके अलावा वर्तमान कालीन ऊर्जा जो हमारे उद्योगों का संचालन करती है, उसके उत्पत्ति के सभी स्रोत खनिज हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि।

खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिये खनिजों के लगातार शोषण को नियन्त्रित करना, खनिजों का सम्पूर्ण एवं मितव्ययता से उपयोग करना और कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त खनिजों के स्थान पर कम माँग के अन्य संसाधनों का प्रयोग करना आवश्यक है। खनिज व कच्चे माल का मितव्ययतापूर्ण एवं व्यापक उपयोग का तात्पर्य है कि वर्तमान खनिज निक्षेपों का शोषण इस प्रकार किया जाये कि उनका दीर्घकाल तक उपयोग होता रहे[11]। खनिजों के संरक्षण की विधियाँ संसार के विभिन्न राष्ट्रों के तकनीकी विकास स्तर पर निर्भर करती है। खनिज संसाधन संरक्षण के लिये निम्न उपाय किये जाने आवश्यक है।

- नये खनिजों का पता लगाना
- उत्खनित खनिज अयस्कों से अधिकाधिक धातु की प्राप्ति करना
- खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग
- खनिजों के विकल्पों का अन्वेषण
- धातु का बारम्बार प्रयोग
- शक्ति संसाधनों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग

निष्कर्ष:-

अन्त: हम यही कह सकते है कि संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व होने के साथ-साथ राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है व रहेगा। इन संसाधनों में कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिनका उपयोग कर लेने के पश्चात् यह समाप्त हो जाते है। अर्थात् इनका उपयोग पुन: नहीं किया जा सकता और वे संसाधन हमें सीमित मात्रा में ही मिले हैं[12]। जिस प्रकार वर्तमान में हमारे लिये इनका महत्व है उसी प्रकार भविष्य में भी इन संसाधनों का महत्व कम नहीं होगा यदि हम इन संसाधनों का वर्तमान में ही अंधाधुंध या अनियोजित ढंग से इनका उपयोग करते रहेंगे तो भविष्य में इन संसाधनों की कमी हो जायेगी अथवा ये समाप्त हो जायेंगे। अत: भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ इन संसाधनों से महरूम हो जायेगा। अत: यह हमें ही सोचना होगा की संसाधनों का संरक्षण करके भावी पीढ़ियों को उनका यह हक देवें।

संदर्भ-सूची

1. संसाधन भूगोल: कौशिक एवं गौतम, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, पृ० सं० 1-28
2. संसाधन भूगोल: डॉ० बलबीर सिंह नेगी, केदारनाथ राम नाथ, मेरठ, पृ० सं० 74-174
3. पर्यावरण अध्ययन: डॉ० रतन जोशी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ० सं० 13, 28, 44, 59
4. भूगोल और आप (2011), सितम्बर-अक्टूबर, पृ० सं० 3-7
5. पर्यावरणीय भूगोल (2012), एस बी पी डी पब्लिकेशन, पृ० सं० - 1, 3,5
6. आर्थिक एवं संसाधन भूगोल (2012), डॉ० मामोरिया, एस बी पी डी पब्लिकेशन, पृ० सं०- 80, 95
7. मानव तथा आर्थिक भूगोल (1999), डॉ० एस० डी० कौशिक, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, पृ० सं० 1-5
8. 'अर्थशास्त्र': डॉ. वी सी सिन्हा और डॉ. अनुपम अग्रवाल।
9. ग्रामीण विकास का कृषि अर्थशास्त्र: त्यागी बी पी।
10. चंदेसन: "भारत की अर्थव्यवस्था"।
11. हजेला टी एन: "भारतीय अर्थव्यवस्था"।
12. द इकोनॉमिक टाइम्स।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका

डॉ० सूरज प्रकाश

भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

शोध सार:-

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की अर्थव्यवस्था नाममात्र जीडीपी द्वारा मापी गई दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता (पीपीपी) द्वारा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण समुदाय की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण औद्योगिक उत्पादन में माँग में वृद्धि हुई है। कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यवसाय है। भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ वर्तमान कीमतों पर लगभग 15.87% सकल मूल्य वर्धित (GVA) का योगदान देती हैं[1]।

मूल शब्द:- अर्थव्यवस्था, कृषि, जीडीपी, शहरी, ग्रामीण, खाद्यान्न, आबादी।

प्रस्तावना:-

यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करता है, दुनिया की कुल कृषि आधारित आबादी के 100.54% में से 72% कुल कृषि भूमि है भारतीय कृषि लंबे समय तक अविकसित रही, उन्होंने अपने लोगों के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन नहीं किया। लेकिन 1965 में आनुवंशिकी की मदद से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के बाद, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। भारत अब अन्य देशों को अधिशेष खाद्यान्न और कुछ अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करने की स्थिति में है। इसलिए, हरित क्रांति भारत में कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांति थी[2]। ग्रीन इंडिया के परिणामस्वरूप, चाय और मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान, चावल, गन्ना, जूट और तिलहन के उत्पादन में दूसरा स्थान है। दुनिया में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय अक्सर नॉर्मन बोरलैंग को दिया जाता है। कृषि में रुचि रखने वाले एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1940 में मैक्सिको में अनुसंधान करना शुरू किया और गेहूँ की नई रोग प्रतिरोधक उपज किस्मों का विकास किया। मैक्सिको अधिक उत्पादन करने में सक्षम था[3]।

भारत ने अपने नागरिकों की आवश्यकता से अधिक गेहूँ का उत्पादन किया, जिसके कारण 1960 तक वे गेहूँ का निर्यातक बन गए। अन्य क्रान्ति: पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति/ऑपरेशन फ्लड दूध और दूध से बने उत्पादों से संबंधित है। नीली क्रांति मछली और समुद्री उत्पाद से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा, प्याज, दवाइयों से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति कोको (कॉफी का पौधा) और चमड़ा। भारत प्रथम हिंसक क्रांति - ऊनी उत्पाद, काली क्रांति कच्चा तेल/पेट्रोल, लाल क्रांति मांस और टमाटर, गोल क्रांति आलू, स्वर्ण क्रांति शहद, बागवानी/जूट, संतरा क्रांति - खट्टे फल उत्पादन। भारत दूसरा स्थान, इन्द्रधनुष क्रांति फल और खाद्यान्न, इसे दूसरी हरित क्रांति भी कहा जाता है हालांकि योजना अवधि के दौरान उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विकास के साथ, कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत और राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा कम हो गया है[4]। 1960 में कृषि गतिविधियों में लगे श्रम बल का प्रतिशत 74 था जो धीरे-धीरे कम होकर 2012 में 51% हो गया, 1960 में उद्योग और सेवा क्षेत्र में श्रम बल का हिस्सा क्रमश: 11 और 15% था, लेकिन 2012 में ये हिस्सा बढ़कर क्रमश: 22.4 और 26.5% हो गया। अधिकांश अर्थशास्त्र में यह देखा गया है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ श्रम बल का कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्थानांतरण होता है। कृषि खाद्य आपूर्ति का स्रोत है। खाद्यान्न का उत्पादन 1950-51 में लगभग 55 मिलियन टन से बढ़कर 2012-13 में 259 मिलियन टन हो गया है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि एक आवश्यकता थी जिसे देश ने महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त किया। दालों को छोड़कर, अनाज और विभिन्न नकदी फसलों में वृद्धि से खाद्यान्न में वृद्धि संभव हुई है। कृषि निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय का भी एक प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में कृषि का हिस्सा 15% था। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में चाय, चीनी, रेशम, कपड़ा, चावल, आटा मिलें, दूध उत्पाद आदि शामिल हैं[5]।

"यह कृषि क्षेत्र ही है, जिसमें भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की लड़ाई जीती या हारी जाएगी" गुन्नार मायर्डल

कृषि का अर्थ

कृषि शब्द दो लैटिन शब्दों एग्री (जिसका अर्थ है खेत) और कल्चर (जिसका अर्थ है खेती) से बना है। वेबस्टर डिक्शनरी -"कृषि एक खेत पर फसलों और पशुधन के उत्पादन की कला या विज्ञान है।" कृषि में फसल उत्पादन, पशुधन, खेती, मत्स्य पालन, वानिकी

आदि शामिल हैं। इसलिए कृषि को फसलों और पौधों की खेती और उत्पादन, और पशुधन बल आर्थिक उद्देश्य और मानवीय आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कृषि खेती का विज्ञान या कला है जिसमें मिट्टी की खेती, फसलों का उत्पादन, जंगल, पौधे/पेड़ की योजना बनाना, पशुधन और तंबाकू मसाले, कपास, चावल, फल और सब्जी आदि पालना शामिल है[6]।

"सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं"

जवाहरलाल नेहरू - कृषि भारतीय समाज की जीवन रेखा है

कृषि की भूमिका

आजीविका का स्रोतः-भारत में हमारी कामकाजी आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 16% योगदान है। कृषि अभी भी आजीविका का साधन है। हमारी लगभग 43.2% (2018) आबादी कृषि में लगी हुई है। भारत दालों, चावल, गेहूँ, मसालों, दूध आदि का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है[7]।

भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। उन्नत देशों में यह अनुपात बहुत कम है, यूके में 5%, यूएसए में 4%, ऑस्ट्रेलिया में 16%, फ्रांस में 14%, जापान में 21% और यूएसएसआर में 32% है। कृषि में यह उच्च अनुपात इस तथ्य के कारण है कि गैर-कृषि गतिविधियों को 16% निरंतरता के साथ तेजी से बढ़ती आबादी को अवशोषित करने के लिए विकसित नहीं किया गया है[8]।

राष्ट्रीय आय में योगदानः- कृषि हमारी राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। राष्ट्रीय समिति और सीएसओ के अनुसार; 1960-61 में, राष्ट्रीय आय का 52% कृषि और संबद्ध व्यवसाय द्वारा योगदान दिया गया था। 1976-77 में, इस क्षेत्र ने अकेले 42.2% का योगदान दिया जबकि 1981-82 में, इसका योगदान 41.8% था वर्तमान में कृषि राष्ट्र के सकल मूल्य वर्धन में 16.5% का योगदान देती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20)। इसके विपरीत, यूके में कृषि का अनुपात केवल 3.1% है, यूएसए में यह 3%, कनाडा में 2.5%, जापान में 6%, ऑस्ट्रेलिया में 7.6% है। इन सबका मात्र निष्कर्ष यह है कि कोई देश जितना अधिक विकसित होता है, राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान उतना ही कम होता है[9]।

भोजन और चारे की आपूर्तिः- कृषि क्षेत्र पशुधन (35.33 करोड़) के लिए चारा भी प्रदान करता है, गाय और भैंस दूध के रूप में सुरक्षात्मक भोजन प्रदान करती हैं और वे कृषि संचालन के लिए भार वहन शक्ति भी प्रदान करती हैं, इसके अलावा, यह लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। हाल के वर्ष में खाद्यान्न का आयात बहुत कम रहा है, बल्कि निर्यात के रास्ते तलाशे जा रहे हैं बढ़ती आबादी को भोजन की आपूर्ति भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1960-61-82 मिलियन टन, 1970-71-108.4 मिलियन टन, 1990-91-176.4 मिलियन टन, 2018-19-285.21 मिलियन टन10।

औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण स्रोतः- कृषि कपास और जूट वस्त्र, चीनी, तम्बाकू, खाद्य और अखाद्य तेल आदि जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत रही है। कृषि पर सीधे निर्भर हैं। इसके अलावा, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण, दाल मिलिंग, चावल की भूसी, जौगरी बनाना जैसे कई अन्य भी अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि मूल के कच्चे माल वाले उद्योग मूल्य वर्धन का 50% और औद्योगिक क्षेत्र में सभी नौकरियों का 64% हिस्सा हैं[11]।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वः- यह कृषि क्षेत्र है जो देश के व्यापार को खिलाता है। चाय, चीनी, चावल, तम्बाकू, मसाले आदि जैसे कृषि उत्पाद भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुएँ हैं। यदि कृषि की विकास प्रक्रिया सुचारू है, तो निर्यात बढ़ता है और आयात काफी कम हो जाता है। इस प्रकार, यह प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कम करने और हमारे विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद करता है। इस राशि का उपयोग अन्य आवश्यक इनपुट, कच्चे माल, मशीनरी और अन्य बुनियादी ढाँचे के आयात के लिए किया जा सकता है जो अन्यथा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है। कृषि कुल निर्यात आय का लगभग 15% हिस्सा है और बड़ी संख्या में उद्योगों (वस्त्र, रेशम, चीनी, चावल, आटा मिलें, दूध उत्पाद) को कच्चा माल प्रदान करता है[12]।

विपणन योग्य अधिशेषः कृषि क्षेत्र के विकास से विपणन योग्य अधिशेष प्राप्त होता है क्योंकि देश का विकास होता है और अधिक से अधिक लोगों को खनन विनिर्माण और अन्य गैर-कृषि क्षेत्र में लगाया जाता है। ये सभी लोग खाद्य उत्पादन पर निर्भर हैं, जिसे वे विपणन योग्य अधिशेष से पूरा कर सकते हैं क्योंकि कृषि विकास होता है और उत्पादन बढ़ता है और विपणन योग्य अधिशेष का विस्तार होता है। इसे अन्य देशों को बेचा जा सकता है। यहाँ, यह उल्लेख करना उचित है कि जापान और अन्य देशों का विकास कृषि के अधिशेष द्वारा संभव हुआ। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे मामले में ऐसा न किया जा सके।

तृतीयक क्षेत्र का विकासः- कृषि रेलवे और सड़क मार्गों का मुख्य आधार है जो कृषि उपज का बड़ा हिस्सा खेत से मंडियों और कारखानों तक पहुँचाते हैं। आंतरिक व्यापार ज्यादातर कृषि उत्पादों में होता है। इसके अलावा, सरकार का वित्त भी काफी हद तक कृषि

की समृद्धि पर निर्भर करता है। कृषि तृतीयक क्षेत्र, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि के विकास में योगदान देती है। इससे देश के सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है।

सबसे ज्यादा रोजगार देता है:- कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंचाई परियोजनाओं, जल निकासी व्यवस्था और ऐसी अन्य गतिविधियों के निर्माण में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह केवल कृषि क्षेत्र है जो श्रम शक्ति को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, कृषि का महत्व अधिक से अधिक उभर कर सामने आता है। 2016 -45.56% 2018-44.52%, 202043.2% देश के कार्यबल और सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का व्यवसाय है।

सरकारी आय का स्रोत:- भारत में, कई राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र से काफी राजस्व प्राप्त होता है, भूमि राजस्व, कृषि आयकर, सिंचाई कर और कुछ अन्य प्रकार के कर राज्य सरकारों द्वारा कृषि पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा, कृषि उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और निर्यात शुल्क के रूप में काफी राजस्व अर्जित किया जाता है। कृषि कराधान पर राज समिति ने राजस्व बढ़ाने के लिए कृषि आय पर कराधान लगाने का सुझाव दिया है[13]।

बचत का स्रोत:- कृषि में सुधार बचत बढ़ाने में काफी मददगार हो सकता है। यह देखा गया है कि देश में हरित क्रांति के बाद अमीर किसानों ने बचत करना शुरू कर दिया है। इस अधिशेष राशि को क्षेत्र के आगे के विकास के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बचत की संभावनाएँ बहुत हैं जिनका देश के विकास के लिए उचित उपयोग किया जा सकता है।

आर्थिक विकास का आधार:- प्रो. नर्कसे ने अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए कृषि के सुधार पर पर्याप्त जोर दिया है। कृषि का विकास उद्योग, परिवहन और विदेशी व्यापार जैसे अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करता है[14]।

वास्तव में, कृषि और उद्योग का संतुलित विकास आज की आवश्यकता है। उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह वास्तव में आर्थिक उत्थान के लिए एक पूर्व शर्त है।

निष्कर्ष:-

आर्थिक विकास के दौरान, कृषि लोगों की एक बड़ी संख्या को रोजगार देती है। इसका मतलब है राष्ट्रीय आय का स्तर और आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। कृषि क्षेत्र में विकास की तेज दर प्रगतिशील दृष्टिकोण और विकास के लिए और अधिक प्रेरणा देती है। नतीजतन, यह अर्थव्यवस्था के सामान्य आर्थिक विकास के लिए उचित माहौल बनाने में मदद करती है। इस प्रकार, आर्थिक विकास उस दर पर निर्भर करता है जिस पर कृषि बढ़ती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की समृद्धि कृषि की संपत्ति पर निर्भर करती लें कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है जो अर्थव्यवस्था को निरंतर आगे बढ़ाती है। कृषि ग्रामीण आजीविका के केंद्र में बनी हुई है, भले ही देश की कृषि अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से कई आयामों में बदल गई हो।

संदर्भ सूची

1. 'अर्थशास्त्र': डॉ. वी सी सिन्हा और डॉ. अनुपम अग्रवाल।
2. ग्रामीण विकास का कृषि अर्थशास्त्र: त्यागी बी पी।
3. चंदेसन: "भारत की अर्थव्यवस्था"।
4. हजेला टी एन: "भारतीय अर्थव्यवस्था"।
5. द इकोनॉमिक टाइम्स।
6. C.H.Hanumath Rao, Agriculture: Policy and Performance, in Bimal Jalan (ed.), The Indian Economy: Problems and Prospects (New Delhi, 1992), p.121
7. Utsa Patnaik, "India's Agricultural Development in the light of Historical Experience, in Terence J. Byres (ed.), The State, Development Planning in India) New Delhi, 1997), Table 5, p. 194.
8. G.S. Bhalla and G.K. Chaddha, Green Revolution and the Small Peasant. A study of Income Distribution in Punjab Agriculture, Economic and Political Weekly, May 15 and 22, 1982
9. Lbid., May 22, 1982, p. 876.
10. P.K. Bardhan, Land Labor and Rural Poverty (Delhi. 1984), p. 189.
11. पी०के० बर्धन: लैण्ड लेबर एण्ड रूरल प्रौभरटी न०दिल्ली 1984 पेज 189
12. डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन रिर्पोट ऑन नीड ऑफ ग्रीन रिभाल्यूसन
13. गर्वनमेंट ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90. भाल्यूम 2. पेज 26
14. बि०के० श्रीवास्तव: हरित क्रांति एक जरूरत

विशिष्ट बालकों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का अध्ययन

अशोक कुमार

एम.फिल्. शोधार्थी, कु.वि. कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

डॉ० अंग्रेज सिंह

सहायक प्रोफेसर, शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

प्रस्तावना:

भारत स्वतंत्र देश है। इस देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हे। संवैधानिक दृष्टि से किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। चाहे किसी भी बालक की क्षमता कम हो या अधिक। यह अपनी गति से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। संवैधानिक विचारधारा के अनुसार सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर दिये गये है, चाहे वह प्रतिभाशाली हो या बाधित या फिर किसी भी रूप में बाधित हो। इनके अतिरिक्त आज के युग में भावनात्मक रूप से ग्रसित और अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है।

भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से जुड़े प्रावधानों की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि 1970 से पहले प्रमुख नीतियों का झुकाव पृथक्करण या अलग किये जाने की ओर था। 1980 के दशक में मिशनरियों ने सहानुभूति के आधार पर शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौती वाले बच्चों के लिए अलग से विद्यालय शुरू किए। इसके बाद अलग से कार्यशालाओं, मॉडल स्कूलों, केंद्रीय ब्रेल प्रेसों की शुरूआत हुई। 1990 के दशक में 'सलमांका' में हुए विश्व सम्मेलन के बाद 'समावेशी' शिक्षा के क्षेत्र में जादुई शब्द बन गया। भारत सरकार द्वारा नि:शक्त जन विधेयक-1995 लाया गया जिसके द्वारा समान अधिकार, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षा को समाज के स्कूलों में क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा, 2000 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा, 2005 ने भी 'समावेशी' पर विस्तार से प्रकाश डाला है और इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में देखा है। शिक्षा में मानक यूके ऑफिस, 2003 ने 'समावेशी' को - ''मुख्यधारा के विद्यालयों में विशेष आवश्यकता प्राप्त बच्चों को उनके अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया''[1] माना है।

शिक्षा एक ऐसा सशक्त और सार्थक साधन है जिसके द्वारा विशिष्ट बालकों के सामाजिक समायोजन का भी ध्यान रखा जा सकता है। बाधित को सदैव दोष के प्रति यथार्थ की भावना के प्रति प्रेरित करना चाहिए। तथा साथ ही किसी कार्य को करने की योग्यता पर उसे बल देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे वे अपने आप को समाज का महत्वपूर्ण अंग समझे और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके।

अध्ययन का औचित्य:

किसी भी शोध के लिए उसका औचित्य ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य किया जाता हैं तो उस अध्ययन की उपयोगिता, महत्व, प्रकृति, आवश्यकता आदि के औचित्य को सुस्पष्ट करना आवश्यक होता हैं ताकि हम यह सिद्ध कर सकें कि इस अध्ययन के परिणाम एवं निष्कर्ष में विशिष्ट बालकों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का स्तर किस प्रकार का होगा यह जानने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

इन चरों से संबंधित जो भी साहित्य एवं अनुसंधान विवरण प्राप्त हुआ। दत, गार्गी (2001) ने:- ''सामजिक स्वीकृति तथा मानसिक मंदता से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया''[2] शीर्षक पर शोध कार्य किया। जुल्का, अनिता एवं कुमार, मनोज (2008) ने - ''समावेशित शिक्षा और समान अवसरों की भागीदारी''[3] शीर्षक पर शोध कार्य किया। कुमारी, शारदा (2009):- ''समावेशी विद्यालयी वातावरण और 'कोमल' की जरूरतें एक वैयक्तिक अध्ययन''[4] शीर्षक पर शोधकार्य किया। उसके गहन अध्ययन के पश्चात् अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि विशिष्ट बालकों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का अध्ययन इस क्षेत्र के लिए एक नवीन विषय है।

विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में शिक्षा के द्वारा जाना जा सकता है और विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने अपने-अपने तरीकों से खोजने की कोशिश की है, परन्तु इस विषय से सम्बन्धित शोधों के अध्ययन के बाद निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि भारत में अभी स्थिति इस सम्बन्ध में निम्न हैं।

वर्तमान के बदलते वातावरण में शिक्षा ही उन्हें उच्च आदर्श एवं सफलतापूर्वक जीवन जीने की कला सिखाती है। प्रस्तुत अध्ययन द्वारा विशिष्ट बालकों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का अध्ययन कर शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार किया जा सकता है।

इस प्रकार से शोधकर्ता ने विभिन्न अध्ययनों के आधार पर अपने स्वयं के चिंतन एवं निर्देशन महोदय के निर्देशानुसार उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण मानकर अपने अध्ययन का विषय बनाया है।

1.4 समस्या कथन:

''विशिष्ट बालकों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का अध्ययन''

अध्ययन के उद्देश्य:

1. विशिष्ट बालकों (बालक+बालिकाओं) की शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन।
   (क) शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन।
   (ख) मूक बाधिर विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन।
   (ग) मंद बुद्धि बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन।

परिकल्पनाएं:-

प्रत्येक शोध कार्य के उद्देश्य के निर्धारण के बाद समस्या समाधान के परिणाम का पूर्वानुमान लगाया जाता हैं, इसी पूर्वानुमान को परिकल्पना कहते है। परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन प्राय: सम्भव नहीं है। परिकल्पना एक सम्बन्धित समस्या का ऐसा सम्भाव्य तथा परीक्षण योग्य प्रस्ताव होता हैं। जिसके आधार पर सम्बन्धित चरो तथा घटनाओं का अध्ययन अनुभाविक रूप से किया जा सके और समस्या का पर्याप्त उपयुक्त तथा वैद्य उत्तर उपलब्ध हो सके।

जेम्स ई. ग्रीटन के अनुसार - ''परिकल्पना सम्भावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है।''[5]

शून्य परिकल्पना:

1. शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बघिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं में कोई सार्थक अंतर नही हैं।

समस्या का परिसीमन:

प्रस्तुत समस्या बहुत विस्तृत हैं, जिसके लिए पूर्ण अध्ययन अल्प समय में करना सम्भव नही है। अत: समय, साधन एवं अर्थ की कमी के कारण समस्या को एक निश्चित सीमा में बाँधना आवश्यक था। उपर्युक्त बातों का ध्यान में रखकर समस्या का सीमांकन किया गया।

सीमांकन से समस्या को विशिष्ट या परिमार्जित रूप प्रदान किया जाता है। जिसमें केवल महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन किया जाता है। समस्या के परिसीमन से तात्पर्य समस्या की परिधि निर्धारित करना है। जिससे उचित प्रकार से अनुसंधान कार्य निर्धारित हो सके।

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित रूप से सीमांकित किया गया है:-

1. अध्ययन के क्षेत्र में हमनें हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के विशिष्ट विद्यार्थियों को सम्मिलित किया।
2. इस क्षेत्र में विद्यालय में अध्ययनरत विशिष्ट विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। जिनमें क्रमश: ये विद्यार्थी सम्मिलित है:-
   (क) शारीरिक दिव्यांग
   (ख) मूक बाधिर
3. इस क्षेत्र में 6 से 10 तक की कक्षाओं के 60 विशिष्ट विद्यार्थी सम्मिलित किये गये। जिनमें 20 शारीरिक दिव्यांग,

शोध विधि:

शिक्षा सम्बन्धी शोध कार्य के लिए पाँच प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। ये विधियाँ है ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक, दर्शनशास्त्रीय तथा तथ्यात्मक विधि है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। क्योंकि यह विधि अनुसंधान की एक मनोवैज्ञानिक विधि हे। इसके द्वारा एकत्रित आंकड़े विश्वसनीय एवं वैध होते है।

न्यायदर्श:

प्रस्तुत अध्ययन हेतु विशिष्ट बालकों के रूप में शारीरिक दिव्यांग, मूक बाधिर तथा मंद बुद्धि वाले माध्यमिक स्तर के 60 विद्यार्थियों को न्यायदर्श में सम्मिलित किया गया। जिसमें 20 विद्यार्थी (10 छात्र + 10 छात्रा) शारीरिक दिव्यांग, 20 विद्यार्थी (10 छात्र + 10 छात्रा) मूक बधिर को न्यादर्श के रूप में चयनित किये गये।

न्यादर्श का वर्गीकरण
40 विद्यार्थी

शारीरिक दिव्यांग	मूक बधिर
विद्यार्थी (20)	विद्यार्थी (20)
10 छात्र 10 छात्राएँ	10 छात्र 10 छात्राएँ

न्यादर्श चयन विधि:

न्यादर्श चयन हेतु उद्देश्यात्मक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया।

तालिका संख्या: 4.1: शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रथम आयाम - ''पाठ्यक्रम'' के प्राप्तांकों के मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-माप

प्राप्तांकों का स्रोत	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी–मान (T-Value)	सार्थकता का स्तर	
					0.05	0.01
शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थी	20	15.3	1.95	0.17	सार्थक अन्तर नही है।	सार्थक अन्तर नहीं है।
मूक बाधिर विद्यार्थी	20	15.2	1.77			

(df=N_1+N_2-2=k20+20-2=38)

विवेचन:- उपर्युक्त तालिका संख्या (4.1) में शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रथम आयाम - ''पाठ्यक्रम'' के मध्यमान क्रमश: 15.3 एवं 15.2 दर्शाये गए है तथा प्रमाप विचलन क्रमश: 1.95 एवं 1.77 दर्शाए गए हैं। दोनों मध्यमानों के अन्तर की गणना हेतु टी-मान 0.17 प्राप्त हुआ है। 38 (df) स्वतंत्रता के अंश पर तालिका मान सार्थकता स्तर 0.05 पर 2.04 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.75 तालिका मान से कम है। अत: निर्धारित शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनो स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों के ''पाठ्यक्रम'' से संबंधित शैक्षिक आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

(HO_1=(B) शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के द्वितीय आयाम ''शिक्षण विधियाँ'' के प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका संख्या: 4.2: शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के द्वितीय आयाम - ''शिक्षण विधियाँ'' के प्राप्तांकों के मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-मान

प्राप्तांकों का स्रोत	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी–मान (T-Value)	सार्थकता का स्तर	
					0.05	0.01
शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थी	20	13.05	2.58	0.5515	सार्थक अन्तर नही है।	सार्थक अन्तर नहीं है।
मूक बाधिर विद्यार्थी	20	13.45	1.96			

(df=N_1+N_2-2=k20+20-2=k38)

विवेचन:- उपर्युक्त तालिका संख्या (4.2) में शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के द्वितीय आयाम - ''शिक्षण विधियाँ'' के मध्यमान क्रमश: 13.05 एवं 13.45 दर्शाये गए है तथा प्रमाप विचलन क्रमश: 2.58 एवं 1.96 दर्शाए गए हैं। दोनों मध्यमानों के अन्तर की गणना हेतु टी-मान 0.5515 प्राप्त हुआ है। 38 (df) स्वतंत्रता के अंश पर तालिका मान सार्थकता स्तर 0.05 पर 2.04 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.75 तालिका मान से कम है। अत: निर्धारित शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनो स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों के ''शिक्षण विधियां'' से संबंधित शैक्षिक आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

(HO_1=(C) शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के तृतीय आयाम ''शैक्षिक सुविधाएं'' के प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका संख्या: 4.3: शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के तृतीय आयाम - ''शैक्षिक सुविधाएं'' के प्राप्तांकों के मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-मान

प्राप्तांकों का स्रोत	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी–मान (T-Value)	सार्थकता का स्तर	
					0.05	0.01
शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थी	20	14.1	2.05	0.3756	सार्थक अन्तर नही है।	सार्थक अन्तर नहीं है।
मूक बाधिर विद्यार्थी	20	14.35	2.16			

($df=N_1+N_2-2=k20+20-2=k38$)

विवेचन:- उपर्युक्त तालिका संख्या (4.3) में शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के तृतीय आयाम - ''शिक्षण सुविधाएं'' के मध्यमान क्रमश: 14.1 एवं 14.35 दर्शाये गए है तथा प्रमाप विचलन क्रमश: 2.05 एवं 2.16 दर्शाए गए हैं। दोनों मध्यमानों के अन्तर की गणना हेतु टी-मान 0.3756 प्राप्त हुआ है। 38 (df) स्वतंत्रता के अंश पर तालिका मान सार्थकता स्तर 0.05 पर 2.04 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.75 तालिका मान से कम है। अत: निर्धारित शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनो स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों के ''शैक्षिक सुविधाएं'' से संबंधित शैक्षिक आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

(HO_1=(B) शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के चतुर्थ आयाम ''मूल्यांकन'' के प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका संख्या: 4.4: शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के चतुर्थ आयाम - ''मूल्यांकन'' के प्राप्तांकों के मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-मान

प्राप्तांकों का स्रोत	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	प्रमाप विचलन (S.D.)	टी–मान (T-Value)	सार्थकता का स्तर	
					0.05	0.01
शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थी	20	13.6	1.93	0.2352	सार्थक अन्तर नही है।	सार्थक अन्तर नहीं है।
मूक बाधिर विद्यार्थी	20	13.76	2.10			

($df=N_1N_2-2=k20+20-2=k38$)

विवेचन:- उपर्युक्त तालिका संख्या (4.4) में शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के चतुर्थ आयाम - ''मूल्यांकन'' के मध्यमान क्रमश: 13.6 एवं 13.75 दर्शाये गए है तथा प्रमाप विचलन क्रमश: 1.93 एवं 2.10 दर्शाए गए हैं। दोनों मध्यमानों के अन्तर की गणना हेतु टी-मान 0.2352 प्राप्त हुआ है। 38 (कि) स्वतंत्रता के अंश पर तालिका मान सार्थकता स्तर 0.

05 पर 2.04 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.75 तालिका मान से कम है। अत: निर्धारित शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनो स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर बालकों के ''मूल्यांकन'' से संबंधित शैक्षिक आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

सम्प्राप्तियाँ:

प्रस्तुत शोध में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के विद्यार्थियों के अभिमतों, शैक्षिक प्राप्तांकों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत हैं:-

परिकल्पना सं. 1 - शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है, का परीक्षण करने हेतु टी-मान गणना की गई। शारीरिक दिव्यांग एवं मूक बाधिर विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रथम आयाम 'पाठ्यक्रम', द्वितीय आयाम 'शिक्षण विधियाँ', तृतीय आयाम 'शैक्षिक सुविधाएँ', चतुर्थ आयाम 'मूल्यांकन' एवं सम्पूर्ण आयामों के योग की सभी शून्य परिकल्पनाएँ सार्थकता स्तर 0.05 पर स्वीकृत हुई।

शैक्षिक निहितार्थ:

शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या समस्या की गहराई में जाकर असलियत का पता लगाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध में कुरुक्षेत्र जिले के विशिष्ट विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में विद्यार्थियों से पूछे गये प्रश्नों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष दिए गए हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर विशिष्ट बालकों की शैक्षिक, सामाजिक और सांवेगिक आवश्यकताओं में बाधक कारणों को दूर करने एवं भविष्य में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सुझाव भी दिए गए हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जायें जो उनकी शिक्षा के साथ-साथ उनकी सामाजिक तथा सांवेगिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है तथा विशेष बालकों को भी सामान्य बालकों के समान उनकी सुविधा अनुसार अवसर दिये जाएं ताकि उनमें शैक्षिक, सामाजिक व सांवेगिक रूप से पाये जाने वाले सार्थक अंतर को कुछ सीमा तक दूर किया जा सके और वे भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह प्रगतिशील बने। विशेष बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। जो उनकी शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ उनकी सामाजिक तथा सांवेगिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती हो अर्थात् समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करें। इस कार्य की पूर्ति हेतु बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत हैं, तभी यह कार्य सरलता एवं सुगमता से पूर्ण किया जा सकता हैं

यह शोध अध्यापकों तथा विशेष बालकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध के अनुसार जो परिणाम प्राप्त हुए हैं। उनसे विशेष बालकों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में पता चलेगा तो वे उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आ रहे अवरोधन तथा अपव्यय की मात्रा में कमी या सुधार आयेगा। जिससे विशिष्ट बालकों द्वारा शिक्षा के गुणात्मक व मात्रात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. कुमारी, शारदा (2009) प्राथमिक शिक्षा संवाद की पत्रिका, एन.सी.ई.आर.टी. आर्य बुक डिपो, करोल बाग नई दिल्ली, वॉल्यूम 33 (1), पृ.सं. 30-32
2. कुमार, संदीप (2010), 'विशिष्ट बालकों की शिक्षा', मेरठ, अभिशेष प्रिन्टर
3. कुमार (2009) 'मूक बाधिर एवं मंद बुद्धि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का अध्ययन मीनाक्षी प्रकाशन, बेगम ब्रीज मेरठ।
4. खन्ना, जीत (2005) 'विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन', साहित्य चन्द्रिका, प्रकाशन जयपुर पृ. 36-38
5. खन्ना, ऋतु (2012) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए प्रयासों का अध्ययन। 'प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका', नई दिल्ली, वर्ष-36, अंक 2, पृ.सं. 33-38
6. जुल्का, अनिता एवं कुमार, मनोज (2008) समावेशित शिक्षा और समान अवसरों की भागीदारी 'भारतीय आधुनिक शिक्षा', इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाऊस, मेरठ, वर्ष 27, अंक 4 पृ.सं. 7-72
7. जैन, डॉ. एस.बी. (2008) विशिष्ट बालकों की शिक्षा, वॉल्यूम 32, पृ.सं. 40-52
8. डालगारनों, जॉर्ज (1991) 'मूक व बाधिर' लोगों का अध्यापक, प्रकाशन इंग्लैंड।
9. दुग्गल, शाइनी एन.सी.ई.आर.टी. (2010) प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, मेरठ, वॉल्यूम 34 (3-4), पृ. सं. 5-9
10. NPD (2006) 'व्यवसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण' श्रीविजय इन्द्र टाइम्स, नई दिल्ली।
11. बुल्वर, जॉन (1993), 'बाधिरों की शिक्षा', पब्लिशिंग इंग्लैंड
12. आर.सी.आई.एक्ट (1992) 'विशिष्ट शिक्षा हेतु भारतीय पुनर्वासन' शिक्षा प्रकाशन जयपुर।
13. विर्क, जसवन्ती (2005) 'समावेशित शिक्षा' पी.एच.आई.प्राईवेट लिमिटड, नई दिल्ली, पृ.सं. 222-223
14. समिति, राममूर्ति, (1992) 'शैक्षिक अनुसंधान, अंसारी रोड़, जंगपुरा, नई दिल्ली प्रा. लि.

15. शर्मा, संदीप कुमार एन.सी.ई.आर.टी. (2007) - भारतीय आधुनिक शिक्षा, राधा प्रकाशन आगरा, वॉल्यूम 25 (3-4), पृ.सं. 7-13
16. साहा, सुजाता एन.सी.ई.आर.टी. (2008) - 'भारतीय आधुनिक शिक्षा' मोतीलाल बनारसी दास, प्रकाशन नई दिल्ली, वॉल्यूम 28(1), पृ.सं. 73-77

पत्र एवं पत्रिकाओं की सूची

1. कुमार, इंदु एन.सी.आर.टी. (2007) 'प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका', मीनाक्षी प्रकाशन बेगम ब्रीज मेरठ, वॉल्यूम 32 (2-3), पृ.सं. 29-34
2. खन्ना, ऋतु (2012) - विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए प्रयासों का अध्ययन। 'प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका', सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ, वर्ष-36, अंक 2, पृ.सं. 33-38
3. दुग्गल, शाइनी एन.सी.ई.आर.टी. (2010) - प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ वॉल्यूम 34 (3-4), पृ.सं. 5-9

शोध पत्रिकाओं की सूची

1. कौल, लौकेश (2000) 'शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, 576 अन्सारी रोड़, जंगपुरा, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि.
2. जिल्ली, अबु सफैयान और अली, अमजद (2009) मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक तनाव, भारतीय जर्नल हुमन रिलेशनस, वॉल्यूम 35, पृ.सं. 8-13
3. डॉ. कपिल एच.के. शैक्षिक अनुसंधान विनोद पुस्तक मंदिर आगरा - 2 पेज 298
4. डेबी (1998) 'शिक्षा अनुसंधान', नई दिल्ली आर्य बुक डिपो।
5. पाठक पी.डी. शिक्षा मनोविज्ञान एवं साख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2, पेज-591
6. माइमोग्राफ, यू.जी.सी. नई दिल्ली फंड प्रोजेक्ट, विजयगढ़ ज्योतिष रॉय कॉलेज, जोधपुर।
7. शर्मा, आर.ए. (2010) शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, मेरठ, मोहन प्रिन्ट मीडिया (प्रा.) लि.
8. समिति, राममूर्ति (1992) 'शैक्षिक अनुसंधान' अंसारी रोड़, जंगपुरा, नई दिल्ली प्रा. लि.।
9. सुखिया, एस.पी., पी.वी. और मल्होत्रा, आर.एन. (1996) 'शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व', आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
10. सरीन एवं सरीन, शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ विनोद पुस्तक मंदिर आगरा-2, पेज - 304

इंग्लिश पुस्तकों की सूची

1. Berk, L.F. (2005) 'Ch1. Berk, L.F. (2005) 'Child Development' Pearson, Prentice Hall, India
2. Best, J.W. & Kahn, J.V. (2008) Research in Education Dorling Kindersley Pvt. Ltd. India.
3. Bajwa, S. And Goyal, S. (2011) Indian Educational Review, 49 (2), Page No. 99-116
4. Maheshwari, Amrita (2004) Attention Deficit disorder of hearing impaired and normal hearing childhood. The Primary teacher, vol. 29, No. 3-4
5. Mangal, S.K. (2010) Advanced Educational Psychology. PHI Learning Pvt. Ltd. New Delhi.
6. Rani, S. and Kaushik, N. (2005) Journal of Psychological researches, Volume 49(2), 89-94
7. S, Pawer (1996) "Education of exceptional children New Delhi, Atlantic Publication.
8. Sangita, A.J. and Joshi, M.S. (2000) 'Journal of educational research and extension,' Vol. 37, No. 3, pp. 26-35
9. SA, B. (2006) 'Journal of Indian Education 32(3) P. 108-115
10. Throp Richard, G. Introduction Psychological research (1969) P.P. 209
11. Wittig, A.F. (2004) Introduction to psychology tata me Graw – Hill Publishing company limited, New Delhi.

फुटनोट

1. खन्ना, जीत (2005) 'विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन' पृ.सं. 36-36
2. माइमोग्राफ, यू.जी.सी. नई दिल्ली फंड प्रोजेक्ट, विजयगढ़ ज्योतिष रॉय कॉलेज, जोधपुर।
3. जुल्का, अनिता एवं कुमार, मनोज (2008) - समावेशित शिक्षा और समान अवसरों की भागीदारी 'भारतीय आधुनिक शिक्षा' वर्ष 27, अंक 4, पृ.सं. 7-22
4. कुमारी, शारदा एन.सी.इर्ं.आर.टी. (2009) - प्राथमिक शिक्षक संवाद की पत्रिका, वाल्यूम 33(1), पृ.सं. 20-32
5. शर्मा, चतुर्वेदी शिक्षा - ''शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशक तथा परामर्श' आर.लाल. बुक डिपो मेरठ (1996), पृ. 37

''श्री रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद् गीता में वर्णित दार्शनिक तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन''

राजेश तिवारी

शोध विद्यार्थी, हिन्दी विभाग, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

डॉ० शिवानी शर्मा

सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

दर्शन का स्वरूप, प्रकृति, प्रयोजन एवं अवधारणा

मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है। परिणामतः उसके समक्ष विद्यमान विस्तृत विश्व तथा स्वयं उसका जीवन उसके सम्मुख अनेक प्रश्नों को प्रस्तुत करते है, जिन पर वह व्यक्ति चिन्तन हेतु विवश हो जाता है। इनके सम्बन्ध जगत् तथा जीवन के कतिपय ऐसे गहन मूलभूत प्रश्नों से होता है। इस जगत का मूलभूत प्रश्नों से होता है। इस जगत का मूलभूत क्या है? इसका स्वरूप क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मनुष्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? इस जगत का संचालन कौन सी शक्ति करती है? अतः ये प्रश्न चिन्तनशील मनुष्य को व्यथित कर इनके समाधान के लिये बाध्य कर देते है। वह इस जीवन के सम्बन्ध में व्यापक ज्ञान के लिये दार्शनिक चिंतन आरम्भ कर देता है।

प्रश्न यह उठता है, कि दर्शन क्या है? हम इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते है। दर्शन दृष धातु से करण अर्थ में ल्युट् (अन) प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ है (जिसके द्वारा देखा जाये) दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति (दृश्यते अनेन इति दर्शनम्) से भी निष्पन्न होती है। अतः यदि व्याकरण की दृष्टि से हम अवलोकन करें तो दर्शन शब्द का प्रयोग ज्ञान प्राप्त कराने वाले साधन के रूप में किया गया है। दर्शन से परमार्थ का ज्ञान भी होता है। ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति आदि।

आस्तिक दर्शन वेदों को महत्व देते है, तथा जैन एवं बौद्ध अपने आगम ग्रन्थों तथा त्रिपिटकों को आप्तवाक्य के अन्तर्गत मानते है।

दर्शन को आङ्ग्ल भाषा में Philosophy शब्द से अभिहित किया गया है अर्थात् जिसका शाब्दिक अर्थ है (गहन) ज्ञान के प्रति प्रेम (Love of Wisdom) इससे यह ज्ञात होता है कि दर्शन का प्रारम्भ जिज्ञासा है। पॉलसेन का मानना है कि दर्शन सामान्यतः सतत रूप में पुनः विस्मृत एवं व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करने हेतु किया जाने वाला प्रयास है। एक अन्य पाश्चात्यचिंतक जान डीवी का मत है कि यदि कहीं भी दर्शन पर गहनतापूर्वक विचार किया तो सदा यही मान लिया गया है कि वह एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का द्योतक है, जो जीवन के व्यवहार को प्रभावित करती है।

मानव जीवन में दर्शन का स्थान एवं महत्व-

मानव जीवन में दर्शन का अतिशय महत्वपूर्ण स्थान है। इस विश्व में केवल मानव जाति ही ऐसी है जो कि इस अनेक रूपों वाले जगत, जीव एवं ईश्वर के विषय में चिंतन कर सकती है। मानव जीवन अनेक प्रकार विशेषताओं से युक्त है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान के सम्बन्ध में चिंतन दर्शन का रूप ले लेता है। संसार के चिंतनशील मानव ने इसके विभिन्न पक्षों को सम्यक् चिंतन कर कुछ निष्कर्ष निकाले है। उनके ये तात्पिक चिंतन दर्शन का रूप ग्रहण कर रहे है। मानव जीवन अनेक प्रकार के दुःखों से संतृप्त क्योंकि यह नाम-रूपमाक समस्त दुःखात्मक जगत में निमग्न है। विवेकीजन इस संसार को दुःखमय ही देखते हैं। (दुःखमेव सर्व विवेकिनः)।

इस संसार में जन्म-मरण रूप कष्ट का भोग सबसे बड़ा दुःख है और उसका मूल कारण है अविद्या। इसी अविद्या के कारण ही मानव दुःख समस्त भौतिक पदार्थों को सुखमय समझता है और उसे नाना प्रकार के सांसारिक कष्टों का भोग करता है तथा इसी अविद्या के कारण ही वह जन्म-मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है।

अतएव यह स्पष्ट है कि जड़चेतनात्मक जगत् दुःखमय है। इस दुःख की निवृत्ति के लिये ही मानव ने विविध प्रकार से चिंतन किया और उनका यह चिंतन दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दुःखो की आत्यन्तिक और एकान्तिक निवृत्ति के लिये जो विशिष्ट चिंतन हुआ

है, भारतीय दर्शन में उसके द्वारा अविद्या के विनाश का मार्ग खोजा गया और यही मोक्ष कहलाया। विभिन्न दार्शनिकों ने मोक्ष के सम्बन्ध में भौतिक चिंतन किया है। जिनका संक्षेप में विवेचन इस प्रकार है। भौतिकवादी चावार्क मृत्यु को मोक्ष कहते, बौद्ध दर्शन में निर्वाण को मोक्ष कहा गया है। उनके मत में समस्त दु:खों की आत्यान्तिक निवृति ही ''निर्वाण'' है और निर्वाण ज्ञान के उदय से होता है। जैन आत्मा की विशुद्ध एवं स्वाभाविक स्थिति को मोक्ष कहते है। सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक्चरित्र के द्वारा जब देह रूप आवतरण का नाश होता है तब आत्मा अपनी विशुद्ध अवस्था में स्थित होती है। सांख्यमत में प्रकृति-पुरुष का विवेक ज्ञान मोक्ष है। यह पुरुष अविवेक के कारण जब प्राकृतिक विकारों में तादात्मय होकर उसे अपना समझता है तब वह बन्धन को प्राप्त होता है और जब वह विवेकज्ञान के द्वारा उससे पृथक होकर अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तब वह ''मुक्त'' कहलाता है। योगदर्शन में चित्तशक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थान ''मोक्ष'' कहा गया है। आत्मा कैवल्य अवस्था में तब आती है जब कठोर तप एवं आत्म संयम के द्वारा प्रकृति के जाल से विनिर्युक्त अवस्था में होती है। तब वह ''मुक्त'' कहलाती है। मीमांसा दर्शन आत्मा की स्वाभाविक अवस्था को ही ''मोक्ष'' मानता है। वेदान्त दर्शन में अज्ञान की निवृत्ति हो होने पर जब जीवात्मका और ब्रह्म का एकीभाव होता है उसे ''मोक्ष'' कहते है। वस्तुत: यह आत्मा नित्य, शुद्ध, सदायुक्त एवं सच्चिदानन्द है, यही उसका वास्तविक रूप है। उसके इस वास्तविक रूप को न जानना की अविद्या है और उस अविद्या का नाश ही मोक्ष है।

श्री रामचरितमानस में निरूपित कर्मयोग

श्री रामचरितमानस में विभिन्न स्थानों पर कर्मयोग का निरूपण हुआ है। श्री रामचरितमानस में विधि और निषेध (यह करो यह न करो) रूपी कर्मो को पापों को हरने वाली यमुना के रूप में बताया गया है। भगवान् विष्णु और शंकर की कथा त्रिवेणी रूप से निरूपित है जो सब आनन्द और कल्याणों को देने वाली है। श्री रामचरितमानस में सत्संग के बारे में भी बताया गया है कि दुष्ट भी सत्संड्गति पाकर सुधर जाता है जैसे पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है।

किन्तु देवयोग से यदि कभी सज्जन सड्.गति गलत फर्म करने वालों की सड्.गति में पड़ जाते है तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने ही गुणों का अनुसरण करते है अर्थात् जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता है तथा अपने सहजगुण प्रकाष को नहीं छोड़ती उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों को सड्.ग में रहकर भी दूसरों को प्रकाशित करते है उन पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्रीमद्भागवद्गीता के कर्मयोग का श्रीरामचरितमानस के कर्मयोग पर प्रभाव

कर्मयोग, की परिपूर्णता के लिये विकर्म का सहकार परम आवश्यक है विकर्म के विवेचनात्मक बोध से पहले यह ज्ञत होना परम आवश्यक है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म शब्द का स्वधर्म के अर्थ का प्रयोग किया है। स्वधर्म में स्व शब्द आत्मा का वाचक है और धर्म शब्द की धारणा की प्रक्रिया का बोधक है। आत्मा का सहज धर्म परमात्मा का मिलन है।

गीता में कहा गया है कि मनुष्य संसार में क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। मनुष्य कर्म तो कर सकता है,पर उसके फल पाने के लिये वह स्वतंत्र नहीं है। श्रीरामचरितमानस में विभन्न स्थान पर कर्मयोग के विविध रूपों का निरूपण हुआ है। इसमें जैसे जातकर्म, संस्कार तथा चूड़ाकर्म संस्कार, विवाह कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत कर्म संस्कार, आदि अनेक प्रकार के कर्म संस्कारों का वर्णन हुआ है।

इस प्रकार श्रीरामचरितमानस में श्रीमद्भगवद्गीता की तरह स्थान पर कर्म करने को कहा गया है। कलियुग में पापों को हरने वाली यमुना जी कथा यह करो यह न करो रूपी कर्मो की कथा कही गई है। भगवान् श्रीरामचन्द्र जी ने कर्मो के महत्व को बताया है। सदा ही कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य एक पल भी बिना कर्मो के नहीं रह सकता। वह पिता की आज्ञा से वन गए, वहाँ राक्षसों से यज्ञ को बचाया।

भक्तियोग का स्वरूप प्रकृति एवं प्रयोजन-

योग दर्शन में भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। भक्ति की प्रकृति में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति में लीन होकर ही साधक अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है। अत: भक्ति से भसि अन्त:करण साधक स्वयं को अपने ईश्ट को समर्पित कर परम प्रसाद को प्राप्त करता है।

भक्तिसूत्र में भक्ति की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए देवर्शि नारद कहते हैं कि भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेमरूपा है। परम प्रेमा और अमृत रूपा भक्ति को प्राप्त कर मनुष्य सिद्धि अमृतत्व और तृप्ति को प्राप्त करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझसे हैं और उनमें हूँ। इस प्रकार युग का प्रयोजन स्पष्ट है।

भक्ति के द्वारा भक्त परमात्मा को प्राप्त करता है। भक्ति योग में उपासना का महत्व है। वशिष्ठसंहिता में कहा गया है कि भगवान विष्णु को अपने हृदय पटल में निरन्तर ध्यान करने वाला आत्मतत्व का साक्षात्कार कर कालजित् हो जाता है। अपने ईश्ट देव के प्रति समर्पित भवन निर्मल हृदय वाला हो जाता है। उसके हृदय कमल में भगवान या उसके ईश्ट देवता का निवास हो जाता है। इस प्रकार वह सहज में ही परम का साक्षात्कार कर लेता है। या उसको परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है।

अध्ययन पद्धति व प्रस्तावित शोध योजना का प्रारूप- प्रस्तुत शोध अध्ययन में श्रीमद्भगवद्गीता के दार्षनिक तत्वों का श्रीरामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन किया जायेगा व विवेचनात्मक पद्धति के प्रयोग द्वारा श्री भगवद्गीता में निरूपित दार्षनिक तत्वों के रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा। इसके विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर प्रस्तुत शोध के संदर्भ में विभिन्न दर्शनों पर आधारित पुस्तकों का भी अध्ययन किया जायेगा व निहित भाव की विवेचना की जायेगी। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यह शोध अध्ययन नौ अध्यायों में विभक्त किया जायेगा। इसके प्रथम अध्याय में उपोदघात को प्रस्तुत किया जायेगा तो चार खण्डों में विभक्त होगा। प्रथम खण्ड में दर्शन का स्वरूप प्रकृति प्रयोजन एवं अवधारणा, द्वितीय खण्ड में मानव जीवन में दर्शन का स्थान एवं महत्व, तृतीय खण्ड में भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय (नास्तिक, दर्शन, आस्तिक दर्शन) और इस अध्याय के अन्तिम में भारतीय दर्शन को श्रीमद्भगवद्गीता का प्रदेय को प्रस्तुत किया जायेगा।

द्वितीय अध्याय में कर्मयोग को प्रस्तुत किया जायेगा। यह अध्याय चार खण्डों में विभक्त होगा। इसके प्रथम खण्ड में कर्मयोग का स्वरूप, प्रकृति एवं प्रयोजन को प्रस्तुत किया जायेगा।

तृतीय अध्याय में ज्ञानयोग को प्रस्तुत किया जायेगा। यह अध्याय चार खण्डों में विभक्त होगा। इसके प्रथम खण्ड में ज्ञान योग का स्वरूप, प्रकृति एवं प्रयोजन, द्वितीय खण्ड में श्रीमद्भागवद्गीता का ज्ञानयोग, तृतीय खण्ड में श्रीरामचरितमानस का ज्ञानयोग को प्रस्तुत किया जायेगा। इसमें बतलाया गया है कि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति मोह में नहीं फसता है और वह संसार रूपी सागर को ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पार कर लेता है। तत्पश्चात् इस अध्याय के अन्तिम खण्ड में श्रीमद्भगवद्गीता के ज्ञानयोग का श्रीरामचरितमानस के ज्ञानयोग पर प्रभाव को प्रस्तुत को प्रस्तुत कर सम्यक् समीक्षा की जायेगी।

चतुर्थ अध्यायत में भक्तियोग को प्रस्तुत किया जायेगा। यह अध्याय चार खण्डों में विभक्त होगा। इसके प्रथम खण्ड में भक्तियोग का स्वरूप, प्रकृति एवं प्रयोजन को प्रस्तुत किया जायेगा। द्वितीय खण्ड में श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भक्तियोग को प्रस्तुत कर बतलाव जायेगा।

पंचम अध्याय में जपयोग प्रस्तुत किया जायेगा तथा यह अध्याय चार खण्डों में विभक्त होगा।

षष्ठ अध्याय में मोक्ष योग को प्रस्तुत किया जायेगा। यह अध्याय भी चार खण्डों में विभक्त होगा। इसके प्रथम खण्ड में मोक्ष योग का स्वरूप, प्रकृति एवं प्रयोजन, द्वितीय खण्ड में श्रीमद्भगवद्गीता का मोक्षयोग, तृतीय खण्ड में श्रीरामचरितमानस के मोक्षयोग पर प्रभाव को प्रस्तुत किया जायेगा।

सप्तम अध्याय में सांख्ययोग को प्रस्तुत किया जायेगा। यह अध्याय भी चार खण्डों में विभक्त है।

तत्पश्चात् इस अध्याय के अन्तिम खण्ड में श्रीमद्भगवद्गीता के सांख्ययोग का श्रीरामचरितमानस के सांख्योग पर प्रभाव को प्रस्तुत कर समीक्षा की जायेगा।

अष्टम अध्याय में सन्यास योग को प्रस्तुत किया जायेगा।

नवम अध्याय में प्रकीर्ण को प्रस्तुत किया गया है। जिसे आठ खण्डों में विभक्त किया जायेगा।

इस प्रकार हम देखें कि श्रीमद्भगवद्गीता में निरूपित विभिन्न दार्षनिक तत्वों का श्रीरामचरितमानस में निरूपित विविध दार्षनिक तत्वों पर सम्यक प्रभाव पड़ा है। शोध प्रबन्ध के अन्त में उपसंहार में सर्वेक्षण को प्रस्तुत कर तत्पश्चात् सहायक ग्रन्थानुक्रमाणिका को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्ययन की उपयोगिता-

संस्कृत वाड्मय में श्रीमद्भगवद्गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उपनिषदों में निरूपित भारतीय दर्शन के मूल सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया है। उपनिषदों में निरूपित दार्षनिक तत्वों का श्रीमद्भगवद्गीता में सहज, सरल, सुबोध भाषा में संक्षेप में प्रतिपादन हुआ है। श्रीमद्भगवद्गीता के दार्षनिक सिद्धान्तों ने परवर्ती दार्षनिक ग्रन्थों को भी प्रभावित किया इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता ने गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस को भी अत्यधिक प्रभावित किया। अत: शोधकर्ता ने श्रीमद्भगवद्गीता के दार्षनिक तत्वों का श्रीरामचरितमानस पर प्रभाव एक समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य करने का निश्चय किया ताकि दोनों ही महाकाव्यों में निहित कर्म व उसके सार को जीवनोपयोगी संदर्भो में प्रयुक्त किया जा सके व जनमानस का लाभान्वित किया जा सके।

अध्ययन का परिसीमन-

प्रस्तुत अध्ययन में श्रीमद्भगवद्गीता में निहित दार्शनिक तत्वों का श्रीरामचरित मानस के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने हेतु कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, उपयोग, मोक्षयोग, सोध्योग व सन्यास योग पर आधारित तत्वों का अन्योन्याश्रितता का अध्ययन किया जायेगा यद्यपि दर्शन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। परन्तु प्रस्तुत अध्ययन में केवल इन उपशीर्षकों के अन्तर्गत निहित तत्वों व उनके प्रभाव का ही अत्यन्त किया जायेगा और वह भी केवल श्रीरामचरितमानस महाकाव्य के परिप्रेक्ष्य में है।

संदर्भग्रन्थसूची

क्र.सं.	ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक रचयिता
1.	श्रीमद भगवद्गीता	गीताप्रेस गोरखपुर
2.	श्रीमद्भ गवद्गीता	दीनानाथ दिनेश शास्त्री
3.	गीताज्ञान	स्वामी विश्वतीर्थ
4.	गीतादर्पण	श्री स्वामी आत्मानन्दमुनि
5.	गीता प्रबोध	प्रबोध चतुर्वेदी
6.	गीता प्रवचन	आचार्य विनोबा भावे
7.	गीता रहस्य	लोकमान्य तिलक
8.	भगवद्गीता	डॉङ्क एस. राधाकृष्ण-
9.	भगवद्गीता	चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य
10.	भगवद्गीता	हिन्दी ज्ञानेश्वरी
11.	भगवद्गीता	शांकर शाष्य
12.	भगवद्गीता	गीतार्थ चन्द्रिका स्वामी दयानन्द
13.	भगवद्गीता	मधुसूदनकृत शास्त्रीकृत व्याख्या
14.	भगवद्गीता	संङ्कसत्यव्रत सिद्धान्तालंकार
15.	भगवद्गीता	सातवलेकर

भारतीय सार्वजनिक ऋण और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर इसका प्रभावः एक अध्ययन

नवल किशोर बैठा

विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, एमजेके कॉलेज, बेतिया

सारांश

सार्वजनिक ऋण निश्चित रूप से विभिन्न वित्तीय और आर्थिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्पष्ट जोखिमों को कम करने का प्रयास करता है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी में गिरावट के कारण, या तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है या सरकार के गैर-ब्याज व्यय में कमी होती है या दोनों का संयोजन होता है। यह शोध लेख 2015-2021 से भारत में सार्वजनिक ऋण के मुद्दों, चुनौतियों और प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है। यह लेख विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक ऋण के प्रभाव का अनुमान देता है, जब सरकार सार्वजनिक ऋण बढ़ाने का लक्ष्य बना रही होती है। भविष्य में लिए जाने वाले सार्वजनिक ऋण, पूरे आर्थिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि ऋणदाता को ब्याज का भुगतान किए बिना, कोई भी राष्ट्र, वित्तीय संस्थान, वित्तीय ऋणदाता, विदेशी संस्थान ऋण जारी नहीं कर सकते हैं। अंततः इसका राष्ट्र के आर्थिक विकास पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मूल शब्दः सार्वजनिक ऋण, ऋणदाता, अर्थव्यवस्था, घाटा, सरकार, वित्त।

प्रस्तावना

केंद्र सरकार के ऋण में भारत के समेकित कोष (जिसे सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है) के विरुद्ध अनुबंधित केंद्र सरकार की सभी देनदारियाँ और सार्वजनिक खाते में देनदारियाँ शामिल हैं, जिन्हें अन्य देनदारियाँ कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण को आंतरिक और बाह्य ऋण में वर्गीकृत किया जाता है। आंतरिक ऋण में विपणन योग्य ऋण और गैर-विपणन योग्य ऋण शामिल हैं। विपणन योग्य ऋण में सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ और नीलामी के माध्यम से जारी किए गए ट्रेजरी बिल शामिल हैं।

गैर-विपणन योग्य ऋण में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और चुनिंदा केंद्रीय बैंकों को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल (14-दिवसीय आईटीबी), छोटी बचत के विरुद्ध जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एक्जिम बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियाँ और मुआवजा और अन्य बांड शामिल हैं। अन्य देनदारियों में राज्य भविष्य निधि, रिजर्व फंड और जमा, अन्य खाते आदि के कारण देनदारियां शामिल हैं। केंद्रीय बजट में रिपोर्ट की गई कुल देनदारियों को, केंद्र सरकार के राजकोषीय संचालन के परिणामस्वरूप बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने के लिए समायोजित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, कोविड-19 के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण भारत का सार्वजनिक ऋण अनुपात 17 प्रतिशत अंक बढ़कर लगभग 90% होने का अनुमान है। भारत का सार्वजनिक ऋण अनुपात 1991 से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 70% पर स्थिर रहा है। COVID-19 प्रेरित मंदी ने वैश्विक स्तर पर सरकारी एजेंसियों को बकाया ऋण में योगदान करते हुए अभूतपूर्व स्तर पर खर्च करने के लिए मजबूर किया है। इससे इन नए ऋण स्तरों और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए, ऋण-से-जीडीपी अनुपात (देश के जीडीपी द्वारा विभाजित ऋण स्तर) एक उपयोगी उपाय है।

सार्वजानिक ऋण का अर्थ

"सार्वजनिक ऋण" वह कुल राशि है, जिसमें कुल देनदारियाँ भी शामिल हैं, जो सरकार अपने विकास बजट को पूरा करने के लिए उधार लेती है। इसका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाना है। इस शब्द का इस्तेमाल केंद्र और राज्य सरकारों की समग्र देनदारियों को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी ऋण देनदारियों को राज्यों की देनदारियों से स्पष्ट रूप से अलग करती है"। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, त्ठप् सरकार के लिए बैंकर और सार्वजनिक ऋण प्रबंधक दोनों है। RBI सभी धन, प्रेषण और विदेशी मुद्रा और बैंकिंग लेनदेन को संभालता है। केंद्र सरकार अपना नकद शेष भी RBI के पास जमा करती है।

केंद्र सरकार की देनदारियाँ भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 46 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। हालांकि, अगर सार्वजनिक ऋण की गणना सामान्य सरकारी देनदारियों के रूप में की जाती है, जिसमें राज्यों की देनदारियाँ भी शामिल हैं, तो यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 68 प्रतिशत हो जाता है। केंद्र सरकार अपनी देनदारियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है - भारत के समेकित कोष के विरुद्ध अनुबंधित ऋण, और सार्वजनिक खाता। पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार ने अपने समग्र ऋण मिश्रण में विदेशी ऋणों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक सुविचारित रणनीति का पालन किया है। आंतरिक ऋण समग्र सार्वजनिक ऋण का 93 प्रतिशत से अधिक है। आंतरिक ऋण जो सार्वजनिक ऋण का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, उन्हें आगे दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है - विपणन योग्य और गैर-विपणन योग्य ऋण। सार्वजनिक ऋण के स्रोत दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक), ट्रेजरी बिल, बाहरी सहायता और अल्पकालिक उधार हैं।

समस्या का विवरण

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय सार्वजनिक ऋण की स्थिति का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत की जीडीपी वृद्धि अपेक्षाकृत सशक्त है जबकि सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद बढ़ता सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था की स्थिति को कम करता है। धन का आवंटन और उसका उपयोग देश की शिक्षा और समग्र रोजगार तक पहुँच को सक्षम बनाता है। केंद्र सरकार की प्रमुख निर्णय लेने की शक्ति और स्वतंत्रता देश की शिक्षा, रोजगार और समग्र विकास प्रक्रिया के साथ काफी भिन्न होती है।

सार्वजनिक ऋण का अवलोकन

सार्वजनिक ऋण क्या होता है? सार्वजनिक ऋण भारत के समेकित कोष के विरुद्ध अनुबंधित केंद्र सरकार की कुल देनदारियाँ हैं। इसे आगे आंतरिक और बाह्य ऋण में वर्गीकृत किया जाता है। आंतरिक ऋण को विपणन योग्य और गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियों में वर्गीकृत किया जाता है। विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों में नीलामी के माध्यम से जारी किए गए जी-सेक और टी-बिल शामिल हैं। गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ आदि शामिल हैं। कर और गैर-कर मोर्चे पर खर्च लक्ष्यों और संभावित संसाधन जुटाने के आधार पर, सरकार बजट में वित्तीय वर्ष के लिए अपने उधार कार्यक्रम की घोषणा करती है।

विश्व बैंक के अनुसार, 77% से अधिक ऋण-से-जीडीपी अनुपात लंबे समय में किसी राष्ट्र के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अन्य उपायों के साथ-साथ, वैश्विक निवेशक अपने फंड के लिए गंतव्य देश के बारे में निर्णय लेने के लिए इस अनुपात का उपयोग करते हैं। इसी तरह, भारत सरकार ने 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के रूप में एक नियम लागू किया था। इस अधिनियम में कहा गया है कि सरकार को चरम स्थितियों को छोड़कर 60% पर ऋण-जीडीपी अनुपात बनाए रखना चाहिए। ऋण, अपने आप में बुरा नहीं है।

व्यक्तियों के विपरीत, सरकार को अपने बुढ़ापे के लिए धन बचाने की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए, ऋण रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। जब कोई राष्ट्र विवेक के साथ उधार लेता है और कुशल बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए धन का उपयोग करता है, तो यह तेजी से बढ़ने की अपनी क्षमता में सुधार करता है। इस प्रकार, प्रासंगिक संदर्भ के बिना, ये ऋण संख्याएँ कभी-कभी गलत कारणों से भारी लग सकती हैं। आज कुछ उन्नत राष्ट्रों, जैसे जापान, अमेरिका, आदि ने अपने लोगों की सर्वोत्तम जीवन शैली, दुनिया में सर्वोत्तम बुनियादी ढाँचा पाने के लिए आज के उच्च जीवन स्तर की ओर बढ़ते और बड़े ऋण-जीडीपी अनुपात को देखा है।

आंतरिक सार्वजनिक ऋण बनाम बाह्य सार्वजनिक ऋण

पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार ने अपने समग्र ऋण मिश्रण में विदेशी ऋणों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक उचित रणनीति का पालन किया है। आंतरिक ऋण समग्र सार्वजनिक ऋण का 93% से अधिक है। साथ ही, बाह्य ऋण बाजार ऋण नहीं हैं। उन्हें रियायती दरों पर संस्थागत ऋणदाताओं से जुटाया गया है। इनमें से अधिकांश बाह्य ऋण निश्चित दर वाले ऋण हैं, जो ब्याज दर या मुद्रा अस्थिरता से मुक्त हैं। आंतरिक ऋण जो सार्वजनिक ऋण का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, उन्हें आगे दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है - विपणन योग्य और गैर-विपणन योग्य ऋण। ट्रेजरी बिल (टी-बिल) नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं और विपणन योग्य ऋण की श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल (14 दिनों की परिपक्वता अवधि के साथ), राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों को गैर-विपणन योग्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण-जीडीपी अनुपात

आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव तब शुरू होता है जब राष्ट्रीय ऋण विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी के लगभग 60% और विकसित देशों में लगभग 80% तक पहुँच जाता है, जबकि अन्य कहते हैं कि क्रमशः 40% और 60%, सावधान

रहने के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं और कोई देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा होता है, तो कर बढ़ाने की तुलना में पैसे उधार लेना राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक विकल्प हो सकता है, जो विकास को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि, सरकार के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को एक प्राथमिक अधिशेष (कार्यक्रम व्यय पर कर राजस्व की अधिकता) चलाने में सक्षम होना चाहिए जो एक निर्धारित समय सीमा तक उधार ली गई राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो।

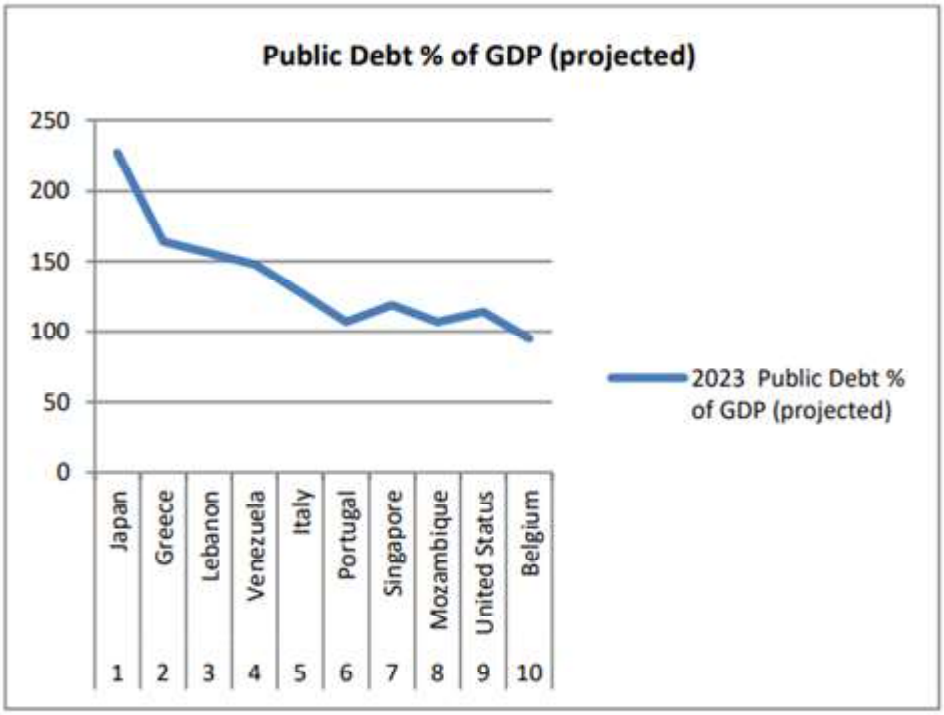

Figure No- 01

व्याख्या जापान सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ऋण से जीडीपी अनुपात 236.18% वाला देश है, ग्रीस 181.78% ऋण से जीडीपी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ऋण वाले देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है। लेबनान का सार्वजनिक ऋण 160.57% है, जीडीपी से ऋण के मामले में अन्य देशों की तुलना में लेबनान की स्थिति भयावह लगती है। देश ऋण की बढ़ती मात्रा में फंसता जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का राष्ट्रीय ऋण 2018 में 156 बिलियन डॉलर था। इटली का राष्ट्रीय ऋण - 127.51%, अगर हम यूरोपीय संप्रभु ऋणों को देश के हिसाब से रैंक करते हैं; इटली ग्रीस के बाद दूसरे स्थान पर है। कुछ एजेंसियों का अनुमान है कि 2020 तक ऋण से जीडीपी अनुपात 135% तक पहुँच जाएगा। पुर्तगाल भी सबसे ज्यादा ऋण वाले यूरोपीय देशों में शामिल है। यह राशि लगभग 300 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। सिंगापुर का राष्ट्रीय ऋण 108. 79%, मोजाम्बिक का राष्ट्रीय ऋण 116.60%, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण 109.45%, बेल्जियम का राष्ट्रीय ऋण 99.08%।

तालिका संख्या-01. 2016-2023 तक भारतीय सार्वजनिक ऋण

SL No	Years	Public Debt in (US$)	Percentage
1	2016-17	1449.48	49.38
2	2017-18	1626.88	55.48
3	2018-19	1809.04	61.69
4	2019-20	2016.73	68.77
5	2020-21	2332.81	79.56
6	2021-22	2628.49	89.64
7	2022-23	2932.18	90

(Sources: Indian Statistics Report 2021)

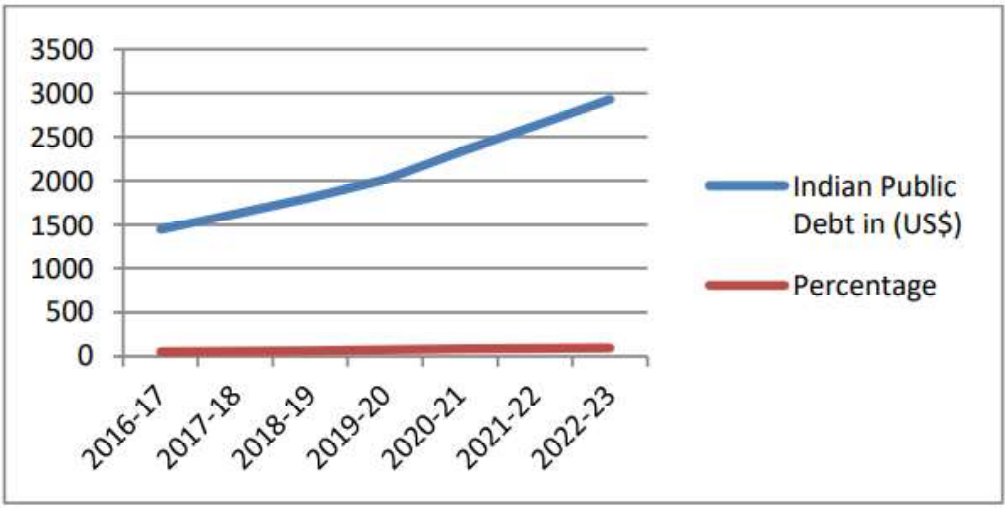

Figure No& 02

व्याख्या

पिछले दशक में वैश्विक ऋण में वृद्धि, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सार्वजनिक ऋण के कारण हुई है। क्योंकि संकट के बाद की मंदी और महामारी की अवधि में सार्वजनिक ऋण ने निजी ऋण की जगह ले ली है। इसका अधिकांश हिस्सा देश में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए गए प्रोत्साहन कार्यक्रमों और मात्रात्मक सहजता नीतियों के कारण हुआ। भारत में ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से कम होने के कारण, सरकार ने 2016–17 से 2022–23 तक सस्ती उधारी लागत का लाभ उठाया। और इसलिए भारतीय सार्वजनिक ऋण लगातार 49.38% से 90% तक बढ़ रहा है। चूंकि पिछले दशक में ब्याज दरें कम रहीं, इसलिए अधिकांश प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने किसी न किसी तरह की मात्रात्मक सहजता नीति अपनाई।

तालिका संख्या-02. भारत का बाह्य ऋण - 2015-2021 (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

Components	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Multilateral	52.4	54.0	54.5	57.2	57.5	60
Bilateral	21.8	22.4	23.2	25.4	25.6	27.2
IMF	5.5	5.6	5.4	5.8	5.5	5.4
Trade creditors	12.6	10.5	9.6	9.5	7.9	7.2
Commercial Borrowings	180.6	180.3	172.4	201.8	206.6	220.3
NRI	115.2	126.9	116.9	126.2	130.4	130.3
Rupees Debt	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0
Short term debt	85.5	83.5	88.1	102.2	106.9	106.9
Short term creditors	81.6	80.0	86.5	100.4	101.4	101.4
Total Debt	**475.0**	**484.8**	**471.3**	**529.3**	**543.1**	**558.5**

(Sources: Indian External Debt Status Reports and RBI Reports from 2015- 2021)

व्याख्या

2015–16 में विदेशी ऋण लगभग 475 US$ बिलियन था। इसका मुख्य कारण गैर–निवासी जमाराशि थी जो 115.2 बिलियन से बढ़कर 130.3 बिलियन हो गई। इसके अलावा, घटक–वार, वाणिज्यिक उधारी सबसे बड़ा घटक बनी रही, यह लगातार 180.6 बिलियन से बढ़कर 220.3 बिलियन हो गई। क्योंकि वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान नए संवितरणों से अधिक रहा। हालांकि, अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर, मार्च 2021 के अंत में कुल बाहरी ऋण में अल्पकालिक ऋण 85.5 से 106.9 US$ बिलियन था। इस प्रकार, अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार अल्पकालिक ऋण US$ 81.6 से बढ़कर 101.4 बिलियन हो गया, बहुपक्षीय उधारी 52.4 से 60 US$ बिलियन हो गई, द्विपक्षीय 21.8 से 27.2 US$ बिलियन हो गई, लेकिन IMF निरंतरता बनाए रखता रहा है।

भारत का विदेशी ऋण उल्लेखनीय स्तर पर बढ़ रहा है और भारत के विदेशी ऋण का आकार वाणिज्यिक उधारों में विस्तारित हुआ है। यह भारतीय विदेशी उधार सार्वजनिक ऋण में पहले स्थान पर है। 2015–2016 से कुल वाणिज्यिक उधार 180.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 2016–17 में घटकर 180.3 बिलियन हो गया, 2017–18 में फिर घटकर 172.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, लेकिन 2018–19 में भारी बदलाव आया और अधिकता बढ़कर 201.8 हो गई, 2019–20 में 206.6 बिलियन की वृद्धि हुई, और 2020–21 से 31 मार्च तक बढ़कर 220.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारतीय सार्वजनिक ऋण के मुद्दे, चुनौतियाँ और वर्तमान स्थिति

कोविड–19 के जवाब में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और कर राजस्व तथा आर्थिक गतिविधियों में गिरावट ने सार्वजनिक ऋण अनुपात में 17 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है। अनुमान है कि 2021 में यह अनुपात स्थिर हो जाएगा, तथा 2025 में प्रक्षेपण अवधि के अंत तक धीरे–धीरे घटेगा। भारत में सार्वजनिक ऋण का पैटर्न दुनिया भर में मानक के करीब है।

यह ऋण–जीडीपी अनुपात एक मीट्रिक है जो किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से करता है। इसे अक्सर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी देश पर बकाया (ऋण) की तुलना उसके उत्पादन (जीडीपी) से करके, ऋण–जीडीपी अनुपात किसी विशेष देश की अपने ऋणों का भुगतान करने की क्षमता को विश्वसनीय रूप से इंगित करता है। उच्च ऋण–जीडीपी अनुपात वाले देश को आम तौर पर सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करने में परेशानी होती है।

1991 के आर्थिक उदारीकरण सुधारों के बाद से भारत दुनिया में विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 1991 से 2019 के बीच वास्तविक जीडीपी वृद्धि औसतन 6.5% रही और उस अवधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी चार गुना बढ़ गई। वास्तविक जीडीपी की गणना इस तरह से की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कीमतों के एक निश्चित स्थिर सेट पर किया जाता है। दूसरी ओर, नाममात्र जीडीपी, मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य है। इस प्रभावशाली विकास प्रदर्शन ने लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। अत्यधिक गरीबी दर, जिसे उन लोगों के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिनकी आय क्रय शक्ति समता (अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा) पर प्रति दिन +1.90 से कम है, 1993 में 45% से गिरकर 2015 तक 13% हो गई।

पानी और स्वच्छता, बिजली और सड़कों तक पहुँच में काफी सुधार हुआ है। निकट भविष्य में, गरीबों और कमजोरों की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राजकोषीय कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही एक अविश्वसनीय मध्यम अवधि की राजकोषीय समेकन योजना भी होनी चाहिए जो बाजार के विश्वास और संरचनात्मक सुधारों को सुदृढ़ कर सके जो भारत की विकास क्षमता को बढ़ावा दे। स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और पोषण पर कोविड–19 के प्रभाव ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को और भी अधिक जरूरी बना दिया है। मैक्रोइकॉनोमिक और वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण आवश्यक शर्तें हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, कोविड–19 के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण भारत का सार्वजनिक ऋण अनुपात 17 प्रतिशत अंक बढ़कर लगभग 90% होने का अनुमान है। भारत का सार्वजनिक ऋण अनुपात 1991 से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 70% पर स्थिर बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार, मार्च 2019 के अंत तक केंद्र सरकार की कुल देनदारियाँ 84.7 लाख करोड़ रुपये थीं और इनमें से 90 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण था। सामान्य सरकारी ऋण (जीजीडी)–जीडीपी अनुपात जिसमें केंद्र और राज्यों का संयुक्त ऋण शामिल है, 67.4% है।

सुझाव

1. भारत को बाहरी उधारी कम करनी चाहिए क्योंकि इसका देश में समग्र विकासात्मक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है।
2. वाणिज्यिक उधारी बढ़ रही है; इसे कम किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी ब्याज दर अधिक है।
3. एनआरआई देश को अधिक ऋण दे रहे हैं, भविष्य में इसका आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा, इसे प्रभावी उधारी नीतियों के निर्माण के माध्यम से कम किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो भारी वित्तीय घाटे का सामना कर रही है, जब सामाजिक और आर्थिक विकासात्मक प्रक्रिया में लगातार बढ़ती जरूरतें, देश के सामान्य सार्वजनिक राजस्व जैसे कर, शुल्क, फीस, राजकोषीय राजस्व, संपत्ति और उद्यम राजस्व और दंड से पर्याप्त नहीं हैं। इन व्ययों के अलावा, देश को अपने प्रमुख बुनियादी ढांचे के निवेश, युद्ध, वित्तपोषण, प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक संकट और बजट घाटे के लिए उधार लेना पड़ता है। सार्वजनिक उधारी ने इस प्रक्रिया में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की है। इस प्रक्रिया के कारण परिपक्वता के अनुसार अलग-अलग ऋण उधार लिए गए हैं - जिन्हें अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि में विभाजित किया गया है, संसाधनों के अनुसार - आंतरिक और बाह्य ऋण, और स्वैच्छिकता के अनुसार - स्वैच्छिक और अनिवार्य ऋण। इस प्रकार, उधार लेने से पूरी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया है, जल्द ही देश को अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ को खत्म करने के तरीके और साधन तलाशने होंगे।

संदर्भ

[1] Acharya, V. (2020). Quest for Restoring Financial Stability in India. Sage Publications: India.

[2] Reinhart, C. M. and Sbrancia, M. B. (2015). The Liquidation of Government Debt. Economic Policy, 30(82):291–333.

[3] Mohanty, R. K. and Panda, S. (2019). How Does Public Debt affect the Indian Macro economy? A Structural VAR Approach. Working Papers 19/250, National Institute of Public Finance and Policy

[4] Mohan, R. (2007). State of the economy. In Kapila, R. and Kapila, U., editors, Economic Developments in India, volume 110, and chapter 4: State of the Economy, pages 71–108. Academic Foundation, New Delhi, India

[5] Hall, G. J. and Sargent, T. J. (2011). Interest Rate Risk and Other Determinants of Post-WWII US Government Debt/GDP Dynamics. American Economic Journal: Macroeconomics, 3(3):192– 214.

[6] Indian External debt Status Reports from 2015, 2016 and 2017

[7] RBI Annual r Reports from 2015, 2016-2017.2018, 2019, 2020 and 2021

[8] Indian statistical department Annual reports, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021

बौद्ध स्थलों के उत्थान में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का अवलोकन

डॉ० सोनाली सिन्हा

इतिहास विभाग

सारांश

भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान केवल एक धार्मिक जागृति नहीं, बल्कि एक गहन सामाजिक आंदोलन का परिणाम था, जो विशेष रूप से जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के विरोध में उभरा। यह शोध बौद्ध स्थलों के पुनरुत्थान को जातिगत दमन के खिलाफ खड़े होने वाले सामाजिक वर्गों की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है।[1] डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलित समाज ने बौद्ध धर्म को एक विकल्प के रूप में अपनाया, जिससे न केवल धार्मिक पहचान बदली, बल्कि बौद्ध स्थलों का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी पुनः स्थापित हुआ। बौद्ध स्थलों जैसे नागपुर (दीक्षा भूमि), कुशीनगर, सारनाथ, और बोधगया में दलित समाज की भागीदारी ने इन स्थलों को नव-सामाजिक चेतना के केंद्रों में बदल दिया। यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे इन स्थलों का उत्थान सामाजिक समानता, आत्म-सम्मान और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का माध्यम बना।[2]

शब्द कुंजी- बौद्ध धर्म, दलित समाज, नव-सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, अभिव्यक्ति

परिचय

भारत एक प्राचीन सभ्यता है जहाँ अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ विकसित हुई। बौद्ध धर्म, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित हुआ, उस समय की सामाजिक असमानता और ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के विरोध में एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में उभरा।[3] बुद्ध ने समता, करुणा और अहिंसा पर आधारित समाज की कल्पना की, जहाँ व्यक्ति की पहचान उसके कर्म और आचरण से होती थी, न कि जन्म से। हालाँकि, समय के साथ भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता गया और मध्यकाल तक यह लगभग विलुप्त हो गया। लेकिन औपनिवेशिक काल और विशेष रूप से आधुनिक युग में, जब जातिगत शोषण और सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर थे, तब बौद्ध धर्म को फिर से एक सामाजिक मुक्ति के उपकरण के रूप में देखा जाने लगा। विशेष रूप से डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को दलित समाज के आत्म-सम्मान और सामाजिक समानता की ओर एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया।[4] उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, जिससे बौद्ध स्थलों का सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पुनरुत्थान हुआ। इस संदर्भ में, बौद्ध स्थलों-जैसे बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, और दीक्षा भूमि (नागपुर) को केवल धार्मिक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया गया। इन स्थलों पर दलित और वंचित वर्गों की उपस्थिति और भागीदारी ने इन स्थानों को सामाजिक चेतना के केंद्र में ला खड़ा किया। यह अध्ययन जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता की पृष्ठभूमि में बौद्ध स्थलों के उत्थान की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। यह यह भी दर्शाता है कि कैसे बौद्ध स्थलों का पुनरुद्धार महज एक धार्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक गहन सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का द्योतक है, जो भारत में समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं को दर्शाता है।[5] भारत एक प्राचीन और विविधतापूर्ण सभ्यता है, जहाँ हजारों वर्षों से अनेक धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराएँ पनपीं और विकसित हुई। वैदिक काल से लेकर आज तक भारत में धर्म और समाज की परिभाषाएँ लगातार बदलती रही हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत के धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास में एक क्रांतिकारी दौर था। यह वह काल था जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरम पर थी और समाज जातियों में बंट चुका था।[6] वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों को उनके जन्म के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इस व्यवस्था में शूद्रों और तथाकथित श्अवर्णोंश को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक अधिकारों से वंचित रखा गया था।[7] इसी सामाजिक पृष्ठभूमि में गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, किंतु उन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागकर ज्ञान की खोज की। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद उन्हें बोधगया में 'ज्ञान' की प्राप्ति हुई और उन्होंने 'मध्यम मार्ग' के सिद्धांत के माध्यम से जीवन की पीड़ा और उसके निवारण का मार्ग बताया। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि सभी प्राणी दुःख में हैं और दुःख का मूल कारण 'तृष्णा' है। बौद्ध धर्म का मूल दर्शन 'चार आर्य सत्य' और 'आष्टांगिक मार्ग' पर आधारित है, जो मनुष्य को आचार, विचार और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है।[8] बुद्ध ने जिस समाज की कल्पना की, वह पूर्णतः समतावादी था। उसमें किसी भी प्रकार का जन्म आधारित भेदभाव नहीं था। उन्होंने कहा-

"न जातिमया ब्राह्मणो, न जातिमया होता"

(अर्थात कोई व्यक्ति केवल जन्म के कारण ब्राह्मण या पुजारी नहीं बनता।)

बुद्धने कर्म को व्यक्ति की श्रेष्ठता का आधार बताया – न कि उसका जन्म। उनके संघ (संगठन) में स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-शूद्र, अमीर-गरीब सभी को बराबरी का स्थान मिला। इस कारण बौद्ध धर्म उन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ जो वैदिक कर्मकांडों और जातिगत भेदभाव से पीड़ित थे। बौद्ध धर्म ने केवल धार्मिक दृष्टिकोण ही नहीं बदला, बल्कि सामाजिक सोच में भी क्रांति लाई।[9] इसने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहाँ करुणा, अहिंसा, नैतिकता और समता को सर्वोपरि माना गया। इसके परिणामस्वरूप, बौद्ध धर्म ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के अन्य देशों में भी व्यापक प्रभाव डाला। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा इसे राजधर्म के रूप में अपनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि यह धर्म केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनैतिक रूप से भी प्रासंगिक था।[10] हालांकि, समय के साथ बौद्ध धर्म भारत में धीरे-धीरे लुप्त होने लगा, और जातिवादी सोच ने फिर से समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। लेकिन आधुनिक युग में, विशेष रूप से 20वीं शताब्दी में, जब भारत में सामाजिक असमानता और दलित शोषण अपने चरम पर था, तब डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने बौद्ध धर्म को सामाजिक मुक्ति और आत्मसम्मान का मार्ग माना। उन्होंने यह माना कि जिस धर्म में समानता, तर्क और करुणा का स्थान हो, वही समाज के वंचित वर्गों के लिए न्याय और आत्मगौरव का माध्यम बन सकता है।[11]

भारत एक प्राचीन और विविधतापूर्ण सभ्यता है, जहाँ हजारों वर्षों से विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराएँ विकसित होती आई हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय समाज में धर्म और सामाजिक संरचनाएँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी रही हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का कालखंड भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह वह समय था जब समाज कठोर जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के अधीन था। जन्म आधारित असमानता, शूद्रों और तथाकथित श्अवर्णोंश के शोषण और धार्मिक अनुदारता ने समाज को गहरे विभाजन में डाल दिया था। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि में एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ।[12]

गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय कुल में, लुम्बिनी (वर्तमान नेपाल) में हुआ था। उन्होंने राजसी जीवन को त्यागकर सत्य की खोज में संन्यास लिया। वर्षों की कठोर तपस्या, ध्यान और आत्मचिंतन के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ष्ज्ञानष् की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने जो शिक्षाएँ दीं, वे तत्कालीन समाज की रूढ़ियों और भेदभाव के विरुद्ध थीं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया कि जीवन दु:ख से भरा है, और इस दु:ख का कारण मनुष्य की श्तृष्णाश (इच्छा, लोभ और मोह) है। उन्होंने इस पीड़ा से मुक्ति के लिए 'चार आर्य सत्य' और 'आष्टांगिक मार्ग' का दर्शन प्रस्तुत किया।[13]

बुद्ध का चार आर्य सत्य (Four Noble Truths) हैं:

1. जीवन दु:खमय है (दु:ख)
2. दु:ख का कारण तृष्णा है (समुदय)
3. तृष्णा का नाश संभव है (निरोध)
4. इस नाश का मार्ग 'आष्टांगिक मार्ग' है (मार्ग)

आष्टांगिक मार्ग – जो बुद्ध की शिक्षाओं का व्यावहारिक पक्ष है – आठ अंगों पर आधारित है:

1. सम्यक दृष्टि
2. सम्यक संकल्प
3. सम्यक वाक
4. सम्यक कर्म
5. सम्यक आजीविका
6. सम्यक प्रयास
7. सम्यक स्मृति
8. सम्यक समाधि

बुद्ध ने 'मध्यम मार्ग' का संदेश दिया, जो न तो अत्यधिक विलासिता का पक्षधर था, न ही अतिशय तपस्या का। यह एक संतुलित, विवेकपूर्ण और नैतिक जीवन शैली को अपनाने का आह्वान था।[14] उन्होंने धर्म को आडंबरों से मुक्त कर आत्मनिरीक्षण, नैतिकता और करुणा पर केंद्रित किया। बुद्ध की शिक्षाएँ सामाजिक समानता की नींव पर आधारित थीं ख़ जहाँ कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या हीन नहीं, बल्कि उसके कर्म और आचरण से उसका मूल्यांकन होता है।[15] यही कारण था कि बौद्ध धर्म ने न केवल सामाजिक दृष्टि से

हाशिए पर खड़े वर्गों को आत्मसम्मान प्रदान किया, बल्कि उनके लिए मुक्ति और गरिमा का रास्ता भी खोला। बौद्ध संघ की स्थापना कर बुद्ध ने स्त्री-पुरुष, गरीब-अमीर, ब्राह्मण-शूद्र सभी को धर्मपालन और आत्मिक विकास के लिए समान अवसर दिया। उनके समय में और उसके बाद भी बौद्ध धर्म ने व्यापक जनसमूहों को आकर्षित किया और समाज में सुधारवादी आंदोलन के रूप में कार्य किया।[16] बौद्ध धर्म का यह समतामूलक दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर तब जब हम जातिगत विषमता और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों से जूझते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित स्थलों ने एक ऐसे समाज की कल्पना को साकार किया जो न्याय, शांति और करुणा पर आधारित हो।

अध्ययन का महत्त्व

भारत में जाति व्यवस्था सदियों से सामाजिक संरचना का एक कठोर और विभाजक पहलू रही है, जिसने समाज को जन्म आधारित वर्गों में बाँट दिया।[17] इस व्यवस्था के कारण निचली जातियों, विशेषकर दलितों और तथाकथित 'अवर्णों', को धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक अवसरों से वंचित रखा गया। ऐसे में बौद्ध धर्म, जो समता, करुणा और अहिंसा पर आधारित है, एक वैकल्पिक और मुक्ति-सूचक मार्ग बनकर सामने आया। यह अध्ययन इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उससे जुड़े स्थलों का पुनरुत्थान, विशेषकर आधुनिक भारत में, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सशक्त सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरा। बौद्ध स्थलों जैसे दीक्षा भूमि (नागपुर), सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है।[18] यह अध्ययन यह समझने में सहायक होगा कि कैसे इन स्थलों ने सामाजिक रूपांतरण, दलित चेतना और आत्म-सम्मान के विकास में भूमिका निभाई। विशेष रूप से डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की स्वीकृति और जन-धर्मांतरण के माध्यम से इन स्थलों ने एक नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया।[19] इस शोध का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करना नहीं, बल्कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाना है- क्या आज भी बौद्ध स्थलों की भूमिका उतनी ही प्रभावशाली है? क्या ये स्थल सामाजिक समरसता के केंद्र बन पाए हैं? यह अध्ययन इन प्रश्नों के उत्तर खोजने और सामाजिक न्याय की दिशा में नई सोच उत्पन्न करने का प्रयास करता है। अत: यह अध्ययन ऐतिहासिक, दार्शनिक और सामाजिक तीनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धर्म और समाज के उस अंतर्संबंध को उजागर करता है, जहाँ आस्था, प्रतिरोध और पुनर्निर्माण एक साथ चलते हैं। यह उन आवाजों को स्थान देता है, जो सदियों तक दबा दी गई थीं, और यह दिखाता है कि धार्मिक स्थल केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति के प्रतीक भी हो सकते हैं। भारत में जाति व्यवस्था एक सामाजिक संरचना के रूप में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है, जो जन्म के आधार पर लोगों को ऊँच-नीच की श्रेणियों में विभाजित करती है।[20] यह व्यवस्था विशेष रूप से ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च और शूद्रों एवं 'अवर्णों' को सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। समय के साथ यह व्यवस्था केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक भी बन गई, जिसने शोषण और भेदभाव को वैधता प्रदान कर दी। इस व्यवस्था का सबसे अधिक दुष्प्रभाव दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों पर पड़ा, जिन्हें मंदिरों में प्रवेश, शिक्षा प्राप्ति, सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग, और यहां तक कि मानव गरिमा से भी वंचित कर दिया गया। उनका जीवन पीड़ा, अपमान और अन्याय का प्रतीक बन गया। इस पृष्ठभूमि में, बौद्ध धर्म एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में उभरा, जिसने मनुष्य की समानता, करुणा और अहिंसा को अपने मूल सिद्धांतों में स्थान दिया।[21] गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म का मूल संदेश था कि प्रत्येक प्राणी समान है और दु:ख से मुक्ति केवल जन्म नहीं, बल्कि आचरण और आत्मिक साधना से प्राप्त होती है। बुद्ध ने कर्म और नैतिकता को प्राथमिकता दी तथा जाति या वर्ग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, बौद्ध धर्म ने उन वर्गों के लिए आशा का द्वार खोला जो सदियों से अपमान और तिरस्कार झेलते आ रहे थे। आधुनिक भारत में, विशेषकर 20वीं शताब्दी के मध्य में, यह विचार पुन: जीवंत हुआ जब डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारक ने बौद्ध धर्म को दलित समुदाय के सामाजिक और आत्मिक उत्थान का माध्यम बनाया। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर न केवल एक धार्मिक, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। इस आंदोलन ने बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों जैसे बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, नागपुर की दीक्षा भूमि, और चंपारण का बौद्ध स्तूप को महज धार्मिक तीर्थस्थलों से आगे बढ़ाकर सामाजिक चेतना के केंद्रों में बदल दिया। इन स्थलों पर अब दलित समुदाय की सक्रिय उपस्थिति है, जो उन्हें न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा देती है, बल्कि सामाजिक सम्मान और ऐतिहासिक पहचान का भाव भी प्रदान करती है। यह अध्ययन इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि किस प्रकार बौद्ध धर्म के उत्थान और बौद्ध स्थलों के पुनरुत्थान ने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सशक्त सामाजिक आंदोलन का रूप लिया। ये स्थल आज उन आवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें इतिहास में मौन कर दिया गया था। वे अब न केवल धार्मिक पर्यटन के स्थल हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, आत्मगौरव और सामूहिक स्मृति के प्रतीक भी बन चुके हैं। इसलिए यह अध्ययन न केवल धार्मिक पुनरुत्थान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, न्याय की अवधारणा, और दलित अस्मिता के विकास को समझने की दिशा में भी एक मूल्यवान प्रयास है।

साहित्य समीक्षा

बौद्ध धर्म का सामाजिक प्रभाव और उसके पुनरुत्थान में जाति व्यवस्था की भूमिका को लेकर अनेक विद्वानों और शोधकर्ताओं ने समय-समय पर गहन अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। इस विषय की बहुआयामी प्रकृति के कारण यह धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इस साहित्य समीक्षा में हम उन प्रमुख कृतियों और दृष्टिकोणों का विश्लेषण करेंगे जो इस शोध को पृष्ठभूमि और संदर्भ प्रदान करते हैं।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर की "The Buddha and His Dhamma" (1957):

यह ग्रंथ आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म के नवजागरण का मूल आधार है। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति का माध्यम बताया। उन्होंने बताया कि जातिगत भेदभाव से मुक्ति का मार्ग बुद्ध की शिक्षाओं में ही है। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए बौद्ध धर्म को एक सक्रिय सामाजिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करती है।

गेल ओमवेट (Gail Omvedt) - "Buddhism in India: Challenging Brahmanism and Caste" (2003):

ओमवेट ने अपने कार्य में यह दर्शाया कि किस प्रकार बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था को वैचारिक चुनौती दी। उनके अनुसार, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध की प्रक्रिया है, जिसमें बौद्ध स्थल भी प्रतिरोध और अस्मिता के प्रतीक बनते हैं।

सूरज येंगड़े – "Caste Matters" (2019):

हालाँकि यह पुस्तक मुख्यत: जाति व्यवस्था पर केंद्रित है, लेकिन इसमें अंबेडकरवाद और नवबौद्ध आंदोलन का भी उल्लेख मिलता है। लेखक ने बौद्ध स्थलों को दलित अस्मिता के प्रतीक स्थल बताया है, जहाँ वचचतमेमक वर्गों ने अपने इतिहास को पुनर्परिभाषित किया।

एन. जी. रंगनाथन – "Revival of Buddhism in Modern India":

इस शोध लेख में बताया गया है कि कैसे आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार एक सुनियोजित आंदोलन था, जो सामाजिक समानता और न्याय की माँग से प्रेरित था। लेखक ने दीक्षा भूमि, सारनाथ और बोधगया जैसे स्थलों के सामाजिक महत्व को रेखांकित किया है।

यूनेस्को और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के प्रकाशन:

इनमें बौद्ध स्थलों के भौतिक विकास, संरक्षण और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि ये तकनीकी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, परंतु इनमें सामाजिक सहभागिता और इन स्थलों के महत्व का संकेत भी मिलता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, जिसने भारत में सामाजिक असमानता को जन्म दिया और उसे बनाए रखा।
- यह विश्लेषण करना कि बौद्ध धर्म ने जाति आधारित भेदभाव का किस प्रकार विरोध किया और कैसे उसका दर्शन सामाजिक समता, करुणा और न्याय पर आधारित है।
- आधुनिक भारत में बौद्ध स्थलों (जैसे दीक्षा भूमि, बोधगया, सारनाथ आदि) के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया को समझना।
- यह अध्ययन करना कि डॉ. भीमराव अंबेडकर और नवबौद्ध आंदोलन ने किस प्रकार इन स्थलों को दलित अस्मिता और सामाजिक आंदोलन के प्रतीक के रूप में स्थापित किया।
- बौद्ध स्थलों की भूमिका को पहचानना एक सामाजिक चेतना, आत्म-सम्मान और समावेशी पहचान के केंद्र के रूप में।
- यह विश्लेषण करना कि बौद्ध स्थलों के उत्थान ने आधुनिक भारत में सामाजिक संरचना, पहचान और संघर्ष की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया।
- यह समझना कि क्या बौद्ध स्थल आज केवल धार्मिक पर्यटन स्थल बनकर रह गए हैं, या वे अब भी सामाजिक न्याय और समानता के सशक्त प्रतीक हैं।

अध्ययन की परिकल्पना

1. भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के विरोध में बौद्ध धर्म एक प्रभावशाली वैकल्पिक विचारधारा के रूप में उभरा।
2. बौद्ध स्थलों का उत्थान केवल धार्मिक जागृति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और दलित अस्मिता के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है।
3. डॉ. अंबेडकर द्वारा नवबौद्ध आंदोलन के माध्यम से बौद्ध स्थलों को दलित समुदाय के लिए आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया।
4. आधुनिक भारत में बौद्ध स्थलों की भूमिका केवल तीर्थस्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक समरसता, समानता और मानवाधिकार चेतना के केंद्र बन चुके हैं।
5. बौद्ध स्थलों के प्रति दलित समुदाय की बढ़ती आस्था और जुड़ाव, उनके ऐतिहासिक बहिष्करण के विरुद्ध एक सांस्कृतिक प्रतिरोध का रूप है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भारत में जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसने लाखों लोगों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा।[22] विशेष रूप से दलित और वंचित वर्गों के लिए यह व्यवस्था शोषण और अपमान का प्रतीक रही है।[23] ऐसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म का उदय और आधुनिक काल में उसका पुनरुत्थान केवल एक धार्मिक बदलाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखा जाना चाहिए।[24] गौतम बुद्ध की शिक्षाएँ – जो करुणा, समता, और अहिंसा पर आधारित थीं – ने सामाजिक असमानता के विरुद्ध वैचारिक और नैतिक शक्ति प्रदान की। डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने और लाखों दलितों को उस राह पर ले जाने से यह धर्म एक बार फिर वंचितों की आवाज और अस्मिता का प्रतीक बन गया। बौद्ध स्थलों ख़ विशेष रूप से दीक्षा भूमि (नागपुर), बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर– का पुनरुत्थान इस आंदोलन का भौतिक और सांस्कृतिक रूप है। आज ये स्थल न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान, और ऐतिहासिक प्रतिरोध के प्रतीक बन चुके हैं। इन स्थलों पर होने वाले सामाजिक जमावड़े, धर्म–दीक्षा समारोह, स्मृति–समारोह आदि यह दर्शाते हैं कि यह आंदोलन आज भी जीवित और प्रासंगिक है।[25]

सुझाव

शोध और शिक्षा में समावेश: विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में बौद्ध धर्म और नवबौद्ध आंदोलन से जुड़े विषयों को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी इस विरासत को समझ सके।

1. बौद्ध स्थलों का संरक्षण और संवर्धन: सरकार और सामाजिक संगठनों को मिलकर बौद्ध स्थलों के विकास, संरक्षण और उनके सामाजिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए।
2. सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा: बौद्ध स्थलों पर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और दलित साहित्य, इतिहास, संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
3. जनभागीदारी और नेतृत्व: दलित समुदाय के लोगों को इन स्थलों के प्रबंधन, नेतृत्व और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी दी जानी चाहिए ताकि उनकी पहचान और अधिकार दोनों सशक्त हों।
4. मीडिया और साहित्य में प्रतिनिधित्व: बौद्ध स्थलों और उनसे जुड़ी सामाजिक चेतना को फिल्म, नाटक, लेख और वृत्तचित्रों के माध्यम से मुख्यधारा में लाया जाए, जिससे उनकी प्रासंगिकता समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
5. आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण: जिन समुदायों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएं ताकि सामाजिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक न्याय भी स्थापित हो सके।

संदर्भ–सूची

1. कुमार, S- (2019). जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का बौद्ध स्थलों पर प्रभाव. भारतीय समाजशास्त्रिका 42(3), 123–145.
2. शर्मा, R- (2018). बौद्ध धर्म और जाति व्यवस्था: सामाजिक असमानता की जड़ें. धार्मिक अध्ययन पत्रिका, 25(4), 77–92.
3. रॉय, P- (2020). भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान और जातिवाद. धार्मिक इतिहास, 16(2), 54–68.
4. तिवारी, A- (2017). जातिवाद और बौद्ध स्थलों के उत्थान में सामाजिक संरचनाएं. सामाजिक परिवर्तन 21(1), 112–130.
5. सिंह, N- (2021). बौद्ध स्थलों पर जाति आधारित असमानताएँ: एक सांस्कृतिक विश्लेषण. इतिहास और समाज 19(3), 155–172.

6. शुक्ला, M- (2019). बौद्ध धर्म में जाति और सामाजिक असमानता: ऐतिहासिक दृष्टिकोण. संस्कृतिपरक अध्ययन, 13(2), 89-103.
7. गुप्ता, A- (2018). जातिवाद, बौद्ध धर्म और भारतीय समाज में सामाजिक असमानता. धार्मिक सामाजिकता, 22(4), 145-160.
8. देव, V- (2020). भारत में बौद्ध स्थलों का पुनर्निर्माण और जातिवाद. भारतीय धर्म और समाज 29(1), 91-105.
9. चंद्रा, A- (2022). बौद्ध धर्म में जातिवाद की भूमिका. सामाजिक समीक्षा, 33(2), 114-129.
10. कुमार,P- (2020). बौद्ध स्थलों पर सामाजिक असमानताएँ: एक ऐतिहासिक अध्ययन. धार्मिक अध्ययन 40(1), 68-80.
11. वर्मा,S- (2021). बौद्ध धर्म और सामाजिक असमानता: जातिवाद का प्रभाव. भारत का सांस्कृतिक इतिहास 48(3), 120-134.
12. सिंह, A- (2022). बौद्ध स्थलों के उत्थान में जातिवाद और उसकी चुनौती. समाज और संस्कृति 26(2), 150-165.
13. नायर, P- (2019). बौद्ध स्थलों का पुनर्निर्माण और जाति व्यवस्था की जड़ें. भारतीय धर्म और समाज 27(1), 35-50.
14. जोशी, D- (2020). बौद्ध धर्म और जातिवाद: सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा. भारतीय समाज 16(3), 65-79.
15. मिश्र, K- (2017). बौद्ध स्थलों के उत्थान में जातिवाद और असमानता की भूमिका. इतिहास और संस्कृति 28(4), 101-113.
16. पांडे, R-(2021). बौद्ध धर्म में जातिवाद: इतिहास और समाज. सामाजिक विकास 15(2), 89-104.
17. सिद्धार्थ, B- (2022). बौद्ध स्थलों पर जातिवाद की भूमिका: सामाजिक असमानता का विश्लेषण. धार्मिक सामाजिकता 11(4), 143-157.
18. आरोड़ा, V- (2018). जातिवाद और बौद्ध धर्म में असमानताएँ. भारत का धार्मिक इतिहास 30(2), 77-90.
19. वागले, A- (2020). बौद्ध स्थलों के उत्थान में जाति व्यवस्था का प्रभाव. समाजशास्त्रिक अध्ययन 14(1), 50-62.
20. कश्यप, N- (2019). बौद्ध धर्म और भारतीय समाज में जातिवाद. समाज और संस्कृति 19(3), 75-90.
21. चौधरी, H-(2021). बौद्ध धर्म में जातिवाद: एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण. धार्मिक अध्ययन 23(4), 111-125.
22. श्रीवास्तव, A- (2017). बौद्ध स्थलों के उत्थान में जातिवाद का सामाजिक प्रभाव. संस्कृतिकरण अध्ययन 28(2), 93-105.
23. मल्होत्रा, K- (2020). बौद्ध धर्म में जातिवाद: ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य. भारत में समाज 34(4), 87-102.
24. यादव, R-(2019). बौद्ध धर्म और जातिवाद: एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण. धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन 18(1), 110-124.
25. सिंह, R-(2021). बौद्ध स्थलों पर जातिवाद और सामाजिक असमानता का अध्ययन. सांस्कृतिक इतिहास 31(3), 143-156.

चार महाद्वीपों की नदी सी नायिका: कैराली मसाज पार्लर

मनोहर कँवर

शोधार्थी, हिंदी विभाग, जय नारायण व्यास विश्व्वविद्यालय, जोधपुर

शोध सारांश

'कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है।
जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।'

आशा भोसले की यह पंक्तियाँ आज की उभरती हुई महिला शक्ति के लिए उचित लगती है। हमारे समाज में ऐसा ढांचा बनाया गया है जिस में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार पुरुष को दिया गया है। भारतीय परिवार व्यवस्था में कई सारे सुधार किये गये है इसके बावजूद भी महिलाओं को व्यवहारिक तौर पर बराबर का अधिकार नहीं है। विदेशी पृष्टभूमि की नारी में सशक्तिकरण का भाव है। यह भारतीय और पश्चिम की नारी में एक महत्वपूर्ण अंतर है।

Keyword:- प्रवासी साहित्य, स्त्री सशक्तिकरण - चुनौतियाँ , भूमंडलीकरण, आत्मनिर्भरता, जटिल दाम्पत्य ।

कैराली मसाज पार्लर की नायिका का व्यक्तित्व सम्पूर्ण उपन्यास में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला रहा है नैन्सी का व्यक्तित्व पग पग पर अपनी इच्छाओं और जरूरतों के द्वंद्व से लड़ता रहता है और वह अपनी यात्रा को रुकने नहीं देती। उसे मंजिल कब और कहाँ मिलेगी? प्रश्न हमे सोचने को मजबूर करता है। जिस प्रकार नदी आगे बढती रहती है उसी तरह नैन्सी भी। बीते हुए समय के बारे में नहीं सोचती है। वह कहती है- "नोस्टैल्जिया में ही रहने की आदत नहीं है मुझे। भविष्य की भी सोचती हूँ। जो दिन गुजर गए, बीत गए, उनका का क्या सोचना।"[1] नैन्सी संघर्षो के साथ आगे बढ़ती है उसे लगता है जिन्दगी में परिवर्तन आवश्यक है, आगे बढ़ना चाहिए। "मनुष्य के जीवन में पल पल परिस्थितियाँ बदलती रहती है। जिन्दगी हँसाती भी है, हम हर हाल में आगे बढने की चाह रखते है।"[2]

नैन्सी की जिन्दगी में हादसे रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। हादसों का अनुभव और कमजोर न बनाकर और मजबूत बना रहे थे। नैन्सी का अस्तित्व बार बार टूट रहा था लेकिन वह जिन्दगी की गति की रोक नहीं रही थी वह और प्रवाह से नई जिन्दगी की शुरुआत कर रही थी। वह कहती है- "मेरी जिन्दगी की नदी कई भटकी हुई धाराओं में बदल चुकी थी। जहाँ अच्छा वक्त हमें खुशी देता है, वही बुरा वक्त हमें मजबूत बनता है।"[3]

वर्तमान नारी समाज के हर क्षेत्र में करिश्मा दिखाना चाहती है। वह आगे बढने के लिए छटपटा रही है। अपनी अथाह मेहनत और लगन से इतिहास बनाना और बदलना चाहती है। आज की नारी को अपनी जमीन का आकाश होना है, आकाश खुला है, स्वतंत्र है। प्रवासी साहित्य में हम देखते है कि आधुनिक परिवेश में जीवन यापन करने वाली स्त्री के संघर्षो में कोई कमी नहीं है। प्रवासी साहित्य में भी स्त्री विमर्श केन्द्रीय विचारधारा रही है। इस साहित्य में दिखाया गया है कि स्त्री की चेतना कभी मरती नहीं, उसकी हिम्मत हमेशा जगी रहती है, यह स्त्री अस्तित्व के अनिवार्य है। पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कार बीच टकराहट, स्त्री मनोविज्ञान को अर्चना पैन्यूली में हमारे समक्ष बखूबी प्रस्तुत किया है।

अर्चना पैन्यूली ने इस उपन्यास में एक ऐसे चरित्र को सृजित किया है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, अपने जीवन के आत्मविश्लेषण के साथ अपनी बयानी प्रस्तुत करने वाली, निर्णय की स्वतंत्रता रखने वाली आदि विशेषताएँ नायिका में दिखाई देती है। कमल किशोर गोयनका ने 'कैराली मसाज पार्लर' को 'आधुनिक मानव सभ्यता के जंजाल में शाश्व्वत मानवीय रिश्तों की कहानी' कहा है और नैन्सी के बारे में कहा है- "एक भारतीय स्त्री अपनी शर्तो पर जीवन जीने के दुराग्रह के कारण पति को बदलती रहती है। उनसे संताने उत्पन्न होती जाती है और वह अपनी खुशी की तलाश में बच्चों की खुशी भूल जाती है। फलत: परिवार विघटित होता रहता है अंत में उसे अपने अहंकार को दबाकर समझौते का रास्ता अपनाना पड़ता है।"[4]

उपन्यास की नायिका के बारे में सरोजिनी नौटियाल का कहना है कि- "नैन्सी अपनी खूबियों - खामियों के साथ एक कर्मठ स्त्री है, जिन्दगी के हर मुकाम पर वह कमर कस कर खड़ी है और जीवन को नए अर्थ देती है। वह एक ऐसी कागज की नाव है जो अंधड़ और तूफानों में गली नहीं है।"[5] भारत में वो एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति को अपने हमसफर रूप में चुनाव करती है लेकिन बाद में वो एक दुराचारी, वासनाभोगी, पादरी होने पर भी किसी भी प्रकार का संयम नहीं और आडम्बरों का पुतला मात्र होता है। आडम्बरों-पाखंडों से मनुष्य, समाज, संस्कृति और जाती की आस्था का खंडन होता है। विदेश में वह व्यक्ति का कर्म देखकर चुनाव करती है। रंग, जाति,

कर्म और संस्कृति भारत में एक नहीं है यह विभाजन विदेशों में भी दिखाई पड़ता है। डेनमार्क जैसे छोटे से देश में भारतीय विभाजित होकर रहते है और अलग अलग खेमों में बंटे हुए रहते हैं अपनी अपनी संस्कृति के उत्सव मनाते हैं। अपनी वैविध्यमय विशेषता से जुड़े हैं।

उपन्यास की नायिका नैन्सी भारत- केन्या-डेनमार्क- भारत-डेनमार्क-अमेरिका-डेनमार्क-भारत- डेनमार्क-बहरीन और कतर-डेनमार्क इत्यादि देशों में जाती है जिससे उपन्यास की पृष्ठभूमि विस्तृत हो जाती है। इस विस्तृत कथा को नैन्सी मसाज के साथ पॉल को बताती है। कहानी तीन दशक की है उस जीवन यात्रा को पुर्वदिप्ती शैली में प्रस्तुत किया है। वह केरल से मोम्बासा पहले पति अब्राहम के साथ जाती है, मोम्बासा से डेनमार्क दुसरे पति लार्स के साथ जाती है, डेनमार्क से वह तीसरे पति मार्को के साथ फरांस, अमेरिका, भारत आदि देशों में जाती है। नैन्सी अपने पुत्र जोशुआ को कहती है- "यह सच है बेटा, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा आदर्श नहीं हूँ। पर तजुर्बे में तो तुझसे ज्यादा हूँ। मैंने चार महाद्वीपों में जिन्दगी जी है। दुनिया की संस्कृति में जितनी विभिन्नता है उससे कहीं ज्यादा समानता है। एक दुसरे के लिए आदर और अपनापन दिखाओ तो सभी अपने हो जाते हैं।"[6]

पुनर्विवाह, जटिल दाम्पत्य जीवन :-

नैन्सी को हम द्रोपदी का दूसरा संस्करण कह सकते है। द्वापर युग में जब द्रोपदी की अस्मिता पर संकट आया था तो साक्षात भगवान् श्री कृष्ण ने आकर उसकी लाज बचाई थी किन्तु इस आधुनिक दौर में दु: शासन और द्रोपदियाँ तो हर देश में है, हर प्रान्त में मौजूद है पर इनकी लाज बचाने वाले भगवान् नदारद है। नैन्सी अपने असफल वैवाहिक जीवन का जिम्मेदार स्वयं को मानती है वो पॉल को कहती है - "मुझे ही अपने भीतर झाँकने की जरूरत है, कमी मुझ में ही है। मैं ऐबों से भरी हूँ।"[7] पति- पत्नी की वैचारिक भिन्नता, अर्थ तंत्र के हावी होने और विवाहेत्तर सम्बन्धों के कारण वैवाहिक सम्बन्धों में टूटन सर्वत्र देखी जा सकती है। अपनी अस्मिता और स्वप्न पुरुष की साथ साथ तलाश करती स्त्री रिश्तों के मायने समझने लगी है।

प्रेम आलौकिक होता है लेकिन विवाह के बाद वह लौकिक हो जाता है जिम्मेदारियों से दोनों को घेर लेता है। भारत में विवाह माता पिता द्वारा की तय किया जाता है उन्हें लगता है- "प्रेम करने वाले अक्सर उन गूढ़ तथ्यों को नजर अंदाज कर देते हैं जो अन्य लोग देखते है।"[8] नैन्सी ने तीन प्रेम विवाह किये लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। सब पतियों ने उसे धोखा दिया पहला व्याभिचारी था तो दुसरे ने उसके साथ मारपीट की और तीसरे ने उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता, स्वतंत्रता नहीं दी, एक एक पैसे को मोहताज थी। पॉल की विवाह के बारे में समझ है-"जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ... शादी की सफलता दो व्यक्तियों पर निर्भर करती है, मगर पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक मानदण्डों और कानूनी नियमों का भी खासा प्रभाव पड़ता हैं।"[9] आज भी समाज में पत्नी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। समस्त संवैधानिक अधिकारों के बावजूद भारतीय संस्कारों में पली बढ़ी स्त्री चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, देशी हो या प्रवासी, पारिवारिक और सामाजिक शोषण का शिकार बनी हुई है।

कभी शारीरिक शोषण तो कभी भावनात्मक शोषण। नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि वहाँ भी कायम हैं किन्तु यह भी सत्य है कि आज की आधुनिक पीढ़ी की नारी की आर्थिक स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत पहचान में अवश्य वृद्धि हुई है जो एक सुखद स्थिति है। विवाह विश्वास के बिना सफल नहीं है। पहला पति अब्राहम व्याभिचारी था। नैन्सी का मानना था कि पति की मौत इतनी तकलीफदेय नहीं होती है जितना विश्वासघात करना। वह पॉल को कहती है - "मेरे पति, एक चर्च के पुजारी, धर्म उपदेशक अश्लील साहित्य पढ़ते हैं! वह दोहरा जीवन जीते है! ...धीरे धीरे मुझे सब पता चल गया ...मेरा पति पक्का वुमनाइजर है। उसे सेक्स की लत है।"[10] मोम्बासा आने पर नैन्सी को लगता है कि अब्राहम के केरल छोड़ने के साथ ही उसके अवैध सम्बन्ध छुट जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी प्रवृति बिलकुल भी नहीं बदली। वह उसको धिक्कारती, उसके सामने रोती, और वो वादे करता, क्षमा मांगता आदि सिलसिला बन गया था। वह कहती है - "धर्म की बात करते हो, तुम्हारे जैसे अधर्मी इंसान तो कोई नहीं होगा। इंसानी खाल में छिपा भेड़िया ! ...तुम भले ही मुझे मौत के घाट उतार दो किन्तु मेरा यह अपमान न करो। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं ही क्या दुनिया की कोई भी पत्नी यह स्वीकार नहीं कर सकती।"[11]

अब्राहम के साथ आठ वर्ष रहने के बाद नये रास्ते की तलाश करती है। उसके भाई नील की अधर्मी पति के बारे में पता था उसका सुझाव था कि वक्त पर उसे छोड़ दे कल के लिए न रखे। उसकी जिन्दगी में दुसरे डेनिश पति लार्स हैनसन आगमन होता। "ऐसे पथभ्रष्ट पति से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई किनारा चाहिए था, और लार्स मुझे पतवार लगा ...पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसानियत चीख उठती है, विद्रोह उठ खड़ा होता है।"[12] यह वह समय था जब नैन्सी के लिए अब्राहम के साथ रहना असहनीय हो गया। कामकाजी स्त्री भी बन गई और उसे प्यार करने वाला भी मिल ग्याव । वह तलाक चाहती थी और उसके कारण भी अब्राहम को बताती है कि हमारा रिश्ता क्यों नहीं रह सकता -"पति हो या पत्नी, दोनों ही यदि शादी के बाहर नाजायज रिश्ता बनाएं, तो शादी में गहरी दरारे पड़ जाती हैं। है न? एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी का दखल बर्दास्त ना करे, जो यह कहे कि उसका एक अलग निजी जीवन है जिसमे पत्नी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो इसी परिस्थिति में क्या शादी अधिक दिनों तक टिकी रह सकती..."[13] नैन्सी को लगता है मुझे अब्राहम

के बीच सब कुछ साझा होना चाहिए मैं उसकी पत्नी हूँ मेरी अवहेलना नहीं कर सकता। यही कुछ कारण रहे है जो नैन्सी और अब्राहम की दाम्पत्य जीवन को सफल नहीं बना पाए।

अब दूसरे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत लार्स के साथ होती है। वह मोम्बासा से डेनमार्क आती है। पॉल भी कहता है मैं भी नीना की वजह से यहाँ आया। पॉल सब कुछ छोड़ने पर भी मेरा प्रेम सफल नहीं हो पाया। वह समय भी आ जाता है जब नैन्सी हिंसा को झेलती है। "एक बार जिस पति का हाथ उठ गया फिर उसका रुकना मुश्किल है। हिंसा एक मानसिक विकार है। जब भी उसे मेरी कोई जरा भी बात अखरती, ले झट से थप्पड़ जड़ देना, मेरे बाल खींचने लग जाना, बांह मरोड़ देना, मुझे धक्का दे देना।"[14] लार्स छोटी छोटी बात को लेकर नैन्सी के प्रति हिंसक हो जाता था। और इस दुर्व्यवहार का जिम्मेदार नैन्सी को ठहराता था। नैन्सी ने इस रिश्ते को बचाने का भरसक प्रयास किया, अपना संशोधन किया, लार्स का दिल जितने की कई अटकलें लगाई लेकिन मारना पीटना बंद नहीं हुआ। नैन्सी की नियति बन गया। लार्स के साथ अब किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा। सम्मान के बिना विवाह का औचित्य नहीं रहता है। हिंसा की अधिकता नैन्सी को अस्पताल व क्रीसेसेंटर पहुंचती है वही दुसरी तरफ लार्स को जेल। क्रीसेसेंटर में जितनी पीड़ित महिलाऐं थी उन सब के बराबर अकेली नैन्सी की पीड़ा थी। "आधे समाज का सच हूँ मैं ....अनगिनत जबावों का प्रश्न हूँ मैं ..... । सभी पीड़िताएँ पति के अमानवीय बर्ताव से त्रस्त...वह आदमी जिससे उन्होंने बड़े चाव से, पुरे समर्पण के भाव से शादी की थी, जिसने सहारा बनना था, उनका रक्षक बनना था, वही उनका भक्षक बना हुआ है।"[15]

दाम्पत्य जीवन में घरेलू हिंसा होने पर पर भी कुछ महिलाएं अपने पति से रक्षात्मक सम्बन्ध महसूस करती है। " हिंसा स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए - और न ही इसे किसी भी हालत में उचित ठहराया जा सकता है। फिर भी हजारों परिवार घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं।"[16] लार्स से अब वह किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहती है। रिश्तों का टूटना दुखदायी होता है लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है - "एक अकेली औरत एक लाचार औरत से बेहतर विकल्प है।"[17] वह चालीस की उम्र में दुसरे दाम्पत्य से मुक्ति पा जाती है यानी दूसरा तलाक लेती है।

तीसरा पति मार्को को अपना हमसफर चुनती है, जो फ्रेंच है। नैन्सी पॉल से कहती है-"काल ने मुझे द्रोपदी का दूसरा संस्करण बना दिया। द्रौपदी को कितनी यातना और लांछना झेलनी पड़ी, मैं खूब समझती हूँ।"[18] नैन्सी स्वयं को आधुनिक द्रौपदी मानती है। मार्को के साथ रहने की अनुभूति और भी नई लगी उसे वह अच्छा लगने लगा। नैन्सी की अब और नये मोड़ से शुरू होने लगी। भारतीय संस्कार होने पर नैन्सी चाहती थी कि मार्को के साथ विवाह बंधन में बंधे। "मैं सम्बन्धों में विवाह का एक रक्षक कवच चाहती थी, और पति का सरनेम अपनाना चाहती थी।"[19] सोच समझ कर नैन्सी मार्को के साथ अपना सम्बन्ध शुरू करती है नैन्सी को लगता है कि अब सारी समस्याओं का समाधान हो गया। लेकिन इस नई जिन्दगी की नई समस्याएँ हैं, नये समझौतें हैं। अंत में सामंजस्य ही रहता है।

परिस्थितियों के अनुसार हम अपना व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं लेकिन परिस्थिति बदलते ही हमारा व्यक्तिगत निर्णय गलत साबित हो जाता है। उसी प्रकार नैन्सी के निर्णय के साथ हुआ कुछ समय बाद लगता है कि मार्को का चुनाव गलत है। बढ़ती उम्र के साथ वह नैन्सी को नापसंद करने लगा और आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया और किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता था। नैन्सी पॉल से कहती है-"उसके अन्दर पनपती ठंडक और रूखापन मैं सहन कर लेती। मगर एक-एक पाई के लिए जो वह मुझे तरसाने लगा था, उस समस्या का क्या करती ...।"[20] नैन्सी का मानना था कि विवाह के बाद पति पत्नी के मध्य अपना पराया नहीं होता है और मार्को का मानना था जो भी है सब मेरा है। नैन्सी उसके पुत्र नील की माँ भी थी मार्को को लगता है यह मेरे जीवन की बड़ी दुर्घटना है। अब इनका असफल दाम्पत्य जीवन तलाक के कगार पर आ गया। लेखिका डेनिश दार्शनिक, सोरेन किर्केगार्ड की विवाह के सम्बन्ध में उक्ति का उल्लेख करती है "एक खराब शादी से मौत भली।"[21] मार्को पहले पतियों से भी खतरनाक निकला। अब्राहम और लार्स ने जो भी किया हो लेकिन मेरे वजूद को नहीं तोडा था। मार्को नैन्सी को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहता था। प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका जेमेंन ग्रीर का मानना है-'पुरुष अगर आज बदला हुआ नजर आता है तो इसलिये नहीं कि वह 'फेमिनिस्ट' (नारीवादी) रवैया अख्तियार कर रहा है- वस्तुतः वह आर्थिक दबावों के कारण उदार नजर आ रहा है।' और यह सच भी है कि औरत की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता ने पुरुष का जीवन कहीं ज्यादा सहज और आसान बनाया है।

पॉल नैन्सी से विवाह के बारे में कहता है- "शादी एक ऐसा संकल्प है, जिस में पति पर पत्नी दोनों के लिए एक दुसरे को समझना और एक दुसरे का सम्मान करना बेहद जरुरी है। यही इस रिश्ते की बुनियाद है। यदि इस रिश्ते में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर साथ रहने है औचित्य नहीं।"22 पॉल के कहने का तात्पर्य है कि विवाह में जब असहनीय स्थिति आ जाती है तो तलाक बेहतर विकल्प है। नीना ने अपने अभी दाम्पत्य जीवन में विषाद और प्रेम दोनों का बराबर अनुभव किया ।

निष्कर्ष :-

'मोती दिल कर देती हैं ये सर्द मौसम का मिजाज, बर्फ के टीलों पे चढ़ती धूप जैसी औरतें
उनके अंदर पक रहा है वक्त का आतिश-फिशाँ, जिन पहाड़ों को ढके हैं बर्फ जैसी औरतें
सैकड़ों ऐसी दुकानें हैं जहाँ मिल जाएंगी, धातु की, पत्थर की, शीशे की, रबर की औरतें'

निष्कर्षत: हम कह सकते है कि बशीर बद्र की यह पंक्तियाँ नेन्सी के विविधता वाले चरित्र का बखान कर रही है। नेन्सी उन सभी स्त्रीयों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका व्यक्तित्व धातु है, पत्थर है, शीशा है, रबर है। नेन्सी अपने भीतर कई किरदार लेकर आगे चलती है। 'कैराली मसाज पार्लर' उपन्यास में हमे लेखिका के चिंतन की गहराई और प्रौढ़ता दिखाई देती है। आधुनिक परिवेश के साथ नारी के जीवन की उभारती नई-नई समस्याओं का आख्यान 'कैराली मसाज पार्लर' उपन्यास है।

संदर्भ-

1. पैन्यूली अर्चना, कैराली मसाज पार्लर , भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020, पृ. 41
2. वही, पृ.44
3. वही, पृ.139
4. वही, पृ.11
5. वही, पृ.12
6. वही, पृ.165
7. वही, पृ.23
8. वही, पृ.32
9. वही, पृ.32
10. वही, पृ.37
11. वही, पृ.49
12. वही, पृ. 62
13. वही, पृ.64
14. वही, पृ.97
15. वही, पृ.109
16. वही, पृ.110
17. वही, पृ.114
18. वही, पृ.140
19. वही, पृ.144
20. वही, पृ.194
21. वही, पृ.197
22. वही, पृ.203

'थाली भर चाँद' कहानी संग्रह में नारी का यथार्थ चित्रण

रामअवतार यादव

शोधार्थी- हिन्दी विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.)
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

वर्तमान में 8वें-9वें दषक की हिन्दी कहानी का उल्लेख सूर्यबाला के कथा साहित्य के बगैर अधूरा माना जाता है। कई लेखिकाएँ बंधी हुई परिपाटी पर चलती हैं। ऐसे समय में बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए सूर्यबाला ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ''इनके लेखन से यह सिद्ध कर दिया कि उनके रचना उत्स सीमित नहीं हैं। 'बोल्ड' होने के नाम पर इधर जो कहानी का पाठक आज भी उस दुनिया की तलाश करता है जो प्रेम और विष्वास दिला सके।''[1]

इनका साहित्य जीवन की विसंगतियों, अन्तर्विरोधों से संघर्ष करते हुए आदमी तक जुड़ाव पाता है। विष्व में इन्होंने अपनी पहचान बनायी है। वर्तमान की महिला लेखिकाओं ने स्त्री की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। जिसके कारण जीवन मूल्यों में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। ''सूर्यबाला ने अपनी कहानियों के द्वारा नारी का षोषण, नारी-मुक्ति, दिशाहीन युवक का चित्रण, भ्रष्टाचार, कामकाजी नारी की समस्याएँ, विदेश का चित्रण, पति-पत्नी के सम्बन्ध आदि विषयों पर सशक्त तथा यथार्थवादी कहानियाँ लिखी हैं।''[2]

'थाली भर चाँद' कहानी संग्रह में नारी का यथार्थ चित्रणः-

यह संग्रह सूर्यबाला का बहुत ही प्रसिद्ध व चर्चित कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन सन् 1988 में हुआ था, जिसमें 16 कहानियों को संकलित किया गया है। इस संग्रह की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि कहानियों के प्रारम्भ में प्रस्तावना के रूप में सूर्यबाला ने हर कहानी के संबंध में अपने विचार पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। इस संग्रह की सम्पूर्ण कहानियाँ किसी वर्ग विशेष के सत्य का उद्घाटन न करके हर व्यक्ति के जीवन सत्य का उद्घाटन करती हैं। यही कारण है कि इस कहानी संग्रह में गाँव, कस्बा, नगर और महानगर में व्याप्त विद्रूपताओं, विसंगतियों, विषमताओं, विवशताओं और असमानता के फेर में उलझे व्यक्ति से सीधा साक्षात्कार करना इन कहानियों की अपनी निजी विशेषताएँ हैं।

'थाली भर चाँद' नामक कहानी संग्रह के संबंध में सुमति अय्यर ने लिखते हुए कहा है कि-''सूर्यबाला के इस नये संग्रह 'थाली भर चाँद' में सोलह कहानियाँ हैं। कथ्य की दृष्टि से एक दूसरे से अलग पर पूरे संग्रह का वैचारिक धरातल सुलझा हुआ है। ये कहानियाँ संबंधों के खोखलेपन, दफ्तरी डिमोशन, प्रमोशन की उठापटक, कस्बाई जद्दोजहद, शहर की संवेदनशून्यता, घर-आँगन से लेकर दफ्तर तक के माहौल का रेशा-रेशा उधेड़ती हैं।''[3] इन्हीं सब के बीच नारी का यथार्थ चित्रण भी उभरकर सामने आया है।

'थाली भर चाँद' संग्रह में 'सूर्यबाला की रचनाओं में करूणा और व्यंग्य साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। कौन-सी कहानी ऐसी है, जिसमें व्यंग्य नहीं है? चाहे 'न किन्नी, न' हो या 'रहमदिल' का रहमान मियां या 'रमन की चाची' या 'पड़ाव' के मियाँ-बीवी, सभी में तो करूणा के साथ एक अजीब व्यंग्य भी है। अजीब इसलिए कि इस व्यंग्य की पहचान आसानी से नहीं होती। कथा-कहानियों की यही तो सिफव है कि व्यंग्य को या तो पचा लेती है या इस कदर जबरन कर लेती है कि भीगा वस्त्र भी दूर बस वस्त्र ही नजर आता है। उसकी आर्द्रता तो उसको छूने पर ही महसूस की जा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि सूर्यबाला ने व्यंग्य लिखने का निर्णय ही इसीलिए लिया हो कि उन्हें लगा हो कि उनका उतना तेज नश्वर भी लोगों को उतना नजर न आ रहा हो क्योंकि कथा भूमि व्यंग्य के छलछलाते स्त्रोत को धार न पकड़ने दे रहा है, अपनी भूरभुरी में गोते ले रहा हो।

न किन्नी, नः-

प्रस्तुत कहानी एक अनाथ व गरीबी में आकंठ डूबी लड़की किरण की है। इस कहानी में सूर्यबाला ने किरण के स्वाभिमान को बहुत ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। जब किरण की मौसी 'आकाश' नामक लड़के के साथ अपनी बेटी 'रोजी' की शादी करवा देती है जबकि किरण उस लड़के को पसंद करती थी लेकिन अपनी लाचारी, विवशता व गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हो पाती है। ''भविष्य की सुरक्षा के लिए कौन आश्वस्त होना नहीं चाहेगा। खास कर एक अकेली औरत।''[4] उधर मौसी उस अवसर को समझकर रोजी की शादी करवा देती है। लेकिन कुछ समय पश्चात् तीसरे प्रसव के समय 'रोजी' की मृत्यु हो जाती है तब मौसी, किरण को उन बच्चों की माँ बनने के लिए कहती है, किरण सहमत हो जाती है। तब मौसी कहती है-''यह ले किन्नी! धूसर आसमान का यह टुकड़ा। जरा इसे धो-पौंछ देगी न तो सुधर-सँवर जाएगा। रोजी ने सिर्फ दस साल ही तो इस्तेमाल किया होगा। मैंने सोचा, इसे तेरे लिए लेती चलूँ। तुम पर खूब फबेगा।

इस प्रकार यह कहानी एक लाचार किन्तु स्वाभिमान से युक्त किरण के व्यवहार और संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण करती है अपनी विवशता के बावजूद भी किरण मौसी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है लेकिन 'आगे नाथ न पीछे पगहा' कहावत के चरितार्थ होने के कारण वह मौसी की बात मान लेती है।

रमन की चाची-

'रमन की चाची' कहानी 'नारी ही नारी को प्रताड़ित करती है'- इस सत्य को उजागर करती है। रमन इस कहानी का नायक जबकि चाची उसकी नायिका है। रमन एक संयुक्त परिवार में रहता था, बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। रमन की सोतेली माँ जो स्वभाव से बहुत खराब थी। दूसरी तरफ रमन की चाची जो उस परिवार में नई नवेली दुल्हन के रूप में आई थी, जो रमन को बहुत ही अच्छे ढंग से रखती थी। रमन भी उसकी परवाह रखता था। चाची सबसे छोटी होने के कारण वह घर का सारा काम करती थी, इतना ही नहीं एक दिन नुकीली वस्तु पर पैर पड़ जाने से चाची का पैर लहूलुहान हो गया इतना ही नहीं चाची की उपेक्षा के कारण चाची के दर्द की भी उपेक्षा की गई। वह घाव धीरे-धीरे नासूर बन गया और वह घाव चाची के जीवन का काल बनकर बैठ गया। रमन इस बात को सुनकर बहुत दु:खी हो जाता है। ''रमन की चाची सचमुच नहीं रही उसका अपना जीवन इस कहानी से भी ज्यादा करूण रहा उसे अपने सच के जीवन में रमन भी नहीं मिला।''[5]

इस प्रकार 'रमन की चाची' कहानी एक लाचार, प्रताड़ित और सताई हुई स्त्री के जीवन का यथार्थ चित्रण करती है जिसे घर की सभी स्त्रियाँ बेलज्जत, बेगैरत और बेशअर कहकर अपमानित करती हैं।

संताप:-

संताप कहानी मानवीय विशेष रूप से स्त्री संवेदनाओं को उजागर करने वाली एक महत्त्वपूर्ण कहानी है। एक माँ के दो बच्चे पानी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परिवार की एक अपंग लड़की अपनी बहादुरी का परिचय देती हुई भाईयों की जान बचाने के लिए कूद जाती है। लेकिन वह उनको नहीं बचा पाती है।

इस कथ्य के माध्यम से लेखक यह समझाना चाहता है कि दु:ख आखिर दु:ख ही होता है। लोग नादानी वश किसी के दु:ख को भी छोटा बड़ा बता देते हैं। जैसा कि उस माँ को सांत्वना देने के लिए आए लोगों के मुँह से सुनने को मिला। जैसा कि इन पंक्तियों में कहा गया है- ''धैर्य रखो, तुम्हारे तो फिर भी दो बच्चे थे, लेकिन उसका तो पति ही चला गया। बात सच थी, सर्वथा तर्क सम्मत, लेकिन यह सुनने के बाद वह माँ जिस अनकहे दर्द से छटपटा रही थी, उसे देखकर लगा था, कितने क्रूर, नहीं बल्कि नादान हैं ये लोग, जो दु:ख के साथ कितनी और चीजों को समेटकर तराजू से तौल-तौलकर बड़े दु:ख और छोटे दु:ख की माँसा कर रहे हैं।''[6] इस प्रकार 'संताप' कहानी में जहाँ माँ की ममता व उसका संतान के प्रति कितना प्रेम होता है, इस जीवन के यथार्थ को इस कहानी में कहानीकार ने प्रस्तुत किया है।

इस संग्रह की 'झील' नामक कहानी भी वर्तमान नारी के यथार्थ का चित्रण करती है। ये नारी के अंतर्जगत् की पड़ताल की कहानी है पति के द्वारा उपेक्षा किए जाने पर उसके अकेलेपन और विद्रोह की भावना को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ उद्घाटित किया गया है। 'सिर्फ मैं' के माध्यम से आधुनिक समाज की नारी की अति स्वच्छंदता को अभिव्यक्त किया गया है। ऐसी नारी जो पति पर अपनी प्रत्येक इच्छा और निर्णय थोपती है मेघा के माध्यम से नारी का यही यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। आधुनिकता के कारण समाज की नारी में स्वार्थ भावना भी उत्पन्न हुई है सूर्यबाला ने नारी के इस नकारात्मक पक्ष को भी बड़ी ही तल्खी के साथ उद्घाटित किया है। 'कहां तक' कहानी नारी के इसी यथार्थ को दिखाती है।

इस प्रकार 'थाली भर चाँद' जो कि सूर्यबाला का प्रसिद्ध व चर्चित कहानी संग्रह है जिसकी अपनी निजी विशेषताएँ हैं। इस प्रसिद्ध कहानी संग्रह में 'रहम दिल, तोहफा, रमन की चाची, पड़ाव, संताप, झील, सिर्फ मैं, कहाँ तक, खोह, कहो ना, थाली भर चाँद, योद्धा, सुम्मी की बात, आदि कहानियाँ समाहित हैं। इस संग्रह की कहानियाँ नारी का यथार्थ चित्रण करते हुए दिखाई देती हैं। जिसको बड़ी ही बेबाकी के साथ सूर्यबाला ने उजागर किया है।

संदर्भ-

1. डॉ. दामोदर खड़से, सूर्यबाला का सृजन-संसार, अमन प्रकाषन, कानपुर, प्रथम संस्करण-2017, पृ. 192
2. डॉ. वसन्त कुमार माली, सूर्यबाला के कथा-साहित्य में युगबोध, विकास प्रकाषन, कानपुर, प्रथम संस्करण-2013, पृ. 57
3. वही, पृ. 69
4. डॉ. सूर्यबाला, 'थाली भर चाँद' सत्साहित्य प्रकाषन, दिल्ली, संस्करण-2020, पृ. 23
5. वही, पृ. 44
6. वही, पृ. 73

भारत - पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम व नीतियों का तुलनात्मक अध्ययनः महाशक्तियों के संदर्भ में

डॉ० मिथिलेश कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सी० एस० एन० (पी०जी०) कालेज, हरदोई (उ०प्र०)

प्रस्तावना

भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध इतिहास, संस्कृति और राजनीति के कई आयामों से प्रभावित होता है। विशेष रूप से, परमाणु कार्यक्रम और उनकी नीतियाँ इस द्विपक्षीय रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। इस लेख में, हम भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की उत्पत्ति, विकास, नीतिगत दृष्टिकोण और इसके प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन का उद्देश्य दोनों देशों की परमाणु नीतियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना और उनके संभावित निहितार्थों का मूल्यांकन करना है।

भारत का परमाणु कार्यक्रम

भारत ने 1940 के दशक में अपनी परमाणु अनुसंधान यात्रा शुरू की। भारत का पहला परमाणु परीक्षण "Leiling Buddha" 1974 में हुआ। यह परीक्षण भारत की स्वतंत्रता और उसकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद, भारत ने 1998 में "ऑपरेशन शक्ति" के तहत दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए।

भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत एक आक्रमणकारी देश के खिलाफ पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। भारत का उद्देश्य शांति और स्थिरता बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त, भारत ने परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें Nuclear Command Authority की स्थापना भी शामिल है।

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने 'हम घास खाएंगे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे' का नारा दिया था। पाकिस्तान ने निम्नलिखित कारणों से अपना परमाणु कार्यक्रम आरंभ किया। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद, पाकिस्तान ने अपने शोध कार्य को तेज कर दिया। 1998 में, पाकिस्तान ने भी भारत के समान समय पर परमाणु परीक्षण किए, जिसे "चगाई" कहा जाता है।

पाकिस्तान की परमाणु नीति भारत के साथ प्रतिकृतिवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार न केवल सुरक्षा के लिए हैं, बल्कि ये उसे क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी नीति में कुछ हद तक ऊँची खुराक वाली रणनीति अपनाई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी क्षेत्र-विभागीय सुरक्षा संकट के दौरान वह अपने परमाणु क्षमताओं का उपयोग करेगा।

तुलनात्मक अध्ययन

कार्यक्रम की उत्पत्ति और विकास

भारत का परमाणु कार्यक्रम अहिंसा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि पाकिस्तान का कार्यक्रम सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय अस्थिरता के संदर्भ में विकसित हुआ है। भारत ने अपने परमाणु विकास को लंबे समय तक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी प्रस्तुत किया है, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपने रक्षा ढाँचे का एक अनिवार्य हिस्सा माना है।

नीति और दृष्टिकोण

भारत की नो फर्स्ट यूज नीति इसे एक स्थिर और उत्तरदायी परमाणु राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके विपरीत, पाकिस्तान की नीति अधिक आक्रामक दृष्टिकोण को उजागर करती है, जिसके तहत उसे अपने सामरिक लाभ को बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करने होंगे। यह अंतर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में बुनियादी ढाँचे के भीतर गहराई से छिपा है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध और प्रभाव

भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास किए हैं। भारत की एक महत्वपूर्ण सफलता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने का प्रयास, जिसने वैश्विक स्तर पर उसे एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसके विपरीत, पाकिस्तान को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि उसकी परमाणु संपत्ति पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी और इसे रोकने के लिए अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों के दबाव।

हाल के विकास

हाल के वर्षों में, दोनों देशों के परमाणु नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। भारत ने हाल ही में अपने परमाणु शस्त्रागार और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण किया है, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत किया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखा है, जिसमें छोटे परमाणु हथियारों की विकास और तैनाती शामिल है।

संभावित भविष्य के परिणाम व सुझावः

अगर दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहा, तो भविष्य में परमाणु रणनीति में बदलाव की संभावना बढ़ जाएगी। यह संभव है कि भारत अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करे, वहीं पाकिस्तान अपने आक्रामकता की नीति को और अधिक।

- भारत और पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों को कम करने और अंततः उन्हें खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए।
- दोनों देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
- दोनों देशों को परमाणु दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनी परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए।
- दोनों देशों को आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए।

महाशक्तियों की भूमिका

अमेरिका, रूस, चीन और अन्य महाशक्तियों की दृष्टि भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने भारत को 2008 में एक परमाणु साझेदारी की पेशकश की, जिससे भारत को अधिक ट्रेड और तकनीकी सहायता मिल सके। यह भारत की परमाणु नीतियों को विश्व स्तर पर मान्यता देने का एक प्रयास था। अमेरिका का यह कदम पाकिस्तान के प्रति उसकी सुरक्षा नीतियों को बदलने की दिशा में था।

चीन, पाकिस्तान का एक प्रमुख साझेदार है, और उसने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन- पाकिस्तान संबंधों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि चीन का यह उद्देश्य भारत को सीमित करना और पाकिस्तान को समर्थित करना है। यह अनुषंगिक दृष्टिकोण दक्षिण एशियाई स्थिरता पर असर डालता है।

रूस ने भी दोनों देशों के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वह मध्यस्थता करने की इच्छा रखता है और इसके लिए उसने दोनों देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

सामरिक संतुलन और वैश्विक सुरक्षा

भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों का समग्र संतुलन वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच तनाव कभी-कभी खुली युद्ध की स्थिति में बदल सकता है। 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2008 के मुंबई हमलों ने दोनों देशों के बीच फैलते तनाव को और बढ़ा दिया। इन घटनाओं ने दिखाया कि परमाणु सशस्त्र संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती है।

महाशक्तियों का इस क्षेत्र में हस्तक्षेप इन मुद्दों को सुलझाने के लिए आवश्यक हो गया है। परमाणु अप्रसार संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय पहल जैसे कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के समर्थन से ही दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

भविष्य की संभावनाएँ

भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करेगा। पहली बात, दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद की आवश्यकता होगी। संवाद के माध्यम से ही विश्वास का निर्माण किया जा सकता है और तनाव को कम किया जा सकता है।

दूसरी बात, महाशक्तियों की भूमिका पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। यदि अमेरिका, चीन और रूस एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो यह क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

तीसरी बात, अगर दोनों देशों ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया, तो यह न केवल दक्षिण एशिया की स्थिति को सुधार सकता है बल्कि वैश्विक सुरक्षा में भी योगदान कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों और नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ये दोनों देश अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्यों में कितनी भिन्नता रखते हैं। दोनों देशों की नीतियों का प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ेगा। भविष्य में, यदि यह तनाव जारी रहा, तो हमें इन दोनों देशों की परमाणु नीतियों में और परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम महाशक्तियों की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों का इस क्षेत्र में प्रभाव दोनों देशों के कार्यक्रमों और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा असर डालता है। इसके अलावा, राजनीतिक संवाद, विश्वास निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों से न केवल इस क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।

महाशक्तियों की दृष्टि में यदि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए सकारात्मक कदम उठाते हैं, तो यह न केवल दक्षिण एशिया बल्कि समस्त मानवता के लिए एक लाभकारी परिणाम लाएगा।

संदर्भ

1. Brahma Chellaney. (2013). India's Nuclear Policy. Routledge.
2. Ghazala, A. (2018). Pakistan's Nuclear Weapons: A Comprehensive Guide. Routledge.
3. Khan, S. (2001). The South Asian Nuclear Dynamics: A Comparative Analysis. Strategic Analysis, 25(1), 37-53.
4. Kaplan, R. D. (2015). The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate. Random House.
5. Mian, Z. (2019). Challenges to Nuclear Non-Proliferation in South Asia: The Case for Collective Security. Nonproliferation Review, 26(2-3), 263-274.
6. Kile, S. N. (2020). Assessing Command and Control Vulnerabilities in India and Pakistan. Whitehall Papers, 92(1), 85-104.

आधुनिक भारत में शिक्षा पद्धति - एक अध्ययन

डॉ० रंजु कुमारी

पी-एच डी, इतिहास विभाग, बी. एन. एम. यू., मधेपुरा

सारांशः- शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को आदिकाल से ही प्रभावित करती आयी है और मनुष्य ने शिक्षा के द्वारा अपने ही समाज और संस्कृति विकास किया है। जिसका परिणाम आज का आधुनिक समाज है। शिक्षा समय, समाज, संस्कृति और देश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है किन्तु आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गयी है, जहाँ हम शिक्षा का अर्थ किसी स्कूल कालेज या विश्वविद्यालय में जाकर विभिन्न विषयों की दस या बीस-तीस पुस्तकें अध्यापकों से पढ़ लेना ही समझते हैं। जिस व्यक्ति ने इस नियत पाठ्यक्रम के अनुसार जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ी हैं और जितनी ऊँची परीक्षाएं पास की हैं वह हमारी दृष्टि में उतना ही अधिक शिक्षित या विद्वान है। आजकल लोगों का यही विचार है कि जो व्यक्ति अक्षरों से परिचित नहीं है और एक या कई भाषाओं को लिखने पढ़ने की योग्यता नहीं रखता वह कदापि शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। परन्तु हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ऐसी न थी उसमें विद्यार्थियों को केवल किसी एक विद्या की शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि उन्हें शिक्षा शारीरिक मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की शिक्षा दी जाती थी जिससे वे अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकें किन्तु आज की शिक्षा ऐसा करने में असमर्थ है। बी. सरन ने कहा है की, चाहे कितने भी अच्छे दिन क्यों न आये तब तक मातृभूमि का मुखमण्डल न चमकेगा जब तक की भारत की संस्कृति बोल न उठेगी जंगलों के गुरूकुलों में निवास करने वाले ऋषियों की भाषा में जागकर न कहेगी की उम्र अलौकिक संदेश और शिक्षा को फैलाओ गुरूकुल प्रणाली के सिद्धांत सदैव और सर्वत्र ग्रहणीय है प्रत्येक देश और प्रत्येक परिस्थिति में आज हमारी शिक्षा किसी अधेरी गुफा में अपने रास्ते से भटक गयी है। ऐसा क्यों? अतः हमें अपनी आधुनिक शिक्षा में कुछ दिशा एवं दशा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिसे हम इस लेख के माध्यम से दृष्टिपादित करने का प्रयत्न कर रहे है।

कुंजीः- आदिकाल, आधुनिक, संस्कृति, शिक्षा, भौगिलिक।

प्रस्तावनाः- समाज के सभी अंगों में शिक्षा की स्वीकार्यता के और समाज द्वारा शिक्षा के महत्व को जानने के बाबजूद शिक्षा के सैद्धान्तिक पहलू व व्यवहारात्मक पहलुओं में भारी अन्तर दिखाई देता है। हमारी आजादी के बाद शासन की ईमानदार कोशिशों के बावजूद सामान्य शिक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है। भारतीय शिक्षा आजादी के बाद दो अलग-अलग व्यवस्थाओं द्वारा संचालित होने लगी एक वह जो सरकारी स्कूलों के रूप में थी और दूसरी वह जो निजी शिक्षण संस्थानों के रूप में सामने आयी। इस प्रकार आजादी के साथ ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बंट गयी और इस विभाजन ने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया कि भारतीय समाज भी दो भागों में बंट गया। समाज का एक वह हिस्सा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता था और दूसरा वह जो निजी संस्थाओं में पढ़ता था। शिक्षा के विभाजन ने दो अलग-अलग भारत बना दिये इससे समाज में पहले से मौजूद ऊँच-नीच की भावना को और अधिक बल मिला तथा इस विभाजन में परम्परा व आधुनिकता के संघर्ष की परिस्थितियाँ भी पैदा की। पारम्परिक शिक्षा जो हमारी स्थानीय परिस्थितियों की उपज थी और जिसमें भारतीय जीवन शैली, भारतीय सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं का समावेश था, एक ऐसी आयातित शिक्षा प्रणाली द्वारा धीरे-धीरे विस्थापित कर दी गयी, जो आधुनिक तो थी और इसमें बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढाल लेने की सामर्थ्य भी थी। किन्तु यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें भारतीयता और उसके मूल्यों के प्रति आग्रह बहुत कम था।

भारत में सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी विगतशताब्दियों के कुछ पारम्परिक लक्षण चलते रहे। उच्च शिक्षा के प्राचीन प्रसिद्ध केंद्र जैसे तक्षशिला, नालन्दा, भागलपुर के पास विक्रमशिला, उत्तरी बंगाल में जगद्दल, काठियावाड़ में वल्लभी और दक्षिण में कांची बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसके विपरीत इस्लामी शिक्षा शासकों और सम्भ्रान्त पुरुषों के संरक्षण में धीरे-धीरे पनपने लगी। फिर भी अधिकांश हिन्दु अपने समय के प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्रों में ही शिक्षा प्राप्त करते रहे और भाषाई साहित्य की उन्नति के साथ उन्होंने अपने शास्त्रों का भी अध्ययन किया। थामस ने 1891 में लिखा- कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ ज्ञान का प्रेम इतने पहले उदय हुआ हो या जिसका प्रभाव इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली रहा हो। उसके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में प्रारम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था देखी जिनमें से पहली मुख्यतया प्रायोगिक थी और दूसरी मूलतः साहित्यिक, दार्शनिक और धार्मिक।

लगभग डेढ़ सौ सालों तक अंग्रेज व्यापार और विजय हासिल करने में व्यस्त रहे और इस तरह उन्होंने शिक्षा के विकास सहित सभी तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों से दूरी बनाये रखी। सन् 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा शुरू करने के साथ ओरियेंटल

कॉलेज की शुरूआत भी की थी। उसके ये कदम मुख्य रूप से प्रशासनिक कारणों से थे। ग्यारह साल बाद सन् 1792 में वाराणसी निवासी जोनाथन डंकन ने स्थानीय हिंदुओं को शिक्षित करने के लिये वाराणसी में एक संस्कृत कालेज आरंभ किया जिससे वे यूरोपीय लोगों के सहायक बन सके।

उन्हीं दिनों ईसाई मिशनरियों ने प्राथमिक स्कूल खोलकर निम्न वर्गों के साथ-साथ अछूत लोगों को शिक्षा मुहैया करवाकर पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध को शैक्षणिक प्रयोगों का समय कहा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सन् 1813 के चार्टर ऐक्ट द्वारा कंपनी ने एक लाख रुपया अलग से रख दिया ताकि साहित्य का पुनरुद्धार और प्रगति हो सके तथा पढ़े-लिखे भारतवासियों का उत्साहवर्धन और भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रांतों के लोगों में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जा सके। प्राचीन शिक्षाविदों और आंग्लवादियों के बीच एक विवाद चला जिसे अन्ततः सन् 1935 के मैकाले के मिनट और बेन्टिक के प्रस्ताव ने हल कर दिया। यह तय हुआ कि यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिये इस धन का इस्तेमाल किया जायेगा। विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को सरकारी काम काज की भाषा के रूप में अपनाया। सन् 1844 में लार्ड हेसि्ंटग्स ने तय किया कि जो भारतीय अंग्रेजी में शिक्षित होंगे, उन्हें ही रोजगार दिया जायेगा।

सन् 1854 में वुड के घोषणापत्र ने शिक्षा नीति के उद्देश्य को स्पष्ट किया जो कि अंग्रेजी या अन्य कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा के माध्यम से 'यूरोप' की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन और साहित्य की शिक्षा का प्रचार था। दस्तावेज में सुझाव दिया गया था कि बंबई (मुम्बई), मद्रास (चेन्नई) और कलकत्ता (कोलकाता) में विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहियें। इसने निजी संस्थानों, अनुदान अनुमोदन प्रणाली, स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण, महिला शिक्षा और ऐसे ही अन्य विकास कार्यों पर जोर दिया था। सन् 1857 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् 1882 और 1887 में क्रमानुसार पंजाब और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

सन् 1901 में लार्ड कर्जन ने सार्वजनिक संस्थानों के निदेशकों के एक सम्मेलन को आयोजित किया जिससे उनके निर्णयों पर आधारित शैक्षणिक सुधारों एक युग का सूत्रपात हुआ। सन् 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था, जिससे विश्वविद्यालय शिक्षण कर सकें, कॉलेजों का निरीक्षण कर सकें तथा उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास कर सकें।

औपनिवेशिक शासन में जन शिक्षा को नजरअंदाज किया गया था। एक शहरी शिक्षित तबके के निर्माण का प्रयास किया गया जिससे यह तबका शासक और शासित के बीच बिचौलिये की भूमिका निभा सके। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव एक समान नहीं था तथा शिक्षा का प्रसार गांवों से अधिक शहरों में हुआ। इसका सकारात्मक पहलू यह था कि इसने पढ़े लिखे राजनीतिक नेताओं व समाज सुधारकों का एक तबका पैदा किया जिन्होंने आजादी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्र और प्रचार पत्रों ने जनता के बीच जागरूकता पैदा की।

अंग्रेजों ने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया क्योंकि उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों में क्लर्कों और बाबुओं की आवश्यकता थी। इससे भारत में लोगों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ जिन्होंने बाद में प्रशासन के कई पक्षों में और शासन में सहायता की। परिणामस्वरूप भारत में आई ईसाई मिशनरियों ने विद्यालय खोलने प्रारम्भ किए जहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। भारत में आप ऐसे कई स्कूल आज भी देख सकते हैं। बहुत से भारतीयों ने अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजा क्योंकि वे सोचते थे कि इससे उन्हें सरकारी कार्यालयों में नौकरी मिल सकेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमें 1947 में अंग्रेजी राज्य से स्वतन्त्रता मिली और स्वतन्त्र भारत की भारत सरकार को अपनी जनता के लिए शिक्षा की योजनाएँ बनाने का उत्तरदायित्व संभाला।

(क) सार्वभौमिक पहुँच और पंजीकरण

(ख) स्कूल में 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों के लिये सार्वभौमिक ठहराव।

(ग) शिक्षा की गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार ताकि सभी बच्चे अध्ययन के आवश्यक स्तर को प्राप्त कर सकें।

सर्वशिक्षा अभियान- केन्द्रीय सरकार का यह महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 2001 में प्रारम्भ हुआ इस अभियान के अन्तर्गत सरकार का लक्ष्य था कि 2010 तक 6-14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाये।

माध्यमिक शिक्षाः- माध्यमिक शिक्षा एक अत्यधिक शारीरिक परिवर्तन और पहचान के निर्माण का समय है। यह विशिष्ट अभिव्यक्ति और शक्ति का भी समय है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण विस्तार हुआ है। इसमें 14 से 18 (कक्षा 9-12) आयुवर्ग के बच्चे आते हैं। 2001 की जनगणना के हिसाब से 88.5 मिलियन बच्चे माध्यमिक शिक्षा में भर्ती हुए। हालांकि नामांकन सूत्र दिखाते हैं कि इनमें से केवल 31 मिलियन बच्चे 2001-2002 में स्कूल गये। जबकि स्कूलों और दाखिले में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई वहीं शिक्षकों की संख्या में कम बढ़ोतरी हुई। यह स्पष्ट है कि कुल रूप से इसने गुरु-शिष्य के अनुपात को प्रभावित किया। जैसे-जैसे देश शिक्षा के सार्वभौमीकरण की ओर आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए भी दबाव बढ़ता जायेगा।

यद्यपि भारत में जो भी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा (दसवीं कक्षा तक) ग्रहण करना चाहे वह कर सकता है किन्तु उच्च प्रारंभिक कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों में से आधे से अधि क माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश नहीं लेते। प्रारम्भिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अब माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है जिसका प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है और जिसके बारे में हम सेक्शन 18.9 के अन्तर्गत पढेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा:- व्यावसायिक शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक अलग तरह की शिक्षा है। इसका उद्देश्य, विद्यार्थियों को एक विशिष्ट रोजगार के लिये तैयार करना है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। सन् 1968 में लागू की गई पहली शिक्षा नीति में अपनाये गये सुधारों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना था। किन्तु इस दिशा में किये गये प्रयत्न फलीभूत नहीं हो सके। यद्यपि आशा की गयी थी कि +2 स्तर पर पचास प्रतिशत तक विद्यार्थियों के नाम स्कूल में दर्ज होंगे किन्तु वास्तव में यह संख्या अधिक नहीं रही और केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्लानिंग कमीशन के अनुसार लगभग 5114। औद्योगिक शिक्षा संस्थान (ITI) होंगे। जो 57 इन्जीनियरिंग और अन्य व्यापारों में प्रशिक्षण देंगे। वर्तमान में इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयत्न है एक राष्ट्रीय कौशल विकास और प्रशिक्षण मिशन की स्थापना।

उच्च शिक्षा:- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की आधारशिला रखी थी, कहा था यदि विश्वविद्यालय सुचारु रूप से चलते रहे तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उच्च शिक्षा का प्रारंभ तब होता है जब एक विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारह) शिक्षा पूर्ण कर लेता है। तब वह कालेज या महाविद्यालय में प्रवेश लेता हैं जो विश्वविद्यालय का ही एक हिस्सा होता है। यद्यपि उच्च शिक्षा को महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी थी तथापि इस दिशा में की गयी प्रगति अत्यंत रूप से असमान रही है। जहाँ कुछ कालेजों और विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक श्रेष्ठता हासिल कर अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई है वहीं देश के अधिकांश कालेजों और विश्वविद्यालयों की सामान्य दशा देश के लिये एक चिंता का विषय है।

उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत कम है। यह अनुपात कई प्रदेशों में तो बहुत ही कम है विशेष रूप से स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अच्छे स्तर की उच्च शिक्षा नाममात्र को है। विभिन्न कालेजों में सुविधाओं के स्तर में भी अंतर है। यह आवश्यक है कि विभिन्न कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समानता हो तथा ऐसे विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जायें जो व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व विकास के लिये आवश्यक हों तथा विद्यार्थियों में विवेक, बुद्धि, जिज्ञासा तथा सीखने समझने की क्षमता का विकास द्य करें। राज्य ने उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे काफी सस्ता बनाया है। शुल्क के रूप में कालेज के विद्यार्थी को काफी कम कीमत देनी पड़ती है। उसकी शिक्षा में होने वाले अन्य व्यय राज्य या केन्द्र सरकारों द्वारा वहन किये जाते हैं। यह सार्वजनिक धन है जिसे सोच विचार कर उन्हीं विद्यार्थियों पर खर्च करना चाहिये जो इसके योग्य हैं।

प्रौढ़ शिक्षा:- प्रौढ़ों में व्याप्त अशिक्षा को दूर करना भी एक अनिवार्य लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पंद्रह से द्य पैंतीस वर्ष की आयु के वयस्कों में शिक्षा के प्रसार को स्थान दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (NLM) का लक्ष्य 80 मिलियन अशिक्षित व्यक्तियों को। कार्यकारी साक्षरता प्रदान करना और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (IVET) देना है। स्वतन्त्रता के बाद 1951 में 7+ की जनसंख्या में साक्षरता दर 18.3% थी जो 2011 में 74% तक बढ़ गई। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर 74% है। तकनीकी शिक्षा के महत्त्व से इंकार करना असंभव है। भारत में प्रशिक्षित जन शक्ति का बड़ा भंडार है। तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की वर्तमान और अनुमानित जरूरतों के मुताबिक बनाया गया। देश के वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास में ये तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति शक्ति का स्रोत रहे हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि हमारे अधिक प्रतिभाशाली इंजीनियरों को उस प्रकार की नौकरियों और काम का माहौल नहीं मिल पाता कि वह आर्थिक और मानसिक रूप से संतुष्ट हो सकें। इसके चलते यहाँ बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसका तात्पर्य है या तो वह विकसित देशों में चले जाते हैं अन्यथा प्रबंध क्षेत्रों में। ब्रेन ड्रेन (प्रतिभाओं का पलायन) का अर्थ है- 'जब प्रतिभावान स्त्री या पुरुष जो उच्च शिक्षा प्राप्त और होशियार हों, वे बेहतर आय और सुविधाओं की तलाश में स्वदेश छोड़कर विदेश चले जाते हैं इस स्थिति को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के कई प्रतिष्ठित केन्द्र हैं जैसे भारतीय तकनीकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति:- स्वतंत्रता के पश्चात देश के संसाधनों का एक बड़ा भाग शिक्षा में लगाया गया है। अत: शैक्षणिक संस्थानों से कुशलतापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। स्वतंत्रता पश्चात् भारत में शिक्षा की दिशा में सन् 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्त्वपूर्ण कदम थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, एकरूप नागरिकता तथा संस्कृति की भावना को बढ़ाना तथा राष्ट्र की अखंडता को सशक्त बनाना था। इसने शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन पर जोर दिया ताकि प्रत्येक स्तर पर उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ सके उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दिया गया ताकि नैतिक गुणों का विकास हो तथा जन जीवन और शिक्षा में अधिक सार्थक संबंधों की स्थापना हो सके।

यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धियों के बल पर ही नयी नीति (सन् 1986) का निर्माण किया गया था। भारत में स्कूलों का पहले से ही एक विस्तृत जाल बिछा हुआ है। लगभग 95 प्रतिशत जनता के एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल है और 80% जनता माध्यमिक विद्यालय से तीन किलोमीटर दूर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (सन् 1986) के अनुसार 15-35 आयु वर्गों के लोगों को साक्षर बनाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता का मिशन शुरू हुआ।

भारत में दूरदर्शन और रेडियो स्टेशनों का भी राष्ट्रीय नेटवर्क है। एक उपग्रह की उपलब्ध ता और अधिकांश जनता तक पहुँचने वाले दूरदर्शन का विस्तार वह महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो शिक्षण-अधिगम व्यवस्था में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। इनके माध्यम से औपचारिक शिक्षा की संवृद्धि कर शिक्षण व्यवस्था तथा अनौपचारिक शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा को समर्थन देकर इनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जा सकते हैं।

प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों (आदर्श स्कूलों) की स्थापना न केवल केन्द्र की शिक्षा के संबंध में प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करती है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सबकी समानता स्थापित करने की उसकी चिंता को भी प्रकट करती है। इन विद्यालयों के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्तम शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ हो सकेंगे चाहे उनके माता-पिता का आर्थिक स्तर कैसा भी हो।

पत्राचार शिक्षा: दूरस्था शिक्षा- भारत में अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इसके भिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे आर्थिक, भौगोलिक, शैक्षिक या चिकित्सा संबंधी। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ऐसे शिक्षार्थियों के लिए ही है। पत्राचार संस्थाओं द्वारा भेजे गये अभ्यासों द्वारा कक्षा में उपस्थित हुये बिना ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। साथ ही वह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी नौकरियों या व्यवसाय में भी कार्यरत रह सकते हैं।

निष्कर्ष:- आधुनिक शिक्षा ने संपूर्ण विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न की है। इसने संपूर्ण विश्व को क्रमश: अंधकार युग से निकालकर प्रकाश की किरणें दिखलाई। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक ही आधुनिक शिक्षा प्रकट हुई जिसके फलस्वरूप समस्त मानव जाति आधुनिक हो गई। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा दोनों एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। आधुनिक शिक्षा ने मनुष्य को आधुनिक भाव-बोध प्रदान किया, उन्हें अधिक-से-अधिक तार्किक बनाया तथा वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। इस तार्किक बुद्धि ने सामाजिक परिवेश में आमूल-चूल परिवर्तन किया। सब कुछ एक नये सिरे से सोचा, समझा और विचारा जाने लगा। यद्यपि अलग-अलग देशों में आधुनिक शिक्षा के स्वरूप अलग-अलग रहे हैं और उनका समय भी अलग-अलग रहा है तथापि मूल रूप से आधुनिक शिक्षा का एक सामान्य अंतरराष्ट्रीय स्वरूप रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1. पाठक, आर०पी० (2010), "आधुनिक भारतीय शिक्षा, समस्याएँ", एवं समाधान नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स।
2. यादव, वीरेन्द्र सिंह (2013), "भारतीय शिक्षा का बदलता परिदृश्य: चुनौतियाँ एवं समाधान की दिशाएँ", नई दिल्ली: ओमेगा पब्लिकेशन्स।
3. गुप्ता, मंजू (2007), "आधुनिक शिक्षण प्रतिरूप", नई दिल्ली: के०एस०के० पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स।
4. सक्सैना, एन०आर० स्वरूप (2012). "उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा", मेरठ: आर० लाल बुक डिपो।
5. सिंह, राजेन्द्रपाल (2011), "तुलनात्मक शिक्षा के सिद्धान्त", जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

राग भैरवी की उत्पत्ती के प्रमाण

डॉ० प्रीति शर्मा

(गे.फे. मोहनलाल सुखाडिया, विश्वविद्यालय उदयपुर (राज.)

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध पत्र में भैरवी के बीज स्वरूप को खोजा गया है संगीत मे सामवेद के अन्तर्गत सप्तस्वरों की मूर्च्छना द्वारा भैरवी के स्वरों की प्राप्ति हुई। भैरवी की प्राचीनता व उत्पत्ती का सप्रमाण विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध प्रश्न - भैरवी की उत्पत्ती कैसे हुई?

शब्द कुंजी - भैरवी, स्त्री, बीज स्वरूप, मूर्च्छना

प्रस्तावना - भैरवी प्राचीनकाल से ही अध्यात्म प्रधान अराधना अर्चना की रागिनी मानी गई है। इसे नाद ब्रहा की प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी माना गया है। कभी माँ पार्वती के रूप मे कभी दुर्गा के रूप मे अनेक रूपों मे इसका स्वरूप इसकी प्राचीनता का साक्ष्य है क्योकि सम्पूर्ण विश्व में भगवान की अराधना श्रृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही चली आ रही है कह सकते है श्रृष्टि की उत्पत्ती के साथ ही भैरवी की उत्पत्ति हुई है।

प्राचीन विद्वानों के कथनानुसार - स्वामी प्रज्ञानन्द के मतानुसार भैरवी भैरव से भी प्राचीन राग है। उनका मत इस तथ्य पर आधारित है कि नाट्य लोचन (850 - 1000) ई. नारद भैरवी का तो उल्लेख करते है किन्तु भैरव का नही।

अत: नारद जी के इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि भैरव से पहले भैरवी की उत्पत्ति हुई। इसका स्वरूप देखा गया।

स्वामी प्रज्ञानन्द के कथन मे हमें सत्यातमकता दिखती है क्यों कि जब हम प्रकृति का दर्शन करते है तो प्रकृति में जब पुरूष ने जन्म लिया तो प्रकृति का जन्म पहले माना गया पुरूष का जन्म बाद में क्यों कि प्रकृति का गुण है सहनशीलता, कोमलता, क्षमा, दयावान जो गुण प्रकृति के है वही गुण भैरवी के है। प्रकृति और भैरवी को आपस में जोड़ा गया है। अत: भैरवी का जन्म भैरव से पहले माना गया है क्योकि भैरव को मेल माना गया है पुरूष की उत्पत्ति प्रकृति के बाद हुई है अत: कह सकते है भैरवी की उत्पत्ती भैरव से पहले ही हुई होगी। जिससे इसकी प्राचीनता के साक्ष्य प्राप्त होते है।

प्रो.ओ.पी. गांगुली भी भैरवी को भैरव से प्राचीन राग मानते है उनका कथन है - यह सर्वप्रथम अनार्य जाति भीरवा के साथ संलग्न थी भीरवा जाति के लोग हिमालय मे निवास करते थे जो शिव के उपासक थे।

अत: 13 वी शताब्दी मे पार्श्वदेव ने प्रथम बार भैरव और भैरवी का एक साथ उल्लेख किया है। इनके युगल स्वरूप को देखा गया है। (भैरवी थाटअंक जनवरी 1962)

भैरवी का आध्यात्मिक रूप इस प्रकार देखा गया है-

स्फटिकरचित पीठे रम्य कैलास श्रृङ्गे,
विकच कमल पत्रै रर्चयन्ती महेश,
कर धृत धनवाद्यापीतिवताक्षीं,

अर्थात् - सुन्दर कैलास-शिखर पर रचित सिंहासन पर विराजमान खिले हुए कमल पत्रों से भगवान शंकर की पूजा करती हुई, हाथ में तत वाद्यों को धारण किए हुए विशाल नेत्रों वाली भैरवी को कवियों ने भैरवी रागिनी बताया है।

वैदिक काल में भैरवी - वैदिक काल में संगीत का उद्गम स्थल सामवेद है। सामवेद की एक दो ऋचाओं में हमें सप्त स्वरों मे गायन के प्रमाण मिलते है। वेदों मे संगीत की उत्पत्ति सामवेद द्वारा मानी गई है।

सामवेद मे सप्त स्वरों का प्रयोग किया जाता था। जिसका क्रम अवरोही था।

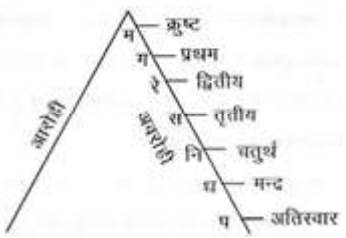

प्रो. कृष्ण राव गणेश मूले ने भारतीय संगीत एक सारणी द्वारा बताया कि भिन्न - भिन्न स्वरों को षडज मानकर गाने से सप्तक का क्या रूप होगा। सारणी में भैरवी के स्वरों का ही वर्णन किया गया है:-

क्र.स	साम का आरम्भक स्वर	स्वरों की स्थिति	हिन्दुस्तानी संगीत का मिलता जुलता राग
4	साम का आरम्भक स्वंर 'रे' मध्यमा अँगुंली के मध्य में कल्पित आरम्भक रे को सा मानकर	रे ग म प ध नी सां रें सा रे ग म प ध नी सां	अभिरूदगता भैरवी जैसा

(जैन, डॉ. रेणु स्वर और राग,पारिभाषित संज्ञाओं के परिपेक्ष में पृं.70)

सामवेद में अभिरूदगता जाति के स्वरों की मूर्च्छना करने पर भैरवी के लिखित प्रमाण प्राप्त होते है। तो निश्चित रूप से सामवेद से लगभग (70 - 80) वर्ष पूर्व ही देसी संगीत में भैरवी का स्वरूप स्थापित हो चुका होगा। उस समय ईश्वर की अराधना स्तुती लोक गायन भैरवी के स्वरों मे ही किया जाता होगा। पंजाब के लोकगीत हीर, महिया, शैली मे भैरवी के स्वरों का प्रयोग उक्त कथन की पुष्टि करता है। भैरवी पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के देसी संगीत मे प्राचीन समय से स्थापित हो चुका था। भैरवी मुख्यत: उत्तरी भारत के ग्रामीण वर्ग का निकटतम राग रहा है। इसे रागों की रानी माना गया है, इसने प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ है।

भरत कृत नाट्यशास्त्र में भैरवी - सामवेद के पश्चात भरत के नाट्यशास्त्र मे षड़ज ग्राम एवं मध्यम ग्राम के स्वरों की मूर्च्छना में भैरवी के प्रमाण प्राप्त होते है।

अभिरूद्वगता जाति मे आरम्भ का स्वर ऋषभ को षडज स्वर मानकर सारणा की गई।

रे ग म प ध नी सां रें

सा रे ग म प ध नी सां

जिसके स्वरों मे भैरवी के स्वर प्राप्त होते है सर्वप्रथम सामवेद में ही भैरवी की उत्पत्ती के प्रमाण प्राप्त होते है।

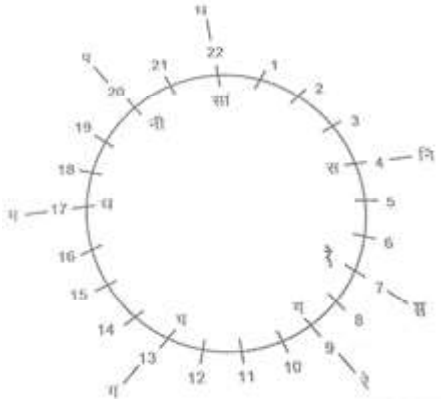

षडज से ऋषभ का श्रुत्यांतर द्विश्रुतिक था ऋषभ से गन्धार का श्रुत्यांतर चतुश्रुतिक था । गन्धार से मध्यम का श्रुत्यांतर भी चतुश्रतिक था मध्यम से पंचम का श्रुत्यांतर त्रिश्रुतिक था। पंचम से धैवत का श्रुत्यांतर द्विश्रुतिक निषाद से षडज का श्रुत्यांतर चतुश्रुतिक प्राप्त हुआ जिसमे रे ग घ नि स्वर कोमल प्राप्त हुए जो कि भैरवी थाट के समान थे।

मध्यम ग्राम की मूर्च्छना -

मध्यम ग्राम की तीसरी मूर्च्छना कलोपनता ऋषभ को षड़ज मानकर की गई जिसमें षड़ज तीसरी श्रुति पर ऋषभ पांचवी श्रुति पर गन्धार नवीं श्रुति पर मध्यम बारहवीं श्रुति पर धैवत अठारहवीं श्रुति पर निषाद बाइसवीं श्रुतिपर स्थापित होगा।

रे ग म प ध नि सा

3 2 4 3 4 2 4

सा रे ग म प ध नि

3 2 4 3 4 2 4

श्रति अनुक्रम स्वर - सा रे ग म प ध नि

3 5 9 12 16 18 22 भैरवी थाट

(माथुर, डॉ.शोभा:भारतीय संगीत में मेल अथवा थाट का एतिहासिक अध्ययन पृं.227-228)

यह स्वर आधुनिक भैरवी थाट के सदृश्य होगे।

इस प्रकार दोनों ग्रामों मे मूर्च्छना पद्वति के माध्यम से भैरवी की उत्पत्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए।

मध्यकाल में भैरवी की उत्पत्ती के प्रमाण - मध्यकाल मे अनेक ग्रन्थों मे भैरवी की उत्पत्ती के प्रमाण देखे गये।

पं जयदेव - पं जयदेव ने बारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्व में गीत-गोविन्द की रचना की। जयदेव के अष्टपदियों मे राधा-कृष्ण तथा गोपी - कृष्ण की प्रेमलीलाओं का सुन्दर वर्णन है। जयदेव की अष्टपदियों में प्रयुक्त रागों मे, राग भैरवी के भी सुन्दर दर्शन होते है।

पं. ओमकार नाथ ठाकुर जी ने अभिनव गीतांजली में जयदेव कृत राग भैरवी मे अष्टपदी का वर्णन किया है।

कविवर जयदेव की अष्टपदी

राग-भैरवी ताल-कहरवा

स्थायी-जय देव हरे।

अन्तरा 1.-श्रितकमला कुच,मण्डल धृत कुण्डल हे। कलित ललित वनमाल,जय जय देव हरे।।

अन्तरा 2. - दिनमणि मण्डल भवखण्डन हे। मुनिजन -मानस-हंस,जय जय देव हरे।।

(ठाकुर पं. ओमकारनाथ: संगीतांजली भाग-2)

लोचनकृत राग तरंगिणी में भैरवी - राग तरंगिणी का रचना काल शक संवत 1082 जिसका समरूप 1162 ई इसका रचना काल माना गया है लोचन ने 12 संस्थान माने है। जिसमे भैरवी को प्रथम संस्थान माना है। पं लोचन की भैरवी के स्वर काफी थाट के समान थे।

लोचन की भैरवी संस्थान -सा रे ग म प ध नी

भातखण्डे जी का काफी थाट- सा रे ग म प ध नी

दोनो समान है। भैरवी के स्वर आधुनिक काफी थाट के समान थे। लोचन के भैरवी संस्थान से भैरवी एवं नीलाम्बरी जन्य राग माने गये है। आधुनिक भैरवी के स्वर पं लोचन के तोड़ी संस्थान में प्राप्त होते है।

भैरवी - सा रे शुद्ध ग कोमल म शुद्ध प शुद्ध घ शुद्ध नि कोमल।

तोडी - सा रे कोमल ग कोमल म शुद्ध प शुद्ध घ कोमल नि कोमल।

आधुनिक भैरवी के समान

रामामात्यकृत स्वरमेल कलानिधि में भैरवी -

इस ग्रन्थ की रचना सम्वत 1472 तदुसार 1550 ई. रामामात्य द्वारा हुई। स्वरमेल कलानिधि में राग भैरवी रामामात्य के 20 मेलो मे श्री मेल से उत्पन्न जन्य राग के रूप में भैरवी का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है।

रामामात्य के श्री मेल के स्वर इस प्रकार है - 1 शुद्ध षड़ज 2 पंचश्रुतिकऋषभ

3 साधारण गंधार 4 शुद्ध मध्यम 5 शुद्ध पंचम 6 पंचश्रुतिक धैवत 7 कैशिक निशाद

यह श्री मेल के स्वर है इस मेल से जन्य रागों मे भैरवी का स्थान प्राप्त है। रामामात्य ने भैरवी को उत्तम रागों की श्रेणी मे स्थान दिया है।

तानसेन के समकालीन विद्वान पुण्डरीक विठल ने मेल पद्वति को आधार माना है।

उन्होने चार ग्रन्थ लिखे है - 1. सद्रागचन्द्रोदय 2. रागमाला 3. रागमंजरी 4. नर्तन निर्णय

आपके सभी ग्रन्थों में भैरवी का स्वरूप प्राप्त होता है।

सद्रागचन्द्रोदय में भैरवी - पुण्डरीक विट्ठल ने भैरवी को जन्य राग माना है उन्होने अपने 19 मेल मे भैरवी को श्री राग से जन्य बताया है।

मेलनाम	जन्य राग
श्री राग	1. श्री राग 2. मालव श्री 3. धनाश्री 4. **भैरवी** 5. सैधवी

रागमाला में भैरवी - यह पुण्डरीक विट्ठल की दूसरी कृति है। यहां रागों को पुरूष राग स्त्री राग पुत्र राग तीन वर्ग मे विभाजित किया है। विट्ठल ने रागमाला मे 6 पुरूष राग व उनकी पांच - पांच भार्या और पांच-पांच पुत्रों के नाम दिये है।

रागमाला में भैरवी को शुद्व भैरव की भार्या के रूप में वर्णित किया है।

क्र.स.	राग नाम	राग – भार्या	पुत्र
1	शुद्ध भैरव	1 धन्नासी 2 **भैरवी** 3 सैन्धवी 4 मारवी आसावरी	1. भैरव 2. शुद्व ललित 3. पंचम 4 परज 5. बंगाल

इस प्रकार राग माला में भैरवी को शुद्ध भैरव की भार्या माना है। व भैरव को पुत्र राग माना है। व भैरवी को धन्यासी मेल से उत्पन्न माना है। इसमें रागों का देवात्मक स्वरूप बताया है जिसमें भैरव राग के देवता शिव है, भैरवी को शिव की भार्या अर्थात् पत्नि के रूप में वर्णित किया है।

राग मंजरी में भैरवी - यह पुण्डरीक विट्ठल का तीसरा ग्रन्थ है भातखण्डे जी ने अपने संगीत शास्त्र चतुर्थ भाग मे बताया है कि राग मंजरी मे भैरवी गौडी मेल का जन्य राग है जिसमे रे ध कोमल व नि ग तृतीय गति के है।

क्र स.	मेल नाम	जन्य राग
3	गौड़ी	1. गौडी 2. कर्णाक बंगाल 3. गुर्जरी 4. बहुली 5. आसावरी 6. रामकली 7. मारू 8. टक्क 9. गुणकरी 10. शुद्व ललित 11. पंचम 12. पटमंजरी 13. मालव गौड 14. पूर्वी 15. पाडी 16. **भैरवी**

इस प्रकार पुण्डरीक के तीनों ही ग्रन्थ मे हमें भैरवी प्राप्त होती है।

(भातखण्डे, वि.ना संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन पृं. 54)

रागविबोध में भैरवी (1610ई)

सोमनाथ के राग विबोध मे भैरवी का स्वरूप देखा गया।

सोमनाथ ने राग विबोध मे तोडी मेल के स्वर आधुनिक भैरवी के समान माने है जिसमें रे ग घ नी स्वर कोमल प्राप्त होते है

क्र.स.	मेल नाम	सा	रे	ग	म	प	ध	नि	हिन्दुस्तानी स्वर नाम
4	तोड़ी	शुद्ध	शुद्ध	साधारण	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	कैसिक	सा <u>रे</u> <u>ग</u> म प <u>ध</u> <u>नि</u> सां

राग भैरवी श्री मेल से जन्य रागिनों के रूप में इसका स्वरूप सामने आया है।

क्र.स.	मेल नाम	जन्य राग नाम
15	श्री राग	1. श्री 2. मालव श्री 3. धन्यासी 4. **भैरवी** 5. धवला 6. सैधवी

संगीत पारिजात में भैरवी - यह हिन्दुस्तानी संगीत का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 17 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे लिखा गया था। अहोबल ने भैरवी मेल का वर्णन अपने 478 वे श्लोक में किया है।

"भैरवी मेल सम्भूतो गान्धारेण विवर्जितः।
आरोहे तु निवर्जः स्यान्मादि सिंहरव स्वरः ।।''(478)

अर्थात - सिंहरव राग भैरवी मेल से उत्पन्न होता है गन्धार सर्वथा वर्जित है तथा आरोह से नि वर्जित है मध्यम स्वर आदि स्वर है।

इस प्रकार अहोबल ने भैरवी को मेल माना है व उससे सिहरव राग की उत्पत्ती बताई है जिसमें गन्धार वर्जित है आरोह मे निषाद वर्जित है मध्यम आदि स्वर है। आपने आनन्द भैरवी राग को भैरवी के स्वरों से उत्पन्न माना है ग्रह स्वर निषाद है व गन्धार का अल्प प्रयोग है। पं हदयनारायण देव ने हदयकौतुक मे भैरवी को शुद्ध मेल मे अन्तर्गत माना है जिसमे सातों स्वर शुद्व माने है। वह हमारे आधुनिक काफी राग के समान है।

(भातखण्डे, वि.ना संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन)

"शुद्वाः सप्तस्वराः रम्या वादनीयः प्रयततः।
तेन वादन भत्रिण भैरवी जायते शुभा'' ।। 22।।

चतुर्दण्डि प्रकाशिका मे भैरवी -

यह दक्षिण पद्वति का ग्रन्थ है वैकटमखी कृत चतुर्दण्डि प्रकाशिका 1660 ई - वैकटमखी जी ने अपने 19 मेलों मे भैरवी को स्थान दिया है।

जिसके स्वर - षडज, ऋषभ पंचश्रृतिक, गन्धार, साधारण मध्यम शुद्ध, शुद्व पंचम, शुद्ध धेवत, कैशिक निषाद स्वर बताये है।

चतुर्दण्डिप्रकासिका में भैरवी मे ग ध नी स्वर कोमल बताये है जो कि आधुनिक आसावरी थाट के समान है।

इस प्रकार मध्यकालीन सभी ग्रन्थों मे भैरवी की उत्पत्ती के साक्ष्य मिले है भावभट्कृत राग तरंगिणी श्रीकंठकृत रसकौमुदी, श्री निवासकृत राग तत्व विबोध, आदि सभी ग्रन्थों मे भैरवी के साक्ष्य देखे गये है।

आधुनिक कालीन ग्रन्थों मे भी भैरवी की उत्पत्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए है। जिसमे भातखण्डे जी व उनके समकालीन विद्वानों का अध्ययन किया जिसमे कृष्णानन्द व्यास, अप्पतुलसी, राजा प्रतापसिंह, पन्नालाल घोष, राजा टैगोर, ओमकारनाथ जी, ललित किशोर जी रामाश्रम झा आदि।

पं ओमकारनाथ ठाकुर ने संगीतांजलि मे भैरवी के विषय मे कहा है - भैरवी एक परम मधुर सर्वप्रिय और सर्वदाप्रिय रागिणी है। भैरवी मे षडज पंचम शुद्ध व रे ग घ नि स्वर कोमल प्रयुक्त किये जाते है। आधुनिक कलाकार आरोह अवरोह न गाकर भिन्न - भिन्न भावाभिव्यक्ति के लिये अलग - अलग स्वर लगाकर भैरवी नायिका के अनेक रूपों के दर्शन कराते है। आधुनिक कलाकार रंजकता बढाने के लिये स्वरों की दोनों रूपों का प्रयोग करते हुए भैरवी की भिन्न - भिन्न अवस्थाएँ व भिन्न - भिन्न भावों की नायिकाओं के दर्शन कराते है। कभी मुग्धा नायिका तो कभी प्रौढा नायिका अभिसारिका कभी प्रेषित भतृका के रूप में श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत होती है। भैरवी के स्वरों मे अनेक भाव एवं रस का समागम है। कही विरह की करूणा, कही संयोग श्रृंगार कही आत्मनिवेदन कही वात्सल्य कही भक्ति के रस में डूबोकर श्रोंताओं को भावविभोर करती है।

इस प्रकार पं. ओमकार नाथ ने भैरवी रागिणी का बहुत ही सुन्दर मनोरम सजीव वर्णन किया है। इसे किसी भी समय गाया बजाया जाये सदैव आकर्षक मनमोहक व नवीन प्रतीत होती है।

(भातखण्डे, वि.ना संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन)

प्रो. ललित किशोर -ललित किशोर ने भैरवी के स्वरों मे संवाद भाव की प्रधानता बताई है। प्रो. ललित किशोर सिह ने संवाद के आधार पर दस थाटो को तीन भागों में विभाजित किया है। 1. पंचम-संवादी थाट 2. मध्यम-संवादी थाट 3. पंचम-मध्यम या मिश्र-संवादी थाट

भैरवी थाट के स्वरों मे शुद्व पंचम संवाद दुसरा मिश्र संवाद - सा - म, ग् - घ्, म - नी और प - सां मे मध्यम संवाद है और रे् - ध् में पंचम संवाद है। प्रो. सिंह के यमक सिद्वान्त से राग का विश्लेषण करने पर राग की प्रकृति स्पष्ट होती है। षडज-पंचम भाव संवाद पुरूष प्रकृति, स्थिर, गंभीर तीक्ष्ण है। तथा षड़ज मध्यम भाव संवाद-स्त्री प्रकृति सौम्य, चपल, नाजुक है। अतः भैरवी अपने स्त्रीयोचित गुणों से ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करती है।

अत: ललित किशोर जी ने यमक के आधार पर भैरवी का वर्णन किया है।

(किशोर , प्रो. ललित: ध्वनि संगीत पृष्ट सं. 244)

पं रामाश्रय झा – चचंल प्रकृतियुक्त भैरवी का प्रादुर्भाव लोक संगीत के उदर से मानते है। भैरवी मे बारह स्वरों ने उनके स्वरूप को विचलित न करते हुए भी अपना स्थान बना लिया है और एक नये स्वरूप के रूपमे सामने आई है। वर्तमान भैरवी के स्वरूप के विषय में रामाश्रय झा ने कहा है ''वर्तमान भैरवी का स्वरूप पंजाबी भैरवी अथवा यो कहिये सिन्ध भैरवी से अधिक प्रभावित हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान भैरवी के स्वरूप मे शुद्व ऋषभ का प्रभाव भैरवी राग के आरोह मे अधिक होने लगा है। आज से पचास वर्ष पूर्व ऋषभ विवादी स्वर के रूप मे प्रयोग होता था परन्तु आज अनुवादी के स्थान पर आ गया है।''

भैरवी रागांग वाचक स्वर – सा रे ग म (ग) रे सा,

प ग म ध प , प ध नि सां , रें नि सां (घ) प, ध प म ग सा रे ग म, ग म रे सा इन स्वरों में भैरवी का शुद्व स्वरूप स्थापित है।

(झा, रामाश्रय: अभिनव गीतांजली,भाग –5 पृष्ट सं.74)

पं भातखण्डे – ने भैरवी को अपने दस थाट मे स्थान दिया है जिसमे भैरवी थाट रे ग ध नि स्वर कोमल है। भातखण्डे जी ने अपने 10 थाटों को तीन वर्गो में बांटा है तीनों वर्गों के माध्यम से ठाठ के अन्तर्गत आने वाले रागों के गायन समय का पता लगता है।

भातखण्डे ने 10 ठाठ तथा उनसे उत्पन्न कुछ प्रमुख राग बताये है – भैरवी थाट से प्राप्त रागों के नाम इस प्रकार हैं –

क्र.स	थाट	जन्य राग
1.	भैरवी	1. भैरवी 2. मालकौंस 3. धनाश्री 4. बिलासखानी

भैरवी की उत्पती के विषय में मानते है कि–भैरवी में ग ध नी तो प्राचीन काल से ही कोमल थे परन्तु रे ग ध नि चारों कोमल स्वरों का प्रयोग मुसलमान गायकों के समय हुआ। रे कोमल मुसलमान गायकों द्वारा व अकबर के समय हिन्दू गायकों द्वारा हुआ।

यह एक सर्वप्रचलित राग है कोई भी गायक इस राग से अपरिचित नहि रहा है। चंचल प्रकृति होने से इसमें ठुमरी, टप्पा, गीत अधिक गाये जाते है। अत: भातखण्डे जी ने अपने दस थाटों में भैरवी को स्थान दिया है।

निष्कर्ष – इस प्रकार राग भैरवी की उत्पत्ती के प्राचीन काल से ही तत्थ्यात्मक प्रमाण प्राप्त हुए सर्वप्रथम भरत से भी पूर्व सामवेद के स्वरों की मूर्च्छना करने पर सामवेद में ही भैरवी की उत्पत्ती के तथ्यात्मक प्रमाण प्राप्त होते है।

भरत के संगीत सिद्धान्त में षड़ज ग्राम की सातवी मूर्च्छना से एवं मध्यम ग्राम की कलोपनता मूर्च्छना से भैरवी के स्वरों की उत्पत्ती के प्रमाण प्राप्त हुए।

भैरवी की प्राचीनता एंव उत्पत्ती के विषय में मतमतान्तर सामने आये कुछ विद्वान इसे भैरव से भी प्राचीन रागिनी मानते है। प्रो.ओ. पी गांगुली ने इसे भीरवा जाति जो कि हिमालय में निवास करती है और भगवान शिव की उपासक है वहां से संलग्न माना है।

मध्यकाल में भैरवी के स्वरों की उत्पत्ती कभी काफी थाट के अन्तर्गत तो कभी आसावरी थाट के अन्तर्गत तो कभी तोडी थाट के अन्तर्गत भैरवी के स्वरों की प्राप्ति हुई।

भातखण्डे के संगीत शास्त्र भाग संख्या 4 में लिखा है कि भैरवी में ग ध नि तो प्राचीन काल से ही कोमल थे परन्तु रे ग ध नि चारों कोमल स्वरों का प्रयोग मुसलमान गायकों द्वारा ही हुआ होगा। रे कोमल मुसलमान गायको द्वारा व अकबर के समय के हिन्दु गायकों द्वारा हुआ होगा।

तथा मध्यकाल में शिव की भार्या के रूप में भी इसकी उत्पत्ती के प्रमाण प्राप्त हुए "स्फटिक के सिंहासन पर विराजमान सखियो के साथ भगवान शिव की अराधना, वंदन कर रही है। राग भैरव को शिव व भैरवी को उनकी भार्या के रूपमें इसके स्वरूप प्राप्ति के प्रमाण सिद्ध होते है।

इस प्रकार मध्यकाल में भैरवी की उत्पत्ती के अनेक ग्रन्थों का विशलेषण करने पर तथ्यात्मक प्रमाण प्राप्त किये गये।

आधुनिक काल में भी अनेक विद्वानो का अध्ययन करने से भैरवी की उत्पत्ती के प्रमाण प्राप्त हुए । भातखण्डे के दस थाटों के स्वरो की मूर्छना करने पर हमे छ: थाटो के स्वरो से भैरवी के स्वरो की प्राप्ति हुई कल्याण थाट में निषद को षड़ज मानने से भैरवी थाट के स्वरों की उत्पत्ती हुई। बिलावल थाट में गन्धार को षडज मानने से ,खमाज में धैवत को षडज मानने से, काफी में ऋषभ को षड़ज मानने से आसावरी में पंचम को षड़ज मानने से भैरवी थाट के स्वरों की उत्पत्ती हुई व भैरवी का नवीन रूप प्राप्त हुआ। कलाकार इसे सर्वप्रिय एवं सर्वदाप्रिय रागिनी मानते है। क्यो कि इसमें समयानुसार परिवर्तन आया और बारह स्वरों का प्रयोग किया जाने लगा।

जिससे यह श्रोताओं को हर समय मनमोहक, आकर्षक, मनलुभावनी, प्रतीत होने लगी और इसका प्रयोग सुगम संगीत में अधिक होने लगा जिससे इसे अनेक नामों से जाना जाने लगा सर्वप्रिय, सर्वदाप्रिय, सर्वसुहागिन राग आदि। यह आज भी अपना वर्चस्व स्थापित कर हर गायक एंव वादकों के दिलों पर राज करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. भातखण्डे वि. ना. भातखण्डे संगीतशास्त्र भाग - 4
2. जैन डॉ रेनू: स्वर और राग पारिभाषिक संज्ञाओं के परिपेक्ष मे।
3. माथुर डॉ शोभा: भारतीय संगीत में मेल ठाट का ऐतिहासिक अध्ययन।
4. ठाकुर पं ओमकारनाथ: संगीतांजलि भाग - 2 ।
5. भैरवी थाट अंक जनवरी 1962।

उभरते हुए राष्ट्रीय संघवाद का वर्तमान संदर्भ

डॉ० रामाकांत पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक, राजनीतिक विज्ञान, बी०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर

सार संक्षेप:-26 नवंबर 1949 को भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया तथा संविधान सभा के माध्यम से भारत के लोगों द्वारा अधिग्रहित संविधान में भारत को 'राज्यों का सम्मिलन' घोषित किया गया। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' शब्द का प्रयोग किया गया है, 'संघ' का नहीं। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के काल में तथा उनके बाद से लगातार भारतीय राष्ट्रीय संघवाद का स्वरूप बदल रहा है। प्रान्तों में राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर हो रही है तो कहीं क्षेत्रीय दलों का नया गठबंधन स्थापित हो रहा है। कोरोना काल में प्रांतों के नीचे जीत और प्रयास के बावजूद कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका लेकिन जहां जहां केंद्रीय सहायता समय से और पर्याप्त मात्रा में पहुंची वहां अपेक्षाकृत कोरोना पर काबू पाने में जल्दी सफलता मिली। क्षेत्रवाद का बढ़ता प्रभाव केंद्रीय सत्ता को कमजोर बनाती है। शक्ति का विकेंद्रीकरण जिसकी वकालत महात्मा गांधी ने अपनी ग्राम स्वराज्य के अवधारणा के अंतर्गत की थी, एक हद तक तो उचित है लेकिन किसी भी चीज की अधिकता घातक होती है। अत: एक हद तक विकेंद्रीकरण ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघवाद आज के दौर में विभिन्न चुनौतियों से गुजर रहा है जिसमें क्षेत्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, भाषावाद, गरीबी वित्तीय भेदवाद, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि प्रमुख हैं।

मुख्य शब्द:- संघ, संघवाद, नीति आयोग, विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक, क्षेत्रवाद अलगाववाद, नक्सलवाद, सहकारी संघवाद

शोध प्रविधि:- यह शोध पत्र विश्लेषणात्मक है अत: इसमें शोध सामग्री के लिए द्वितीयक स्त्रोंत का प्रयोग किया गया है

शोध सामग्री- पूर्व में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं तथा आलेखों तथा विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को संदर्भ ग्रंथ के रूप में लिया गया है।

परिचय:- राजनैतिक धारणा के रूप में राष्ट्रीयता एकदम नई बात नहीं है किंतु आधुनिक समय में उसे एक नया महत्व प्राप्त हुआ है। पूर्व में धर्म, जाति और संस्कृति के साथ-साथ राज्य को एक शक्ति माना जाता था जो लोगों को एक दूसरे के निकट लाने और एक सूत्र में बांधकर रखने का कार्य करता था किंतु जब यूरोप में लोगों के मस्तिष्क से धर्म का प्रभाव हटा तथा चर्चों में लोगों को एक रखने की क्षमता नहीं रह गयी, जैसा कि पूर्व में था तब राज्य एकता और राष्ट्रीयता का वास्तविक माध्यम हो गया अर्थात् एक ही राज्य का नागरिक होना, एकता का सबसे शक्तिशाली सूत्र बन गया।

एक आदर्श राष्ट्र के लिए पूर्व दशाएं हैं-एक संगठन भौगोलिक क्षेत्र में मनुष्य का रहना, जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक एकता तथा समान इतिहास। स्पष्ट है कि यदि मनुष्यों के एक समुदाय में यह सब बातें पाई जाती है तो बहुत सरलता से एक राष्ट्र बन सकता है और ऐसे राष्ट्र की राष्ट्रीयता अधिक मजबूत और स्थाई होगी किंतु विश्व में यहां तक कि पश्चिम में भी जहां राष्ट्र के वर्तमान सिद्धांत का जन्म हुआ और जिस में अपनाया गया कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसमें यह सभी चीजें पाई जाती हो।

संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न इकाइयों के बीच बंट जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारे होती हैं। इनमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती हैं जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के लिए विषय होते हैं। दूसरे स्तर पर राज्य या प्रांत की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। सत्ता में दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है।

- संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- यहां सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं।
- अलग-अलग स्तर पर सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है
- विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर को अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है।
- संविधान के मौलिक के प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारें आपसी सहमति से करती हैं।
- अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारी को व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है।
- वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग स्त्रोत निर्धारित हैं।

- इस प्रकार संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है-देश की एकता को सुरक्षित रखना और बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना

भारत में संघवादः-

एक बहुत ही दुखद और रक्तरंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया इसमें संघ शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में मूलतः दो स्तर की सरकारें निर्धारित की गई थी। बाद में पंचायतों और नगर पालिका का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहां भी तीनों स्तरों की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग-अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया है

- संघ सूचीः- इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है।
- राज्य सूचीः-इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसी प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है।
- समवर्ती सूचीः-इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषय पर कानून बनाने वालों का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है।

केंद्र राज्य संबंध संघवाद का उभरता स्वरूपः-

केंद्र-राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता के साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक भारत में एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था।

1990 के बाद से स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है।

कोरोना काल भारतीय संघवाद के लिए एक कठिन परीक्षा का दौर था भारत में राज्य और केंद्र के बीच संघीय संबंधों का विभिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा है। हालांकि अधिकतर समय में, भारतीय संघवाद सहयोगी के बजाय परस्पर विरोधी की भावना में रहा है, जिसे केन्द्र सरकार के विपक्षी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राज्यों के प्रति अपने रवैये में भेदभावपूर्ण तरीके में प्रतिबिम्बत किया जा सकता है। हाल ही में वैक्सीन वितरण, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता को लेकर संघ और राज्यों के बीच के संघर्ष न केवल सहाकरी संघवाद के विचार को अच्छी तरह से प्रभावित किया है बल्कि देश में लोगों की मृत्यु का कारण भी बना है।

केंद्र सरकार की वैक्सीन और ऑक्सीजन के उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करने के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते यह अन्य जिम्मेदारी थी कि वह वैक्सीन और ऑक्सीजन का पर्याप्त एवं विवेकपूर्ण वितरण सुनिश्चित करें। केंद्र महामारी से निपटने के लिए शक्तियों को केंद्रित करते हुए महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। हालांकि इन अधिनियमों के तहत राज्यों से परामर्श लेना, केन्द्र के लिये एक विधायी अधिदेश है और केन्द्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किये जा रहें है।

इस संकट से निपटने के लिए केंद्र के एक सफल दृष्टिकोण, हस्तक्षेप और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां केंद्र सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संचार करेगा वित्तीय आवश्यकताओं की प्रभावी ढंग से पूर्ति करेगा और समाधान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।

धारा 356 और संघवादः-

1950 से लेकर अब तक 100 से अधिक बार केंद्र ने राज्यों में धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाई है। जिससे संघीय ढांचे पर प्रश्नचिन्ह लगा है। कभी-कभी राष्ट्रपति शासन राजनीतिक कारणों तथा व्यक्तिगत कारणों के आधार पर भी लगा है। अतः धारा 356 एक विवादित और आलोचनात्मक धारा बनकर रह गया है

1951 में प्रथम बार पंजाब में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय से लेकर अबतक कई राज्यों में अनेक बार इस धारा का प्रयोग किया जा चुका है। जब 1977 का लोकसभा चुनाव हुआ तो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गयी और जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का नेतृत्व मोरारजी भाई देसाई कर रहे थे। नई सरकार ने एक साथ 9 राज्यों में धारा 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1992 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भाजपा शासित प्रदेशों यथा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इस प्रकार समय-समय पर अनेक राजनीतिक कारणों से इसे धारा का दुरुपयोग किया गया है। हालांकि हाल के दिनों में यह प्रवृति कम होने लगी है और संघवाद मजबूती से अपने पथ पर अग्रसर हुआ है।

भाषा विवाद और संघवादः-

भारत के संघीय ढांचे की एक और परीक्षा नीति को लेकर हमारे संविधान के किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है।

हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी धारण कर लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं।

भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी भारत ने सन 1957 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए। कई प्रांतों की सीमाएं क्षेत्र और नाम बदल गए।

नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातियताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल है।

जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो पूर्व की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के उपरांत संघ कमजोर होने के बजाय मजबूत हुआ है।

वित्तीय स्वायत्तता- वर्तमान परिदृश्यः-

संघात्मक व्यवस्था में संघ तथा राज्य सरकारों के बीच उत्तरदायित्वों का विभाजन कर दिया जाता है। उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए समुचित धन की आवश्यकता होती है। अगर संघ के एकको में वित्तीय स्वायतता प्राप्त नहीं है तो उनका विधायिका तथा प्रशासनिक संबंध मात्र एक कल्पना ही रह जाएगी। प्रो0 डी0 डी0 बसु के अनुसार-''कोई भी संघ राज्य सबल नहीं हो सकता जब तक कि संविधान द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए संघ तथा राज्य के पास पर्याप्त आर्थिक साधन ना हो।''

भारत में 1935 ई0 में भारत सरकार अधिनियम से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया। राजस्व के समस्त स्त्रोंतों को केंद्र तथा प्रांतों के बीच बांट दिया गया तथा केंद्रीय राजस्व के कुछ भाग को भी राज्यों के बीच वितरित किया जाता था। वर्तमान भारतीय संविधान में 1935 ई0 की योजना को कुछ परिवर्तन के साथ अपनाया गया, लेकिन संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान के लागू होने के बाद प्रति 5 वर्ष पर 1 वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो वित्त विभाजन की योजना का पुनरीक्षण कर उनमें उचित परिवर्तन लाएगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच वित्त विभाजन की लचीली व्यवस्था को अपनाया है। डॉ0 पायली के शब्दों में संघ तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं- कार्यक्षमता

पर्याप्तता तथा उपयुक्तता। इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ ही प्राप्ति एक अत्यंत कठिन कार्य है। इसमें संविधान, प्राकृतिक एवं आर्थिक बाधाएं खड़ी होती हैं। यदि एक व्यवस्था सब प्रकार से उपयुक्त प्रतीत भी हो तो वह विभिन्न राज्यों के दावों तथा प्रतिदावों का समाधान नहीं कर पाती, इसलिए संविधान में समझौते की चेष्टा की गई है।

भारतीय संविधान वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर राज्यों की आय सीमा उन्हें करों तक सीमित रहती है, जो राज्य सूची में उल्लिखित है। इस अवधि में राष्ट्रपति संविधान के किसी भी ऐसे उपबध को निलम्बित कर सकता है जिसका संबंध था जो अनुदानों से हो या संघ के करो की आय में भाग बढ़ाने से हो। यह संघ सरकार को वित्तीय औचित्य के संबंध में राज्य सरकार को किसी प्रयोजन के लिए निर्देश देने का अधिकार दे सकता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य विधान मंडल द्वारा पारित धन विधेयक को अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।

भारतीय संविधान द्वारा व्यवस्थित संघ और राज्यों के संबंध में कटु आलोचना की गई है। संविधान आदर्श संघ की भांति केंद्रों और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है लेकिन इससे शक्ति विभाजन का उद्देश्य केवल संघीय संविधान की आवश्यकता की पूर्ति मात्र नहीं है बल्कि संघ सरकार को शक्तिशाली बनाना है।

वित्तीय संबंध के बारे में कुछ आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान संघीय राजस्व के स्वीकृत सिद्धांतों की ओर विशेष ध्यान नहीं देता है। उदाहरण स्वरूप संघीय संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष कर राज्य के अधिकार में तथा परोक्ष कर संघ सरकार के अधिकार में होना चाहिए लेकिन भारतीय संविधान इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है इसके अलावा राज्यों के राजस्व को स्त्रोत इतना कम है कि उन्हें ऋण या सहायक अनुदान के लिए बराबर संघ का मुंह देखना पड़ता है। वित्त विभाजन की योजना के समर्थकों का कहना है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था संविधान को लचीला बना देती है, कठोर नहीं।

संवैधानिक उपबंधो के अतिरिक्त कतिपय सांविधानिक तथा प्रशासनिक के विकासों के फलस्वरूप भारत में केंद्र शक्तिशाली हो गया है। देश की आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए योजना का सहारा लिया गया है। इस उद्देश्य से केंद्र में एक योजना आयोग (नीति आयोग) की स्थापना की गई है। देश की आर्थिक पहलु पर इसका इतना नियंत्रण है कि इसे कभी-कभी महासरकार कहा जाता है।

निष्कर्ष:-

भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में लचीलापन और दृढ़ता दोनों ही एक साथ आवश्यक है। आधुनिक गणतंत्र को जन्म से ही एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी, लेकिन भारत की विशाल आकार और विविधता के चलते यहां के संविधान में पर्याप्त लचीलापन और विकेंद्रीकरण अनिवार्य है। जैसे नीति आयोग के निर्माण में देखा गया लेकिन अब लगातार नीति आयोग के द्वारा राज्यों से बातचीत के माध्यम से केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के मध्य सभी क्षेत्रों में पहले से ज्यादा राज्य सरकारों की प्राथमिकता दी जा रही है। एक संघात्मक राज्य में केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध केवल कानूनी समस्या नहीं है। निस्संदेह इसका ढांचा संविधान के उपबंधों द्वारा तय होता है, लेकिन इसका यही अंतिम रूप नहीं होता। देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों का प्रभाव इन पर पड़ता है। वस्तुत: यह मानवीय संबंध तथा राजनीतिक समस्या है जो केंद्र तथा राज्यों में सत्तारूढ़ शक्तियों से पारस्परिक लेन-देन, आदर तथा मिल जुलकर काम करने की भावना पर निर्भर करता है।

कुछ विद्वानों का यह कहना है कि केंद्र और राज्य में तनाव की संभावना कम है। कारण यह है कि राज्य के समक्ष इतनी विकट घरेलू समस्याएं है कि साधारणत: वे उनके सुलझाव में ही व्यस्त रहेंगी। साथ हीं केंद्र से झगड़ा मोल लेकर अपने भार को वे अधिक बढ़ाना नहीं चाहेंगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य केंद्र पर इतना अधिक निर्भर है कि वे केंद्र की सहायता के बिना अधिकांश कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लागू करने में असमर्थ होंगे। केंद्र द्वारा आर्थिक सहायता के अभाव में राज्य के अधिकांश विकास कार्यक्रम ठप्प पड़ जाएंगे। संविधान वेताओं का कहना है कि संविधान में ऐसे उपबंधों की व्यवस्था है जो केंद्र और राज्य के संबंध का संचालन हर परिस्थिति में कर सकते हैं। उनका कहना है कि संविधान निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में पैदा हो सकती है। अत: उन्होंने केंद्रीय तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायिका शक्तियों को संतुलित करने तथा केंद्रीय और राज्य कार्यपालिकाओं के संबंध में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संविधान में विस्तृत व्यवस्था की है।

1989 के आम चुनाव के बाद देश में गठबंधन सरकारों की राजनीति का दौर शुरू हुआ और शक्तियों का व्यापक विकेंद्रीकरण हुआ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ने लगा। क्षेत्रीय अनुदान की मांग बढ़ने लगी तथा क्षेत्रवाद का काफी बोलबाला हो गया। यह दौर भारतीय संघवाद के लिए परिवर्तन का दौर था। इस दौर में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई। इस दौर में भारतीय संघ व सरकार के तीन अंग कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा सकता है। लेकिन 2014 में आम चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गठित हुई। वर्तमान सरकार ने नीति आयोग की बैठकों में टीम इण्डिया जैसे शब्दों के इस्तेमाल से केंद्र और राज्यों के मध्य एक नई सहमति बनाने की कोशिश की है। जिसे हमारे संविधान के अध्येताओं ने सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था।

15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया जिसमें 12 सफल अंशत: असफल, पंचवर्षीय योजनाओं को चलाकर केंद्र राज्य संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश की और भारतीय संघवाद को मजबूत करने का काम किया। 1 जनवरी 2015 को योजना

आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकारी संघवाद के ऐजेंडे को फिर से दुहराया। नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संस्था जन आकांक्षाओं पर केंद्रित होगी तथा वैसे विकास के एजेंडे पर कार्य करेंगी जिसमें अधिकतम जन सहभागिता हो।

यदि हम भारत के संघीय ढांचे और इसके सांस्कृतिक स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि यद्यपि विविधता में एकता का प्राचीन रूप सुरक्षित है, किंतु एकता के आधारभूत रंग धूमिल पड़ गए हैं और विविधता के सतही रंग अधिक उभर आए हैं। यदि हम समान आधारभूत बातों पर और अधिक जोर देते हुए शीघ्र उस स्थिति को वापस लाने के लिए परिश्रम नहीं करते, तो मूल स्वरूप का कोमल भावुकतापूर्ण संतुलन हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है।

केवल विविध भाषाएं भारत की एकता के लिए सकारात्मक खतरा नहीं हो सकती, यदि भाषायी सांप्रदायिकता जो कई मामलों में अंध देशभक्ति बन जाती है उसके साथ ना हो। हमारे समाज के अवयव में यह जरूर है जो भाषायी राज्यों के आंदोलन को जन्म देता है जो तार्किक, ऐतिहासिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से तो पूरी तरह न्याय संगत है, किंतु जिनके हृदय में देश की अच्छाई निहित है उन सब के लिए बड़े महत्व की बात है।

भारत के सर्वोच्च सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता के लिए क्रियान्वित होने वाला एक दूसरा शक्तिशाली तत्व है राजनीतिक विचारों का समुदाय जो पिछले 70 वर्षों में विकसित हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने भारत का जो भी नुकसान किया है, उसकी पूर्ति स्वतंत्र प्रजातांत्रिक व्यक्तियों के संपर्क के द्वारा देश में आयी। आधुनिक प्रजातंत्र के सिद्धांत और व्यवहार की सुव्यवस्थित शिक्षा के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में हुई।

भारतीय राजनीति में वाम-दक्षिण द्विभागीयकरण अधिक स्पष्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी तथा कई अन्य राजनीतिक दलों ने दक्षिण पंथी मार्ग को अपनाया है जबकि दोनों साम्यवादी दलों ने वामपंथी मार्ग को। यद्यपि कांग्रेस ने मध्यम मार्ग को अपनाया है और अपने वाम और दक्षिण के विवादों से ऊपर रखने की कोशिश की है, फिर भी इसका झुकाव वामपंथ की ओर रहा है। सच पूछा जाए तो भारतीय राजनीति दोनों उग्र वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधाराओं से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो पाया है। इसने दोनों की अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश की जो अपने आप में भारतीय बन गया। मोरिस जोन्स ने स्पष्ट कहा है कि भारत साम्यवादी नहीं हो रहा है और ना तो यह वामपंथ की ओर जा रहा है। यह दोनों के मध्य का रास्ता अपनाता है, यह विशुद्ध भारतीय बन रहा है।

भारतीय संघवाद अनेक संकटों को पार करते हुए अपनी जड़ें जमा चुकी है। आज से इसकी दृढ़ स्थिति को देखते हुए इसके उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा सकती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें कमजोरियां नहीं है। फूट और पृथकता की प्रवृत्ति, व्यवहारिक दृष्टिकोण की कमी समझौते के माध्यम से समस्या को टालना, राजनीतिक दलों और विशिष्ट हितों के संगठनों का कमजोर बना रहना, जनता की मांग का राजनीति पर दबाव नहीं पड़ना, नौकरशाही के अधिक तरजीह देना और किसी दल या मोर्चों के ठीक निष्ठा का आभाव होना, भारतीय संघीय ढांचे को कमजोर बनाता है। इन कमजोरियों पर विजय पाकर ही देश में राजनीतिक स्थिरता आ सकती है और इसका आर्थिक विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था-एस. एफ.- डॉ.बी.पी.सिंह
- भारत की राष्ट्रीय संस्कृति-एन.बी.टी.-एस.आबिद हुसैन
- भारतीय राजव्यवस्था-एम.लक्ष्मीकांत
- एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें
- भारतीय शासन और राजनीति-ए0एस0 नारंग-जी0पी0 हाउस
- भारतीय शासन और राजनीति-डॉ0 बीरकेश्वर प्रसाद सिंह
- दल बदल व राज्य की राजनीति-सुभाष कश्यप
- भारत की राजनीतिक व्यवस्था-नवीन कुमार अग्रवाल- ज्ञानदा प्रकाशन
- भारतीय शासन और राजनीति-डॉ.महेंद्र प्र0 सिंह-ओरियेट ब्लैकस्वान प्रकाशन
- द हिंदू, इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन के विविध संस्करण

नंदकिशोर आचार्य के काव्य सृजन में गांधी दर्शन का स्वरूप

मीनू मीणा

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

नंदकिशोर आचार्य, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी पहचान हिन्दी जगत में कवि, नाटककार, आलोचक और विचारक के रूप में जानी जाती है। इनके काव्य सृजन में शामिल काव्य संग्रह मुख्य रूप से प्रकृति को संबोधित करते है जबकि सामाजिक दर्षन से संबंधित काव्यों में सांस्कृतिक, राजनीतिक, परम्पराओं व आधुनिक विचारों के साथ-साथ सामाजिकी, सत्याग्रह तथा सभ्यता के दर्षन संबंधी लेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी कविताओं में गांधीजी के विचारों और आदर्शों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

बीज शब्दः सत्याग्रह, काव्य, प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता।

काव्य-सृजन में परिवेश की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परिवेश काव्य-सृजन की वास्तविक तराश है जिसकी बदौलत कवि या लेखक को सही पहचान मिलती है। प्रकृति, समाज और सहजीवन की विविध अर्थछटाएं परिवेश से खिलती हैं। इन्ही प्राकृतिक परिवेष एवं सामाजिक परिवेष को नंदकिषोर आचार्य के द्वारा अपने काव्य संग्रह अथवा साहित्य के साथ यथार्थ का अर्न्तसंबंध निर्धारित करते हुए विचार विमर्ष किया है।

उनकी प्रमुख काव्य संग्रहों में 'राख और अन्य कविताएँ' और 'आरोहण' शामिल हैं। आचार्य ने नाटक और आलोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नाटक समाज की वास्तविकताओं और समस्याओं को गहराई से उजागर करते हैं। उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर गहन अध्ययन और विश्लेषण प्रदान करती हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। उनकी रचनाएँ उनकी गहरी संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और साहित्यिक कौशल को दर्शाती हैं। इनकी रचनाएँ न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरणादायक हैं।

नंद किशोर आचार्य के अनुसार पहले तो यह समझने की जरूरत है कि 'आधुनिक' शब्द का प्रयोग बहुत से भ्रम पैदा करता है। जब गांधी जी आधुनिकता शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अन्य लोग आधुनिकता शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें फर्क हो जाता है। गांधी जिस आधुनिक सभ्यता की बात करते हैं, वह मूलतः औद्योगीकरण से उत्पन्न सभ्यता है और औद्योगीकरण से उत्पन्न यह सभ्यता मूलतः उपभोग पर आश्रित है, क्योंकि यदि अधिक से अधिक उपभोग नहीं होगा तो औद्योगीकरण का आगे विकास सम्भव नहीं है। इसलिए निरन्तर उसका विकास होते चले जाने के लिए कृत्रिम जरूरतें बढ़ाते चले जाने की आवश्यकता होती है।

आचार्य के कव्य में जीवन के गहरे प्रश्नों और सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन मिलता है। उनकी कविताओं में मानवता और आध्यात्मिकता का सजीव चित्रण होता है। उनके नाटकों में सामाजिक विडंबनाओं और मानवीय संघर्षों का सजीव और संवेदनशील चित्रण है। उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ साहित्य की विविध विधाओं पर गहन अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं।

नंदकिशोर आचार्य के काव्य सृजन पर महात्मा गांधी के विचारों का गहरा और स्थायी प्रभाव देखा जा सकता है। आचार्य की कविताओं में गांधीजी के विभिन्न सिद्धांतों और आदर्शों का संवेदनशील और सजीव चित्रण हुआ है, जो उनके साहित्यिक योगदान को विशेष और महत्वपूर्ण बनाता है।

गांधीजी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का आचार्य की कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कविताएँ सत्य के मार्ग पर चलने और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, आचार्य की कविताओं में जीवन के संघर्षों और विषमताओं का सामना करते समय सत्य और अहिंसा के महत्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। नंद किषोर आचार्य ने सत्य से संबंधित अपने विचार 'अपराह्न' पुस्तक में इस प्रकार प्रस्तुत किये है-

जीऊँ सच में
सपने में नहीं-

मान लेता हूँ तुम्हारा कहा
इसलिए जीता हूँ सच में
–ईश्वर जीता जैसे
सच में अपना
सपना।[1]

इस कविता में आचार्य जी अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों और सच्चाई को अपनाने की बात करते है। वह कहता है कि वह सपनों की दुनिया में जीने की बजाय, सच्चे और वास्तविक जीवन को जीता है। वह दूसरों की बातों को भी मानकर उस सच्चाई को स्वीकार करता है, जिससे उसका जीवन और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। कविता में ईश्वर का उल्लेख यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं भी सच्चाई में जीते हैं और अपने सपनों को सच्चाई में बदलते हैं। इसका संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई को महत्व देना चाहिए और इसे पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम ईश्वर के समान अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकें। यह कविता आत्म–प्रेरणा और सच्चाई को महत्व देने पर जोर देती है जो गांधी जी के सत्य के विचारों से काफी मेल खाती है।

गांधी जी का 'बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो' के विचार से संबंधित काव्य की रचना आचार्य जी के द्वारा अपनी पुस्तक 'अक्सर' में 'गूंगा हो जाना चाहता है' में इस प्रकार प्रस्तुत की है–

गूँगा हो जाना चाहता है शब्द
नहीं तो भला कह पाएगा कैसे
इन जुल्मतों को वह
क्या नाम हो उसका...[2]

इस कविता के माध्यम से आचार्य जी ने शब्दों की गूँगापन की इच्छा एक गहरी और जटिल भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करती है। इसमें यह बताया गया है कि शब्द इतने असहाय हो गए हैं कि वे दुनिया में व्याप्त 'जुल्मतों' यानी अंधकार, अन्याय और पीड़ा को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। यह संकेत करता है कि दुनिया इतनी पीड़ित और अन्यायपूर्ण हो गई है कि इसके खिलाफ शब्द भी मौन हो जाते हैं। यह स्थिति उस दु:ख और संघर्ष को दर्शाती है जो व्यक्ति के भीतर व्याप्त है।

अगर इसे महात्मा गांधी जी के विचारों से तुलना करें, तो यह उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की शिक्षाओं से जुड़ सकता है। गांधी जी मानते थे कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ केवल आवाज उठाना ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम, मौन और सत्य के माध्यम से कार्य करना भी जरूरी है। इस कविता में शब्दों का गूँगा होना भी इसी आत्मसंयम और गहन आत्मचिंतन की ओर संकेत करता है, जो गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा था।

गांधी जी के लिए, जब बाहरी जुल्म और अन्याय असीम हो जाता है, तब हमें आत्मशक्ति, मौन, और शांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लेना चाहिए। इस कविता में व्यक्त भावनाएँ गांधी जी के इन्हीं मूल्यों की गूंज महसूस होती हैं। यह उनकी शिक्षा की याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष का मतलब केवल शारीरिक या मुखर विरोध नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में जाकर संघर्ष करना है।

आचार्य जी ने अपने कविता संग्रह 'अपराह्न' में 'आत्मा विकलता है क्या' शीर्षक से कविता के माध्यम से बताया है कि आत्मा और देह के बीच के गहरे संबंध और उनकी सीमाओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि आत्मा वास्तव में अस्तित्व में है, तो उसमें छूने या संपूर्णता प्राप्त करने की इतनी तीव्र कामना क्यों होती है। और यदि देह का अस्तित्व है, तो उसके पार जाने की यह विकलता क्यों होती है?

यदि आत्मा हो
क्यों है
छू लेने की कामना
और देह हो यदि
क्यों उसके पार जाने की
विकलता यह?[3]

अगर इस विचार को गांधीजी के दर्शन से तुलना करें, तो यह उनके 'आत्मा और सत्य' के विचारों से मेल खाता है। गांधीजी मानते थे कि आत्मा का लक्ष्य सत्य और प्रेम की तलाश है, और यह तलाश लगातार चलती रहती है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को आत्मा के सबसे ऊंचे मूल्य माना। उनके लिए, आत्मा की विकलता सत्य को समझने और उसे अपनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थी।

गांधीजी ने इसे संघर्ष के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे आत्मा की उन्नति और उसकी वास्तविकता को जानने की प्रक्रिया माना। यह कविता उसी अंतहीन खोज और आत्मा की असंतोषजनक पूर्णता की ओर संकेत करती है, जो गांधीजी के विचारों में गहराई से शामिल है। उनके लिए, आत्मा का संघर्ष जीवन की सबसे सार्थक यात्रा थी।

उक्त कविता संग्रह के अलावा आचार्य जी के काव्य संग्रह में षामिल अन्य साहित्य कृतियों जैसे आधुनिक विचार एवं षिक्षा, रचना का सच, 'षिक्षा का सत्याग्रह (2009)' एवं 'सत्याग्रह की संस्कृति (2010)' एवं 'स्वराज के सवाल (2012) आदि रचनाएँ भी उनकी गहरी संवेदनशीलता, समाजिक जिम्मेदारी और साहित्यिक कौशल को दर्शाती हैं। उनकी कृतियाँ न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरणादायक हैं। नंदकिशोर आचार्य ने हिंदी साहित्य के माध्यम से गांधी के स्वरूप को प्रस्तुत किया है।[4]

इन काव्य संग्रहों में सामाजिक न्याय और समानता के विचार भी गांधीजी के आदर्शों से प्रेरित हैं। उनके काव्य संग्रह जैसे सत्याग्रह की संस्कृति समाज में व्याप्त अन्याय, विषमता और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती हैं और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने का संदेश देती हैं। आचार्य की रचनाओं में सामाजिक सुधार और समानता के विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। स्वराज के सवाल में समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई हैं और समाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया हैं। स्वराज, अर्थात आत्म-शासन और स्व-निर्भरता, आचार्य की कविताओं में एक प्रमुख विषय है। उनकी रचनाओं में स्वराज का आदर्श न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में, बल्कि व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वावलंबन के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। आचार्य की कविताएँ इस बात पर जोर देती हैं कि स्वराज केवल बाहरी सत्ता से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान की भावना भी है। इसमें आचार्य स्वराज का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना को अपनाने की प्रेरणा दी जाती है।[5]

आचार्य की कृति शिक्षा का सत्याग्रह गांधीजी के शिक्षा और स्वावलंबन संबंधी विचारों से प्रभावित हैं। जो यह संदेश देती हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं है, बल्कि यह समाज में जागरूकता और आत्मनिर्भरता लाने का महत्वपूर्ण साधन है।

नंदकिशोर आचार्य के काव्य सृजन में गांधीजी के विचारों का यह गहरा प्रभाव उनकी रचनाओं को विशेष और विशिष्ट बनाता है। उनकी कविताएँ न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरणादायक हैं। आचार्य की रचनाएँ गांधीजी के आदर्शों और सिद्धांतों को न केवल प्रस्तुत करती हैं, बल्कि उन्हें जीवंत और प्रासंगिक भी बनाती हैं।

नंदकिशोर आचार्य की कविताएँ सत्य और अहिंसा के इन सिद्धांतों को न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनाती हैं। उनकी रचनाएँ पाठकों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे वे अपने जीवन को अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और सकारात्मक बना सकें।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: नंदकिशोर आचार्य के काव्य सृजन पर महात्मा गांधी के विचारों का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनकी कविताओं में सत्य, अहिंसा, स्वराज और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का संवेदनशील चित्रण हुआ है, जो पाठकों को जीवन की विषमताओं और संघर्षों में इन मूल्यों के पालन के लिए प्रेरित करता है। गांधीजी के स्वराज और स्वदेशी के विचारों को आत्मनिर्भरता एवं देशभक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए, आचार्य ने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी प्रमुखता दी है, जो समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। उनकी कविताएँ गांधीजी के आदर्शों को जीवंत एवं प्रासंगिक बनाते हुए, समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देती हैं। साहित्यिक शोध में उनके काव्य में गांधीजी के आदर्शों के प्रभाव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों तथा उनके साहित्यिक योगदान का गहन अध्ययन संभावित है। उनकी रचनाएँ आत्मानुभव, आध्यात्मिकता और मानवता के महत्व को भी उजागर करती हैं।

संदर्भ-

1. जीता हूँ सच में, अपराह्न, नंद किशोर आचार्य, सूर्य प्रकाषन मंदिर, 2018, पृ. 189
2. गूंगा हो जाना चाहता है, अक्सर, नंद किशोर आचार्य, संपादक हेतु भारद्वाज, सूर्य प्रकाशन मंदिर, 2020 पृ. 55
3. आत्मा विकलता है क्या, अपराह्न नंद किशोर आचार्य, सूर्य प्रकाषन मंदिर, 2018, पृ. 161,
4. नन्द किशोर आचार्य पचास कविताऐं: नई सदी के लिये चयन, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2011
5. हिन्द स्वराज शताब्दी विमर्ष, कन्हैया त्रिपाठी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2010, पृ. 9-12

प्राचीन भारतीय इतिहास में वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा का विकास एवं वर्त्तमान में वैश्विक महत्त्व

डॉ० अनामिका कुमारी

ए.आई.एच.सी. एवं पुरातत्व, टी.एम.बी.यू., भागलपुर

शोध सारांशः- वसुधैव कुटुम्बकम् की विचार व अवधारणा का विकास सर्वप्रथम भारत में हुआ। इसकी अवधरणा या विचार सर्वप्रथम वैदिक काल के ऋषि-मुनियों को आया और उन्होंने कहा सम्पूर्ण मानव जाति एक है और एक हीं परिवार के सदस्य है। यानि वैदिक काल में सर्वप्रथम मानवता का पाठ पढ़ाया। मानवों में करूणा का भाव तथा सामूहिक उत्थान, एक साथ विकास करने की भावना का विकास हुआ और बाद में भी इसी वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के भारत में विदेशों के सम्बन्ध बनाया। बौद्ध भिक्षुओं ने 'वसुधैव कुटुम्बकम' की संदेश भारतीय सीमा से बहार पहुँचाया। इस प्रकार वसुधैव कुटुम्बकमः का अवधारणा विश्व मानवता के लिए भारत का अमूल्य और महानतम देन है।

मुख्य शब्द - वसुधैव कुटुम्बकम्, मानवता, विश्वबन्धुत्व, वैदिक ग्रंथ, भगवतगीता।

मूल शोध विषय - 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का अर्थ है - पूरा विश्व एक परिवार है। यह न केवल नैतिक विचार व दर्शन है। बल्कि यह वैश्विक शांति सह अस्तित्व और मानवता की एकता का उद्घोष है। वसुधैव कुटुम्बकम् प्राचीन भारतीय संस्कृति में उपजी अवधारणा व विचारधारा है; जो वैदिक ग्रंथों, महोपनिषद, श्रीमद्भगवतगीता में उल्लेखित है। सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है और सम्पूर्ण मानव एक हीं परिवार के सदस्य है। यह भाव या सूत्र वाक्य महाउपनिषद में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें लिखा है कि[1]

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्।
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

जिसका अर्थ है - यह मेरा अपना है और यह नहीं है। इस तरह की गणना संकुचित चितवाले लोग करते है। उदार चित वाले लोगों के लिए पूरा विश्व हीं एक परिवार है। यह वाक्य भारतीय वैदिक वाङ्मयों, विष्णु शर्मा द्वारा रचित हितोपदेश तथा अन्य भारतीय ग्रंथों में मिलता है।[2]

वसुधैव कुटुम्बकम् वाक्यांश संस्कृत के तीन शब्दों 'वसुधा + इव + कुटुम्बकम्' से बना है। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, इव का अर्थ-जैसे, और कुटुम्बकम् का अर्थ है बड़ा परिवार। यानि पृथ्वी एक परिवार जैसा है और पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्य एक हीं परिवार जैसा है और पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्य एक हीं परिवार का हिस्सा है, चाहें वह किसी भी रंग, रूप, व जाति का हो।

यह संस्कृत वाक्य भारतीय ऋषि-मुनियों के द्वारा संकल्पना किया गया था। वेदों में विश्व-बंधुत्व की परिकल्पना सर्वत्र व्याप्त है। वेदों में निर्देश मिलता है कि हम संसार के सभी से एकत्व की भावना स्थापित करे। एकत्व की भावना स्थापित होने पर मोह, शोक और दुःख का अभाव हो जाता है।[3]

यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः।
तत्र को मोहः क शोक एकत्वमनुपश्चतः।।

वेद में कहता है कि हम परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखू और हम परस्पर मित्र की दृष्टि से देखा करे। अपने सैकड़ों मित्र बनावे। मित्र अथवा बंधु की परिभाषा ही है कि जो दूसरे के सुख में सुखी हो, दूसरे के दुःख में दुःखी हो।[4]

यानि कानि च मित्राणि कर्त्तव्यानि शतानि च.....।

ऋग्वेद के एक श्लोक में विश्व एक कुटुम्ब है, का भाव दिखाता है जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेखित है[5]

अभि ये सप्त रश्म यस्तत्रा में नाभिराताता।
त्रि तस्तद् वेदाध्तयः स जामित्वाय रेभति।

श्रीपाद दामोदर सात व लेकर इस ऋचा का भावार्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जहाँ तक सूर्य की किरणें फैलती है। वहां तक मनुष्य का कुटुम्ब हो और सारा विश्व मनुष्य का कुटुम्ब हो। वैदिक मनीषियों ने उद्घोषणा केवल मात्र दर्शन तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि अपने ज्ञान-विज्ञान के अद्वितीय कौशल से समुद्र का विशाल सीना चीरकर हिन्द वैदिक संस्कृति को विश्व के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाया और उसकी इस अतुल्य मेघा और शक्ति, धर्म और नैतिकता से वसुधैव कुटुम्बकम् की नींव रखी। हमारे पूर्वजों ने तीन-तीन मस्तूल के विशाल पाल वाले नाव वाले बेड़े लेकर सागरों से नक्षत्रों के ज्ञान के आधार पर सुदूर - पूर्व देशों से व्यापार करते हुए वसुधैव कुटुम्बकम् का आधार रखा। साथ हीं धर्मज्ञ, बौद्ध भिक्षुओं, मनीषी, धर्मप्रचारक, आयुर्वेदाचार्यो ने वसुधैव कुटुम्बकम् का भाव रखते हुए सामंजस्य, सहिष्णुता और स्वरूपता का पाठ पढ़ाया, न की कोई तलवार एवं आतंक के बल पर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 'अनेको जनपद' तथा 'अहिंसा' की परिकल्पना, जिओ और जिने दो का सिंद्धात भी वैश्विक सह अस्तित्व तथा विश्व बंधुत्व की भावना को बल देता है।

यह विश्व संहिष्णुता की संल्पना वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद के एक श्लोक में लिखा है कि

यत्र भवति विश्वं एक नीडम्।

यजुर्वेद के एक श्लोक में प्रत्येक मनुष्यों को एक निर्देश दिया गया है कि पृथ्वी हमारी माता है। हम सब पृथ्वी के पुत्र है। अतः संसार के सभी मनुष्य भाई-बहन है। इस भावना में भी विश्वविन्धुत्व की झलक है। अथर्ववेद[7] में उल्लेख मिलता है कि ''माता भूमिः पुत्रोडहम पृथिया।'' यानि संपूर्ण पृथ्वी को अपनी माता के रूप में स्वीकार्य किया है। इस आलोक में राष्ट्र परिवार से ऊपर माना जाता है और इसकी सार्थकता उस समय साबित हुआ, जब भारत ने कोरोना महामारी के समय विश्व के देशों को दवाई-वैक्सिन उपलब्ध कराई।

ऋग्वेद में किसी प्रकार के भेदभाव, अपना-पराया, बड़ा-छोटा, ऊँच-नीच की भावना नहीं रखने का उल्लेख मिलता है और भेदभाव, मन का कलेश भुलाकर सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे।

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते् सम्भ्रातरों वावृधुः सौभाग्य।

हमारे धर्म संस्कृति में सभी के सुखी की कामना की है। यहाँ सभी जीव-अजीव के लिए मंगल कामना करते हुए वैदिक ग्रंथों तथा अन्य ग्रंथों में मिल जाता है। यह वाक्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि

सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।[8]

सर्वे भद्राणि पश्चन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्यवेत्।।

इस तरह विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हुए हमारे ऋषि मुनियो, मनिषियों ने उद्घोष किया और अपने ग्रंथों में संकलित किया है, जिसमें बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात की है। इसी तरह दुर्गा सप्तशथी में 'सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके' की अमृतवाणी की कल्पना की है। वैदिक ऋषि-मुनियों व आचार्यो ने अपने यज्ञों तथा पूजा कार्यक्रमों के माध्यम से सम्पूर्ण जगत की शांति की कल्पना की है, सम्पूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव - अजीव की कल्याण की कामना हर मांगलिक कार्य व पूजा के समय करते हुए मिल जाता है।

ऊँ घौः शान्तिः रन्तरिक्षं एवं शांतिः पृथ्वी शांतिः खपः शान्तिरोषघेरा, शांति वनस्पतयः, स्पतयः शांतिः विश्वेदेवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वग्वं शांति।।

इस मंत्र के द्वारा वैदिक ऋषि-मुनियों ने पृथ्वी पर निवास कर रहे जीव-अजीव के लिए शांति व कल्याण की कामना किए थे।

उपसंहार - इस प्रकार प्राचीन काल से चली आ रही वसुधैव कुटुम्बकम् की भारतीय अवधारणा वर्त्तमान समय की पर्यावरणीय चुनौतियाँ, वैश्विक युद्ध के समाधान में मील का पत्थर साबित होगा। यह वाक्य सम्पूर्ण मानवता के लिए आदर्श वाक्य है। वसुधैव कुटुम्बकम् सम्पूर्ण मानव के कल्याण और उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम, करूणा और सम्मान रखनी चाहिए और यह अवधारणा विश्व शांति, सामाजिक एकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व के सभी देशों, सभी मानवों को प्रेरणा प्रदान करती है। अतः यह वाक्य, यह दर्शन, यह विचार, यह अवधारणा वैश्विक मानवता के लिए भारत की सबसे महान देन है, जो न केवल वैश्विकरण के दौर में न केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से वरन् आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त भूमण्डल के कल्याण की बात करते है। इसलिए हमारे विदेश नीति का मूल आधार वसुधैव कुटुम्बकम् बन गया है। यह वाक्यांश न सिर्फ संसद भवन के मुख्य द्वार पर अंकित करवाया गया है। बल्कि 9-10 सितम्बर 2023 को नई दिल्ली में आयोहित 18वीं G.20 शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम बनाया और विश्व को संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति विश्व के कल्याण के लिए है। ऋग्वेद का यह सुक्ति ''सा संस्कृति प्राथिमा विश्व द्वारा''। अर्थात भारतीय संस्कृति विश्व के कल्याण के लिए।

यह विश्व को संदेश देने का काम किया और यह संदेश पर्यावरणीय सम्मेलन न्ण्छण्व् के शांति वर्त्ता में आर्दश वाक्य बन गया है। ऋग्वेद के हीं एक श्लोक में लिखा है कि ''सगच्छदवं स वो मनांसि जानताम्'' यानि साथ-साथ बढ़ों की बात कहीं गई है।

संदर्भ सूचि

1. महाउपनिषद 3/71
2. डॉ हिमांशु शेखर, भारतवर्ष की अवधारणा, पाठक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2025, पृ० 153
3. यजुर्वेद 47/7
4. नाहद आबिदी, वर्त्तमान संदर्भ में वैदिक मूल्य, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2022, पृ० 59
5. ऋग्वेद 1/105/24
6. यजुर्वेद 9/22
7. अथर्ववेद 12/1/12
8. डॉ हिमांशु शेखर, पूर्वोक्त, पृ० 154
9. पूर्वोक्त

संगीत के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ० उषा

सहायक प्रवक्ता, संगीत वादन विभाग, आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी

शोध प्रपत्र सार

मानव जीवन में मन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। मन एक अमूर्त वस्तु है, जिसका विश्लेषण संभव नही लेकिन मन को मानसिक क्रियाओं का एक समूह कह सकते हैं अर्थात् व्यवहार की अनुभूति मानव शरीर में जिस स्थान पर होती है उसे मन कहा जाता है।

चिकित्सक संघ संगीत को एक आवश्यक चिकित्सा-पद्धति के रूप में स्वीकार करने में हिचकिचाता है, पर अधिकांश डॉक्टरों का यह मानना है कि संगीत नसों का तनाव दूर करता है, मन को नकारात्मकता से दूर रखता है। अब संगीत को आलटरनेटिव थैरेपी के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। संगीत का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 'मन' हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। हमारी चेतना की अभिव्यक्ति है। हमें अपनी शारीरिक क्षुधाओं का भाव मन से होता है, तो उसकी प्राप्ति के लिए भोजन की प्रेरण भी मन से ही मिलती है। मन शरीर से सम्बद्ध होने के बाद भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। इसका महत्व तथा प्रभाव इतना अहम है कि इसे मनुष्य का भाग्य-विधाता भी कहा जाता है। हमारी सम्पूर्ण अन्तः क्रियाओं का उद्गम और सामर्थ्यो का कारक मन है तो क्या मन तक पहुंचना उसे नियंत्रित करना और उपयुक्त रूप से ढालना आवश्यक नहीं है।[1]

संगीत के संदर्भ में मन के मानसिक पक्ष को तीन अवस्थाओं में देखा जा सकता है। जिन पर संगीत का प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है।

1. मन की चेतन अवस्था
2. मन की अर्थ चेतन अवस्था
3. मन की अचेतन अवस्था

मन की चेतन अवस्था एवं संगीत

चेतन मन का अस्त्वि वर्तमान स्थिति पर आधारित होता है। फ्रायड के अनुसार- यह मन का वह भाग है जिसका सम्माप्त तुस्त ज्ञान से होता है। पौगरेटण के अनुसार- चेतन का अर्थ किसी चीज की ज्ञानात्मक उपस्थिति से है, अर्थात् चेतना का अर्थ बहुत कुछ चीज से स्पष्ट ज्ञान से है जो वर्तमान में व्यक्ति के सामने उपस्थित है।

2. मन की अर्थ चेतना अवस्था और संगीत

फ्रायड के अनुसार यह मस्तिष्क का वह भाग है जिसका सम्बन्ध ऐसी विषय सामग्री से होता है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कभी भी याद कर सकता है।[2]

व्यक्ति जिन अनुभवों को याद करके अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है वह अनुभव प्रायः मस्तिष्क के इसी भाग में पड़े रहते हैं। जब तक कोई दिया सिखी जा रही होती है तब तक तो चेतन मन सक्रिय रहता है लेकिन क्रिया विशेष को सीख लेने के बाद वह अवचेतन मन में चली जाती है और आवश्यकतानुसार अवचेतन मन उसे पुनः अभिव्यक्त करता है। संगीत में जब कोई राग सिख लिया जाता है एवं उसे पुनः गाया जाता है उस समय हमारा अर्थ चेतन मन पूर्णतः प्रभावित रहता है एवं गुरू द्वारा लगाई गई वस्तु विशेष के चेतन मन में तुरन्त लावे का काम अधेचेतन मन करता है।

3. मन की अचेतन अवस्था एवं संगीत

अचेतन मन का वह भाग है जिसमे ऐसी विषय सामग्री होती है जिसे व्यक्ति इच्छानुसार याद करके चेतना में लाना चाहे तो भी नही ला सकता है। उचेतन मन में वह विचार इच्छाओं और संवेग होते हैं जो दमित हो जोते हैं।

संगीत की व्यापकता का रहस्य यही है कि उसके द्वारा केवल चेतन एवं अर्धचेतन मन ही प्रभावित नहीं होता अपितु अचेतन मन पर भी संगीत का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। संगीत आपनी विशेषताओं से मन को सम्मोहित करता है एवं मन की तीनों अवस्थाओं पर प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त मन के जितने भी मानसिक पक्ष है वे किसी-न-किसी रूप में संगीत से अवश्य प्रभावित हैं।

"भावयति इति भाव''

अर्थात् कलाकार द्वारा दर्शकों, श्रोताओं को जो अनुभव कराया जा रहा हो वह भाव है। अंग्रेजी में 'भाव' शब्द के लिए प्रायः Emotion शब्द प्रयोग होता है। आधुनिक हिन्दी विद्वानों ने इसके अनुरूप अनुभूति शब्द माना है। भावनाओं की अभिव्यक्ति को संचालित करने का माध्यम भाग है।[3]

संगीत से भाव के सम्बंध में दर्शाते हुए कहा गया है भाव या अनुभूति किसी के अन्तःकरण में स्थित होकर पधावरण धारण कर कविता कामिनी के रूप में अवतरित होती है, तो यही भाव कहीं चित्र की मूर्ति तथा वास्तुकला की गोद में अपने को अर्पित कर देता है और यही अनुभूति कंठ के माध्यम से नाद को गत्यात्मक स्वरूप देकर हमारे सम्मुख उपस्थित होता है तब हम उसे संगीत की संज्ञा देते हैं। यद्यपि सभी कलाओं का मूल भाव उद्देश्य भागभिव्यक्ति है। लेकिन मानव हृदय को सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों की समर्थ अभिव्यंजना जितनी संगीत कला के माध्यम से हो सकती है उतनी अन्य कला द्वारा नहीं हो सकती। मानव ने आदिकाल से ही अपनी इच्छाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति स्वर द्वारा ही की थी।

प्रारम्भ में मनुष्य के पास न भाषा थी न ही अर्थ की प्रतीति। मानव जीवन की प्रत्येक भावाभिव्यक्ति में संगीत का अपना स्थान है। लोरियों के स्वर किसानों के गीत, राष्ट्रीय गीत, भजन, कीर्तन आदि सभी प्रकार के गीतों में मानव के सुन्दर भावों की अभिव्यक्ति निहित है।[4]

वैदिक काल का संगीत भी विभिन्न भावों के सिद्धांतों में बंधा था। Music in the vedic time was stystematzed with some fixed principles and metheds and it was coloured with dffierent emotional units and dffierent feeling which used to be transmitted in the mind of the priests and Yajamanas.[5]

संगीत चाहे किसी भी देश का हो उसमें भावनाओं तथा संवेगों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। संगीत में कलाकार अपनी भावनाओं को श्रोताओं तक आसानी से पहुंच सकता है। इसे क्रिया संप्रेषण कहते हैं। संगीत में संप्रेषण की व्यापक क्षमता के कारण ही संगीत को विश्वव्यापी भाषा की संज्ञा दी गई है। कलाकार संगीत के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। वह अपनी संवेदनात्मक भावनाओं का जोकि संवेग का रूप धारण कर लेती है। श्रोताओं तक पहुंचाता है। कलाकार का भावनात्मक दृष्टिकोण, स्वामा, मनोदशा सभी का उसकी कला तथा भावाभिव्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। भाव तो प्रत्येक मानव में पहले से ही विद्यमान् है किन्तु उसकी किसी कलाकृति के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकने की क्षमता प्रत्येक मानव में नहीं होती। कलाकार और कला के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए आर० जी० कोलिंगवुड ने अपनी पुस्तक Principal of Arts में कहा है– कलाकार का लक्ष्य भावों की उद्दीप्ति नहीं अपितु भावों की अभिव्यिक्ति होती है।[6]

संगीत में गायक, वादक कृति के माध्यम से स्वर लहरी द्वारा, श्रोताओं को आत्मविभोर कर उनके अन्तर्निहित भावों को जागृत करते हुए आनन्द की अनुभूति करता है। विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति व उन भावों के रसों की निष्पति के अनुकूल प्रबन्ध रचनाएं राग, ताल उपलब्ध है। संगीत एक प्रदर्शनात्मक कला है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए किसी भाषा विशेष की आवश्यकता नही होती है। श्रोताओं की मनोदशा समझकर उनके और अपने भावों का एकीकरण करना ही कलाकार की सम्पन्नता है। भाव और संवेग तो सर्व व्यापक एवं समान है। अतः उनके किसी भी देश, जाति अथवा समाज के संगीत में व्यक्त होने की संभावना रहती है। इसी धारणा को व्यक्त करते हुए श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा है जहाँ हृदय की पुकार भी पहुंचने में असमर्थ है वहाँ संगीत की तरंगें पहुंचती है। यही कारण है कि विवाह खुशी दुख यहाँ तक की मृत्यु पर भी लोक जीवन में संगीत व्याप्त है। प्रीत ने कहा है भाव जो हम अनुभव करते है, संगीत उसे ही ध्वनि द्वारा प्रकट करता है।[7]

रूचि एक मानसिक प्रवृति है जिस विषय का आकर्षण मन में उत्पन्न होता है। वास्तविक रूचियाँ व्यक्ति के जीवन में अधिक स्थाई होती है।

आइसबेक और उसके साथियों के अनुसार – रूचि व्यवहार की वह प्रवृत्ति है जो कुछ वस्तुओं, क्रियाओं या अनुभवों के प्रति कार्य कर सकने में समर्थ होती है। यह प्रवृति तीव्रता में व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित होती रहती है।[8]

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसमे संगीत के प्रति रूचि न हो। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के मन में किसी–न–किसी प्रकार के संगीत की रूचि होती ही है। किसी की गीत, गजल सुनने में आनंद मिलता है, किसी को फिल्मी गाने पसंद आते हैं। कुछ लोग केवल शास्त्रीय संगीत ही पसन्द करते हैं। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में संगीत शिक्षार्थियों की रूचि का इतना अधिक महत्व है कि बिना इसके शिक्षा प्रक्रिया चल ही नहीं सकती।

संगीत को संवारने नवीनता लाने तथा सौन्दर्य प्रदान करने के लिए कल्पना का विशेष महत्त्व है। बन्दिश के अतिरिक्त जो गायकी है अथवा वाद्य संगीत मे जो भी गत है। उसके अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रस्तुति कल्पना का चमत्कार होता है। बोल, आलाप, ताने, दुगुन, तिगुन, तिहाईयाँ, उपज, जोड़, आलापा, झाला, घसीट आदि सब कलाकार की कल्पना की उपज होते हैं। यही कारण है कि हमारा कोई राग कभी पुराना नही होता। एक ही बन्दिश को विभिन्न गायक विभिन्न समय पर अपनी कल्पना के द्वारा नवीनता प्रदान करते रहते हैं।

हिन्दी विश्वकोस के अनुसार- "कल्पना विगत प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभवों का बिम्बों और विचारों के रूप में विचारणात्मक स्तर पर सरंचनात्मक नियोजन कल्पना है।[9] अरस्तु के अनुसार - Art is a combinaton of imitation and imagination.[10]

हर कलाकार या गायक की अपनी कल्पना शक्ति अपने ढंग से कार्य करती है। अत: विभिन्नता स्वाभाविक है। संगीत में कल्पना संगीत आना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी विद्वान की विद्वता को परखने की कसौटी यही मानी जाती है कि वे कल्पना संगीत गाने में दक्ष है। कल्पना संगीत गाने के लिए गायक के कल्पना प्रतिभा तथा मौलिक सूझ होनी चाहिए। यही कलाकार का व्यक्तिगत चमत्कार प्रकट होता है। कल्पना के बिना कला का आस्तित्व नही है। कल्पना ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हर गायक उसे अपने तरीके से प्रस्तुत कर नीवनता प्रदान करता है।[11]

वातावरण में वह सभी वाद्य शक्तियां प्रभाव परिस्थितियां आदि सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार और शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करती है। वातावरण मुख्यत: दो प्रकार हो सकता है। भौतिक वातावरण तथा मनोविज्ञान वातावरण यह दोनों प्रकार का पर्यावरण व्यक्ति के व्यवहार तथा शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण से अभिप्राय व्यक्ति के जीवन स्थान सपमि`चंबम से है अथवा उस मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

सांगीतिक योग्यता पर वातावरण का अधिक प्रभाव बताने वाले विहखानों का कथन है कि बालक के सांगीतिक रुझान का सीधा सम्बन्ध सांगीतिक वातावरण से जुड़ा हुआ है और वातावरण से ही सांगीतिक योग्यता विकसित होती है। गुरू द्वारा दी गरे मौखिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अच्छी स्मृति का होना आवश्यक है। श्रेष्ठ संगीतकारों की स्मृति का मूल्यांकन उनकी स्मृति से संचित रागों एवं बंदिशों से ही किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खा बड़े गुलाम अली खां मध्यकाल के संगीत सम्राट तानसेन इत्यादि की कला में स्मरण शक्ति का भी योगदान है- क्योंकि उन्हें अपने समय की सहस्त्रों बंदिश कन्ठस्थ भी यही 'कंठस्थ' या 'याद' सब की स्मरण शक्ति ही परिचायक है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। हितगार्ड और स्टाकिनसन के अनुसार- पहले सीखी गई अनुक्रियाओं के चिन्हों को वर्तमान समय में व्यक्त या प्रदर्शन करने का अर्थ ही स्मरण है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. कविता माथुर, संगीत कला का प्रतिनधि मासिक पत्रिका, 2009 हाथरस
2. श्रीवास्तव वर्मा, आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, पृ० सं० 210
3. संगीत में रस तत्व, संस्करण 1977, पृ० 143-150
4. राजेश्वरी गोस्वामी, अभिव्यक्ति एवं संगीत के द्वारा प्रति, 1997 जुलाई, पृ० सं० 15-16
5. Music form, function and value Swami Brajnananda, pg no. 33
6. श्रीमति अनुपम महाजन, संगीत में अभिव्यक्ति के माध्यम, संगीत, 1985, पृ० सं० 35
7. विजय लक्ष्मी जैन, संगीत दर्शन, पृ० सं० 15-16
8. श्री वास्तव वर्मा, आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, पृ० सं० 188
9. ओम प्रकाश कपूर, नगरी प्रचारिणी, भाग- द्वितीय, प्रथम संस्करण, वाराणसी, पृ० सं० 386
10. लेख, रजनी बालके, संगीत कला विहार, अगस्त, 1979
11. विजय लक्ष्मी जैन, संगीत दर्शन, पृ० सं० 5
12. श्री वास्तव वर्मा, आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, पृ० 22

भारतीय प्रधानमंत्री की पद, स्थिति और भूमिका: एक अवलोकन

किशोर कुमार पासवान

(रिसर्च स्कॉलर), राजनीति विज्ञान विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)

शोध आलेख का एब्स्ट्रैक्ट :

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह पद न केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, बल्कि विधायी और नीति-निर्धारण प्रक्रियाओं में भी इसकी निर्णायक भूमिका होती है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 74 और 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, किन्तु व्यवहारिक रूप से इस पद का महत्व राजनीतिक परिस्थितियों, व्यक्तित्व एवं जन समर्थन पर निर्भर करता है। यह शोध आलेख प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद, उसकी स्थिति तथा व्यवहारिक भूमिका का समग्र अवलोकन प्रस्तुत करता है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, बल्कि राष्ट्रपति, संसद एवं न्यायपालिका के साथ संतुलन बनाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने इस पद को विभिन्न आयामों में परिभाषित किया है। इस आलेख में यह भी विवेचना की गई है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ किस प्रकार समय के साथ परिवर्तित हुई हैं-जहां एक ओर गठबंधन युग में प्रधानमंत्री की शक्ति सीमित रही, वहीं पूर्ण बहुमत वाली सरकारों में यह अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई। साथ ही, इस पद से जुड़ी चुनौतियाँ-जैसे शक्ति का केंद्रीकरण, संस्थागत स्वायत्तता का क्षरण, एवं पारदर्शिता की कमी-पर भी विचार किया गया है। अत: यह अध्ययन प्रधानमंत्री के पद की संवैधानिक तथा व्यवहारिक व्याख्या कर वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इसकी भूमिका का समीक्षात्मक दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है।

प्रमुख शब्दावली: संविधान, कार्यपालिका, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा, नियुक्ति, विधायी प्रक्रिया, नीति-निर्धारण, जनाधार, संसदीय लोकतंत्र, गठबंधन सरकार, सत्ता का केंद्रीकरण, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, न्यायपालिका, प्रशासन, लोकतांत्रिक मूल्य, राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक स्थिति आदि।

प्रस्तावना:

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के छह दशकों से अधिक के कार्यकारण पर अगर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों, यथा पं. नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक की भूमिकाएँ अलग-अलग रही हैं या बदलती रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्रियों की शासन में जो भूमिका रही है, उससे कई प्रतिमान भी उभरे हैं। मसलन एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत प्रभावशाली रही है। इससे शासन के सुचारू संचालन में मदद मिली है। इसके विपरीत जब भी साझा सरकारें बनीं तब प्रधनमंत्री उतनी शक्तिशाली भूमिका नहीं निभा पाऐ। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वी.पी. सिंह, चन्द्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, इन्द्र कुमार गुजराल रहे हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। साझा सरकारें जब भी बनी प्रधानमंत्री की मुख्य दृष्टि सुशासन पर उतनी नहीं रहीं, जितनी सरकार को बचाए रखने या सत्ता में बने रहने में रही। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर एक और प्रतिमान देखा गया है। कांग्रेसी सरकारों में नेहरू परिवार के प्रधानमंत्रियों और गैर-नेहरू परिवार के प्रधनमंत्रियों की भूमिका में स्पष्ट भेद देखने को मिलता है। पी. वी. नरसिम्हा राव को लें या फिर मनमोहन सिंह को, इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए बाहरी दबावों में देखा गया। नरसिम्हा राव उतने दबाव में नहीं रहे, जितना दबाव में मनमोहन सिंह ने अपने दो कार्यकाल पूरे किये। वे न तो कांग्रेस पार्टी में निर्णायक रहे और न ही सरकार में सबसे शक्तिशाली रहे। उनके दो कार्यकाल में सरकार से अलग सत्ता का एक समानान्तर केन्द्र सोनिया-राहुल के नेतृत्व में दस जनपथ में बना रहा। मनमोहन सिंह का श्प्रधानमंत्री कार्यालयश पीएमओ उतना शक्तिशाली नहीं रहा, जितना शक्तिशाली दस जनपथ बना रहा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक पराजय के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत मिला और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार बनी। नरेन्द्र मोदी के एक वर्ष के प्रधान मंत्रित्व काल को देखकर लगता है कि उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी उनके समकक्ष नहीं, बल्कि उनके सहयोगी और अधीनस्थ है। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल में कद उनके सहयोगियों की वनिष्यत बहुत ऊँचा है, जबकि उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति के सहयोगियों के समान मोदी का अधीनस्थ अधिक नजर आ रहे हैं। दल के स्तर पर भी नरेन्द्र मोदी निर्णायक दिखे हैं। थोड़ा पीछे की ओर जाएँ, तो पं. नेहरू राष्ट्रीय

आन्दोलन के बड़े नेता थे। ऐसे में प्रधानमंत्री बनने के बाद सशक्त विपक्ष के अभाव में वे निर्णायक और प्रभावशाली प्रधानमंत्री बने रहे। हालाँकि कुछ बातों पर उनका राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद से मतभेद भी रहा। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इन्दिरा गाँधी ने भी प्रभावशाली ढंग से प्रधनमंत्री पद की गरिमा के अनुसार शासन किया।[1] इन्दिरा जी की हत्या के बाद हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर राजीव गाँधी ने कम राजनीतिक अनुभव के बावजूद प्रभावशाली प्रधनमंत्री के रूप में देश का शासन-प्रशासन चलाया और श्रीलंका में शांति रक्षक दल भेजकर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा दिखाई हालाँकि उनकी यही महत्वाकांक्षा उनकी हत्या का कारण बनी और लिट्टे की मानव बम बनी एक महिला काडर ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्रियों की भूमिका बदलती रही है। कुछ प्रधानमंत्रियों ने तानाशाह के समान शासन चलाया, तो दूसरी और कुछ शक्तिहीन और अप्रभावी प्रधानमंत्री के रूप में बाहरी दबाव के बीच शासन चलाते रहे।

प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल या गठबंधन का नेता होने के कारण संसद का नेतृत्व करता है। वह सदन में शासन का प्रमुख वक्ता होता है। शासन की नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्राय: प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा गम्भीर मामलों पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर प्राय: प्रधानमंत्री ही देता है। जब मंत्रियों द्वारा संसद को संतोषपूर्वक उत्तर नहीं दिये जाते हैं तब संसद प्रधानमंत्री को अंतिम प्रवक्ता के रूप में देखती है। शासकीय विधेयक किस प्रकार के हों तथा कब सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायें उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अपने दल की नीतियों का क्रियान्वयन कराने और दल में अनुशासन एवं एकता कायम रखने हेतु प्रध ानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश प्रसारित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सभा के 12 सदस्य तथा श्लोकसभा मे आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन भी उसकी इच्छा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा का कार्यक्रम निश्चित करने, उसे स्थगित अथवा भंग कराने के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक होती है। इंलैण्ड में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करना प्रधानमंत्री का एक विशेषाधिकार है।

भारत में भी प्रधानमंत्री ने चतुर्थ और नवम् लोकसभा को जिन परिस्थितियों में भंग करवाया, उससे उनकी शक्ति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। इस शक्ति के यथार्थ प्रयोग से संसद सदस्य आतंकित किये जा सकते हैं। यदि उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्ग में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो उन्हें भयभीत करके अंकुश में रखा जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का उपभोग व्यवहार में वही करता है। 44 वें संविधन संशोध न के द्वारा कुछ ऐसे अंकुश अवश्य लगा दिये गये हैं जिनसे संकटकालीन शक्तियों का दुरूपयोग नहीं हो सके, पर यदि आपातकाल की घोषणा हो जाए तो संविधान प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में प्रधानमंत्री ही करता है।

संसद में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री आवश्यक विधि- निर्माण करवा सकता है। संविधान संशोधन करवाना भी प्रधानमंत्री की ही इच्छा का परिणाम होता है, परन्तु विधि निर्माण और संविधान संशोधन का निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री को लोकमत और विपक्ष की मनोभावनाओं को ध्यान में रखना होता है। लोकसभा की गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम रखने का दायित्व उसी का है। लोकसभा के सफल संचालन में प्रधानमंत्री की भूमिका सर्वोपरि और निर्णायक होती है। वस्तुत: प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है ओर संसद श्अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे अपदस्थ कर सकती है।

- सदन में सरकार का प्रमुख वक्ता होता है।
- लोकसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का अंतिम उत्तर देना।
- शासन के नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा करना। सत्रारंभ, सत्रावसान एवं सत्रास्थगित करना।
- राज्यसभा में 12 सदस्य एवं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन।
- लोकसभाध्यक्ष का निर्वाचन।

कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का अवलोकन :

प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, यद्यपि संविधान द्वारा अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद् को एक निकाय के रूप में सत्ता प्रदत्त की गयी है, परन्तु व्यवहार में प्रधानमंत्री ही सर्वेसर्वा होता है। लार्ड मॉर्ले का यह कथन कि प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, अब अप्रासंगिक हो गया है। स्वयं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि[2] प्रधानमंत्री जैसा दूसरा कोई नहीं है।

प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है और मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि, प्रध ानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत खण्ड की मुख्य आधारशिला है और जब तक हम उक्त पद को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह स्वविवेक से मंत्रियों की नियुक्ति तथा पच्युत कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति में राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता क्योंकि संविधान में स्पष्टत: उल्लिखित है कि राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री की सम्मति से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तथा उसकी सिफारिश पर उसे बर्खास्त करेगा। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है क्योंकि मंत्रिपरिषद् के साथ उसी को कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों या आचरण से असंतुष्ट होने के कारण उससे त्यागपत्र माँग सकता है। पं. नेहरू के कार्यकाल में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री सी. के. देशमुख और टी.टी. कृष्णामाचारी ने त्यागपत्र दिये थे। श्रीमती गाँधी ने उप-प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को 1969 में मंत्रिपरिषद से इस कारण से हटा दिया कि वे उनकी वित्त सम्बन्धी नीतियों से संतुष्ट नहीं थीं। श्रीमती गाँधी के काल में ही श्री छागला, श्री पुनस्या आदि मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मतभेद होने के कारण त्याग-पत्र दिये थे।

भारत की विदेशनीति एवं राष्ट्रीय नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यन्त प्रभावशाली है। प्रधानमंत्री के विजन का इन नीतियों पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। जहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता है, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ-साथ नीति-निर्माता भी हैं। आज प्रधानमंत्री का कार्यालय देश की नीति-निर्धारण का प्रधान स्रोत है। यदि अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है तो उसमें परिवर्तन की बहुत अधिक संभावना होती है। बैंक राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन, आदि जितने भी क्रांतिकारी निर्णय लिये गये, वे सब प्रधानमंत्री के ही निर्णय थे।[3]

विदेशनीति के निर्धारण में भी प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यन्त निर्णायक होती है। विदेशों से सम्बन्ध का आधार क्या हो, उसको निश्चित करना उसी पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय को चाहे अपने अधीन रखे अथवा किसी दूसरे मंत्री को सौंपे, लेकिन वह विदेश मंत्रालय से निरन्तर सम्पर्क में रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में देश का वास्तविक प्रवक्ता वही होता है। उसी के द्वारा सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय अन्तिम रूप से किया जाता है। नेहरू ने विदेश नीति के निर्माण में इतना अधिक योगदान दिया कि भारतीय विदेश नीति को 'नेहरू की नीति' ही कहा जाने लगा। नेहरू जी के विदेश नीति का आधार स्तम्भ 'पंचशील सिद्धांत था वहीं गुजराल ने 'लुक ईस्ट' नीति को आधर बनाया। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विदेशी दौरा काफी चर्चा का विषय रहा है। वह देश के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में विदेशों में उभरे हैं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की सक्रियता को प्रतिबिम्बित किया है।

रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री से निकट सम्पर्क और पूर्ण नियंत्रण में रहकर ही कार्य करना होता है। युद्ध में देश की हार-जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को ही मिलता है। किस महाशक्ति से क्या सहायता लेनी है? सभी निर्णय अन्तिम रूप से प्रधानमंत्री के होते हैं। इस तथ्य से भी उजागर होता है कि 1962 ई. में चीन के साथ पराजय का दोष पं. नेहरू के ऊपर लगा था जबकि 1965 ई. एवं 1971 ई. में पाकिस्तान को शिकस्त देने का श्रेय क्रमशः शास्त्री जी एवं श्रीमती गाँधी को मिला। 1999 ई. में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की पराजय का श्रेय श्री वाजपेयी को मिला।

प्रधानमंत्री देश और सरकार के नेता होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार और मंत्रिपरिषद् पर अपने नियंत्रण के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। देश की विदेश नीति के साथ-साथ, सामरिक कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापार-वाणिज्य इत्यादि आवश्यकताओं के अनुसार आमतौर पर प्रधानमंत्री का निर्णय ही मंत्रिपरिषद् का निर्णय होता है।[4] यहीं नीति देश का सम्बन्धित नीति होता है। जिसका अंतिम फैसला भी प्रधानमंत्री ही करता है। वैश्विक सम्बन्धों और उनसे जुड़े मामले भारत का विदेश मंत्रालय संभालता है, जिसकी जिम्मेदारी विदेश मंत्री पर होता है, जो एक स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री होता है। लेकिन वास्तविकता में सम्पूर्ण विदेश प्रधानमंत्री के विचारों के अनुरूप हीं संचालित होती है। अतः विदेश मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा लिये गये निर्णयों और नीतियों को कार्यान्वित करने का काम करता है।

विभिन्न देशों के अतिथि राष्ट्राध्यक्षों व प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत सत्कार करना व उनकी मेजबानी करना भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि व शासन प्रमुख होने के नाते विदेशों एवं अतंराष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह संयुक्त राष्ट्रसंघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सार्क, विक्रस, जी.-20, राष्ट्रमंडल, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि में देश का प्रतिनिधित्व कर भारत का पक्ष रखता है।[5] अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि बनाने और कूटनीतिक वार्त्ताओं द्वारा देश के हित की आपूर्ति करने में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोपरि है।

भारत में प्रधानमंत्री अपने दल का यथार्थ में नेता होता है। प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर दल के अध्यक्ष को सदैव पराजित होना पड़ा है। श्री नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में आचार्य कृपलानी और पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे शक्तिशाली दल के अध्यक्षों को झुकना पड़ा। श्री नेहरू ने कुछ समय तक दल की बागडोर भी अपने हाथों में रखी थी। श्रीमती इंदिरा गाँधी कांग्रेस पार्टी का करिश्माई सितारा बन कर उभरी। सन् 1969 में जब भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस के अध्यक्ष ने उनकी इच्छाओं का अनादर कर नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया तो प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी ने राजनीतिक चतुराई से उसका विरोध किया और श्री वी.वी. गिरि को विजयी बनाया, श्री निज लिगंप्पा को अध्यक्ष पद से हटाया गया और नयी कांग्रेस की नींव डाली।[6] वस्तुतः दल में प्रधानमंत्री की भूमिका तीन तथ्यों पर निर्भर करती है। प्रथम प्रधानमंत्री और दलीय अध्यक्ष में से किसने किसके चुनाव में क्या भूमिका अदा की है? द्वितीय, क्या प्रधानमंत्री संसदीय दल की शक्ति का मूल स्रोत है? नेहरू जी के नेतृत्व में संसदीय दल का व्यवहार उन स्कूली बच्चों के समान था

जो अपने शिक्षक से डरते हैं तथा उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। श्रीमती गाँधी, राजीव गाँधी तथा नरेन्द्र मोदी, संसदीय दल की शक्ति के मूल स्रोत हुए हैं।[7] तृतीय, क्या प्रधानमंत्री को जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त है? प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को जन-समर्थन प्राप्त होने से ही 1969 में दल-विभाजन के समय उन्होंने दल के रूढ़िवादी नेताओं की अधिक चिन्ता नहीं की।

वर्तमान समय में एक अन्य कारण से भी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो गयी है। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल का नेता होता है[8] और महानिर्वाचन उसके नाम से ही लडे जाते हैं। पं. नेहरू के जीवनकाल में सभी महानिर्वाचनों का नारा यही था कि कांग्रेस को वोट देकर पं. नेहरू का हाथ मजबूत कीजिए और 1971 के लोकसभा चुनावों तथा 1972 में विधनसभा चुनाव सत्ताधारी कांग्रेस ने श्रीमती गाँधी के नाम पर लड़े थे। इस चुनावों में जनता को इंदिरा हटाओ या इंदिरा बचाओ इन दो में से किसी एक पक्ष में मतदान करना था। प्रधानमंत्री ने इन चुनावों में अपने विरोधियों को प्रतिक्रियावादी बतलाते हुए स्वयं को प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सिद्ध किया और वे देश की सर्व साधारण जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने में सफल रही। 7 ऐसे निर्वाचन में जब उस दल को पर्याप्त सफलता प्राप्त हो जाती है तो स्वभाविक रूप से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और वह देश का सर्वप्रमुख शासक बन जाता है। यह निर्विवाद है कि 1971 ई. और 1972 ई. के चुनावों ने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गाँधी की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि की। 1977 ई. के चुनाव भी कुछ सीमा तक तत्कालीन और सम्भावित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर केन्द्रित थे और जनवरी 1980 ई. में लोकसभा का निर्वाचन तो प्रधानमंत्री का चुनाव ही था।[8] 1984 ई. के लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री पद पर ही केन्द्रित थे। 1989 ई. के लोकसभा चुनाव राजीव गाँधी बनाम वी. पी. सह के रूप में जनादेश की स्वीकृति के परिचायक बन गये। फरवरी, 1998 ई. के 12वीं लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को धुरंधर सांसद और प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार के रूप में पेश किया। 1999 ई. में 13वीं लोकसभा के चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के लिए 'जनमत संग्रह' बनकर रह गये। इंडिया टुडे के अनुसार वाजपेयी की अपनी लोकप्रियता उनकी पार्टी और सरकार से कहीं ज्यादा है। इसलिए इन लोकसभा चुनावों ने उनकी लोकप्रियता पर जनमत संग्रह का रूप ले लिया। मई 2009 में सम्पन्न 15वीं लोकसभा चुनावों से पूर्व प्रधानमंत्री बनने की कतार में कई लोग खड़े दिखे जिनमें मायावती, शरद पवार के साथ-साथ आडवाणी और मनमोहन सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं,[9] लेकिन असली मुकाबला आडवाणी और मनमोहन सिंह के बीच ही रह गया। अपनी आयु की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए आडवाणी ने चुनावी संघर्ष को युद्ध में बदल दिया। ओबामा शैली के उन्हीं पर केन्द्रित चुनाव अभियान ने चुनाव को आडवाणी पर जनमत संग्रह और आडवाणी बनाम अन्य की लड़ाई में बदल दिया। 16वीं लोकसभा चुनावों में भी भाजपा के घोषित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी ने निर्वाचन को व्यक्ति केन्दित बना दिया। उन्होनें अमेरिकी राष्ट्रपति की शैली में अपना प्रचार किया। पहली बार सोशल मीडिया का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया। एक-से-एक आकर्षक नारे गढ़े गए।[10] चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रोफेशनल्स को हायर किया गया। भारत के चुनावी इतिहास में इतना खर्चीला चुनाव कभी नहीं हुआ था।

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वर्ष 2014 एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता संभाली। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में पदार्पण उस समय हुआ जब देश में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार के आरोपों और नीति-निर्णय में जड़ता का माहौल था। उन्होंने एक सशक्त, निर्णायक और विकासोन्मुख नेतृत्व का वादा किया, जिसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी की भूमिका, स्थिति और प्रभाव का मूल्यांकन भारतीय शासन प्रणाली की बदलती प्रवृत्तियों को उजागर करता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही केंद्र सरकार की कार्यशैली में एकरूपता, केंद्रीकरण और तेज निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का समावेश हुआ। 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के नारे के साथ उन्होंने नौकरशाही में कार्यकुशलता, जवाबदेही और तकनीकी पारदर्शिता को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की शक्ति और प्रभाव पहले की तुलना में अत्यधिक बढ़ गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि निर्णय-निर्माण की अधिकांश प्रक्रिया अब प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही नियंत्रित होती है। उनके कार्यकाल में कार्यपालिका की शक्ति का अभूतपूर्व केंद्रीकरण देखा गया। कैबिनेट प्रणाली में परामर्श और सामूहिक निर्णय की परंपरा के स्थान पर, निर्णयों में प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका प्रमुख हो गई। मंत्रिपरिषद के अधिकांश सदस्य अपेक्षाकृत गौण भूमिका में देखे गए, जिससे यह धारणा बनी कि प्रधानमंत्री की स्थिति 'प्रथम में प्रथम' से 'प्रथम और शेष' जैसी हो गई है।

मोदी के कार्यकाल में नीति-निर्माण की प्रक्रिया में कई निर्णायक कदम उठाए गए, जिनमें जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रमुख रहे। 2016 में नोटबंदी और 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का लागू होना ऐसे निर्णय थे, जो प्रधानमंत्री की निर्णायक नेतृत्व शैली को दर्शाते हैं। इन निर्णयों ने प्रशासनिक तंत्र को झकझोरा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। वर्ष 2019 में दूसरी बार और अधिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी मोदी की लोकप्रियता और जनाधार का प्रमाण थी। इस कार्यकाल में अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक पर प्रतिबंध, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) जैसे निर्णयों ने न केवल उनकी राजनीतिक दिशा को स्पष्ट किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि प्रधानमंत्री अब संवेदनशील और दीर्घकालीन मुद्दों पर कठोर निर्णय लेने में संकोच नहीं कर रहे।

नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री की स्थिति केवल सरकार के प्रमुख तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे सरकार के मुख्य प्रवक्ता, योजनाओं के प्रमुख प्रचारक, और यहाँ तक कि 'चेहरा' बन गए। योजनाओं को 'प्रधानमंत्री' के नाम से जोड़ा गया, जिससे व्यक्तिगत नेतृत्व की छवि और भी सशक्त हुई। मीडिया प्रबंधन, जनसंवाद (जैसे 'मन की बात'), और चुनावी रणनीति में प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका ने उन्हें केवल प्रशासक नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली जननेता के रूप में स्थापित किया। इस अत्यधिक केंद्रीकरण को लेकर आलोचना भी हुई। विपक्ष, बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति से कैबिनेट प्रणाली, संघवाद और संस्थागत स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संसद की भूमिका सीमित होती गई, और अध्यादेशों एवं कार्यपालिका आदेशों पर बढ़ती निर्भरता देखी गई। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार की भूमिका और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति ने इस प्रवृत्ति को और सुदृढ़ किया।

विदेश नीति के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की सक्रियता उल्लेखनीय रही है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई राष्ट्राध्यक्षों से संबंध बनाए, और भारत की वैश्विक छवि को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास किया। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया गया। G20 की अध्यक्षता और वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी ने प्रधानमंत्री की प्रभावशीलता को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी स्थापित किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रीत्व काल में शासन शैली में स्पष्ट रूप से एकरूपता, केंद्रीकरण और नेतृत्व-केंद्रित दृष्टिकोण की झलक मिलती है। यह शैली एक ओर सशक्त निर्णय-निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाती है, तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका और संतुलन को चुनौती देती है। 2014 से वर्तमान तक नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भारतीय राजनीति, शासन और प्रशासन के लिए एक विशिष्ट युग का प्रतिनिधित्व करता है-जो निर्णायक, करिश्माई और सशक्त नेतृत्व पर आधारित है।

निष्कर्ष :

भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान अथवा शासनाध्यक्ष, लोकसभा में अपने दल का नेता, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रवक्ता आदि सभी पद एक साथ संयुक्त रूप से अपने व्यक्तित्व में समाहित रखता है। संघ सरकार एवं इकाई राज्यों की सरकारों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना भी उसी का उत्तरदायित्व है। इन सभी पदों के एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाने के कारण प्रध ानमंत्री का पद शक्ति, प्रतिष्ठा, गौरव एवं गरिमा का पद बन गया है।

संदर्भ-सूची

1. डॉ. सिंघवी, एल. 1974 भारतीय संसद नयी दृष्टि, लोकतंत्रा समीक्षा, अप्रील जून, पृ. 24-25
2. नेहरू, जे.एल., 1956: दि ट्रिब्यून, 31 जुलाई, पृ.-1, 10
3. फाड़िया, एल. 2014, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया, साहित्य भवन, आगरा, पृ.-178
4. कोठारी, आर., 1988: नेहरू आज के कसौटी पर, धर्मयुग, पृ.-14
5. मिश्र, बी.एस. 2015: भारत के प्रधानमंत्री, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, पृ.-98
6. खरे, एच. 1974 : राज्यशास्त्र समीक्षा, जनवरी-जुलाई, पृ.-39
7. गुहा, आर.सी., 2012: भारत नेहरू के बाद, पेंगुइन बुक्स इंडिया, पृ.-25
8. फाड़िया, बी.एल. 2014: पूर्वाक्त, पृ.-181
9. बारू, एस. 2014: एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पेगं वीन बुक इंडिया, पृ. 63-70
10. मिश्र, बी.एस. 2015: पूर्वाक्त, पृ.-2

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सांस्कृतिक एवं स्वदेशी चेतनां का विकासः बिहार के मगध प्रमंडल के सन्दर्भ में एक एतिहासिक अध्ययन

नन्द किशोर कुमार

शोधार्थी, इतिहास विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

शोध-सार

विदेशी शासन के रूपों में प्रेष राष्ट्रीय भावना के उदय में योगदान दिया। पहला, विदेशी शासकों की विभेदकारी शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि तथा पारम्परिक उद्योगों को नष्ट कर आत्मनिभर्रतामूलक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन परिणामस्वरूप लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की भावना का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन द्वारा अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया रेलवे का विस्तार तथा डाक प्रशासनिक व्यवस्था दूसरा प्रमुख कारण था। रेलवे का विस्तार तथा डाक एवं प्रशासन व्यवस्था के परिणामस्वरूप राष्ट्र का भौगोलिक एकीकरण हुआ। देश के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों एवं नेताओं का पारस्परिक संपर्क हुआ, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। भारतीय पुनर्जागरण ने भी अपने दो स्वरूपों में राष्ट्रवाद की भावना को आश्रय दिया। पहला, उसने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अनैतिकताओं, अवांछनीयताओं एवं रूढ़ियों से मुक्ति का मार्ग दिखाया तथा दूसरा, श्रोतों के अधिभार सिद्धांत के विपरीत भारतीय संस्कृति के गौरव को पुर्नस्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप देश में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना की भावना को बल मिला। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी पुनर्जागरण के उचित मूल्यों से परिचित कराया तथा एक वैचारिक आयाम किया। फ्रांसीसी क्रांति के अदर्शो को दिया। प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिकाः प्रेस तथा समाचार-पत्रों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी तंत्र की मानसिकता से लोगों को परिचित कराया तथा देशवासियों के मन में एकता की भावना को जागृति किया, समाचार-पत्रों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर लिखे गए लेखों ने देशवासियों को अधिकार बोध की चेतना से भर दिया, जिसके फलस्वरूप एक संगठित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उर्पुक्त कारणों के अलावा अन्य कई तत्कालिक कारण थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना के उदय में सहयोग किया, यथा-इल्बर्ट बिल विवाद, सिविल सर्विस की आयु-सीमा को कम करना (1876 ई.) दक्षिण भारत में भयंकर अकाल के समय, दिल्ली दरबार का आयोजन करना 1877 ई. तथा शस्त्र अधिनियम् 1878 ई. इत्यादि। भारत एक भागोलिक इकाई मात्र नहीं था, बल्कि इस विविधता में सांस्कृतिक एंव ऐतिहासिक एकता भी अन्तर्निहित थी जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन के आरंभ, विकास एवं सफलता की ओर अग्रसर होने में सहायता प्रदान की। विविधता के मूल में अंतर्निहित यह राष्ट्रीय चेतना ही थी जिसने राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी तथा यह चेतना विशिष्ट वर्ग की अपनी बौद्धिक सीमा को लांघते हुए सुदूर क्षेत्रों तक जा फैली। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक एकता तथा आधुनिक एकता तथा आधुनिक विचारों के प्रचार-प्रसार ने भी एक सीमा तक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया लेकिन यह भी सच है कि ब्रिटिश राज्य की स्थापना राष्ट्रवाद के बीजारोपण करने के लिए नहीं बल्कि औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। वस्तुतः इस उदय मान राष्ट्र की प्रक्रिया ने बुद्धिजीवी वर्ग, मध्य वर्ग, किसानों, श्रमिकों आदि को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी शासकों के विरूद्ध एकजुट किया। इसके अलावा लोकतंत्रीय, उदारवादी आकांक्षा इस समय की प्रमुख घटनाएँ थी, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, क्रांन्ति तथा रूसी क्रांन्ति से शीख मिल रही थी। इन घटनाओं ने गुलाम देशों को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मूल-शब्दः- राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता, भारतीय समाज, प्रशासन, ब्रिटिश शासन

प्रस्तावना

गया जिले की प्राचीनता वैदिक काल से ही परिलक्षित रही हे। मगध महाजनपद का विस्तार क्षेत्र वर्त्तमान बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित पटना और गया जिला था। गया एवं इसके आस-पास का क्षेत्र प्राकृतिक मनोरम एवं साधना का केन्द्र था जहाँ ऋषि-मुनि अपने साधना द्वारा अपने मन को सत् चित प्रदान करते थे। इसकी स्पष्टता इस तथ्य से भी होती है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से गया एवं इसके आस-पास का क्षेत्र न केवल वनों से आच्छादित था, अपितु विभिन्न पहाड़ गुफाओं एवं नदियों से भी परिपूर्ण था जहाँ ऋषि-मुनि अपनी तपस्या एकान्तवास में करते थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी अर्थात् बुद्ध काल से ही शेरघाटी की महत्त दिगदर्शित होने लगती है। गौतम बुद्ध ने बोधगया में सम्बोधि प्राप्ति के पश्चात् बौद्ध धर्म के दर्शन एवं विचार के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न काल-क्रमों

में अनेक स्थानों की भ्रमण-यात्रा की। इस क्रम में बौद्ध दर्शन का प्रथम उपदेष अपने बिछुड़े पाँच शिष्यों को ऋषिपतनम् (मृग्दाब) में दिया था लेकिन इस यात्रा के क्रम में उन्होंने शेरधाटी अनुमण्डल के अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया। इन पुरास्थलों में मण्डा, गुनेरी, भुरहा, देवकली, बुद्धनी पहाड़ी आदि प्रमुख है। आज भी इन पुरास्थलों पर बौद्धकालीन पुरवाशेष बिखरे पड़े हैं जो गौतम बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण एवं सम्बोधित से लेकर परिनिर्वाण तक की कथा को चरितार्थ करते हैं। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के समय तक पाटलीपुत्र की प्रसिद्धि आरम्भ हो चुकी थी और अशोक के काल में बौद्ध धर्म चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। रूम्मिनदेई के लघु स्तम्भ लेख अशोक के राज्याभिशेक के दसवें वर्ष में सम्बोधित स्थल (बोधगया) की यात्रा का उल्लेख करता है। अशोक द्वारा बोधगया की यात्रा करना बौद्ध के प्रति उनके आसक्तता को परिलक्षित करता है।अशोक एवं उसके पौत्र दषरथ ने बराबर पहाड़ की गुफाओं को आजीवकों को दान में दिया था जो उसके धर्मिक सहिष्णुता को प्रमाणित करता है। साथ ही इस में बौद्ध धर्म के व्यायपक प्रचार-प्रसार हेतु राजधानी पाटलीपुत्र को मगध साम्राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रों से सम्बद्ध करने, सम्पूर्ण साम्राज्य की आम जनता को सही जीवन जीने के निमित मार्गदर्शन करने और धम्म के प्रचार हेतु विभिन्न राजमार्गों का निर्माण किया गया। इनमें से एक मार्ग पाटलीपुत्र से दक्षिण, दक्षिण-पष्चिम एवं दक्षिण-पूर्वी भारत को जोड़ने वाला राजमार्ग शेरघाटी अनुमण्डल से गुजरा था जिसके साक्ष्य आज भी दिग्दर्शित होते है।

यह राजमार्ग धार्मिक सहिष्णुता के साथ ही बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियों के कार्यान्वयन को संकेतित करते हैं। शेरघाटी अनुमण्डल मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में बुद्ध प्रतिमायें, स्तूप, स्तम्भाभिलेख एवं छिद्रयुक्त मनके मिलना न केवल इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठापित करता है, अपितु मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक समरसता को भी द्योतित करता है।

यद्यपि मौर्यकाल के अंतिम पड़ाव में आजीविको का प्रार्दुभाव हो चुका था जो बराबर पहाड़ एवं नागार्जुनी की गुफाओं में मिले अभिलेखों से स्पष्ट होता है। मौर्यकाल के पतन पश्चात् शुंगवंष का शासन आरम्भ हुआ। प्रसिद्ध शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा ब्राह्मणों को अपेक्षाकृत अधिक प्रश्रय मिलने के कारण यद्यपि बौद्ध धर्म के विकास में ह्रास हुआ और ब्राह्मण धर्म को प्रतिष्ठा मिली। फिर भी हुविष्क जैसे सहिष्णु शासक के काल में सभी धर्मों की समानता का दर्जा मिलता रहा। हालांकि कुषाण काल में बौद्ध धर्म को पुनः प्रश्रय मिला और इस काल में बौद्ध धर्म से सम्बंध वैविघ्य प्रतिमाओं का विविध रूपों में अलंकरण मिलता है। कुषाण काल में साम्राज्य के प्रमुख केन्द्र के रूप में मगध महाजनपद विद्यमानता रही और जिसके अंतर्गत गया भी मौजूद रहा। शेरघाटी अनुमण्डल में कुषाणकालीन अनेक अवशेष विभिन्न टिलों एवं पुरास्थलों में जमींदोज हैं जिसे पुरातात्त्विक उत्खन्न द्वारा ही सही चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

कुषाण काल पश्चात् युद्ध एवं वैवाहिक नीति द्वारा गुप्त शासकों ने विखण्डित मगध साम्राज्य को एकत्रित किया और गुप्त काल में मगध साम्राज्य को एक जीवन दान मिला। मगध साम्राज्य का मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश बना एवं पाटलीपुत्र की महत्ता में कमी आई, लेकिन इनका साम्राज्यिक गतिविधियाँ दक्षिणापथ में नर्मदा नदी तक बरकरार रहा। इस काल में जहाँ हिन्दू एवं बौद्ध धर्म को समान दर्जा मिला, वहीं कला एवं संस्कृति के विविध घटकों को भी प्रश्रय मिला। गुप्त काल में गया को एक वैष्णव तीर्थ के रूप में ठहराया गया है। इसकी प्रमाणिकता गया में अहिल्याबाई द्वारा निर्मित विष्णुपद मन्दिर की भव्यता से भी स्पष्ट होती है। लेकिन गया के निकट ही बोधगया का प्रभावशाली बौद्ध मन्दिर ब्राह्मण धर्म पर बौद्ध धर्म के विजय को द्योतित करता है।

गुप्त काल में गया क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का अभिन्न अंग था। गया से मिले समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख 'गया' को गया विषय के रूप में अभिहित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के काल में गया एक प्रमुख प्रषासनिक इकाई के रूप में स्थापित था और शेरघाटी इस प्रमुख प्रशासनिक इकाई का प्रमुख हिस्सा रहा होगा। राजा चनद्र का मेहरौली स्तम्भाभिलेख गर्व के साथ विष्णुपद पहाड़ी पर पवित्र विष्णु की मूर्ति स्थापित होने को चित्रित करता हैं। अभिलेखीय साक्ष्य स्पष्ट करता है कि विष्णुपद एक सत्ता (Existence) था। चन्द्र या चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने भी इस स्थल का भ्रमण किया एवं विष्णु के पद पर अपने को समर्पित किया। एक अन्य साक्ष्य से इस क्षेत्र में गुप्तकालीन सांस्कृतिक प्रभाव की भी स्पष्टता होती है। महावंष के अनुसार श्रीलंका का राजा किट्टि श्रीमेघ ने श्रीलंकाई यात्रियों के प्रयोग के लिए संघाराम बनाने हेतु गुप्त शासक समुद्रगुप्त से आदेष माँगा। इस कथन की चर्चा चीनी यात्री हेनसांग भी अपने यात्रा-वृतांत में करता है। समुद्रगुप्त ने इस आग्रह को स्वीकार किया और संघाराम का निर्माण बोधीवृक्ष के उत्तर दिषा में किया गया। हेनसांग अपने यात्रा के क्रम में इस संघाराम में हजारों बौद्ध अनुयायियों को देखा जो महायान के स्थावीर सम्प्रदाय से सम्बंध थे। गया में स्थापित गुप्त कालीन संरचना एवं बोधगया में निर्मित बौद्ध स्थापत्य की काल-अवधि प्रारम्भिक गुप्तकाल (383 ई0) की है और स्थापत्य शैली मथुरा परम्परा के प्रारम्भिक शताब्दी की प्रतीत होती है। बोधगया से प्राप्त तीसरी-चौथी शताब्दी के अभिलेखीय प्रमाण बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इंगित करते हैं। बोधगया में निर्मित वर्त्तमान महाबोधि मन्दिर गुप्तकालीन है जिसका निर्माण काल 500-525 ई0 माना गया है। उपर्युक्त तथ्य संकेत करता है कि गुप्त काल में स्थापत्य एवं संरचना के दृष्टिकोण से गया जिला चरमोत्कर्ष पर था। इस विकास क्रम में शेरघाटी अनुमंडल भी अछूता नहीं रहा और यहाँ भी गुप्तकालीन पुरावषेषों का व्यापक फैलाव सर्वेक्षण के क्रम में मिला है।

गुप्तकाल की समाप्ति पश्चात् मगध साम्राज्य बिखर गया और गुप्त राजवंष के अनेक कुमारामात्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर अपना शासन स्थापित किया। प्रमुख कुमारामात्यों में से एक मौखरी थे जो गुप्तकालीन जागरीरदार थे। एक अभिलेख साक्ष्य के अनुसार कुमारामात्य महाराज नन्द ने गया विषय में मिले भूमि अनुदान को अपने अधिकार में कर लिया था। तदनंतर गया से मौखरियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से मौखरी वंष के तीन अभिलेख मिले हैं जिस पर तीन प्रमुख राजाओं- यज्ञवर्मन, शादुलवर्मन एवं अनंतवर्मन का उल्लेख है। इनमें से अनंतवर्मन को राज्याभिषेक के रूप में चित्रित किया गया है। देवबर्नक एवं अपसढ़ अभिलेख में इस राजवंष के ग्यारह राजाओं का विवरण मिलता है। इस अभिलेख से मौखरी राजा इशानवर्मन पर कुमारगुप्त की विजयी होने एवं प्रसिद्ध मौखरी राजा आदित्य सेन द्वारा विष्णु मन्दिर स्थापित करने के साथ ही इस राजवंश के प्रारम्भिक रिकॉर्ड भी बताता है। शेरघाटी अनुमण्डल में भी कई स्थानों पर मौखरी राजवंष के किले मिले हैं जिनमें मैगरा, बभन्डीह के गढ़ प्रमुख हैं। किंवदन्ति है कि इन मौखरी शासकों ने गया के दक्षिण-पश्चिम सीमा पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इन स्थानों पर अपने किले स्थापित किये।

सबसे रोचक बात है कि बौद्ध धर्मावलम्बियों द्वारा बौद्ध धर्म नहीं मानने वाले लोगों के रोष से बचने के लिए बुद्ध की प्रतिमा के सामने षिव की मूर्ति भी स्थापित की गई। यह प्रतिष्ठापन बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्चता को इंगित करता है। इसकी स्पष्टता एक अन्य साक्ष्य कोंच के शिला फलक पर बुद्ध के साथ विष्णु के सभी अवतारों को चित्रित करने से होती हे। शिवलिंग पर बुद्ध का चित्रण, विष्णु के अवतारों में बुद्ध का चित्रण एवं खण्डित बुद्ध की मूर्तियाँ शेरघाटी अनुमण्डल के विभिन्न पुरास्थनों पर व्यापक मात्रा में मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि बोधगया में घटे आक्रमणकारी घटनाओं का इस क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

बौद्ध साहित्य में भी इस क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का वर्णन मिलता है। राजमार्ग मगध की राजधानी पाटलीपुत्र से ताम्रलिप्ति को, दूसरा पाटलीपुत्र से दक्षिण भारत की ओर और तीसरा मार्ग बोधगया से ऋषिपतनम् या सारनाथ को जाता था। तीसरे मार्ग का प्रयोग गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेष देने हेतु किया गया था, यद्यपि बाद में इसका प्रयोग व्यापारिक दृष्टिकोण से भी किया गया। बेगलर के अनुसार पाटलीपुत्र-ताम्रलिप्ती मार्ग एकतेष्वर, रघुनाथपुर, तेलकुपी, झरिया, रजौली, राजगृह एवं पटना से गुजरता था। लेकिन ए0 के0 सिंह के अनुसार यह मार्ग गया से होकर गुजरता था। इससे स्पष्ट होता है कि गया से यह मार्ग गुजरने के क्रम में शेरघाटी अनुमण्डल को छूता था, क्योंकि जिस प्रकार वर्तमान में इस शहर से आधुनिक जी0 टी0 रोड धनबाद, बरही, सासाराम एवं वाराणसी के लिए गुजरा है, उससे इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है।

निष्कर्ष

बिहार के सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी प्राप्त करने में प्राचीन ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक स्थलों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। पाषाण युग, ताम्र युग एवं कांस्य युग की प्रतिमाओं के साथ-साथ मानव के उपयोग में लाई जाने वाली अनेक वस्तुएँ, जो विशेषकर पुरातात्त्विक महत्त्व के राष्ट्रीय धरोहर हैं, से संदर्भित भरपुर सामग्री यहाँ उपलब्ध है। मौर्य, शुंग, गुप्त, मौखरी आदि वंषों के शासन में उत्कृष्ट वास्तुकला की सामग्रियाँ भी प्रचुर मात्रा में अमूल्य निधि के रूप में विद्यमान हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त मूर्तियों एवं वस्तुओं में षिल्प और वास्तु-कला-कृतियाँ अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने की पर्याप्त सामर्थ्य रखती है। ये अनुठी कलाएँ बरबस निगाह को अपनी ओर खींच लेती है। इसके स्थापत्य की परम्परा विषिष्ट उल्लखनीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- बुद्धायन धर्मसूत्रा - (1907), गवर्नमेंट ओरियेंटल लाइब्रेरी सिरिज.
- भागवत, एन0 के0 (सं0) (1957), थेरीगाथा, बम्बई: बम्बई विश्वविद्यालय.
- मॉरिश, रिचर्ड एण्ड हार्डी, एडमण्ड (सं0) (1900), अंगुत्तर निकाय, लंदन: पाली टेक्स्ट सोसायटी.
- मित्र, आर0 एल0 (सं0) (1882), ललित विस्तर, कलकत्ता.
- वाटर, टी0 डब्लू. (1965), ऑन युवान च्वांग, दिल्ली.
- रटजेल एण्ड केगन पॉल (1956), द ट्रेण्ड्स ऑफ फाह्यान, लंदन.
- राय, पी0 सी0 (1887), वन पर्व ऑफ महाभारत, कलकत्ता.
- वर्मा, बी0 एस0 (2005), चिरांद एक्सकेवेसन रिपोर्ट, पटना.
- शास्त्री, टी0 गणेशपति (1925), आर्य मंजुश्री मूल कल्प, त्रिवेन्द्रम.
- अंसारी, ए0 क्यू0 (2008), भारतीय इतिहास में मनकों की प्रासांगिकतायें, पटना, जानकी प्रकाशन.
- अम्बष्ट, गदाधर प्रसाद, गया जिला दर्पण, गया.
- अमरेन्द्र, कुमार (2004), पुरातत्व और बिहार, पटना.
- अशर, एफ0 एम0 (1980), द आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, दिल्ली.
- एलेन, जे0 (1936), ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग ऑफ क्वायंस ऑफ एंसियंट इंडिया.

नक्सलवाद या माओवादी आन्दोलन-एक अध्ययन

डॉ० कंचन कुमारी

पी-एच.डी. राजनीति विज्ञान विभाग, बी० एन० एम० यू० मधेपुरा

सारांश

यह अध्ययन भारत में नक्सलवाद या माओवादी आन्दोलन के उद्भव, विकास और वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण करता है। नक्सलवाद एक लंबी अवधि से चल रहा विद्रोही आन्दोलन है, जो ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, भूमि विवाद, और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह के रूप में उभरा। यह आन्दोलन विशेष रूप से आदिवासी और दलित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इस अध्ययन में नक्सलवादी आन्दोलन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी वैचारिक धारा, संगठनात्मक संरचना, तथा उसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों का समग्र अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, सरकार की नीतियों और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर भी चर्चा की गई है। इस अध्ययन का उद्देश्य नक्सलवाद के कारणों और परिणामों को समझना तथा समाधान के लिए संभावित रणनीतियाँ प्रस्तुत करना है।

कुंजी शब्द: नक्सलवाद, माओवादी आन्दोलन, सामाजिक असमानता, आदिवासी अधिकार, भूमि विवाद, विद्रोह, सुरक्षा नीतियाँ, भारत, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना

नक्सलवाद, जिसे माओवादी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। यह आंदोलन, जो 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ, आज भी भारत के कई हिस्सों, विशेष रूप से मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है। नक्सलवाद का मूल आधार सामाजिक-आर्थिक असमानता, शोषण, और सरकार की नीतियों के खिलाफ विद्रोह है, जो माओवादी विचारधारा से प्रेरित है। यह आंदोलन न केवल एक सशस्त्र विद्रोह है, बल्कि यह भारतीय समाज की गहरी जड़ों में व्याप्त असमानताओं और शोषण की व्यवस्था को भी उजागर करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य नक्सलवाद के उद्भव, विकास, कारणों, प्रभावों और इससे निपटने की रणनीतियों का विश्लेषण करना है।

नक्सलवाद का उद्भव

नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुई, जब किसानों और मजदूरों ने जमींदारों और सामंती व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित नेताओं जैसे चारु मजूमदार, कन्हाई चटर्जी और जंगल संथाल ने किया। ये नेता माओ जेडॉन्ग की विचारधारा से प्रभावित थे, जो मानती थी कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है। नक्सलबाड़ी आंदोलन ने न केवल स्थानीय स्तर पर जमींदारों के खिलाफ विद्रोह को प्रेरित किया, बल्कि यह पूरे देश में वामपंथी उग्रवाद का प्रतीक बन गया। 1960 के दशक में भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं चरम पर थीं। ग्रामीण भारत में भूमिहीन किसान और मजदूर सामंती जमींदारों और धनी वर्गों के शोषण का शिकार थे। सरकार की नीतियां भी ज्यादातर शहरी और औद्योगिक विकास पर केंद्रित थीं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा और असंतोष बढ़ता गया। नक्सलवाद ने इस असंतोष को एक संगठित रूप दिया और इसे माओवादी विचारधारा के साथ जोड़ा।

नक्सलवाद के कारण

नक्सलवाद के उदय और प्रसार के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

सामाजिक-आर्थिक असमानता

भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता नक्सलवाद के प्रमुख कारणों में से एक है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीनता, गरीबी, और संसाधनों तक सीमित पहुंच ने लोगों में असंतोष को जन्म दिया। आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया गया, जिसके कारण वे माओवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए।

भूमि सुधारों में विफलता

स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधारों को लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये नीतियां प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकीं। जमींदारों और प्रभावशाली लोगों ने इन सुधारों को विफल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भूमिहीन किसानों और मजदूरों का शोषण जारी रहा। नक्सलवाद ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और सशस्त्र संघर्ष को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया।

आदिवासी क्षेत्रों में उपेक्षा

आदिवासी क्षेत्र, जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जंगल और जल से समृद्ध हैं, विकास की मुख्यधारा से कटे रहे। खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को उनकी जमीन से विस्थापित किया गया, जिसके बदले में उन्हें उचित मुआवजा या पुनर्वास नहीं मिला। इस उपेक्षा ने नक्सलवाद को इन क्षेत्रों में मजबूत आधार प्रदान किया।

राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता

सरकारी नीतियों और प्रशासन की विफलता ने भी नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का गलत कार्यान्वयन, और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी ने लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया।

माओवादी विचारधारा का प्रभाव

माओवादी विचारधारा, जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से समाज में आमूल-चूल परिवर्तन की वकालत करती है, ने नक्सलवाद को एक वैचारिक आधार प्रदान किया। यह विचारधारा विशेष रूप से उन लोगों को आकर्षित करती थी जो सामाजिक और आर्थिक अन्याय से पीड़ित थे।

नक्सलवाद का विकास और विस्तार

नक्सलबाड़ी आंदोलन के बाद, नक्सलवाद ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलना शुरू किया। 1970 के दशक में यह आंध्र प्रदेश, बिहार, और उड़ीसा जैसे राज्यों में सक्रिय हो गया। 1980 और 1990 के दशक में, विभिन्न नक्सली समूहों ने एकजुट होकर अपनी ताकत बढ़ाई। 2004 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) का गठन हुआ, जो कई छोटे नक्सली समूहों का एकीकरण था। यह संगठन आज भी नक्सलवाद का प्रमुख चेहरा है। नक्सलवाद का प्रभाव विशेष रूप से ष्रेड कॉरिडोरष के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में देखा जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही गरीबी और विकास की कमी से भी प्रभावित हैं।

नक्सलवाद के प्रभाव

नक्सलवाद का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

सामाजिक प्रभाव

नक्सलवाद ने ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में जागरूकता पैदा की है। इसने शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिया। हालांकि, सशस्त्र संघर्ष के कारण कई समुदाय हिंसा और डर के साये में जी रहे हैं।

आर्थिक प्रभाव

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य बाधित हुए हैं। स्कूल, अस्पताल, और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण रुक गया है। खनन और औद्योगिक परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है।

राजनीतिक प्रभाव

नक्सलवाद ने सरकार और प्रशासन पर दबाव डाला है कि वे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दें। हालांकि, यह आंदोलन सरकार के लिए एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती भी बन गया है। नक्सलवाद, जिसे माओवादी आन्दोलन भी कहा जाता है, भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय रहा है। इसका आरंभ 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव में हुआ, जहाँ किसानों और भूमिहीनों ने जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। यह आन्दोलन भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, शोषण और सामाजिक न्याय की कमी के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा।

नक्सलबाड़ी विद्रोहः उत्पत्ति और घटनाक्रम

नक्सलबाड़ी विद्रोह की शुरुआत 1967 में हुई, जब स्थानीय किसान और आदिवासी समुदायों ने जमींदारों के खिलाफ भूमि अधिकारों की मांग को लेकर सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता थे - चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल।

इन नेताओं ने माओत्से तुंग की विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया। इस आन्दोलन ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की शुरुआत की और माओवादी विचारधारा को लोकप्रियता दिलाई।

माओवादी विचारधारा और 'ऐतिहासिक आठ दस्तावेज'

चारू मजुमदार ने माओत्से तुंग की विचारधारा को भारतीय संदर्भ में लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने श्ऐतिहासिक आठ दस्तावेजश तैयार किए, जिनमें भारतीय राज्य को पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी बताया गया और माओवादी सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन दस्तावेजों ने नक्सलवादी आन्दोलन की वैचारिक नींव रखी और इसे एक सशस्त्र क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया।

नक्सलवाद का विस्तार और संगठनात्मक संरचना

नक्सलवादी आन्दोलन ने 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (CPI&ML) के गठन के साथ एक औपचारिक संगठनात्मक रूप लिया। समय के साथ, यह आन्दोलन विभिन्न गुटों में विभाजित हो गया, जिनमें प्रमुख थे - पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। इन गुटों ने मिलकर 2004 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन किया, जो वर्तमान में सबसे प्रभावशाली माओवादी संगठन है।

नक्सलवाद के कारण

नक्सलवाद के उद्भव के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं:

1. भूमिहीनता और शोषण: असमान भूमि वितरण और जमींदारों, साहूकारों एवं बिचौलियों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं के कारण ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला।
2. गरीबी और अल्प विकास: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोग उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं।
3. जनजातीय अलगाव: उचित पुनर्वास के बिना औद्योगिक और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन से राज्य के प्रति गुस्सा और अविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण कई लोग नक्सलवादी आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं।
4. राज्य की उपेक्षा और हिंसा: सरकारी तंत्र की अनुपस्थिति, बुनियादी सेवाओं की कमी, तथा हिरासत में मृत्यु सहित पुलिस की ज्यादतियों के मामलों ने शिकायतों को और बढ़ा दिया है, जिससे नक्सली विद्रोह को मजबूती मिली है।

नक्सलवाद का वर्तमान परिप्रेक्ष्य

वर्तमान में, नक्सलवाद भारत के कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और महाराष्ट्र में सक्रिय है। सरकार ने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए 'ऑपरेशन कगार' जैसी पहल की है, जिसका उद्देश्य 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। हालांकि, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विकासात्मक योजनाओं के बावजूद, नक्सलवादी आन्दोलन अभी भी कुछ क्षेत्रों में प्रभावी है।

नक्सलवाद का उद्भव भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, शोषण और सामाजिक न्याय की कमी के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह आन्दोलन माओवादी विचारधारा से प्रेरित था और भारतीय राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की वकालत करता था। समय के साथ, यह आन्दोलन विभिन्न गुटों में विभाजित हो गया और वर्तमान में भी कुछ क्षेत्रों में सक्रिय है। नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए सरकार ने कई पहल की हैं, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार आवश्यक हैं

साहित्य की समीक्षा

नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन भारतीय समाज में एक जटिल और विवादास्पद विषय है, जिसे साहित्य और समाजशास्त्र के अध्ययन में गहराई से प्रतिबिंबित किया गया है। नक्सलवाद का जन्म भारतीय समाज की गहरी असमानताओं, आदिवासी समुदायों के शोषण, और गरीबी से उत्पन्न हुआ था, और इसका साहित्य में भी विस्तार से चित्रण किया गया है। इस आंदोलन पर साहित्य की समीक्षा करते समय यह आवश्यक है कि हम इसके विभिन्न दृष्टिकोणों को और उन विचारों को समझें जिन्हें साहित्यकारों ने अपने लेखन में प्रस्तुत किया है। यह साहित्यिक समीक्षा उन विभिन्न दृष्टिकोणों, कृतियों और लेखकों को शामिल करती है जिन्होंने नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन पर विचार किया है। हम मुख्य रूप से उन साहित्यकारों और विचारकों की कृतियों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने इस आंदोलन की उत्पत्ति, विकास, कारणों, और प्रभावों को अपने लेखन में चित्रित किया है।

नक्सलवाद और उसका सामाजिक संदर्भ

नक्सलवाद का मुख्य स्रोत भारतीय समाज की असमानताओं में निहित है, जो विशेष रूप से आर्थिक, जातीय और राजनीतिक असमानताओं में व्यक्त होती है। साहित्यकारों ने इस आंदोलन की जड़ें भारतीय समाज में निहित इन असमानताओं में पाई हैं। कई लेखकों ने नक्सलवाद को एक विध्वंसक आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है।

महाश्वेता देवी ने अपनी कृतियों में आदिवासियों के जीवन को चित्रित किया है, जिनका शोषण भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से द्वारा किया जाता है। उनकी कृति ष्राजमणीष् आदिवासी समाज की पीड़ा और उत्पीड़न को दर्शाती है। वे मानती हैं कि नक्सलवाद की उत्पत्ति इन समुदायों के संघर्ष से हुई है, और यह आंदोलन इन समुदायों को उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ा गया है।

साहित्य में नक्सलवादः समर्थन और विरोध

नक्सलवाद पर साहित्य की समीक्षा करते समय हमें यह देखना होगा कि साहित्यकारों ने इसे किस दृष्टिकोण से देखा हैख्समर्थन में या विरोध में।

समर्थक दृष्टिकोण

नक्सलवाद को समर्थित करने वाले साहित्यकारों ने इसे एक जरूरी राजनीतिक आंदोलन और भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। इन लेखकों का मानना है कि यह आंदोलन गरीबों, शोषितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवश्यक था। नक्सलवाद को समाज के उत्पीड़ित वर्गों के विरोध और उनके अधिकारों की रक्षा का प्रतिनिधि माना गया।

महाश्वेता देवी ने अपने साहित्य में नक्सलवाद के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को उजागर किया। उनकी कृति 'आदिवासी और नक्सलवाद' इस संघर्ष की गहरी समझ प्रदान करती है।

अरुंधति रॉय ने भी अपनी किताब 'गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' और विभिन्न आलेखों में नक्सलवाद को एक जरूरी सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के रूप में देखा है, जो शोषित वर्गों द्वारा संघर्ष में है।

विरोधी दृष्टिकोण वाले साहित्यकारों ने नक्सलवाद को एक हिंसक और विध्वंसक आंदोलन के रूप में चित्रित किया है, जो लोकतंत्र, शांति और समाज की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इन लेखकों का मानना था कि नक्सलवादी हिंसा केवल अस्थिरता और विध्वंस लाती है, न कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन।

धनंजय वाघमारे ने नक्सलवाद को एक खतरनाक राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखा है, जो भारतीय समाज को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।

विवेकानंद जैन ने नक्सलवाद की हिंसा और अव्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है, और इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा माना है।

नक्सलवाद के कारणः साहित्यिक दृष्टिकोण

नक्सलवाद के कारणों पर भी साहित्य में व्यापक चर्चा हुई है। साहित्यकारों ने इसे भारतीय समाज की गहरी असमानताओं और शोषण के परिणाम के रूप में देखा है।

आर्थिक असमानताः भारतीय समाज में आर्थिक असमानताएँ नक्सलवाद के प्रमुख कारण मानी जाती हैं। साहित्यकारों ने इसे एक तरह से शोषित वर्गों के प्रतिरोध के रूप में चित्रित किया है।

चंद्रशेखर राव ने नक्सलवाद को भारतीय समाज की वर्गीय असमानताओं और गरीबों की संघर्षपूर्ण स्थिति का परिणाम बताया है।

जातिवाद और सांस्कृतिक शोषणः नक्सलवाद के अन्य कारणों में जातिवाद और सांस्कृतिक शोषण भी आते हैं, जो आदिवासी और अन्य दलित समुदायों के खिलाफ किया जाता है। यह शोषण और उत्पीड़न समाज के निचले तबकों के विद्रोह का कारण बनता है। महाश्वेता देवी के उपन्यासों में आदिवासी समुदायों के शोषण और उनके संघर्ष को केंद्रीय विषय के रूप में लिया गया है।

नक्सलवाद और साहित्य का समकालीन दृष्टिकोण

वर्तमान समय में, नक्सलवाद पर साहित्यिक दृष्टिकोण अधिक परिष्कृत और विश्लेषणात्मक हो गया है। अब यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और मानसिक संघर्ष भी माना जाता है। नक्सलवाद पर

आधुनिक साहित्य में, इसके कारण, प्रभाव, और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को समझने की कोशिश की गई है। अरुंधति रॉय और राजीव गांधी जैसे विचारकों ने अपने लेखन में नक्सलवाद के प्रभावों, संघर्षों, और इसकी जटिलताओं को उजागर किया है।

नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन पर साहित्य की समीक्षा यह दर्शाती है कि यह एक बहुआयामी और जटिल समस्या है, जिसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। साहित्य ने इस आंदोलन को समझने, इसके कारणों, प्रभावों, और समाज पर इसके प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया है। साहित्यकारों ने न केवल इस आंदोलन को सामाजिक न्याय और परिवर्तन के रूप में देखा, बल्कि इसके हिंसक और विध्वंसक पहलुओं को भी चित्रित किया है। इस प्रकार, नक्सलवाद पर साहित्यिक दृष्टिकोण समाज की गहरी असमानताओं, उत्पीड़न और संघर्षों की प्रतिक्रिया है, जो भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने में मदद करता है।

शोध् का उद्देश्य

नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण और जटिल सामाजिक-राजनीतिक मुद्दा है, जो पिछले दशकों से भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति को प्रभावित करता आ रहा है। इस आंदोलन के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक असमानता, जातिवाद, राजनीतिक असंतोष, और सामाजिक शोषण जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। माओवादी विचारधारा का उद्देश्य समाज में विद्यमान इन असमानताओं के खिलाफ संघर्ष करना है, खासकर शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण करना है, ताकि हम इसके कारणों, प्रभावों, विकास, और समाज पर इसके प्रभावों को बेहतर तरीके से समझ सकें।

- नक्सलवाद के उत्पत्ति के पीछे के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करना।
- आदिवासी और अन्य शोषित समुदायों के बीच इस आंदोलन की लोकप्रियता के कारणों को समझना।
- माओवादी विचारधारा की प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन करना।
- माओत्से तुंग के सिद्धांतों का भारतीय संदर्भ में विश्लेषण करना और यह समझना कि किस प्रकार भारतीय नेता और संगठन माओवादी सिद्धांतों का पालन करते हैं।
- नक्सलवाद और माओवादी आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
- इन प्रभावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं और उनके समाधान के संभावित मार्गों की खोज करना।

शोध् की परिकल्पनाएँ

शोध की परिकल्पनाएँ (Hypotheses) किसी भी अध्ययन का केंद्रीय तत्व होती हैं, क्योंकि ये संभावित निष्कर्षों की दिशा को निर्धारित करती हैं और शोध प्रक्रिया को दिशा प्रदान करती हैं। नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन पर आधारित इस शोध में हम समाज, राजनीति, और अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। निम्नलिखित परिकल्पनाएँ इस अध्ययन के मुख्य विचारधारात्मक बिंदु हैं:

- इस परिकल्पना के अनुसार, भारतीय समाज की आर्थिक असमानताएँ और शोषण की प्रवृत्तियाँ नक्सलवादी आंदोलन को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आदिवासी और गरीब समुदायों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानताएँ और सरकारी योजनाओं के प्रति उपेक्षा ने नक्सलवाद के संघर्ष को जन्म दिया है।
- इस परिकल्पना की जांच करने के लिए, शोध में भारतीय आदिवासी क्षेत्रों और अन्य शोषित वर्गों के आर्थिक हालात, उनके अधिकारों की स्थिति, और नक्सलवाद के प्रसार की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा।
- इस परिकल्पना के अनुसार, नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक समाजिक न्याय का आंदोलन है। यह आंदोलन उस वर्ग के द्वारा किया गया है जो वर्षों से शोषण, भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार रहा है।
- शोध में यह परिकल्पना जांचने के लिए विभिन्न साहित्यिक कृतियाँ, आदिवासी समुदायों का संघर्ष, और नक्सलवाद के प्रमुख नेताओं के बयानों का विश्लेषण किया जाएगा।

शोध-विधि

इस शोध का उद्देश्य नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को समझना और उनका गहन विश्लेषण करना है। इसके लिए अनुसंधान में क्वालिटेटिव (गुणात्मक) और क्वांटिटेटिव (सांख्यिकीय) दोनों प्रकार की विधियों का मिश्रण किया जाएगा।

अनुसंधान की प्रकृतिः

- क्वालिटेटिव शोधः यह शोध गहरे और विस्तृत विश्लेषण पर आधारित होगा, जो नक्सलवाद के सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक पहलुओं को समझेगा।

- क्वांटिटेटिव शोध: आंकड़ों और सांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या, विकास की दर, और सरकारी नीतियों का प्रभाव।

डेटा संग्रहण विधियाँ:

साक्षात्कार (Interviews):

- नक्सलवाद पर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से साक्षात्कार लिए जाएंगे। इससे नक्सलवाद के कारणों, प्रभावों और समाधानों पर पहली हाथ की जानकारी मिलेगी।

प्रारंभिक और द्वितीयक डेटा संग्रह (Primary and Secondary Data Collection):

- प्रारंभिक डेटा: इस शोध के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण (थ्पमसक ैनतअमले) और साक्षात्कार का उपयोग किया जाएगा।
- द्वितीयक डेटा: पहले से उपलब्ध सरकारी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, साहित्यिक कृतियाँ, शोध पत्र और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा।

सर्वेक्षण (Surveys):

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय जनता और आदिवासी समुदायों से उनके अनुभवों और विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी।

3. डेटा विश्लेषण विधियाँ:

a- गुणात्मक विश्लेषण

- साक्षात्कार और क्षेत्रीय डेटा का विश्लेषण विषयवार कोडिंग, थीम आधारित विश्लेषण, और सामग्री विश्लेषण (Content Analysis) के द्वारा किया जाएगा।

b- सांख्यिकीय विश्लेषण

- संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण SPSS ;k Excel जैसे सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, ताकि नक्सलवाद के प्रभाव, कारणों और समाधान के बारे में ट्रेंड्स और पैटर्न्स निकाले जा सकें।

4. समीक्षात्मक विश्लेषण

- इस शोध में नक्सलवाद के विभिन्न संदर्भों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा, जैसे कि विभिन्न भारतीय राज्यों में नक्सलवाद के प्रसार की दर, विकास की रणनीतियाँ, और प्रभावी समाधान। प्राप्त आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर नक्सलवाद के कारणों, इसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों, और इसके समाधान के उपायों पर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रभावी नीति और विकासात्मक दृष्टिकोण पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे। यह शोध विधि नक्सलवाद के जटिल और बहुआयामी पहलुओं को गहराई से समझने के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण अपनाती है, जिससे न केवल इसके कारणों का विश्लेषण किया जा सके, बल्कि इसके समाधान की दिशा में भी ठोस सुझाव दिए जा सकें।

निष्कर्ष एवं सुझाव

1. नक्सलवाद का कारण:

- नक्सलवाद का मुख्य कारण भारतीय समाज में विद्यमान गहरी आर्थिक असमानताएँ, सामाजिक शोषण, और राजनीतिक असंतोष है। आदिवासी समुदायों और शोषित वर्गों की पीड़ा और अधिकारों की अनदेखी ने इस आंदोलन को जन्म दिया।
- माओवादी विचारधारा ने इस संघर्ष को एक वैचारिक और राजनीतिक दिशा प्रदान की, जहां यह आंदोलन न केवल शोषण के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में देखा गया, बल्कि इसे एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया गया।

2. नक्सलवाद के प्रभाव:

- नक्सलवाद ने भारतीय समाज, राजनीति और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके कारण हिंसा, अस्थिरता, और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता को प्रभावित किया है।

- नक्सलवाद ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विकासात्मक असमानताओं को उजागर किया और सरकारी नीतियों की विफलताओं को सामने लाया।
- हालांकि, नक्सलवाद ने शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, लेकिन इसकी हिंसक प्रकृति ने समाज में असंतोष और आतंक फैलाया, जिससे इस आंदोलन को अवैध और नकारात्मक रूप में देखा गया।

3. राजनीतिक और सामाजिक समाधान:

- राज्य द्वारा अपनाई गई सुरक्षा-आधारित रणनीतियाँ (जैसे सैन्य बलों और पुलिस की तैनाती) पूरी तरह से प्रभावी नहीं रही हैं। इसने नक्सलवाद को दबाने में मदद की, लेकिन समस्या को जड़ से समाप्त नहीं किया।
- नक्सलवाद के समाधान के लिए समाज में समानता, सामाजिक न्याय, और आर्थिक विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। विशेषकर आदिवासी और शोषित समुदायों के लिए सशक्तीकरण, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने की आवश्यकता है।

4. नक्सलवाद की वैचारिक भूमिका:

- नक्सलवाद केवल एक हिंसक आंदोलन नहीं, बल्कि शोषण, असमानता और राजनीतिक व सामाजिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विरोध का रूप है। इसे समाज की उन असमानताओं और कमजोरियों का प्रतीक माना जा सकता है, जो अनदेखी की जाती हैं।
- साहित्य, विचारधारा, और मीडिया में नक्सलवाद को समझने की आवश्यकता है, ताकि इसके जड़ कारणों और संभावित समाधानों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा की जा सके।

सुझाव:

1. समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना:

- भारतीय समाज में असमानता की खाई को पाटने के लिए प्रभावी योजनाएँ और नीतियाँ बनानी होंगी। विशेष रूप से आदिवासी और शोषित समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है।
- सरकार को ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय की नीति को और मजबूत बनाना होगा। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिल सके।

2. विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाना:

- नक्सलवाद को केवल सुरक्षा और हिंसा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे विकास के संदर्भ में भी समझना चाहिए। जब तक इन क्षेत्रों में समुचित विकास और रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक नक्सलवाद का खतरा बना रहेगा।
- विकास की योजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और विकास में योगदान दे सकें।

3. राजनीतिक संवाद और समाधान:

- नक्सलवाद के समाधान के लिए सरकार को स्थानीय नेताओं, आदिवासी समुदायों और नागरिक समाज के साथ संवाद और बातचीत के नए रास्ते खोलने होंगे। यह जरूरी है कि नक्सलवाद के कारणों को समझते हुए, इस आंदोलन के समर्थकों से बिना हिंसा के राजनीतिक समाधान पर विचार किया जाए।
- सरकार को नक्सलवादियों से मुआवजा, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की योजनाओं पर काम करना चाहिए, ताकि हिंसा का सिलसिला टूट सके और इन क्षेत्रों में स्थिरता आए।

4. सुरक्षा उपायों का संतुलन:

- हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती जरूरी है, लेकिन केवल सैन्य बलों के सहारे समस्या का हल संभव नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, और शांति बहाली के प्रयास सामुदायिक विकास और समझौते की ओर उन्मुख हों।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की भूमिका को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि वे समाज में विश्वास और शांति कायम कर सकें।

5. शैक्षिक और सांस्कृतिक जागरूकता:

- नक्सलवाद की उत्पत्ति और इसके कारणों के बारे में शैक्षिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। समाज को यह समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि नक्सलवाद केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज की असमानताओं और शोषण का परिणाम है।
- शैक्षिक संस्थाओं और मीडिया के माध्यम से समाज को नक्सलवाद के व्यापक प्रभावों और इससे निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान की दिशा में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

नक्सलवाद एक जटिल और गहरी सामाजिक समस्या है, जो भारतीय समाज की संरचनात्मक असमानताओं और उत्पीड़न के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। इसे केवल हिंसा और संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि हम विकासात्मक नीतियों, समानता, न्याय और सामूहिक संवाद के रास्ते अपनाएं। केवल सुरक्षा उपायों के बजाय, एक समग्र दृष्टिकोण से नक्सलवाद का समाधान किया जा सकता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों को सुनिश्चित करेगा।

संदर्भ-सूची

1. शर्मा, र. (2015). भारत में नक्सलवाद: उत्पत्ति, विकास और वर्तमान स्थिति. दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रकाशन.
2. यादव, वी. (2018). माओवादी आंदोलन और भारत: एक ऐतिहासिक विश्लेषण. मुंबई: समाजशास्त्र प्रकाशन.
3. कुमार, म. (2020). नक्सलवाद और भारतीय राजनीति: एक समकालीन अध्ययन. जयपुर: नीति संवाद पुस्तकालय.
4. अग्रवाल, श. (2017). नक्सलवाद का सामाजिक आधार: ग्रामीण भारत की एक गहरी जांच. नई दिल्ली: साहित्य भंडार.
5. सिंह, ए. (2019). माओवादी आंदोलन: विचारधारा और आंदोलन की गहरी समझ. लखनऊ: जनविकास प्रकाशन.
6. शर्मा, पी. (2021). भारतीय आदिवासी और नक्सलवाद: शोषण और संघर्ष के बिचार. इलाहाबाद: विकास पब्लिकेशन.
7. रॉय, स. (2016). माओत्से तुंग और भारतीय माओवादी आंदोलन: विचारों की समकालिकता. कोलकाता: एशियाटिक पुस्तकालय.
8. जोशी, एन. (2022). नक्सलवाद के कारण और समाधान: एक नीतिगत विश्लेषण. भोपाल: शांति प्रकाशन.
9. पाटिल, स. (2018). नक्सलवाद और भारतीय समाज: असहमति की आवाज. पुणे: ग्राम्य अध्ययन पुस्तकालय.
10. चौधरी, क. (2019). नक्सलवाद और सामाजिक न्याय: एक समकालीन दृषटिकोन. दिल्ली: समाज विचार प्रकाशन.
11. शर्मा, ज. (2020). नक्सलवाद और भारतीय मीडिया: प्रभाव और प्रस्तुति. अहमदाबाद: संवाद प्रकाशन.
12. गुप्ता, व. (2017). भारत में माओवादी आंदोलन का सामाजिक असर. चेन्नई: ग्रामीण विकास पब्लिशिंग.
13. मिश्रा, र. (2016). नक्सलवादी क्षेत्रों में सरकारी नीतियाँ और उनका प्रभाव. वाराणसी: शोध ग्रंथ प्रकाशन.
14. वर्मा, एन. (2021). नक्सलवाद: संघर्ष और समाधान. दिल्ली: भारतीय पुस्तकालय।

भारत में महिला सशक्तिकरणः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ० श्वेता

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग, महात्मा गान्धी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार

यह सर्वमान्य एवं सर्वानुभूत तथ्य है कि महिला सदियों से भेदभाव एवं शोषण सहते-सहते निःशक्त हो गई है। उसकी योग्यता को दबाकर उसे चूल्हे-चौके में धकेलने वाले पुरूष प्रधान समाज ने प्रत्येक क्षेत्र में उसका एक साधन (वस्तु) के रूप में उपभोग किया है। पुरूष प्रधान सरकारों ने भी महिला विकास का झुनझुना ही बजाया है, ना कि ईमानदारी से उस पर क्रियान्वयन किया।

महिलाओं की उपेक्षा का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिलाओं को पुरस्कार, सम्मान तक देने में भेदभाव किया जाता रहा है।

उल्लेखनीय जनवरी 2002 को गणतंत्र दिवस में प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मानों को इंदिरा गोस्वामी और सितारा देवी ने लेने से इंकार कर दिया था। उनका कहना था कि सरकारों ने हमेशा महिलाओं की घोर उपेक्षा की है। उनसे कम योग्य लोगों को 'पद्मश्री' आदि सम्मान बहुत पहले प्रदान किए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि 1954 से अब तक प्रदत्त 41 भारत रत्नों में से मात्र 5 ही महिलाओं को दिए गए। 1971 में इंदिरा गांधी को पहला भारतरत्न मिला था।

पिछले कुछ वर्षो में यूँ तो देश के आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक विकास संबंधी सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया, आजादी के बाद प्रधानमंत्री पद को मुस्तैदी और कुशलतापूर्वक संभाला, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राजदूत जैसे महत्वपूर्ण राजनैतिक और प्रशासनिक पदों के उत्तरदायित्वों का भली-भाँति निर्वहन करने के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पदभार भी बखूबी संभाला लेकिन विभिनन स्तरों से होने वाले तथाकथित प्रयासों के बाद भी महत्वपूर्ण पदों पर उनकी संख्या नगण्य सी है। स्वतंत्रता के 61 वर्ष बाद भी देश में वरिष्ठतम प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की संख्या मात्र 3.2 प्रतिशत है जिससे आभास होता है कि इस दिशा में प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है।

महिलाओं की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केवल भारत में ही नहीं विश्वभर में व्याप्त है। विश्व की आँख भी 1975 में खुली और उसने आँखे मिचमिचाते हुए 8 मार्च को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' की औपचारिक रस्म अदायगी शुरू कर दी। 20वीं सदी के ढाई दशक में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया।

12 दशक पूर्व ही स्वामी विवेकानंद ने विश्वमंच पर कहा था, ''औरतों की स्थिति में सुधार लाए बिना कल्याण असंभव है, जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना।''

जब तक इस सामाजिक, शैक्षिक राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव को खत्म नहीं किया जाता तब तक महिला को मात्र राजनीतिक समानता देने से सशक्त नहीं बनाया जा सकतां यों महिलाओं को वर्ष 2001 में सशक्त करने हेतु निम्न सरकारी कदम उठाए गए हैं, जिनकी चर्चा के बाद इनके क्रियान्वयन की बात करना सही होगा। पिछले वर्ष प्रारंभ की गई महिला नीति, योजनाए, प्रस्तावित एवं पास कराए गए विधेयक आदि इस प्रकार है:

1) महिला सशक्तिकरण वर्ष में केन्द्र सरकार ने देश में पहली बार एक 'राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति' बनाई, ताकि महिलाओं के उत्थान और समुचित विकासार्थ आधारभूत व्यवस्थाएँ निर्धारित की जा सके। आशा की गई कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन से महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विकास में समान भागीदारी के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे।

नीति के प्रमुख बिंदु निम्नांकित है:

(i) देश में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता निश्चित करना।

(ii) महिलाओं हेतु ऐसा वातावरण निर्मित करना कि वे अनुभव करें कि वे स्वयं सामाजिक तथा आर्थिक नीतियाँ बना सकती हैं।

(iii) किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करने हेतु समुचित कानून तथा सामुदायिक प्रक्रिया विकसित करना।

(iv) इन्हें मानवाधिकारों के उपयोग में सक्षम बनाना।

(v) सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हेतु महिलाओं-पुरूषों को समाज में समान भागीदारी निभाने हेतु प्रोत्साहित करना।

(vi) बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति विविध अपराधों के रूप में व्याप्त असमानताओं को खत्म करना।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त बिंदुओं से संबंधित आवश्यक कानूनों के निर्माण हेतु वर्ष 2003 तक की समय-सीमा रखी गई है। इस नीति को देशभर में पूरी तरह लागू करने हेतु 10 साल की समय-सीमा रखी गई।

1) स्वशक्ति योजना को विश्व बैंक की मदद से 7 राज्यों के 35 जिलों में शुरू किया गया है। स्वयंसेवी संगठनों के जरिए महिलाओं के 'स्वयं सहायता समूह' गठित करके इसका संचालन हो रहा है। अभी तक 91 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 9000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है।

2) महिला उद्यमियों हेतु एक ऋण योजना 15 अगस्त, 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई। इस योजना द्वारा महिलाओं को सार्वजनिक बैकों की मार्फत अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्त्तों पर मिलेगें।

3) केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई, 2001 को 2 योजनाओं की घोषणा की गई- 'महिला स्वयंसिद्धा योजना' और 'महिला स्वाधार योजना।' स्वयंसिद्धा योजना को पहले से चल रही 'इंदिरा महिला योजना' एवं 'महिला समृद्धि योजना' की जगह संचालित करने का फैसला किया गया।

इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इसके पहले चरण में 116 करोड़ रू॰ 650 विकासखंडों में खर्च किए जाएँगे जिससे 9.30 लाख महिलाएँ लाभान्वित होंगी।

'स्वाधार योजना' के अंतर्गत परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित एवं प्रवासी महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इसे त्रिस्तरीय पंचायतों के जरिए केन्द्र-राज्य सरकारों के सम्मिलित संसाधनों से संचालित किया जाएगा।

4) बालिका समृद्धि योजना में संशोधन करते हुए 'प्रसवोपरांत अनुदान' के रूप में मिलने वाले 500 रुपये अब बालिका के नाम से ब्याजयुक्त एकाउन्ट में डाले जाएँगे। इसके अतिरिक्त यह बालिका स्कूली पढ़ाई हेतु प्रत्येक सफल वर्ष के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति भी ले सकेगी।

5) किशोरी शक्ति योजना: प्रथम चरण में भारत के 507 विकास खंडों में लागू की गई है। शेष विकास खंडों में भी यह शीघ्र लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत 6400 रु. तक वार्षिक आय वाले परिवार की बालिकाओं का उचित लालन-पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाएगा। योजना को दो भागों में बाँटकर चलाया जा रहा है। 'गर्ल टू गर्ल एप्रोच' योजना 11-15 वर्षीय तथा' बालिका मंडल योजना– 15-18 वर्षीय किशोरियों हेतु बनाई गई है। मंडल योजना में किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

6) महिला आरक्षण विधेयक को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' में संसद में पेश भी नहीं किया जा सका। 1998 से प्रस्तावित इस विधेयक की सर्वाधिक दुर्गति भी इसी वर्ष (2001) में हुई। 73व 74 में संविधान संशोधन द्वारा देशभर में ग्रामीण व नगरीय पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं हेतु एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई।

इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से देश में सभी स्तरों पर 2,50,000 महिला जन प्रतिनिधि उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रही है। ऐसी ही व्यवस्था 'महिला आरक्षण विधेयक' के माध्यम से संसद व राज्य विधानमंडलों में प्रस्तावित है। यह अलग बात है कि अभी तक कुछ राज्यों में पंचायतों के चुनाव तक नहीं हुए हैं। बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

1) संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (1) के तहत लोकसभा में महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित करना;

2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों में से यथासंभव एक तिहाई स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे;

3) अनुच्छेद 332 क (1) के तहत सभी राज्य विधान सभाओं में भी महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित किए जा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2001 में 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु भारतीय तलाक (संशोधन) एक्ट, 2001 को पारित तथा निम्न अधिनियम विधेयकों को प्रस्तावित किया–

1. महिलाओं विधेयकों को प्रस्तावित किया,
2. परित्यक्ताओं हेतु गुजारा भत्ता (संशोधन) अधिनियम बिल, 2001
3. बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक, 2001

पूर्व उल्लखित समस्त सरकारी कदमों के आधार पर कहा जा सकता है कि एक वर्ष की अल्पावधि में प्रयास भरपूर किए गए। न्यायपालिका ने भी इस ओर विशेष सक्रियता दिखाई। यदि ये प्रयास जारी रहे तो कार्यान्वयन वर्ष 2002 भी सफलता की तरफ बढ़ेगा। इन रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति तो निरंतर सुधार की ओर बढ़ रही है, किंतु राजनीतिक स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है।

हमें एक नजर संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी डालनी होगी, ताकि स्वत: इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन सभी सरकारों तथा राजनीतिक दलों को प्राप्त हो सकें।

जहाँ लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5.8 तथा राज्यसभा में 9.3 प्रतिशत रहा है, वहीं राज्य विधानमंडलों में यह 4 प्रतिशत ही है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सिर्फ वर्ष 2001 में ही सकारात्मक प्रयास किए गए। आजादी के बाद से निम्नलिखित व्यवस्थाएँ भी स्थापित की गई, हालाँकि इन पर शासकों-प्रशासकों और कर्मचारियों ने ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं किया:

(i) वेश्यावृत्ति निवारण एक्ट (अधिनियम), 1956 व 1986 में संशोधित।

(ii) दहेज प्रतिबंध एक्ट, 1961 व 1986 में संशोधित।

(iii) प्रसूति लाभ एक्ट, 1961

(iv) समान पारिश्रमिक एक्ट, 1976

(v) अश्लील चित्रण निवारण एक्ट, 1986 आदि।

लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इन सरकारी व्यवस्थाओं से हमें अपेक्षित लाभ नहीं मिले। सच कहावत है कि 'ताली एक हाथ से नही बजती'। सफलता रूपी ताली की आवाज सुनने हेतु दूसरे हाथ यानी समाज को अग्रलिखित बाधा-रूपी समस्याओं को दूर करने हेतु सक्रिय पहल करनी होगी–

1. अशिक्षा का चक्रव्यूह
2. शासकीय निष्क्रियता
3. प्रचार-प्रसार में घोर उपेक्षा
4. पुरूषीय तानाशाही
5. नारी का शोषण

1. अशिक्षा का चक्रव्यूह: अभी भी देश में 51.16 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हो पाई हैं। निरक्षरता के कारण ही महिला भेदभाव, शोषण और उपेक्षा के दलदल में धँसती रही और पुरूष प्रधान समाज और सरकार ने कभी गंभीरता से उसे बाहर निकालने का वास्तविक प्रयास नहीं किया।

आज भी साक्षर ही नहीं, अधिकतर शिक्षित महिलाएँ भी अपने मौलिक एवं मानवाधिकारों के बारे में अनजान हैं।

2. शासकीय निष्क्रियता: देश में कानून होने के बाद भी इनमें से कई महिलाएँ समान कार्य करने के बावजूद असमान पारिश्रमिक पा रही हैं। खुलेआम होते बाल-विवाह ने शासन-प्रशासन के उदारवादी मुखौटे को उतार फेंका है। दहेज प्रताड़ना में मामूली-सी कमी हुई है।

3. प्रचार-प्रसार में घोर उपेक्षा: स्वतंत्रता सेनानी अपने वर्ग का प्रेरणा-स्त्रोत होता है। सर्वविदित है कि स्वतंत्रता आंदोलनों में लाखों महिलाओं ने हिस्सा लिया, किंतु अंगुली पर गिनने योग्य महिलाएँ– लक्ष्मीबाई, अरूण आसफ अली, मैडम कामा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गाँधी आदि का नाम ही आम जनता जानती है।

शायद ही दुर्गा भाभी, सत्यवती, लाडो रानी, दुर्गा बाई, मालिनी सखटे, जमुना देवी, मदान देवी जैसी महत्वपूर्ण हजारों महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एवं उनके कार्य 2 प्रतिशत महिलाएँ जानती हों।

4. पुरूषीय तानाशाही: अभी भी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय पुरूष वर्ग ही ले रहा है, जबकि घर के अंदर-बाहर इनका सर्वाधिक प्रभाव बालिकाओं, नवयुवतियों और प्रौढ़-वृद्ध महिलाओं पर पड़ता है। शिक्षित एवं सम्पन्न महिलाओं को भी पुरूष वर्ग की तानाशाही सहन करनी पड़ती है जिसे हम मीडिया के विभिन्न साधनों से देखते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में पटना राजधानी में 'चमेली प्रकरण' का एक घटना घटित हुआ। जिसे मीडिया के द्वारा दिखाया गया।

5. नारी का शोषणः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र–परिवार, संपत्ति, वर का चयन, शासकीय सेवा, खेल, शिक्षा, विज्ञापन, फिल्म आदि में असंख्य कानून होने के बावजूद जारी है। हम प्रतिदिन इन क्षेत्रों में इनके शोषण के समाचार पढ़ते-सुनते हैं। आज नारी तृतीय विश्व बन गई हैं जहाँ सुविधाएँ और मानवाधिकार बहुत कम प्राप्त हैं, लेकिन इनके लिए श्रम बहुत अधिक है।

उल्लेखनीय है कि खेल अधिकारी कर्णम मल्लेश्वरी को सिडनी ओलंपिक में भेजने पर ही आशंका व्यक्त कर रहे थे जबकि उसी ने भारत की लाज बचाई। यदि मल्लेश्वरी को यह तनाव न झेलना पड़ता तो वह भारत को स्वर्ण पदक भी दिला सकती थी।

व्यावहारिक सुझाव

1) निरक्षरताः अशिक्षा को भेदने के लक्ष्य को परिवार, पड़ोस, सरकार एवं समाज के प्रत्येक स्तर पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मीडिया को इस तथ्य को प्रचारित- प्रसारित करने में खास भूमिका निभानी होगी।
   महिलाओं को विकास के लाभों में बराबरी का हकदार बनाने हेतु सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक वातावरण बनाना नितांत आवश्यक है।
2) पुरूष प्रधान समाज व सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी कि वे विशेषाधिकारी नहीं है। महिला वर्ग को भी अपनी दुदर्शा सुधारने हेतु पुरूषवर्ग का मार्गदर्शन, स्वैच्छिक सहयोग आदि स्वीकार करना चाहिए।
   इन पुरूषों को विश्वसनीयता की कसौटी पर पहले ही परख लेना चाहिए, क्योंकि सभी स्वयंसेवी महिला-पुरूष स्वार्थी, शोषक एवं चरित्रहीन नहीं होते। इन रचनात्मक प्रयासों को धर्म, धन, लिंग व रंगरूप के झूठे एवं दिखावटी सुंदर पत्थरों से बचाना होगा।
3) महिला वर्ग को भी मिलती जा रही स्वतंत्रता, सुविधा व भागीदारी को सार्थक सिद्ध करने हेतु सदा सकारात्मक तथा सक्रिय कदम उठाते हुए पाश्चात्य अश्लीलता (उत्तेजक रहन-सहन) का अंधानुकरण बंद करना होगा, क्योंकि छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार जैसे असामाजिक कृत्यों के बढ़ने में यह भी एक कारण बना हुआ है। अतः पश्चिमी सभ्यता और बॉलीवुड के कृत्रिम खुलेपन के अंधानुकरण से बचते हुए 'आ बैल मुझे मार' की कहावत को चरितार्थ नहीं किया जाए।
4) डॉ॰ अम्बेडकर के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता को वर्त्तमान परिवेश में उचित रूप से समझते हुए व्यवहार में लागू किए जाने की जरूरत है जो मुख्य रूप से महिला विकास से संबंधित हैं। महिलाओं एवं पुरूषों की समानता पर आधारित समाज का उनका सपना अभी साकार नहीं किया जा सका है।
5) वे कहते थे कि भारतीय महिला श्रम से नहीं घबराती, किंतु आँसुओं की चिंता अवश्य करती है। अतः इनकी चिंताओं- रोजी, रोटी, शिक्षा, असमान व्यवहार को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए।
6) उनका यह सुझाव अत्यंत कारगर सिद्ध होगा, ''जब तक हमारी महिलाएँ आंदोलन में भरपूर हिस्सा नहीं लेती, तब तक पीड़ित, शोषित व अभावग्रस्त लोगों को मानवाधिकार प्राप्त नहीं होंगे।''
7) ग्रामीण महिलाओं को भी नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे कि अब तक राष्ट्रीय सेवा समिति (रास) द्वारा 1000 ग्रामीण महिलाओं (18-25 वर्ष) में नेतृत्व क्षमता जागृत करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कैम्प लगाए गए। इसी तरह 25 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी कैम्प आयोजित किए जाने चाहिए जो मानसिक एवं शैक्षिक रूप से ज्यादा सबल होती है।
8) महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु उन्हें रोजगार के अधिकाधिक अवसर मुहैया कराने हेतु समाज व सरकार को सकारात्मक पहल करनी होगी। हाल ही में श्रम मंत्रालय के रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किया गया रोजगार संबंधी परिदृश्य का आकलन द्वारा देखते हैं कि संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार केवल 16.3 प्रतिशत है। बिहार में मुस्लिम बालिका सशक्तिकरण हेतु 'औजार' कार्यक्रम 8 अगस्त 2009 को प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा बालिका के खाते में 2,500 रू॰ जमा किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।

निष्कर्षः

महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक विकास व न्याय देने हेतु सरकार-समाज के प्रत्येक वर्ग-जनप्रतिनिधि, शासक- प्रशासक, जनसमुदाय, मीडिया को उपर्युक्त विडंवनामय समस्याओं एवं समाधानार्थ व्यावहारिक सुझावों पर क्रियान्वयन करना होगा। तभी महिलाओं को सशक्त करने की बातें और क्रियान्वयन वर्ष '2002' सार्थक बन सकेगा। बेशक मंजिल दूर है और मार्ग कठिन है, फिर भी जीवन तो चलने का नाम है। अतः सभी को यथाशीघ्र एवं अपनी क्षमतानुसार कदम उठाने होंगे:

हौंसले हो बुलंद, तो यह राह व मंजिल मिल ही जाती है। महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा बल्कि लक्ष्यों को भली-भाँति प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन भी जुटाने होंगे। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी योजनाआं पर कड़ी नजर रखनी होगी। प्रत्येक स्तर पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि महिला समानता और सशक्तिकरण की योजनाएँ कागजों तक ही सीमित नहीं रह जाएँ बल्कि धरातल पर उतारी जाएँ।

संदर्भ सूची:

1. योजना अप्रैल, 2002
2. योजना मार्च, 2001
3. कुरूक्षेत्र मार्च, 2005
4. 'हिन्दुस्तान' मार्च, 2009
5. 'दैनिक जागरण' मार्च, 2009

धर्मवीर भारती के निबंधों में सांस्कृतिक चिंतन

मनीष कुमार

शोधार्थी, हिंदी विभाग, राजस्थान विष्वविद्यालय, जयपुर

धर्मवीर भारती जितने बड़े कवि और कथाकार थे। उतने ही बड़े शैलीकार, निबंध लेखक भी थे। उनके गद्य की विशिष्ट शैली है उन्होंने अपनी गद्य भाषा को चित्रमयी, बिम्बधर्मिता और प्रतीकात्मकता दी और ऐंद्रिय संवेदन द्वारा मूर्तता दी। कवि की तीव्र संवेदनशीलता गद्य में भी प्रसंगवश भावनात्मकता उत्पन करती है और प्रसंगों, घटनाओं को रसाविष्ट करती है। उनका भावनाशील कवि महान व्यक्तियों की आन्तरिकता को स्पर्शकर उनमें एकाकार हो जाता है। उनके महात्म्य के सामने अपने अहं को विगलित कर नतमस्तक होता है। उनका गद्यकार मन सरल, प्रांजल पारदर्शी भाषा में अद्‌भुत प्रवाह को समेटता हुआ पाठक को अपनी रवानी में बहा ले जाता है। सर्जनात्मक भाषिक क्रीड़ा का यह रूप अलग से अपनी ओर ध्यान नहीं खींचता बल्कि प्रभाव को अनायास गहराता जाता है।

धर्मवीर भारती ने भारतीय संस्कृति के मर्म को एक कवि और चिंतक की भाँति उद्‌घाटित किया है इनको भारत की महान संस्कृति का अभिमान था आधुनिक काल में हो रहे सांस्कृतिक अध:पतन से वे चिंतित दिखाई देते थे।

'राजनैतिक नियति और भारतीय लेखक' निबंध में गहराते सांस्कृतिक संकट की ओर इशारा किया। इस विषय पर नेहरू जी के कथन को उद्धृत करते हुए धर्मवीर भारती ने लिखा है- "आज डर के मारे इंसान चूहे की संस्कृति अपना रहा है। अणुयुद्ध के डर से जगह-जगह जंमीदोज तहखाने बना दिए गए हैं। जिनमें अणु विस्फोट के विष से बचने की सुविधा है। लेकिन ऐसे तहखाने में संस्कृति कब तक और कैसे जिंदा रह सकती है?"[1]

संक्रांति काल में नैतिक अध:पतन के कारण मनुष्य में आंतरिक रुग्णता आ गयी है। इसीलिए संस्कृति का आंतरिक मूल्य कुछ नहीं रहा। इस अराजक स्थिति से नयी पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई।

कोई भी संस्कृति केवल भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति के आधार पर विकास नहीं कर सकती। किसी भी संस्कृति का सही मायने में विकास तभी संभव है। जब मानवीयता के प्रति उसका दृष्टिकोण विकसित होता है। भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति के दम पर चांद पर पहुंचने वाले पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक खोखलेपन से सभी परिचित हैं। एक ओर रंगभेद और उपनिवेशवाद का दंभ अंतर्मन में पालते हुए व्यक्तिगत स्वाधीनता का नाम लेने वाली संस्कृति तथा दूसरी ओर मानवीयता को नृशंसता से कुचलते हुए भी समानता का नाम लेने वाली दूसरी संस्कृति, ये दोनों चन्द्रलोक में पहुंचने वाली शूरवीर संस्कृतियाँ मानवीयता के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं बना पाईं। जब बुद्विजीवी पश्चिम की इस परिस्थिति को देखता है तो उसे स्पष्ट रूप से समझ मे आता है, कि सारे सिद्धान्त, जो राजनीति के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, मूल्य सिद्धान्तों के क्षेत्र में, समान रूप से थोपे गए हैं। मानवता के लिए अब इनके पास कुछ नहीं है।

पश्चिमी सभ्यता के पास इस संक्रांति काल में विश्व को देने के लिए कुछ नहीं बचा लेकिन पूर्वी सभ्यता और संस्कृति के पास भविष्य के लिए काफी संभावनाएँ बाकी हैं। इस संकट के समय में मानवीय नियति के लिए पूर्वी सभ्यता का दायित्व और भी गहरा प्रतीत होता है। क्योंकि मनुष्य की आंतरिक संपन्नता पर अब भी पूर्वी सभ्यता का विश्वास कायम है, इस कारण धर्मवीर भारती को आशा है कि पूर्वी सभ्यता में आज भी नए प्रकाश की संभावनाएँ बाकी हैं।

भाषा देश की सांस्कृतिक आत्मा को व्यक्त करती है इसलिए धर्मवीर भारती ने भारतीय भाषाओं को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने भारतीय भाषाओं को छोड़कर अंग्रेजी को अहमियत देने का कड़ा विरोध किया। देश की आत्मा जिस लम्बे और बहुपक्षी इतिहास, विराट समन्वय और आध्यात्मिक खोज को अपने में समाहित किए हुए है, उसकी विविध अनुभूतियों की अभिव्यक्ति उन्हीं भाषाओं के शब्दों से हो सकती है। विदेश से उधार लिए गए शब्द बहुत से संदर्भों में झूठे साबित होते हैं। राजनैतिक स्वार्थ के लिए अंग्रेजी को प्रश्रय देने वालों पर भी धर्मवीर भारती ने कटाक्ष किया और लिखा है कि, "अगर भारतीयता का राग अलापने वाले चंद पिछड़े हुए लोग देशभक्ति-जैसी घिसी-पिटी धारणाओं के बल पर हिंदी को राजभाषा बना भी दें तो आप कतई मत डरिए। आपको अनंत काल के लिए भी गारंटी दे दी गई है। अंग्रेजी सह भाषा के रूप में रहेगी।"[2]

धर्मवीर भारती ने देश की संस्कृति और इतिहास को विकृत करके उनका चित्रण करने वालों का कड़ा विरोध किया है। चाहे वह समाचार, फिल्में, नाटक या साहित्य हो। 'टी. दास और पशु-प्रदर्शनी' निबंध मे धर्मवीर भारती ने अंग्रेजी संवाददाता द्वारा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 'मानस सम्मेलन' को महत्व न देकर पशु प्रदर्शनी को महत्व दिए जाने पर क्षोभ प्रकट किया। देश की सांस्कृतिक प्रगति, आध्यात्मिक विकास और राष्ट्रीय मानस के निर्माण के प्रति अंग्रेजी संवाददाताओं का रुख देखकर धर्मवीर भारती ने लिखा, "देश की सांस्कृतिक प्रगति, आध्यात्मिक विकास और राष्ट्रीय मानस के निर्माण के प्रति अंग्रेजी - संवाददाता का यह जो ध्वंसात्मक रुख है क्या इसके पीछे केवल सामूहिक स्वार्थ, सामयिक राजनीतिक परिस्थितियां ही है? मैं ऐसा नही मानता। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी भाषा

का व्यवहार करने वालों और उसका समर्थन करने वालों में राष्ट्रभक्ति का अभाव है। लेकिन उनकी दृष्टि में आज वह उदारता और दूरदर्शिता नहीं जो किसी समय सी. एफ. एंड्रयूज, ऐनी बीसेन्ट, रामानंद चटर्जी या सी.वाई. चिंतामणी में थी।"[3]

'रामायण: बेतर्ज मेरठ' निबंध में समाज की बढ़ती कुरुचि पर चिंता प्रकट की गयी है। सांस्कृतिक प्रदर्शन के नाम पर मेरठ कॉलेज में आधुनिक रामायण नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामायण को सिनेमा और गीतों के प्रसंग के साथ जोड़कर विकृत ढंग से प्रस्तुत किया गया। ऐसी बातों पर क्रोध आना स्वाभाविक है लेकिन ऐसी प्रवृळियों के खिलाफ आवाज उठाकर, आंदोलन करके या फिर कुरुचिपूर्ण पोस्टरों को भस्म करके इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना आवश्यक है। इस तरह के कुरुचिपूर्ण आयोजन या पोस्टर तो रोग के बाहरी लक्षण हैं। इन लक्षणों को दबाने से अन्य व्याधियाँ जन्म लेती हैं। इसलिए भारती जी इस समस्या को समूल मिटा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखते हैं कि, "ऊपरी समाधान के बजाए जरा धीरज, मेहनत और लगन से लोगों के मन में कलात्मक सुरुचि जगाने की कोशिश की तो देखा कि कुरुचि कैसे काई की तरह फट जाती है और निर्मल जल निखर आता है।"[4]

धर्मवीर भारती ने सांस्कृतिक विकास में अखबारों का भी विशेष योगदान माना है अखबार में सही खबर और सही दिशा देने वाले शब्द नहीं छपते हैं तो वे सांस्कृतिक पतन में पूर्ण योग देते हैं।

घटनाएं तो रोज हमारे इर्द-गिर्द घटती रहती हैं किन्तु अखबार इन घटनाओं को निरर्थक समझकर कभी नहीं छापते। राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक उत्थान के कार्य में नितांत साधारण लोग इंसानियत, हमदर्दी, प्यार और आपसी समझदारी के सहारे राजनेताओं से अधिक ठोस और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसमें दोष अखबारों का नहीं हमारी दूषित मानसिकता का है जो इंसानियत के नाम पर सिद्धान्त तो बनाती है किन्तु इंसानियत से कोसों दूर रहती है और इंसान की समस्याओं को अनदेखा करती है इसीलिए दया और अध्यात्म के नाम पर, भूखों को भोजन कराएगी, उनकी भौतिक सहायता करेगी लेकिन उनमें स्वाभिमान कभी नहीं जगाएगी। दूसरों के कष्ट में जाकर उसे मदद करने की, सहारा देने की जो मध्ययुगीन परंपरा थी, वह बड़े-बड़े शहरों में धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। इसलिए देश के छोटे गाँव कस्बों से ऐसी हमदर्दी, मानवीयता पूर्ण एक्का-दुक्का खबरें अखबार में पढ़कर धर्मवीर भारती को खुशी होती है कि-"इस झूठ और दंभयुक्त प्रचार के कोलाहल में मन की सच्चाई, ईमानदारी, नेकी और मानवीयता के बीज वे ही लोग बो रहे हैं। अगर देश में एक भी बच्चे के मन में उन्होंने स्वाभिमान जगाया और उसे प्रकाश दिया तो वह दस हजार वोट इक्कठा करने से ज्यादा ठोस काम है।"[5]

'शब्द बदलते प्रकाश में' निबंध में धर्मवीर भारती ने नफरत की आग उगलने वालों पर कड़ा प्रहार किया है। शब्दों द्वारा नफरत की आग का खेल हमेशा सत्ता लोलुप स्वार्थी वर्ग खेलते आया है।

वैज्ञानिक आविष्कारों ने घृणा में आकंठ डूबे हुए विकृत नासमझों के हाथ में अणुबम जैसे खतरनाक हथियार दे दिए हैं, जिससे वे विध्वंस का तांडव करते हैं। ये सत्ता लोलुप, शब्दों के सिद्धान्तों का बाना पहनकर भावुक अपरिपक्व हृदयों में घृणा की आग भड़काते हैं और उनकी मशीनगनों से निकली गोलियां आकाश में अग्नि-रेखाएँ खींचने लगती हैं। इस प्रकार शब्द प्रेम की कड़ी और सांस्कृतिक विकास के साधन बनने की बजाए हिंसा और घृणा की आग उगलने के उपकरण बन जाते हैं।

धर्मवीर भारती के निबंध 'तलाश ईश्वर की बजरिये अफीम' में बीटनिक एक ऐसी नाराज युवकों की पीढ़ी है, जिन्होंने समाज के खिलाफ युद्ध घोषित कर रखा है। बीटनिकों का कहना था- ''चूँकि गन्दी मर्यादाओं और व्यवस्थाओं वाले इस बाह्य संसार से मिलने वाली हर अनुभूति अब झूठी पड़ चुकी है। अत: असली अनुभूति अंदर से मिलती है। एक चरम विस्फोट उद्दीपन में, या चाहे मैथुन से मिले, संगीत से मिले या अफीम के इंजेक्शन से।"[6] बीटनिक अफीम के नशे द्वारा ईश्वर की तलाश करने का दावा करते हैं। उनके इस दावे के खोखलेपन के बारे में धर्मवीर भारती ने लिखा है-"हम नहीं जानते कि हिंसा उद्भ्रांत संगीत, अप्राकृतिक मैथुन, छीली जांघों के आदिम जंगल, अफीम और मारिजुआना के अंधेरे दर्रों से गुजरकर इनमें से कितने आस्था के द्वार पहुंचते हैं। ये तमाम दरजी, मिस्त्री, मुनीम, चौकीदार, किरानी दिनभर काम करने के बाद शाम को काफे-द-आर्टिस्ट में अफीम खाकर अपने एक महत विद्रोही व्यक्तित्व के कल्पित बिम्ब से राहत पा लेते हैं और सुबह उठकर फिर सिर झुकाकर अपने काम पर चले जाते हैं और यह तब तक चलता रहता है। जब तक अफीम उन्हें काम-काज के लायक बनाए रखती है।"[7]

धर्मवीर भारती ने संस्कृति की पहचान को भी अपने निबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उठाया है। उन्होंने बताया कि समाज की सांस्कृतिक पहचान उसके मूल्यों, परंपराओं और विश्वासों से जुड़ी होती है। वे मानते थे कि आधुनिकता के चलते हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संस्कृति और आधुनिकता का संगम ही समाज को एक नई दिशा दे सकता हैं। उनकी रचनाएँ हमें याद दिलाती हैं, कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण हमारे सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक है। धर्मवीर भारती का शिक्षा के प्रति गहरा समर्पण था वे मानते थे, कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा से समाज में जागरूकता आती है, जो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाती है। एक शिक्षित समाज ही सामाजिक विकृतियों की पहचान करने के उपरांत

सांस्कृतिक उत्थान कर सकता है और सामाजिक विकृतियों का स्थायी समाधान निकाल सकता है उनकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि एक जागरूक और नैतिक नागरिक बनाना भी है। षिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है।

धर्मवीर भारती का संस्कृति के प्रति अटूट लगाव था। उन्होंने अपने निबंधों में संस्कृति का उत्थान करने का प्रयास किया। इनके निबंधों में सांस्कृतिक चिंतन की छाप मिलती है इस चिंतन के माध्यम से इन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित किया है।

संदर्भ-

1 चंद्रकांत बांदिवडेकर , धर्मवीर भारती ग्रंथावली भाग-4, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली,1998 पृ.स.-300
2 चंद्रकांत बांदिवडेकर , धर्मवीर भारती ग्रंथावली भाग-4, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली,1998 पृ.स.-266
3 चंद्रकांत बांदिवडेकर , धर्मवीर भारती ग्रंथावली भाग-4, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली,1998 पृ.स.-206,207
4 चंद्रकांत बांदिवडेकर , धर्मवीर भारती ग्रंथावली भाग-4, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली,1998 पृ.स.-178
5 चंद्रकांत बांदिवडेकर , धर्मवीर भारती ग्रंथावली भाग-4, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली,1998 पृ.स.-240
6 चंद्रकांत बांदिवडेकर , धर्मवीर भारती ग्रंथावली भाग-4, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली,1998 पृ.स.-493
7 चंद्रकांत बांदिवडेकर , धर्मवीर भारती ग्रंथावली भाग-4, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली,1998 पृ.स.-497

आर्गेनिक कृषि और रोजगार: एक अध्ययन

सुधीर कुमार सिंह

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाड्रफनगर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)

शोध सार

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, कृषि केवल खाद्य उत्पादन का ही साधन नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आजीविका का भी मूल स्रोत है। परंतु हरित क्रांति के बाद से पारंपरिक कृषि पद्धतियों में रासायनिक खादों, कीटनाशकों और उन्नत बीजों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा, जिससे भूमि की उर्वरता, जल स्रोतों की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़े। ऐसे परिदृश्य में "आर्गेनिक कृषि" या "जैविक खेती" एक सकारात्मक विकल्प के रूप में उभरी है। यह पद्धति पर्यावरण-संवेदनशील, स्वास्थ्य-हितैषी और रोजगार-सृजन में समर्थ मानी जाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में हम आर्गेनिक कृषि की अवधारणा, इसके लाभ, चुनौतियाँ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसके रोजगार संभावनाओं पर गहराई से विचार करेंगे।

मुख्य शब्द: "आर्गेनिक कृषि, पर्यावरण, रोजगार, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती

आर्गेनिक कृषि की अवधारणा

आर्गेनिक कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें सिंथेटिक रसायनों, कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, जीएम फसलों और हार्मोन जैसे रासायनिक उत्पादों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद, नीम की खली, बायोपेस्टिसाइड्स, ट्रैप आदि का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हुए, पर्यावरण संतुलन को संरक्षित करना है। यह खेती न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त है।

प्रस्तावना

आर्गेनिक कृषि, जिसे जैविक खेती या प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है, एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, हार्मोन और अन्य कृत्रिम तत्वों के उपयोग से परहेज करते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती करने की परंपरा को पुनर्जीवित करती है। इसका मूल उद्देश्य भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए पर्यावरण-सम्मत उत्पादन को बढ़ावा देना है। आर्गेनिक कृषि में जीवांश खाद, हरी खाद, गोबर, वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत, पंचगव्य, प्राकृतिक कीट नियंत्रण उपायों और मिश्रित फसलों का उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य, जल स्रोतों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। यह पद्धति न केवल पर्यावरण को संरक्षित करती है, बल्कि उपभोक्ताओं को रसायन-मुक्त, पोषणयुक्त और सुरक्षित खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते प्रभाव के चलते आर्गेनिक कृषि को एक स्थायी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। भारत में भी आर्गेनिक कृषि तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में, जहां किसानों ने जैविक खेती की ओर रुझान दिखाया है। सिक्किम तो देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन चुका है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्गेनिक कृषि का भविष्य उज्ज्वल है। वर्तमान में उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग, वैश्विक बाजार में जैविक उत्पादों की अधिक कीमतें, सरकार की नीतिगत सहायता और जागरूकता अभियानों के चलते यह क्षेत्र न केवल कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, बल्कि रोजगार, निर्यात और ग्रामीण विकास के नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। जैविक कृषि, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान का संतुलित रूप है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक सशक्त योगदान देने की क्षमता रखता है। अत: वर्तमान समय में आर्गेनिक कृषि न केवल एक कृषि पद्धति है, बल्कि एक समग्र आंदोलन है जो स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास की दिशा में मानवता के प्रयासों को गति प्रदान करता है।

आर्गेनिक कृषि और पारंपरिक कृषि में तुलनात्मक विश्लेषण

आर्गेनिक कृषि और पारंपरिक कृषि के बीच मौलिक अंतर उनके दृष्टिकोण, प्रक्रियाओं, संसाधनों और दीर्घकालिक प्रभावों में निहित होता है, और इन दोनों कृषि प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण आधुनिक कृषि विमर्श का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। पारंपरिक कृषि, जिसे प्राय: हरित क्रांति के बाद की कृषि प्रणाली के रूप में समझा जाता है, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृत्रिम हार्मोन,

भ्ल्ट बीजों (High Yielding Varieties) और भारी मशीनरी पर अत्यधिक निर्भर होती है, जिसका उद्देश्य तात्कालिक उपज वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना होता है। इसके विपरीत, आर्गेनिक कृषि एक दीर्घकालिक, टिकाऊ और पारिस्थितिक दृष्टिकोण को अपनाती है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, और जैव विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक साधनों जैसे जीवांश खाद, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट, नीम आधारित कीटनाशक, पंचगव्य आदि का प्रयोग किया जाता है।

पारंपरिक कृषि जहां सिंचाई, रासायनिक खाद और कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की संरचना को कमजोर करती है, वहीं आर्गेनिक कृषि मृदा सूक्ष्मजीवों को पुनर्जीवित कर उसकी उर्वरता को बेहतर बनाती है। पारंपरिक प्रणाली में जल की अधिक खपत, भूजल का क्षरण, भूमि क्षरण और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जबकि आर्गेनिक कृषि जल संरक्षण तकनीकों, फसल चक्र, और मिश्रित खेती को अपनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सक्षम होती है। पारंपरिक कृषि में उत्पादों की अधिकता होती है, किंतु उनमें रासायनिक अवशेष होने की संभावना रहती है, जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, वहीं आर्गेनिक उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक, पोषणयुक्त और सुरक्षित होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की मांग में तेजी देखी जा रही है।

लागत के संदर्भ में भी दोनों प्रणालियां भिन्न हैं- पारंपरिक कृषि में आरंभिक लागत कम लग सकती है लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह मिट्टी की गुणवत्ता घटा कर उत्पादन पर असर डालती है, जबकि आर्गेनिक कृषि में प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है (जैसे खाद निर्माण, श्रम, प्रमाणन आदि), परंतु दीर्घकाल में यह मिट्टी को बेहतर बनाकर टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित करती है। बाजार मूल्य की दृष्टि से देखें तो आर्गेनिक उत्पादों को अधिक मूल्य मिलता है, विशेषकर शहरी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, जबकि पारंपरिक उत्पाद सामान्यत: कम कीमत पर बिकते हैं।

रोजगार की दृष्टि से आर्गेनिक खेती अधिक श्रम-सघन होती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जबकि पारंपरिक कृषि अधिकतर यंत्र-आधारित होने के कारण रोजगार अवसर सीमित कर देती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि पारंपरिक कृषि में रासायनिक कृषि पर निर्भरता के कारण किसानों को कंपनियों से बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता घटती है, जबकि आर्गेनिक खेती में किसान स्वयं बीज संरक्षण, खाद निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनता है। अंतत:, जहां पारंपरिक कृषि त्वरित लाभ और उत्पादन केंद्रित है, वहीं आर्गेनिक कृषि एक समग्र, पर्यावरण-संवेदी, और दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाली प्रणाली है, जो न केवल कृषक समुदाय और उपभोक्ता के हित में है, बल्कि पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अत:, यह स्पष्ट है कि आर्गेनिक कृषि और पारंपरिक कृषि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, किंतु वर्तमान पर्यावरणीय संकट और स्वास्थ्य चुनौतियों के संदर्भ में आर्गेनिक खेती एक अधिक जिम्मेदार, सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रही है।

आर्गेनिक कृषि से रोजगार की संभावनाएँ

आर्गेनिक कृषि से रोजगार की संभावनाएँ आज के समय में ग्रामीण विकास और सतत आजीविका के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभर रही हैं, क्योंकि यह पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक श्रम-सघन, विविधतापूर्ण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित पद्धति है। जैविक खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के स्थान पर घरेलू और स्थानीय रूप से उत्पादित सामग्री जैसे गोबर, वर्मी कम्पोस्ट, नीम-आधारित जैव कीटनाशक आदि का उपयोग होता है, जिनके उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण में कई स्तरों पर मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इससे किसानों के साथ-साथ खेतिहर मजदूरों, महिला स्व-सहायता समूहों, युवा उद्यमियों और स्थानीय शिल्पियों को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं।

आर्गेनिक कृषि के अंतर्गत बीज संरक्षण, जैविक खाद निर्माण, प्राकृतिक कीटनाशक निर्माण, फसल चक्र योजना, पशुपालन और मिश्रित खेती जैसे कई क्षेत्रों में कौशल विकास की आवश्यकता होती है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं के लिए प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं में भी रोजगार की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जैविक उत्पादों के प्रमाणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात में भी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी आवश्यक होती है। ऑनलाइन और शहरी बाजारों में आर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए अनेक किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्टार्टअप्स और कृषक समूहों ने जैविक कृषि को व्यावसायिक रूप दिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर उद्यमिता और स्वरोजगार को भी बल मिला है। कुल मिलाकर, आर्गेनिक कृषि केवल पर्यावरणीय और स्वास्थ्यगत लाभ नहीं देती, बल्कि यह रोजगार सृजन, कौशल विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में भी एक सशक्त माध्यम बन रही है। इसे प्रस्तुत ग्राफ से समझा जा सकता है-

- उत्पादन कार्य: 25%
- कम्पोस्ट उत्पादन: 15%
- प्रोसेसिंग और पैकेजिंग: 20%
- प्रमाणीकरण और निरीक्षण: 10%
- विपणन और निर्यात रू 20%
- प्रशिक्षण और विस्तार सेवा: 10%

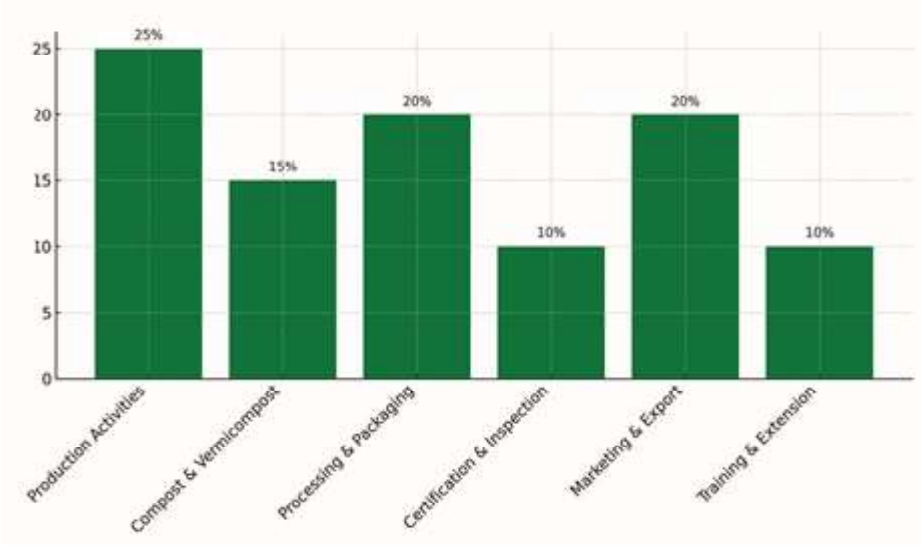

यह चार्ट आर्गेनिक कृषि में रोजगार की संभावनाओं को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है

आर्गेनिक कृषि का रोजगार सृजन पर प्रभाव: ग्रामीण और शहरी रोजगार के अवसर

आर्गेनिक कृषि का रोजगार सृजन पर प्रभाव न केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, बल्कि यह शहरी क्षेत्रों में भी विविध रोजगार अवसरों का सृजन कर रहा है, जिससे यह कृषि पद्धति सामाजिक-आर्थिक विकास का एक प्रभावी उपकरण बनती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती ने परंपरागत खेती की एकरसता को तोड़ते हुए किसानों, खेतिहर मजदूरों, महिला समूहों और युवा उद्यमियों के लिए नई आजीविका के दरवाजे खोले हैं। गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत, पंचगव्य, हरी खाद और जैव कीटनाशक निर्माण जैसे कार्यों में ग्रामीण स्तर पर श्रम की भारी आवश्यकता होती है, जिससे कम जमीन रखने वाले किसानों और भूमिहीन मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। महिला स्व-सहायता समूह (SHGs) विशेष रूप से जैविक खाद निर्माण और विपणन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। वहीं, युवाओं के लिए बीज बैंक, नर्सरी, स्थानीय बिक्री केंद्र और प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में आर्गेनिक कृषि ने नई प्रकार की सेवाओं और व्यवसायों को जन्म दिया है। जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ऑनलाइन विपणन, होम डिलीवरी सेवाएं, रिटेल आउटलेट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और ऑर्गेनिक कैफे जैसी अवधारणाएं तेजी से फैल रही हैं, जो तकनीकी, विपणन और लॉजिस्टिक विशेषज्ञों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। कई शहरी युवाओं ने आर्गेनिक खेती को एक स्टार्टअप के रूप में अपनाया है, जिसमें वे छतों पर टेरेस गार्डन, हाइड्रोपोनिक या कंटेनर आधारित जैविक फार्मिंग के माध्यम से खाद्य उत्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी बाजारों में उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता के चलते प्रमाणन एजेंसियों, क्वालिटी कंट्रोल विशेषज्ञों और पर्यावरण सलाहकारों की भी मांग बढ़ी है। आर्गेनिक पर्यटन (Agri-tourism) और फार्म स्टे जैसे नवाचार भी ग्रामीण-शहरी रोजगार को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर, आर्गेनिक कृषि एक ऐसी प्रणाली बन चुकी है जो पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर एक बहु-स्तरीय आर्थिक गतिविधि के रूप में उभर रही है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विविध प्रकार के सतत और सम्मानजनक रोजगार अवसरों का निर्माण करती है।

सरकारी योजनाएँ और प्रोत्साहन: आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ

भारत सरकार ने आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य न केवल रासायनमुक्त कृषि को प्रोत्साहित करना है, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना और जैविक उत्पादों

को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना भी है। सबसे प्रमुख योजना परम्परा Krishi Vikas Yojana (PKVY) है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देना है, जिसमें किसानों को समूह बनाकर 20 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि पर जैविक खेती करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। PKVy~ के अंतर्गत किसानों को प्रमाणन, प्रशिक्षण, जैविक आदानों की उपलब्धता, विपणन और ब्रांडिंग जैसी सुविधाओं के लिए अनुदान मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (MOVCDNER), जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक कृषि को व्यावसायिक स्वरूप देना है। यह योजना क्षेत्र विशेष की फसलों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय किसानों को बाजार से जोड़ने में मदद करती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी आर्गेनिक खेती को परोक्ष रूप से सहयोग देती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की स्थिति के अनुसार उपयुक्त फसल और खाद सुझाता है, जिससे जैविक विधियों की ओर उनका रुझान बढ़ता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (NCOF) के माध्यम से देशभर में जैविक खाद और कीटनाशकों के निर्माण और प्रयोग को वैज्ञानिक आधार पर बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, FSSAI के अंतर्गत जैविक उत्पादों के लिए श्रंपअपा ठींतंज जैसे लेबल और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को लागू किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास मिलता है।

स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे व्यापक कार्यक्रमों में भी आर्गेनिक कृषि को अप्रत्यक्ष रूप से बल मिला है, क्योंकि ये योजनाएँ किसानों को नवाचार, जल संरक्षण और उद्यमिता की ओर प्रेरित करती हैं। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे agmarknet.gov.in, jaivikbharat.gov.in और e&NAM के माध्यम से जैविक उत्पादों की बिक्री और व्यापार को भी सुगम बनाया गया है। इसके अलावा, राज्यों ने भी अपने-अपने स्तर पर आर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण किया हैकृजैसे सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य घोषित करना, उत्तराखंड में जैविक कृषि मंडल बनाना, और मध्य प्रदेश में जैविक खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। इन सभी योजनाओं और प्रोत्साहनों का सम्मिलित प्रभाव यह है कि आर्गेनिक कृषि अब एक आंदोलन का रूप ले रही है, जिसमें सरकार की सक्रिय भूमिका किसानों को इस परिवर्तनशील कृषि पद्धति को अपनाने में सहायता कर रही है, और देश को सतत कृषि विकास की दिशा में अग्रसर कर रही है।

आर्गेनिक उत्पादों का बाजार और आर्थिक लाभः घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माँग

आर्गेनिक उत्पादों का बाजार और आर्थिक लाभ वर्तमान समय में एक अत्यंत संभावनाशील और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बन गया है, जिसकी माँग घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लगातार बढ़ रही है। आर्गेनिक कृषि से उत्पन्न उत्पादों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे रासायनमुक्त, पोषणयुक्त और पर्यावरण-अनुकूल होते हैं, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। भारत में शहरी क्षेत्रों, विशेषतः महानगरों और उच्च आय वर्ग में जैविक फल, सब्जियाँ, अनाज, मसाले, चाय, कॉफी और दूध उत्पादों की माँग तीव्र गति से बढ़ रही है। मेट्रो शहरों में जैविक उत्पादों के लिए विशेष सुपरमार्केट, ऑनलाइन स्टोर, और किसानों के बाजार (farmers markets) स्थापित किए जा रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को सीधे खेत से जैविक उत्पाद प्राप्त करने का विकल्प दे रहे हैं। इससे न केवल किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं।

जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात है, भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर हो रहा है। APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) द्वारा प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों की वैश्विक बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा बन चुकी है। वर्ष दर वर्ष भारत का जैविक उत्पाद निर्यात बढ़ रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से ऑर्गेनिक चाय, कॉफी, मसाले, चावल, दालें, तिलहन, फल-सब्जियाँ और औषधीय पौधे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑर्गेनिक उत्पादों की कीमतें पारंपरिक उत्पादों की तुलना में 20% से 100% तक अधिक होती हैं, जिससे किसान और उद्यमियों को आर्थिक लाभ की बड़ी संभावना मिलती है। इसके अलावा, जैविक उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और प्रमाणीकरण सेवाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियों ने भी रोजगार और आय के नए स्रोत खोले हैं।

जैविक उत्पादों का बाजार केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे जैविक स्नैक्स, हर्बल चाय, ऑर्गेनिक मसाला मिश्रण, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक दवाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी है। कई स्टार्टअप्स और कंपनियाँ जैसे Organic India, 24 Mantra, Pro Nature, और Farm2Kitchen ने इस क्षेत्र में नवाचार और निवेश के नए रास्ते खोल दिए हैं। सरकार द्वारा "Jaivik Bharat" जैसे ब्रांड और प्रमाणन प्रणाली की स्थापना से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा है, जिससे बाजार में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी है। कुल मिलाकर, आर्गेनिक कृषि के माध्यम से उत्पादकों को उच्च मूल्य प्राप्त होता है, उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य

लाभ मिलता है, और देश को निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्गेनिक उत्पादों का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है, बल्कि यह भारत की सतत कृषि और ग्रामीण विकास की रणनीति का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है।

युवाओं के लिए आर्गेनिक कृषि में संभावनाएँ: स्टार्टअप और उद्यमिता

आधुनिक समय में जब युवाओं का झुकाव मुख्य रूप से शहरीकरण, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, वहीं कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जो विकास की नई दिशा में युवाओं को न केवल रोजगार प्रदान कर सकता है, बल्कि उन्हें उद्यमिता और स्टार्टअप्स के अवसर भी दे सकता है। विशेष रूप से आर्गेनिक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग) एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है, जिसमें युवा अपनी रुचि और प्रतिभा का उपयोग करके न केवल व्यक्तिगत लाभ कमा सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी सकारात्मक योगदान कर सकते हैं।

1. आर्गेनिक कृषि का बढ़ता महत्व

आर्गेनिक कृषि की अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करना है। यह कृषि पद्धति पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के बजाय, उसे संरक्षण प्रदान करती है और इस प्रकार कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। पिछले कुछ दशकों में, उपभोक्ताओं के बीच आर्गेनिक उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जो कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण है।

2. युवाओं के लिए आर्गेनिक कृषि में स्टार्टअप्स

आर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का निर्माणरू युवाओं के लिए आर्गेनिक कृषि का सबसे आकर्षक पहलू आर्गेनिक खाद्य उत्पादों का निर्माण है। स्टार्टअप्स जो आर्गेनिक फल, सब्जियाँ, अनाज, और दाले उत्पादित करते हैं, वे एक लाभकारी व्यवसाय मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। इसके अलावा, इन उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से या स्थानीय बाजारों में बेचा जा सकता है।

आर्गेनिक फार्मिंग कंसल्टेंसी: आर्गेनिक कृषि में नए किसानों के लिए मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से एक कंसल्टेंसी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। इसमें युवा कृषि विशेषज्ञ आर्गेनिक पद्धतियों, मिट्टी की गुणवत्ता, उपयुक्त बीजों के चयन, और सही फसल चक्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

पशुपालन और डेयरी उत्पाद: आर्गेनिक दूध और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए, युवा पशुपालन क्षेत्र में स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। आर्गेनिक डेयरी उत्पाद जैसे घी, दूध, दही, और मक्खन का उत्पादन और विपणन एक लाभकारी व्यापार हो सकता है।

आर्गेनिक खाद और उर्वरक निर्माण: रासायनिक उर्वरकों की जगह आर्गेनिक उर्वरकों का निर्माण और विक्रय भी एक अच्छा व्यवसाय विचार हो सकता है। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए उपयुक्त मशीनरी और संसाधन खरीदकर, वे उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद तैयार कर सकते हैं।

3. आर्गेनिक कृषि में उद्यमिता के लाभ

स्वस्थ जीवनशैली की ओर एक कदम: आर्गेनिक कृषि न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह समाज को स्वास्थ्य और पोषण के दृष्टिकोण से भी फायदा पहुँचाती है। यह युवा उद्यमियों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करता है।

सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण: आर्गेनिक कृषि में कार्य करना युवाओं को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।

नवीन तकनीकों का उपयोग: आर्गेनिक कृषि में युवा उद्यमी नए-नए तकनीकी समाधान जैसे कि ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सेंसर्स, और इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स (IFS) का उपयोग कर सकते हैं, जो उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाते हैं।

सरकारी योजनाओं का लाभ: सरकार आर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ और सब्सिडी प्रदान करती है। युवा उद्यमियों को इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए कम पूंजी में व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिल सकता है।

निष्कर्ष

"आर्गेनिक कृषि और रोजगार" के इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जैविक खेती न केवल स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में सतत और सम्मानजनक रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम भी बन सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आवश्यकता इस बात की

है कि इस दिशा में योजनाबद्ध प्रयास किए जाएँ और किसानों को समुचित प्रशिक्षण, सहायता, और बाजार मुहैया कराया जाए। यदि ऐसा होता है तो जैविक कृषि एक 'ग्रीन रेवोल्यूशन' की तरह 'ग्रीन एम्प्लॉयमेंट रेवोल्यूशन' का कारण भी बन सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बंसल पी.सी. (1987) भारत की कृषि समस्याओं का अध्ययन, नई दिल्ली।
2. सिंह, जे. और ढिल्लों, एस एस (1982) एग्रीकल्चन ज्योग्राफी
3. हुसैन एम (2002) व्यवस्थित कृषि भूगोल
4. संसाधन भूगोल, डॉ. राम कुमार गुर्जर एवं डॉ. बी.सी. जाट, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
5. कृषि भूगोल, बी.एन. सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
6. कुमार, प्रमीला एवं श्री कमल शर्मा, कृषि भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
7. पर्यावरण भूगोल, प्रो. सविन्द्र सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
8. जैव भूगा, प्रो. सविन्द्र सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
9. पादप परिस्थितिकी, पादप भूगोल एवं जैव सांख्यिकी प्रो. एन एल व्यास हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर, राजस्थान।

शिक्षा और व्यक्तित्व का विकासः एक विश्लेषण

संगीता कुमारी श्रीवास्तव

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र संकाय, बी.आ.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

डॉ० निशि कान्ति

शोध निर्देशिका, एसोसियट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, एम.डी.डी.एम. कॉलेज, मुजफ्फरपुर

सारः

यह शोध-पत्र शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के गहन संबंध का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह वर्तमान शैक्षिक प्रणालियों में छात्रों के निष्क्रिय अधिगम और सांवेगिक बुद्धिमत्ता की कमी से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जो शैक्षणिक उपलब्धि और समग्र व्यक्तित्व विकास को बाधित करती हैं। शोध तनाव प्रबंधन सहित सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्तित्व के विकास की आवश्यकता पर जोर देता है, जो जीवन के सभी पहलुओं में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

यह शोध-पत्र व्यक्तित्व की अवधारणा का सूक्ष्मता से अन्वेषण करता है, जिसकी व्युत्पत्ति से लेकर ऑलपोर्ट, कैटेल, वुडवर्थ और प्रिंस जैसे विद्वानों द्वारा प्रस्तावित बहुआयामी मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं तक की पड़ताल करता है। यह 'स्वयं की अवधारणा' को व्यक्तित्व के मूल और विभिन्न 'लक्षणों' (जैसे कार्डिनल, केंद्रीय, सतही, स्रोत) को व्यक्तिगत भिन्नताओं को आकार देने वाले कारकों के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, यह व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करने वाले विविध कारकोंकृआनुवंशिक (जेनिंग्स, थॉर्प), जैविक (मुसेन), विकासात्मक (रैंक, इंग्लिश), और पर्यावरणीय (क्लुखोहान, मरे, होलिंग्सहेड, मिलर, डोलार्ड, मैक्लेलैंड, गिलबर्ट)कृका व्यवस्थित रूप से परीक्षण करता है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि कैसे ये तत्व किसी व्यक्ति के अद्वितीय व्यवहार पैटर्न, अनुकूलन और समग्र विकास में योगदान करते हैं। शोध-पत्र इस बात पर जोर देते हुए समाप्त होता है कि व्यक्तित्व एक निरंतर विकसित होने वाली संरचना है, जो आनुवंशिकता, पर्यावरणीय अंतःक्रियाओं और आंतरिक प्रेरणाओं के जटिल अंतर्संबंध से आकार लेती है, और ऐसी शिक्षा प्रणालियों की वकालत करता है जो समग्र व्यक्तित्व विकास को प्राथमिकता देती हैं।

मुख्य शब्दः व्यक्तित्व विकास, शिक्षा, सांवेगिक बुद्धिमत्ता, स्वयं की अवधारणा, लक्षण, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक, समग्र विकास, तनाव प्रबंधन।

प्रस्तावना

मानव विकास में शिक्षा ऐसी आधारशिला है, जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है, और इसमें व्यक्ति की सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और दुनिया के साथ बातचीत करने की क्षमता शामिल है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, भारत सहित दुनिया भर की शिक्षा प्रणालियाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हम ऐसे दौर में हैं जहाँ सूचना की उपलब्धता अभूतपूर्व है, फिर भी छात्रों के ज्ञान प्राप्ति के तरीके अक्सर सतही रह जाते हैं।

आज के छात्र अक्सर कम से कम प्रयास से सफलता प्राप्त करने के मार्ग तलाश रहे हैं। इस प्रवृत्ति का एक चिंताजनक परिणाम यह है कि युवा पीढ़ी को सांवेगिक बुद्धि और क्षमता के सही संतुलन को विकसित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रियता का अभाव स्पष्ट है, जिसके कारण उनकी शिक्षा निष्क्रिय और यांत्रिक होती जा रही है। उनके दिमाग पर ऐसी बातें लादी जाती हैं जिन्हें वे सबल सांवेगिक बुद्धि के बिना पचा नहीं सकते। वे केवल तथ्यों को रटते हैं, जिससे उनमें सिद्धांतों और अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित नहीं हो पाती। अंततः, इसका परिणाम उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए अत्यधिक संघर्ष के रूप में सामने आता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में बाधा डालता है।

सफल शैक्षणिक उपलब्धि सुनिश्चित करने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, तनाव प्रबंधन प्रवृत्ति सहित भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ व्यक्तित्व का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल छात्रों को सक्षम बनाएगा, बल्कि उनमें असफलता के कारणों का विश्लेषण करने और उनसे सीखने की क्षमता का भी विकास होगा, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए अनिवार्य है। एक सुविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं, बेहतर संबंध बना सकते हैं, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल हो सकते हैं।

व्यक्तित्व का अर्थ एवं प्रकृति

'व्यक्तित्व' (Personality) शब्द लैटिन शब्द 'पर्सोना' (Persona) से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है- 'के माध्यम से बोलना' (to speak through)। प्राचीन रोम और ग्रीस में, यह शब्द अभिनेताओं द्वारा मंच पर पहने जाने वाले मुखौटों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता था। इन मुखौटों का उपयोग चरित्र की पहचान को दर्शाने और अभिनेता की आवाज को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार, व्यक्तित्व का परंपरागत अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाने वाले हाव-भाव और व्यवहार का समूह था। यह बाहरी रूप से व्यक्ति के प्रदर्शन को दर्शाता है।

हालांकि, शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के लिए, व्यक्तित्व की अवधारणा इससे कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी है। एक शिक्षाविद के लिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के बाह्य रूप और व्यवहार के साथ-साथ, स्थायी संगठित शक्ति के रूप में व्यक्ति के स्वयं की आंतरिक जागरूकता और मापे जाने योग्य आंतरिक और बाह्य गुणों एवं लक्षणों का एक विशेष संगठन का युग्म है। इस प्रकार, व्यक्तित्व की हर तरह से पूर्ण परिभाषा प्रस्तुत करना एक पहेली सा बन जाता है, क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके अलग-अलग भागों की श्रृंखला के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में क्रियान्वित होता है। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री व्यक्तित्व के महत्व पर तो सर्वसम्मत हैं, लेकिन वे इसकी एक सर्वसम्मत और सार्वभौमिक परिभाषा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। ऐसे में, विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्तित्व को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार हैं:

गुडविन वाटसन (Goodwin Watson, 1924) ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि चरित्र व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा, "व्यक्ति के व्यक्तित्व में न केवल ये (चरित्र-पारंपरिक) प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, बल्कि अधिक वैयक्तिक एवं व्यक्तिगत समायोजन एवं क्षमताओं और साथ ही उनका जीवन इतिहास भी शामिल है।"[1] वाटसन ने व्यक्तित्व को केवल बाहरी प्रतिक्रियाओं तक सीमित न करके, व्यक्तिगत समायोजन और जीवन के अनुभवों के महत्व पर जोर दिया। यह परिभाषा व्यक्तित्व को एक अंतर्निहित व्यवहार पैटर्न और अनुकूलनशीलता के रूप में देखती है, जो व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में ढलने और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है।

वुडवर्थ (Woodworth, 1924) ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के कुल व्यवहार की गुणवत्ता के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार, "व्यक्तित्व में प्रेरक पहलुओं के साथ-साथ अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं।"[2] यह परिभाषा व्यक्तित्व को व्यक्ति के व्यवहार के समग्र मूल्यांकन के रूप में देखती है, जिसमें उसकी प्रेरणाएँ भी शामिल हैं। यह व्यक्ति के कार्यों, प्रतिक्रियाओं और आंतरिक ड्राइव के एक संगठित और सुसंगत पैटर्न को इंगित करता है।

मार्टन प्रिंस (Morton Prince, 1924) ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के जैविक और अनुभवजन्य पहलुओं का कुल योग बताया। उन्होंने कहा है कि, "व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी जैविक जन्मजात प्रवृत्तियों, आवेगों, रुझानों, भूख और सहज ज्ञान और अनुभवों द्वारा अर्जित प्रवृत्तियों और रुझानों का कुल योग है।"[3] यह परिभाषा व्यक्तित्व को जन्मजात प्रवृत्तियों और जीवन के अनुभवों के संचय के रूप में देखती है, जो व्यक्ति के भीतर एक एकीकृत प्रणाली का निर्माण करते हैं।

व्यक्तित्व एक बहुत ही विविध और जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। सामान्य बोलचाल में, 'व्यक्तित्व' शब्द का अर्थ मिलनसार, स्फूर्तिवान, क्षमतावान आदि विशेषणों से हो सकता है, जो व्यक्ति के विशिष्ट गुणों को दर्शाते हैं। हालांकि, यह दृष्टिकोण केवल सतही अवलोकन पर आधारित होता है और व्यक्ति की आंतरिक जटिलताओं तथा व्यवहार के मूल कारणों को समझने में विफल रहता है।

विकास के परिणामस्वरूप मनुष्य में एक विशिष्टता या अनूठापन आ जाता है जो उसे पहचान देता है, जो उसे और हमें व्यक्ति को दूसरों से अलग पहचानने में सक्षम बनाता है। इन विशिष्ट विशेषताओं को ही 'व्यक्तित्व' शब्द द्वारा निरूपित किया जाता है। यह परिभाषा व्यक्तित्व को व्यक्ति की अद्वितीय पहचान के रूप में देखती है, जो उसे एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है।

गॉर्डन ऑलपोर्ट[4] (Gordon Allport, 1961) ने व्यक्तित्व की पचास से अधिक अलग-अलग परिभाषाएँ खोजीं और इन परिभाषाओं को निम्नलिखित पांच प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया:

(क) सर्वग्राही (Omnibus): ये परिभाषाएँ व्यक्तित्व को 'कुल योग', समुच्चय या गुणों के समूह के रूप में देखती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का एक समग्र संग्रह है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक सभी पहलू शामिल होते हैं।

(ख) एकीकृत और विन्यासी (Integrative and Configurational): व्यक्तित्व के इस दृष्टिकोण के तहत व्यक्तिगत विशेषताओं के संगठन और एकीकरण पर जोर दिया जाता है। यह मानता है कि व्यक्तित्व केवल गुणों का संग्रह नहीं, बल्कि उनका एक सुव्यवस्थित विन्यास है, जहाँ विभिन्न गुण एक-दूसरे के साथ मिलकर एक सुसंगत इकाई बनाते हैं।

(ग) पदानुक्रमित (Hierarchical): ये परिभाषाएँ व्यक्तित्व के एकीकरण या संगठन के विभिन्न स्तरों को निर्दिष्ट करती हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्तित्व में गुण विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थित होते हैं, कुछ अधिक प्रभावशाली होते हैं जबकि अन्य कम, जो एक पदानुक्रमित संरचना बनाते हैं।

(घ) समायोजन (Adjustment): यह दृष्टिकोण पर्यावरण के प्रति व्यक्ति के समायोजन (अनुकूलन, अस्तित्व और विकास) पर जोर देता है। व्यक्तित्व को व्यक्ति की पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने, चुनौतियों का सामना करने और सफल होने की क्षमता के रूप में देखा जाता है।

(ङ) विशिष्टता (Uniqueness): इस श्रेणी की परिभाषाएँ 'प्रत्येक व्यक्तित्व की विशिष्टता' पर जोर देती हैं। यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है और उसे दूसरों से अलग बनाता है, भले ही वे समान वातावरण में पले-बढ़े हों।

इन सभी परिभाषाओं का गहन विश्लेषण करने के बाद, ऑलपोर्ट (Allport, 1961) ने एक अत्यंत दिलचस्प और व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा है, "व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनो-शारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके विशिष्ट व्यवहार और विचार को निर्धारित करता है।"[5] यह परिभाषा व्यक्तित्व को स्थिर नहीं, बल्कि एक गतिशील इकाई (dynamic entity) के रूप में देखती है जो पर्यावरण के साथ व्यक्ति के अनुकूलन को प्रभावित करती है और उसके आंतरिक मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा आकार लेती है।

क्लुखोहान और मरे (Kluckhohn – Murray, 1953) ने व्यक्तित्व के इस पेचीदा मुद्दे को खूबसूरती से यह कहते हुए सारांशित किया है, "कुछ हद तक, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अन्य सभी लोगों की तरह है, कुछ अन्य लोगों की तरह है या फिर किसी अन्य व्यक्ति की तरह नहीं है।"[6] यह कथन व्यक्ति की सार्वभौमिकता (सभी मनुष्यों में कुछ साझा गुण), समानता (विभिन्न समूहों या संस्कृतियों में साझा गुण), और अद्वितीयता (प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता) तीनों आयामों को एक साथ समेटता है, जो व्यक्तित्व की जटिलता को दर्शाता है।

व्यक्तित्व की संरचना

व्यक्तित्व का स्वरूप एक एकीकृत बहुआयामी संरचना है जिसमें स्वयं की अवधारणा (Self-Concept) व्यक्तित्व का मूल या केंद्र है। यह व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणाओं, विश्वासों और मूल्यांकनों का एक जटिल समुच्चय है, जिसमें उसकी आत्म-छवि, आत्म-सम्मान और आदर्श स्वयं शामिल हैं। स्वयं की अवधारणा व्यक्ति की प्रवृत्तियों, जिन्हें 'लक्षण' (Traits) के रूप में जाना जाता है, और प्रतिक्रियाओं का एक एकीकृत रूप है। यह व्यक्ति के व्यवहार, अनुकूलन और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं को दृढ़ता से प्रभावित करता है।

दूसरे शब्दों में, बच्चे के व्यवहार की गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व के किसी एक लक्षण के कारण नहीं होती है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में बच्चे की स्वयं की अवधारणा के आलोक में दृष्टिगोचर उसके मौलिक लक्षणों का एक जटिल तंत्र है। व्यवहारों और लक्षणों का यह जटिल तंत्र व्यक्ति की मौलिकता से जुड़ा होता है और इसे 'व्यक्तित्व' के रूप में जाना जाता है।

व्यक्तित्व की संरचना को एक पहिये के रूप में सोचा जा सकता है जहाँ प्रवक्ता (spokes) विभिन्न व्यक्तित्व-लक्षण हैं और हब (hub) स्वयं की अवधारणा है। यह उपमा स्वयं की अवधारणा के केंद्रीय और एकीकृत महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। ऐसे में व्यक्तित्व इस बात से बहुत प्रभावित होता है कि बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, वह खुद को कैसे देखता है, और वह अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में क्या मानता है। व्यक्तित्व के स्वरूप में स्वयं की अवधारणा का महत्व आमतौर पर दिए गए नामाकरण द्वारा प्रमाणित होता है, जैसे- 'गुरुत्वाकर्षण का केंद्र' या 'व्यक्तित्व की आधारशिला' या 'व्यक्तित्व की स्थिरता' आदि। व्यक्ति के सभी लक्षण स्वयं की अवधारणा से प्रभावित होते हैं। स्वयं के संदर्भ में विभिन्न अवधारणाएँ और स्वयं के संदर्भ में आदर्श अवधारणाएँ धीरे-धीरे स्वयं के संदर्भ में एक सामान्य अवधारणा में विलीन हो जाती हैं, जो व्यक्ति के समग्र स्वयं को बनाती हैं।

ऑलपोर्ट (Allport, 1961) और कैटेल (Cattell, 1946) जैसे सिद्धांतकारों का मानना है कि लक्षण व्यक्ति के भीतर वास्तव में मौजूद होते हैं और व्यवहार के कारण के रूप में कार्य करते हैं। ऑलपोर्ट (Allport, 1961) पहले सिद्धांतकार थे जिन्होंने लक्षण-दृष्टिकोण[7] (Trait Approach) प्रस्तावित किया। उन्होंने लक्षणों को तीन प्रकार में विभक्त किया:

- कार्डिनल लक्षण (Cardinal Traits): ये प्राथमिक लक्षण हैं जो किसी के व्यक्तिगत स्वभाव में इतने हावी होते हैं कि वे वस्तुत: किसी व्यक्ति के व्यवहार और विशेषताओं के सभी आयामों को प्रभावित कर देते हैं। ये लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक या दो तक सीमित संख्या में पाए जाते हैं। हालांकि ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन ये अन्य लक्षणों पर हावी हो जाते हैं और व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को अपने साथ बहा ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, "मदर टेरेसा का परोपकार" या "हिटलर की तानाशाही" कार्डिनल लक्षण हो सकते हैं।
- केंद्रीय लक्षण (Central Traits): ये उन कुछ विशेषताओं/प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। ये कार्डिनल लक्षणों जितने प्रबल नहीं होते, लेकिन ये व्यक्ति के व्यवहार में अक्सर देखे जाते हैं और व्यक्ति के मूल व्यवहार को दर्शाते हैं। जैसे- ईमानदारी, दयालुता, जिम्मेदारी, निष्ठा आदि।

- द्वितीयक लक्षण (Secondary Traits): ये कार्डिनल या केंद्रीय लक्षणों जितने प्रभावी नहीं होते हैं। वे केवल अपेक्षाकृत कम स्थितियों में दिखाई देते हैं और किसी के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में अभिव्यक्त नहीं होते हैं। ये विशिष्ट पसंद या नापसंद को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशेष स्थिति में गुस्सा करना या एक निश्चित प्रकार के भोजन को पसंद करना।

ऑलपोर्ट के अनुसार, लक्षण प्रत्येक व्यक्तित्व में 'मानसिक संरचनाएं' हैं जिनमें व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता होती है। वे व्यक्तित्व के मूल घटक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी लक्षणों का व्यक्तित्व पर समान प्रभाव नहीं होता है। उन्होंने कुछ लक्षणों को प्रमुख (dominant) और अन्य को सामान्य (common) माना।

कैटेल (Cattell, 1946) ने एक तथ्यात्मक अध्ययन के बाद 12 स्वतंत्र और चार आंशिक रूप से स्वतंत्र लक्षणों की पहचान की। व्यक्तित्व के इन कारकों का उल्लेख उनकी प्रसिद्ध प्रश्नावली 16 पी.एफ.[8] (16 Personality Factor iQuestionnaire) (Cattell, Cattell, - Cattell, 1993) में किया गया है। कैटेल ने देखा कि कुछ लक्षणों को सीधे किसी व्यक्ति के व्यवहार में देखा जा सकता है। उन्होंने उन्हें 'सतही लक्षण' (Surface Traits) कहा। ये वे लक्षण हैं जो व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और एक साथ झुंड में आते हैं, जैसे मिलनसारिता या उत्तेजना। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ गुण एक विशेष लक्षण बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार से संगठित होते हैं। इन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सतही लक्षणों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। ऐसे लक्षणों को 'स्रोत लक्षण' (Source Traits) कहा जाता है। ये अंतर्निहित, मूलभूत लक्षण होते हैं जो सतही लक्षणों को जन्म देते हैं। किसी व्यक्ति के ये स्रोत लक्षण प्रकृति में कम या ज्यादा सुसंगत और स्थायी होते हैं। लेकिन सतही लक्षण समान रूप में सुसंगता नहीं दिखते हैं, क्योंकि वे न केवल स्रोत लक्षणों से प्रभावित होते हैं बल्कि एक विशेष समय पर काम करने वाले कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं।

व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक

इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व आनुवंशिकता (Heredity) और पर्यावरण (Environment) की जटिल अंत:क्रिया का परिणाम है। ये दोनों ही कारक किसी व्यक्ति के विकास में सक्रिय योगदान करते हैं और उसके व्यक्तित्व के अनूठे स्वरूप को आकार देते हैं। किसी व्यक्ति के प्रदर्शन और उसके व्यक्तित्व का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रदर्शन और उसके व्यक्तित्व से मिलता-जुलता या भिन्न होना इन्हीं कारकों के कारण होता है। मानव व्यवहार को समझने के लिए, कई मायनों में, व्यक्ति पर आनुवंशिकी के प्रभाव को प्रारंभिक और मूलभूत माना जा सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक निम्नलिखित हैं:

1. आनुवंशिकता (Heredity): आनुवंशिकता या आनुवंशिक कारक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने वाले मौलिक कारक हैं। प्रत्येक व्यक्ति आनुवंशिक रूप से निर्धारित विशेषताओं के एक समूह के साथ जन्म लेता है। ये विशेषताएँ व्यक्ति को उसके माता-पिता या पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। यह आनुवंशिक विरासत व्यक्ति के विकास और व्यवहार के लिए अंतर्निहित क्षमताएँ प्रदान करती है, साथ ही एक अनुमानित जीवन चक्र के रूप में विकास और परिवर्तन का स्वरूप भी प्रदान करती है। आनुवंशिकता के दो प्रमुख पहलू हैं: व्यवहार क्षमताएँ और संरचनात्मक क्षमताएँ। व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है:
   (क) अनुभूति (Cognition): इसमें सीखना, सोचना, सूचनाएँ प्राप्त करना, उन्हें एकीकृत करना और संग्रहीत करना, और समस्या को हल करने में इनका उपयोग करना शामिल है। आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ व्यक्ति की सीखने की गति, बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं।
   (ख) महसूस करना (Feeling): इसमें डर, क्रोध, प्रेम, विनोद, निराशा जैसी भावनाओं को महसूस करना और अनुभव में योगदान देने वाली अन्य भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। स्वभाव (Temperament) और भावनात्मक प्रतिक्रिया की तीव्रता अक्सर आनुवंशिक रूप से प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति का भावनात्मक संतुलन प्रभावित होता है।
   (ग) प्रयास करना (Striving): इसमें योजनाएँ बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना और आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार प्रारंभ करना शामिल है। किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति, दृढ़ता, और प्रेरणा का स्तर आनुवंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है।
   (घ) कार्य करना (Acting): इसमें आपात स्थितियों के लिए स्वचालित प्रतिक्रियाएँ और संसाधनों को जुटाना शामिल है। यह व्यक्ति की तात्कालिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं, ऊर्जा स्तर और सक्रियता को संदर्भित करता है।
   (ङ) बचाव और सुधार (Defense and Enhancement): इसमें आत्म-रक्षा तंत्र एवं युक्तिकरण का विकास शामिल है। यह व्यक्ति के तनाव से निपटने और स्वयं को अनुकूलित करने के तरीकों को दर्शाता है, जिसमें आनुवंशिक प्रवृत्ति की भूमिका हो सकती है कि व्यक्ति कितनी आसानी से तनावग्रस्त होता है या उससे उबरता है।

2. जैविक कारक (Biological Factors): बच्चों का व्यक्तित्व माता-पिता के व्यक्तित्व की सभी सचेत और अचेत अभिव्यक्तियों के साथ-साथ बच्चों के प्रति उनके सचेत दृष्टिकोण और उनके पालन-पोषण के प्रभाव का परिणाम होता है। बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) आनुवंशिकता (Heredity): जैविक कारकों के तहत आनुवंशिकता का पुन: अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि कुछ विशेषताएँ, मुख्य रूप से शारीरिक प्रकृति की, बच्चों को उनके माता-पिता से विरासत में मिलती हैं। ये गुण माता और पिता के गुणसूत्रों में अंतर्निहित जीन द्वारा प्रसारित होते हैं। जानवरों पर शोध से पता चला है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, दोनों विशेषताएँ आनुवंशिकता के माध्यम से प्रसारित की जा सकती हैं। हालांकि, मनुष्यों पर किए गए शोध इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए अपर्याप्त हैं, लेकिन यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि आनुवंशिकता किसी के व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आनुवंशिकता का महत्व एक व्यक्तित्व विशेषता से दूसरी विशेषता में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, मूल्यों और आदर्शों की तुलना में किसी व्यक्ति के स्वभाव (temperament) को निर्धारित करने में आनुवंशिकता सामान्यत: अधिक महत्वपूर्ण होती है।

(ख) मस्तिष्क (Brain): मानव मस्तिष्क के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में योगदान को अनुभवजन्य रूप से पूरी तरह साबित करने में मनोवैज्ञानिक असमर्थ रहे हैं। परंतु इस दिशा में किए गए अध्ययनों से प्राप्त परिणाम बताते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, मस्तिष्क में संकेतों को संचारित करते हैं और भावनाओं और व्यवहार को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन रसायनों का संतुलन या असंतुलन व्यक्तित्व को तदनुरूप प्रभावित करता है, जिससे खुशी, चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक अवस्थाएँ बनती हैं। उदाहरण के लिए, सेरोटोनिन का निम्न स्तर अवसाद से जुड़ा हुआ है, वहीं डोपामाइन के परिणामस्वरूप खुशी की भावना उत्पन्न होती है। मस्तिष्क की संरचना, कार्यप्रणाली और न्यूरोकेमिकल संतुलन व्यक्ति के स्वभाव, प्रतिक्रियाओं और समग्र व्यक्तित्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ग) शारीरिक विशेषताएँ (Physical Characteristics): यह व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह अध्ययन और अनुभव सिद्ध है कि किसी व्यक्ति का बाहरी रूप उसके व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का लंबा या नाटा, मोटा या पतला, सुंदर या बदसूरत, काला या गोरा होना, निस्संदेह दूसरों पर व्यक्ति संबंधी प्रभाव डालता है और बदले में, व्यक्ति के आत्म-अवधारणा (Self-Concept) को प्रभावित करता है। समाज में शारीरिक बनावट को लेकर बनी धारणाएँ व्यक्ति के आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं, जो सीधे तौर पर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। पॉल एच. मुसेन (Paul H. Mussen, 1963) के अनुसार, "....एक बच्चे की शारीरिक विशेषताएँ सामाजिक वातावरण के प्रति उसके दृष्टिकोण, दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं से संबंधित हो सकती हैं। बदले में, इनका बच्चे के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह, तेजी से परिपक्व होने वाली लड़की या लड़का धीमी गति से परिपक्व होने वाले लड़के या लड़की की तुलना में अलग-अलग शारीरिक और सामाजिक स्थितियों और गतिविधियों के संपर्क में आएगा। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि परिपक्वता की अलग-अलग दर भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगी।"[9] यह दर्शाता है कि शारीरिक विकास की गति भी सामाजिक अनुभवों को आकार देती है, जो व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है।

3. आनुवंशिक कारक (Genetic Factors): आनुवंशिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने व्यक्तित्व के जैविक आधार के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान की है। क्रोमोसोम के माध्यम से, विभिन्न गुण एवं विशेषताएँ माता-पिता से संतानों तक प्रसारित होती हैं। माता-पिता से संतानों तक प्रसारित होने वाले क्रोमोसोमों की संख्या के बारे में, यह कहा जाता है कि गर्भाधान के समय 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। इनमें से आधे क्रोमोसोम किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं के साथ-साथ उसकी भविष्य की क्षमताओं को निर्धारित करते हैं। एच. एस. जेनिंग्स (H. S. Jennings, 1930) ने मानव स्वभाव के जैविक आधार का अध्ययन किया और 1930 में एक पुस्तक, ''द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर" प्रकाशित की। इसमें उन्होंने लिखा: "विभिन्न व्यक्ति जिस प्रकार से विकसित होते हैं, उनकी विशिष्टताएँ, आनुवंशिकता के तथाकथित नियम, माता-पिता और संतानों के बीच असाधारण समानताएँ और अंतर, ये सभी चीजें काफी हद तक जीन की व्यवस्था और व्यवहार पर निर्भर करती हैं।"[10] यह कथन जीनों की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डालता है। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि जीन क्रोमोसोम पर अवस्थित होते हैं। एल. पी. थॉर्प और ए. एम. श्मुलर (L.k~ P. Thorpe & A. M. Schmuller, 1954) के अनुसार, "जीन क्रिया के महत्वपूर्ण चरण में प्रत्येक माता-पिता अपनी संतान को उपयुक्त जीन की स्ट्रिंग के साथ 23 क्रोमोसोम का एक पूर्ण सेट प्रदान करते हैं। इस प्रकार संतान को माता एवं पिता से क्रोमोसोम के दो पूर्ण सेट मिलते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका में ये क्रोमोसोम इस तरह

से जोड़े में व्यवस्थित होते हैं कि समान कार्यों से संबंधित जीन एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। इस प्रकार बच्चा जीन-सुसज्जित क्रोमोसोम के दो सेट प्राप्त करता है, प्रत्येक सेट एक पूर्ण जीव का उत्पादन करने में सक्षम होता है।"[11] उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीन एक जोड़े में कार्य करते हैं और कई शारीरिक विशेषताओं के साथ-साथ कुछ मानसिक लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। यदि संयोगवश जीन में से एक दोषपूर्ण है, तो जोड़े में दूसरा इसे संतुलित करने और दोष को दूर करने का प्रयास करता है, जो आनुवंशिक लचीलेपन को दर्शाता है।

4. विकासात्मक प्रक्रिया (Developmental Process): मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास के सापेक्ष में व्यक्तित्व का अध्ययन करने का प्रयास किया है। प्रसवपूर्व विकास (Prenatal Development) आंतरिक और बाहरी दोनों वातावरणों से प्रभावित होता है। माँ को मिलने वाला पोषण के साथ-साथ आवासीय परिवेश का भावनात्मक वातावरण बच्चे के प्रसवपूर्व विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। स्वस्थ प्रसवपूर्व वातावरण बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जो बाद में उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि प्रसव काल में माँ को पोषण की कमी या किसी प्रकार का संक्रमण या अंत:स्रावी गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है, तो जन्म लेने वाला शिशु जन्म के बाद किसी प्रकार के मानसिक दोष से ग्रस्त हो सकता है। पोषण की कमी, अंत:स्रावी गड़बड़ी और संक्रमण के कारण प्रसवपूर्व विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे तंत्रिका तंत्र का विकास बाधित हो सकता है और व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शिशुओं के समय से पहले जन्म (premature birth) के मामलों में यह पाया गया है कि वे सामान्य शिशुओं की तुलना में बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और उनकी शुरुआती विकासात्मक चुनौतियाँ भी व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ मामलों में, जन्म के समय शिशु को लगी चोट भी उसके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती हैं, खासकर यदि मस्तिष्क को कोई क्षति पहुँची हो। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक ओटो रैंक[12] (Otto Rank, 1929) का विचार था कि नवजात शिशु गर्भ से अलग होने की एक बड़ी भावना का अनुभव करता है जिसके परिणामस्वरूप उसे जन्म आघात (Birth Trauma) होता है। यह आघात शिशु में मौलिक चिंता का कारण बन सकता है। इंग्लिश और इंग्लिश (English & English, 1958) मनोविश्लेषण के संदर्भ में जन्म आघात को "जन्म के तनाव का मानस पर प्रभाव" के रूप में परिभाषित करते हैं। सामान्यत: शिशु के जन्म प्रक्रिया में प्रसव के वास्तविक दर्द पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि शिशु को एक शत्रुतापूर्ण प्रतीत होने वाले वातावरण में अनुकूलन शुरू करने पर जोर दिया जाता है।"[13] इस प्रकार जन्म के समय शिशु ऐसे आघात का अनुभव कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप उसे जन्मजात चिंता (Natal Anxiety) हो सकती है। कुछ मामलों में यह चिंता स्नायु रोग (Neurosis) के रूप में विकसित होने की संभावना हो सकती है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थायी रूप से समाहित हो सकती है।

5. सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors): परंपरागत रूप से संस्कृति को व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। 'संस्कृति वह है जो व्यक्ति है और जो व्यक्ति सीखेगा। व्यक्ति के व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक वह संस्कृति होती है जिस में व्यक्ति पलता-बढ़ता है। संस्कृति उन अवधारणाओं, मूल्यों और वातावरण से समायोजन के लिए उपयुक्त तकनीकों का जटिल समूह है, जिसे व्यक्ति अपने समकालीन लोगों के साथ साझा करता है तथा यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होता है। संस्कृति व्यक्ति को यह सिखाती है कि उसे कैसे सोचना है, कैसा महसूस करना है और कैसे व्यवहार करना है। संस्कृति को अपने सदस्यों से अनुरूपता (Conformity) और स्वीकृति (Acceptance) दोनों की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के कई तरीके हैं कि सदस्य संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करें। इसमें समाजीकरण हेतु बच्चों को शुरुआती प्रशिक्षण देने जैसा है, जहाँ उन्हें संस्कृति के रीति-रिवाजों, विश्वासों और मानदंडों को सिखाया जाता है। लोगों पर कुछ खास तरीके से व्यवहार करने का अनौपचारिक दबाव डाला जाता है, जिससे वे सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढल जाते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व उस संस्कृति से बनता है जिसमें वह बड़ा होता है, क्योंकि संस्कृति उसके मूल्यों, दृष्टिकोणों और विश्वदृष्टि को आकार देती है। मुसेन (Mussen, 1963) के अनुसार, "....प्रत्येक संस्कृति अपने सदस्यों से समूह के लिए स्वीकार्य तरीकों से व्यवहार करने की अपेक्षा करती है, और उन्हें प्रशिक्षित करती है।"[14] यह दर्शाता है कि संस्कृति व्यक्तियों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहारों को सीखने और उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करती है। विभिन्न संस्कृतियों में पलने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में स्पष्ट भिन्नताएँ देखी जा सकती हैं, जो सांस्कृतिक कारकों के महत्व को प्रमाणित करती हैं।

6. पारिवारिक कारक (Family Factors): परिवार व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक अनुभव प्रदान करता है। माता-पिता-शिशु के संबंध की गुणवत्ता के साथ-साथ समाजीकरण भी ऐसे प्रभाव डालता है जिनका व्यक्तित्व विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। परिवार वह प्राथमिक इकाई है जहाँ बच्चे का पहला समाजीकरण होता है, और यहीं से वह अपनी पहचान, मूल्यों और व्यवहार पैटर्न को आकार देना शुरू करता है। ऐसे में बच्चा पारिवारिक संरचना के भीतर ही अपनी संस्कृति से परिचित होता है, और धीरे-धीरे संस्कृति उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। पारिवारिक संरचना के तीन मुख्य

प्रकार हैं: एकल परिवार संरचना (Nuclear Family), विस्तारित संयुक्त परिवार संरचना (Extended Joint Family) तथा संबंधित परिवार (Related Family)।

(क) एकल परिवार संरचना: इसमें पिता, माता और बच्चे शामिल होते हैं। यह आधुनिक समाज में सबसे आम पारिवारिक संरचना है। इसमें भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं, लेकिन बच्चे दादा-दादी के प्रेम और बड़े परिवार के समर्थन से वंचित रह सकते हैं।

(ख) विस्तारित संयुक्त परिवार संरचना: इस प्रकार की पारिवारिक संरचना हमारे देश (भारत) में पाई जाती है और इसमें एक साथ रहने वाले व्यक्तियों की दो या तीन पीढ़ियाँ शामिल होती हैं, जैसे दादा-दादी, चाचा-चाची, और चचेरे भाई-बहन। इसमें आय का बंटवारा और परिवार के सदस्यों के कल्याण की संयुक्त जिम्मेदारी होती है, जो सहयोग और परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। बच्चों का विकास सामंजस्यपूर्ण तरीके से होता है क्योंकि देखभाल के लिए हमेशा कोई-न-कोई वयस्क उपलब्ध होता है।

(ग) संबंधित परिवार: इस प्रकार की पारिवारिक संरचना कुछ जनजातियों में पाई जाती है, जहाँ कई परिवार एक साथ रहते हैं और छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सामूहिक होती है। यह सामूहिक देखभाल और सामाजिक संपर्क बच्चे के सामाजिक कौशल और अनुकूलनशीलता को बढ़ाते हैं। ए. बी. होलिंग्सहेड (A. B. Hollingshead, 1949) ने व्यक्तित्व संबंधी समस्या के संदर्भ में परिवार का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सुसमायोजित परिवारों में व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास की बेहतर संभावनाएँ थीं। होलिंग्सहेड के शब्दों में: "सुसमायोजित माने गए परिवारों ने परिवार के किसी सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पारिवारिक संबंधों की संरचना में थोड़ा या बिना किसी बदलाव के संकट का सामना किया। परिवार का समर्थन प्राय: रोगी को अपनी भावनात्मक समस्या से निपटने में सहायक सिद्ध होता है।"[15] जबकि समायोजन के अभाव वाले परिवारों में संकट की स्थिति में परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तनाव बढ़ जाता था, और रोगी की मानसिक स्थिति प्राय: अधिक खराब होती दिखती थी।

7. सामाजिक कारक (Social Factors): पारिवारिक दायरे से बाहर, सामाजिक वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। इसमें सहकर्मी समूह (peer groups), स्कूल, समुदाय, सामाजिक वर्ग और सामाजिक संस्थाएँ शामिल हैं। ये सामाजिक समूह और संरचनाएँ व्यक्ति के लिए विशिष्ट अपेक्षाएँ, मानदंड और भूमिकाएँ स्थापित करती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, व्यक्ति इन सामाजिक भूमिकाओं को सीखता है और आंतरिक करता है, जो उसके व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्यों को आकार देता है। सामाजिक संपर्क, जैसे खेल के मैदान में बातचीत या समूह की गतिविधियों में भागीदारी, बच्चों को सामाजिक कौशल, सहानुभूति और सहयोग विकसित करने में मदद करती है। सामाजिक वर्ग और आर्थिक स्थिति भी अवसरों, संसाधनों और अनुभवों तक पहुंच को प्रभावित करके व्यक्तित्व विकास पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकती है। एन. ई. मिलर और जॉन डोलार्ड[16] (N. E. Miller-John Dollard, 1941) जैसे विद्वानों ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के माध्यम से बताया कि कैसे अवलोकन, अनुकरण और प्रतिरूपण (modeling) के माध्यम से व्यवहार के पैटर्न सीखे जाते हैं, जो व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाते हैं।

8. सीखने के कारक (Learning Factors): व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके सीखने के अनुभवों के माध्यम से निरंतर विकसित होता है। सीखने के कारक व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे व्यक्ति के व्यवहार को संशोधित करते हैं और नए व्यवहार पैटर्न विकसित करने में मदद करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम शामिल हैं:

(क) शास्त्रीय अनुबंधन (Classical Conditioning): यह बताता है कि कैसे व्यक्ति कुछ उत्तेजनाओं के प्रति स्वचालित प्रतिक्रियाएँ विकसित करता है।

(ख) क्रियाप्रसूत अनुबंधन (Operant Conditioning): यह बताता है कि कैसे व्यवहार पुरस्कारों और दंडों के माध्यम से मजबूत या कमजोर होते हैं, जिससे व्यक्ति विशिष्ट व्यवहारों को दोहराता है या उनसे बचता है।

(ग) सामाजिक अधिगम (Social Learning)/अवलोकन अधिगम (Observational Learning): अल्बर्ट बंदूरा (Albert Bandura) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके और उनका अनुकरण करके बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे अपने माता-पिता, शिक्षकों, सहकर्मी और मीडिया में मौजूद प्रतिरूपों से मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार पैटर्न सीखते हैं। यह अधिगम केवल बाह्य व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक विचार प्रक्रियाओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी आकार देता है। सीखने के ये सभी पहलू व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति अनुकूलन (adaptation) और समायोजन (adjustment) क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, जिससे उसका व्यक्तित्व गतिशील रूप से विकसित होता है।

9. प्रेरक कारक (Motivational Factors): प्रेरणाएँ व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले आंतरिक चालक हैं। वे व्यक्ति को विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने या कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरणाएँ सचेत या अचेत, आंतरिक या बाहरी हो सकती हैं।
   (क) अंतर्निहित प्रेरणा (Intrinsic Motivation): यह व्यक्ति के भीतर से आती है, जैसे किसी गतिविधि को केवल उसकी आंतरिक संतुष्टि के लिए करना।
   (ख) बाहरी प्रेरणा (Extrinsic Motivation): यह बाहरी पुरस्कारों या दंडों से प्रेरित होती है।
   (ग) आवश्यकताएँ और इच्छाएँ: अब्राहम मास्लो (Abraham Maslow) के पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत ने बताया कि कैसे शारीरिक आवश्यकताओं से लेकर आत्म-बोध तक की आवश्यकताएँ व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती हैं।
   (घ) अतार्किक प्रेरणा (Irrational Motivation): कुछ प्रेरणाएँ सचेत या तार्किक नहीं होती हैं, जैसे अचेत इच्छाएँ या फ्रायडियन ड्राइव। डी. सी. मैक्लेलैंड[17] (D. C. McClelland, 1961) ने उपलब्धि, शक्ति और संबद्धता की आवश्यकताओं पर जोर दिया, यह दर्शाता है कि ये मूलभूत प्रेरणाएँ व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों, कैरियर के विकल्पों और जीवन के रास्तों को कैसे आकार देती हैं। जी. एम. गिलबर्ट (G. M. Gilbert, 1954) ने भी प्रेरणा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया, विशेष रूप से राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाली प्रेरणाओं पर। ये प्रेरक कारक व्यक्ति के लक्ष्यों, इच्छाओं और आंतरिक इच्छा को दर्शाते हैं, जो उसके व्यक्तित्व के विकास और अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

शिक्षा का व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव

शिक्षा प्रणाली का व्यक्तित्व विकास पर एक सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। यह केवल ज्ञान के हस्तांतरण का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण है जहाँ बच्चे का सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियाँ हैं जो व्यक्तित्व विकास में बाधा डाल रही हैं:

1. निष्क्रिय अधिगम और रटना: जब शिक्षा केवल तथ्यों को याद करने और उन्हें परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने पर केंद्रित होती है, तो छात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बन जाते हैं। यह प्रणाली रचनात्मक सोच, आलोचनात्मक विश्लेषण और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा नहीं देती। इससे छात्रों में विचारों को आत्मसात करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वे "सबल सांवेगिक बुद्धि के बिना" जानकारी को पचा नहीं पाते, जैसा कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। यह प्रवृत्ति छात्रों के व्यक्तित्व में जिज्ञासा, अन्वेषण की इच्छा और स्वतंत्र विचार को दबा देती है।
2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव: आधुनिक शिक्षा अक्सर संज्ञानात्मक क्षमताओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) के विकास की उपेक्षा करती है। भावनाओं को समझना, उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। जब छात्रों को इन कौशलों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता, तो वे तनाव, चिंता और निराशा का बेहतर ढंग से सामना करने में असमर्थ होते हैं। यह न केवल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व को भी कमजोर करता है, जिससे वे सामाजिक रूप से कम सक्षम और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं।
3. तनाव और प्रदर्शन दबाव: वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन का दबाव छात्रों पर अत्यधिक तनाव डालता है। असफलता के डर के कारण छात्र जोखिम लेने से बचते हैं और अपनी गलतियों से सीखने में असमर्थ होते हैं। यह उनके आत्म-सम्मान को प्रभावित कर सकता है और उनमें एक नकारात्मक आत्म-अवधारणा विकसित कर सकता है। तनाव प्रबंधन प्रवृत्ति का अभाव व्यक्तित्व को कमजोर करता है, जिससे चिंता, अवसाद और बर्नआउट जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। एक स्वस्थ व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए छात्रों को तनाव से निपटने और लचीलापन विकसित करने के कौशल सिखाना महत्वपूर्ण है।
4. सर्वांगीण विकास की उपेक्षा: शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य केवल अकादमिक उत्कृष्टता नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक आयाम शामिल हैं। जब शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान पर केंद्रित होती है, तो यह छात्रों के इन अन्य महत्वपूर्ण आयामों के विकास की उपेक्षा करती है। परिणामस्वरूप, छात्र अकादमिक रूप से कुशल हो सकते हैं लेकिन सामाजिक रूप से अपरिपक्व, भावनात्मक रूप से कमजोर या नैतिक रूप से अनिश्चित रह सकते हैं।

शिक्षा प्रणाली को एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्र अपनी रुचियों का पता लगा सकें, अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं को विकसित कर सकें, और विभिन्न प्रकार के अनुभवों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को आकार दे सकें। इसमें खेल, कला, संगीत, वाद-विवाद और सामुदायिक सेवा जैसी पाठ्येतर गतिविधियों को महत्व देना शामिल है, जो व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को पोषण देते हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में, शिक्षा मानव विकास की आधारशिला है और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जबकि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ने ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में छात्रों के निष्क्रिय अधिगम दृष्टिकोण, सांवेगिक बुद्धिमत्ता की कमी और सतही ज्ञानार्जन जैसी चुनौतियाँ हैं, जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धि और समग्र व्यक्तित्व विकास को बाधित करती हैं। सफल शैक्षणिक उपलब्धि और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तनाव प्रबंधन सहित व्यक्तित्व का विकास अत्यंत आवश्यक है।

व्यक्तित्व स्वयं एक जटिल, गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली मनो-शारीरिक संरचना है। यह केवल बाह्य व्यवहार नहीं, बल्कि स्वयं की अवधारणा और आंतरिक गुणों का एक अद्वितीय संगठन है। व्यक्तित्व का निर्माण आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंत:क्रिया से होता है, जिसमें जैविक, विकासात्मक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक, अधिगम और प्रेरक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक के रूप में, इन सभी निर्धारकों के साथ मिलकर व्यक्तित्व को आकार देती है।

इसलिए, शिक्षा प्रणाली को केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करने से आगे बढ़कर, छात्रों के समग्र व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लचीलापन, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमताएँ और प्रभावी सामाजिक कौशल का पोषण करना शामिल है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो इन सभी पहलुओं को एकीकृत करती है, वह छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगी, जिससे वे समाज के लिए अधिक योगदान देने वाले और व्यक्तिगत रूप से अधिक पूर्ण व्यक्ति बन सकेंगे।

संदर्भ सूची

1. वॉटसन, जी. बी. (1925). द मेजरमेंट ऑफ फेयर-माइंडेडनेस. टीचर्स कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी।
2. वुडवर्थ, आर. एस. (1924). साइकोलॉजी (संशोधित संस्करण). हेनरी होल्ट एंड कंपनी।
3. प्रिंस, एम. (1924). द जर्नल ऑफ एब्नॉर्मल साइकोलॉजी, खंड 19. रिचर्ड जी. बैजर।
4. ऑलपोर्ट, जी. डब्ल्यू. (1961). पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी. होल्ट, राइनहार्ट एंड विंस्टन।
5. उपरोक्त।
6. क्लुखोहान, सी., - मरे, एच. ए. (संपादक). (1953). पर्सनैलिटी इन नेचर, सोसाइटी, एंड कल्चर (दूसरा संस्करण). अल्फ्रेड ए. नॉफ।
7. ऑलपोर्ट, जी. डब्ल्यू. (1961). पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी. होल्ट, राइनहार्ट एंड विंस्टन।
8. कैटेल, आर. बी., कैटेल, ए. के., - कैटेल, एच. ई. पी. (1993). 16 पी.फ फिफ्थ एडिशन मैनुअल. इंस्टिट्यूट फॉर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टेस्टिंग।
9. मुसेन, पी. एच. (1963). द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. अप्रेंटिस-हॉल।
10. जेनिंग्स, एच. एस. (1930). द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर. डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी।
11. थॉर्प, एल. पी., - श्मुलर, ए. एम. (1954). कंटेंपरेरी थ्योरीज ऑफ लर्निंग. मैकग्रा-हिल।
12. रैंक, ओ. (1929). द ट्रॉमा ऑफ बर्थ. हार्कोर्ट, ब्रेस एंड कंपनी।
13. इंग्लिश, एच. बी., - इंग्लिश, ए. सी. (1958). ए कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकोएनालिटिकल टर्म्स. लॉन्गमैन्स, ग्रीन।
14. मुसेन, पी. एच. (1963). द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. अप्रेंटिस-हॉल।
15. हॉलिंग्सहेड, ए. बी. (1949). एल्मटाउंस यूथ: द इम्पैक्ट ऑफ सोशल क्लासेस ऑन एडोलसेंट्स. जॉन विले एंड संस।
16. मिलर, एन. ई., - डोलार्ड, जे. (1941). सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन. येल यूनिवर्सिटी प्रेस।
17. मैक्लेलैंड, डी. सी. (1961). द अचीविंग सोसाइटी. डी. वैन नॉस्ट्रैंड।

इतिहास लेखन और छोटानागपुर की वीरागंनाएँ

प्रो० चन्द्र प्रकाश सिंह

विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर, इतिहास विभाग, भू0 ना0 मं0 वि0 वि0 मधेपुरा

संजीव कुमार

प्रध्यापक इतिहास विभाग, महराणा हरिवल्लव मेमोरियल, कालेज सोनवर्षा

जो कहना है चाहते हूँ वह आप नही समझ सकते हैं क्योकि मेरा बोली अलग है, वह कहीं लिखी हुई नहीं है, कोई धर्मग्रंथ नहीं है, कोई वर्णमाला नहीं है। हम कानन प्रदेश में निवास करते हैं वही हमारी माँ है, वही हमारे सुर है, वही हमारी दाता हैं। यहाँ हम सुकुन से है। आपगा व नागा पालक है। गांवती हमारे बच्चों का अनागत है। हम अपने हयात में मुदित है, ले किन दिकुओं के दखल ने इनहें अस्त-व्यस्त कर दिया। उन्होनें विपिन हमे छीन लिया, धरा पर अवरोध् लगा दिया, उस पर कर आरोपित किया। हमें गण ने दोषी बनाया व कैद में डाला। कोठीवाला ने हमारे खेत व ढ़ोर छीन लिए व हमें चाकर बनाया।

अभिभावक ने व पेशकार ने भी हमें मूसा। हम क्या करते है? दूतों ने कहाँ हम इला दिला देगें लेकिन उन्होंने हमरे बाद को ही बदल दिया कुछ नहीं किया। दिकुआं ने हमारे बच्चो का जीवन फना कर दिया।

उनका प्रतिरोध किसी शासन प्रणाली की स्थापना के लिए नहीं था बल्कि वे अपनी पवित्र भूमि प्राप्त करना चाहते थे। वे अपने उस आनंद को प्राप्त करने हेतु तत्पर थे जिसमें उन्हें अपने वन में विचरने से कोई रोक न सके। पेड़ों से फल व मधुमक्खी के छत्ते से मधु प्राप्त करने में कोठ बाधा न हो। अपनी रीति रिवाजों को अपने बंधु बांधवों के साथ ढ़ोल की थाप व बांसुरी की धुन पर नाच गाकर मना सके। बेटियां स्वतंत्र रूप से वन में गमन कर सके। अखाड़े में अपने प्रेयसी के कमर में हाथ बाँधकर नृत्य कर सकें। कृषक अपने परिश्रम के द्वारा पत्थर को मिट्टी बनाकर उसकी छाती से हरे-भरे अन्न उपाजा सकें। उनकी नई पीढ़ी युवागृहों में अपने सपने बुन सके। उनके हाथों मे कृषि के औजार हों। स्वर में विद्रोह नहीं बल्कि मधुर गान हो।

इतिहास काल सूचक है सभी घटनाएँ इसमें दर्ज नहीं हैं परिस्थितियाँ चाहे जो भी है। अनेक तथ्यों को इससे दूर रखा गया लेकिन ये तथ्य आज अपनी सार्थकता के बल पर दर्ज होने हेतु आतुर है। आदिवासीयों के गदर को स्थान प्राप्त हो रहा है। इसमें नारियसों के महत्व को कम कर दिखाया या है या किसी चरित्र को ही आधर मानकर उसके आस-पास के योगदानों को विस्तृत कर दिया गया है। वास्तम में वन प्रदेशों में अपने सतीत्व व अस्तित्व की रक्षा हेतु उनका संघर्ष गीतों में, बोलियों में व आख्यानों में सुरक्षित है। कईलीदेई, फूलव झानो, रत्नी खड़िया, जिऊरी पहाड़िन साली, परमी, माकी इत्यादी पात्र इनमें देखे जा सकते हैं। शोषकों ने नाटियों का ही सर्वाधिक शोषण किया। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वे ही प्रभावित होती थी। पुत्र, पति भाई इत्यादि संबंधों का आधर वे ही है। खेती में अरण्य में व परंपरा के निर्वाहन में वे ही है।

पठारों का पत्थर तोड़कर कृषि योग्य भूमि बनाना, जल ढ़ोकर लाना, पशुओं को पालना, तीन-धनुष बनाना व टांगी को तेज करना इत्यादि में वे दक्ष है। साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ अपनी जन्म भूमि की सुरक्षा में हर पल साथ र ही। संदेशवाहकों के रूप् में आदमखोरो को लड़ते हुए गुफाओं में घनघोर जंगलों में बिना किसी भय के कार्य किया। पुलिस को दिगभ्रमित करने हेतु गर्भधारण तक का अभिनय किया व गर्भकाल में अपने ईश की कवच रहीं। वहीं निशा काल में रशद उपलबध कराने हेतु लज्जा तक का त्याग किया। अपने नवजातों को पीठ पर बाँधकर व एक हाथ में संभालग कर संघर्ष किया।

आज हम 21वीं सदी की सुविध एम0आई0 ई0युग में जी रहे है जहाँ हमारी सिर्फ छुअन ने व्यवस्थाएँ नियंत्रित होती है। जरा कल्पना करे जब ये सभी कुछ भी नहीं थे। सिर्फ शाल वृक्ष के वृद से 30,000 लोगों को संगठित किया। टांगी, कुल्हाड़ी, तलवार, भाला, फरसा व तीर-धनुष के द्वारा बंदूकों व तोपों का सामना किया व अनेक अवसरों पर उन्हें पीछे हटने को विवश किया। आधुनिक मानव श्रृंखला का निर्माण कर रूनिया व मुनिया बहनों ने उन्कों सोंच में डाल दिया था। डोम्बारी बुरू की पहाड़ी पर अपने पालकों के साथ कंपनी ने सैनिको को सामना करते हुई शहीद हुई। आज हम स्वतंत्र है लेकिन उनका जीवन आज भी समस्याओं से ग्रसित है। डायन प्रथा के नाम पर अनेकां को अग्निदाह किया गया। गृह दास के रूप में वे सभ्य नगरों में प्रयुक्त हावी रही है। जहां वे मानव होतु हुए भी माव नहीं है। इवसगृहों में उनहें एक वसतु की तरह सजा कर देश व परेश में परोसा जा रहा है। निर्माण कार्य में न्यूनतम मजदूरी देकार उनका जीवन छीना जा रहा है। ईट-भट्टो में तो पूर्ण परिवार विकास का आधर तैयार करते-करते अपना अस्तित्व खो देते है। सभ्यता के विकास के नाम पर सिर्फ व सिर्फ शोषण हो रहा है। सिर्फ कला व व्यवस्थाएँ भिन्न है आखिल यह शोषण कब समाप्त होगा? इस प्रश्न का उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। शहीदों के परिवार इस अमृत काल में भी उसी स्थिति में है। हमने सिर्फ उनका शोषण

ही किया हैं खजिन पदार्थो की प्राप्ति व औघोगिक केन्द्र की स्थापना हेतु उनके मूल निवास स्थल को व्यवस्थाएँ अपने नियंत्रण में ले रही हैं वे प्रवास गमन हेतु विवश है। बिना कुछ कहे नियति मानकर बेघर हो रहे है। इस अवस्था में उन्हें दिगभ्रमित कर नक्सलवाद की ओर प्रवृत किया जा रहा है। वे पुनः हथियार उठा चुके है। अब उनके पास आधुनिकतम हथियार व संचार तथा परिवहन के साथन उपलब्ध है। इसके बल पर वे सीधे साधन संपन्न सरकार से टकरा रहे है। इसका परिणाम अभी दिख रहा है। शांत क्षेत्र अशांत हो चुका है व विकास के नाम पर उनकी बलि ली जा रही है। यह अंतहीन सिलसिला अभी जारी है।

शोध के दौरान मैंने छोटानागपुर पठार के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। यहाँ मैंने पाया कि जितनी यह पाट भूमि प्राकृतिक संसाधनों से धनी है उतना ही इसका समृद्ध व गौरवशाली इतिहास है। इतिहास लेखन अब नये दौर में आ चुका है। स्थानीय लेखन को प्राथमिकता दी जा रही है व गुमनाम जन्म भूमि के सेवकों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा हैं। इसका आधर मुझे यहां के लोक गीतों, स्थानीय कथाओं व बोलियों में देखने को मिलता है। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुट्टू भगत, सीदो, कान्हू इत्यादि के साथ-साथ कईली देई, जिऊरी पहाड़िन, रूनिया व झुनिया, फूलो व झानों, साली, परनी, माकी इत्यादि भी सक्रिय रही। अपने वास्तविक नायिकाओं व नायक से मिल पाएगें जिससे एक गौरव शाली समाज व राष्ट्र का निर्माण होगा। इसके साथ-साथ इस दिशा में अभी और भी शोध की आवश्यकताएँ है क्योंकि उनके संपूर्ण पक्ष की जानकारी अभी भी अधूरी है।

संदर्भ सूची

प्राथमिक स्रोत

1. Houlton, John (1949) Bibar the hear of Indian, Calcutta press
2. Wadia, D.N. (1961) Geology of India Geological Survey of India.
3. Ahmad, Enayat (1965) Bihar: a physical Ecomimic and regional Geography.
4. Prasad, Ayodhya (1973) Chotanagpur Geography of rular Settlement, Ranchi University.
5. Marx, Karl (1946) Note on Indian History (664-1855) Foreign language publishing House Moscow.
6. Ojha, P.N (1987) The Tripal Revoet of Chotanagpur, Kashi Prasad Jayswal Research institute, Patna. Sinha, Anuj Kumar (2015) Unsung heroes Of Jharkhand, Movements Prabhat Prakashan.

द्वितीय स्त्रोत

1. सिंह शरद (2011) आदिवासियों का संसार, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
2. चौबे, सौरभ (2023) प्राचीन भारत, युनिवर्सल बुक्स मेरठ।
3. आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल (2002) डा0 रामदयाल मुंडा प्रकाशन संस्थान, राँची
4. कुमारी अनिन्दिता (2011) स्वतंत्रता संग्राम का महानायक गया मुंडा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
5. मिश्रा, विवके (2020) झाखंड का इतिहास एवं संस्कृति प्रारंभ से 1947 ई0, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
6. सिंह अयोध्या (2008) भारत का मुक्ति संग्राम, प्रकाशन संस्थान, मई दिल्ली।
7. भारत, वीर तलवार (2008) झारखंड के आदिवासियों के बीच भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली

माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में पालन-पोषण शैलियाँ, आत्म-प्रभावकारिता, उपलब्धि अभिप्रेरणा और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध का एक वैचारिक विश्लेषण

पूनम कुमारी

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र संकाय, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

डॉ० शकिला अजीम

शोध निर्देशिका, मनोविज्ञान विभाग, एम.डी.डी.एम. कॉलेज, मुजफ्फरपुर

सारः

प्रस्तुत पत्र माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में छात्र शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का विश्लेषण करता है। यह माता-पिता के पालन-पोषण की शैलियों, आत्म-प्रभावकारिता, और उपलब्धि अभिप्रेरणा की अवधारणाओं की पड़ताल करता है और इन तीनों के बीच अंतर्संबंधों तथा शैक्षणिक प्रदर्शन पर उनके संयुक्त प्रभाव पर प्रकाश डालता है। डायना बॉमरइंड के पालन-पोषण शैली वर्गीकरण, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में निहित आत्म-प्रभावकारिता की अवधारणा, और डेविड मैकक्लैंड की उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के आधार पर, यह पेपर तर्क देता है कि आधिकारिक पालन-पोषण शैली छात्रों में उच्च आत्म-प्रभावकारिता और उपलब्धि अभिप्रेरणा के विकास को बढ़ावा देती है, जो बदले में, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा के व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोणों को भी इसमें शामिल करते हुए, इस विश्लेषण में विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए निहितार्थों पर विचार किया गया है।

बीज शब्दः शैक्षिक उपलब्धि, माध्यमिक शिक्षा, पालन-पोषण शैलियाँ, आत्म-प्रभावकारिता, उपलब्धि अभिप्रेरणा, किशोर विकास, पारिवारिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक कारक, संज्ञानात्मक विकास।

1. प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा एक मौलिक स्तंभ रही है, जो पीढ़ियों को ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का हस्तांतरण करती है। यह केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय दर्शन में शिक्षा को सदैव उच्चतम आदर्शों से जोड़ा गया है। उपनिषदों में कहा गया है: "सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात् "विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए।" यह मुक्ति केवल अज्ञानता से नहीं, बल्कि संकीर्ण विचारों, पूर्वाग्रहों और सामाजिक बंधनों से भी है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के इस व्यापक स्वरूप पर बल देते हुए कहा था, "शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है।" उनके अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान को दिमाग में ठूँसना नहीं, बल्कि बच्चे के भीतर निहित असीम संभावनाओं को बाहर लाना और उन्हें विकसित करना है।

वर्तमान संदर्भ में, विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा, मानव विकास का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह वह चरण है जहाँ छात्र प्राथमिक विद्यालय की नींव पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पथ के लिए महत्वपूर्ण विकल्प चुनते हैं। किशोरावस्था का यह चरण तीव्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों से चिह्नित होता है। इस अवधि में प्राप्त शैक्षणिक उपलब्धि न केवल छात्र के तत्काल भविष्य को आकार देती है, बल्कि राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए भी आधार प्रदान करती है। जॉन डेवी जैसे शिक्षाविदों ने शिक्षा को 'जीवन की तैयारी' के बजाय 'स्वयं जीवन' के रूप में देखा। उनका मानना था कि शिक्षा को छात्रों को समस्याओं को हल करने और एक लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार करना चाहिए (-, 1916)।

शैक्षणिक उपलब्धि एक बहुआयामी परिणाम है जो व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत से परे कई परस्पर संबंधित कारकों से प्रभावित होता है। परिवार का वातावरण, विशेष रूप से पालन-पोषण की शैलियाँ (Parenting Styles), छात्र की अपनी क्षमताओं में

विश्वास (आत्म-प्रभावकारिता - Self-efficacy), और उत्कृष्टता प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा (उपलब्धि अभिप्रेरणा - Achievement Motivation) जैसे मनोवैज्ञानिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वैचारिक पत्र इन्हीं तीन प्रमुख कारकों की गहराई से पड़ताल करने, उनके सैद्धांतिक आधारों पर विस्तार से चर्चा करने, और माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर उनके प्रभावों और अंतर्संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। हमारा उद्देश्य एक सैद्धांतिक ढाँचा प्रस्तुत करना है जो इन अवधारणाओं के बीच जटिल गतिशीलता को उजागर करता है और यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक अनुकूल पारिवारिक और आंतरिक मनोवैज्ञानिक वातावरण छात्रों को उनकी पूरी शैक्षणिक क्षमता तक पहुँचने में सक्षम बना सकता है, विशेष रूप से भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में।

2. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और साहित्य समीक्षा

शैक्षणिक उपलब्धि एक जटिल परिघटना है, जिसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांतों की गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह खंड पालन-पोषण, अभिप्रेरणा और आत्म-धारणाओं से संबंधित प्रमुख सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों पर प्रकाश डालेगा।

2.1. पालन-पोषण की शैलियाँ और उनका शैक्षणिक विकास पर प्रभाव

बच्चों के विकास और विशेष रूप से उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पालन-पोषण की शैलियों का गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से माता-पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, सीमाएँ निर्धारित करते हैं और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, वह उनके व्यक्तित्व, आत्म-सम्मान, सामाजिक कौशल और शैक्षणिक प्रदर्शन को आकार देता है। मनोवैज्ञानिक डायना बॉमरइंड (Diana Baumrind, 1967, 1991) ने पालन-पोषण शैलियों के वर्गीकरण में अग्रणी कार्य किया। उन्होंने माता-पिता के व्यवहार को दो मुख्य आयामों पर आधारित किया:

1. प्रत्युत्तरशीलता/स्नेह: यह माता-पिता के स्नेह, समर्थन, और बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता को संदर्भित करता है।
2. मांग/नियंत्रण: यह माता-पिता द्वारा निर्धारित नियमों, अपेक्षाओं और अनुशासन को संदर्भित करता है।

इन आयामों के संयोजन से बॉमरइंड ने तीन प्राथमिक शैलियों की पहचान की, जिसमें बाद में मैक्कोबी और मार्टिन (Maccoby & Martin] 1983) ने एक और शैली को जोड़ा:

- आधिकारिक (Authoritative) पालन-पोषण शैली: यह शैली उच्च प्रत्युत्तरशीलता और उच्च मांग/नियंत्रण की विशेषता है। आधिकारिक माता-पिता अपने बच्चों के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएँ निर्धारित करते हैं, लेकिन वे इन नियमों के पीछे के कारणों को भी समझाते हैं। वे बच्चों की भावनाओं और विचारों को महत्व देते हैं, उन्हें सुनने को तैयार रहते हैं, और उनकी स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं (Baumrind, 1991)। वे बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन साथ ही उच्च अपेक्षाएँ भी रखते हैं। रूसो जैसे विचारकों ने बच्चों के स्वाभाविक विकास के महत्व पर बल दिया, लेकिन एक संतुलित संरचना के भीतर (Rousseau, 1762/1979)। आधुनिक मनोविज्ञान आधिकारिक शैली को उस संतुलन के रूप में देखता है।

  बच्चों पर प्रभाव: अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि इस शैली में पले-बढ़े बच्चे आमतौर पर उच्च आत्म-सम्मान, आत्म-नियंत्रण, सामाजिक क्षमता और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं (Steinberg et al, 1992; Darling, 1999)। वे जिम्मेदार, स्वतंत्र और खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें सीमाएँ और समर्थन दोनों मिलते हैं।
- निरंकुश (Authoritarian) पालन-पोषण शैली: यह शैली उच्च मांग/नियंत्रण लेकिन कम प्रत्युत्तरशीलता की विशेषता है। निरंकुश माता-पिता सख्त नियम लागू करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बच्चे बिना किसी सवाल के उनका पालन करें ("जैसा मैंने कहा, वैसा करो")। वे अपने बच्चों के साथ कम संवाद करते हैं और उनकी भावनाओं पर अधिक ध्यान नहीं देते (ठंनउतपदक, 1991)।

  बच्चों पर प्रभाव: इस शैली के बच्चों में अक्सर कम आत्म-सम्मान, चिंता, अवसाद, और कभी-कभी आक्रामकता या सामाजिक अक्षमता विकसित होने की संभावना होती है (Dornbusch et al, 1987)। वे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि वे दंड के डर से नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनमें आलोचनात्मक सोच, पहल और समस्या-समाधान कौशल की कमी हो सकती है।
- अनुमेय (Permissive) पालन-पोषण शैली: यह शैली कम मांग/नियंत्रण और उच्च प्रत्युत्तरशीलता की विशेषता है। अनुमेय माता-पिता अपने बच्चों पर बहुत कम या कोई नियम लागू नहीं करते हैं। वे अपने बच्चों के लिए अत्यधिक सहायक और स्नेहपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे उन्हें बहुत अधिक स्वतंत्रता देते हैं और शायद ही कभी अनुशासन का उपयोग करते हैं (Baumrind, 1991)।

  बच्चों पर प्रभाव: इस शैली के बच्चों में आत्म-नियंत्रण की कमी, आवेगशीलता, जिम्मेदारी का अभाव और कम शैक्षणिक प्रदर्शन देखा जा सकता है। उनमें सामाजिक कौशल भी कमजोर हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ा है और वे अक्सर अधिक आत्म-केंद्रित होते हैं।

- उपेक्षित (Neglectful/Uninvolved) पालन-पोषण शैली: यह शैली कम अपेक्षा/नियंत्रण और कम प्रत्युत्तरशीलता दोनों की विशेषता है। उपेक्षित माता-पिता अपने बच्चों की जरूरतों के प्रति उदासीन या अनुपस्थित रहते हैं, भावनात्मक और शारीरिक रूप से अनुपलब्ध हो सकते हैं (Maccoby - Martin, 1983)।

  बच्चों पर प्रभाव: इस शैली के बच्चों को सबसे खराब विकासात्मक और शैक्षणिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें कम शैक्षणिक प्रदर्शन, सामाजिक-भावनात्मक समस्याएं, उच्च जोखिम वाले व्यवहार, और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार शामिल हैं।

माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आधिकारिक पालन-पोषण शैली छात्रों को आत्म-अनुशासन, उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रेरणा, और शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक आंतरिक संसाधनों को विकसित करने में मदद करती है, जो सीधे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है।

2.2. अभिप्रेरणा की अवधारणा और उपलब्धि अभिप्रेरणा: शैक्षिक सफलता का आंतरिक बल

अभिप्रेरणा (Motivation) मनोविज्ञान का एक मूलभूत स्तंभ है, जो इस बात की पड़ताल करता है कि व्यक्ति किसी विशेष तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। यह उन आंतरिक और बाहरी शक्तियों को संदर्भित करता है जो व्यवहार को शुरू करती हैं, निर्देशित करती हैं और बनाए रखती हैं (Deci & Ryan, 1985)। सिगमंड फ्रायड जैसे प्रारंभिक विचारकों ने अभिप्रेरणा को अचेतन आवेगों और मूल प्रवृत्तियों से जोड़ा, जबकि व्यवहारवादियों ने इसे बाहरी उत्तेजनाओं और पुरस्कारों पर केंद्रित किया।

हालांकि, शैक्षिक मनोविज्ञान में, अब्राहम मास्लो (Abraham Maslow, 1943) का आवश्यकताओं का पदानुक्रम (Hierarchy of Needs) अभिप्रेरणा को समझने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है। मास्लो के अनुसार, व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं से शुरू होकर, सुरक्षा, प्रेम/जुड़ाव, आत्म-सम्मान, और अंतत: आत्म-वास्तविकता (Self-Actualçation) की ओर बढ़ते हैं। शैक्षणिक संदर्भ में, यदि छात्रों की निचली-स्तरीय आवश्यकताएं (जैसे भोजन, सुरक्षा) पूरी नहीं होती हैं, तो उनके लिए सीखने या उच्च-स्तरीय लक्ष्यों के लिए प्रेरित होना मुश्किल होगा।

अभिप्रेरणा को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- आंतरिक अभिप्रेरणा (Intrinsic Motivation): यह तब होती है जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं में निहित संतुष्टि या आनंद के लिए करता है, जैसे सीखने की जिज्ञासा या किसी कौशल में महारत हासिल करने की इच्छा। जेरोम ब्रूनर ने भी सीखने में आंतरिक रुचि के महत्व पर बल दिया (Bruner, 1966)।
- बाह्य अभिप्रेरणा (Extrinsic Motivation): यह तब होती है जब व्यक्ति किसी बाहरी पुरस्कार (जैसे ग्रेड, प्रशंसा, धन) प्राप्त करने या दंड से बचने के लिए कार्य करता है।

  उपलब्धि अभिप्रेरणा (Achievement Motivation) अभिप्रेरणा का एक विशिष्ट रूप है जो व्यक्तियों को उत्कृष्टता प्राप्त करने, चुनौतीपूर्ण कार्यों में सफल होने और उच्च व्यक्तिगत मानकों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। डेविड मैकक्लैंड (David McClelland, 1961) और जॉन एटकिंसन (John Atkinson, 1964) इस क्षेत्र में अग्रणी शोधकर्ता रहे हैं। मैकक्लैंड ने "उपलब्धि की आवश्यकता" (need for achievement) की अवधारणा को विकसित किया, जिसमें व्यक्तियों में उत्कृष्टता, उच्च मानकों को पूरा करने और दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने की एक स्थायी इच्छा होती है। उच्च उपलब्धि वाले व्यक्ति:
- मध्यम जोखिम वाले कार्यों को पसंद करते हैं, जहाँ सफलता प्राप्त करने की संभावना न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम।
- अपने प्रदर्शन के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया (feedback) चाहते हैं ताकि वे सुधार कर सकें।
- समस्याओं को हल करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं।
- धन या अन्य बाहरी पुरस्कारों की तुलना में व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं।

शैक्षणिक संदर्भ में, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले छात्र स्वाभाविक रूप से शैक्षणिक सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं। वे:

- कठिन शैक्षणिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं।
- कठिन विषयों में महारत हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं।
- शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने पर दृढ़ता दिखाते हैं और आसानी से हार नहीं मानते।
- परिणामस्वरूप, उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है (Schunk - Pajares, 2010)।

रवींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को जगाने पर बल दिया, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा के आंतरिक पहलुओं से मेल खाता है। उनके अनुसार, "सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को सभी

अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करती है।" (Tagore, 1917)। यह सामंजस्य और पूर्णता की तलाश ही कहीं न कहीं उपलब्धि की गहरी भावना को जन्म देती है।

2.3. आत्म-प्रभावकारिता की अवधारणा और महत्वः विश्वास की शक्ति

आत्म-प्रभावकारिता (Self-eff~icacy) एक व्यक्ति का अपने स्वयं के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमता में विश्वास है, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। यह किसी व्यक्ति की यह धारणा है कि वह किसी विशेष कार्य को कितनी अच्छी तरह कर सकता है, भले ही अतीत में उसका प्रदर्शन कैसा रहा हो। इस अवधारणा को अल्बर्ट बंडूरा (Albert Bandura, 1977) ने अपने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत (Social Cognitive Theory) के हिस्से के रूप में विकसित किया था। बंडूरा के अनुसार, आत्म-प्रभावकारिता हमारे व्यवहार, विचारों और भावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह केवल इस बात से भिन्न है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समग्र रूप से कैसे देखता है (आत्म-सम्मान)। आत्म-सम्मान 'मैं कैसा महसूस करता हूँ' से संबंधित है, जबकि आत्म-प्रभावकारिता 'मैं क्या कर सकता हूँ' से संबंधित है।

बंडूरा (1997) ने आत्म-प्रभावकारिता के चार मुख्य स्रोतों की पहचान की है:

1. प्रदर्शन उपलब्धियाँ/निपुणता के अनुभव (Mastery Experiences): यह आत्म-प्रभावकारिता का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। जब हम किसी कार्य में सफलतापूर्वक महारत हासिल करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है कि हम भविष्य में भी ऐसे ही कार्य कर सकते हैं। सफल अनुभव आत्म-प्रभावकारिता को सुदृढ़ करते हैं, जबकि असफल अनुभव इसे कम कर सकते हैं।
2. विकेरियस अनुभव/प्रतिनिधित्व अनुभव (Vicarious ExperiencesèModelling): दूसरों को सफलतापूर्वक कार्य करते हुए देखकर भी हमारी आत्म-प्रभावकारिता बढ़ सकती है, खासकर यदि हम मानते हैं कि वे व्यक्ति हमसे मिलते-जुलते हैं। बंडूरा ने अवलोकन अधिगम (observational learning) पर बहुत जोर दिया; यदि वे कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं - यह विचार हमें प्रेरित करता है।
3. मौखिक अनुनय (Verbal Persuasion): दूसरों द्वारा हमें प्रोत्साहित करना या हमें यह बताना कि हम किसी कार्य को करने में सक्षम हैं, हमारी आत्म-प्रभावकारिता को बढ़ा सकता है ("तुम यह कर सकते हो!")। हालांकि, यह स्रोत कम प्रभावी होता है यदि यह व्यक्ति के स्वयं के अनुभव या अवलोकन के विपरीत हो।
4. शारीरिक और भावनात्मक अवस्थाएँ (Physiological and Emotional States): हमारी शारीरिक और भावनात्मक अवस्थाएँ भी आत्म-प्रभावकारिता को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, चिंता या तनाव की उच्च भावनाएं किसी कार्य को करने की हमारी क्षमता में विश्वास को कम कर सकती हैं, जबकि सकारात्मक मूड और कम तनाव आत्म-विश्वास को बढ़ा सकता है।

आत्म-प्रभावकारिता हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती है:

- चुनौतियों का सामना करना: उच्च आत्म-प्रभावकारिता वाले व्यक्ति चुनौतियों को खतरों के बजाय अवसरों के रूप में देखते हैं। वे कठिन कार्यों से पीछे नहीं हटते, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें हल करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं।
- प्रयास और दृढ़ता: जब बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो उच्च आत्म-प्रभावकारिता वाले लोग अधिक दृढ़ता दिखाते हैं। वे मानते हैं कि उनके प्रयास अंततः सफलता की ओर ले जाएंगे, भले ही उन्हें तत्काल परिणाम न मिलें।
- विचार संरचना: आत्म-प्रभावकारिता हमारे विचारों को प्रभावित करती है। उच्च आत्म-प्रभावकारिता वाले लोग अधिक सकारात्मक और आशावादी होते हैं, जबकि कम आत्म-प्रभावकारिता वाले लोग अक्सर अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और नकारात्मक विचार रखते हैं।
- संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ: यह हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। उच्च आत्म-प्रभावकारिता वाले व्यक्ति तनाव और चिंता को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वे स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा में, आत्म-प्रभावकारिता का विशेष महत्व है क्योंकि यह छात्रों के सीखने के व्यवहार और शैक्षणिक परिणामों को सीधे प्रभावित करती है। जिन छात्रों की किसी विषय या कार्य में उच्च आत्म-प्रभावकारिता होती है, वे उसमें अधिक समय और प्रयास लगाते हैं, अधिक प्रभावी सीखने की रणनीतियों का उपयोग करते हैं और शैक्षणिक तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं (Pajares, 1996)।

3. पालन-पोषण शैलियाँ, आत्म-प्रभावकारिता, उपलब्धि अभिप्रेरणा और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध

शैक्षणिक उपलब्धि को एक होलिस्टिक दृष्टिकोण से समझने के लिए, इन सभी अवधारणाओं को अलग-अलग देखने के बजाय, उनकी अंतःक्रिया को समझना आवश्यक है। यह खंड इन कारकों के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करेगा।

3.1. पालन-पोषण शैली और शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव

अध्ययन लगातार यह दर्शाते हैं कि आधिकारिक पालन-पोषण शैली छात्रों की उच्च शैक्षणिक उपलब्धि से सबसे दृढ़ता से जुड़ी हुई है (Steinberg et al, 1992)। यह शैली कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तंत्रों के माध्यम से शैक्षणिक सफलता को बढ़ावा देती है:

- प्रत्यक्ष प्रभाव: आधिकारिक माता-पिता शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करते हैं, नियमित निगरानी करते हैं, और सीखने की गतिविधियों में सहायता प्रदान करते हैं (जैसे गृहकार्य में सहयोग करना)।
- अप्रत्यक्ष प्रभाव: यह शैली छात्रों में आत्म-अनुशासन, उच्च आत्म-सम्मान, प्रेरणा और बेहतर सीखने की रणनीतियों को बढ़ावा देती है। लेव वायगोत्स्की (Lev Vygotsky) के सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंत:क्रियाओं, विशेषकर वयस्कों के साथ, के माध्यम से होता है (टलहवजोल, 1978)।

आधिकारिक माता-पिता एक "समीपस्थ विकास क्षेत्र" (Zone of Proximal Development - ZPD) बनाते हैं जहाँ वे अपने बच्चों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण, लेकिन प्राप्त करने योग्य कार्यों में संलग्न करते हैं, जिससे उनके कौशल और आत्मविश्वास का विकास होता है। इस प्रकार, माता-पिता का समर्थन और उचित चुनौती छात्रों को शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान करता है

3.2 आत्म-प्रभावकारिता और शैक्षणिक प्रदर्शन

यह संबंध शैक्षणिक मनोविज्ञान में सबसे शक्तिशाली और सुसंगत निष्कर्षों में से एक है। अल्बर्ट बंडूरा (Bandura, 1997) ने स्वयं इस बात पर जोर दिया कि "आत्म-प्रभावकारिता विश्वास ही वह आधार है जिस पर मानव एजेंसी का निर्माण होता है।" उच्च शैक्षणिक आत्म-प्रभावकारिता वाले छात्र:

- अधिक चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक लक्ष्यों का चयन करते हैं, यह मानते हुए कि वे उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
- कठिनाइयों का सामना करने पर अधिक प्रयास और दृढ़ता दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है।
- अधिक प्रभावी सीखने की रणनीतियों का उपयोग करते हैं (जैसे नोट्स बनाना, दोहराना, शिक्षकों से प्रश्न पूछना)।
- शैक्षणिक तनाव और परीक्षा की चिंता को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं, जिससे उनकी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन होता है।
- परिणामस्वरूप, उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। यदि कोई छात्र गणित में अपनी क्षमता पर विश्वास करता है (उच्च आत्म-प्रभावकारिता), तो वह गणित के कठिन प्रश्नों को हल करने में अधिक समय लगाएगा और अंतत: बेहतर प्रदर्शन करेगा, न केवल इसलिए कि उसके पास कौशल है, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास सफल होने का विश्वास है।

3.3. उपलब्धि अभिप्रेरणा और शैक्षणिक प्रदर्शन

उपलब्धि अभिप्रेरणा शैक्षणिक सफलता का एक प्रमुख चालक है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले छात्र आंतरिक रूप से उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहते हैं। डेविड मैकक्लैंड (McClelland, 1961) ने दिखाया कि यह आवश्यकता विभिन्न संस्कृतियों में पाई जाती है और अक्सर आर्थिक विकास से भी जुड़ी होती है। शैक्षणिक संदर्भ में, ऐसे छात्र:

- चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की अधिक संभावना रखते हैं।
- अपनी पढ़ाई में गहन रुचि दिखाते हैं, भले ही उन्हें बाहरी पुरस्कार न मिलें।
- अपने प्रदर्शन के बारे में रचनात्मक प्रतिक्रिया चाहते हैं ताकि वे सुधार कर सकें।
- यह आंतरिक प्रेरणा उन्हें शैक्षणिक कार्यों में अधिक समय और प्रयास लगाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनके शैक्षणिक परिणाम बेहतर होते हैं। बी.एफ. स्किनर ने हालांकि बाह्य अभिप्रेरणा (पुनर्बलन) पर जोर दिया, लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरणा का आंतरिक पहलू दीर्घकालिक शैक्षणिक सफलता के लिए अधिक स्थायी होता है (Skinner, 1953)।

3.4. शैक्षणिक आत्म-प्रभावकारिता और उपलब्धि अभिप्रेरणा के बीच संबंध

यह संबंध विशेष रूप से गतिशील और पारस्परिक है। ये दोनों अवधारणाएँ एक-दूसरे को सुदृढ़ करती हैं:

- आत्म-प्रभावकारिता उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ाती है: यदि किसी छात्र को विश्वास है कि वह किसी कार्य में सफल हो सकता है (उच्च आत्म-प्रभावकारिता), तो वह उस कार्य को करने और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अधिक अभिप्रेरित होगा। बंडूरा (1997) के अनुसार, लोग उन गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना रखते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि वे सक्षम हैं।
- उपलब्धि अभिप्रेरणा आत्म-प्रभावकारिता को प्रभावित कर सकती है: एक छात्र जिसकी उपलब्धि अभिप्रेरणा उच्च है, वह लगातार सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जब वे सफल होते हैं, तो ये निपुणता के अनुभव (Bandura द्वारा आत्म-प्रभावकारिता का

सबसे शक्तिशाली स्रोत) उनकी आत्म-प्रभावकारिता को मजबूत करते हैं, जिससे वे भविष्य में और भी अधिक उपलब्धि-उन्मुख लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित होते हैं।

यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है: उच्च आत्म-प्रभावकारिता से बढ़ी हुई प्रेरणा, जो बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जाती है, और यह बेहतर प्रदर्शन बदले में आत्म-प्रभावकारिता और भविष्य की प्रेरणा को मजबूत करता है।

3.5. समग्र मॉडल: शैक्षणिक सफलता का पारिस्थितिकी तंत्र

एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य से, माध्यमिक शिक्षा में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का परिणाम है। इसमें पारिवारिक वातावरण (पालन-पोषण शैलियाँ), और छात्रों के आंतरिक मनोवैज्ञानिक गुण (आत्म-प्रभावकारिता और उपलब्धि अभिप्रेरणा) शामिल हैं।

आधिकारिक पालन-पोषण शैली (अनुशासित समर्थन) → (उच्च शैक्षणिक आत्म-प्रभावकारिता + उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा) → बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन/उपलब्धि

यह मॉडल सुझाता है कि माता-पिता का व्यवहार सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के आंतरिक मनोवैज्ञानिक संसाधनों को प्रभावित करता है। एक ऐसा घर जहाँ समर्थन, स्पष्ट अपेक्षाएँ और स्वायत्तता का संतुलन हो, वह बच्चों को स्वयं पर विश्वास करने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का आधार प्रदान करता है। यह विश्वास और प्रेरणा तब उन्हें शैक्षणिक चुनौतियों को आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ लेने में मदद करते हैं, जिससे अंततः बेहतर शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

4. निष्कर्ष, निहितार्थ और भविष्य के शोध की दिशाएँ

प्रस्तुत वैचारिक विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पालन-पोषण की शैलियाँ, आत्म-प्रभावकारिता, और उपलब्धि अभिप्रेरणा माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यह एक जटिल वेब है जहाँ परिवार का परिवेश छात्रों के भीतर आत्मविश्वास और प्रेरणा के बीज बोता है, जो अंततः उनके शैक्षणिक मार्ग की दिशा निर्धारित करते हैं। एक सहायक और संरचित पारिवारिक वातावरण (आधिकारिक पालन-पोषण) छात्रों में अपनी क्षमताओं पर विश्वास (आत्म-प्रभावकारिता) और उत्कृष्टता प्राप्त करने की गहरी इच्छा (उपलब्धि अभिप्रेरणा) विकसित करने की संभावना को बढ़ाता है। ये सकारात्मक मनोवैज्ञानिक लक्षण तब छात्रों को शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने, सीखने में अधिक प्रयास करने और अंततः बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

शैक्षणिक उपलब्धि के महत्व को महात्मा गांधी ने भी रेखांकित किया था, जिन्होंने 'बुनियादी शिक्षा' (Basic Education) की वकालत की, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना और उन्हें अपने हाथों से काम करने में सक्षम बनाना था (Gandhi, 1937)। इस प्रकार, उपलब्धि केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करने में है।

इस विश्लेषण के महत्वपूर्ण निहितार्थ निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं:

1. माता-पिता और परिवार के लिए: यह अध्ययन माता-पिता के लिए आधिकारिक पालन-पोषण शैली के महत्व पर प्रकाश डालता है। माता-पिता को अपने बच्चों के लिए स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं निर्धारित करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें भावनात्मक समर्थन और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। माता-पिता की शिक्षा और परामर्श कार्यक्रम उन्हें इस शैली को अपनाने और अपने बच्चों की शैक्षणिक यात्रा में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल होने में मदद कर सकते हैं
2. शिक्षकों और विद्यालय प्रशासकों के लिए: शिक्षकों को छात्रों में आत्म-प्रभावकारिता और उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने वाली शिक्षण रणनीतियों को अपनाना चाहिए। इसमें शामिल हो सकता है:
    - सफलता के अनुभवों के अवसर प्रदान करना: छोटे, प्रबंधनीय लक्ष्यों के साथ शुरुआत करना।
    - पीयर मॉडलिंग का उपयोग करना: सफल सहपाठियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना।
    - रचनात्मक और विशिष्ट प्रतिक्रिया देना: केवल ग्रेड नहीं, बल्कि सुधार के लिए सुझाव देना।
    - व्यक्तिगत लक्ष्यों को निर्धारित करने में छात्रों का समर्थन करना।
    - एक सकारात्मक, समावेशी और सहायक कक्षा और विद्यालयी वातावरण बनाना जहाँ छात्र सुरक्षित महसूस करें और जोखिम लेने से न डरें।
3. नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के लिए: शिक्षा नीतियों को माता-पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन कार्यक्रमों को विकसित करना चाहिए जो छात्रों के समग्र मनोवैज्ञानिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न केवल संज्ञानात्मक

विकास पर। बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ मौजूद हैं, लक्षित हस्तक्षेपों से इन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संसाधनों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। पाठ्यक्रम को छात्रों में आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, जैसा कि जॉन डेवी (क्मूमल, 1916) ने वकालत की थी।

यह वैचारिक पत्र माध्यमिक शिक्षा में शैक्षणिक उपलब्धि को समझने के लिए एकीकृत संरचना प्रदान करता है। भविष्य के शोध को विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में इन संबंधों की अनुभवजन्य रूप से जांच करनी चाहिए, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, ग्रामीण-शहरी विभाजन और लिंग से छात्रों के बड़े डेटा सेट का उपयोग करके। ऐसे अनुभवजन्य अध्ययन इस वैचारिक मॉडल को मान्य करेंगे और हस्तक्षेप कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट, साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे जो छात्रों की शैक्षणिक क्षमता को अधिकतम करने में मदद कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में निवेश करना हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- एटकिंसन, जे. डब्ल्यू. (1964). एन इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन, वैन नॉस्ट्रैंड।
- बंडूरा, ए. (1977). सेल्फ-एफिकेसी: टुवार्ड अ यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरल चेंज. साइकोलॉजिकल रिव्यू, 84(2), 191-215।
- बंडूरा, ए. (1997). सेल्फ-एफिकेसी: द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, डब्ल्यू. एच. फ्रीमैन एंड कंपनी।
- बामरिंड, डी. (1967). चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस एंटीसीडिंग थ्री पैटर्न्स ऑफ प्रीस्कूल बिहेवियर. जेनेटिक साइकोलॉजी मोनोग्राफ्स, 75(1), 43-88।
- बामरिंड, डी. (1991). द इन्फ्लुएंस ऑफ पैरेंटिंग स्टाइल ऑन एडोलसेंट कॉम्पिटेंस एंड सब्सटेंस यूज. जर्नल ऑफ अर्ली एडोलसेंस, 11(1), 56-91।
- ब्रूनर, जे. एस. (1966). टुवार्ड अ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- डार्लिंग, एन. (1999). पालन-पोषण शैली और किशोर उपलब्धि तथा समायोजन के साथ इसका संबंध: शोध साहित्य की एक समीक्षा, ई.आर.आई. सी. डाइजेस्ट।
- डेसी, ई. एल., एंड रयान, आर. एम. (1985). इंट्रिन्सिक मोटिवेशन एंड सेल्फ-डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बिहेवियर. प्लेनम।
- ड्यूई, जे. (1916). डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन: एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. मैकमिलन।
- डॉर्नबश, एस. एम., रिटर, पी. एल., लीडरमैन, पी. एच., रॉबर्ट्स, डी. एफ., एंड फ्रैली, एम. जे. (1987). द रिलेशन ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल टू एडोलेसेंट स्कूल परफॉरमेंस. चाइल्ड डेवलपमेंट, 58(5), 1244-1257।
- गांधी, एम. के. (1937). बेसिक एजुकेशन. हरिजन।
- मैकोबी, ई. ई., एंड मार्टिन, जे. ए. (1983). सोशलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिली: पेरेंट-चाइल्ड इंटरेक्शन. पी. एच. मुसेन (सं.) - ई. एम. हेदरिंगटन (Vol. Ed.), हैंडबुक ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी: टवस. 4। सोशलाइजेशन, पर्सनैलिटी, एंड सोशल डेवलपमेंट (4जी ed., pp. 1-101). विली।
- मास्लो, ए. एच. (1943). अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. साइकोलॉजिकल रिव्यू, 50(4), 370-396।
- मैकक्लेलैंड, डी. सी. (1961). द अचीविंग सोसाइटी. वैन नॉस्ट्रैंड।
- पाजारेस, एफ. (1996). सेल्फ-एफिकेसी बिलीफ्स इन एकेडमिक सेटिंग्स, रिव्यू ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 66(4), 543-578।
- रूसो, जे. जे. (1979). एमिल, ऑर ऑन एजुकेशन (ए. ब्लूम, अनुवाद), बेसिक बुक्स।
- शंक, डी. एच., एंड पाजारेस, एफ. (2010). सेल्फ-एफिकेसी एंड एकेडमिक मोटिवेशन. इन ई. ए. बेकर (संपा.), इंटरनेशनल एन्साइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, एल्सेवियर।
- स्टीनबर्ग एल., एलमैन. एस.डी. एण्ड माउन्ट्स, एन. एस. (1992). अथॉरिटेटीव पेरेंटिंग प्स्च्योसोशल मातुरित्य एंड अकादमिक सक्सेस अमंग एडोलैसैंट्स. चाइल्ड डेवलपमेंट 63(2) 405-416।
- टैगोर आर. (1917), पर्सनालिटी, मैकमिलन एण्ड कम्पनी।
- वायगोत्स्की एल. एस. (1978). माइन्ड इन सोसाइटी: द डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेज. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

डिजिटल इंडिया का ग्रामीण समाज पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ० आँचल गुप्ता

प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गोकुल दास हिंदू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद

श्रीमती रत्ना देवी

शोधछात्रा, एम.जे.पी.आर. विश्वविद्यालय, बरेली

सारांश

डिजिटल इंडिया विश्व भर के कई नवाचारों और तकनीक प्रगति का परिणाम है । यह कई तरह से लोगों के जीवन को बदल देने के साथ साथ समाज को बेहतर तरीके से सशक्त बनाने की सामर्थ रखता हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि माननीय प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की पहल प्रत्येक क्षेत्र में नए विकास को बढ़ावा देगी। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की ऐसी योजनाहै जिसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। यह कार्यक्रम भारत को एक जानकारी अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में फिर से तैयार करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट एक साथ मिलकर समाज तथा शासन के सभी पहलुओं पर प्रभाव और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। डिजिटल भारत मिशन अपने देश को न केवल डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है अपितु इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास के साथ-साथ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करना है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रांड बैंड कनेक्शन को बढ़ावा देना आदि इसमें प्रमुखता से शामिल है।

प्रस्तावना

भारतीय सरकार का मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण के द्वारा भारतीय समाज को ज्ञान सूचना डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के साथ सशक्त बनाना है। विश्व भर में आईसीटी क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। परंतु ग्रामीण समाज में इसका प्रभाव बहुत ही कम रहा है। हमारे दादा दादी बिना टेलीफोन वाले समाज में पले बढ़े हैं। हमारे माता-पिता एक ऐसे समय में थे जिसमें रेडियो पहला था और टेलीविजन एवम फोन सूचना का अंतिम स्रोत था। लेकिन नई पीढ़ी इंटरनेट की दुनिया और वायरलेस की दुनिया में रहते हैं। यह वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समय की मांग को देखते हुए इस बृहद कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परिकल्पित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में बढ़ावा देना है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्यों के विश्लेषण के लिए द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक सामग्री के लिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं किताबों से तथ्य एकत्रित किए गए है इसमें परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरह के तथ्यों का प्रयोग किया गया है।

साहित्य समीक्षा

गुप्ता और अरोड़ा (2015) ने अपनी पुस्तक "भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण का ग्रामीण भारतीय क्षेत्र की वृद्धि और विकास पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन के द्वारा डिजिटल इंडिया का तथा ऑनलाइन बैंकिंग आदि पर भी चर्चा की गई।

राहुल मिडा (2016) ने अपनी पुस्तक भारतीय लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को रोकने के लिए बाधाओऔर उपायों पर ध्यान केंद्रित किया अध्ययन में इस बात पर की चर्चा की गई थी सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। और प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

गुलाटी - [2016] ने डिजिटल इंडिया की अवधारणा में इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाया तथा घरेलू चुनौतियों का अध्ययन किया जो कार्यक्रम को सफल बनाने में बाधा डालती है। और इससे निपटने के लिए उपाय दिए अध्ययन

में उन अवसरों पर प्रकाश डाला गया है जो भारत को वैश्विक और घरेलू निवेशकों द्वारा डिजिटल गतिविधियों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सके।

ओलालेरे ऐट (2013) - ने प्रसारण मीडिया के लिए डिजिटलीकरण की अवधारणा इसके महत्व विशेषताओं और चुनौतियों का अध्ययन किया जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों स्रोतों पर आधारित था।

दुआ डॉ बिंदु (2016) - अपने शोध "डिजिटल इंडिया चुनौतियां" और सुझाव में लिखा है कि डिजिटल इंडिया में आने वाली बाधाए जैसे डिजिटल निरक्षरता कम इंटरनेट गति संबंधित चुनौतियां से लड़ने की आवश्यकता है।

मगन डॉ मंजू- (2017) अपने शोध भारतीय अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल कार्यक्रम में लिखा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेवाओं का डिजिटलीकरण के द्वारा पारदर्शिता और त्वरित परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण है। ई-कॉमर्स डिजिटल कार्यक्रम प्रोजेक्ट को शुगम बनाने में कारगर हो सकता है।

शोध पत्र की उपयोगिता तथा महत्व

शोध पत्र की उपयोगिता यही है कि हमारे भारत के ग्रामीण समाज के नागरिकों को हर जगह डिजिटल लेनदेन तथा पूरी आर्थिक व्यवस्था तथा सरकारी कार्य पूरी तरह से डिजिटाल। इजेशन के द्वारा ही संभव है।

ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली से बैंक में लगने वाली लंबी कतारे कम हो गई हैं। डिजिटलीकरण से ग्रामीण समाज में शहरी समाज की अपेक्षा कम प्रभाव पड़ा लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण समाज भी अनेक योजनाओं से प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन प्रणाली शिक्षा व्यवस्था बैंक की सुविधा के द्वारा ग्रामीण समाज के लोगों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट तथा नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को सरकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है साथ हीअधिकांश कार्य ऑनलाइन होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम की गई इस शोध पत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल रूप से बढ़ती सेवा भी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेनदेन को भी आसान बनाएगी।

उद्देश्य

(1) डिजिटल इंडिया की अवधारणा का अध्ययन करना
(2) डिजिटल इंडिया के विजन और विजन क्षेत्र का अध्ययन करना।
(3) डिजिटल इंडिया की पहल और स्तंभों को समझना
(4) डिजिटल इंडिया की संरचना का अध्ययन करना।

डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ

(1) ब्रांड बैंड राजमार्ग (2) फोन तक साबृ भौमिक पहुंच (3) सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम (4) प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार (5) ईक्रांति सेवाओं कीइलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी (6) सभी के लिए सूचना (7) इलेक्ट्रॉनिक्स बि

निर्माण (8) नौकरियों के लिए आईटी (9) प्रारंभिक फसल कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया का समाज पर प्रभाव

आर्थिक प्रभाव - विशेषकों के मुताबिक डिजिटल इंडिया 2025 तक जीडीपी को एक ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा सकती है। रोजगार सृजन व्यवसायकी संख्या में वृद्धि और सरकार के लिए राजस्व जैसे व्यापक आर्थिक कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में मोबाइल और ब्रांडबैड की पहुंच में 10% की वृद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन घनत्व 45% ही है जबकि वहां देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

सामाजिक प्रभाव - शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसे सामाजिक क्षेत्र में घशिक्षा अज्ञानता

गरीबी धन अथवा निवेश की कमी जैसी बाधाओ और सीमाओं के कारण अनेक सुविधाओं पहुंचने में असमर्थ हैं।इन चुनौतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र से असंतुलित विकास हुआ है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में काम प्रगति हुई है अभी भी ग्रामीण समाज डिजिटल कारण जैसे कार्यक्रम से दूर ही है।

आईसीटी के प्रयोग से समाज में सूचना अथवा सेवाओं तक पहुंच आसान बनाई है मोबाइल उपकरणों के प्रवेश द्वारा पूरी तरह से नई सेवाओं के निर्माण के अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के रूप में अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। जिसका उपयोग करता

के जीवन की गुणवत्ता पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। भारत में निम्न साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचे की अनु उपलब्धता के कारण है डिजिटलीकरण का प्रभाव ग्रामीण समाज के हर व्यक्ति वर्ग पर पड़ा है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को जानकारी उपलब्ध कराते है जैसे फसल की पसंद बीजकी किस्म मौसम आदिकी जानकारी याद के बारे में ज्ञान देता है।

पर्यावरणीय प्रभाव - आईसीटी का प्रभाव न केवल आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा बल्कि पर्यावरण में परिवर्तन में भी योगदान दिया। प्रौद्योगिकी द्वारा ईंधन की खपत को काम करके हरित क्रांति द्वारा कार्बन चिन्ह को कम करना है।

क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी गतिशीलता और लचीलेपन में सुधार करके कार्बन उत्सर्जन को कम करती है।

कृषि पर प्रभाव - डिजिटली कारण का प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी पड़ा है आवश्यकता पड़ने पर किसान अपने मोबाइल फोन से सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी होगी।

निष्कर्ष

डिजिटल रूप से जुड़ा भारत शिक्षा बैंकिंग स्वास्थ्य जैसे वित्तीय सेवाओं आर्थिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के अलावा गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों के विकास के माध्यम से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है।

डिजटलीकरण के द्वारा ग्रामीण लोगों के विभिन्न कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं वर्तमान दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था भीप्रमुख शक्ति या निर्धारक के रूप में कार्य करती है जो उन्नत भारत और बाजार और समाज अथवा कृषि व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था अथवा समाज में डिजिटलीकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

गुप्तकाल में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी

पंकज कुमार

ए. आई. एच. सी. एण्ड आर्कियोलॉजी, टी.एम.बी.यू., भागलपुर

प्राचीनकाल में कृषि एक महत्त्वपूर्ण पेशा रहा है। मनुस्मृति[1] में जीवन निर्वाह के दस पेशाओं में कृषि को महत्त्वपूर्ण पेशा बतलाया है।

विद्या शिल्प भूतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषि।
घृतिमैक्ष्यं कुसीदं दश जीवन हेतव।।

यानि विद्या, शिल्प, सेवा, गोरक्षा, वाणिज्य-व्यापार, कृषि, ब्याज लेना (सूदखोरी) आदि दस पेशाओं में कृषि महत्त्वपूर्ण पेशा माना है। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कृषि कर्म सबसे उत्तम कर्म है। ऋषि पराशर ने पराशर स्मृति[2] में उल्लेख मिलता है कि

''वृक्षां श्छित्वामहीं मित्वाहत्वाच कृषि की टकान'' अर्थात् खेती में वृक्षों की कटाई, धरती मात्रा पृथ्वी छाती पर हल चलाने व हल से फाड़ने से कृमि-कीटादि के मरने जैसे अनेक दोषों के बावजूद कृषि कर्म को उत्तम माना है। कृषि से हीं उद्योग धंधे और वाणिज्य-व्यापार चलता था। अधिशेष उत्पादन की खरीद-बिक्री करते थे, वाणिज्य-व्यापार करते थे। अतः वैदिक ग्रंथों में कृषि कर्म करने का निर्देश यत्र-तत्र मिलते है। पराशर स्मृति[3] में कहा गया है।

अनं प्राणा बलं चायामन्न सर्वार्थसाधनम्।
देवासुरामनुष्याश्च सर्वे चान्नोपजीविनरू।।

अन्न हीं प्राण, अन्न हीं बल एवं अन्न हीं समस्त प्रयोजनों का साधन है। देव, असुर एवं मनुष्य सभी अन्न के परजीवी होते हैं। इसलिए लोगों को सबकुछ छोड़कर कृषि करनी चाहिए। जैसा कि

अन्न दि धान्यसंजातं धान्यं कृष्णा विना न च।
तस्मात् सर्व परित्यज्य कृषिं यत्नेन करायेत।।

यानि अन्य धान्य से हीं उत्पन्न होता है एवं कृषि के बिना धान्य नहीं हो सकता, अतः सब कुछ छोड़कर बलपूर्वक कृषि करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते है कि धर्मग्रंथों, वेदं-पुराणों, शास्त्रों में कृषि कर्म को सबसे ऊपर रखा है। कृषि कर्म को सबसे उत्तम पेशा बताया है।

भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि या गेहूँ की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 9000 ई०पू० काल में मेहरगढ़ (ब्लूचिस्तान) से मिला है। जबकि चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 7000 ई०पू० काल में उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा (इलाहाबाद जिला, बेलन घाटी) तथा लहुरादेवा से मिला है।[4] बिहार के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल चिंराद से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है, चिरांद से चावल के साथ-साथ गेहूँ, जौ और मसूर आदि की खेती का साक्ष्य मिला है। सिंधु-सरस्वती सभ्यता में मिले कृषि यंत्रों, कालीबंगा से जुते हुए खेत, हलों के लीक का साक्ष्य तथा हड़प्पा से मिले गेहूँ, जौ, लोथल से बाजरे तथा चावल का साक्ष्य रंगपुर से चावल की भूसी, बनवाली से हल का खिलौना तथा तिल, सरसों का ढेर, मटर, खजूर, नींबू की खेती करने का साक्ष्य मिला है। 'कृषि' शब्द का प्रथम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है और कृषि शब्द संस्कृत के 'कृष' धातु से बने है, जिसका अर्थ- 'जोतना होता है'। अतः कृषि परम्परा की शुरूआत वैदिक काल से माना जाता है।

मौर्य काल आते-आते कृषि काफी विकसित और व्यवस्थित हो गया था। कृषि आय का प्रमुख स्त्रोत था। कृषि के देखरेख करने के लिए अलग विभाग ''सीताध्यक्ष'' की नियुक्ति हुई थी। विष्णुगुप्त की रचना 'अर्थशास्त्र' में कृषि के हर गतिविधि वनों को काटकर खेत बनाने, सिंचाई का प्रबंध करने का आदेश, गोबर खाद को खेतों में डालकर उर्वर बनाने का आदेश बीज प्रंस्करण आदि का उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर मौर्यो के काल में व्यवस्थित कृषि प्रणाली का विकास हो चुका था। मौयोत्तर काल में भी पंतजलि ने छोटे-बड़े हलों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। बीजों के बोने में हल के साथ हीं मुठिया के पास कीप लगी होती थी, जिससे बीज की बुनाई होते रहता था।

कृषि के भूमि का चयन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि की उर्वरता पर कृषि की सफलता निर्भर करती है। गुप्तकाल के प्रमुख विद्वान अमरसिंह ने 'अमरकोष' में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया,[6] ये है - उर्वरा, उषर (शुष्क), मरू (मरूभूमि), अप्रहत (बिना जोती हुई), शाद्धल (घास का मैदान), पंकिल, जल प्राय अनूप (किसी जल भाग के पास की भूमि), कच्छ (जल जमाव की भूमि), नदीमात्रक (नदी से सींची गई भूमि), एवं देवमात्रक (वृष्टि बहुल क्षेत्र)। गुप्तकालीन रचना नारद स्मृति में भी तीन प्रकार की भूमि

की चर्चा किया है। अगर वर्ष में एक बार खेती होती थी, उसे 'अर्द्धखिल' कहा जाता था, यदि 3 वर्षों तक लगातार खेती नहीं होती, उसे 'खिल भूमि' कहते थे। जो कभी जुताई नहीं होती थी, उसे 'अप्रहत भूमि' कहा जाता था।

अन्य गुप्तकालीन अभिलेखों में दो प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। प्रथम निजी स्वामित्व वाला भूमि, लेकिन खेती किसी अन्य लोग से करवाता हो ऐसी भूमि को 'शतक' भूमि कहा जाता था, जबकि दूसरी 'कृषि भूमि' उसे कहा जाता था, जिस पर किसान स्वयं खेती करता था और स्वामित्व भी उसके पास होता था।

खेतों की जुताई हल-बैल के द्वारा किया जाता था। अमरकोष में हल के विभिन्न भागों का उल्लेख किये है, जैसे-हल का फाल (पीन), पाल (बैलों के कंधे पर रखे लम्बी लकड़ी), मुठिया, ईस आदि। खेतों की जोताई कई बार किया जाता था। मिट्टी से घास हटाने तथा मिट्टी को हल्का करने के लिए बार-बार जोताई करते थे। गुप्तकालीन साहित्य अमरकोश के अनुसार तीन अथवा चार बार हल चलाना खेत के लिए अच्छा होता था। भूमि को समतल करने तथा ढेले को फोड़ने के लिए एक लम्बे चपटे भारी काठ का पारा (चौकी) लगभग 6-7 ईच चौड़ी तथा 6-7 फुट लम्बी होती थी।

गुप्तकालीन कृषि की तकनीक, बीजों के बोने किस नक्षत्र में खेती की शुरूआत करने, मिट्टी का चयन करने, बगीचा लगाने का विस्तृत जानकारी वराहमिहिर की रचना बहुत 'वृहतसंहिता' से मिलता है। वराहमिहिर ने ग्रह - नक्षत्रों के आधार पर कृषि व खेती कार्य शुरू करने तथा ग्रह - नक्षत्रों में वर्षा की मात्रा, अन्न की उत्पादकता पर पड़े प्रभावों को विस्तारपूर्वक उल्लेख किए हैं। जैसे वे लिखे है कि जिस समय सूर्य, वृश्चिक राशि में गमन करे। उस समय जो कुंभ में वृहस्पति, वृक्ष में चन्द्रमा और मंगल व शनि यदि मकर राशि में हो तो अन्न भलीभांति से होता है। इसी तरह लिखा है कि मेषादि तीन राशियों में स्थित सूर्य शुभ ग्रह करके युक्त हो तो ग्रीष्म की खेती समर्थ हो और इतना सस्ता अन्न रहे कि आदमी धन से परिपूर्ण रहे और लोक परलोक तक धन्न की चिंता न होवे।

वराहमिहिर ने कृषि के लिए उपयुक्त भूमि के विषय में लिखा है कि पत्थरों से रहित, कोमल मिट्टी वाली जमीन अच्छी होती थी। उन्होंने लिखा है कि बगीचा लगाने के लिए जमीन का चुनाव करने के पहले वहाँ तिल बोया जाता था। जब तिल की फसल में फूल आ जाता था, तब खड़ी फसल समेत हीं खेतो की जुताई करवायी जाती थी और फिर बगीचे के लिए पेड़ लगाए जाते थे।[7]

दूर्वावीणसंयुक्ता सानूपा मृदुमृत्तिका:।
तत्र वाण्य: शुभावृक्षा: सुगन्धिकल शाखिन:।।

शायद आज के वैज्ञानिक सोच पर आधारित था, जैसा कि आजकल खेतों में ढैचा, मूँग जैसे दलहनी फसलों (जिसके जड़ो में राइजोबियम होता है) को खेतो में लगाते है, फिर उसे खेतो में लगे ही जुताई कर देते है। वृक्षारोपण करने के पहले भूमि को समतल कर लेने का उल्लेख मिला है।

कलम विधि:- वृहतसंहिता में पौधों की कलम लगाने की विधि का भी उल्लेख किया है।[8] उन्होंने कटहल, अशोक, केला, जामुन, लीची, अनार, नींबू आदि की टहनियों को सफाई से काटकर गोबर मिट्टी का लेप लगाकर कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता था, फिर नियमित रूप से सिंचाई भी किया जाता था, कुछ दिनों के बाद मिट्टी-गोबर लगे स्थान से काटकर स्वतंत्र रूप से वृक्ष लगाने का उल्लेख किए है। यानि वराहमिहिर पौधों के कलम लगाने के विधि का उल्लेख किए है। कलम दो प्रकार से लग सकती है (1)एक पौधे की काटी डाली दूसरे पोधे की जड़ में आरोपण करके अथवा (2)यह कटी डाली दूसरे पौधे के स्कन्ध में आरोपित करके (मूलोच्छेदेड़थवा स्कन्ध रोपणीया: परंतत:) उन्होंने इमली के बीज के अंकुरन और पेड़ लगाने की विधि का भी उल्लेख किए हैं।[9]

''एते. द्रुमा: काण्डरोण्या: गोमयेन प्रलेपित:''

वृहत संहिता में इमली के पेड़ लगोन के विधि पर प्रकाश डाला है, जिसमें लिखा है कि उड़द, तिल और काले माष के आटे में सड़ा हुआ मांस मिलाकर उसमें इमली का बीज रखकर बोया जाता अथवा इन्हीं चीजों से सींचकर करने से बहुत कठोर परत वाला इमली का बीज अंकुरित हो जाता था।

उन्होंने लिखा है कि जिन वृक्षों की टहनियाँ नहीं लगती थी या जिस पेड़ा का कलम नहीं लगता था, उन्हें माघ या फाल्गुन के महीनों में रोपा जाता था।[10] पौधों या कुछ बड़े पेड़ वृक्ष को दूसरी जगह लगाने से पूर्व घी, खसखस, शहद, दूध गोबर इन सबका मिश्रण बनाकर जड़ से लेकर तने एवं शाखाओं तक लगाकर, दूसरे स्थान पर ले जाकर लगाया जा सकता था।[11] गर्मी के मौसम में शाम और सबरे सिंचाई की जाती थी। ठंड के मौसम में एक दिन छोड़कर एवं वर्षा ऋतु में सूखी जमीन देखकर आवश्यकतानुसार सिंचाई की जाती थी।[12] पौधों को रोपने के पहले गद्दे तैयार कर लेना चाहिए। गद्दों की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई एक हाथ से अधिक होनी चाहिए। गद्दे के सुख जाने पर गोबर खाद, राख, अस्थि उन्होंने पेड़ को लगाने के बीच की दूरी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि दो पेड़ों के बीच 20 हाथ या 16 हाथ या 12 हाथ की दूरी पर लगाने का निर्देश दिया है। इस दूरी का पालन करते हुए वृक्ष लगाने पर वृक्ष क्रमश: उत्तम, मध्य और निम्न फलीभूत होता है। इस अनुपालन करने से वृक्षों की वृद्धि स्वतंत्र रूप से हो सकता था। क्योंकि बहुत पास पेड़ लगाने से उसकी जड़ें आपस में उलझती है। उनके पत्ते एवं टहनियाँ भी आपस में टकराते थे। अधिक सटा हुआ वृक्ष

लगाने से वृक्ष का विकास नहीं हो पाता था, वृक्ष अच्छी तरह से फलते-फूलते नहीं है।[13] आज भी वृक्षारोपण में इस बातों का ध्यान रखा जाता है।

खाद:- वृहतसंहिता में जैविक खाद बनाने की विधि का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लता, फल, फूल आदि के लिए आवश्यक खाद बनाने की विधि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक आढ़क तिल (4 किलो), जौ का आटा, एक तुला (5 किलो), गौ मांस को एक द्रोण, पानी (16 किलो) के साथ मिलाकर सात दिन तक छोड़ दे तो जैविक खाद बन जाता था और बने हुए खाद को पौधों के जड़ों में डालने से आश्चर्यजनक लाभ होता है और पौधों मे काफी फल-फूल और बीज लगते है।[14] वृहतसंहिता के 54वें अध्याय में लिखा गया है कि उत्तरा रोहिणी, अनुराधा, चित्रा, मृगशिरा, रेवती, मूला, विशाखा, तिष्य, श्रवण अश्वनी और हस्त नक्षत्रों में वृक्ष लगाना उपर्युक्त समय है। वही धान की खेती एक स्थान से दूसरे स्थान में रोपन करने के शुभ नक्षत्रों के विषय में लिखा है कि हस्त, चित्रा, स्वाती तीनों उत्तरा मूल, घनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा, पृष्य, अश्विनी नक्षत्र उपर्युक्त हे।[15] गुप्तकालीन रचना विष्णु पुराण (7/36-39) में धान के पौधे के सम्बन्ध में अंकुर, मूल, नाल, पत्र, पुष्प, क्षीर तुष, कोष, बीजकोश, तण्डुल और कण इतने अंगों का उल्लेख है।

वराहमिहिर ने पौधों के रोगों के निदान या वृक्षायुर्वेद के विषय में भी उल्लेख किया है। उनका मानना था कि अधिक सर्दी से पौधों में रोग पैदा होता है। रोगग्रस्त वृक्षों के शाखा की शल्य चिकित्सा किये जाने का उल्लेख मिलता है। तेज धारदार हथियार से रोगग्रस्त अंग या टहनी आदि को काटकर हटा दिया जाता था और उस स्थान पर घी, गोबर तथा मिट्टी के लेप बनाकर लगा दिया जाता था।

सिंचाई - बीजों को पनपने व अंकुर के लिए जल की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए जल महत्त्वपूर्ण है। जल के अभाव में कृषि की उर्वरता की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि गुप्तकाल में कृषि की सफलता के सिंचाई का समुचित प्रबंध किया था। स्वर्णयुगीन भारत के सिंचाई का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है कि 'कृषि सिंचाई की सहायता से अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न करती थी।[16] गुप्तकालीन विद्वान वराहमिहिर ने कृषि व रोपे गये वृक्षों की जड़ों को ऋतुगत सींचने की सलाह दी है।[17]

सायं प्रातश्च धर्मत्तो शीतकाले दिनान्तरे।
वर्षायु च भुवः शोसे सेक्तव्या रोपिता द्रुमाः।

अर्थात् गर्मी में सुबह-शाम, जाड़े में केवल दिन में और बरसात में जब कभी मिट्टी सूख जाये तो सिंचाई करनी चाहिए। वृक्षों को सींचने के लिए उनके चतुर्दिक घेरे बना दिये जाते थे, जिन्हें अमरकोष में 'आवाल' या 'आवाष' कहा गया।[18]

इस प्रकार कृषि की सफलता या फलों के आकार में वृद्धि या बीजों के अंकुरन होने के लिए जल व सिंचाई की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

गुप्तकालीन सिंचाई व्यवस्था को दो वर्गो में बाँटकर अध्ययन किया जा सकता है, प्रथम - प्राकृतिक सिंचाई व्यवस्था, द्वितीय - कृत्रिम सिंचाई प्रबंध

प्राकृतिक सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत प्रकृति के द्वारा वर्षा जल से सिंचाई की जाती है, जैसे-वर्षा, नदी, झील, झरने आदि। कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत मानव श्रम के द्वारा निर्मित सिंचाई साधनों कूप, नहर, तलाब, बावड़ी और जलाशय आदि प्रमुख थे। गुप्तकाल में इन सभी जल स्त्रोतों व साधनों से सिंचाई होती थी। हालांकि सिंचाई तकनीक पर निर्भरता कम थी। इसलिए लोग अभी भी वर्षा जल पर निर्भरता थी। जैसा कि वराहमिहिर ने वर्षा जल के विषय में लिखा है कि

अन्नं जगतः प्राणाः प्रवृद्कालस्यचान्नमायत्तम्।
यस्मादतः परीक्ष्यः प्रावृतकालः प्रयत्नेन।।

अर्थात संसार का प्राण अन्न है और अन्न वर्षा ऋतु के अधीन है।[19] गुप्तकालीन रचनाओं में गुप्तकालीन भारत में होने वाले वर्ष में दो बार वर्षा होने का उल्लेख मिलता है। वराहमिहिर ने अपनी रचना में गुप्तकालीन भारत के कुछ भागों में होने वाले तीन मानसूनी वर्षा होने का जिक्र किए है।[20] साथ हीं इन तीन मानसूनी वर्षा के समय तीन फसलों व ऋतुकालीन फसलों का उल्लेख किए है। यानि वर्ष में होने वाले तीन वार्षिक फसलों का उल्लेख किए है। जैसे प्रथम- ग्रीष्म, दूसरा- शारदीय, तीसरा- वासन्तिक का उल्लेख किए है।

भागनोरलिप्रवेशे केन्द्रैस्तस्माच्छुमग्रहाक्रान्तैः।
बलवक्षिः सौम्यैर्वा निरीक्षिते ग्रैष्मिकविवृद्धिः।।

अर्थात् सूर्य के वृश्चिक में प्रवेश होने के समय सूर्य से केन्द्र स्थान (वृश्चिक कुम्भ, वृष और सिंह) में शुभ ग्रह हो। जहां कही पर (केन्द्र से इतर स्थान) स्थित बलि शुभ ग्रहों से वृश्चिकगत सूर्य देखा जाये तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाले धान्यों की वृद्धि होती है।[21]

अष्टमराशिङ्गतेडके गुरूशशिनोः कुम्भसिंहसंस्थिङ्गतयोः।
सिंहघट संस्थ्योर्वा निष्पति ग्रीष्म सस्यस्य।।

इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु में होने वाले धान्यों की खेती का उल्लेख मिलता है।

वृहतसंहिता के शुक्राचारध्याय में वर्णित है कि–

सौम्योडरतोदययो: पुरो भृगसुतस्या वस्थितस्तोयक
द्रोगान् पित्त जकामलांश्च कुरूते पुष्पाति च ग्रैष्मिकान।।[22]

इस श्लोक में गुप्तकाल में ग्रीष्मकालीन धान्यों की खेती का उल्लेख मिलता है। इसी तरह वृहत संहिता में एक श्लोक आता है –

अष्टभराश्जिगतेडर्के गुरूशिशनो: कुम्भसिंहसंहिस्थ्ज्ञतयो:।
सिंहघट संस्थयोर्वा निष्पति ग्रीष्मसहस्य।।[23]

उपरोक्त श्लोक में भी ग्रीष्म ऋतु में होने वाले धान्य की खेती का उल्लेख किए है इससे साबित होता है कि गुप्तकालीन में ग्रीष्म वर्षा से होने वाले वर्षा से धान्य की खेती होती थी।

वृहतसंहिता के वातचक्राध्याय में वर्णित है कि शारदीय ऋतु में भी धान की खेती होती थी। श्लोक इस प्रकार है कि –

पूर्व: पूर्व समुद्र वीचि शिखर प्रस्फालना घूर्णित
वासन्तोरकट सस्यमण्ड'ततला' सर्वा मही शोयते।।[24]

इस श्लोक में शारदीय धान्यों की समृद्धि से मण्डित और वसन्त ऋतु के अति समृद्धियुक्त धान्यों से भूषित सारी पृथ्वी शोभित होती है।

यानि गुप्त काल में साल में तीन समय या तीन ऋतुओं में धान की खेती करने का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल से चली आ रही मान्यता कि यज्ञानुष्ठान से वर्षा जल होती है, गुप्तकाल में भी यज्ञानुष्ठान से वर्षा जल की कामना करने का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम् में यज्ञानुष्ठान से होने वाले जल वृष्टि का उल्लेख किए है।[25] विभिन्न प्रकार के यज्ञों का प्राय: अनुष्ठान होता रहता था, वह भी वर्षा जल के लिए। इन अनुष्ठानों से प्रसन्न होकर देवगण जलवर्षा करके प्रजा को तृप्त करते थे।

यज्ञैशप्यांयिता देवातुष्टमुत्सर्गेण वै प्रजा:।

रघुवंशम में यह भी उल्लेखित है कि सूर्य उत्तरायण होकर अपनी तेज किरणों से पृथ्वी का जो जल खीचता है[26], उसको सहज गुना बनाकर वह पुन: पृथ्वी पर वर्षा देता है[27] कालिदास वर्षा जल के विषय में आगे लिखते है कि मेघ पृथ्वी से जल लेकर पुन: पृथ्वी पर वर्षाते है। कालिदास की रचना मेघदूत में वर्षा जल की कामना करते हुए यज्ञ बादल से कहता है कि हे मेघ! खेती का होना या न होना सब तुम्हारे पर हीं निर्भर है। इसलिए किसानों की स्त्रियाँ भी तुम्हे बड़े प्रेम और आदर से देखेगी। गुप्तकाल के किसानों के लिए जल का कितना महत्त्व था, इसकी वर्णन कालिदास ने इस प्रकार किया है कि किसान कृषि कार्य के लिए वर्षा की शुरूआत का बड़ी उत्सुकता और से बेसब्री इंतजार करते रहता था। अकाश में बादल घिरने से हीं किसान खुश हो जाते थे और वर्षा ऋतु की प्रथम बूँद के पड़ते हीं लोक खेतों की जुताई और बीज डालना शुरू कर देते थे। मेघदूतम् में कालिदास ने वर्णन किया है कि मालव प्रदेश के ग्रामीण स्त्रियाँ वर्षारम्भ की प्रतीक्षा करते रहती थी, ताकि जीवन निर्वाह के लिए खेती की जा सके। स्पष्ट है कि बादल को यज्ञ का दूत बनाकर भेजते समय भी कवि ने कृषि के लिए वर्षा की कामना करते हुए मालव प्रदेश के खेतों से होकर हीं अपने गतव्य तक जाने के लिए मेघदूत को कहा।

कालिदास ने वर्षा जल के कारणों का भी उल्लेख किए है। एक तो कालिदास ने यज्ञानुष्ठान के बद जल वृष्टि का उल्लेख किए है, दूसरी ओर उन्होंने अनेक स्थलों पर जल देवता इन्द्र को हीं वर्षा का कारण माना है और उन्होंने यह भी वर्णन किया है कि इन्द्र की आज्ञा से हीं मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करते है।[28] कालिदास ने कृषि के लिए वर्षा जल की कामना करते हुए लिखे है कि अग्नि सूर्य के लिए के लिए जो आहूत दी जाती है, उसे तुम धरोहर की भाँति लेकर उन्हें दे देते हो, सूर्य उन्हें बादल बनाकर वर्षा करते है जिससे अन्न पैदा होता है और फिर उसी अन्न से संसार के सभी प्राणियों का पेट पालन होता है और सारे संसार के पिता तुम ही हों। यानि कृषि के लिए वर्षा जल की महत्ता बतलाया है। गुप्तकालीन विद्वान कामंदक ने सूर्य को वर्षा का एकमात्र कारण मानते हुए कहा कि संपूर्ण संसार की इच्छा को जानता हुई सूर्य किरणें पृथ्वी से धरोहर के रूप में जल लेकर पुन: उसे वापस कर देती है। अत: सूर्य कृषकों का स्वामी है। इस प्रकार कालिदास, कांमदक, वराहमिहिर को सभी ने एक स्वर में वर्षा के पुन: चक्रण सिद्धांतो को समझाया है। कृषि के लिए वर्षा जल की महत्ता पर कालिदास के अलावे वराहमिहिर की रचना में भी मिलता है और लिखा है कि

अन्नं जगत: प्राणा: प्रावृत्कालस्य चान्नमायत्तम।
यस्मादत: परीक्ष्य: प्रावृट्काल: प्रयत्नेन।[29]

यानि संसार व मानव के लिए अन्न बहुत जरूरी है और यह अन्न वर्षा ऋतु के अधीन है। अत: वर्षा ऋतु की कामना करना चाहिए और खेती के लिए वर्षाऋतु की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

कालिदास ने वर्षा ऋतु या वर्षा जल के विषय में प्रंशसा की है। इन्होंने लिखा है कि बादल के गरजने मात्र से हीं धरती के उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, फिर उनका समयानुकूल एवं आवश्यक मात्रा में वर्षा करना तो कुछ और हीं महत्त्व रखता है। तब पृथ्वी हरी - भरी होकर लहलहा उठते है।[30] इन्द्र गोपों से भूमि ढंक जाती है। वन क्षेत्र हरियाली से खिल उठते है और विन्ध्य की उपत्यका नये पत्तों वाले वृक्षों एवं हरे घासों से भर जाती है तथा पर्वत जल प्रपात्रों से पूर्ण हो जाते है।[31] ग्रीष्म के ताप से तपी भूमि व पृथ्वी वर्षा की पहली बूँद को बड़ी उत्सुकता से ग्रहण करती है।[32]

कृषि व सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल संसाधनों में वर्षा का महत्त्व गुप्तकाल में तो था हीं, लेकिन इसके संग्रह करके नदी, तलाब, झरना से सिंचाई करने का प्रबंध काफी अच्छी थी। इस काल में नदियों के पास मानव वस्तियाँ होती थी। चूँकि नदियों का जल न सिर्फ खान-फान का साधन था, बल्कि वर्षाजल को रोक कर फसलों के सिंचाई का प्रबंध करते थे। गुप्तकालीन एक महत्त्वपूर्ण रचना 'अमरकोष' में नदियों के बारह नाम - नदी, सरित, तरंगिनी, सैवीलनी, तटिनी, हुदिनी, धुनी, स्त्रोतस्वती, दीपवती, स्वबन्ती, निम्नगा, आयगा आदि बारह नामों का उल्लेख मिलता है।[33]

कालिदास[34] ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सिंचित प्रदेशों (क्षेत्रों) का एक विस्तृत एवं रोचक विवरण दिया है।

गुप्तकाल में वर्षा एवं नदियों के अतिरिक्त सिंचाई हेतु प्राकृतिक साधनों के रूप में झीलों तथा झरनों के भी नाम मिलते है।[35] इस काल में सिंचाई सम्बन्धी व्यवस्था में झीलों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा था। प्राचीन काल में गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में उत्कीर्ण शिलालेख से तीन-तीन शासकों के द्वारा सिंचाई प्रबंध के तहत सुदर्शन झील से नहर निकलवाकर सिंचाई का प्रबंध किया था।[36] सर्वप्रथम मौर्य शासकों ने सिंचाई तथा बाढ़ के नियंत्रण के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के शासक काल में इण्डो-ग्रीक गवर्नर तुषष्क के देखरेख में सिंचाई नहर का निर्माण हुआ था। मौर्य स्थयज्ञ चन्द्र गुप्तस्था राष्ट्रि येन वैश्चेन पुष्पगुप्तेन अशोकस्थ।[37]

मौर्य स्थकृत यवनराजेन तुषा स्केनाधिष्दाय प्रणाली निलंकृत। जुनागढ़ अभिलेख से हीं पता चलता है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में आये आँधी - तूफान और स्वर्णसिक्का तथा पलासिनी नदी में आये बाढ़ के कारण सुदर्शन झील को नुकसान हो गया था। इस झील का जीर्णोद्धार रूद्रदामन ने करवाया था। इस जलाशय से जल निकासी के लिए चार सौ बीस हाथ लम्बी व गहरी नालियों का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी में इस झील का पुनः निर्माण गुप्त शासक स्कन्दगुप्त ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी में इस झील का पुनः निर्माण स्कन्दगुप्त ने करवाया था।[38] स्कन्दगुप्त के आदेश पर वहां के प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इस झील का मरम्मत करवाया था और इस झील के किनारे जल देवता विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था।

गुप्तकालीन कृत्रिम जल सिंचाई के साधानों में कुओं, तलाब और नहरों का निर्माण महत्त्वपूर्ण स्थान है। जो एक निश्चित गहराई तक निर्मित किये जाते थे। कूप (कुएँ) खोदने वाले को 'कूपखनक' कहा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से भी इस काल में निर्मित अनेक कुओं की पुष्टि होती है। यहां तक वराहमिहिर ने अपनी रचना में यह भी जानकारी मिलता है कि किस जगह में कुओं की खोदाई करने से कितनी गहराई में जल का स्त्रोत होगा या जमीन के अन्दर जल की स्थिति का विस्तृत विवरण मिलता है।

इसके अलावे गुप्तकालीन रचना 'बृहत्संहिता' में भूपर्वतो के नीचे जल के भंडार की संभावना का पता लगाने से सम्बन्धित अन्य वैज्ञानिक विधियों का उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा है कि भूपर्पटी पर चींटी के ढेर से संभावित जल का सीधा संबंध है। चींटी के बनाये मिट्टी के ढेर से हल्की मिट्टी और नमी होने से जल का संकेत मिलता है। वृहतसंहिता में लिखा है कि गर्मी के समय में जमीन गर्म हो, लेकिन आसपास में कही जमीन दंडी अथवा नमी हो, तो वहीं पानी मौजूद होने की संभावना होती है। वराहमिहिर ने अनेकों पेड़-पौधों का निरीक्षण कर अधिक जल की जरूरत वाले पेड़ों की सारणी बनाई और इस पौधों की बृद्धि के आधार पर भूगर्भ में जल की उपलब्धता के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बहुत अधिक शाखाओं वाले पेड़ों के पास जल की अधिक संभावना होने और वहाँ पर कुँआ खोदने की बात कही है। जहां काटेदार व झाड़ीदार पेड़-पौधों उगते हो, वहाँ जल की मात्रा कम होने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि 'मैडक' द्वारा कुँआ खोदते समय कहीं-कहीं पर श्वेत रंग का मिट्टी निकलता है, इसके बाद पीले रंग का मिट्टी फिर परतदार चट्टान के नीचे जल होता है। इस प्रकार 'वराहमिहिर' ने जल के संभावित भंडारों के विषय में जो वैज्ञानिक तर्क का उल्लेख किया है, उसका वर्त्तमान समय में वृहत संहिता के अनुसार जल का सर्वेक्षण किया गया, तो काफी हद तक सही साबित हुआ है।

रहट व घंटी सिंचाई यंत्र -

खेतों की उर्वरता के लिए सिंचाई महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई के लिए गुप्तकाल में विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है। गुप्तकाल में पहली बार घंटीयंत्र का प्रयोग करने का अभिलेखीय स्त्रोत मिला है। रहट यंत्र या घंटी यंत्र का प्रथम शिलालेखीय प्रसंग मन्दसौर शिलालेख (532 ई०) में मिलता है। रहट यंत्र के प्रयोग व आविष्कार से कृत्रिम जल संसाधनों से सिंचाई करना असान हो गया था।

गुप्तकालीन कवि कालिदास[39] की रचना से ''वारियंत्र'' नामक सिंचाई यंत्र का उल्लेख मिलता है, जो घूमने वाला फोब्बरा सिंचाई यंत्र था, जिससे बाग - बगीचों की सिंचाई की जाती थी। कुओं से जल भरने के लिए 'अष्मकचक्री (गंगटी) के प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है, जो एक तरह से चरखी या पुली था, जिसके माध्यम से बाल्टी को रस्सी के माध्यम से कुँओं के जल में डुबाया जाता था, फर चरखी के माध्यम से जल भरा हुआ बाल्टी को ऊपर खींचा जाता था, जिससे सिंचाई करना आसान हो गया था।

इसी प्रकार सिंचाई के लिए ढेष्कुली के प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है। ढ़ेकुली कुँआ के पास बॉस डंडा का खम्भा होता था, जो उत्तोलक के सिद्धात में कार्य करता है। ढ़ेकुली में बॉस के ऊपर वाला सिरा में रस्सी से बंधी रहती है, बाँस के नीचे वाले हिस्से में पत्थर या मिट्टी बाँध दिया जाता था। सिंचाई करने वाला व्यक्ति रस्सी को खींचकर नीचे ले जाता था, फिर पानी भरने के बाद ऊपर खीच लिया जाता था। पानी और बॉस के नीचे बंधे पत्थरों के वजन में संतुलन होने के कारण पानी खीचनें में भार कम महसूस होता था और किसान काफी देर तक सिंचाई कर सकता था।

निष्कर्ष - कुल मिलाकर गुप्तकाल कृषि काफी उन्नत अवस्था में थी और कृषि की सपन्नता से गुप्तकाल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, वाणिज्य - व्यापार, उद्योग-धंधे सभी उन्नत दशा में था। खासकर गुप्तकाल में कृषि कार्य वैज्ञानिक तौर - तरीकों पर आधारित था। कृषि की वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी गुप्तकालीन साहित्यक रचनाओं तथा ताम्रपत्र अभिलेखों से पता चलता है। गुप्त शासकों ने कृषि की सफलता या उवर्रता बढ़ाने के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध किया था। स्कन्दगुप्त के काल में नहरों का पुनरूद्धार करवाया। गुप्तकाल के अभिलेखों में वापी, तड़ाग, कूप आदि खुदवाने का उल्लेख है ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक पुण्य कार्य माना जाता था। राज्य के अलावे सक्षम व्यक्ति भी अपने खर्च पर सिंचाई के लिए भी ऐसे वापी, तड़ाग, कूप का निर्माण करते थे। गंगाधर लेख जो कि विश्ववर्मन का निजी लेख है, में उल्लेख मिलता है कि गर्गश्र नदी के तट पर स्थित नगर सिंचाई के कुँओं, तालाबों, मंदिरों, वापी और उद्यानों एवं दीर्घकाओं में अलंकृत था।

संदर्भ सूचि -

1. मनुस्मृति, 10/116
2. पराशर स्मृति, 2/16
3. कृषि पराशर, 6-8
4. इरफान हबीब, प्रागैतिहासिक, पृ० 70
5. अथर्ववेद 3/17/3
6. हिमांशु शेखर, आइडिया ऑफ भारत, पृ० 259-60
7. वृहत्संहिता, अध्याय 54, श्लोक 2 (संपा.) डॉ. सुरेश चन्द्र मिश्र, रंजन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997, पृ० 639
8. वृहत्संहिता, पूर्वोक्त, पृ० 54/6-3, पृ० 640
9. वृहत्संहिता, अध्याय 54, (सं०) सत्यप्रकाश, पूर्वोक्त, 249
10. श्री कृष्ण जुगनू, वृक्षायुर्वेद, पृ० - 95
11. वही, पृ० 93
12. वही
13. वही
14. वृहत्संहिता, 54/16, (संपा) सुरेश चन्द्र मिश्र, पृ० 639
15. श्री कृष्ण जुगनू, सत्यवेद, पृ० 75
16. भगवत शरण उपाध्याय, कालिदास और उसका युग, इलाहाबाद, 1956, पृ० 158-59
17. वृहत्संहिता, वृक्षायुर्वेदाध्याय, 9
18. अमरकोष, 1/29-30
19. वृहत्संहिता, गर्मालक्षगाध्याय 1
20. डॉ मनोज कुमार सिंह, भारत में जल प्रबंध, पृ० 68
21. वृहत्संहिता, भद्दोत्वलीय विवृत्याम् 40/1-12
22. वृहत्संहिता, शुक्राचारध्याय, 43
23. वृहतसंहिता, स्वातीयोगध्याय, 2
24. वृहत संहिता, वातचक्राध्याय, 1
25. रघुवंशम 1/62
26. रघुवंशम 4/66
27. रघुवंशम 1/18 एवं 10/58

28. रघुवंशम 9/3, 16/38, 17/81
29. वृहतसंहिता, गर्भलक्षणाध्याय, 1
30. अभिज्ञानशाकुन्तलम 6/24
31. ऋतुसंहार 2/16
32. कुमारसंभव 7/84
33. अमरकोष, 1 (संपा) मनोज कु० सिंह, पूर्वोक्त 74
34. भगवत शरण उपाध्याय, पूर्वोक्त, 22-23
35. मनोज कु० सिंह, वही, पृ० 75
36. वही
37. आर. के. मुखर्जी, चन्द्रगुप्त मौर्य एंड इज टाईन, पृ० - 145
38. शिवस्वरूप सहाय, भारतीय पुरालेखों का अध्ययन, गुप्त अभिलेख, पृ० - 220
39. रणवीर चक्रवर्ती, भारतीय इतिहास का आदिकाल, पृ० 238

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव

अमित कुमार

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम०एस०एम० समता महाविद्यालय, जंदाहा, वैशाली, बिहार

सारांश:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक संविधान की स्वीकृति ने भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म दिया जो न केवल उर्ध्वाधर आदेश पालन को ही स्वीकार करें बल्कि जमीनी स्तर पर क्षैतिजता का पालन करते हुए सभी को उसमें समावेशित करने का प्रयास करें। अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोक अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति दर्ज कर प्रभावी रूप से अपने आवश्यकता अनुसार न सिर्फ योजना का निर्माण करें अपितु शासन संचालन करते हुए पूर्णता तक पहुंचाएं। स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने ग्रामीणों, स्थानीय जनता की भागीदारी बढ़ाने, लोक कल्याणकारी योजना का सफल संचालन तथा स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही समाधान, आदि हेतु भारत के अन्य राज्यों की भांति बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947, बिहार विधान मंडल द्वारा पारित किया गया। जो की परिवर्तित क्रम का अनुपालन करते हुए डॉ०एल एम सिंघवी समिति के रिपोर्ट तथा अनुशंसा के आधार पर 1992 में संविधान के 73वे संशोधन को पारित किया गया और पंचायती राज को एक संवैधानिक आधार प्रदान किया। परिस्थितिकीय परिवर्तन ने 1991 में ही उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत भी अछूता न रहा। वैश्वीकरण ने जहां लोक प्रशासन के महत्व को तो बढ़ाया किंतु वैश्वीकरण के चलते उसके लोक कल्याणकारी विशेषताओं को चुनौतियां भी दी और लोक सुरक्षा की अवधारणा में भी बदलाव लाया है। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को नियामकीय व्यवस्था को अपनाना पड़ रहा है। राज्य उत्पादक गतिविधियों को छोड़कर सामाजिक और आधारभूत सेवाओं को अपनी प्राथमिकता मान रहा है। परिणाम स्वरूप राज्य का झुकाव विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने पर हो गया है। वैश्वीकरण का प्रभाव पंचायती राज व्यवस्था पर न सिर्फ गहरी छाप छोडा है बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी है। वैश्वीकरण के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार आया है ऐसे में इसके प्रभाव का अध्ययन समाचीन प्रतीत होता है।

कूट शब्द- विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता, लोक प्रशासन, लोक कल्याणकारी, समावेशी, स्थानीय प्रशासन, वैश्वीकरण।

प्रस्तावना:

वास्तविक लोकतंत्र से तात्पर्य शासन प्रशासन में अधिक से अधिक जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना या कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था के सबसे निचली सत्ता अर्थात लोकसत्ता को ऊपरी स्तर तक जोड़ना है। ऐसी भागीदारी की संकल्पना तभी साकार रूप ले सकती है जब शक्तियों का विभाजन राज्य से जिला में, जिला से प्रखंड में और प्रखंड से पंचायत गांव स्तर तक विकेंद्रीकृत हो। भारत के संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के तहत पंचायती राज तथा उसके विभिन्न संस्थाओं को भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त हो गई है। पंचायत प्रणाली में 3 स्तर के प्रतिनिधि शासन की बात है।किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है उनके लिए मध्यवर्ती स्तर आज्ञापरक नहीं है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहां जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में मध्यवर्ती पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में संस्थाएं होगी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। 73 वा संविधान संशोधन विकेंद्रीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई। वर्ष 1992 से मात्र एक वर्ष पूर्व ही वर्ष 1991 में एक और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भारत द्वारा लिया गया जिसमें भारत के सभी प्रशासनिक स्तर को प्रभावित किया वह नीतिगत निर्णय था उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। वैश्वीकरण ने पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप तथा दायरे में एक आदर्श बदलाव लाया है। आज वैश्वीकरण ने हर क्षेत्र में मानवीय क्रिया को प्रभावित किया है। पहले दुनिया के देश या एक ही देश के लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतने अधिक आत्मनिर्भर नहीं थे, एक ही गांव अपने आप में एक अलग दुनिया थी। पिछले 35 वर्षों में स्थानीय और वैश्विक लोग एक कड़ी में बंध गए हैं। वैश्वीकरण का स्थानीय प्रशासन पर प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है, जो स्थानीय प्रशासन के संपूर्ण कार्य प्रणाली, संरचना और भूमिका को गंभीरता से प्रभावित किया है।

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का एक सामान्य विवेचन :

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के साथ ही राज्य के सभी जिलों में एक समान संरचना, चुनाव, आरक्षण नियमों का अनुपालन विशेष कर महिला आरक्षण तथा पांच वर्षों पर वित्त आयोग का गठन द्वारा निधियों के नियमित प्रवाह की एक निश्चित प्रणाली को स्थापित किया गया। 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को ऐसी शक्तियां, कार्य तथा उत्तरदायित्व को सौंपना था जो विकेंद्रीकरण के मूल उद्देश्य की पूर्ति करने के साथ ही स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सके। विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं को भारत में भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के लिए योजनाएं बनाना तथा उन्हें लागू करना।

तत्पश्चात, बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राजा अधिनियम 1993 अधिनियमित, किया जो कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तथा बिहार में पंचायती राज संस्थान के एक त्रिस्तरीय प्रणाली यथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। सर्वोच्च स्तर पर बिहार में पंचायती राज विभाग का गठन किया गया है जो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों संस्थाओं के कार्यों का अनुश्रवण, समन्वय एवं निर्देशन करता है। इसमें पंचायती राज मंत्री निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और विभाग के प्रमुख होते हैं वहीं प्रधान सचिव विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष पंचायत समिति स्तर पर प्रमुख तथा पंचायत स्तर पर मुखिया निर्वाचित जन प्रतिनिधि होते हैं जिनकी सहायता प्रशासनिक स्तर पर क्रमशः उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा पंचायत सचिव कार्यकारी प्रधान के रूप में करते है।

बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य एवं शक्तियां :

राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत संविधान राज्य को ग्राम पंचायत को गठित कर उन्हें आवश्यक कार्य, शक्ति एवं स्वायत्त प्रदान करने का आदेश देता है जिससे की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें महत्वपूर्ण स्वशासी इकाई बनाया जा सके। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 प्रावधान करता है कि राज्य सरकार निम्नलिखित शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व को पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान करें।

- सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को तैयार करना।
- सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन उन्हें सौंपा जाना।
- पंचायत द्वारा करारोपण की शक्तियां तथा उनकी सभी राशियों को जमा करने हेतु निधियों का गठन करना।

इसके अलावा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 22, 47 एवं 73 क्रमशः ग्राम पंचायत,पंचायत समिति एवं जिला परिषद की शक्तियों एवं कर्तव्यों की प्रकृति का वर्णन करता है।

वैश्वीकरण का पंचायती राज संस्थाओं पर प्रभावः

वैश्वीकरण एक बहुमुखी घटना है।वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों और समाजों के बीच सहयोग और अंतः संबंधों की विविधता का परिणाम है। वैश्वीकरण को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिसके लिए वैश्विक परिदृश्य के भाग में होने वाली घटनाएं, निर्णय और गतिविधियां दुनिया के सुदूर भागों में व्यक्तियों और समाज के लिए महत्वपूर्ण परिणाम तैयार करते हैं। वैश्वीकरण ने राज्य, नागरिक समाज और स्थानीय प्रशासन को अत्यधिक विस्तार से प्रभावित किया है।

वैश्वीकरण उतना ही राजनीतिक तथ्य है जितना वह आर्थिक। यह प्रभुता संपन्न सरकार, निजी निगमों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं यथा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के जटिल समझौते से प्रभावित है। वैश्वीकरण नव उदारवादी नीतियों द्वारा संचालित होता है जिसका उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के माध्यम से पूंजीपतियों का विस्तार है। वैश्वीकरण का प्रभाव को प्रायः राज्य की भूमिका को घटाने या कम करने के रूप में देखा जाता है। जब राज्य की भूमिका कॉर्पोरेट होती है तो जनता और स्थानीय प्रशासन के क्रियाशीलता का क्षेत्र का बढ़ना आवश्यक प्रतीत होता है।

बिहार के पंचायती राज व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। वैश्वीकरण के इस युग में पंचायती राज संस्थाओं को अपनी पारंपरिक कार्यो तक ही सिमटना संभव नहीं है। अब उन्हें वैश्विक स्तर पर बढ़ते दबाव का भी सामना करना पड़ता है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों पर सबसे

महत्वपूर्ण प्रभाव आर्थिक विकास का रहा है। वैश्वीकरण ने नए बाजारों तक पहुंच सुलभ कर दिया है। फलस्वरुप ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बाजार मिला है। इससे लोगों की आय बढ़ी है वहीं विदेशी निवेश की संभावनाएं भी बढ़ी है। कृषि व्यवसाय और स्थानीय शिल्प वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण इस बात का उदाहरण है की कैसे वैश्वीकरण ने ग्रामीण बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। ऐसे में पंचायती राज्य व्यवस्था का दायित्व बनता है कि वह वैश्विक मानकों को अपनाते हुए स्थानीय नीतियों को अधिक प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से समावेशी बनने पर जोर दे साथ ही गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई को भी कम करने का प्रयास करे।

वैश्वीकरण ने पंचायती राज व्यवस्था के प्रशासकीय स्वरूप में परिवर्तन लाया है। वैश्वीकरण की नीतियों के प्रभावस्वरूप अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वैश्वीकरण की प्रकृति तकनीकी है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज संस्थाएं भी तकनीक के प्रयोग पर जोर दे रही है। सभी पंचायत में कंप्यूटर का प्रयोग तथा कार्यालय को पेपर लेस बनने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के सभी पंचायत में लोक सेवा केंद्र, भूमि संबंधी विवादों का ऑनलाइन निष्पादन, लेनदेन का डिजिटल होना, पंचायत से मिलने वाली सुविधाएं यथा वृद्धा पेंशन सामाजिक पेंशन का ऑनलाइन भुगतान को प्रेरित किया गया है। फल स्वरुप कार्य की गुणवत्ता में सुधार एवं सटीकता आई है वहीं भ्रष्टाचार और लेटलातिफी में कमी आई है। कृषि उत्पादकता में सुधार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण इस तकनीकी प्रवाह के प्रत्यक्ष परिणाम हैं।

पंचायती राज संस्थाओं पर वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है पंचायत के बुनियादी ढांचे में प्रगति करना। बेहतर सड़के, बिजली तक बेहतर पहुंच, दूर संचार में प्रगति और कनेक्टिविटी को बढ़ाना पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिकता रही है। जिसके परिणामस्वरूप बाजारों और सेवाओं तक बेहतर पहुंच की सुविधा मिल रही है। फलस्वरुप आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। पंचायत में अब चिकित्सा सुविधा और शैक्षणिक संस्थानों तक बेहतर पहुंच है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और साक्षरता दर में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर की संस्थाएं जैसे यूनिसेफ, डब्ल्यू०एच ०ओ०,डब्ल्यू० एल० ओ०आदि अपनी टीमों के माध्यम से पंचायत स्तर पर उपलब्ध बुनियादी ढांचे और मिल रही सुविधाओं का आकलन कर अपनी रिपोर्ट देती है। इन वैश्विक संस्थाओं द्वारा पंचायत को अनुदान हेतु मदद पहुंचाई जाती है। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं कि यह जवाबदेही और दायित्व बनता है कि वैश्विक मानकों के अनुकूल अपनी पंचायत को तैयार करें।

वैश्विक विचारों के निरंतर संपर्क में आने से भारतीय गांव में सामाजिक सुधारो को उत्प्रेरित किया है। यही कारण है कि पंचायती राज संस्थाओं ने अस्पृश्यता के उन्मूलन, जातिवाद और आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत बिहार में पंचायती राज में 50% सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यह अपने आप में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिल का पत्थर है। इसके अतिरिक्त वैश्विक मानव अधिकार आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन के प्रभाव ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय के विरुद्ध जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ाया हैं फलस्वरुप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन आए है।

निष्कर्ष :

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पाठ पढ़ाए हैं। यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए विशेष मायने रखता हैं। यह इस बात पर बल देता है कि प्रशासन के देशी स्थानीय व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करने व मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। साथ ही वैश्वीकरण के नवरुझानों के अनुरूप ढालने की जरूरत है। वैश्वीकरण ने भारतीय गांव पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और सामाजिक उत्थान जैसे सकारात्मक प्रभाव उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी कि इससे उत्पन्न चुनौतियां, जैसे: सांस्कृतिक क्षरण, बढ़ती असमानता और पर्यावरण क्षरण, सामाजिक विभाजन, स्थानीय प्रशासन की संप्रभुता तथा निर्णय लेने की क्षमता में कमी शामिल है। यह जरूरी है कि हम भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रभाव और स्थानीय जरूरत के बीच संतुलन बनाएं। स्थानीय प्रशासन के कार्यकारी रूप में पंचायती राज संस्थाओं का इस संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्वीकरण स्थानीय प्रशासन के लिए एक जटिल और गतिशील बड़ी दृश्य बनता है जिसमें विभिन्न चुनौतियां और अवसर एक साथ मौजूद है।

संदर्भ सूची:

1. लक्ष्मीकांत, एम, भारत की राजव्यवस्था, M c Graw hill Education, चेन्नई, 2017, पृष्ठ 38.5 38.20।
2. सिन्हा, मनोज "समकालीन भारत एक परिचय", ओरियंट ब्लैकस्वान।

3. भट्टाचार्य, मोहित" लोक प्रशासन की पुनर्संरचना संबंधी आलेख, जवाहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली,2006, पृष्ट 48।
4. शर्मा, ब्रजकिशोर ,भारत का संविधान एक परिचय, PHI लर्निंग, नई दिल्ली। पृष्ठ 277-280
5. झा, चेतकर, भारतीय स्थानीय स्वशासन, नावेल्टी एण्ड कंपनी, पटना, तेरहवां संस्करण।
6. ठचाळ 172, शासन मुद्दे और चुनौतियां, इग्नू इकाई 13, विकेंद्रीकरण और स्थानीय प्रशाशन, पृष्ठ 195 -210।
7. हवाई सिंह गोठवाल, भारतीय समाज में परिवर्तन के विशेष संदर्भ में वैश्वीकरण, IJCRT, Volume 12,पेनम 6 रनदम 24, ISSN 23202882।
8. बीपीएससी 114, इग्नू, लोक प्रशाशन में समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां, पृष्ट 13-27,73-89।
9. डॉ० एम आर, श्रीनिवास मूर्ति, सामाजिक बदलाव के लिए लोक प्रशाशन, योजना अगस्त 2020,पृष्ठ 20
10. नायर, बलदेव राज, "वैश्वीकरण और भारतीय राजनीति", ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस,2022।
11. सारस्वत, राधा उदारीकरण और भूमंडलीकरण का नौकरशाही पर प्रभावष्डब्ल्यू. डब्ल्यू.जीएमआरडी 2015 ।
12. यादव, चतुर्भुज "भारतीय नौकरशाही वह प्रशासनिक संस्कृति का बदलता स्वरूप", आई. जी.आर.एस.सी.वॉल्यूम 9 यीशु 1 जनवरी 2019।

शिक्षा में नवाचार

डॉ० रणधीर सिंह

प्रधानाचार्य, उद्योग विद्यालय इण्टर कालेज कोयलसा, आजमगढ़

नवाचार -

नवाचार का अर्थ किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। नवाचार के अन्तर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नयी विधि, नयी तकनीक, नयी कार्य पद्धति, नयी सेवा, नया उत्पाद आदि। नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है।

माइलैक्स एम. बी. के अनुसार-"नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है, जो समझ-बूझकर किया गया है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन, अन्य विधिओं की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है।"

शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नये नये साधन एवं विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। नवाचार आंग्ल भाषा के इन्नोवेशन (Innovation) शब्द से बना है। जिसकी उत्पत्ति इन्नोवेट (Innovate) शब्द से हुई है।

रचनात्मकता और नव प्रवर्तन न केवल शैक्षणिक और करियर की सफलता के लिए बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो उनमें आत्म-अभिव्यक्ति की भावना और अपनी क्षमताओं में आत्म विश्वास विकसित होता है। आज के परिवेश में अनुकूलन शीलता और लचीलापन आवश्यक है, जो लगातार बदल रहा है। छात्र नए विचारों को अपनाने, मौके लेने और विभिन्न परिस्थतियों के अनुकूल ढलने के लिए प्रोत्साहित होकर इन कौशलों के विकास में तेजी ला सकते हैं। नवाचार, कल्पना शीलता और रचनात्मकता, छात्रों को ऐसा करने में मदद करती है।

व्यक्ति एवं समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है। शिक्षा को समयानुकूल बनाने के लिए शैक्षिक क्रिया कलाओं में नूतन प्रवृत्तियों ने अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध इन्हें कर दी है। शैक्षिक नवाचारों का उदभव स्वत: नहीं होता वरन खोजना पड़ता है तथा सुनियोजित ढंग से इन्हें प्रयोग में लाना होता है, ताकि शैसिक कार्यक्रमों को परिवर्तित परिवेश में गति मिल सके और परिवर्तन के साथ गहरा तारतम्य बनाए रख सके। इस प्रकार नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है, जो नवीन और वर्तमान का गुणात्मक स्वरूप है। नवाचार की विशेषताएं-

1. नवाचार एक नवीन विचार है।
2. नवाचार में कोई नवीन विशेषता पाई जाती है।
3. नवाचार एक उद्देश्य पूर्वक किया जाने वाला कार्य है।
4. नवाचार को सोच-विचार कर प्रयोग में लाया जाता है।
5. नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है।
6. चलित विधियों की अपेक्षा नवाचार को अधिक अच्छा माना जाता है।
7. नवाचार खोज पर आधारित होता है।
8. नवाचार अधिगम से सम्बन्धित नवीन जानकारी देता है।
9. नवाचार का अभ्युदय समस्याओं के समाधानार्थ होता है।
10. नवाचार समय सापेक्ष परिवर्तन पर आधारित होता है।

शिक्षा में नवाचार - शिक्षा में नवाचार का तात्पर्य नए विचारों, विधियों और प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन से है जो सीखने के अनुभव को बढ़ाते हैं, और शैक्षिक परिणामों में सुधार करते हैं। इसमें नयी शिक्षण तकनीकों और पाठ्यक्रम डिजाइन से लेकर डिजिटल टूल और ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग तक सब कुछ शामिल हो सकता है।

शिक्षा में नवाचार का लक्ष्य सभी स्तरों पर छात्रों के लिए सीखने को अधिक व्यक्तिगत, आकर्षक और प्रभावी बनाना है। शिक्षा में नवाचार को अपनाकर, शिक्षक अधिक गतिशील और प्रभावी शिक्षण वातावरण बना सकते हैं, जो छात्रों को आज की तेजी से बदली दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षता विकसित करने में मदद करता है।

शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता:- पारंपरिक, एक आकार सभी के लिए उपयुक्ता -12 शिक्षा मॉडल सभी शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। वैयक्तिकरण और समर्थन की कमी के कारण कई छात्र पीछे रह गए हैं या अलग हो गए

हैं, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हैं। शिक्षा में नवाचार आवश्यक है:

- वैश्विक नौकरी बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढलें।
- रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा दें।
- सहयोग और समस्या-समाधान क्षमताओं को प्रोत्साहित करें।
- प्रत्येक छात्र की अद्वितीय सीखने की जरूरतों को संबोधित करें।
- शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नवाचार आवश्यक है।
- मानव संसाधन का विकास करने हेतु।
- सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के नवाचार आवश्यक है।
- कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु।
- शिक्षक में सकारात्मक व्यवहार लाने के लिए नवाचार जरूरी है।
- लोगों के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता है।
- रुचिपूर्ण शिक्षा के लिए नवाचार होना आवश्यक है।

व्यक्ति एवं समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है। शिक्षा को समयानुकूल बनाने के लिए शैक्षिक क्रियाकलापों नूतन प्रवृत्तियों ने अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध कर दी है। शिक्षा में नवाचार को अपनाकर, स्कूल अधिक समावेशी आकर्षक और प्रभावी शिक्षण वातावरण बना सकते हैं जो छात्रों को शवीं सदी में सफलता के लिए तैयार करते हैं।

नवाचार के तत्व हैं- संदर्भ, नेतृत्व, योजना, समर्थन, संचालन, मूल्यांकन और सुधार।

शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य- शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य निम्न हैं-

- "शिक्षा में नवाचार के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाया जाता" है।
- बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। जिससे बालकों की अंर्तनिहित शक्तियों का विकास हो सके।
- छात्रों और शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके जिससे वो अंधविश्वास और कुरूतियों से दूर रहे।
- का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना है।

नवाचार का महत्वः- नवाचार का महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा समझा जा सकता है।

- मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए।
- सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना।
- परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली।
- क्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभाव शीलता के लिए।
- शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए।
- शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए।
- नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकासक छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कौशलों का विकास के लिए। अनुसंधान के लिए।

शिक्षा में नवाचार के उदाहरण- दुनिया भर में नवोन्मेषी शिक्षक शिक्षा के नए मॉडल विकसित कर रहे हैं जो पारंपरिक यथास्थिति को चुनौती देते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-

ब्लूम अकादमीः- यह स्कूल पारंपरिक शैक्षणिक विषयों के साथ - साथ अपने पाठ्यक्रम में चरित्र विकास को शामिल करता है, जिससे छात्रों को स्वयं की मजबूत भावना और भविष्य की सफलता की नींव विकसित करने में मदद मिलती है।

इलेक्ट्रिक गर्ल्सः- यह कार्यक्रम युवा महिलाओं को व्यवहारिक लेखने के अनुभव, सलाह और एक सहायक समुदाय प्रदान करके एस.टी.एम विषयों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है जो आत्म विश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण करता है।

वन स्टोन स्कूलः - यह इनोवेटिव स्कूल छात्रों को उनके अद्वितीय हितों के आधार पर एक लचीला, व्यक्तिगत पाठ्यक्रम बनाने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें अपने जुनून का पता लगाने और भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने की अनुमति मिलती है।

प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा (पीबीएल):- छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्या की पहचान करने और उसका समाधान विकसित करने में मदद करें। एक बड़े पाठ के हिस्से के रूप में एक पीबीएल इकाई का परिचय दें जहाँ छात्र अपनी रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और अन्य छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

मिश्रित शिक्षण: सम्मिश्रण शिक्षण वारंपरिक कक्षा शिक्षण के साथ ऑन लाइन शिक्षण को जोड़ता है। छात्रों को अपने सीखने में योगदान 'देने के लिए ऑनलाइन टूल और इंटरनेट का उपयोग करने में' सहज होना चाहिए। एक मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण छात्रों को यह पता लगाने की क्षमता देता है कि उन उपकरणों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए जिन पर वे अपने पेशेवर जीवन में बहुत अधिक भरोसा करेंगे।

एडटेक - शैक्षिक प्रौद्योगिकी (एडटेक) आमतौर पर शिक्षा को बढ़ाने के लिए विकसित किसी भी साफ्टवेयर, एप्लिकेशन या सेवा को संदर्भित करती है। नवीन कक्षा प्रौद्योगिकियाँ अक्सर शिक्षा के बाहर के नवाचारों को प्रतिबिंबित करती हैं। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम बहुत गहराई तक न जाएं लेकिन कक्षा में प्रौद्योगिकी को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र - शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र निम्न हैं-

शिक्षण अधिगम

मूल्यांकन

पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप

सामुदायिक सहभागिता

विद्यालय प्रबंधन

विषयगत कक्षा - शिक्षण एवं सम सामयिक दृष्टिकोण

शिक्षा में नवीनतम नवाचार-

1. वर्चुअल रियलिटी (V.R):- भारतीय शिक्षा क्षेत्र में नवीनतम नवाचारों में VIR एक है, जो छात्रों को एक गहन और आकर्षक सीखने का अनुभव प्रदान करता है। भारतीय शिक्षा बाजार में वैश्विक V.R के लिए महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है, जिसके 2023 में 1.6 बिलियन डालर पहुँचने का अनुमान है। विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए स्कूलों और कालेजों में वर्चुअल रियलिटी तकनीक का उपयोग किया जाता है।
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई) - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और तकनीक है जिसने भारतीय क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की है। जैसे भारतीय शिक्षा स्टार्ट अप छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने और सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायता करने के लिए संचालित चौटबॉट का उपयोग कर रहे हैं।
3. चलित शिक्षा- भारतीय शिक्षा में मोबाइल लर्निंग एक लोकप्रिय प्रवृत्ति के रूप में अमरी है। उम्मीद है कि मोबाइल बर्निंग प्लेट फार्म भारत में ऑन लाइन शिक्षा बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। BYzU और TOPPR जैसे शैक्षिक ऐप्स ने छात्रों को अकादमिक रूप से सफल होने में मदद करने के लिए इंटरेक्टिव वीडियो पाठ, क्विज और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं की पेशकश करके भारत में जबरदस्त सफलता देखी है।
4. स्मार्ट बोर्ड- स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है जो शिक्षको को मल्टीमीडिया समृद्ध पाठ देने की अनुमति देते हैं। ये भारतीय स्कूल और कालेजों में तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। स्मार्ट बोर्ड अच्छे शिक्षण में सुधार करते हैं और शिक्षकों और छात्रों के बीच स्पष्टता बढ़ाते हैं। वे शिक्षकों और छात्रों को सहयोगात्मक रूप से सीबने, फाइलें साझा करने और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुँचने और शैक्षिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
5. गेमिफिकेशन:- गेमिफिकेशन भारतीय शिक्षा में गति पकड़ रहा, एक और चलन है। भारतीय शिक्षा स्टार्ट अप्स ने पाइंट, बैज, और लीडरबोर्ड जैसे तत्वों को शामिल करके छात्रों के लिए सीखने को मजेदार और प्रेरक बनाने के लिए सिंपली लर्न जैसे गेमिफिकेशन का उपयोग किया है।
6. वैयक्तिक शिक्षण:- शिक्षण और सीखने को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना भारतीय शिक्षा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। एडमेंटम और ड्रीम बॉक्स जैसे वैयक्तिक शिक्षण समाधानों से भारत के ऑन लाइन, परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।
7. क्लाउड कम्प्यूटिंग:- क्लाउड कम्प्यूटिंग भारतीय शिक्षा क्षेत्र में डेटा को संग्रहीत और प्रबंधित करने के तरीके बदल रही है। एक्स्ट्रा मार्क्स और सिंपली लर्न जैसे भारतीय शिक्षा स्टार्ट अप छात्रों को किसी भी समय कहीं भी शैक्षिक सामग्री तक पहुँच प्रदान करने के लिए क्लाउड आधारित समाधानों का उपयोग कर रहें हैं, जिससे वे अपनी गति से सीख रहे हैं।

8. संवर्धित वास्तविकता (A.R):- इंटरैक्टिव और आकर्षण शिक्षण अनुभव बनाने के लिए भारतीय शिक्षा क्षेत्र में शुरू की गई एक और तकनीक है। छात्रों को वास्तविक समय में डिजिटल वस्तुओं का पता लगाने और उसके साथ बातचीत करने की अनुमति देने के लिए भारतीय स्कूलों और कालेजों में A.R. ऐप्स का उपयोग किया गया है, जिससे सीखने को जीवन में लाया जा सके।
9. अनुभवात्मक अधिगम: इसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन के माध्यम से सीखना शामिल है। शिक्षा स्टार्ट अप ने पत्रकारिता के छात्रों को वास्तविक दुनिया का रिपोर्टिंग अनुभव प्रदान करने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिससे उन्हें अपना कौशल सुधारने और काम का पोर्ट फोलियो बनाने की अनुमति मिलती है।
10. परियोजना आधारित शिक्षा- इसमें छात्रों को उन परियोजनाओं पर काम करना शामिल होता है। जिनके लिए उन्हें वास्तविक दुनिया के संदर्भों में जो सीखा है, उसे लागू करने की आवश्यकता होती है।
11. सहयोगात्मक शिक्षा- ऐसी शिक्षा जिसमें छात्रों को एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूहों में एक साथ काम करना शामिल है, भारतीय शिक्षा में लोकप्रियता हासिल कर रहा है।

बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालय में अनेक नवाचार किए गए है, जैसे गतिविधि आधारित शिक्षण, कक्षा मुक्त शिक्षण, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बाल सांसद, शिक्षण अभिनव तकनीक आदि नवाचारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। कक्षा एक के छात्र-छात्राओं को खिलौनों के माध्यम से पढ़ाया जाता है।

सामान्य तरीके के अध्यापन के अपेक्षा नवाचारी विधियों के माध्यम से T.L.M. का उपयोग से बच्चे उसको प्रत्यक्ष रूप से देखकर छूकर एवं स्वयं प्रयोग करके तथ्यों को आसानी से सीख एवं समझ पाते है। इस उनमें सीखने की भावना का भी विकास होता है।

छात्रों की सफलता के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है क्योंकि रचनात्मक और नव प्रवर्तन न केवल शैक्षणिक और करियर की सफलता के लिए (सूचनात्मक और नव प्रर्वतन) महत्वपूर्ण है बल्कि छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह उनमें आत्म अभिव्यक्ति की भावना और अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास विकसित होता है।

यूपी सरकार का ध्यान सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और शिक्षा का स्तर उच्च करने तथा बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की ओर है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प 'और 'निपुर्ण भारत मिशन' से स्कूलों को जोड़ा है। इसका लाभ स्कूल छात्रों को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के विकास खण्ड सरसांवा स्थित प्राथमिक विद्यालय फिरोजाबाद 'में बेहतर बदलाव देखने को मिल रहा है। 2018 में जनपद के उत्कृष्ट विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय फिरोजाबाद का चयन किया गया था। विद्यालय में प्रतिदिन योगा व पीटी के साथ प्रेरणा गीत होता है। प्रार्थना व प्रेरणा गीत प्रत्येक दिन बदले जाते हैं। बच्चे अपना परिचय हिंदी व अंग्रेजी में देते हैं, जिससे उनका भाषाई ज्ञान बढ़ता हैं। इस विद्यालय को' स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार भी दिया गया।

यूपी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प में कुल 19 पैरा मीटर्स पर ध्यान दिया है। इससे स्कूल के भवन, स्कूल के कमरे आज बेहतर स्थित में है। ऑपरेशन काया- कल्प के तहत विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए भवन निर्माण रंगाई-पुताई, पेयजल, विद्युतीकरण, टाइल्स लगाने आदि का कार्य किया गया है।

'निपुण भारत मिशन' के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है तीसरी कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों में विकसित, करना, जो प्राथमिक विद्यालय फिरोजाबाद में किया जा रहा है।

सरकार ने कोरोना काल में भी ऑन लाइन बैठक कराइ और एआरपी, एस आर जी नियुक्त किए गए। उनका कार्य शिक्षा से संबंधित यदद करवाना था। इसके साथ ही सरकार ने संकुल बैठक जैसी पहल की जिसमें लगभग 14 से 15 विद्यालय के अध्यापक अपने अभ्यास के बारे में विचार करते हैं। यदि कोई समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान शिक्षक संकुल की बैठक में करते हैं।

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में स्मार्ट क्लास 2019 से ही है। शिक्षा विभाग द्वारा ब्लूटूथ स्पीकर दिया गया है। साथ ही लैपटॉप और टैबलेट दिया गया है। विद्यालय में शनिवार को खेता का आयोजन किया जाता है और तरह तरह के खेल खेले जाते हैं।

शैक्षिक नवाचारों का प्रभाव -

नवीन शिक्षा मॉडल में शिक्षार्थियों और उनके परिवारों के जीवन को बदलने की क्षमता है। उदाहरण के लिए एरिजोना एम्पावरमेंट स्कालरशिप अकाउंट (ईएसए) कार्यक्रम योग्य छात्रों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतंत्र शिक्षा विकल्पों के लिए धन तक पहुँचने की अनुमति देता है। परिवार इन छात्रवृत्तियों का उपयोग विशेष पाठ्यक्रम, उपचारों और सहायक प्रौद्योगिकियों तक पहुँचने के लिए कर सकते हैं। जो छात्रों को चुनौतियों से उबरने और उनके सीखने के माहौल में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।

शिक्षा में बदलाव के लिए नवाचार को वित्त- पोषित करना। बेला एजुकेशन फंड जैसे संगठन अपने समुदायों के भीतर शिक्षा के नए दृष्टिकोण पेश करने वाले हजारों रोजमर्रा के उद्यमियों को छोटे अनुदान में लाखो डॉलर वितरित कर रहें हैं। इन नवोन्मेषी शिक्षकों में उद्यमशीलता की भावना शिक्षार्थियों और उनके द्वारा सेवा करत किए जाने वाले परिवारों की जरूरतों को पूरा करने की इच्छा और स्कूल कहां, कैसे और कब हो, इस पर कैनवास फैलाने की इच्छा है।

रिश्ते बनाना और समुदाय को बढ़ावा देना भी नवाचार का प्रभाव है। लब पोर स्कूल जैसे नवो-वेली शिक्षक परिवारों, छात्रों और अन्य शिक्षा हितधारकों के बीच संबंध बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। उनका लता ऐसे लोगों का एक बड़ा नेटवर्क बनाना है जो नए शैक्षिक रास्ते तलाशने में एक दूसरे का समर्थन कर सके और सीख सकें।

शिक्षक शिक्षा में नवाचार-

जब हम शिक्षक शिक्षा में नवाचार लागू करते हैं तो नवाचार का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या सीखना, कैसे सीखना है, कब और कैसे सीखना है के साथ-साथ सीखे गए कार्यों के बारे में पता लगाकर उसके मूल्यांकन हेतु नवीन उपकरणों की जानकारी दी जाती है ताकि नवाचार को अपनाने वाला शिक्षक शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करते है और दूसरे शिक्षकों को भी समस्या समाधान हेतु प्रेरित करते हैं।

नवाचारों के प्रयोग से कक्षा-कक्ष, के वातावरण को अधिकाधिक ज्ञानवर्धक और सक्रिय रखने का अवसर प्रदान करता है तथा इसके द्वारा सीखने की स्थित, ज्ञान स्तर से उठकर चिंतन स्तर तक पहुँच जाती है। शिक्षक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शिक्षा के माध्यम से बदलाव ला सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूली शिक्षा दोनों का आपस में गहन संबंध है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

आज प्रतिस्पर्धा का युग है और ऐसी परिस्थिति में शिक्षक शिक्षण, एकीकृत शिक्षण एवं शिक्षण पाठ्यक्रम में नवीन परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि शिक्षण शिक्षा को मजबूत बनाना है तो शिक्षकों को नवीन ज्ञान, शिक्षण कौशलों में दक्षता, नये-नये तकनीकी अनुसंधान का ज्ञान, शिक्षण में इसके व्यवहारिक प्रयोग में पारंगत होना अति आवश्यक है। शिक्षक शिक्षा में में नवाचार लाने के उद्देश्य से ही देश में शिक्षक- प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित तरह-तरह के कार्यक्रम - "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 2014" के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली परिवर्तन किए गये हैं। जैसे स्नातक स्तर परबी.एड. के एक वर्षीय पाठ्यक्रम को बढ़ाकर द्विवर्षीय एवं शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड), शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी. एड) एवं एम.पी.एड और इसी प्रकार तीन वर्षीय एकीकृत बी. एड, एम.एड. चार वर्षीय एकीकृत बी.ए, बी. एड, बी.एससी एवं बी. एल एड वाह्य क्रम आदि। शिक्षा शिक्षक विकास के लिए शिक्षको में नवाचार लाने हेतु तरह-तरह के शिक्षण कौशलों के रूप में सूक्ष्म शिक्षण, खण्ड शिक्षण, सामुदायिक सेवाएँ एवं स्वाध्याय पर आधारित अभ्यास कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया

शिक्षक शिक्षा में नवाचार का महत्व- शिक्षक शिक्षा में नवाचार के महत्व निम्न है-

- नवाचार के द्धारा शिक्षक छात्रों को अरुचिकर तथा उबाऊ करने वाले शिक्षण से दूरकर रुचिकर शिक्षा देने में सक्षम होते हैं।
- नवाचार के द्वारा शिक्षक अपने आप को नए ज्ञान की खोज करने के प्रति तैयार करना एवं अध्ययनशील बनाना।
- शिक्षक नवाचार के द्वारा पहले से चली आ रही पुरानी विधियों जो उबाऊ व अरुचिकर है, को दूरकर नवीन दक्षताओं को विकसित कर सकता है।
- नवाचार के माध्यम से विद्यालय समाज एवं समुदाय के मौजूरा संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सकता है।
- नवाचार के द्वारा शिक्षक अपना शैक्षिक उत्थान कर सकता है।
- शिक्षक को अपने कार्य के प्रति रचनात्मक, अनुशासित एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने में सहयोग करता है।
- छात्राध्यापक शिक्षण में प्रायोगिक एवं व्यवहारिक कार्यो को सम्पादित करने हेतु आवश्यक तैयारी एवं प्रभावी क्रियान्वयन कर सकते हैं।

नवाचार शैक्षिक 'व्यवस्था और शिक्षण कार्य प्रणाली को मजबूत बनाये रखने के लिए आवश्यक एवं महत्व- पूर्ण तकनीकी है। इसके अभाव में शैक्षिक लक्ष्यों और प्रक्रिया में व्यापक अंतर हो सकता है। इनका प्रयोग वर्तमान के साथ ही भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करने में सहायक है। शिक्षक शिक्षा में नवाचार द्वारा छात्राध्यापक सामुदायिक सह- भागिता, अभिनव शिक्षण, तकनीकी, खेल-खेल में शिक्षा, सरल अंग्रेजी अधिगम, बाल संसद, कला शिल्प से सर्वांगीण विकास, कॉन्सेप्ट मैपिंग, चित्रकथा के माध्यम से शिक्षा अदि का प्रयोग अपने भावी जीवन में कर पायेंगे। नवाचार से शिक्षण में गूहात्मक उन्नयन होता है, शिक्षा को दिशाबोध प्राप्त होता है जिससे

व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनैति सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से शिक्षक-शिक्षा में नवाचार की महत्ता स्वीकार की जाती है।

नवाचार शिक्षण पद्धतियां:- वर्तमान समय में शिक्षा पूर्णतया नि:शुल्क एवं बाल केन्द्रित है। हमारी सरकार के द्वारा विद्यालय को सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा चुकी है जैसे-विद्यालय भवन, विद्युत व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकें, स्कूल यूनिफार्म, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए धनराशि आदि।

"यह सत्य है कि सभी सुविधाओं से विद्यालयों में छात्र नामांकन संख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु गुणात्मक शिक्षा में अभी भी आशानुरूप सफलता नहीं मिली है। जहाँ जनसंख्या वृद्धि होती है वहाँ गुणात्मक वृद्धि में कमी आ जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि कक्षा में रुचिपूर्ण पद्धति अपनाई जाए जैसे- भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी विधि तथा विभिन्न प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ आदि। इन नवाचारी, शिक्षण पद्धतियों से शिक्षण कार्य करने में अध्यापक एवं विद्यालय दोनों के लिए ही शिक्षण अधिगम एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया बन सकेंगी। इन पद्धतियों के माध्यम से शिक्षण कार्य सरल व सुगम ही नही बनता बल्कि विद्यार्थी की रुचि भी जागृत होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप- रेखा 2005 के प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को उनके बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, यह उद्देश्य भी इन पद्धतियों से प्राप्त हो सकेगा। भयमुक्त वातावरण में विद्यार्थी स्वतंत्र होकर अपना कार्य सुगमता से कर सकता है। नवाचारी शिक्षण पद्धतियों से कौशल विकास निम्न रूप से होता है। -

- अभिव्यक्ति का विकास
- अन्वेषण
- निर्णय लेने की क्षमता का विकास
- स्व मूल्यांकन करने की क्षमता
- सृजनात्मक का विकास
- रचनात्मक विकास
- आत्म विश्वास

संक्षेप में कहा जा सकता है कि नवाचार शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास तो होगा ही साथ ही उनका सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन भी हो सकेगा।

- शैक्षिक नवाचार और गुणवत्ता युक्त शिक्षा के माध्यम से यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है।
- छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सुविधाएँ-जैसे स्मार्ट क्लास 2019 से ही है। शिक्षा विभाग द्वारा ब्लूटूथ स्पीकर दिया गया है। साथ ही लैपटॉप और टैबलेट दिया गया है। विद्यालय में शनिवार को खेल का आयोजन किया जाता है और तरह-तरह के खेल खेलें जाते हैं।
- पैरेंट्स टीचर मीटिंग में अभिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धियों के विषय में बताया जाता है व बच्चों द्वारा विद्यालय में किए गए अच्छे कार्यों की चर्चा की जाती है। उन्हें बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन के बारे में बताया जाता है पुराने विद्यार्थियों की समिति का गठन किया गया है। विद्यालय में प्रत्येक सामुदायिक कार्य इन विद्यार्थियों का विशेष स: योग रहता है। विद्यालय में बेंच, डेस्क, मेन गेट का सौंदर्यीकरण, हैंडवाश पॉइंट आदि कार्य हुए हैं।
- विद्यालयों में प्रतिदिन योगा व पी-टी के साथ प्रेरणा शीत होता. है। प्रार्थना व प्रेरणा गीत प्रत्येक दिन बदले जाते हैं। प्रार्थना स्थल पर जो बालक या बालिका सबसे स्वच्छ यूनि कार्य में होते हैं उन्हें 'स्वच्छ बालक' या स्वच्छ बालिका' घोषित किया जाता है। उक्त गतिविधि से सभी बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता बढ़ती है। छात्र - छात्राओं से हिंदी, अंग्रेजी कविता पठन के साथ-साथ मौलिक सृजन के लिए किसी भी विषय पर भाषण देने को भी कहा जाता है।

2018 में जनपद के उत्कृष्ट विद्यानयों में प्राथमिक विद्यालय फिरोजाबाद का भी चयन किया गया था। इसके साथ-साथ विद्यालय को 'स्वच्छ विद्यालय' का पुरस्कार' भी दिया गया। 2019 में विद्यालय को सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया था।

विद्यालय में अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करायी जाती है। जैसे- 'विद्याज्ञान' व 'नवोदय परीक्षा' की भी तैयारी कराई जाती है। प्राथमिक विद्यालयों में' 'खेल-खेल मे शिक्षा' नवाचार शून्य निवेश नवाचारों में सबसे लोकप्रिय है। बच्चे जीवन की कई महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे कि भोजन करना, चलना और बोलना खेल खेल में स्वत: ही सीख जाते हैं। खेल खेल में सीखना और समझना बच्चों

के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा करने से उन्हें पढ़ाई आनन्दमयी लगने लगती है, और वह सहयोग, समन्वय मित्रता, दया, करुणा, अनुशासन, प्रेम एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के गुण अपनाते है। अक्सर देखा गया है कि जिन कक्षाओं में विद्यार्थी शिक्षक के साथ शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, उन कक्षाओं के परिणाम बेहतर होते हैं।

'खेल खेल में शिक्षा' नवाचार छात्रों को शिक्षक के साथ मिलकर पढ़ने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। आधुनिक युग में पठन-पाठन का यह माध्यम समय की मांग है क्योंकि यह नवाचार शिक्षा को आनुभविक और छात्र केंद्रित बनाने में मदद करता है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाने के तौर-तरीके सिखाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस नवाचार के 11 तरीके विकसित किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 20 हजार स्कूल इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए सहमति दे चुके हैं। नवाचार कार्यक्रम को और भी अच्छी तरह से लागू करने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित करने का फैला किया गया है। इसके तहत उन्हें बच्चों को आसान तरीकों से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयों को पढ़ाना सिखाया जाएगा। बच्चों में आत्म विश्वास पैदा करने के लिए उन्हें उन कामों को करने का मौका भी दिया जाएगा, जो वे आगे चलकर करना चाहते हैं।

खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का फायदा यह दिख रहा है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति तो बढ़ी ही, नई चीजों को भी सीख रहे हैं। आजकल शिक्षा के प्रति बच्चों की रुचि कम होने के कारण नवाचार के उपयोग की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से बचपन खेलकद के लिए होता है। छात्रों की गतिविधियाँ उनके परिवेश और रुचि पर निर्भर करती है, यही कारण है कि किताबी ज्ञान उन्हें अरुचिकर लगता है। इसका उद्देश्य भी यह है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य बनाना, ताकि छात्र सामूहिकता के महत्व को समझें और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो।

स्वाभाविक रूप से बचपन खेल-कूद के लिए होता है, छात्रों की गतिविधियाँ उनके परिवेश और रुचि पर निर्भर करती हैं, यही कारण है कि किताबी ज्ञान उन्हें अरुचिकर लगता है। हर समय शिक्षक थरा पढ़ाए गए पाठ, होमवर्क, परीक्षा आमतौर पर छात्रों को बोझिल लगने लगती है। यह सर्वविदित है कि गणित और विज्ञान जैसे विषय छात्रों को नीरस लगते हैं। विद्यालयी शिक्षा शुरू होते ही छात्रों को हर समय उनके अभिभावक पढ़ने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं। कुछ अभिभावक ऐसे भी होते हैं, जिन्हें अपनी आजीविका के चलते बच्चों की शिक्षा पर उनका न तो ध्यान होता है और न ही रुचि, परिणाम स्वरूप छात्र किताबों से दूर भागने लगते है। इन्हीं समस्याओं से वाने और छात्रों को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर मुक्ति नवाचारों का जन्म होता रहा है। ऐसा ही एक नवाचार खेल-खेल में शिक्षा यानी उन खेलों के माध्यम से शिक्षा जिनमें छात्रों की स्वाभाविक रुचि होती है। कुछ खेलों के उदाहरण निम्न है-

ग्रिड-रोम

सांप-सीढ़ी का खेल

लूडो

व्याकरण का खेल आदि।

शासकीय प्राथमिक विद्यालय दाकटोला के शिक्षक लीलाधर ठाकुर ने नवाचार बनाया है। गणित विषय को लेकर उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ बनाकर कक्षा में शिक्षण कार्य शुरू किया है ताकि बच्चों में रोचक गतिविधि के साथ-साथ कक्षा शिक्षण में अध्ययन कर सके। इस गतिविधि में बच्चों को संख्या पूर्ण अवधारणाएं, संख्याओं की समझ, आकृति भावन की समझ, पैटर्न की समझ, आंकड़ो की समझ साथ ही उनके द्वारा भाषा विषय पर भी गीत एवं कविता के माध्यम से भी गतिविधि कक्षा शिक्षक के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती। है। एक एल. एन. के तहत बच्चे भी खेल-खेल में शिक्षा त्रिग भारत के अंतर्गत बच्चों को भाषा गणित कौशल दक्षता हाखिल कर सके।

चुनौतियाँ और सुधार के क्षेत्रः--

शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कुछ विधायी सुधार के उदाहरण दिए गये हैं जो निम्न हैं -

1. स्कूल की पसंद- सबसे बड़ा शिक्षा नवाचार स्कूल की पसंद का बढ़ता उपयोग है। विधायी सुधार जो परिवारों के लिए स्कूल की पसंद के विकल्पों का विस्तार करते है, जैसे कि शिक्षा बचत खाते, वाउचर और कर-क्रेडिट, छात्रवृत्ति, नवीन शिक्षा मॉडल के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो बेहतर होंगे छात्रों की जरूरतों को पूरा करें।
2. योग्यता-आधारित शिक्षा- विधायी सुधार जो छात्रों को क्रेडिट अर्पित करने के तरीकें में अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हैं, जैसे कि योग्यता आधारित शिक्षा छात्रों को अपनी गति से सीखने और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बना सकती है।

3. शिक्षकों के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रित व्यावसायिक विकास- विधायी सुधार यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है कि शिक्षक अपनी कक्षाओं में प्रौद्योगिकी और नवीन शिक्षण विधियों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए नवीनतम ज्ञान और कौशल से लैस है।
4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी- वे सुधार जो सार्वजनिक स्कूलों और निजी कम्पनियों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करते हैं, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय व्यवसायों के साथ उनकी कार्यवल की जरूरतों को समझने के लिए साझेदारी करके, स्कूल जिले कक्षाओं से करियर की पहल के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।
5. अनुसंधान और विकास- संयुक्त राज्य अमेरिका शिक्षा बजर का लगभग 0.2 प्रतिशत ही अनुसंधान पर निवेश करता है। शिक्षा - केंद्रित अनुसंधान और स्टार्ट अप में निवेश को अनुदान और पुरस्कार से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
6. लचीली फंडिंग - विधायी सुधार जो शिक्षा निधि आवंटित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, स्कूलों और जिलों को प्रौद्योगिकी एकीकरण और परियोजना- आधारित शिक्षा जैसे शिक्षण और सीखने के नवीन तरीकों में निवेश करने में सक्षम बना सकते हैं।

नई शिक्षा नीति २०२०:-

'इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तन कारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में GER के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

1986 में वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान नीति 1986 में बनाई गयी शिक्षा नीति. अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता:

1. बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
2. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
3. भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति में नवाचार के प्रमुख बिंदु-

- स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान में शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष 5+3+3+4 डिजाइन वाले की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। पाँच वर्ष का फाउंडेशनला स्टेज- 3 साल का प्री- प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2 तथा तीन वर्ष का प्रीपेटूरी स्टेज, तीन वर्ष का मध्य चरण ग्रेड 6.7, 8 और 4- वर्ष का उच्च चरण-ग्रेड चार ग्रेड 9,10,11,12।
- भाषायी विविधता का संरक्षण-जिसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रिय भाषा में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- शारीरिक शिक्षा- विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।
- पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार:- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी।
- शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार: शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किए गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक 'शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' का विकास किया गया।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिंग्री योग्यता 4- वर्षीय एकीकृत बी. एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' का विकास किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान: NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षो के बाद एडवांस डिप्लोमा, 1 वर्षो के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षो के बाद शोध के साथ स्नातक।
- 'नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल (M.Phil) कर दिया गया है। कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

निष्कर्ष:-

नवाचार और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कक्षा में निरंतर विकास की आवश्यकता कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है। नई प्रौद्योगिकियों और दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन से उपलब्धि अंतराल को कम करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि छात्र आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। शैक्षिक नवाचार, स्कूल की पसंद और व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देने से परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। शिक्षा में नवाचार को अपनाकर हम छात्रों को उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

रूढ़िवादिता आ चक्रब्यूहकें तोड़ैत- 'सुजाता'

डॉ० अमिताभ चक्रवर्ती

सहायक प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष, मैथिली विभाग, टी. एन. बी. कॉलेज, भागलपुर, ति. मां. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

'सुजाता' अफरदाहा, बहेड़ा, जिला- दरभंगा निवासी नंद कुमार मिश्रक पहिल उपन्यास अछि। एहिसँ पहिने हिनक शविधात्री (कविता संग्रह) 25.04.04, गाम घर (कथा-संग्रह) 26.12.2004"[1] प्रकाशित छनि।

'सुजाता' उपन्यासक आवरण-पृष्ठ सामान्य लाल आखरमे पीअर पन्नापर एक स्त्रीक चित्र, संभवत: 'सुजाता'क प्रतीकात्मक चित्रक संग लेखकक नाम मिथिलाक्षरमे नन्द कुमार आ देवनागरी लिपिमे नंद कुमार मिश्र छापल गेल अछि। उपन्यासक नाम सेहो देवनागरी आ मिथिलाक्षरमे छापल गेल अछि संगहि ई पोथी कोन विधाक अछि, सेहो छापल गेल अछि- (मैथिली उपन्यास)। ई उपन्यास पॉकेट-बुक जकाँ क्षीण-काय अछि। एकर कुल पृष्ठ 86 अछि आ फॉण्ट साइज सेहो सामान्य पोथीसँ पैघ। ई सभ देखि सहजहिं मोन पड़ि जाइत अछि- 'छोट खिखिरक मोट नाङरि।' ई उपन्यास 13 अंकमे समायोजित कयल गेल अछि। एहि उपन्यासक संदर्भमे उपन्यासकार 'लेखकीय' मे लिखने छथि-

लेखकीय....

ओना तँ ई कथा सत्य घटना पर आधारित अछि, मुदा एहिमे पात्र आ स्थान काल्पनिक अछि। समाजमे लोक नारीकें भोगक वस्तु बुझैत अछि। ओ ई बिसरि जाइत अछि जे नारी जँ ककरहुँ पत्नी अछि तँ ककरहु माय आ बहिन सेहो अछि। कोनो सरकारी कार्यालय में विधवाक नियुक्ति वा ओकर क्षतिपूर्ति वा अन्य भुगतानक लेल ओकरा कतेक पापर बेलए पड़ैत छैक, ओ तँ केओ भुक्तभोगीये उल्लेख कऽ सकैत अछि। अधिकारी सँ यूनियन केर नेताधरि ओकरा पर अपन गीध दृष्टि टिकौने रहैत अछि। यूनियन जकरा लेल कर्मचारी जान तक दे दैत अछि, मुदा ओ की जनैत अछि जे ओकरा बाद ओएह यूनियन के नेता ओकरा बौह-बेटी के बेआबरू करत, भोगक वस्तु बुझत। आ सेहो अधिकारी सँ मिलिकए।

एहि उपन्यासक नायिका एहने एक विधवा छथि, जिनकर नाम थिकैन 'सुजाता'। सुजाता एहि अन्यायक विरूद्ध लड़ैत छथि मुदा युक्तिक संग। सब अधिकारी एके रंगक नजि होइत छथि। सुजाता कँ सेहो एकटा इमानदार अधिकारी भेटि जाइत छथिन्ह। जे हिनकर पूर्ण सहयोग करैत छथि आ अपना बेटी जकाँ सेहो मानैत छथिन्ह। सुजाताक सूझ-बूझ पर हुनकहु आश्चर्य होइत छन्हि। ओहि अधिकारीक मदति सँ सुजाता बिना किछु गमौने नौकरी पाबैत छथि आ अन्य लोककँ सेहो नौकरी दिआवैत छथि। संगहि व्याभिचारक चक्रव्यूह के सेहो तोड़बामे सफल होइत छथि।

आइ हमरा समाजमे आवश्यकता अछि, सुजाता सनक नारीक, जे समाजक कुरीति, भ्रष्टाचार आदिक संग संघर्ष के सकए, लड़ि सकए, ओकर प्रतिकार कए सकए आ अन्य नारीकें अपन उचित स्थान दिआ सकए।

- नंद कुमार मिश्र"[2]

एहि उपन्यासक संदर्भ मे डा. अमरनाथक कहब छनि- "वस्तुत: नारी-विमर्श पर आधारित ई उपन्यास संघर्ष गाथा थिक। अवलाक करुण क्रंदन उपन्यासक भाव-भूमि अछि, मुदा ई क्रंदन भावनाक अतिरेकमे दिशाहीन नहि होइत अछि, अपन बाट तकैत दुराचारीक जाल कें भेदन करबा मे सफल भेल अछि। उपन्यास में नारीकें 'योग्य' अथवा 'पूज्या' धरि सीमित नहि कयल बुद्धिमती नारीक रूपमे चक्रब्यूह के बेधैत देखाओल गेल अछि। नारीक ई मानवी रूप उपन्यासक उत्कर्ष थिक।"[3]

एहि उपन्यासक पात्र सभ अछि- रमाकान्त, लुत्ती झा (आंचलिक नामक प्रयोग), रमाकान्तक पाँचम बेटा पंकज, उमाकान्त, नवकान्त (सुजाताक पित्ती), मनीष (सुजाताक जेठका जाउत), धीरेन्द्र मंगनू, नेता, मुख्य कार्मिक पदाधिकारी, मेम साहेब (मुख्य कार्मिक पदाधिकारीक पत्नी), चपरासी, कार्मिक पदाधिकारी, होटलक मैनेजर, सुजाता (उमाकान्तक बेटी), रेखा, नेनमणि, कलावती, लाल काकी, लाल दाइ, सुनीता (लाल दाइक विधवा पुतहु) नरेश, रमेश, कमला आदि

जेना महाकाव्यमे कम शब्दमे सभ बात कहल गेल रहैत अछि तहिना एहि उपन्यासमे कम शब्दमे सुजाताक जन्मसँ ले के विधवा होयबाक बाद अनुकम्पापर नोकरी लेबामे भेल कष्ट आ कारणक वर्णन करयमे उपन्यासकार पूर्णत: सफल भेल छथि। हिनक उद्देश्य स्पष्ट झलकैत अछि जे आजुक समजमे धन-लोलुपता, काटरक मारल माय-बाप, विवाहिता, विधवापर सामाजिक अनुचित बंधन, स्त्री-शिक्षाक अभावक दुष्परिणामकें 'सुजाता' सन साहसी आ नीक सुझबुझ राखयबाली नायिकाक माध्यमसँ रूढ़िवादिताकें तोड़ैत आ कामी-भ्रष्ट अधिकारी सभक महाजालकें चिर्री-चिर्री करबैत छथि आ विधवा लोकनिक जीवन कोना सुरक्षित रहत, तकर एक टा नीक उदाहरण प्रस्तुत कयने छथि।

ई उपन्यास भलहि क्षीण-काय अछि मुदा प्रभावमे लौंगिया मिरचाइ जकाँ। एहि उपन्यासमे संयोगवश घटना देखाओल गेल अछि ओ उपन्यासकारक रचना-योजनाकें स्पष्ट करैत अछि। एहि उपन्यासक ताना-बाना एकदम सशक्त अछि। अनावश्यक वर्णनसँ बचबाक प्रयास स्पष्ट झलकैत अछि।

एहि उपन्यासमे वातावरणक वर्णन करैत उपन्यासकार लिखने छथि - "फागुन मास बित रहल छल। मन्द-मन्द पुरबा बसात सिहकि वसन्तक आगमन सँ अवगत करा रहला छल। आमक मंञ्जरक मंद-मंद सुगंध सँ वातावरण रसमय लागि रहल छल। कोयल केर कुहू कुहूक आवाज अत्यन्त मनहोहक छल। मकरंद एक फूल सँ दोसर फूल पर जाय पराग एकत्र कए रहल छल। एक दिस प्रकृति देवी वसन्त स्वागत कए रहल छली।"[4]

वातावरणकें एतेक सजीव चित्रण मनकें आनंदित के दैत अछि। ई चित्रण उपन्यासक आरम्भिक पाँती सभ अछि जे पाठककें उपन्यास पढ़बाक उत्सुकताकें आओर तेजक दैत अछि। जेना कोनो कामनीक सुगन्ध पाबि कामातुर पुरुषक भीतर मिलनक व्यग्रता बढ़ि जाइत छैक तहिना एहन सचित्र चित्रण पढ़ि पाठक भीतर पूरा उपन्यासककें पढ़बाक ललक जागि जाइत अछि।

नायक पात्रक वर्णन अतिसंक्षिप्तमे कयने छथि। एना बुझना जाइत अछि जे ई ओतेक महत्वक बात नहि अछि आ जे महत्वक बात छैक ओकरा कहबाक लेल संक्षिप्ताक टेक लेल जाइत अछि। देखल जाय किछु चित्रण -

> "नव शिशुक नाम पंकज राखल गेल। पंकज के पालन-पोषण नीक जकाँ भेल/कारण घर में सब सँ छोट नेना तँ ओएह छल आ तें सबकेर विशेष स्नेह पंकज पर छल। धीरे-धीरे पंकज पैघ होमए लगलाह। ओ बचपनहि सँ बड़ मेधावी छलाह। परिवार मे सेहो पढ़ाई-लिखाईक लेल उपयुक्त वातावरण छल। हुनका सँ पैघ भाय सब हाई स्कूल आ कालेज में पढ़त छलथिन्ह। पाँच वर्षक वाद पंकज केर नाम स्कूल मे लिखाओल गेल। वर्ग मे सब साल प्रथम आवथि आ तँ शिक्षक सेहो बहुत तें मानैत छलथिन्ह आ घरक लोक तँ सहजहि। मिलाजुला कए पंकज सबहक प्रियपात्र छलाह। 20 वर्षक अवस्था मे पंकज बी० ए० प्रथम श्रेणी सँ पास केलन्हि। देखबा-सुनबा में अत्यन्त सुन्नर छलाह। कद-काठी सेहो नीक छलन्हि। रंग श्यामल मुदा मुँहक पानि बड़ दमकैत छल। हू-बहू मायक स्वरूप पाओने छलाह। आँखि पैघ-पैघ आ ललाट पर सिंदुरक ठोप हुनक सुन्नरता के आर निखारि रहल छल।"[5]

नायिकाक वर्णन देखल जाय-

"उमाकान्तक ओहिठाम एकटा कन्या जन्म लेलनि। जकर नाम राखल गेल सुजाता। ओना तँ गरीबक लेल कन्याक जन्म अभिशाप मानल जाइत अछि, मुदा एकटा बच्चाक अभाव सँ उमाकान्तक घर-आंगन सून लगैत छल। विवाहक पन्द्रह साल बिति गेल छल। कतेक कबुला-पातीक बाद एहि कन्याक जन्म- भेल। आब नि: सन्तान तँ नञि कहौताह, तें हुनकर परिवार बड़ आनन्दित छल आ एहि कन्या के भगवानक उपहार बुझि प्रसन्न छल।

उमाकान्त साधारण किसान परिवारक मुखिया छथि। करीब दूअढ़ाई बीघा खेत जोतनिहार छथि।

खेत बड़ चिक्कन छन्हि। ओहि सँ तीनू फसल उपजा लैत छथि आ नीक जकाँ गृहस्थीक गाड़ी घिचि रहल छथि। परिवार सेहो सिमित छन्हि, मात्र दू प्राणी आ सुजाता। सुजाताक पालन-पोषण में कोनहु कसरि नञि राखल गेल। सुजाता छलीहो तँ दूनू प्राणीक आँखिक तारा। पाँच बरषक बाद सुजाताक नाम गामेक स्कूल मे लिखाओल गेल। सुजाता पढ़बा-लिखबा में बड़ विलक्षण छलीह। शुरू-शुरू मे तँ सुजाता उमाकान्तक आँगुर पकड़ि स्कूल जाइत छलीह मुदा किछु दिनक बाद टोलक बच्चा सभक संग जाय लगलीह। सुजाता क्रमश: बचपन सँ किशोरावस्था मे पायर द रहल छलीह। जेहने नाम तेहने रूप-रंग आ गुण-शील। पढ़बा-लिखबा मे सेहो बड़ दिब छलीह। सतत अपना आचार-विचार सँ माय-बाबूजी के प्रसन्न राखैत छलीह। सुजाताक व्यवहार सँ टोल पड़ोसक लोक सेहो प्रसन्न रहैत छल।"[6]

दोसराक धनकें बेटाक नामपर कोना टानबाक ब्योंत करैत छथि, केहन चकरचालि चलैत छथि, तकर चित्रण देखल जाय-

"एक दिन उमाकान्त के भेंट एकटा आदर्शवादी बारागत सँ भेलन्हि। ओ घर-वर उमाकान्त के पसिन्न छलन्हि आ वरागत के सेहो सुजाता पसिन्न छलथिन्ह। उमाकान्त बजलाह- तखन गप्प के आगु बढ़ाओल जाय। बारागत बजलाह- देखू हम एकदम आदर्श कथा करए चाहैत छी। तिलक लग्क हम अपना खानदान में दाग नञि लगाएब। बरागत केर गप्प सुनि उमाकान्त गद्गद् भ गेलाह आ सोचए लगलाह जे एखनहु एहि धरती पर एहन लोक अछि। तावत वरागत पुन: बजलाह- मुदा आदर्शक मतलब इहो नञि भेल जे हम बरद बेचि वौआक विवाह कराएब। उमाकान्त बजलाह- से तँ सहजहि जँ अपने तिलक नञि लेब तँ घर सँ किएक खर्च करब। बरागत बजलाह- तें दूनू चुल्हा अहीं के जारए पड़त। हमरा घर मे कोनहु कनियाँ के सोहाग मे पचीस भरी सँ कम सोनक गहना नञि चढ़ल छैक, से व्यवस्था अपनहि के करए पड़त। टी० वी० फ्रीज आ मोटर साइकिल तँ आई-काल्हि हरहीओ सुरही दैत अछि आ ओकर उपभोग तँ अपनहि के बेटी जमाय करताह। वरियातीक लेल कम सँ कम दस टा मारुतीक व्यवस्था होएबाक चाही। एकावन टा बरियाती रहताह, हुनकर वर-विदाई सेहो नीक जकाँ होएबाक चाही। बरियातीक भोजन मे केवल शुद्ध घी केर व्यवहार होएबाक चाही। गाजा-बाजाक व्यवस्था

जे अपने के रूचि हो, कए लेब। कारण हम अहाँ सँ कँचा नञि लऽ रहल छी। हम अपना नेना के आदर्श विवाह करा रहल छियन्हि। वरियातीक स्वागत सतकार मे कोनो तरहक त्रुटि नञि होएबाक चाही एहि सँ दूनू गोटेक प्रतिष्ठा बढ़त आ जँ ओहि मे कमी करब तँ हम ककरहु मुँह देखेबा जोगरक नञि रहब। ते एतेक आवश्यके अछि।

ओकरा बाद आर जे किछु अपनेक इच्छा हो, क सकैत छी। ओकरा लेल कोनो मनाही नञि अछि। अपने जे किछु देवैन्ह से अपना बेटी जमाय के देबैन्ह। ओहि सँ हमरा कोनो सरोकार नञि रहत। हम तँ मात्र अपन खानदानक प्रतिष्ठा जोगि रहल छी। हँ! एकटा गप्प आर..... वौआक माय कहैत छथि जे पुरुष नञि सब तँ बौआक विवाह देखने करताह मुदा हम सब देखब, ते एखन जे एकटा नबका रिति चलल अछि, भी० डी० ओ० ग्राफीक से अवश्य क लेब।

उमाकान्त सोचए लगलाह- एहन आदर्श कथा तँ घर-घरारी बेचलाक बादो नञि भऽ सकैत अछि। कतए आबि क फँसि गेलहु आ बजलाह- हम गाम पर सँ विचारिक दोसर दिन आबि रहल छी, आ पुनः दुबारा ओहिठाम नञि गेलाह।"[7]

समयक संग बदलब आवश्यक रहैत छैक नहि त पछुआयल रहि जाइत छैक। जाहि रंगक चलन रहैत छैक ताहि रंगमे रंगि जयबाक चाही। एहि उक्तिक चरितार्थ करैत लेखक एक दिस तीन दिना बरयातीक चित्रण करैत छथि त दोसर दिस चतुर्थी भेलाक बाद घूमय-फिरय लेल दार्जिलिंग पठा दैत छथिन जाहि सँ दार्जिलिंगक प्राकृतिक चित्रण करबामे बनैत छनि। देखल जाय दार्जिलिंगक प्राकृतिक छटा-

> "पंकज आ सुजाता विवाहक किछु दिनक बाद घुमब फिरबाक लेल दार्जिलींग गेलाह। पन्द्रह दिनक आफीस सँ छुट्टी नेने छलाह आ किछु अग्रिम राशि बट खर्चीक लेल सेहो भेटल छलन्हि। ओहिठाम होटल मे एकटा डेरा लेलन्हि। होटलक डेर सँ सूर्योदय केर सीन जे कंचन जंघा पहाड़ पर पड़ैत अछि खिड़किये सँ देखाई पड़ैत छल। मेघक दृश्य पहाड़ पर बड़ रमणीक लागि रहल छल। लोकक बगल दे क मेघ उड़ि रह छल हाथ सँ छुने हाथ भिजि जाइत छल। जाहि मेघ के हम सब एहिठाम कतेक दूर मे देखैत छी, ओहि पहाड़ पर जेना पहाड़ से सटल रहैत अछि। कंचनजंघा पहाड़ तँ उषा काल मे सोनाक पहाड़ जकाँ दृष्टिगोचर होइत छल आ इ दृश्य अत्यन्त मनभावन लागि रहल छल।"[8]

किछु लोक समयक आवश्यकतासँ बेसी अपनाकें बदलि लैत अछि आ तर्कक आधारपर कोनो चीजकें देखाबाक बदला कुतर्कक आधारपर देखय लगैत अछि। एहि बातक चित्रण सुजाताक पतिक मृत्युक बादक चित्रणमे देखबामे आबैत अछि। देखल जाय -

> "सुजाता एकहि क्षण में सुलक्षिनि सँ कुलक्षिनि बनि गेलीह। हुनका आब सासुर बड़ अखरैत छलन्हि। सब दिश सँ दुत्कारे भेटैत छलन्हि। घरक जे काज बहिकिरनी करैत छल, से आब सुजाता सँ कराओल जाइत छल आ खएबा - पिबाक लेल केओ नञि पूछैत छल। व्यथा सँ कतेक दिन भुखलो रहि जाइ छलीह। सुजाताक मोन सासुर सँ ऊबि गेल छल। ओकरा बुझवा मे आबि गेल जे ओकर स्थान कोनो बहिकिरनी सँ अधिक नञि छल। जे व्यवहार सुजाताक संग होइत छल से जँ कोनो बहिकिरीनीयोक संग होइत तँ ओ छोड़ि-छाड़ क पड़ा जाइत मुदा सुजाता सेहो तँ नञि क सकैत छल।"[9]

महिला महिलेकेर विपक्षमे रहैत छथि। जँ महिला लोकनि एक-दोसराक दुखकें बुझथिन त निश्चित अछि जे महिला लोकनिक दुख बड़ कम भे जायतनि मुदा नहि। से सुख बड़ कम समय होयत छैक आ जखन होइत छैक त सोझे दुख दूर भऽ जाइत छैक। उपन्यासकार अपन श्सुजाताश उपन्यासमे दूनू प्रकारक महिलाक चित्रण प्रस्तुत कयलनि अछि। देखल जाय दुख नहि बुझयबालीक चित्रण -

"धार्मिक पोथी पढ़ि अपन समय व्यतीत करैत छलीह। एक दिन पड़ोस मे ककरहु विवाह छल। साँसे गामक लोक के हँकार छल। सुजाता मायक आग्रह पर ओहि विवाह बला आंगन गेलीह। ओना तँ दैवक प्रकोप आ हुनकर दुर्भाग्य छल जे काँच वयस मे ओ विधवा भ गेल छलीह। कोनहु मांगलिक काज में विधवा नञि जाय ऐहन कोनो बाध्यता तँ अछि नञि मुदा समाज मे एहन बजन्ता लोक होइत अछि, जेकर मुँह केओ नञि रोकि सकैत अछ। जखन कि पीठक पाँछा एहन लोकक सब खिधांसे करैत अछि मुदा सोझां मे बजबाक साहस करकहु नञि होइत अछि।

सुजाता के देखितहि लाल दाई बाजि उठलीह-कहु तँ इ कुलक्षिणी कोना रंग में भंग करबाक लेल आबि गेल अछि। ऐहि मे तँ सुहागिन के काज पड़ैत छैक। एकरा तँ देखनहु अशुभ होएत। लाल दाईक गप्प सुनि सुजाता के बुझायल जे केओ हृदय मांझ बाण मारि देलक। ओ तिलमिला उठल आ बिना किछु बजनहि अपना आंगन आपस चल आयल।"[10]

हिनक भाषा-शैलीपर ध्यान देलापर ज्ञात होइत अछि जे हिनक भाषामे अरबी-फारसीक शब्दक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना - इमानदार, आवाज, खूब, शेखी, इलाका, हालत, खराब, आदमी, तरह, हू-बहू, दरमाहा, करीब, शहर, शहरी, शुरू, गरीब, कबुला, करीब, बेहोश, सिलसिला, खतम किसिम (किस्म), जमाना, सुपुर्द, तलाक, जबरदस्ती, इशारा, मजाक, दस्तखत, वर्दास्त, जहर, खास, खतरा, फायदा, मौलाना, साहेब, निकाह, माहिर, नाज, जूलूम, असली, नुकसान, माँफी, सुपूर्द आबाद, इलाज, जमीन, आफत, दस्तूरी, लाश, गुजर, बर्दास्त, तमादी, आलीशान, मुअत्तल, सजा, शिकायत आदि।

विशेषण शब्दक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना- पुरबा बसात, मंद सुगंधि, नवजात शिशु, अत्यन्त मनमोहक, सुभ्यस्त परिवार, पाँचम पुत्र, मध्यम वर्गीय परिवार, चाटुकार मित्र, बलेंक चेक, विशेष स्नेह, बड़ मेधावी, पैघ भाय, प्रिय पात्र, अत्यन्त सुन्नर, अत्यन्त रसिक, अभिन्न मित्र, बड़ चिक्कन, हँसमुख लोक, मृदुभाषी, सुयोग्य वर, नीक घर-वर, आर्दशवादी, बारागत, अत्यन्त प्रसन्न, अनोना उपवास, कुशल जादूगरनी, नव परिवार आदि।

युग्म शब्दक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना- एम्हर-ओम्हर, खेती-बाड़ी, रहन-सहन, अपना-अपना, खरचा- बरचा, चारि-चारि, जोगार-पाती, आइ-काल्हि, कौआ- कुकुर, उठा-पटक, चाह-पान, पालन-पोषण, धीरे-धीरे, पढ़ाई-लिखाई, देखबा-सुनबा, कद-काठी, पैघ-पैघ, गप-शप्प, आयब-जायब, मोल-जोल, घर-आँगन, कबुला-पाती, पढ़बा लिखबा, आचार-विचार, माय-बाबू, टोल-पड़ोस, घुमाबैत-फिराबैत, हँसी-चौल, अगल-बगल, भानस- भात, सिआई-कढ़ाई, पठन-पाठन, माँ-बाबू, रंग-रूप, अड़ोस-पड़ोस, कद-काठी, अंग-प्रत्यंग, सिंगार-पेटार, खेत-पथार, घर-वर, हरही-सुरही, बेटी-जमाय, वर-विदाई, गाजा बाजा, नामी-गिरामी, तीन-चारि, आव-भगत, पढ़ेबा-लिखएबा, चीज वस्तु, युग-जवाना, विवाह-दान, बचल-खुचल, विध-वाध, रमन-चमन, सीता-राम, अनुनय-विनय, रूसा-फुली, आदान-प्रदान, फूकि-फूकि, दस-बारह, एक-दोसर, पर-पंचौती, दियाद-वाद, भोजन-भात, पर-परिवार, संगी-सहेली ठेल ठालि, रंग-बिरंग, मह-मह, पढ़लि-लिखली, मुनि-महात्मा, मन्द-मन्द, सास-ससुर, सेवा-सुश्रुखा, खाएबा-पीबा, कपड़ा-लता, बीच-बीच, बुझा-बुझा, मेल-जोल, नोक-झोक, बुझैत- फिरैत, हँसी-मजाक, हँसी-ठहाका, अपना-अपना, धमा-चौकरी, पास-पड़ोस, माछ-मरूवा, शृंगार-पेटार, कुकुर-विलाड़ि, दिन-राति, दबाई-दारू, खाएबा-पिबा, छोड़ि-छोड़ि बात-बिचार, बात-बात, पढ़ल- लिखल, यदा-कदा, मारि-पीट, अनाप-सनाप, थाना पुलीस, टोल-पड़ोस, उकहि-पुकटि, जहर माहुर आदि।

काव्यात्मक भाषाक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना-

1. "प्रतीक्षा छल एक नवजात शिशुक आगमन केर।"[11]
2. "परिचर्चा छल मुस्लिम पसर्नल कानून में संशोधन केर आवश्यकता पर।"[12]

कहबीक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना-

1. "साओनक आन्हर के सब तरि हरियरीये सुझैत छै।"[13]
2. "आगू नाथ ने पाछू पगहा, बिना छान केर कूदै गदहा।"[14]
3. "बाँझ को जानए प्रसब के पीड़ा।"[15]
4. "अपन पेटतँ कौओ-कुकुर पोसी लैत अछि।"[16]
5. "कान तँ सोन नहि, सोन तँ कान नहि सोन।"[17]
6. "बेटी त दोसराक धन होइतहि अछि।"[18]
7. "बर तँ घर नहि, घर तँ वर नहि।"[19]
8. "बरद बेचि बौआक विवाह करायब।"[20]
9. "आयल लक्ष्मी कें के ठोकराबैत अछि।"[21]
10. "विवाहसँ विध भारी।"[22]
11. "स्त्रीगण ओहुना पुरुषक अपेक्षा अधिक द्यावती होइत छथि।"[23]
12. "जखन उखड़ में मुँह देलनि तँ मूसरक कतेक डर?"[24]
13. "दूधक जरल मट्ठो फूकि- फूकि के पिबैत अछि।"[25]
14. "सुर- सुर आ मुर-मुर दूनू नहि होइत छैक।"[26]
15. "जतेक मुह ततेक गप।"[27]
16. "जेकरा कपार मे जे लिखल अछि से तँ भोगहि ने पड़त।"[28]
17. ष्ठंकिछु लोहोक दोष तें किछु लोहारोक।"[29]
18. "घी कतए हेरायल, राहरिक दालि मे।"[30]

मुहावराक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना- लुत्ती लगायब, आँखिक तारा, पैरक नीचाक जमीन ससरब, नाकपर माँछी बैसब नहि देब, रंग में भंग करब, मक्खन लगायब, छठिहारक दुध मोन पाड़ब, आगि मे पानि दारब, छः पाँच नहि बुझब, बकोर लागब आदि।

अंग्रेजी भाषाक शब्दक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना – लौज, चेक, स्कूल, कालेज, बी.ए, फार्म, फोटो, भी, डी. ओ ग्राफी, केटली, प्लेट, फ्रीज, टी.भी, प्राइवेट, आफीस, सीन, होटल, फार्म, पर्सनल, फेल, परोपगंडा आदि।

गारिक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना– सार, सरधुआ, दोगला आदि।

अलंकारिक भाषाक प्रयोग सेहो देखबामे आबैत अछि। जेना–

1. "जखन ओ साड़ी पहिरि बहराइत छलीह तँ बुझाइत छल जेना स्वर्ग सँ को रहु अप्सरा धरती पर उतरल हो।"[31]
2. "बिना सिंगारो–पेटारक कामदेवक कामागिन सन दमकैत छलीह जेना बुझाइत छल जे विधाता अपनहि हाथे निरमौने होथि।"[32]
3. "बेटा बला तँ अकाश जेना मुँह फारने रहैत अछि।"[33]
4. "आदेश भेटितहि पढ़ायल सुग्गा जाऊँ धारा प्रवाह अपन व्याख्यान शुरू कएलन्हि।"[34]
5. "बाजार मे तँ जेना आगि लागल छैक। सब चीज वस्तुक दाम आकाश छुने जाइ अछि।"[35]
6. "सुजाताक सेज विविध रंगक फूल सँ सजाओल गेल छल, जेना बुझाइत छल जे रति महारानी अपनहि हाथ सँ कामदेवक सेज सजौने होथि।"[36]
7. "सुजाता समुद्र जायँ गम्भीर भे सबटा लहरि अपना पेटमे रखने रहि गेलीह।"[37]
8. "सब काज कराओलक बाद ओकरा दूधक माँछी जकाँ फेकि देल जायता।"[38]

अंतमे हम इएह कहय चाहब जे एहि उपन्यासमे जे कथा आयल अछि, ओकरा आओर विस्तारसँ लिखय जा सकैत छलैक मुदा जे कहबाक अभिप्राय छलनि, से अभिष्ट एतबोसँ पूरा भे जाइत छैक।

भूरान्वेषी (छिद्रान्वेषी) क काजे होइत अछि जे ओ भूरक अन्वेषण करथि। तें एहि उपन्यास भूर अछि त्रुटिपूर्ण छपाइ जे वर्णसंशोधनक काज छलकि जे नहि कयल गेल अछि।

संदर्भ सूची

1. मिश्र नंदन कुमार – 2006 ई.; सुजाता, श्रीमती अमल देवी, भीखनपुर, बोल्हवार, पृष्ठ– अंतिम आवरण पृष्ठ
2. उपरोक्त, पृष्ठ – 1
3. उपरोक्त, पृष्ठ – 0
4. उपरोक्त, पृष्ठ – 1
5. उपरोक्त, पृष्ठ – 3
6. उपरोक्त, पृष्ठ – 5–6
7. उपरोक्त, पृष्ठ – 8–9
8. उपरोक्त, पृष्ठ – 21
9. उपरोक्त, पृष्ठ – 24–25
10. उपरोक्त, पृष्ठ – 27
11. उपरोक्त, पृष्ठ – 1
12. उपरोक्त, पृष्ठ – 35
13. उपरोक्त, पृष्ठ – 2
14. उपरोक्त, पृष्ठ – 2
15. उपरोक्त, पृष्ठ – 2
16. मिश्र नंदन कुमार – 2006 ई.; सुजाता, श्रीमती अमल देवी, भीखनपुर, बोल्हवार, पृष्ठ – 2
17. उपरोक्त, पृष्ठ – 4
18. उपरोक्त, पृष्ठ – 7
19. उपरोक्त, पृष्ठ – 7
20. उपरोक्त, पृष्ठ – 8
21. उपरोक्त, पृष्ठ – 10
22. उपरोक्त, पृष्ठ – 13
23. उपरोक्त, पृष्ठ – 13
24. उपरोक्त, पृष्ठ – 13

25. उपरोक्त, पृष्ठ - 15
26. उपरोक्त, पृष्ठ - 27
27. उपरोक्त, पृष्ठ - 28
28. उपरोक्त, पृष्ठ - 29
29. उपरोक्त, पृष्ठ - 32
30. उपरोक्त, पृष्ठ - 7
31. उपरोक्त, पृष्ठ - 7
32. उपरोक्त, पृष्ठ - 10
33. उपरोक्त, पृष्ठ - 11
34. उपरोक्त, पृष्ठ - 11
35. मिश्र, नंदन कुमार - 2006 ई.; सुजाता, श्रीमती अमल देवी, भीखनपुर, बोल्हवार, पृष्ठ - 17
36. उपरोक्त, पृष्ठ - 44
37. उपरोक्त, पृष्ठ - 45
38. उपरोक्त, पृष्ठ - 42

मौर्योत्तरयुगीन जल प्रबन्धन तथा सिंचाई व्यवस्था

डॉ० विकास कुमार

एम.ए., पीएचडी, (इतिहास) तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

जल का उचित प्रंबन्धन का भारतीय इतिहास काफी पुराना है। जब भारत का प्रथम नागरिक सभ्यता सिंधु सभ्यता की बात करें, तो तलाबों में स्वच्छ जल भरने और गंदे जल के निकासी का उचित प्रबन्ध था। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से सोलह से अधिक जलाशयों का साक्ष्य मिला है। लोथल से मिली गोदी के बनावट से पता चलता है कि गोदी को बनाने वालों को जल विज्ञान और समुद्री इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान था।[1] वैदिक ग्रंथों में जल का धार्मिक और औषधीय महत्ता को बतलाया है। जल के लिए यज्ञ के माध्यम से जल देवताओं से आह्वान करने का उल्लेख मिलता है। यानि वैदिक काल में जल का प्रबन्धन केवल कृषि कार्य के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक क्रिया-कलापों तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोगी बतलाया है।

मौर्यकाल आते-आते जल का जल का उचित और वैज्ञानिक प्रंबन्ध जल, यानि दोनो का संचालन राज्य की नीतियों एवं योजनाओं का हिस्सा बन गया। मौर्यकाल में न सिर्फ सरकारी प्रयास, बल्कि निजी प्रयासों के द्वारा भी जल की कमी को दूर करने का प्रयास शुरू किया गया।

मौर्योत्तर काल में भी उचित व वैज्ञानिक जल प्रबन्ध किया था। सिंचाई के दो प्रमुख स्त्रोत प्राकृतिक और कृत्रिम का उचित प्रबन्ध किया था। राज्य और निजीस्तर दोनों स्तर पर सिंचाई का प्रबन्ध करने का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए इस काल में वर्षा पर अधिक निभर्रता थी। खासकर धानों की खेती के लिए वर्षा महत्वपूर्ण था। माना जाता था कि वर्षा बरसा तो समझो धान की खेती हो गया। बरसे हुए जल की माप गौ खुर गढढा भरने वाला वर्षा, चूहे के बिल भरने योग्य वर्षा आदि। नदियाँ भी इस समय सिंचाई के प्रमुख साधन थे। 'कुल्या' नदियों से निकाली जाती थी, ताकि सिंचाई हो सके। सिंचाई के लिए कृत्रिम जल प्रबंधन किया था। जो निजीस्तर पर भी होता था। निजी स्तर पर जल का प्रबन्ध करना पुण्य कार्य बताया है। शक-कुषाण शासकों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सिंचाई या सार्वजनिक प्रयोग के लिए कुओं, तालाब, वापी का निर्माण करना पुण्य कार्य माना जाता था। तलाबों, कुओं के निर्माण के पिछे एक उद्वेश्य धार्मिक और लोककल्याण के लिए भी था। मथुरा से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके भ्रंजवर (कोषाध्यक्ष) ने पुष्पकरिणी, कुँआ, कुण्ड आदि का निर्माण कराया था।[2] नहपान (119-124 ई०) के काल का नासिक गुहा अभिलेख सूचित करता है कि इसके जामात उषवदात ने दशपुर, भृगुकच्छ, गोवर्द्धन एवं सूपरपारक में आराम, तड़ाग तथा उदपान का निर्माण कराया था। इस प्रसंग में प्रभास अभिलेख पुण्यतीर्थ तथा देवताओं एवं ब्राहमणों को उसके दान का भी उल्लेख करता है।[3] सातवाहन शासक पुलुमावी (217-25 ई०) के शासन काल के शिलालेख से ज्ञात हाता है कि गृहपति शाम्ब ने तड़ाग खुदवाया था।[4] पाकिस्तान के अभिलेखों में उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेश के वषिरांग सहचरों के 4 ईसापूर्व से 3 ईसा पूर्व के बीच के कुँओ के निर्माण की चर्चा है। अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लाभ एवं सभी प्रकार के प्राणियों के कल्याण के लिए पुष्पपुर के किसी व्यक्ति द्वारा बनवाये गए कुँआ का उल्लेख मिलता है। यह कुओं का जल पेय जल और सिंचाई दोनों के लिए होता था।[5] शक क्षत्रप रूद्रसिंह के किसी सेनापति ने भी 'रसोपद्रग्राम' में ऐसे ही कुँए का निर्माण कराया था, जिसका उद्वेश्य सर्वजन हित एवं सुख था। इस कूपों का उपयोग जल पीने के साथ हीं कृषि क्षेत्र की सिंचाई के लिए होता था।[6] इसी प्रकार श्रीधरवर्मन के 'कानखेरा अभिलेख', रूद्र सिंह प्रथम के 'गुन्दा पाषाण अभिलेख', शंकर दर्श अभिलेख, उन्द अभिलेख, पेशावर म्यूजियम अभिलेख आदि में उल्लेखित राज्य तथा निजी तौर पर निर्मित कूपों के निर्माण का उद्वेश्य फसलों की सिंचाई रही थी।[7] विश्ववर्मन के मंत्री मयूराक्षक द्वारा विष्णु मंदिर के अतिरिक्त गर्गरा नदी के तट पर वापी, तड़ाग, मंदिर एवं कूप का निर्माण करवाया गया था।

मौर्योत्तर काल में छल्लेदार कुएँ के निर्माण का संकेत मिलता है। हस्तिनापुर से मौर्योत्तरकालीन छल्लेदार कुँए का साक्ष्य मिला है। मथुरा से प्राप्त मौर्योत्तरकालीन कुछ छल्लेदार कुँए मिले है। ऐसे छल्लेदार कुएँ हस्तिनापुर, नई दिल्ली, रोपड़ कौशाम्बी उज्जैन, मथुरा और नासिक में पकी ईटों और पत्थरों के बने अनेकों 'छल्लेदार' व 'खडंजायुक्त' कुआँ (रिंग वेल) का साक्ष्य मिला है, जिसका प्रयोग पीने के अलावे सिंचाई के लिए करते थे।[8]

नहरें

मौर्योत्तर काल में सिंचाई के लिए नहरों की निर्माण बड़े पैमाने पर की गई सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मौर्योत्तर काल के साहित्यिक रचना पंतजलि के 'महाभाष्य' में खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के निमार्ण का उल्लेख किये है। मौर्योत्तर काल के लेखक मनु ने भी सिंचाई के काम में आने वाले 'प्रस्त्रणानि' और 'सततमुदकागम' का उल्लेख सिंचाई के काम आने वाले कुछ नहरों और नदियों का संकेत किया है।[9] महाभाष्य में 'कुसुल' शब्द का प्रयोग शायद नहरों के लिए हुई थी। 'कुसुल' का तात्पर्य - सम्भवत: धान के खेत के चारों ओर खोदी गई खाई से है।[10] सामान्यत: कुसुल शब्द का प्रयोग 'खल्य' के अर्थ होता है।[11] वाल्मिकी ने भी वर्षाजल के संग्रह के लिए खाई का उल्लेख किया है।[12]

कलिंग राज खारवेल द्वारा एक नहर विस्तार करने का उल्लेख मिलता है। जैसा कि हाथीगुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग नरेश अपने राज्याभिषेक के 5वे वर्ष, 35 लाख मुद्रा खर्च करके 'तनसुलीय नहर' का विस्तार करवाया था।[13] मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट बेसनगर में भी मौर्योत्तरकालीन नहर के संकेत मिला है। यह नहर 'बेस' नदी से निकली थी। इस नहर की चौड़ाई 7 फीट और दीवारें 5.6 फीट ऊँची है। नहर की एक शाखा 186 फीट लम्बी है।[14] रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य शासकों के काल में सुदर्शन झील पर निर्मित नहर का शक शासक रूद्रदामन ने मरोम्मत करवाया था। कुओं के अलावे सिंचाई का महत्त्वपूर्ण साधन तालाब था। तलाबों को कुओं से सौ गुना अधिक महत्त्वपूर्ण बताया गया है। मौर्योत्तर युग में अनेक तालाबों के निर्माण का अस्तित्व मिलता है। 200 ई० पू० के पूर्व एक बड़े तालाब देश के पश्चिमोत्तर भाग में उत्खनन के बाद प्रकाश में आया है। तक्षशिला के 'धर्मराजिका स्तूप' के पास से मौर्योत्तरकालीन एक तालाब का साक्ष्य मिला है।[15] इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर में ई० सन के प्रारंभिक काल का तालाब प्रकाश में आया है। तालाब के उत्तर में जल के लिए प्रवेश द्वार और दक्षिण में निकासी द्वार बना है। यह तालाब अपने आप में अद्वितीय है।[16] शक - पहलवकालीन स्थान सिरकप में एक अर्धचन्द्राकार मंदिर (चौत्य) के आंगन में पहली ई० सदी की इमारतों के साथ पानी के लिए एक छोटा और छिछला कुंण्ड भी मिला है। उत्खनन से बेसनगर विदिशा में वासुदेव के चबूतरे (द्वितीय शताब्दी ई० पू० पर बने मंदिर के निकट तालाबों के कुछ अंश दिखलाई पड़ता है।[17]

सिंचाई यंत्र

सिंचाई के लिए तकनीकी यंत्रों का मदद लिया था। आभीर शासक माठरीपुत्र ईश्वरसेन के समय के नासिक बौद्ध गुहाभिलेख में 'ओद्यन्त्रिक'[18] उल्लेख मिलता है, जिसका पहचान जलीय इंजन बनाने वाले श्रमिकों से की गई है। पंतजलि के महाभाष्य[19] में वर्णित 'उद्कोदवन', 'वारित्रम', 'खण्डिकादिगण' और 'युग वस्त्रा' से स्पष्ट होता है कि मौर्योत्तर काल में बैलों के सहारे 'रहट' यंत्रों व उपकरणों से पानी निकालकर करने की प्रथा थी। मौर्योत्तर काल के कवि 'हाल' की रचना 'गाथासप्शती' से सातवाहन काल में मिट्टी के घरो की माला या चेन वाले रहट यंत्र के प्रयोग करने की जानकारी मिलती है।[20] बड़े कुँओं या जलाशयों से इस यंत्र को लगाकर चक्र घुमाने से पानी बाल्टी से भटकर उपर आती और ऊपर पानी उलटकर पुन: नीचे जाती थी। 'युग वरत्रा' जुए में बँधी हुई रस्सी या वरत को कहते थे। 'उदकोदंवन' बाल्टी का दूसरा नाम था। गोचर्म, 'उष्ट्राजिन' आदि का उपयोग रस्सी के रूप में होता था।

निष्कर्ष -

कुल मिलाकर मौर्योत्तर काल में वर्षाजल पर निर्भरता कम करते हुए कृत्रिम जल सिंचाई प्रबंधन किया था। राज्य और निजी दोनों स्तर पर सिंचाई का समुचित प्रंबन्ध किया था। श्रेणी संगठनो ने भी पुण्य कार्य हेतू अनेकों कुओं, तलाबों, तड़ागों का निर्माण करवाया था। यही कारण है कि मौर्योत्तर काल में आर्थिक सम्पन्नता थी। चूँकि सिंचाई का प्रंबन्ध से कृषि काफी उन्नत थी। मौर्यकाल में सरकारीस्तर पर सिंचाई का जो प्रंबन्ध किया था, वह मौर्योत्तर काल में जारी रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. मोतीचन्द्रा सार्थवाह, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1966 पृ० - 31
2. डी० सी. सरकार, सेलेक्ट इन्ग्स्क्रण्शन, जिल्द - 1 संख्या 25, दिल्ली, 1983, पृ० 121
3. पूर्वोक्त
4. पूर्वोक्त, पृ० 167-68

5. पूर्वोक्त, भाग - 1, पृ० 149
6. एपीग्राफिका इंडिया, भाग - 16, पृ० 16
7. डॉ. मनोज कु० सिंह, भारत में जल प्रंबन्धन, राइटस च्वाइस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2017 पृ० 59
8. हिमांशु शेखर, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बीएफसी पब्लिकेशन, लखनऊ, 2024, पृ० 225
9. मनोज कु० सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 56
10. बेनीमाधव बरूआ, खाखेल का हाथीगुफा अभिलेख, ब्राहमी इंसक्रिप्सन पृ० 50-51
11. मनुस्मृति 8/248, 252
12. पंतजलि, महाभाष्य 1/1/24
13. आर. एस. शर्मा, लाईट ऑन अर्ली इंण्डियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी मनकटालास प्रकाशन बम्बई, 1966 पृ० 98-99
14. रामायण 2/62/10
15. जॉन मार्शल, तक्षशिला, भाग - 1, कैम्ब्रिज प्रकाशन, पृ० 155
16. मनोज कु० सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 51
17. पूर्वोक्त
18. पूर्वोक्त, पृ० - 59
19. डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री, पतंजलिकालीन भारत, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 2001, पृ० 247
20. रणवीर चक्रवती, भारतीय इतिहास का आदिकाल, ओरिएंट ब्लैकस्वान पब्लिकेशन, 2020 पृ०238

शिकंजे का दर्द: शोषण से स्वावलंबन की यात्रा

पूनम

शोधार्थी, हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाण

शिकजे का दर्दश आत्मकथा खोखले आदर्शों की नींव पर खड़े उस मनुवादी समाज व्यवस्था पर प्रश्न लगाती है जहाँ आधी आबादी मनुष्य जीवन जीने के अधिकार से ही वंचित कर दी जाती है। वे आजीवन संयोगवश प्राप्त स्त्री देह और जाति के चक्रव्यूह को भेद ही नही पाती। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री या तो देवी है या दानवी। उसे अपनी इच्छा और विवेक की बजाय उन तथाकथित आदर्शों के लिए जीना मरना पड़ता है जिसका उसकी इच्छा और विवेक से कोई सरोकार ही नहीं होता है। संस्कारवश उसमें इतनी चेतना ही नहीं होती कि अपने सुख दुख, रातभर ली दुखद करवटों और चूल्हे में होम किए अपने जीवन का हिसाब किताब मांग सके। शिंकजे का दर्द आत्मकथा में सदियों से चली आ रही शोषण की परिपाटी पर न केवल तीखे प्रश्न उठाए है अपितु उसे समतामूलक मानवता आधारित समाज व्यवस्था की ओर अग्रसर होने का रास्ता भी दिखाया है। इस आत्मकथा में लेखिका के जीवन के विभिन पड़ाव पर झेले कष्टों का दस्तावेज है। समाज द्वारा उसकी चेतना को कुंद करने के प्रयासों का वह मुंह तोड़ जवाब देती है। वे जन्म, परवरिश, शिक्षा ,व्यवसाय ,जीवन विवाह और निर्वाह की स्वतंत्रता आदि हर एक पड़ाव पर बाधाओं से मुकाबला करती है।

सुशीला टाकभौरे जी बताती है कि जन्म के समय जब उसकी नानी ने बाहर लाकर घर के लोगों को दिखाया तो वे सब उसके सांवलेपन और बदसूरती पर हंसे थे, यहीं से उसका देह के आधार पर मूल्यांकन शुरू हो गया। पर उसने परवरिश में देखा कि स्त्री की देह और नाम भी उसके कहां होते है, वे प्रश्न करती है कि "पिताजी माँ को बुलाने के लिए नाम न लेकर उन्हें कमल की माँ और कल्लू की माँ कहकर बुलाते थे। माँ भी उन्हें नाम से न पुकार कर कल्लू के बाप या कमल के बप्पा कहती थी। इसे सामाजिक मर्यादा के रूप में निभाया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी, वे शीला की माँ और शीला के बप्पा क्यों नहीं कहते? क्या मैं उनके लिए परायी थी?"[1]

वे बताती है कि लड़कियों को ससुराल की अमानत और पराए घर की चिरैया कह ब्याह दिया जाता है और शादी के बाद घर के काम और बच्चे संभालने के कारण स्कूल नहीं भेजा जाता,परन्तु वह अपने घर वाले से जिद करके जब घर की चौखट लांघ जाती है तो उसे न्याय की पाठशाला स्कूल में ही अन्याय का शिकार होना पड़ता। स्कूल में पिछड़ी जाति के बच्चों को पीछे बैठाया जाता तथा बच्चे, चपरासी और अध्यापक सभी उनके साथ अपमानजनक व्यव्हार करते। वे बताती है कि बचपन से ही दासता,भय और चुप रहने के संस्कार उसे अपना विरोध दर्ज ही नहीं करने देते। अपने समाज में गरीबी का भयावह रूप उन्होंने बहुत निकटता से देखा वे लिखती है कि "नानी को गाँव का काम पैतक दाय के रूप में मिला था। दिनभर कड़ी मेहनत करने के बाद रूखा-सुखा, जूठा पाना ही उसका प्राप्य था। नानी अपने काम से, अपनी स्थिति से और मजबूरी से दुखी थी, मगर न तो उसके पास जीवन-यापन का कोई दूसरा विकल्प था और न ही उसे कोई नई राह, नई दिशा-की जानकारी देने वाला मिला जो उससे इस नरक जैसी जिंदगी को छोड़ने की बात कहता"।[2]

अपनी शिक्षा को सुचारु रूप से चालू रखने हेतु उसे अपने पिता और भाइयों के विरोध को भी सहना पड़ा। रास्ते में छेड़छाड़ होने के बाद उसे पिता की नाक बचाने लिए घर पर रहने को कहा और समझाया कि तुम गलत नहीं हो पर जमाना गलत है। वे उस जमाने को बदलने की न तो खुद जद्दोजहद करते न ही अपनी पुत्री को हिम्मत करने देते। इसी प्रसंग में ममता कालिया एक उदाहरण बताती है कि 16 दिसम्बर सन् 2012 को लोअर परेल शक्तिमिल परिसर में बलात्कार का शिकार हुई पीड़िता ने बहादुरी का परिचय दिया। उसने अस्पताल के बिस्तर से कहा, 'बलात्कार से जीवन खत्म नहीं हो जाता। मैं स्वस्थ होने पर वापस काम पर जाऊँगी।'

वे लिखती है कि "शाबाश मेरी अनाम दोस्त, तुमने स्त्री विमर्श की सबसे समर्थ खिड़की खोल दी। बलात्कार के प्रति पुरातन सोच की जकड़बन्दी यह है कि बलात्कार हुआ तो पीड़ित की इज्जत हमेशा के लिए चली गयी। वह लड़की परिवार और समाज में सिर उठा कर जीने के हक से वंचित हो गयी। ये सब सामन्ती विचारधारा के तर्क हैं जो पुरुष समाज द्वारा स्त्री को दबा कर रखने के लिए गढ़े गये हैं"।

सुशीला टाकभौरे बताती है कि वह अपने साथ होने वाले लिंगभेद और जातिभेद के प्रति हमेशा सजग रही वे लिखती है कि "अपनी जाति का आभास बचपन से था। हम अछूत हैं यह भी जानती थी। लोग हमसे घृणा करते हैं, हमसे दूर-दूर रहते हैं। इस बात से अपमान महसूस होता था।"[3]

परन्तु वे इस अपमान से निजात पाने का रास्ता तलाशने से नहीं चुकी। उन्होंने शिक्षा में प्रवेश पाने और वहां अपनी प्रतिभा दिखाने का हर अवसर भुनाया। कॉलेज में एडमिशन न कराने पर उसने खाना पानी तक छोड़ देने का फैसला लिया तो उसकी माता ने उसकी पढ़ाई के प्रति दृढ़ निश्चय देखकर पिता से विनती की और कहा कि कॉलेज में नाम न लिखवाया तो लड़की मर जाएगी। अपने संघर्ष की गाथा को बयां करते हुए वह कहती है कि "मैं बी.ए. द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी, तृतीय वर्ष की रजनी मोदी ने कहा था- "सुशीला का चेहरा हम सबसे ज्यादा चमकता है।" तब सचमुच यह चमक अभावों में रहते हुए आत्मविश्वास की थी, पढ़ाई में हमेशा आगे रहने के विश्वास की थी, सादा जीवन उच्च विचार की थी और माँ, नानी के सरल-तरल ममत्व की छाया में विकसित जीवन तत्त्व की थी"।[4]

स्त्री को समाज के उन चरम आदर्शो को पालन करने हेतु बाध्य किया जाता है जो उससे मनुष्व की गरिमा भी छीन लेते है। वे बताती है कि समाज में अपनी इच्छा से किसी से प्रेम करने को पाप माना जाता है और फिल्में, कथा कहानी और परिजन उसे यही समझते है कि हम जिसके साथ तुम्हारा विवाह करेंगे उसी से प्रेम करना है। सुशीला जी अपने बेमेल विवाह की व्यथा को ताउम्र झेलती है उसके पति उसका शारीरिक मानसिक उत्पीड़न करते है।

"कभी-कभी वे स्पष्ट शब्दों में कहते थे-मेरे पैरों पर अपना सिर रखकर माफी माँग, तब मैं तेरी बात मानूँगा। छोटी-छोटी बातों को गलतियाँ बताकर हड़कम्प मचाना, जोर से चिल्लाकर अपना आतंक बताना, गुस्से से डाँटना, मारने के लिए हुमककर आना-प्रतिदिन की आम बात थी।"[5]

वे इस बात पर प्रकाश डालती है कि खुद स्त्री भी किस प्रकार पत्नी और मां से भिन्न रूप में अपने अस्तित्व को नहीं तलाश पाती। जिस प्रकार नीत्शे कहता है, "औरत की हर चीज एक गुत्थी और पहेली है। औरत के विरोध का सिर्फ एक ही इलाज है और वह है उसे गर्भवती कर डालना।"[6]

सुशीला जी लिखती है कि शादी के बाद बांझ का धब्बा मुझ पर लगा रहा। ननद व सास ने उस पर अनेकों तंज कसे और कहा कि बांझ बांझोटो का धन किसी के काम का नहीं होता। वह अपने संपति के अधिकार से भी वंचित कर दी जाती है उसका पहला वेतन उसका पति वसूल लेता है और उसकी कमाई से खरीदे गए फ्लैट पर उसकी नेम प्लेट लिखवाने से कतराता है वे इस पीड़ा को स्वर देती है। वे बताती है पति मुझे अक्सर कहते थे- "तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तेरी औकात एक बर्तन माँजने वाली नौकरानी के बराबर है।" न जाने क्यों वे मेरी शिक्षा, डिग्री, नौकरी, सम्मान और मेरे वेतन को कभी अहमियत नहीं देते थे। उनके साथ घर में मारपीट, गाली गलौज, लातों बेंतों से मारना और पीठ पर घूंसे मारने जैसा अमानवीय व्यवहार होता। विवाह व्यवस्था स्त्रियों के शोषण का जरिया ही अधिक बनती है जैसे की

तहमीना दुर्रानी लिखती है कि "मैंने महसूस किया कि हमारी शादी हमारे संबंध पर नहीं बल्कि जटिल बाहरी शक्तियों पर सधी थी, जैसे मेरा अहं, मेरे परिवार और समाज की नजरों में विफलता का भय, मेरे बच्चों को खोने का भय, एक शादीशुदा महिला की हैसियत खोने का भय। मैं हमेशा अभिनय करती रहती थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरी वैवाहिक जिंदगी की पोल खुल जाएगी"।[7] वे अपनी पीड़ा का प्रत्युत्तर देती हुई अपना लेखन शिक्षण कार्य नहीं छोड़ती। वे कहती है कि अगर आपसे पूछकर पत्र लिखती या कोई काम करती तो आप करने ही नहीं देते आप तो चाहते ही है कि मैं आपके सहारे जीवन को निर्बलता से ढ़ोती रहूं। वे पितृसत्ता के दोहरे मापदंड को पहचानती है कि किस प्रकार चरित्र ,मूल्य ,आदर्श की बेड़ियां नारी के जीवन को कुंठा और कष्ट से जकड़ देती है।

इसी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए तस्लीमा नसरीन लिखती है कि "घोर जातीयतावादी-धार्मिक पुरुषतान्त्रिक आदर्शों की तरफ से यह आदेश मिला है। नारी कुल भगवान सेवा, पति सेवा, गृहस्थी सेवा में मग्न रहे। भारतीय नारी को भारतीय आदर्शों का प्रतीक बनना ही होगा"।[8] सुशीला टाकभौरे जी जमाने की लक्ष्मण रेखा को लांघ कर अपनी पुत्री का अंतर्जातीय विवाह बिना दान दहेज के करती है।

वे अपनी कलम से अनेकों स्त्रियों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है वे लिखती है कि "मेरा लेखन मेरी जरूरत है, मेरे समाज की जरूरत है। अपने सामाजिक, आर्थिक जीवन के, कई तरह के शिकंजों के दर्द के बीच, लेखन ने मुझे उर्जा दी है, पहचान दी है, मेरे जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब यह मेरी खुशी बन गया है, समाज-ऋण चुकाने का जरिया बन गया है। वे पूरे समाज के लिए हैं, न्याय के लिए, मानवता के कल्याण के लिए हैं।[9]

इस प्रकार उनके लेखन में एक तिलमिलाहट है जो पाठक को यथार्थ की ओर नजर टिकाने पर विवश करती है। वे समाज को समता , मैत्रीभाव और स्वतंत्रता की राह पर चलने की और अग्रसर करती है। उनका लक्ष्य मानवताभाव की प्रतिष्ठा करना और हर व्यक्ति को गरिमा पूर्वक जीवन जीने के प्रति जागरूक करना है, इस प्रकार वे पूरे समाज को आशा की नई किरण देती है।

संदर्भ ग्रन्थः

1. शिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभौरे, प्रलेक प्रकाशन, पृष्ठ 15 ।
2. शिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभौरे, प्रलेक प्रकाशन, पृष्ठ 25।
3. शिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभौरे, प्रलेक प्रकाशन, पृष्ठ 23।
4. शिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभौरे, प्रलेक प्रकाशन, पृष्ठ 125।
5. शिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभौरे, प्रलेक प्रकाशन, पृष्ठ 146।
6. आदमी की निगाह में औरत, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 22।
7. मेरे आका, तहमीना दुर्रानी, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 100।
8. औरत का कोई देश नहीं, वाणी प्रकाशन, तस्लीमा नसरीन,पृष्ठ 14।
9. शिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभौरे, प्रलेक प्रकाशन, पृष्ठ 273।

महिला लेखिकाओं के संस्मरणों में सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन

डॉ० पूनम शर्मा

सहायक आचार्य (हिन्दी) रघुकुल कॉलेज, गोनेर, जयपुर, राजस्थान

सामाजिक जीवन

नारी के योगदान का मूल्यांकन साहित्य में करना हो अथवा किसी अन्य क्षेत्र में, वह संभवत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज सभी क्षेत्रों में नारी ने पुरूष से साझेदारी निभाई हैं। महिलाओं में बढ़ती चेतना और जागरूकता ने उनकी पारम्परिक छवि को तोड़ा है। साहित्य के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी जिस तेजी से हो रही है उनमें संस्मरण साहित्य का महत्त्वपूर्ण योगदान है, उसे देखते हुए नारी अभिव्यक्ति का सामर्थ्य हैरान होने जैसी कोई बात नहीं है। लेखन को स्त्री-पुरूष में बांटने से कहीं अच्छा था कि स्त्री लेखन में स्त्री जीवन वर्णित हो फिर चाहे वह लेखन किसी स्त्री द्वारा लिखा हो या किसी पुरूष लेखक द्वारा। स्त्री-पुरूष की इस विभाजन रेखा को मिटाना समाज के लिए आवश्यक है तो साहित्य के लिए अनिवार्य।

'पथ के साथी' में संस्मरणकार महादेवी वर्मा सामाजिक जीवन को रेखांकित करती हैं। निराला भाई प्रसंग में वे लिखती हैं- "सबेरे चार बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रातभर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं।"[1] समाज के अनेक दृश्य इस संस्मरण में आत्मीयता से प्रकट होते हैं। महादेवी स्वयं सामाजिक जीवन से इतनी अभिन्न रही है जितनी वह साहित्य से भी नहीं। अनेक सामाजिक संगठनों से संस्मरणकार का संबंध रहा है।

संस्मरण नारी के सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन का जीता जागता दस्तावेज है, इनमें नारी जीवन की निजी अनुभूतियाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई हैं। अनेक लेखिकाओं ने जिनमें पद्मा सचदेव, महादेवी वर्मा, ममता कालिया, निर्मला जैन, बिन्दु अग्रवाल आदि ने अपने संस्मरणों में नारी जीवन को अभिव्यक्ति दी और उनके सशक्त लेखन का योगदान हिन्दी साहित्य को प्राप्त हुआ।

'कल परसों बरसों' की संस्मरणकार ममता कालिया समाज को चित्रित करती हुई लिखती हैं- मार्कण्डेय जी के बारे संस्मरणकार कहती हैं कि- "मार्कण्डेय जी आजन्म यह लड़ाई लड़ते रहे किन्तु उनकी लड़ाई में भी एक गरिमा थी। वे बिना किसी गरिमा के दूसरे को उसकी सीमा बता देते। जीवन से लेकर साहित्य तक उन्होंने यही गरिमा बना कर रखी।"[2] आलोच्य संस्मरण में ममता कालिया समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को महत्त्व देती हुई उसे समाजोपयोगी बनाने का प्रयास किया है।

'भारत भूषण अग्रवाल: कुछ यादें कुछ चर्चाएँ में बिन्दु अग्रवाल लिखती हैं- "भारत भूषण प्रखर बौद्धिक चेतना के कवि हैं। वे आस्था और विश्वास के कवि हैं, आधुनिक युग के मानव को उन्होंने आस्था और आशा का संदेश दिया है। मानव मंगल की भावना के लिए वे अपनी सफल साधना की उपलब्धियों को भी त्यागने के लिए तैयार हो गये हैं। भारत भूषण जी ने अपनी काव्य-प्रतिभा को सामाजिक यथार्थ के मध्य प्रतिष्ठित किया हैं।"[3]

संस्मरणों में भी नारी लेखन में मुक्ति के स्वर उभरे। वह नारी जिसे पुरूषों ने या तो सती सावित्री का जामा पहना रखा था या फिर वह जो उसके स्वप्नलोक में रची-बसी एक खुबसूरत देह थी। एक ऐसी बेजान देह जिसके भीतर कोई भावना नहीं होती, जिसे पुरूष प्रधान समाज में पुरूष के इशारे पर नचाया जा सकता है, उस नारी ने अपनी पारंपरिक छवि को तोड़ा, पुरूष के लिए यह चौकाने वाला विषय था कि नारी अभिव्यक्ति मुखर हो सकती है और वह भी स्वयं नारी के संदर्भ में।

पुरूष प्रधान परिवार व समाज में भी स्त्रियों का प्रतिरोध करना उसके अपने 'मैं' को पहचानने की कोशिश है। भारतीय समाज नारी के अस्तित्त्व बोध की समस्या से अनभिज्ञ रहा। विषमता की इन त्रासदियों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करना नारी की पहली अनिवार्यता थी। एक सच्चे साहित्यकार की पहचान भी यहीं है वह अपना कर्म बखूबी निभाये, चाहे उसका दायरा कितना भी सीमित क्यों न हो परन्तु वह जो कुछ भी अनुभव करे उसका यथार्थ चित्रण करे और वह महज कल्पनाशील न होकर यथार्थ की धरती पर खड़ा हो और एक सही तस्वीर समाज के समक्ष प्रस्तुत करें आज की महिला लेखिकाएँ अपने इस कर्म को बखूबी निभा रही हैं।

भारतीय संस्कृति में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। स्त्री और पुरूष ईश्वर की दो समानधर्मी कृत्तियाँ हैं। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। स्त्री-पुरूष मिलकर जीवन की एक महत्त्वपूर्ण इकाई का निमार्ण करते हैं। 'दाम्पत्य' शब्द इसी स्थिति को पुष्ट करता है। हमारी संस्कृति में स्त्री की महत्ता इसी बात से पुष्ट होती है कि वह न पुरूष की अनुगामी है अपितु वह पूरक है, उसकी जीवरसाथी है, सहधर्मिणी हैं। इन सबके बावजूद वह पुरूष की जन्मदात्री और उत्पन्ना होने से उसका स्थान पुरूष से श्रेष्ठ है।

पुराणों में आदि पुरूष शिव की कल्पना अर्द्धनारीश्वर के रूप में की गई है जो भारतीय संस्कृति में नारी के स्थान की ओर संकेत किया है। डॉ. अर्चना शेखावत ने भी भारतीय संस्कृति में नारी के अतीत कालीन स्थान के उत्कर्ष के भव्य चित्र को अंकित करते हुए माना है कि-''भारतीय संस्कृति में नारी अर्द्धांगिनी है, और पुरूष अर्द्धनारीश्वर युगल सामंजस्य की कल्पना विलक्षण है।"[4]

प्राचीन भारतीय मनीषियों ने भी नारी के स्थान की जितनी सुन्दर, सुव्यवस्थित, सम्पूर्ण अभिव्यक्ति वेदों में वर्णित की है उतनी अन्यत्र दुर्लभ है। वैदिक काल में हमारे समाज में नारी के प्रति बड़ा आदर भाव था। परिवार में विवाह का उद्देश्य केवल वासनापूर्ति न होकर गृहस्थ-धर्म का पालन, धर्मानुष्ठान, यज्ञ-सम्पादन और दाम्पत्य जीवन द्वारा श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति था। घर-गृहस्थी में नारी की प्रधानता थी परिवार की सभी गतिविधियों के केन्द्र में नारी थी। कन्या में ही धन की देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता था। कविवर गुप्त ने भी अपनी लेखनी से आर्य-स्त्रियों के स्थान को पुरूष-समाज में निर्धारित करते हुए माना है कि वे सद्गृहस्थी की वाहक दैवीय शक्ति के समान थी उन्हीं के शब्दों में-

''केवल पुरूष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था,
गृह-देवियाँ भी थीं हमारी देवियाँ ही सर्वथा।"[5]

इस प्रकार तत्कालीन युग में नारी पुरूष की सहधर्मिणी रूप से वंचित हो गई। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि एक हजार वर्ष की अवधि में भारतीय समाज में नारी की स्थिति जितनी दयनीय हुई उतनी उसकी पूर्व के हजारों वर्षों में नहीं। वह पुरूष की अनुचरी बन अपने निजी व्यक्तित्व को खोकर यंत्रवत सेवारत हो गई। लेकिन हिन्दी साहित्य की विधाओं की दृष्टि से नारी जागृति के परिणामस्वरूप उसकी दशा में काफी सुधारात्मक परिवर्तन आया है। आज नारी को सृष्टि की सर्वोत्तम रचना माना गया है। कवि जयशंकर प्रसाद ने नारी के प्रति अपना आदर भाव श्रद्धा भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है-

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत-नग-पग तल में।
पीयूश स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।"[6]

आज नारी का सम्मान हमारे वर्तमान समय की जीवंत वास्तविकता है। आज नारी अपने वजूद को महसूस करती है। एक सजग इकाई के रूप में वह तमाम यथार्थ स्थितियों से प्रतिकूल होती है। वर्तमान सामाजिक परिवेश के अन्तर्विरोधों व असंगतियों को वह आज के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहती है।

पारिवारिक जीवन

भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने भी नारी के प्रति अपना भाव 'मातृ देवों भव:' कहकर प्रकट किया है। इससे प्रतीत होता है कि माता का स्थान गुरू और पिता से पहले है, नारी पुरूष की पूरक होकर भी पुरूष की जन्मदात्री और शक्ति होने के कारण स्त्री का स्थान पुरूष से श्रेष्ठ माना गया है।

डॉ. इन्द्रराज सिंह ने भी स्त्री और पुरूष का एक दूसरे के प्रति महत्त्व एवं समर्पण को स्वीकार करते हुए माना है- ''भगवान ने स्त्री और पुरूष दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया है, एक दूसरे के बिना दोनों का कोई वजूद या अस्तित्व ही नहीं बल्कि सृष्टि का विकास भी संभव नहीं है।"[7]

इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं की नारी का अपना एक वजूद है। परमात्मा ने स्त्री-पुरूष के रूप में जिन दो घटकों की कल्पना की है, वे दोनों आपस में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि स्त्री-पुरूष में आकृति-प्रकृति में एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से अभिन्न हैं। पुरूष में जहाँ पौरूष की प्रधानता है वहीं स्त्री में सहज कोमलता है, लेकिन स्त्री-पुरूष में ये दोनों विधान अलग होते हुए भी परोक्ष रूप में एक है। आज स्त्री अपनी सक्षमता एवं चेतना के कारण सुकोमल देह को धारण करने के बावजूद भी वह पुरूष के क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का जीवंत परिचय दे रही है। उसकी यह प्रतिभा मर्यादायुक्त एवं अपने सामाजिक मानदण्डों के अनुरूप है।

स्त्री-पुरूष संबन्धों पर चर्चा करते हुए डॉ. रमेश कुमार लिखते हैं- ''नर एवं नारी एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन दोनों में से जब भी किसी ने अपनी मर्यादा तोड़ने का निरर्थक प्रयास किया है, तब उसे असफलता ही हाथ लगी है।"[8] विधाता ने नर-नारी दोनों को महत्त्वपूर्ण बनाया है। वे एक दूसरे के पूरक है और इसी में जीवन की सार्थकता है। एक ओर नारी में गम्भीर ममत्व एवं करूणा का भाव निहित है तो दूसरी ओर वह अपनी बाधाओं और संकटों को दूर करने के लिए, वह दैवीय शक्ति चण्डी, दुर्गा, अम्बा भी है जो हिंसात्मक पाशविक शक्तियों का दमन करने के लिए सदैव रौद्र रूप धारण करती है और अपनी ऊर्जस्वित चेतना का परिचय देती है। दूसरी ओर वहीं नारी कोमल चेतना, देह की कर्मठता एवं श्रमशीलता के बल पर निरन्तर आगे बढ़ती है।

नारी को अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा है। उसमें पुरूष के प्रति कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है अपितु निजी व्यक्तित्व एवं पारिवारिक दायित्व को प्रधानता देते हुए उसमें ध्येय निष्ठा का भाव है। डॉ. अर्चना के शब्दों में- ''पुरूष के जीवन का अपूर्ण भाग स्त्री के संयोग

द्वारा ही पूरित होता है। स्त्री से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरूष का आधा भाग है, जब तक पत्नी प्राप्त नही होती है, तब तक जीवन अपूर्ण रहता है।"[9]

भारतीय समाज में काफी पहले से नारी का पालन-पोषण, देखभाल व व्यवहार इस प्रकार से किया जाता रहा है कि वह स्वयं को अबला एवं निरीह प्राणी के अतिरिक्त कुछ सोच नहीं पाती तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह पुरूष के साये के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आज वह अपनी चेतना और आत्मविश्वास के बल पर इस दुर्बलता, बेसहारा और भीरूता से परे हटकर अपनी चेतना द्वारा सभी क्षेत्रों को चौतन्य कर रही है। नारी का यह आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ मनोबल समाज के सम्पूर्ण परिवेश से जुड़ा हुआ है।

परिवारिक जीवन का सबसे यथार्थ और लोकप्रिय वर्णन महादेवी वर्मा के संस्मरणों में हुआ है। वे कभी पशु-पक्षियों को अपना परिवार मानकर संस्मरण लिखती हैं तो कभी पेड़-पौधों को अपना संसार मानती हैं। आलोच्य संस्मरण 'स्मृति की रेखाएँ' में महादेवी वर्मा ने अपने परिवार के (साथ रहने वाले) लोगों के संस्मरण संकलित किये हैं। जिनमें सबसे लोकप्रिय भक्तिन नामक संस्मरण अधिक चर्चित रहा है। वे लिछमा के बारे में लिखती हैं- "भक्तिन और मेरे बीच में सेवक-स्वामी का सम्बन्ध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया, जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हँस दे, भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी-बारी से आने-जाने वाले अँधेरे-उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना...।"[10]

'कितने शहरों में कितनी बार' की संस्मरणकार ममता कालिय परिवार और समाज में प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। सबकी नजरें हमेशा उन पर लगी रहती हैं कि किस तरह यह लोग खुश रह पाते हैं। जिस तरह ममता कालिया को शादी ना करने पर समाज द्वारा ताने दिए जाते हैं उसी तरह के ताने रविंद्र कालिया को ममता से शादी करने पर दिए जाते हैं, "रवि के एक हितैषी ने उनसे कहा- "इससे तो अच्छा था तू इसकी मां से शादी कर लेता।"[11] ऐसा लगता है कि समाज के लोगों को शादी न करने पर भी तकलीफ होती है और करने पर भी तकलीफ होती हैं।

समाज में नारी के माता, पत्नी, भगिनी, पुत्री, सखी, सेविका, परिचारिका, तपस्विनी आदि अनेकानेक रूप हैं। धार्मिक रूप से देखा जाए तो वह रमा, कमला, जगदम्बा, दुर्गा आदि रूपों में श्रद्धा एवं पूजनीय भाव से युक्त हैं तो राजनीतिक रूप से वह कूटनीतिज्ञ तथा शासिका बनकर देश और दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है। नारी परिवार की धुरी है, प्रमुख सदस्या है। नारी से परिवार एवं समाज दोनों के गौरव में अभिवृद्धि होती है। उसका जीवन आदर्श माना गया है। नारी स्वभावत: परिवार के बच्चों में सद्संस्कारों का बीजारोपण करने वाली होती है। नारी मूलत: शिक्षिका है। इससे प्रतीत होता है कि नारी व्यक्तित्व के रचनात्मक रूप में कई गतिविधियों की संचारिका है। इन सबके होते हुए भी उसके महत्व को अनदेखा करते हुए अनेक प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन नारी चेतना ने मानों उसके हौंसले को पंख लगा दिये हैं।

'दीवानखाना' में भी पारिवारिक जीवन का दृष्य मिलता है। संस्मरणकार पद्मा सचदेव अपने परिवार के सदस्यों के संदर्भ में बेबाकी से अभिव्यक्ति देती है। संस्मरणकार का संघर्ष अपने ही परिवार से होता है। वे लिखती हैं- "कहने को तो पूरा संसार मनुष्य का ही है किन्तु मेरे लिए इस घर का एक कोना भी नहीं नसीब था।... मेरे पति भी अब मेरे नहीं थे, वे हर बात में दूरी बनाये रखना पसन्द करने लगे थे।"[12] अपने ही परिवार से संस्मरणकार का संघर्ष चला जिसका यथार्थ अंकन किया गया है। परिवार समाज की इकाई होता है किन्तु पद्मा सचदेव के लिए तो वह अभिषाप से कम नहीं था।

सन्दर्भ

1. पथ के साथी: महादेवी वर्मा, पृ.-46।
2. ममता कालिया: कल परसों बरसों, पृ-53
3. बिन्दु अग्रवाल, भारतभूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएँ, पृ.-61
4. डॉ. अर्चना शेखावत: समकालीन हिन्दी महिला रचनाकारों में नारी चेतना, पृ.-56
5. मैथिलीशरण गुप्त: भारत भारती, पृ.-17
6. जयशंकर प्रसाद: कामायनी, पृ.- 38
7. डॉ. इन्द्रराज सिंह: नारी और त्याग, पृ.- 16
8. डॉ. रमेश कुमार त्रिपाठी: समकालीन हिन्दी पत्रकारिता में नारी संदर्भ, पृ.-113
9. डॉ. अर्चना शेखावत: समकालीन हिन्दी महिला कहानीकारों की कहानियों में नारी चेतना, पृ.- 60
10. 18स्मृति की रेखाएँ: महादेवी वर्मा, पृ.-18
11. ममता कालिया: कितने शहरों में कितनी बार पृ.-121
12. दीवानखाना: पद्मा सचदेव, पृ- 107

दक्षिण एशिया में भारतः शांति, संघर्ष और संतुलन (1947-1992)

डॉ० राजपाल सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, सी. आर. एम. जाट कॉलेज, हिसार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को आंतरिक पुनर्निर्माण के साथ-साथ वैश्विक मंच पर अपनी पहचान स्थापित करने की चुनौती भी थी। एक नवस्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने ऐसी विदेश नीति अपनाई जो न केवल उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, बल्कि विश्व में शांति, सहयोग और न्याय की स्थापना में भी योगदान दे। इस दिशा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभिक काल में विदेश नीति के शिल्पी के रूप में मार्गदर्शन किया। भारत की विदेश नीति की आधारशिला ऐसे सिद्धांतों पर रखी गई जो गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, उपनिवेशवाद का विरोध, और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखते थे। शीतयुद्ध के समय विश्व दो शक्तिशाली गुटों में बंटा हुआ थाख्रअमेरिका और सोवियत संघ। भारत ने इनमें से किसी भी गुट में शामिल न होकर गुटनिरपेक्ष रहने का निर्णय लिया और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की स्थापना में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। भारत की यह नीति न तो तटस्थता थी और न ही निष्क्रियता, बल्कि यह स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय की नीति थी, जो राष्ट्रीय हितों पर आधारित थी। इसी संदर्भ में भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील सिद्धांतों पर सहमति बनी, जिसमें एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, गैर-हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे मूल विचार समाहित थे।

भारत ने विश्व में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लभेद का विरोध करते हुए एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता संघर्षों का समर्थन किया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरोध में भारत ने सबसे पहले आवाज उठाई। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने निरस्त्रीकरण, वैश्विक शांति, जलवायु परिवर्तन, और विकासशील देशों के हितों की रक्षा हेतु सक्रिय भूमिका निभाई। भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना अभियानों में एक अग्रणी योगदानकर्ता बना रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत को अपने दो प्रमुख पड़ोसियोंख्रपाकिस्तान और चीनख्रसे जटिल संबंधों का सामना करना पड़ा। 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिनमें 1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ। चीन के साथ 1962 का युद्ध भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती बना, जिसके बाद भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। इसके बावजूद भारत ने अपनी विदेश नीति में संयम और संतुलन बनाए रखा।

पंडित जवाहर लाल नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी मूल्यों से ओतप्रोत थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति व्यवहारवाद, दृढ़ता और राष्ट्रीय मूल्यों को परिलक्षित करती थी। राजीव गांधी के पास न तो पंडित नेहरू के समान राष्ट्रीय आंदोलन का अनुभव था और न ही अपार अर्जित लोकप्रियता थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक ओर राष्ट्रीय आंदोलन का अनुभव था, तो दूसरी ओर पिता के सानिध्य में रहकर बाह्य और आन्तरिक नीतियों का तजुर्बा था। राजीव गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन का कोई अनुभव नहीं था फिर भी देश के प्रधानमंत्रियों के परिवार में जन्म लेने, पलने, बढ़े होने के कारण उनकी विचारधारा बड़ी ही स्पष्ट, राष्ट्रीय हित को सम्वर्द्धित करने वाली, इक्कीसवीं सदी की परिकल्पना से परिपूर्ण थी। वास्तव में राजीव गांधी की विदेश नीति, एक ओर परम्परागत भारतीय विदेशी नीति की विशेषताओं, जैसे. गुट निरपेक्षता की नीति, शान्ति की विदेश नीति, मैत्री और सह.अस्तित्व की नीति, पंचशील की नीति, प्रजातीय विभेद के विरोध की नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघ के समर्थन की नीति तथा एशिया.अफ्रीका की एकता की नीति से परिपूर्ण थी, तो दूसरी ओर उनकी विदेश नीति में इक्कीसवीं सदी के आह्वान और आधुनिकता की ओर रूझान में परम्परागत विदेश नीति में लाभकारी परिवर्त्तन दिखाई दे रहे थे।

राजीव गांधी ने अपनी विदेश नीति में पाँच तथ्यों पर विशेष रूप से बल दिया था, इन्हें हम पांच डी की संज्ञा दे सकते हैं। निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद की समाप्ति, विकास, शान्ति का राजनय तथा विश्व राजनीति में लोकतंत्र।[1] राजीव गांधी ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ ही सह.अस्तित्व अहस्तक्षेप और प्रजातिवाद.विरोध की नीति को अपनाया। क्योंकि सह.अस्तित्व का सिद्धांत भारतीयों के लिए स्वाभाविक है, इस संबंध में राजीव गांधी ने पेरिस में टिप्पणी की, सभ्यता की तरह जिसने भारत को जीवित बनाए रखा है, वह है उसकी स्वीकार करने, ग्रहण करने और अपनाने, विभिन्नता को सहन करने और सम्पूर्ण दृष्टि से पर्यावलोकन करने की असाधारण क्षमता का होना हमारा राजनैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान हमारी देशभक्ति पर आधारित है।[2] राजीव गांधी ने कहा 'हमारा प्रणाली-विज्ञान समन्वय है, न कि विवाद, संवाद है न कि आधिपत्य।[3] बहुध्रुवीय विश्व के अस्तित्व को पहचान कर राजीव ने सहयोग को अनिवार्य माना। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, क्योंकि आज ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए अध्यात्मिक और नैतिक ज्ञान के द्वारा मानव का एक व्यक्ति के रूप में विकास होना तो दूर की बात है। इस खाई से बहुत ज्यादा

सामाजिक तनाव उत्पन्न हो गया है। आज विकासशील देशों में आर्थिक विकास जिस तेजी से हो रहे है, उतने सौ साल पहले विकासशील देशों में नहीं होते थे। इन परिवर्तन के कारण, राष्ट्र डर के कारण अपने इर्दगिर्द अर्थव्यवस्था की दीवारें निर्माण करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए हमारा यह दायित्व है कि हम विकास की अंधाधुंध दौड़ में शामिल न हों बल्कि अपने संसाधनों का समयानुसार प्रयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करे। विभिन्न देशों में इस तेज और असंतुलित विकास के कारण ही राजीव यह मानते थे कि एक देश के काम में दूसरे देश का हस्तक्षेप न होना समय की मांग है। यहां तक कि बिना ऐतिहासिक परिस्थितियों के हस्तक्षेप अक्सर अनावश्यक होता है। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए राजीव गांधी ने न्यूयार्क में महात्मा गांधी के कथन को उद्धृत किया ''मैं भारत को तभी अखंड रख सकता हूँ, जबकि संपूर्ण मानव परिवार के प्रति मैं अच्छी भावना रखूंगा, लेकिन केवल उसी मानव परिवार के लिए नहीं जो पृथ्वी के उस छोटे से हिस्से में रहते हैं जिसे भारत कहते हैं।" अहस्तक्षेप के सिद्धांत को बनाए रखते हुए राजीव गांधी ने खुलेआम पाकिस्तान का भारत में हस्तक्षेप को गलत माना, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के समक्ष दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा निकारागुआ में कौण्टरास के आर्थिक प्रोत्साहन के विरुद्ध कहा, अफगानिस्तान में रूस के आक्रमण और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया। भारतीय समुद्र को शांति का क्षेत्र बनाए रखने के लिए भारत की इच्छा के बारे में बात करते हुए राजीव ने अक्सर भारत के आसपास के क्षेत्र में बढ़ते ध्रुवीकरण की निंदा की जो अपने पास के क्षेत्र में शांति का बोझ डालते हैं, जैसे कि महाशक्तियाँ अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। यद्यपि वह यह मानते थे कि आज जिस सार्वभौमिक नीति की आवश्यकता है, उसका आधार संयुक्त राष्ट्र हो सकता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शासनपत्र का सार शांतिपूर्वक सहअस्तित्व है और सहअस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा प्रतिद्वंद्वी सैनिक गुटों से है।[4]

दिसम्बर 1984 में जब से राजीव गांधी सत्ता में आए तब से भारतीय विदेश.सम्बन्धों में उन देशों में साथ जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण थे, न तो संदिग्धता रही है, न ही अनिश्चितता[5] और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में एक निरंतरता चाहते थे, देश में गांधी ने ऐसे सरकारी ढांचे को बनाने का आह्वान किया, जिसका प्रशासन प्रजातांत्रिक रूप से युवा पीढ़ी के पुरूषों और महिलाओं द्वारा होगा, जो अधिक संगठित भारत और अधिक संगठित विश्व का सपना देखते हैं। राजीव ने विदेश संबंधों में असाधारण स्वतंत्रता की शैली प्रदर्शित की। कई पश्चिमी देश उनकी विदेश नीति में असाधारण निरंतरता को पहचानने में असफल रहे। हालांकि भारत की विदेश नीति की स्पष्ट विचारधारा राजीव के वक्तव्य व कार्य में उतनी ही सशक्त थी, जितनी कि नेहरू की थी। राजीव के अपने शब्दों में ''हम विश्व को यह दिखाने की पहल कर रहे हैं कि भारत वास्तव में क्या हैघ् वह नहीं जो मीडिया के द्वारा बताया जाता है।"[6] राजीव की विदेश नीति विस्तृत रूप से वंशानुगत है। जो कि उनके नाना जवाहर लाल नेहरू तथा माँ श्रीमती इंदिरा गांधी के नक्शे.कदम पर चलने के लिए प्रेरित करती है। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किस विदेश नीति का पालन किया तथा उनके समय के विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध थे उनका वर्णन निम्नलिखित है

प्रधानमंत्री पदग्रहण करने के मात्र 13 दिन बाद ही 12 नवम्बर 1984 को राजीव गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम अपने निकट पड़ोसियों में से प्रत्येक के साथ शान्ति मित्रता और सहयोग के रूप में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये वे ही बातें हैं, जिन्हें हमने पाकिस्तान के सम्मुख प्रस्तुत किया है। हम सदा से विश्वास करते हैं कि अहस्तक्षेप शान्तिपूर्ण सह.अस्तित्व और गुटनिरपेक्षता हमारे संबंधों के मार्ग प्रदर्शक सिद्धान्त रहे है, और होने चाहिए।[7] राजीव गांधी के काल में जनवरी 1985 में भारत.पाक संयुक्त आयोग की तीन दिवसीय बैठक हुईए जिसमें दोनों देशों में कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए साथ ही सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आपसी आदान.प्रदान बढ़ाने तथा यात्रियों को नई सुविधाएं देने में समझौते एक दूसरे के परमाणु आदान-प्रदान किया।

राजीव गांधी के भारत.पाक संबंध सुधारने के अथक प्रयास के बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं घटी। जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण होने लगे। इसी बीच सितम्बर 1986 में पाकिस्तान के आतंकवादी अपहरणकर्ताओं ने एक भारतीय विमान को अपहरण कर उसे कराची ले गए तथा उसमें सवार 77 भारतीयों की हत्या करी गई। दिसम्बर 1986 में दोनों देशों के बीच तनाव में और वृद्धि हो गईए जब पाकिस्तान में सैनिक अभ्यास के नाम पर अपने 19 डिवीजन सेना में से 17 डिवीजन सेना को भारत.पाक सीमा पर लगा दिया। इससे वातावरण अत्यधिक गर्म हो उठा और ऐसा लगने लगा कि भारत.पाक युद्ध अब दूर नहीं है। परन्तु राजीव गांधी के प्रयास से युद्ध के बादल हटने लगे तथ दोनों देशों के विदेश सचिवों के मध्य पाँच दिनों की बातचीत के बाद 4 फरवरीए 1987 को एक समझौता हो गया और युद्ध का खतरा टल गया।[8]

1988 के प्रारम्भ में दोनों देशों के बीच सीमा पर छिटपुट गोलाबारी सियाचीन क्षेत्र में हुई। 20 अप्रैलए 1988 को लोकसभा में बहस को उत्तर देते हुए राजीव गांधी ने दुःख प्रकट किया कि यद्यपि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहता है तथापि पाकिस्तान से इसकी उचित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है। उन्होंने संसद में कहा, हमने शान्ति और मित्रता की संधि का प्रस्ताव रखा है, हमने आणविक प्रतिष्ठानों का अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव रखा है, हमने हवाई अपहरण का उल्लंघन नहीं करने का प्रस्ताव रखा है हमने व्यापार में सबसे अधिक अनुग्रह वाली सूची में पाकिस्तान को रखने का प्रस्ताव दिया है, हमने भारत पाकिस्तान संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव

रखा है। इसी प्रकार लेखकों, विद्वानों, अखबारनविसों सांस्कृतिक मंडलियों, फिल्मों, नाटकों, संगीत और नाट्य क्षेत्रों में आदान प्रदान का प्रस्ताव रखा है, हमने पुस्तकोंए पत्रिकाओं और समाचार.पत्रों के आदान प्रधान का प्रस्ताव रखा है, हमने अपने आपसी विश्वास निर्माण और खतरा घटाने वाले उपायों को प्रस्ताव के रूप में रखा है जिस पर आपस में सहमति हो जाए। हमने यात्रा प्रतिबंधों को आसान करने का प्रस्ताव भी रखा है, हमने नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को रोकने में सहयोग करने का प्रस्ताव भी रखा है।[9] परन्तु राजीव गांधी ने दुरूख प्रकट किया कि पाकिस्तान की तरफ से इन पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला बल्कि उसने आणविक अस्त्रों का कार्यक्रम तैयार कर लिया हैं। इससे सियाचीन के क्षेत्र में शत्रुवत वातावरण उत्पन्न हो गया है।

अगस्त 1988 में जनरल जिया.उल.हक की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई। राजीव गांधी उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गएए यह राजीव गांधी के मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति थी। 2 दिसम्बरए 1988 को पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टों के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। ऐसा लगा कि द्विपक्षीय संबंध में दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे। सार्क की बैठक जो 29 दिसम्बरए 1988 में इस्लामाबाद में हुईए इसके अन्तिम दिन 31 दिसम्बर को बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी के साथ तीन बैठक कीए जिसमें तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टों इन समझौतों पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित थे। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं करने से सम्बद्ध था। इस समझौते में यह भी व्यवस्था की गई कि दोनों देशों को प्रतिवर्ष। जनवरी को यह बताना होगा कि उनके परमाणु संयंत्र किस अक्षांश तथा किस देशान्तर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी अपने परमाणु संयंत्र को कहीं और स्थापित करता तो भी उसकी जानकारी दूसरे देश को देनी होगी।

राजीव गांधी ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का अथक प्रयास किया। परन्तु पाकिस्तान एक ओर मीठी.मीठी बातें कर रहा था, तो दूसरी ओर पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों को हर दृष्टि से सहायता और प्रोत्साहन दे रहा था। फलतरू राजीव गांधी के भरपूर प्रयास के बाद भी भारत.पाक संबंधों में विशेष सुधार नहीं हो सका। पाकिस्तान ने राजीव गांधी के बढ़े हुए मित्रवत हाथ को नहीं पकड़ा और वह अपने को कश्मीर और पंजाब के उग्रवादियों को सहायता देने में लगा रहा। ऐसे ही वातावरण में भारत में आम चुनाव हुए तथा नए चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण राजीव गांधी को 5 दिसम्बरए 1989 को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा।

राजीव गांधी श्रीलंका की घटनाओं से बड़े ही दु:खी थे। 11 दिसम्बरए 1984 को नई दिल्ली में एक वक्तव्य में उन्होंने कहा, ष्मैं इस बात से गम्भीर रूप से चिन्तित हूँ कि श्रीलंका की स्थिति तीव्रता से बिगड़ रही है। उत्तरी तथा पूर्वी प्रान्तों में हिंसा में तीव्र बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बहुत से निर्दोष लोगों की जाने चली गई है। भारतीय मूल के अनेक तमिल जो इस क्षेत्र में बसे है, इस हिंसा का भी शिकार हो रहे हैं। सुरक्षा सेनाएँ अविवेक से हत्याएँ कर रही हैं। जाफना प्रायद्वीप में सुरक्षा क्षेत्र की उद्घोषणा के बाद से जाफना शहर पूर्णतरू उनके कब्जे में है, खाद्यान्न की अत्यधिक कमी हो गई है, सैकड़ो नौजवानों को पकड़कर बंदी बनाया गया है तथा उन्हें अज्ञात स्थानों पर हस्तान्तरित कर दिया गया है।[10] इस पृष्ठभूमि में राजीव ने श्रीलंका के साथ संबंधों को सुधारने की पहल प्राथमिक रूप से राजीव-जयवर्द्धन समझौते के रूप में सामने आयी।

भारत और श्रीलंका के बीच तमिलों को लेकर जातीय समस्या थी और ऐसा लगने लगा था कि समस्या और भी उलझती चली जा,गीए क्योंकि और एक ओर जयवर्धनें की सरकार जातीय वध पर अडिग थी, तो दूसरी ओर राजीव गांधी भी अपने आदर्शों और सिद्धान्तों पर अडिग थे। 5 जून, 1987 को राहत सामग्री एवं दवाएँ भेजने के मात्र 1 माह और 24 दिन में ही एकाएक एक चमत्कार हो गया और 29 जुलाई, 1987 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धनें के बीच कोलम्बों में एक 18 सूत्रीं समझौता हो गया। चूंकि यह समझौता कोलम्बों में हुआ, इसलिए इसे कोलम्बो समझौते की संज्ञा दी जाती है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धनें द्वारा दिए गए भोज में राजीव गांधी ने कहा, हम एक समझौते पर पहुँच गए हैं, यह दोनों देशों के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। यह श्रीलंका में राष्ट्रीय समाधान का वादा करता है। इसने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है, जिससे कि शरणार्थो वापस लौट जाए इसने उन बादलों को छाँटा है, जिसने हमारे संबंधों को ढक लिया था मैं राष्ट्रपति जयवर्धनें के साहस तथा राजनीति को व्यक्तिगत रूप से सराहना करना चाहूँगा। यह समझौता उनके मैत्रीए करूणा एवं समन्वय के महान मूल्यों में विश्वास प्रकट करता है। अपने सम्बोधन के अंत में राजीव गांधी ने सुब्रमन्यम भारती की कविता को पढ़ा कि यही हम लोगों का पथ प्रदर्शन करें। इस कविता में कहा गया है, एक साथ रहना ही असली जीवन है, अलग.अलग हो जाना बर्बादी है, यह पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए इससे अधिक कोई ज्ञान नहीं चाहिए।

श्रीलंका की बहुसंख्यक सिहंली जनता ने इस समझौते का घोर विरोध किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्रेमदासा और आन्तरिक सुरक्षा मंत्री असंतुलन मुदानी ने इससे अपने को पूर्णरूप से अलग रखा। परन्तु सच्चाई यह है कि इस समझौते को दोनों देशों के नेताओं के साहस एवं सूझबूझ का परिणाम कहना ज्यादा न्यासंगत होगा। इस समझौते को राजीव गांधी की एक महान राजनयिक सफलता कहा जा सकता है। इस समझौते ने श्रीलंका का, कम से कम राष्ट्रपति जयवर्धने का, पाकिस्तान तथा पश्चिम की ओर बढ़ रहे झुकाव को समाप्त करए उन्हें भारतीय प्रभामंडल में खींच लिया। इस दृष्टि से 2 अक्टूबरए 1988 में मतदान के समय तमिलनाडु में राजीव गांधी

की यह उक्ति शत प्रतिशत सत्य प्रतीत होती है, जब उन्होंने कहा था, भारत.श्रीलंका समझौते द्वारा श्रीलंका में तनाव एकाएक और सारपूर्ण रूप से कम हो गया। यह भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक सीमा चिह्न है।[11]

श्रीलंका पर राजीव द्वारा किए गए समझौते की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई। और इस बारे में व्यापक मतैक्य यह था कि समझौते के पूर्णरूपेण कार्यान्वयन से सबको लाभ होगा, क्योंकि तमिल लोगों की आकांक्षाएँ पूरी होगी। श्रीलंका की एकता और अखंडता बनी रहेगी। और इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम होगा। हालांकिए यद्यपि भारत के संदर्भ में सुरक्षा की बातें भी पूरी हो जाएगी तथापि तमिल मुक्ति चीतों ने शांति स्थापित करने की बात को समाप्त कर दिया। राजीव जी ने कहा कि यह अत्यंत खेदपूर्ण बात है कि तमिल मुक्ति चीतों में इन सबकी उपेक्षा कर दी है। उन लोगों ने यह सब जान.बूझकर समझौता तोड़ने के लिए किया है क्योंकि वे लोग उग्रवाद को छोड़कर जनतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित नहीं करना चाहते। ये तमिल मुक्ति चीतों का एक ऐसा गिरोह है जो बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं को अपनी ढाल बनाकर भोले.भाले बच्चों को मानव बम बनाकर कैदियों की हत्या कर आफना के लोगों केए जिनके हितार्थ वे लड़ने का दावा करते हैं, हर मापदंड का उल्लंघन किया है। तमिल मुक्ति चीतों ने जो इच्छा व्यक्त की हम लोगों ने उपलब्ध कराया। जिस पर मुक्ति.चीतों की अनुक्रिया यह रही कि उन्होंने धमकियों, नए सिरे से प्रचार, गलत और मिथ्या सूचनाएं देना आरंभ कर दिया ताकि भारत एवं उसके सैनिकों की छवि धूमिल हो जाए। फिर भी हम आशा करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि मिलगी।[12] परन्तु आशा पर तुषारापात हो गया, और राजीव जी स्वयं मुक्ति चीतों के षडयंत्र के शिकार हो गए।

भारत और चीन के संबंध को हम तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कालए सन् 1949 से 1957 तक के काल को प्रमोद काल की संज्ञा दी जाती है। दूसरा कालए जो 1957 से 1978 तक का काल था, टकरावए युद्ध तथा तनाव का काल था। इस काल में एक ओर तिब्बत के प्रश्न पर दोनों में मतभेद थे, तो दूसरी ओर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद प्रारम्भ हो गए। चीन ने भारत के एक विशाल भाग को अपनी भूमि के रूप में दर्शाया। इसके बाद अक्टूबर 1962 में चीन ने बड़े पैमाने पर भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत पराजित हो गया तथा दोनों देशों के संबंध करीब.करीब समाप्त हो गए। तीसरा काल का प्रारम्भ 1977 से होता है, जब भारत में श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और भारत ने विगत बातों को भुलाकर चीन के साथ नए सिरे से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरी ओर चीनए भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए अनेक आन्तरिक तथा बाह्य कारणों से विवश हो गया। चीन जानता था कि भारत प्रभाव क्षेत्र की राजनीति एवं महाशक्तियों के प्रसार का विरोधी है, इसलिए भारत के साथ मिलकर ही एक सक्षम एशियाई व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, जिससे कि एशिया में बड़ी शक्तियों के प्रसार तथा प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता है। चीन के मस्तिष्क में यह बात स्पष्ट थी कि भारत के साथ संबंध सुधारना ही चीन के राष्ट्रहित में है।

राजीव गांधी की पहल पर 23 नवम्बर 1985 को भारत और चीन के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान दोनों देश के बीच 1 से 14 करोड़ रूपये का व्यापार होना निर्धारित किया गया। इस समय व्यापार संतुलन 10 चीन के पक्ष में था। 1984-85 में भारत ने चीन को 65.55 करोड़ रूपये का माल आयात किया, जबकि निर्यात मात्र 2.12 करोड़ रूपये का था। नए समझौते से व्यापार संतुलन स्थापित होने की आशा प्रकट की गई। दोनों देशों के बीच 19 जुलाई 1986 को बीजिंग में वार्ता का सातवां दौर प्रारम्भ हुआ। इस वार्ता में चीन द्वारा 30 जून 1986 को भारतीय सीमा में की गई घुसपैठ पर चिन्ता व्यक्त की गई। 20 जनवरी 1987 को विज्ञान भवन में पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में राजीव गांधी का उत्तर था, हम चीन के साथ सुंगदुराग घाटी में अतिक्रमण के संबंध में सम्पर्क में है। इसका हल उनसे बातचीत के द्वारा ही हो सकता है और हम आशा करते हैं कि हम चीन से बातचीत कर इसके समाधान में समर्थ होंगे।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 20 फरवरी 1987 को भारत ने अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 24वाँ राज्य घोषित किया तो 21 फरवरी 1987 को चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, भारत की इस कार्यवाही से चीन को प्रादेशिक अखण्डता एवं सम्प्रभुता का गम्भीर उल्लघंन हुआ है। दूसरी ओर भारत ने चीन के इस विरोध को घरेलू मामले में हस्तक्षेप की सझा दो। राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1988 को हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के सम्पादक श्री एस०के० दुआ को साक्षात्कार देते हुए कहा था, जहाँ तक हमारा संबंध है, अरूणाचल प्रदेश की स्थिति यह है कि वह भारत का अभिन्न भाग है और इस पर किसी से कोई बातचीत नहीं हो सकती। हम किसी भी वैसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते जो इस तथ्य को संदेह के घेरे में डाल दें। राजीव गांधी इस बात से अवगत थे कि चीन की स्थिति विश्व में एक शक्तिशाली राज्य की है। चीन के इतिहास की तुलना अपने पड़ोसियों के प्रदेशों को धीरे-धीरे कुतरने की पत्ता हाथी घास (एक प्रकार का पौधा) को खाने से की गई है। ऐसी स्थिति में भी भारत के प्रभावशाली जनमत के एक वर्ग और दल के मना करने पर भी दिसम्बर 1988 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में चीन जाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत 1988 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में चीन की पाँच दिवसीय यात्रा की। पिछले 34 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली चीन यात्रा थी। अक्टूबर 1954 में पंडित जवाहर लाल नेहरू चीन की यात्रा पर गए थे। उसके कुछ दिनों बाद भारत तथा चीन के संबंध इस प्रकार तनावपूर्ण होते चले गए कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा नहीं की। राजीव गांधी की

चीन के राष्ट्रपति याँग-शान-कुन, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग तथा चीन के शीर्ष नेता सिमाओं पिंग से लम्बी बातचीत हुई। 84 वर्षीय चीनी नेता डेंग जियाओं पिंग से राजीव गांधी की 90 मिनट तक बातचीत हुई। डेंग ने राजीव गांधी का हाथ अपने से लेकर उन्हें श्मेरे युवा मित्रश् से सम्बोधित किया और कहा हमें अतीत को भूल जाना चाहिए सीख सकते हैं .... हम दोनों ने ही गलतियाँ की हैं और एक दूसरे से आप युवा हैं आप भविष्य हैं, हम इतिहास में परावृत्त हो रहे हैं, अब नेताओं की नई पीढ़ी आ गई है तथा विश्व की इच्छा शान्ति में रहने की है, और संघर्ष तथा तनाव को समाप्त करने की है। अब यह आपके हाथ में है कि नई विश्व व्यवस्था के प्रारब्ध (भाग्य) को किस प्रकार का आकार दे, बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग करें।[13] राजीव गांधी ने 21 दिसम्बर 1988 को बीजिंग के शिगुआ विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए कहा, "हमें विगत के दलदल में नहीं फंसना चाहिए। भारत और चीन को आगे देखना चाहिए पीछे नहीं, जिससे कि हम नए क्षितिज में पहुँच सके। हमें मित्रता तथा सहयोग के नए आयाम को प्राप्त करना चाहिए। नए मार्ग ढूंढ़ने चाहिएँ, जिससे दोनों को और विश्व को लाभ हो सके।[14]

राजीव गांधी की यात्रा के बाद दोनों देशों की ओर से 23 दिसम्बर 1988 को जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया, "राजीव गांधी की चीनी नेताओं से हुई बातचीत मैत्रीपूर्ण, स्पष्टवादिता तथा आपसी सूझबुझ के माहौल में हुई'[15] भारत और चीन ने इसी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया, जो सीमा विवाद का सर्वमान्य समाधान निकालेगा। राजीव गांधी की चीन यात्रा की एक और बड़ी उपलब्धि आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन रहा है। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति भी गठित करने का फैसला किया गया था, जो कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगों की सम्भावना का पता लगाने वाली थी। इसे भारत चीन संबंधों के सुधार में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया।

राजीव गांधी की इस चीन यात्रा में दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन सेवाओं तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए कुछ अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। वायु सेवाओं के संबंध में किए गए समझौते के अन्तर्गत दोनों देश नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी विमान सेवाएँ, प्रारम्भ करने के प्रश्न पर सिद्धान्त के रूप में सहमत हो गए। सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत नृत्य संगीत दलों, कलाकारों तथा लेखकों का एक दूसरे के देशों में आना जाना एक दूसरे के देशों में कला प्रदर्शनियों का आयोजन करना, फिल्म सप्ताह का आयोजन करना, छात्रों तथा विद्वानों का एक दूसरे के देशों में आना जाना तथा एक दूसरे देश के साहित्य का अनुवाद एवं प्रकाशन आदि तथ्य रखे गए। एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि दोनों देशों के बांच सौधी टेलीफोन सेवा भी इस ऐतिहासिक यात्रा के अवसर पर प्रारम्भ हो गई। राजीव गांधी ने चीन के साथ बिगड़े हुए संबंध को इस प्रकार सुधारा कि उनकी मृत्यु के बाद चीन के उपप्रधानमंत्री हुआँ कुआँ ने कहा था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को घनिष्ठ बनाने में महान योगदान दिया... मैं दु:ख से स्तब्ध हो गया, जब मैंने उनकी राजनीतिक हत्या का समाचार सुना।[16] चीन के प्रधानमंत्री ने कहा था, श्री राजीव गांधी भारत के एक विशिष्ट राजनीतिज्ञ थे और चीनी लोगों के सुपरिचित मित्र थे, जिन्होंने चीन भारत संबंध को सुधारने तथा विकसित करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया।

सन्दर्भ -

1. मार्क टुली तथा जहीर मसानी, फ्रॉम राज टू राजीव, युनिवर्सल बुक स्टाल, नई दिल्ली, 1996, पृ. 166
2. कैथलीन हीले, राजीव गांधी, द ईयर्स ऑफ पावर, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1989, पृ. 152
3. वही, पृ. 53
4. विपिन चन्द्रा, राजीव गांधी: आधुनिक भारत के निर्माता, कलिंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1987, पृ. 5
5. आदिश अग्रवाल, राजीव गांधी एक ऐसेस मेकर, अमिट पब्लिकेशंस, नई दिल्ली 1993, पृ. 56
6. वही, पृ. 75
7. शर्मा, प्रभुदत्त, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, राजस्थान, जयपुर, 1989, पृ. 473
8. नन्दा, के.के., कैनवंरिग कश्मीर ए पाकिस्तानी, आबसेशन लांसर बुक्स, नई दिल्ली, 1996, पृ. 297
9. शर्मा, प्रभुदत्त, पूर्वोक्त, पृ. 475
10. गिल, एस.एस., द डायनेस्टी, हार्पर पब्लिशर्स इण्डिया, नई दिल्ली, 1996, पृ. 166
11. शर्मा, प्रभुदत्त, पूर्वोक्त, पृ. 477-478
12. पीयूष, जगदीश, राजीव गांधी और पंचायती राज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 39
13. हीले, कैथलीन, पूर्वोक्त, पृ. 73
14. गिल, एस.एस., पूर्वोक्त, पृ. 76
15. वही
16. शर्मा, प्रभुदत्त, पूर्वोक्त, पृ. 479

भारतीय विदेश नीति में लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट की भूमिका

डॉ० इन्द्रजीत कुमार

राजनीति विज्ञान विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

शोध सारः-

भारत की विदेश नीति में 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियां दो महत्वपूर्ण चरण हैं, जिन्होंने देश के पूर्वी पड़ोसियों के साथ संबंधों को नया आयाम दिया है। 'लुक ईस्ट' नीति (LEP) का शुभारंभ 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा किया गया था। इस नीति का प्राथमिक ध्यान दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना था, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के बाद के भू-राजनीतिक परिदृश्य में नए आर्थिक और रणनीतिक साझेदार खोजना था। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'एक्ट ईस्ट' नीति (AEP) की घोषणा की गई, जो LEP का एक उन्नत और अधिक सक्रिय संस्करण है। इस नीति ने भौगोलिक दायरे और रणनीतिक गहराई दोनों का विस्तार किया, जिसमें आसियान से आगे व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र शामिल है। ये नीतियां भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पश्चिम की ओर उन्मुख दृष्टिकोण से पूर्व की ओर एक मजबूत जुड़ाव की ओर बढ़ती हैं। उन्होंने भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मूल शब्दः- लुक ईस्ट, 'एक्ट ईस्ट, आर्थिक, व्यापारिक, रणनीतिक, हिंद-प्रशांत।

प्रस्तावनाः-

'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियां भारतीय विदेश नीति के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो भारत के पूर्वी पड़ोसियों, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को आकार देती हैं। ये नीतियां भारत की आर्थिक विकास की आकांक्षाओं, रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इन नीतिगत विकास का ऐतिहासिक संदर्भ शीत युद्ध के बाद के युग से जुड़ा है। सोवियत संघ के विघटन (1991) के साथ, भारत ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार को खो दिया, जिससे उसे नए रणनीतिक और आर्थिक साझेदारों की तलाश हुई। पूर्वी एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और चीन के बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव ने भारत को पूर्व की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। यह भारत के लिए आवश्यक हो गया था कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाए और नए बाजारों तथा निवेश के अवसरों की तलाश करे, जिससे इन नीतियों का जन्म हुआ।

लुक ईस्ट नीतिः उद्भव, उद्देश्य और प्रारंभिक चरणः-

'लुक ईस्ट' नीति की शुरुआत 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। यह भारत के आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के व्यापक प्रयासों का एक अभिन्न अंग थी। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता को एक रणनीतिक बल प्रदान करना था। यह केवल आर्थिक अवसरों की तलाश में नहीं थी, बल्कि शीत युद्ध के बाद के भू-राजनीतिक शून्य और चीन की बढ़ती क्षेत्रीय मुखरता के प्रति भारत की प्रतिक्रिया भी थी। इस नीति के माध्यम से, भारत ने आर्थिक जुड़ाव को रणनीतिक प्रभाव प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखा, न कि केवल एक अंत के रूप में। यह भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां आर्थिक कूटनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के साथ जोड़ा गया, जिसने भविष्य की 'एक्ट ईस्ट' नीति की नींव रखी।

प्राथमिक उद्देश्यः आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तारः-

नीति का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाना था। इसका लक्ष्य आसियान देशों के साथ वाणिज्य और आर्थिक संबंधों का विस्तार करना था। भारत ने पूर्वी एशिया की आर्थिक सफलता की कहानियों से प्रेरणा ली और आसियान राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

भौगोलिक फोकसः दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान):-

प्रारंभ में, 'लुक ईस्ट' नीति मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) और उनके आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित थी। यह नीति केवल दक्षिण-पूर्व एशिया तक ही सीमित थी। हालांकि, बाद में, इसे पूर्वी एशिया और ओशिनिया तक विस्तारित किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल थे।

प्रमुख पहलें और प्रारंभिक परिणामः-

'लुक ईस्ट' नीति के तहत, भारत 1992 में आसियान का आंशिक वार्ताकार बना और 1996 में उसे पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त हुआ। सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) का सदस्य बना, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। प्रारंभिक परिणामों में वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार बाधाओं में कमी और दक्षिण-पूर्व एशिया से आने वाले पर्यटन में वृद्धि शामिल थी।

इस नीति के तहत बिम्सटेक (BIMSTEC) और मेकांग-गंगा सहयोग जैसी उप-क्षेत्रीय पहलें भी शुरू की गईं। 2001 में आसियान + 1 (भारत) भारत-आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसका प्रथम सम्मेलन 2003 में हुआ। भारत-आसियान मुक्त व्यापार वार्ता भी इसी दौरान शुरू हुई, जो 2009 में संपन्न हुई।

'लुक ईस्ट' नीति के तहत, पूर्वोत्तर भारत को सैद्धांतिक रूप से "प्रवेश द्वार" के रूप में देखा गया। हालांकि, इस नीति के प्रारंभिक कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से दोहन नहीं हो पाया और यह नीति-निर्माण में क्षेत्र को पूरी तरह से एकीकृत किए बिना तैयार की गई थी। यह दर्शाता है कि पूर्वोत्तर को केवल एक भौगोलिक मार्ग के रूप में देखा गया, न कि नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में जिसके अपने विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी मुद्दे थे। इस अनदेखी के कारण क्षेत्र में नीति के लाभों की असमान पहुंच हुई। इस अनुभव ने बाद में 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के एकीकरण पर अधिक जोर देने का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि पूर्वोत्तर के बिना पूर्वी एशिया के साथ वास्तविक कनेक्टिविटी और एकीकरण संभव नहीं है।

'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' में बदलाव (नवंबर 2014, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी):-

नवंबर 2014 में म्यांमार में आयोजित 'ईस्ट एशिया समिट' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'लुक ईस्ट' नीति को 'एक्ट ईस्ट' नीति में परिवर्तित किया गया। यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं था, बल्कि यह ठोस कार्रवाई और परिणामों पर अधिक बल देने के लिए एक निर्णायक बदलाव था। 'लुक ईस्ट' नीति को अक्सर "मिश्रित परिणाम" वाला बताया गया था और कुछ क्षेत्रों में "शिथिलता" का सामना करना पड़ा था। 'एक्ट ईस्ट' नीति को अधिक गतिशील और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया गया था, जिसमें "गतिशीलता और क्रियाशीलता के अहम पहलू" शामिल थे। यह बदलाव भारत को क्षेत्रीय हितधारक से 'लीडर' के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह भारत की विदेश नीति में एक परिपक्वता को दर्शाता है, जहां केवल इरादों की घोषणा के बजाय ठोस परियोजनाओं और गहरे जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे नीति की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ी है।

उद्देश्य और विशेषताएं: '4C' (संस्कृति, वाणिज्य, संपर्क, क्षमता निर्माण) का विस्तार

'एक्ट ईस्ट' नीति का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और सक्रिय तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने AEP के '4C' का उल्लेख किया है: संस्कृति (Culture), वाणिज्य (Commerce), संपर्क (Connectivity), और क्षमता निर्माण (Capacity building)। यह नीति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर गहन और निरंतर जुड़ाव को बढ़ावा देती है।

विस्तारित भौगोलिक दायराः आसियान से आगे हिंद-प्रशांत क्षेत्र, पूर्वी एशिया और ओशिनिया तकः-

'एक्ट ईस्ट' नीति का रणनीतिक विस्तार आसियान से आगे बढ़कर व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र, पूर्वी एशिया और ओशिनिया तक हो गया है। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। 'लुक ईस्ट' नीति का फोकस मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया पर था, हालांकि बाद में इसका विस्तार पूर्वी एशिया और ओशिनिया तक हुआ। 'एक्ट ईस्ट' नीति स्पष्ट रूप से "व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र" पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक बहुआयामी ढांचा है जो "हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी की गहराई" को दिशा देती है। यह भी उल्लेखनीय है कि 'एक्ट ईस्ट' नीति के कारण "एशिया-प्रशांत हिंद प्रशांत में तब्दील हुआ है"। हिंद-प्रशांत की अवधारणा का उदय चीन की बढ़ती समुद्री मुखरता और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के कारण हुआ। भारत ने इस व्यापक भू-रणनीतिक ढांचे को अपनाया ताकि अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया जा सके और चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का मुकाबला किया जा सके। यह केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, बल्कि एक वैचारिक बदलाव है जो समुद्री सुरक्षा

और कनेक्टिविटी को केंद्रीय बनाता है। हिंद-प्रशांत पर जोर भारत को केवल एक क्षेत्रीय खिलाड़ी के बजाय एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो वैश्विक व्यापार मार्गों और सुरक्षा वास्तुकला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी को भी मजबूत करता है।

रणनीतिक और सुरक्षा आयाम का समावेश:-

सुरक्षा 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें रक्षा कूटनीति में वृद्धि शामिल है, जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री। यह नीति दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता और भारत की भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर देती है, जो चीन की बढ़ती आक्रामकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत क्वाड (iQuadrilateral Security Dialogue) जैसे इंडो-पैसिफिक समूह में शामिल हो गया है, जो रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने खुद को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, संपर्क और सामर्थ्य में एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में स्थापित किया है।

लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के बीच प्रमुख अंतर:-

'लुक ईस्ट' नीति मुख्य रूप से आसियान देशों और उनके आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित थी, जिसका भौगोलिक दायरा दक्षिण-पूर्व एशिया तक सीमित था। इसके विपरीत, 'एक्ट ईस्ट' नीति आसियान देशों के आर्थिक एकीकरण के साथ-साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर भी केंद्रित है, और इसका भौगोलिक दायरा व्यापक एशिया-प्रशांत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक फैला हुआ है।

सुरक्षा सहयोग और भू-रणनीतिक फोकस में बदलाव:-

'लुक ईस्ट' नीति में सुरक्षा की अवधारणा स्पष्ट रूप से नहीं दिखती थी, और यह मुख्य रूप से आर्थिक संबंधों पर आधारित थी। इसके विपरीत, 'एक्ट ईस्ट' नीति में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें रक्षा कूटनीति में वृद्धि, नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, और क्वाड जैसे समूहों में भागीदारी शामिल है। यह बदलाव चीन की बढ़ती सैन्य मुखरता और दक्षिण चीन सागर में उसके दावों के प्रति भारत की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। भारत ने महसूस किया कि केवल आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर्याप्त नहीं है; क्षेत्रीय स्थिरता और अपने हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा आयाम आवश्यक है। यह भारत की विदेश नीति में एक अधिक यथार्थवादी और व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां आर्थिक लाभों को रणनीतिक सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाता है, जिससे भारत की क्षेत्रीय विश्वसनीयता और प्रभाव में वृद्धि होती है।

क्रियान्वयन दृष्टिकोण में भिन्नता:-

'लुक ईस्ट' नीति के प्रारंभिक चरण में व्यापार बाधाओं में कमी और पर्यटन वृद्धि जैसे परिणाम मिले। हालांकि, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में "मिश्रित परिणाम" और "उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने" की आलोचना भी मिली। 'एक्ट ईस्ट' नीति ठोस कार्रवाई और परिणामों पर अधिक बल देती है, जिसमें क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए पूर्वोत्तर भारत का एकीकरण और रणनीतिक व आर्थिक प्राथमिकता के रूप में हिंद-प्रशांत की मान्यता शामिल है। 'लुक ईस्ट' नीति के तहत पूर्वोत्तर भारत को "प्रवेश द्वार" के रूप में देखा गया। हालांकि, 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत, पूर्वोत्तर भारत को "क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए एक महत्त्वपूर्ण केंद्र" और "अरुणाचल प्रदेश राज्य और आसियान क्षेत्र सहित उत्तर पूर्व भारत के बीच एक इंटरफेस" के रूप में एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। 'लुक ईस्ट' नीति के तहत पूर्वोत्तर के एकीकरण की कमी और अपर्याप्त विकास ने यह स्पष्ट कर दिया कि पूर्वोत्तर को केवल एक मार्ग के रूप में देखने के बजाय, उसे नीति के सक्रिय भागीदार और लाभार्थी के रूप में विकसित करना आवश्यक है। 'एक्ट ईस्ट' नीति का 'इंटरफेस' दृष्टिकोण पूर्वोत्तर को केवल एक भौगोलिक सुविधा के बजाय एक सक्रिय आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखता है, जो पड़ोसी देशों के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकता है। यह नीति के आंतरिक और बाहरी आयामों के बीच बेहतर सामंजस्य को दर्शाता है, जहां पूर्वोत्तर का विकास न केवल स्थानीय आबादी के लिए बल्कि भारत की समग्र 'एक्ट ईस्ट' रणनीति की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है।

नीतियों का रणनीतिक महत्व और क्षेत्रीय प्रभाव:-

'लुक ईस्ट' नीति की शुरुआत का एक प्रमुख कारण उस क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना था। 'एक्ट ईस्ट' नीति दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के संदर्भ में नेविगेशन की स्वतंत्रता और भारत की भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर देती है। भारत इस क्षेत्र में किसी भी एक देश का प्रभुत्व नहीं चाहता और चीन पर दबाव बनाए रखने के लिए क्वाड जैसे बहुपक्षीय समझौतों में सक्रिय है। चीन के ग्वादर, हंबनटोटा जैसे बंदरगाहों में निवेश और ऋण जाल में फंसाने के "कुचक्र" के जवाब में, भारत एक 'नेट ऑफ जेम्स' (साझेदारी और कनेक्टिविटी का नेटवर्क) बनाने की कोशिश कर रहा है। यह केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव और संतुलन स्थापित

करने का एक व्यापक प्रयास है। यह भारत को एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में स्थापित करता है और हिंद-प्रशांत में एक नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो किसी एक शक्ति के प्रभुत्व को रोकता है। यह भारत की विदेश नीति में एक सक्रिय और निवारक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और विजन (IPOI):-

'एक्ट ईस्ट' नीति ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को एक नया आयाम दिया है, जिससे भारत एक आर्थिक विकास सहयोगी और क्षेत्रीय स्थिरता में जिम्मेदार भागीदार के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एक मुक्त, समावेशी, नियम-आधारित और सभी के लिए उन्मुक्त समुद्री क्षेत्र का विजन है। भारतीय विदेश नीति "वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीय कल्पना करना" पर आधारित है। 'एक्ट ईस्ट' नीति ने "एक स्थिर और बहुध्रुवीय इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की नींव रखी है" और भारत "एक इंडो-पैसिफिक शक्ति के रूप में उभरा है"। लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे शक्तिशाली शक्ति बताया गया है। भारत की 'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' की यात्रा केवल अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी बढ़ती स्थिति और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान करने की उसकी इच्छा को भी दर्शाती है। क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी और क्वाड जैसे समूहों में शामिल होना इस व्यापक भू-राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। यह भारत को वैश्विक शासन और क्षेत्रीय वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है, जो केवल एक उपभोक्ता के बजाय एक नियम-निर्माता और आकार देने वाला बन रहा है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत करता है।

बहुपक्षीय मंचों (EAS, ARF, ADMM+) में सक्रिय भागीदारी:-

भारत पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (EAS) का संस्थापक सदस्य है और आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) में सक्रिय भागीदार है। भारत लगातार हर साल आसियान-भारत सम्मेलनों, ईस्ट एशिया सम्मेलनों और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM+) में भाग लेता है, जो क्षेत्रीय बहुपक्षीय प्रक्रिया के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर जोर:-

'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत रक्षा कूटनीति में वृद्धि हुई है, जिसमें फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री और वियतनाम के साथ सैन्य रसद समझौते शामिल हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया (MLSA), जापान (JIDIP) और अमेरिका (LEMOA, COMCOSA, ISA) के साथ रक्षा सहयोग समझौते किए हैं। भारत ने मालाबार और इंडो-पैसिफिक जलक्षेत्र में समन्वित गश्त जैसे बहु-राष्ट्रीय नौसेना अभ्यासों में भी भाग लिया है। वर्ष 2023 में पहला भारत-आसियान समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया।

आर्थिक योगदान और व्यापारिक संबंध:-

'लुक ईस्ट' नीति के तहत, भारत का एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार 2003-04 में 37.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2009-10 में 141.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत, आसियान के साथ भारत का व्यापार 2016-17 में 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य 121 अरब डॉलर रहा था। आसियान क्षेत्र से भारत को लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है।

मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) और आर्थिक एकीकरण:-

भारत और आसियान ने एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे व्यापार और निवेश में काफी बढ़ोतरी हुई है। आसियान-भारत वस्तुओं के व्यापार पर समझौता 2010 में हस्ताक्षरित हुआ और प्रभावी हुआ। सेवाओं और निवेश पर समझौते भी हैं, जो मिलकर आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) बनाते हैं। इन समझौतों के तहत, आसियान और भारत ने 76.4% वस्तुओं पर टैरिफ को कम करके और समाप्त करके धीरे-धीरे अपने बाजारों को खोलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में आसियान की भूमिका:-

आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 11% हिस्सा रखता है। भारत आसियान का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, व्यापार असंतुलन एक चुनौती बना हुआ है। भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2011 में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023 में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर

हो गया है। भारत और आसियान ने इस असंतुलन को संबोधित करने के लिए 2022 में FTA की समीक्षा पर सहमति जताई है, जिसकी समीक्षा 2025 तक होनी है। मुक्त व्यापार समझौतों ने व्यापार की मात्रा में वृद्धि की है, लेकिन भारत के लिए यह एकतरफा लाभ नहीं रहा है। व्यापार घाटा भारत के घरेलू उद्योगों पर दबाव डाल सकता है और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए चिंता का विषय बन सकता है। FTA की समीक्षा इस असंतुलन को दूर करने और अधिक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि आर्थिक जुड़ाव केवल मात्रात्मक वृद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और स्थिरता के बारे में भी है। भारत को अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति के आर्थिक स्तंभ को मजबूत करने के लिए व्यापार समझौतों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने की आवश्यकता है।

तालिका 1: भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार (चयनित वर्ष)

वर्ष	*कुल व्यापार मूल्य (अमेरिकी डॉलर)*
1992	2 बिलियन
2002	9 बिलियन
2016-17	71-71.6 बिलियन
2017-18	72 बिलियन
2022-23	121-122 बिलियन
2023-24	120 बिलियन
2024 (अनुमानित)	150 बिलियन

नोट: व्यापार घाटा 2011 में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

भौतिक कनेक्टिविटी परियोजनाएं: भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना:-

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसी संपर्क पहलें इस साझेदारी के अहम हिस्से हैं, जिनका उद्देश्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आवागमन, व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। कलादान परियोजना का उद्देश्य कोलकाता/हल्दिया बंदरगाह से सित्तवे बंदरगाह-कलादान नदी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र को वैकल्पिक संपर्क प्रदान करना है। इन प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति में कुछ चुनौतियां भी रही हैं। चल रही प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शीघ्र पूरा होना भारत की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। भू-राजनीतिक अस्थिरता, वित्तपोषण के मुद्दे और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताएं इन परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा डालती हैं। इन परियोजनाओं का सफल और समय पर पूरा होना भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और उसे दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए। यह भारत को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत करेगा।

डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग और अंतर्देशीय जलमार्ग:-

इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में डिजिटल कनेक्टिविटी बेहद अहम है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और डिजिटल भविष्य के लिए भारत-ASEAN फंड जैसे सहयोगी कदम शामिल हैं। ऊर्जा कूटनीति भी 'लुक ईस्ट' नीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई थी। अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत क्षमता का उपयोग करके पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार की संभावना भी मौजूद है। अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWT-T) और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्ग उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलमार्ग कनेक्टिविटी को सक्षम बनाते हैं।

पूर्वोत्तर भारत का एकीकरण और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भूमिका:-

'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए एक महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर भारत का एकीकरण किया जा रहा है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। कनेक्टिविटी बढ़ने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे और आंतरिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक प्रमुख उद्देश्य "उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के आर्थिक विकास में सुधार करना" है, जो "दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का प्रवेश द्वार है"। पूर्वोत्तर भारत के "क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए एक महत्त्वपूर्ण केंद्र" के रूप में एकीकरण पर जोर दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास आंतरिक चुनौतियों से निपटने और बाहरी स्तर पर मजबूत आधार तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर को केवल एक भौगोलिक मार्ग के बजाय एक सक्रिय 'हब' के रूप में विकसित करने पर जोर देना, यह दर्शाता

है कि भारत अपनी आंतरिक विकास चुनौतियों को अपनी विदेश नीति के साथ एकीकृत कर रहा है। पूर्वोत्तर का विकास न केवल स्थानीय आबादी के लिए आर्थिक अवसर पैदा करेगा, बल्कि यह भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे के लिए एक विश्वसनीय और जीवंत व्यापार और कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। यह भारत की विदेश नीति में एक 'होम-टू-वर्ल्ड' दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां आंतरिक विकास और स्थिरता बाहरी जुड़ाव के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। पूर्वोत्तर की सफलता 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए एक मॉडल बन सकती है और भारत की क्षेत्रीय शक्ति को मजबूत कर सकती है।

सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधः-

'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' दोनों नीतियों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। भारत का लक्ष्य लोगों के बीच आपसी संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए बौद्ध तथा हिंदू सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित और मजबूत करना है। रामायण महोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की गई है। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक संबंधों का उपयोग अपने भू-राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक 'सॉफ्ट पावर' उपकरण के रूप में कर रहा है। यह सांस्कृतिक जुड़ाव न केवल सद्भावना पैदा करता है, बल्कि यह चीन के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव का भी मुकाबला करता है और क्षेत्रीय देशों के साथ गहरे, अधिक स्थायी संबंध स्थापित करता है जो केवल आर्थिक या सैन्य हितों से परे हैं। यह भारत की विदेश नीति के बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां संस्कृति को रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में देखा जाता है। यह भारत को एक अधिक आकर्षक और भरोसेमंद भागीदार के रूप में प्रस्तुत करता है।

शैक्षिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और छात्रवृत्ति कार्यक्रमः-

'एक्ट ईस्ट' नीति के '4C' में 'संस्कृति' और 'क्षमता निर्माण' शामिल हैं। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन विकास में योगदान दिया गया है। आसियान के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है, और आसियान-इंडिया सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है।

पर्यटन और सांस्कृतिक कूटनीतिः-

दक्षिण-पूर्व एशिया से आने वाले पर्यटन में वृद्धि हुई है। भारत और आसियान देश मिलकर वैश्विक दक्षिण के क्रूज पर्यटन का केंद्र बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में जोर-शोर से मनाया जाता है, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहुंच में विस्तार हुआ है। सिक्किम को 'बौद्ध पर्यटन' के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएंः-

पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण शेष भारत से अलगाव, कुशल बुनियादी ढाँचे की कमी, बदहाल सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास की धीमी गति हैं। 'लुक ईस्ट' नीति NER में रोजगार सृजन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, और NER को आसियान के साथ व्यापार और वाणिज्य के प्रवेश द्वार में बदलने का वादा अभी तक पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है।

गैर-पारंपरिक खतरे और आंतरिक सुरक्षा चिंताएंः-

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गंभीर गैर-पारंपरिक खतरे मौजूद हैं, जिनमें तस्करी, मादक पदार्थों का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपराध, विद्रोही गतिविधि और म्यांमार से शरणार्थियों की आमद शामिल है। चरमपंथी और उग्रवादी समूह पड़ोसी देशों में सुरक्षित आश्रय का उपयोग करते हैं, और पाकिस्तानी ISI जैसी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की कथित उपस्थिति भी चिंता का विषय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की चुनौतियां सीधे तौर पर भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध "आंतरिक चुनौतियों से निजात पा सकते हैं"। 'एक्ट ईस्ट' नीति की सफलता न केवल बाहरी कूटनीति पर निर्भर करती है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की आंतरिक स्थिरता और विकास पर भी निर्भर करती है। यदि पूर्वोत्तर एक सुरक्षित और समृद्ध "प्रवेश द्वार" नहीं है, तो पूर्वी एशिया के साथ कनेक्टिविटी और व्यापार के लाभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा और विकास के मुद्दे सीधे तौर पर भारत की क्षेत्रीय शक्ति प्रक्षेपण क्षमता को प्रभावित करते हैं। यह दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति को घरेलू नीतियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में। एक समग्र दृष्टिकोण जिसमें सुरक्षा, विकास और कूटनीति शामिल हो, 'एक्ट ईस्ट' नीति को अधिक प्रभावी बनाएगा और भारत को एक मजबूत क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।

चीन के साथ संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाः-

चीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के साथ सीमा तनाव और गैर-पारंपरिक खतरों को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व स्थापित करने का डर एक सतत चुनौती है, जिसके लिए भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। चीन के बेल्ट एंड

रोड इनिशिएटिव (BRI) के प्रति भारत का दृष्टिकोण और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में भारत की भागीदारी न करना भी महत्वपूर्ण विचार हैं।

नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझावः-

'एक्ट ईस्ट' नीति के कार्यान्वयन का एजेंडा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ सक्रिय सहयोग से तैयार किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (राज्यों) श्री गोपाल बागले का उल्लेख है कि सरकार "सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद" के प्रधानमंत्री के विषय पर आधारित निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर संघ और राज्यों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। यह दर्शाता है कि 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। राज्यों के साथ समन्वय की कमी या उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं की अनदेखी नीति की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती है। 'सहकारी संघवाद' का सिद्धांत विदेश नीति के कार्यान्वयन में एक नया आयाम जोड़ता है, जहां राज्यों को केवल लाभार्थियों के बजाय सक्रिय हितधारकों के रूप में देखा जाता है। यह भारत की संघीय संरचना की जटिलताओं को दर्शाता है और बताता है कि कैसे आंतरिक शासन के सिद्धांत विदेश नीति के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। 'एक्ट ईस्ट' नीति की सफलता के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत, समन्वित और सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक है।

कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और सड़क तथा रेल परियोजनाओं का विकास आपदा-प्रतिरोधी उपायों के अनुसार होना चाहिए। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को 'एक्ट ईस्ट' नीति के दायरे में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि चिकित्सा पर्यटन, फिल्म सह-उत्पादन, शैक्षणिक अनुसंधान और तीर्थयात्रा जैसे उत्पादक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानीय विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए गए युवाओं के लिए उपयुक्त नौकरियों और रोजगार के अवसरों का सृजन करना समय की मांग है। सीमाओं को बाधाओं के बजाय गलियारों के रूप में देखना, मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देना जबकि अवैध आप्रवासन और तस्करी को रोकना, और बहु-मॉडल कनेक्टिविटी में इष्टतम निवेश जैसे "चार विरोधाभासों" को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। चल रही प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शीघ्र पूरा होना भारत की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। चीन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, और BCIM-EC (बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा) जैसी संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

निष्कर्षः-

'लुक ईस्ट' नीति ने भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक रूप से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि 'एक्ट ईस्ट' नीति ने इस जुड़ाव को एक व्यापक और रणनीतिक आयाम दिया। इन नीतियों ने भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' की नीति में परिवर्तन ने भारत की वैश्विक स्थिति को ऊँचा किया है और पूरे क्षेत्र को आर्थिक, रणनीतिक और विकास से जुड़ी नई संभावनाएँ दी हैं। पिछले ग्यारह वर्षों में, भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति ने एक स्थिर और बहुध्रुवीय इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की नींव रखी है, जिससे भारत एक इंडो-पैसिफिक शक्ति के रूप में उभरा है। भविष्य में, इन नीतियों की सफलता आंतरिक चुनौतियों को दूर करने, कनेक्टिविटी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और चीन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने पर निर्भर करेगी।

संदर्भ सूची

1. चिएटिगी बाजपेई, "नए सिरे से सत्ता की राजनीति के युग में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को फिर से मजबूत करना",द पैसिफिक रिव्यू, खंड 36,2023, अंक 3, 12 अगस्त 2022
2. ईवा हैन्सन, केविन हेविसन और जिम ग्लासमैन, "पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में शीत युद्ध की विरासतः एक परिचय", जर्नल ऑफ कंटेम्परारी एशिया, खंड 50,2020, अंक 4, 13 मई 2020
3. शिहोंग बी, "आसियान आर्थिक समुदाय के निर्माण के तहत चीन और आसियान के बीच सहयोग", जर्नल ऑफ कंटेम्परारी ईस्ट एशिया स्टडीज, खंड 10, 2021, अंक 1, 22 फरवरी 2021
4. कटजा फ्रीस्टीन, "एक जीवंत दस्तावेजः आसियान चार्टर के वादे", द पैसिफिक रिव्यू, 26(4), सितंबर 2013
5. बिकाश सिंह, "एक्ट ईस्ट नीति क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैः पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक गलियारों की गोलमेज सम्मेलन में खोज की गई", द इकोनॉमिक टाइम्स, फरवरी 162024
6. अरिजीत मजूमदार, "लुक ईस्ट" से "एक्ट ईस्ट" तकः एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का विकसित होता जुड़ाव", एशियाई मामले, खंड 52, 2021, अंक 2, 05 मई 2021
7. एशियन अफेयर्सः वॉल्यूम 52, नंबर 2 - एक्सेस प्राप्त करें

8. अनमित्रा बनर्जी, "भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों की तुलना", जेके पॉलिसी इंस्टीट्यूट, 25, अप्रैल 2022
9. नगैबियाकचिंग, अंबा पांडे, "भारत की एक्ट ईस्ट नीति और आसियान: इंडो-पैसिफिक में भागीदारी के माध्यम से एक क्षेत्रीय व्यवस्था का निर्माण", सेज जर्नल्स, दिसंबर 2019
10. ताज बरुआ, "पूर्वोत्तर में लुक ईस्ट नीति/एक्ट ईस्ट नीति-संचालित विकास मॉडल भारत", जादवपुर जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, 24(1)
11. अहमद ए. (2012). 21वीं सदी में भारत-आसियान संबंध: भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ-विश्लेषण, यूरेशिया समीक्षा।
12. राजदूत सिंह एस. (2014). भारत की पूर्व की ओर देखो-पूर्व की ओर काम करो नीति: एशियाई पड़ोस के लिए एक पुल।
13. आसियान. (2019). इंडो-पैसिफिक पर आसियान का दृष्टिकोण।
14. बाजपेई सी. (2017). भारत की लुक ईस्ट/एक्ट ईस्ट नीति को कमजोर करना। समकालीन दक्षिण पूर्व एशिया: अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मामलों का एक जर्नल, 39(2), 348-372.
15. भाटिया आर. (2016, 10 मार्च)। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और म्यांमार की भूमिका।
16. भाटिया आर. (2018, 26 जुलाई)। भारत-आसियान को इंडो-पैसिफिक में स्थापित करना, गेटवे हाउस।
17. ब्लैंक जे, मोरोनी जे. डी. पी., रबासा ए., लिन बी. (2015). पूर्व की ओर देखें, काले पानी को पार करें। सांता मोनिका, सीए: रैंड कॉर्पोरेशन।
18. चेन डी. (2018ं, 27 अप्रैल)। चीन इंडो-पैसिफिक रणनीति के बारे में क्या सोचता है। द डिप्लोमैट। 27 अप्रैल, 2018
19. चेन डी. (2018इ, 4 जून)। इंडो-पैसिफिक रणनीति: एक पृष्ठभूमि विश्लेषण। (1968). दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयकृत राज्य। होनोलुलु, HI: यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई प्रेस।
20. हाओकिप टी. (2011). भारत की पूर्व की ओर देखने की नीति: इसका विकास और दृष्टिकोण। दक्षिण एशियाई सर्वेक्षण, 18(2), 239द्257.
21. हांग जेड. (2007). भारत और चीन: दक्षिण पूर्व एशिया में प्रतिद्वंद्वी या साझेदार? समकालीन दक्षिण पूर्व एशिया, 29(1),

समकालीन भारत में राज्यों की राजनीति का जातियकरण

प्रो० सुरेन्द्र सिंह

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, श्री राधेष्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनू

सारांश

समकालीन भारत में राज्यों की राजनीति का जातियकरण एक जटिल और बहूआयामी प्रक्रिया रही है। जाति जो कि पारम्परिक रूप से सामाजिक संरचना का हिस्सा रही है ने राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे राज्यों की राजनीति में जातीयता का प्रभाव बड़ा है। समग्र रूप से भारत में राज्यों की राजनीति में जाति एक महत्तपूर्ण कारक है राजनीतिक दल जातिय पहचान का उपयोग मतदाताओं को आकर्षिक करने और चुनावाओं में जीतने के लिए करते हैं। आक्षरण नीतियां और दलित राजनीति भी राजनीति में जाति के प्रभाव में वृद्धि करती हैं।

मुख्य शब्द: व्यष्टि स्तर, समष्टि स्तर, कामराज नाडार, गोलवालकर, काम्मा-रेड्डी, ओकालिंगा-लिंगायत।

परिचय

भारतीय राजनीति में जाति का महत्व बढ़ा है। प्राचीनकाल में जब हमारा समाज कृषि प्रधान था, जाति ने समाज को एकता के सूत्र में बाँधे रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जैसे-जैसे आधुनिकरण तथा लोकतन्त्रीकरण के कारण हमारे देश की सामाजिक तथा राजनीतिक पद्धति में परिवर्तन हुआ, वैसे-वैसे भारतीय समाज में जाति की भूमिका भी बदलती चली गई। अब जाति का राजनीतिकरण हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी राजनीति में भूमिका बढ़ गई है। अब कोई भी सामाजिक या राजनीतिक संस्था इस वास्तविकता की उपेक्षा नहीं कर सकती। आज भारतीय राजनीति जाति के चारों ओर चक्कर लगाती हैं तथा भारतीय राजनीति में जाति की वहीं भूमिका है, जो यूरोपीय देशों में दबाव समूहों की है। इस प्रकार जाति का राजनीति के लिए और राजनीति का जाति के लिए महत्व बढ़ गया है।

गाँव के सरपंच के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनावों में जाति की सक्रिय भूमिका है। चौकीदार से मन्त्री पद पर पहुँचने के लिए जाति सीढ़ी का कार्य करती है। राजनीतिक दलों का निर्माण, टिकटों का बँटवारा, चुनाव प्रचार, चुनाव एजेन्ट, मन्त्रिमंडल के निर्माण, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों[1] में तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधियों आदि सभी को जाति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के सात दषक बाद भी भारतीय समाज व राजनीति जाति के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकी, बल्कि प्रत्येक स्तर पर जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्थानीय स्तर तो पूर्णत: जाति संरचनाओं द्वारा नियन्त्रित होते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी ने स्वीकार किया है कि "जाति तो राजनीति को प्रभावित करती है। साथ ही राजनीति भी जाति को बनाये रखने में मददगार है। यदि जाति के महत्व को अस्वीकार किया जाता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो स्वयं राजनीति के ढाँचे व क्रियाकलापों में बाधा पड़ती है।"[2] जाति तथा राजनीति में घनिष्ठ सम्बन्ध है यह अनुमान लगाना असंभव है कि कहाँ से जाति शुरू होती है तथा कहाँ राजनीति खत्म होती है।

मोरिस जोन्स ने अपने अध्ययन के आधार पर कहा है "राजनीति जाति से अधिक महत्वपूर्ण है तथा जाति राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण है।"[3] वे आगे लिखते हैं कि शीर्षस्थ नेता भले ही जाति रहित समाज के उद्देश्य की घोषणा करें, परन्तु ग्रामीण जनता जिसे मताधिकार मिले अधिक समय नहीं हुआ है, वह केवल परम्परागत राजनीति की भाषा को ही समझती है, जो जाति के चारों ओर घूमती है।"[4] इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक है। माइकल ब्रेचर ने कहा है कि "राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा स्थानीय स्तर पर जाति राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है।"[5]

राज्यों की राजनीति का अध्ययन

राजनीति में जाति की भूमिका का राज्य स्तर पर अध्ययन करने के लिए इसका दो आधारों पर विभाजन किया गया है -

(क) व्यष्टि स्तर पर तथा; (ख) समष्टि स्तर पर।

व्यष्टि स्तर पर जाति ने राजनीति को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है:

(1) जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन: चुनाव के समय उम्मीदवारों के चयन में जाति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। प्रत्येक राजनीतिक दल उम्मीदवार की जाति एवं चुनाव क्षेत्र के लोगों की जाति के मध्य तादात्म्य स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। विशेष जाति का प्रत्याशी उसी जाति बाहुल्य वाले क्षेत्र में खड़ा किया जाता है। इस प्रकार जातिगत भावनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाता है।[6] फलत: परिसीमित चुनाव क्षेत्र में आश्चर्यजनक गुटबन्दियाँ हो जाती है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सभी राजनीतिक दल सशक्त मुस्लिम उम्मीदवार की तलाश में रहते हैं। जाट बाहुल्य क्षेत्रों में जाट, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में गुर्जर, वैश्य बाहुल्य क्षेत्रों में वैश्य, पंजाबी बाहुल्य क्षेत्रों में पंजाबी, अहीर बाहुल्य क्षेत्र में अहीर उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। कांग्रेस व अन्य बड़े राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों ने हमेशा ही उम्मीदवारों के चयन में जाति को ध्यान में रखा है, क्योंकि भारतीय जनता का विशेषकर मतदाताओं का बहुत बड़ा भाग आज भी अनपढ़ है और पढ़े-लिखे लोगों का दृष्टिकोण भी इतना व्यापक नहीं है कि जाति के दायरे को छोड़कर बड़े राष्ट्रीय हितों के बारे में सोच सकें।

(2) राजनीतिक नेतृत्व: आजादी से पूर्व कांग्रेस पार्टी, जो स्वतन्त्रता के संघर्ष में व्यस्त थी, में उच्च जातियों को राजनीति में केन्द्रीय महत्व प्राप्त था, परन्तु 1947 की स्वतन्त्रता ने मध्यम तथा निम्न जातियों के व्यक्तियों को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की अपार संभावनाएँ प्रदान की। निम्न जातियों के व्यक्ति नेताओं के रूप में उभरे, विशेष रूप से आरक्षण नीति के कारण, जबकि मध्यम जातियों में अभिजनों का उदय उनके शैक्षिक व सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण तथा 1950 के बाद से राजनीति में प्रतिस्पर्धा के उदय के कारण हुआ। इस प्रकार जाति प्रथा जिसके केवल सांस्कारिक एवं परम्परागत कार्य थे, उसने शहरों, कस्बों व गाँवों में लोगों के राजनीतिक व्यवहार को नियमित करने की नवीन भूमिका को भी धारण कर लिया। इस तरह जाति जैसे परम्परागत तत्व का आधुनिक जनतान्त्रिक राजनीति के साथ बाधा रहित व स्पष्ट समायोजन हो गया।

यद्यपि हमारे नेता धर्मनिरपेक्ष तथा गैरजातीय राजनीति की बात करते रहते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में वे जाति के दबाव में ही कार्य करते हैं क्योंकि नेता के रूप में उनका स्वयं का उदय जाति की ही पृष्ठभूमि पर हुआ है।"[7] इस तरह राजनीति में जाति ने राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित किया है। अनेक नेताओं का उत्थान व पतन जाति के कारण हुआ है, जाति के समर्थन पर ही अनेक नेता स्थायी तौर पर अपना महत्व बनाये हुए है।

(3) राजनीतिक दल: भारत में आधुनिकता तथा लोकतान्त्रिक विकास के कारण जाति की भूमिका भी बदलती चली गई। आज जाति का राजनीतिकरण हो जाने से देश का कोई भी राजनीतिक दल चाहकर भी जाति की वास्तविकता की उपेक्षा नहीं कर पाता। भारत में राष्ट्रीय दल प्रत्यक्ष तौर पर जाति का समर्थन करने से भले ही कतराते हों, परन्तु क्षेत्रीय दल तो खुले तौर पर जाति का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक दलों के संगठन का आधार ही जाति है और ये दल जातिवाद के आधार पर ही संगठित हैं।

बहुजन समाज पार्टी भी दलित वर्ग के नाम से ही राजनीति करती है; इसी तरह बिहार की झारखण्ड पार्टी, उड़ीसा की सीमाओं में रहने वाली आदिवासी जातियों से ही निर्मित हुई। डी.एम.के. पार्टी का भी तमिलनाडु में प्रमुख आधार ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन रहा है। केरल कांग्रेस कैथोलिक समुदाय से सम्बन्धित है। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी नायर समुदाय की तथा गोरखा लीग आदि दलों का आधार जाति ही है।

(4) चुनाव प्रचार में जाति की भूमिका: चुनाव प्रचार में भी जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्यों के चुनाव प्रचार के समय पार्टी अध्यक्ष जातिवाद का पूरा ध्यान रखते हैं। चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय या रज्य स्तर के उन नेताओं को अवश्य बुलाया जाता है, जो उस क्षेत्र की बहुसंख्यक जाति से सम्बन्धित होते हैं। इतने पर भी अन्य जातियों के खिलाफ बात नहीं की जाती, क्योंकि प्रत्याशी उनका भी मत प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आम सभाओं में दिए जाने वाले भाषण जातिवाद से परे व जातिगत एकता के समर्थक होते है, किन्तु पर्दे के पीछे वास्तविक चुनाव प्रचार अन्य प्रकार का होता है। मतदाताओं को जातिगत गठबन्धनों की प्रकृति समझाई जाती है और उनकी भावनाओं को इतना अधिक उभारा जाता है कि मतदान के समय जातिवादी तत्व अपना निर्णायक प्रभाव डाल सकें। उम्मीदवार की हार तथा जीत, जाति के आधार पर चलाये गये चुनाव प्रचार पर निर्भर होती है जिस जाति का बहुमत उस चुनाव क्षेत्र में होता है, प्राय: वही उम्मीदवार चुनाव जीतता है। फिर किसी उम्मीदवार का चुनाव जीतना इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह इन शक्तियों तथा साधनों का प्रयोग तथा समायोजन कहाँ तक कर पाता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही इस तकनीक को अपनाया है। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके तथा एआईडीएमके पार्टियाँ गैर ब्राह्मणों के वोट जातीय भावनाओं के आधार पर ही प्राप्त करती है।

(5) जातिगत मतदान: मतदान व्यवहार को उम्मीदवार की योग्यता व छवि, प्रचार, चुनाव के मुद्दे, दल के प्रति निष्ठा, जनसंचार, प्राथमिक समूह, मतदाता की निजी विशेषताएँ जाति, धर्म, क्षेत्र, सम्पत्ति आदि कारक प्रभावित करते हैं, परन्तु जाति इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जिस प्रकार जापान में मतदान व्यवहार समूहों पर निर्धारित है, ब्रिटेन में यह दबाव समूहों द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार भारत में जाति निर्धारित है। रजनी कोठारी की भी मान्यता है कि "जातियाँ अपनी पहचान हमेशा बनाए रखती हैं और सत्ता के लिए संघर्ष करती है एवं जातियाँ अपनी मत शक्ति के कारण मतदान व्यवहार पर प्रभाव डालने में सक्षम होती हैं। कई बार जातीय संगम

बन जाते हैं जिनमें कई-कई जातियाँ शामिल हो जाती है; क्योंकि कभी-कभी उनके राजनीतिक उद्देश्य समान होते है। अत: चुनाव के समय मतदाता प्राय: जाति के आधार पर मतदान करते हैं। वयस्क मताधिकार ने जातियों को चुनावों को प्रभावित करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है। प्रत्येक जाति संख्या के आधार पर अपना महत्व समझने लगी है जिस जाति के जितने अधिक मत होते हैं, उसका उतना ही ज्यादा महत्व होता है तथा लोग जाति से प्रभावित होकर ही मतदान करते है।

(6) जातिगत दबाव समूह: राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में विभिन्न छोटी व बड़ी जातियों ने दबाव समूह बना लिए है, क्योंकि प्रत्येक जाति के लिए लोकनीतियों को प्रभावित करने का वही एकमात्र तरीका है। जाति पर आधारित दबाव समूह सामुदायिक विकास के साथ-साथ जातीय उपलब्धियों में भी सहायता करते हैं। ये जातीय दबाव समूह आजकल देश की राजनीति व चुनाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज राजस्थान में अखिल भारतीय जाट महासभा, अहीर महासभा, बिश्नोई महासभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, गुर्जर महासभा, मीणा महासभा आदि लगभग हर जाति के अपने संगठन हैं जो निजी हितों के उद्देश्य से मतदान प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। साथ ही अनुसूचित जातियों के समूह शासन पर निरन्तर दबाव डालते हैं ताकि उन्हें अधिकाधिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पद प्राप्त हों। इस प्रकार भारतीय राजनीति में जाति दबाव समूह का कार्य करती है।

(7) पंचायती राज व्यवस्था में जाति की भूमिका: आजादी के बाद भारत में ग्रामीण स्तर पर पंचायतीराज व्यवस्था कायम की गई है तथा पंचायती राज व्यवस्था ने राजनीतिक जागृति व राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् के चुनावों में विचारधारा व राजनीतिक दलों का प्रभाव नहीं के बराबर होता है, जबकि जाति इन चुनावों में आधारभूत तत्व मानी जाती है। ग्राम पंचायत के चुनावों में न केवल बहुसंख्यक जाति का सदस्य होना उम्मीदवार के लिए अति आवश्यक माना जाता है बल्कि इस पद के साथ ग्राम बहुल जाति की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। पंचायत समिति के चुनावों व अध्यक्ष पद के चुनावों में क्षेत्र बाहुल्य जाति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है व जिला परिषद् चुनावों में जिला स्तरीय बहुसंख्यक जाति का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तरों के चुनावों में जाति का महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार यही जातीय भावना भयानक रूप धारण कर राजनीतिक हिंसा का कारण बन जाती है जिसका प्रभाव बिहार, हरियाणा, उत्तरप्रदेश जैसे जाति प्रभावित राज्यों में स्पष्टत: देखा जा सकता है। पंचायती राज की असफलता के पीछे जाति की अहम् भूमिका है।

(8) जाति तथा प्रशासन: प्राचीन भारतीय राजतंत्र में भी उच्च दरबारी पद राजा के सजातीय अथवा पारिवारिक सदस्यों को ही मिलते थे। कमोबेश आज भी विभिन्न राज्यों में सत्ताधारी दलों के प्रमुख सजातीय लोगों को ही प्रशासनिक पद बाँटते हैं तथा प्रशासनिक सहायता देते हैं, जो कि राजनीति व प्रशासनिक भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। प्रशासनिक भर्ती, पदोन्नति, स्थानान्तरण जैसे प्रशासनिक मामलों में जातीयता का समावेश हो गया है। बड़े प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सजातीय कर्मचारियों की बढ़-चढ़कर मदद कर जातीय प्रतिष्ठा की दावेदारी करते हैं व राजनेता राजनीतिक विजय व मतदान प्रक्रिया में लाभ की उम्मीद करते हैं।

(9) सरकार निर्माण में जाति: जाति की भूमिका चुनाव के साथ ही समाप्त नहीं होती, बल्कि सरकार निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाता है, जो बहुसंख्यक जाति से सम्बन्धित होता है। राष्ट्रीय स्तर के दलों द्वारा भी चुनाव के बाद बहुसंख्यक जाति के व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आज तक पंजाब में कोई भी गैर सिक्ख मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। हरियाणा में मुख्यमंत्री जाट तथा गैर जाट के आधार पर बनाया जाता है। फिर मंत्रिमंडल के निर्माण में भी जातीय समीकरण ही काम करते हैं। प्राय: हमेशा यही प्रयास किया जाता है कि "हर प्रभावी जाति के विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिमंडल के निर्माण व पुनर्गठन को जाति अवश्य प्रभावित करती है।"[8]

समष्टि स्तर

समष्टि स्तर पर जाति की राजनीति के निम्नलिखित रूप सामने आये हैं:

1. जातिवाद का पहला परिणाम कई राज्यों में देखा जा सकता है, मुख्यत: तमिलनाडु में आजादी से पूर्व से ही राजनीति पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा। दूसरी ओर इसके विरूद्ध बहुत दिनों तक आन्दोलन चलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप रामास्वामी नायकर द्वारा द्रविड़ कड़गम नामक दल की स्थापना की गई जो बाद में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के रूप में विकसित हुआ। तमिलनाडु में यह आन्दोलन ब्राह्मणों को उच्च स्थानों से हटाने के लिए हुआ था। सन् 1914 से यह ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ और 1916 से एक पृथक राजनीतिक दल 'जस्टिस पार्टी' के नाम से स्थापित हुई जिसका उद्देश्य गैर-ब्राह्मण जातियों के हितों को सुरक्षित तथा विकसित करना था। यह संगठन का उद्देश्य सरकार का समर्थन प्राप्त करके प्रशासन और स्थानीय निकायों, यहाँ तक कि शिक्षण संस्थाओं में गैर-ब्राह्मण जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करना था। 1922 में सरकार द्वारा लोक सेवाओं में निर्धारित किये गये कोटे और गैर-ब्राह्मण जातियों के लिए लगभग 42 प्रतिशत और ब्राह्मण जाति के लिए 16 प्रतिशत स्थान निर्धारित किए। 1949 में यह आन्दोलन सी.एन. अन्नादुराई के नेतृत्व में डी.एम.के. के अधीन शुरू हुआ। ब्राह्मण विरोधी भावना के राजनीतिक

महत्व को दृष्टि में रखते हुए अन्य राजनीतिक दल भी जातीय युद्धों में संलग्न रहे है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजगोपालचारी के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए कामराज नाडार को राजनीति में ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार तमिलनाडु में ब्राह्मणों का राजनीतिक भविष्य अन्धकारमय है।

2. महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष रहा, परन्तु आरम्भ में राजनीतिक दलों में ब्राह्मणों का आधिपत्य रहा। बालगंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोलवालकर, एस.एन. डांगे आदि नेता ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद मराठा जाति ने ब्राह्मणों के प्रभाव को कम किया। 1960 में यह ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन अधिक उग्र हो गया व महाराष्ट्र नामक पृथक राज्य की स्थापना की गई और मराठ जाति की राजनीति में पूर्ण प्रधानता प्राप्त हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति में जातीय प्रभाव के कारण ही सत्ता का ब्राह्मणों से मराठों की तरफ हस्तान्तरण हुआ।
3. बिहार उन राज्यों में था जहाँ सबसे पहले जाति का राजनीतिकरण हुआ। वहाँ राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और पिछड़े हुए आदिवासियों के बीच सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष हुआ। ब्राह्मण कांग्रेस के पक्ष में हैं तथा राजपूत व अहीर जनता दल के पक्ष में हैं। आदिवासी शुरू से ही झारखंड पार्टी से सम्बन्धित हैं। कायस्थ कांग्रेस के साथ रहे, परन्तु थोड़े समय के लिए जयप्रकाश नारायण के प्रभाव में आकर ये कांग्रेस विरोधी हो गये थे। वर्तमान में कुर्मी जाति व अन्य जातियाँ नीतिश कुमार की पार्टी के समर्थक हो गए।
4. आन्ध्रप्रदेश में मध्यमवर्गीय जातियाँ राजनीति में संघर्षरत दिखाई देती हैं। आन्धप्रदेश में यह टकराव काम्मा और रेड्डी जातियों के बीच पाया जाता है। सन् 1934 में आन्ध्रप्रदेश साम्यवाद दल की स्थापना से इस दल का नेतृत्व काम्मा जाति के हाथों में रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी मे रेड्डी जाति का प्रभुत्व रहा। कर्नाटक में यह विरोध लिंगायत तथा ओकालिंगा जातियों के बीच पाया जाता है।
5. पहले मैसूर राज्य में ओकालिंगा तथा लिंगायत जाति महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती थी परन्तु अब केरल में नाय्यर और इजवाहा दो प्रमुख जातियों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष है। इजवाहा एक पिछड़ी जाति है जिसके फलस्वरूप केरल की जाति राजनीति अब वर्ग संघर्ष में परिवर्तित हो गई है।
6. गुजरात में पाटीदार और क्षेत्रीय जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा पायी जाती है। राज्यों में केवल दो जातियों का प्रभुत्व है जो आपसी प्रथाओं, सामाजिक स्थिति और सामाजिक-आर्थिक साधनों की दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत मिलती-जुलती है।
7. मध्यप्रदेश व राजस्थान में भी राजनीतिक पदों पर उच्च जातियों का एकाधिकार है लेकिन इन राज्यों में पिछड़ी जातियाँ उभरने का प्रयत्न कर रही है, क्योंकि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के कारण मतदाता अपने महत्व को समझने लगे हैं और जागरूक हुए हैं।
8. हरियाणा में भी राजनीति पर जाट जाति का एकाधिकार रहा है और यहाँ पर पिछड़ी जातियाँ उभरने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पर जाट तथा गैर जाट जातियों के मध्य संघर्ष देखने को मिल रहा है। अत: इन राज्यों में राजनीतिक प्रतियोगिता उच्च जातियों के बीच है और कोई भी एक जाति अकेले प्रभुत्व की स्थिति में नहीं है।

जाति की राजनीति

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत के कई राज्यों की राजनीति में जाति की भूमिका स्पष्ट झलकती है। भारत के संदर्भ में माइकल ब्रेचर का यह कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि जाति ने स्थानीय व राज्य स्तर की राजनीति में अहम् भूमिका निभाई है तथा भारतीय राजनीति में कोई भी राज्य जाति राजनीति के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं है

निष्कर्ष

इस प्रकार समकालीन भारत में जाति व राजनीति का गहन अध्ययन करने पर, विशेषकर राज्यों की राजनीति में, जाति की निम्न प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है:-

1. राज्यों के राजनीतिक रंगमंच पर ऐसे कई आन्दोलन शुरू हुए हैं जो जातिवाद के विरूद्ध प्रारम्भ हुए थे और अन्त में एक नई जाति के रूप में परिणत हो गए। जैसे दक्षिण में लिंगायत और उत्तर में सिक्ख, जिन्होंने ब्राह्मण हिंदूवाद के विरुद्ध सिक्खवाद को उकसाया।
2. मोरिस जोन्स ने इस मत का समर्थन किया कि भारतीयों में ज्यों-ज्यों आधुनिकीकरण बढ़ रहा है लोग प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से जातिगत सीमाओं में और अधिक बंधते दिखाई देते हैं। राज्यों की राजनीति में ज्यों-ज्यों आधुनिकीकरण और समाजीकरण होता जा रहा है त्यों-त्यों जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

3. रजनी कोठारी का यह कथन ठीक लगता है कि, "यह राजनीति नहीं है, जो जातिपरस्त हो गई है, बल्कि जाति है जो राजनीतिक हो गई है।" राज्यों की राजनीति में जाति ने अपना पारम्परिक स्वरूप बदल दिया है। इसके पीछे शक्ति की राजनीति महत्वपूर्ण तत्व रही है।
4. राज्यो कि राजनीति में जातिगत सिद्धांत अति महत्वपूर्ण हो गए हैं, जो आधुनिक भारत में ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं, जिसमें बढ़ती हुई सदस्यता, पूँजीगत स्रोतों आदि ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।
5. जाति समुदाय एक संगठन के रूप में राज्यों में सशक्त दिखाई पड़ते हैं, जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा, मीणा महासभा, अहीर महासभा, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय राजपूत महासभा, अम्बेडकर महासभा, धानक महासभा आदि महासभाएँ।
6. राज्यों में जातीय नेतृत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेतृत्व उन लोगों के हाथों में पनपने लगा है, जो जाति की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार जातिगत नेतृत्व आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है।
7. राज्यों की राजनीति में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, जैसे गुजरात व राजस्थान के वैश्य व महाजन इत्यादि और कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो जाति की संख्या के आधार पर राजनीति को प्रभावित करती हैं जैसे बिहार में यादव, हरियाणा में जाट जो संख्या के साथ-साथ खेतीहर व आर्थिक रूप से समृद्ध मानी जाती है।
8. आधुनिक जाति सभाओं और पारम्परिक जाति पंचायतों में काफी अंतर है। एक जाति-पंचायत एक गांव की सीमाओं से बंधी होती है, लेकिन जाति-सभा व्यापक क्षेत्र में फैली एक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है।

अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी भारत में जाति व्यवस्था का न तो विघटन हुआ है और न ही यह समाप्त हो रही है, बल्कि समकालीन नगरीय भारत में जाति आज भी हित समूहों के जटिल जाल के रूप में विद्यमान है, जबकि ग्रामीण भारत में यह सामाजिक श्रेणियों की व्यवस्था के रूप में है। परम्परागत व्यवसाय, सहभोज, प्रतिबन्ध, अपवित्रता में तथा जाति पंचायतों की शक्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि जाति व्यवस्था का पूर्णत: उन्मूलन नहीं हो रहा है, फिर भी यह आधुनिक परिवर्तनों के साथ काफी समायोजन कर रही है। जाति का धार्मिक आधार भी अब कम सा प्रतीत होता है तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने वाली सामाजिक कार्य प्रणाली समाप्त हो चली है। जाति नवीन मूल्यों पर आधारित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कोई बन्धन नहीं लगाती है। अब जाति व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन का निर्धारण नहीं करती, यद्यपि उसकी सामाजिक परिस्थिति अब भी जाति के सदस्य होने पर निर्भर होती है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों के कारण गाँवों में जजमानी प्रथा कमजोर पड़ी है। जातिगत समानता लाने के लिए प्रयत्न गंभीरतापूर्वक किये जा रहे है व समय के साथ-साथ इन निम्न जातियों में भी अपनी दशा सुधारने की लालसा जागृत हुई है। यह जागृति जाति व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन मानी जाती है। जाति अब राष्ट्र के विकास और समाज की प्रगति में बाधक नहीं है, बल्कि जाति व्यवस्था के बावजूद भी भारत गतिमान है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का जाति में निकट का सम्बन्ध है। जाति भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। हाल के वर्षों में जाति के बन्धन कुछ ढीले अवश्य पड़ गए हैं, परन्तु राजनीति में जाति की गतिविधियाँ अधिक बढ़ गई हैं। जाति व्यवस्था के बुनियादी ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं आया। जाति भारतीय राजनीति का दर्पण है, जिसमें सभी राज्यों तथा केन्द्र सरकारों का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। इस तरह जाति भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। भारत के कुछ राज्यों की राजनीति को केवल जाति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है।

संदर्भ सूची

1. रुडोल्फ, एच. एण्ड रुडोल्फ, एस.; द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडीशन, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो, 1967, पृ. 33.
2. कोठारी, रजनी; पॉलिटिक्स इन इण्डिया, ओरिएण्ट लॉंगमैन, नई दिल्ली, 1970, पृ. 225
3. जोन्स, मोरिस; द गवर्नमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया, हचिन्सन एण्ड कंपनी, लंदन, 1967, पृ. 65.
4. क्रॉनिकल, हैदराबाद, वॉ. 61, न. 158, 8 जून, 1998, पृ. 19.
5. ब्रेचर, माइकल; सक्सेशन इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पृ. 250.
6. पामर, एन. डी.; इलेक्शन्स एण्ड पॉलिटिक्स डवलपमैण्ट इन इण्डिया, विकास पब्लिकेशन्स्, दिल्ली, 1976, पृ. 280-291.
7. श्रीनिवास, एम. एन.; कास्ट इन मॉर्डन इण्डिया एण्ड अदर एसेज, एशिया प्रकाशन, बम्बई, 1962, पृ. 75.
8. आहूजा, राम; भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन, जयपुर, 1995, पृ. 299.

जौनपुर जनपद के नगरी क्षेत्र में प्री नर्सरी स्कूल के बच्चों का पोषण स्तर एक अध्ययन

डॉ० दीपक सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर बी0एड्0 विभाग, वंशा देवी महाविद्यालय गजाधरपुर, गद्दोपुर, बदलापुर जौनपुर (उ0प्र0)

प्रस्तावना:-

सम्पूर्ण जीवन के विकासात्मक क्रम को देखते हुए प्री-नर्सरी अवस्था मानव जीवन की दूसरी विकासात्मक अवस्था है। बाल चिकित्सकों एवं बाल मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों की दो वर्ष से लेकर पाँच वर्ष की अवस्था को पूर्व-शालेय (प्री-नर्सरी स्कूल) की संज्ञा दी है। इस अवस्था में वृद्धि एवं विकास की गति प्राय: बहुत तीव्र होती है और शारीरिक अवयव धीरे-धीरे परिपक्वता ग्रहण करने लगता है। इस अवधि में बच्चा शैशवावस्था को त्यागता है और बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। फलस्वरूप बच्चा अपनी विभिन्न क्रियाओं को स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं ही करने का प्रयास करता है। इन्हीं व्यवहार प्रतिमानों से उसके आगामी विकास का स्वरूप निर्धारित होता है। इस आयु में बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। वह अपने आस-पास के वातावरण को समझने और जानने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्री नर्सरी बच्चों का शारीरिक विकास भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, अभिरुचि एवं सम्बन्धों के विकास के साथ-साथ व्यक्तित्त्व का विकास भी मुखर रूप में होने लगता है।

भारतवर्ष एक विकासात्मक देश है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर आजादी के सात दशक बीतने के बावजूद आज भी निम्न ही है। कुपोषण सभी विकासात्मक देशों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। जिसके अन्तर्गत जन्म से पाँच वर्ष के बच्चों को ग्रसित होते अधिक देखा गया है। कारण नित्य नए शोधों के परिणाम देखने से स्पष्ट जान पड़ता है- स्त्री अशिक्षा का प्रतिशत अभी भी 35 प्रतिशत है आर्थिक स्तर का निम्न होना।

स्त्री अशिक्षा से जुड़ा हुआ दूसरा महत्त्वपूर्ण आयाम शोध में सामने आया है वह है-शिशु पोषण सम्बन्धी व्यवहार अज्ञानता। यह समस्या मुख्य रूप से सर्वेक्षण करने के क्रम में जौनपुर जनपद के नगरी क्षेत्र के सर्वेक्षण के क्रम में पाया गया।

प्री-नर्सरी बच्चों का विकास उनको दिए जाने वाले आहार की समुचित मात्रा पर निर्भर करता है। वृद्धि तथा विकास की दृष्टि से प्री-नर्सरी बच्चा बहुत नाजुक होता है। प्री-नर्सरी बच्चों की वृद्धि तीव्र गति से होती है परन्तु शैशवावस्था की अपेक्षा शरीर के आकार में वृद्धि की दर इस अवस्था में कुछ कम तथा धीमी हो जाती है।

प्री-नर्सरी बच्चों को पौष्टिक तत्त्वों की आवश्यकता:-

कैलोरी:- प्री-नर्सरी अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता 1-3 वर्ष की अवस्था में 1240 K.Cal तथा 4 से 6 वर्ष का होने पर उसकी कैलोरी की मांग 1690 K.Cal हो जाती है। इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता शरीर का आकार उम्र तथा क्रियाशीलता से प्रभावित होती है। इस अवस्था में कोशिकाओं की क्रियाशीलता अपेक्षाकृत शरीर का आकार भार के अनुपात में अधिक होने के कारण BMR अधिक होता है। उत्तरार्द्ध बाल्यावस्था तक BMR कम होता है।

प्रोटीन:- इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। शरीर में नये तंतुओं का व कोशों का निर्माण होता है। अस्थियों, दाँत, पेशियों, ऊतकों आदि के निर्माण की प्रक्रिया इसी आयु में होती है। अत: 20-25 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। प्रोटीन पूर्ण होना चाहिए जिसमें आवश्यक एमीनों अम्ल विद्यमान हों।

प्रोटीन की प्राप्ति के लिए अपने भोज्य पदार्थ में दूध, अण्डा, माँस, मछली तथा दूध से बने व्यंजन लेना चाहिए।

इस उम्र के बच्चों के ICMR से 22-30 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की प्रस्तावना की है।

खनिज-लवण:- इस अवस्था में ICMR के पोषण विशेषज्ञों ने 0.4 ग्राम से 0.5 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन प्रस्तावित की है। प्री-नर्सरी बच्चों में कैल्शियम एवं फॉस्फोरस शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थों से कैल्शियम की अच्छी मात्रा प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में पोषण विशेषज्ञों द्वारा 15 से 20 मिलीग्राम लोहा प्रस्तावित किया गया है। अच्छी मात्रा में आहार में साबुत अनाज, ब्रेड, अण्डा, माँस, कलेजी, दालें, फल एवं हरे पत्ते वाली सब्जियाँ शामिल करने से आयरन की प्राप्ति हो जाती है। बच्चों के भोजन में लोहे की मात्रा सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है अन्यथा उन्हें 'रक्ताल्पता' नामक रोग हो जाता है।

इस उम्र के बच्चे विशेषकर विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। अत: इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में खनिज लवणयुक्त (कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, फॉस्फोरस, ताम्बा) पदार्थ होना आवश्यक है।

विटामिनः- इस अवस्था में विटामिन का विशेष महत्त्व है। ICMR के पोषण विशेषज्ञों ने 250 से 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए बच्चों के लिए प्रस्तावित किया है। आयु बढ़ने के साथ-साथ विटामिन 'ए' की मात्रा भी बढ़ती है। दूध, मक्खन, घी, अण्डे के पीले भाग तथा हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, गाढ़े पीले फल, जैसे-पपीता, गाजर आदि विटामिन 'ए' के अच्छे स्रोत हैं। पूर्व शालेय बच्चों को प्रतिदिन 400 अंतर्राष्ट्रीय इकाई विटामिन 'डी' की आवश्यकता होती है। प्री-नर्सरी बच्चे को 30 से 50 मि.ग्राम विटामिन 'सी' की आवश्यकता होती है। ताजे फलों का रस, टॉनिक के रूप में विटामिन 'सी' बच्चों को प्रतिदिन देना चाहिए। थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता से प्रभावित होती है।

खमीरीकृत भोजन, साबुत अनाजों, सेम इत्यादि इनके अच्छे स्रोत हैं। पोषणयुक्त एवं संतुलित आहार लेने से बच्चों के शरीर की वृद्धि एवं विकास गति उत्तम रहती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के पोषण विशेषज्ञों ने सन् 1989 में N.R.C.(U.S.A.) के पोषण विशेषज्ञों ने 1980 में तथा U.K.K Expert Panel ने 1969 में प्री-नर्सरी बच्चों की दैनिक पोषक तत्त्वों की आवश्यकता निम्नानुसार प्रस्तावित की है जिसे निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है-

पोषक तत्व	ICMR (1989) 1-6 वर्ष के बच्चों के लिए	N.R.C., U.S.A. (1980) 1-5 वर्ष के बच्चों के लिए	U.K. Expert Panel 1-5 वर्ष के बच्चों के लिए
कैलोरी (K.Cal.)	1240-1690	1100-1600	1200-1600
प्रोटीन (gm.)	22-30	25-30	30-40
कैल्शियम (gm.)	0.4	07-0.8	0.5
लोहा (gm.)	12-18	10-15	7-8
रेटीनॉल (gm.) (ii)	400	400-300	300
कैरोटीन (I.U.)	1600	-	-
विटामिन 'D' (I.U.)	200	400	400
थायमिन (gm)	0.6-0.9	06-0.8	0.5-0.6
राइबोफ्लेविन (gm)	0.7-1.0	0.6-0.9	0.6-0.8
निकोटिनिक अम्ल (gm)	8-11	8-11	7-9
पाइरिडॉक्सिन (gm)	0.9	-	-
फॉलिक अम्ल (gm)	30-40	100-200	-
विटामिन 'B_{12}' (mg)	0.2-1.0	2-3	-
विटामिन 'C' (mg)	40	40	20

विकासशील देशों में प्री-नर्सरी बच्चों को पर्याप्त एवं पोषण आहार नहीं मिल पाता विशेषकर निम्न वर्ग के बच्चों को। बहुत सारे पोषक तत्त्वों की आहार में कमी के फलस्वरूप इस आयु वर्ग के बच्चों में प्रोटीन-कैलोरी कुपोषण एवं पोषक तत्त्वों की कमी के रोग बहुत पाये जाते हैं। मध्यम वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए कम मूल्य वाले परन्तु पोषण युक्त आहार आयोजन कर बच्चों की पोषणीय आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है।

उच्च आय वर्ग के प्री-नर्सरी बच्चों के लिए संतुलित आहारः-

इन आय वर्ग के आहार आयोजन में दूध, फल, अण्डा, माँस, मछली पर्याप्त मात्रा में शामिल किए जाते हैं।

मध्यम आय वर्ग के प्री-नर्सरी बच्चों के लिए संतुलित आहारः-

इन आय वर्ग के आहार आयोजन में दूध, फल, अण्डा, माँस, मछली की सामान्य मात्रा में शामिल किए जाते हैं।

निम्न आय वर्ग के प्री-नर्सरी बच्चों के लिए संतुलित आहारः-

इन आय वर्ग के बच्चों के आहार-आयोजन में दूध की अत्यन्त थोड़ी मात्रा, माँस, मछली, अण्डा नहीं के बराबर और हरे पत्ती वाली सब्जियों तथा फलियों की पर्याप्त मात्रा शामिल की जाती है।

समस्या कथनः-

''जौनपुर जनपद के नगरी क्षेत्र में प्री नर्सरी स्कूल के बच्चों का पोषण स्तर एक अध्ययन।''

परिसीमांकन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अध्ययन का क्षेत्र जौनपुर जनपद का शहरी क्षेत्र है।

परिकल्पनाः-

इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपकल्पनाओं को निरूपित किया गया है-

- प्री-नर्सरी बच्चों की माँ का सामाजिक स्तर की जानकारी प्राप्त करना।
- प्री-नर्सरी बच्चों की माँ का उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक हैं-जानकारी प्राप्त करना।
- अपने प्री-नर्सरी बच्चों के आहार सम्बन्धी जागरुकता एवं बच्चों के आहार सम्बन्धी आदत की पूर्ण रूप से जागरुकता की जानकारी प्राप्त करना।

शोध प्रविधिः-

शोध कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए साक्षात्कार एवं प्रश्नावली विधि का सहारा लिया गया। साथ ही सूचनाओं का अध्ययन एवं संग्रहीकरण प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से किया गया। पूरे साक्षात्कार के दौरान निरीक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है।

परिणामः-

प्रस्तुत शोध में प्री-नर्सरी बच्चों के पोषण स्तर एवं उनके विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य प्रवृत्ति, अभिवृत्ति तथा अन्य कई पहलुओं पर ध्यान देकर सारणी के सहारे उत्तरदाता की स्थिति जानने का प्रयास किया गया है। सूचनादाता प्राप्त परिणाम निम्नलिखित तालिका द्वारा उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है-

तालिका संख्या-01: प्री-नर्सरी बच्चों की आहार सम्बन्धी तालिका

क्र0सं0	आहार	आवृत्ति
1	बच्चे को भोजन निश्चित समय पर देती है	40
2.	बच्चा जब मांगता है तब देती है	60
	कुल	**100**

तालिका संख्या-02: प्री-नर्सरी बच्चों की बीमारी सम्बन्धी तालिका

क्र0सं0	सामान्य बीमारी में दिया जाने वाला उपचार	आवृत्ति
1	घरेलू एवं सामान्य उपचार	60
2.	डॉक्टरी उपचार	40
	कुल	**100**

निष्कर्षः-

तालिका संख्या-01 प्री-नर्सरी बच्चों को दिए जाने वाले आहार से सम्बन्धित है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांशतः माँ अपने बच्चे को भूख लगने पर उनके द्वारा माँग किए जाने पर भोजन देती हैं। बच्चों को समय पर आहार दिया जाए इस बात का विशेष महत्त्व नहीं देती हैं। बस उन्हें अपने बच्चे को पेट भर भोजन कराना आवश्यक समझती हैं।

तालिका संख्या-02 प्री-नर्सरी बच्चे को दिए जाने वाले उपचार से सम्बन्धित है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि माँ अपने बच्चों का पहले घरेलु उपचार करती है। सामान्य रोग होने पर डॉक्टरी इलाज करना उचित नहीं समझती हैं।

निष्कर्ष:-

प्री-नर्सरी बच्चों की आयु मुख्य रूप से 2 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इस आयु का सर्वांगीण विकास बच्चों की शैशवावस्था पर निर्भर करता है। इसलिए मेरे द्वारा अपने आलेख में बच्चों के आहार व्यवस्था को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारतवर्ष एक विकासात्मक देश है जिनमें प्री-नर्सरी बच्चों पर किए गए विगत् अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चों का पोषण स्तर आजादी के चार दशक के बावजूद आज भी निम्न है। किन्तु यह हर्ष और सुनहरे भविष्य की बात है कि आज सभी विकासात्मक देशों में कुपोषण राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में माना गया है। कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए बच्चों में शुरू से ही आहार सम्बन्धी अच्छी आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें।

आहार का चयन:-

बच्चों को आहारीय पदार्थ हमेशा बदल-बदल कर देना चाहिए ताकि उसमें उस पदार्थ के लिए रुचि जाग्रत हो। अगर बच्चे को किसी भोज्य पदार्थ के प्रति रुचि न हो तो उसे उसी भोज्य पदार्थ का बना कोई दूसरा भोज्य पदार्थ देना चाहिए यथा दूध के स्थान पर दूध की खीर, फुडिंग इत्यादि। प्री-नर्सरी बच्चे को फल कच्चे या पकाए हुए रूप में देना चाहिए। बच्चे एक बार में कम खाना खाते हैं और कुछ समय बाद पुन: कुछ खाना चाहते हैं। इसलिए दो बार भोजन करने के अन्तराल में उन्हें दूध, फलों का रस या सम्पूर्ण फल, सैण्डवीच, बिस्कुट, मठरी, भूना चना, मूँगफली इत्यादि देना चाहिए ताकि उनकी पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। नए भोज्य पदार्थों का उसके आहार में समावेश करने से वे उन्हें रुचि से खाते हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की पोषण अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा 1993 के सर्वे के अनुसार प्री-नर्सरी बच्चों के दैनिक संतुलित आहार को निम्नांकित तालिका द्वारा उदाहरणार्थ दर्शाया जा सकता है:-

खाद्य पदार्थ	1–3 वर्ष		4–6 वर्ष	
	माँसाहारी	शाकाहारी	माँसाहारी	शाकाहारी
दालें	40 ग्राम	50 ग्राम	50 ग्राम	60 ग्राम
अनाज	120 ग्राम	120 ग्राम	170 ग्राम	170 ग्राम
फल	75 ग्राम	75 ग्राम	100 ग्राम	100 ग्राम
दूध	400 मिली	600 मिली	400 मिली	600 मिली
शक्कर, गुड़	30 ग्राम	30 ग्राम	40 ग्राम	40 ग्राम
हरी पत्तेदार	50 ग्राम	500 ग्राम	75 ग्राम	75 ग्राम
सब्जी				
अन्य सब्जी	30 ग्राम	30 ग्राम	50 ग्राम	50 ग्राम
वसा	30 ग्राम	30 ग्राम	25 ग्राम	25 ग्राम
अंडा, माँस, मछली	30 ग्राम	—	40 ग्राम	—

1-3 वर्ष के प्री-नर्सरी बच्चों की आहार-तालिका

समय	आहार
प्रातः 6 बजे 8:30 बजे नाश्ता	दूध (हार्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान के साथ)
11:00 बजे	फलों का रस, मक्खन, डबल रोटी, दलिया
1:00 बजे दोपहर का भोजन	मौसमी फल, मूँग की दाल, पनीर या अन्य सब्जी, रायता, 1 चपाती, सलाद, कस्टर्ड
शाम 4:00 बजे	फल, दूध, केक
रात्रि 8:00 बजे	सूप, हरी पत्तेदार सब्जी, आलू–मटर, चपाती, खीर, दूध

4-6 वर्ष प्री-नर्सरी बच्चों की आहार-तालिका

समय	आहार
प्रातः 6 बजे 8:30 बजे नाश्ता	दूध (हार्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान के साथ)
8:30 बजे नाश्ता	डबल रोटी, मक्खन, उबला अण्डा, 1 कप दूध, दलिया
10:00 बजे	फलों का रस या सब्जियों का सूप, मौसमी फल, सैण्डवीच
1:00 बजे दोपहर का भोजन	दाल, चावल, दही, हरी सब्जी, चपाती, सलाद
शाम 4:00 बजे	फल, तली मूँगफली या कोई नमकी
रात्रि 9:30 से 10 बजे	दूध

दूध के अभाव में सोयाबीन या मूँगफली का दूध बच्चों को दिया जा सकता है। फलों में मौसमी फल (आम, केला, पपीता, अमरूद इत्यादि) दिए जा सकते हैं। बच्चों को पूरक आहार के रूप में स्थानीय उपजने वाले फलों, तिलहन, गिरी इत्यादि देने से भी प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। अनाज में गेहूँ के अतिरिक्त चना, बाजरा, ज्वार इत्यादि दिया जा सकता है।

वैसे तो प्रत्येक माँ की कोशिश रहती है कि उनके बच्चे को सम्पूर्ण पौष्टिक आहार मिले ताकि बच्चे का समुचित विकास सम्भव हो। बच्चा स्वस्थ रहे। फिर भी कई कारणों से बच्चों की पोषण सम्बन्धी मांगों की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं, जिस पर प्रत्येक माँ को ध्यान देना आवश्यक है-

1. यदि भोजन बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं बनाया जाता है तो उसे बीच में ही छोड़ देता है जिसके कारण उसके आहार से पौष्टिक तत्वों की मांग की पूर्ति नहीं हो पाती।
2. अत्यधिक मात्रा में दूध का सेवन भूख को मिटाता है।
3. भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार को सम्मिलित किया जाना चाहिए। भारतीय बच्चों में कार्बोज की अधिकता व प्रोटीन की कमी होना भी एक कारण है।
4. गरीबी, महंगाई इत्यादि कारणों से बच्चों को पूर्ण पौष्टिक आहार न मिल पाने के कारण उसके आहार में गुणवत्ता एवं गुणात्मकता दोनों की कमी हो जाती है।
5. अज्ञानता व अशिक्षा के कारण भी कुछ लोग ऐसा भोजन बच्चों को नहीं दे पाते जिससे पौष्टिक तत्त्वों की पूर्ति हो सके।
6. कई अमीर परिवार की मातायें भी बच्चों को केवल मँहगे फल, घी, मक्खन इत्यादि खिलाती हैं तथा उन्हें मौसम के फल व सब्जियों से वंचित रखती हैं। परिणामतः उनके शरीर में भी सभी पोषक तत्त्व नहीं पहुँच पाते हैं और पोषक तत्त्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है।
7. बार-बार एक ही प्रकार के आहार खिलाने से बच्चों का मन उब जाता है। बच्चे भोजन ठीक से नहीं कर पाते।
8. जिस समय बच्चे को भूख लगी हो उस समय यदि उसे भोजन नहीं दिया जाए तो उसकी भूख खत्म हो जाती है जिस कारण बच्चा पेट भर भोजन नहीं कर पाता और उसके पौष्टिक तत्त्वों की माँग पूरी नहीं हो पाती है।
9. माता-पिता अगर दोनों ही नौकरी पर जाते हैं तो घर पर नाश्ता न बनाने के कारण वे बच्चे को फास्ट-फूड खिलाते हैं जिससे बच्चे को पूर्ण आहार नहीं मिल पाता है जिससे उसके शरीर में पौष्टिक तत्त्वों की कमी हो जाती है।

प्री-नर्सरी बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या या बीमारी मुख्य रूप से दस्त या पेचीश है। यह बीमारी दूषित एवं संक्रमित भोजन लेने से होती है। संक्रमण एवं बार-बार होने वाली बीमारियाँ पोषण सम्बन्धी कमियाँ उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण योग देती हैं। किसी भी बीमारी जैसे-बुखार, दस्त, सर्दी, खसरा इत्यादि के कारण शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। इससे बच्चे की वृद्धि मन्द हो जाती है, बच्चा कमजोर हो जाता है। बीमारी के दौरान बच्चे को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भोजन देना चाहिए। खिचड़ी, सब्जियों का सूप, दाल, मुलायम पका चावल इत्यादि आसानी से पचने वाला खाद्य पदार्थ बच्चों को देना चाहिए।

बच्चों के समग्र विकास के लिए पौष्टिक एवं उच्च प्रोटीनयुक्त आहार देना अत्यन्त आवश्यक है। बच्चों के पौष्टिक स्तर की पहचान उसके निम्नलिखित लक्षणों से होती है जिनका निरीक्षण करते रहना चाहिए-

1. वजनः-

बच्चे का वजन उसकी आयु के हिसाब से बढ़ना चाहिए। जैसे-1-2 वर्ष के बच्चे का वजन 2.5 कि.ग्राम, 2-3 वर्ष के बच्चे का वजन 2.1 कि.ग्राम, 3 से 4 वर्ष का 2.0 कि.ग्राम तथा 4 से 5 वर्ष का 1.9 कि.ग्राम. वजन में वृद्धि होनी आवश्यक होती है।

2. लम्बाईः-

लम्बाई में वृद्धि होना भी विशेष आवश्यक है। वैसे तो लम्बाई में वृद्धि आनुवंशिकता पर भी निर्भर करती है। अच्छा खान-पान भी बच्चों की लम्बाई में लगातार वृद्धि में सहायक होता है।

उदाहरणार्थ-

वर्ष (आयु)	वजन (दर)	लम्बाई (सेमी)
1—2	2.5 कि.ग्राम	12.4 वृद्धि
2—3	201 कि.ग्राम	8.9 वृद्धि
3—4	2.0 कि.ग्राम	7.3 वृद्धि
4—5	1.9 कि.ग्राम	5.6 वृद्धि

निष्कर्षः-

वैज्ञानिक अध्ययन एवं शोधों से ज्ञात हुआ है कि विकासशील देश के बच्चों की लम्बाई व वजन विकसित देशों के बच्चों की अपेक्षा कम होता है। कारण है कि विकासशील देशों के बच्चों के आहार में गुणवत्ता एवं गुणात्मकता दोनों की कमी का होना है जिसके कारण उनकी लम्बाई औसत से कम होती है।

प्री-नर्सरी बच्चों की आयु मुख्य रूप से 2 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इस आयु का सर्वांगीण विकास बच्चों की शैशवावस्था पर निर्भर करता है। इसलिए मेरे द्वारा अपने आलेख में बच्चों के आहार व्यवस्था को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारतवर्ष एक विकासात्मक देश है जिनमें प्री-नर्सरी बच्चों पर किए गए विगत् अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चों का पोषण स्तर आजादी के चार दशक के बावजूद आज भी निम्न है। किन्तु यह हर्ष और सुनहरे भविष्य की बात है कि आज सभी विकासात्मक देशों में कुपोषण राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में माना गया है। कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए बच्चों में शुरू से ही आहार सम्बन्धी अच्छी आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः-

1. डॉ0 कुमारी आशा-आहार एवं पोषण विज्ञान।
2. डॉ0 श्रीवास्तव अर्चना-स्वास्थ्य एवं रोगों में पोषणीय व्यवस्था।
3. डॉ0 बर्मा प्रमिला, डॉ0 पांडेय कान्ति-आहार एवं पोषण विज्ञान।
4. डॉ0 खनूजा रीना-आहार एवं पोषण विज्ञान।
5. शैरी जी0पी0-पोषण एवं आहार विज्ञान।
6. अग्रवाल नीता-मातृकला एवं शिशुपालन।

पंथनिरपेक्षता का वैश्विक और भारतीय परिदृश्यः एक ऐतिहासिक अध्ययन

गौतम कात्यायन

शोधार्थी, इतिहास विभाग, बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार

डॉ० इम्तियाज अंजुम

विभागाध्यक्ष सह एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पीजी सेंटर, पश्चिमी परिसर, बीएनएमयू, मधेपुरा

सारांश

पंथनिरपेक्षता एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका उद्देश्य धर्म और राज्य के कामकाज के बीच स्पष्ट अलगाव बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि धार्मिक विश्वास राजनीतिक निर्णयों पर हावी न हों, और यह व्यक्तियों की किसी भी धर्म का पालन करने या न करने की स्वतंत्रता को बनाए रखता है। जबकि पंथनिरपेक्षता को अक्सर पश्चिमी मॉडल से जोड़ा जाता है, जो धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता पर जोर देता है, इसकी व्याख्याएं और अनुप्रयोग विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। कुछ समाजों में, पंथनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म और राज्य के मामलों के बीच सख्त हस्तक्षेप न करना, जबकि अन्य में, इसमें विभिन्न धर्मों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक संस्थानों के साथ सक्रिय राज्य की भागीदारी शामिल है। व्याख्याओं की यह विविधता विभिन्न ऐतिहासिक अनुभवों, राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक संरचनाओं से उत्पन्न होती है।

मूल शब्दः- पंथनिरपेक्षता, बहुआयामी, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विश्वास, स्वतंत्रता।

प्रस्तावनाः-

पंथनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत है जो धर्म को राज्य के मामलों से अलग करने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नीतियाँ धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित न हों और व्यक्तियों को विश्वास की स्वतंत्रता का आनंद मिले। 'Secularism' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'saeculum' से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य 'इस संसार से संबंधित' होता है। आधुनिक काल में इसे सबसे पहले 19वीं सदी में ब्रिटिश चिंतक जॉर्ज जैकब होलिऑक ने एक विचारधारात्मक शब्द के रूप में प्रस्तुत किया, हालांकि इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि जॉन लॉक जैसे विचारकों के यहाँ दिखाई देती है। जॉन लॉक की कृति ए लेटर कंसर्निंग टोलरेशन (1689) में लॉक धार्मिक सहिष्णुता की वकालत करते हैं और राज्य तथा धर्म के कार्यक्षेत्रों के बीच स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनके अनुसार नागरिक सरकार का उद्देश्य केवल इस सांसारिक जीवन की सुरक्षा है-जैसे जीवन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और संपत्ति की रक्षा। इसके विपरीत, धर्म का क्षेत्र आत्मा के उद्धार और व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसे बाह्य बल या राजनीतिक सत्ता द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वे धार्मिक विविधता को एक स्वाभाविक और आवश्यक स्थिति मानते हैं, जिसे सहिष्णुता द्वारा ही सुसंगत रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है।

इमैनुएल कांट, ने धर्म और राज्य के बीच सीमाओं की व्याख्या अपने ग्रंथ Religion within the Limits of Reason Alone में की। कांट के अनुसार, राज्य का कार्य केवल बाह्य आदेश और कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि धर्म की असली शक्ति व्यक्ति के आंतरिक विवेक और नैतिक प्रतिबद्धता में निहित है।

थॉमस जेफर्सन Letter to the Danbury Baptists (1802) में चर्च और राज्य के पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट और प्रसिद्ध रूप से प्रतिपादित किया। डैनबरी बैपटिस्ट चर्च के निवासियों ने जेफर्सन को पत्र लिखा था, जिसमें वे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आश्वासन मांग रहे थे, और इस जवाब में जेफर्सन ने "धर्मनिरपेक्षता की दीवार" की मशहूर मिसाल दी।

जेफर्सन का मानना था कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही वह किसी विशेष धर्म का समर्थन करे। उनके अनुसार, धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत चेतना का मामला है और इसे सरकार के नियंत्रण से बाहर रखना आवश्यक है ताकि सभी नागरिकों को समान रूप से धार्मिक आजादी मिल सके। इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि "किसी भी धर्म को स्थापित करना या उसे दबाना सरकार का कार्य नहीं होना चाहिए।"

जेफर्सन के लिए यह पृथक्करण केवल राजनीतिक व्यवस्था का विषय नहीं था, बल्कि यह नैतिक और दार्शनिक आधार भी था। वे मानते थे कि जब राज्य और चर्च के कामकाज अलग हो जाते हैं, तो समाज में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ती है और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। इस पृथक्करण से ही धार्मिक उत्पीड़न की संभावना खत्म होती है और सामाजिक समरसता का निर्माण होता है।

होलिऑक के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय यह नहीं था कि धर्म का विरोध किया जाए, बल्कि यह कि राज्य के कार्यकलाप धर्म से स्वतंत्र रहें। उनके शब्दों में, 'पंथनिरपेक्षता इस जीवन से संबंधित कर्तव्यों का ऐसा नियम है, जो केवल मानवीय विचारों पर आधारित है और उन लोगों के लिए है जिन्हें धर्मशास्त्र अस्पष्ट या अपर्याप्त लगता है'।' होलिऑक इसे एक नकारात्मक धर्मविरोधी प्रवृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि मानव-कल्याण के लिए वैज्ञानिक विवेक पर आधारित एक सकारात्मक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का उद्भव उस सामाजिक प्रसंग में हुआ जब धार्मिक संस्थाएँ औद्योगिक युग की सामाजिक, नैतिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं को उत्तर देने में विफल रही थीं। उनके अनुसार, सेक्युलरिज्म एक ऐतिहासिक विवेक-आधारित प्रक्रिया है, जो ज्ञान, अनुभव और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त तथ्यों पर टिका हुआ है, न कि रहस्यवादी रहस्योद्घाटन पर।

होलिऑक सेक्युलरिज्म को एक नैतिक प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका उद्देश्य इस सांसारिक जीवन की उन्नति है - ऐसे उपायों के द्वारा जो अनुभवसिद्ध, वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से लाभकारी हों। यह ईश्वर के अस्तित्व को नकारता नहीं, अपितु उसे नैतिक विमर्श से अप्रासंगिक मानते हुए लोकनीति एवं समाज-सुधार की चिंता को केंद्रीय बनाता है।

उनके अनुसार राज्य की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करे, किंतु स्वयं किसी धार्मिक पक्षधरता का प्रदर्शन न करे। यह अवधारणा समय के साथ विविध देशों में अलग-अलग रूपों में विकसित हुई। पंथनिरपेक्षता आज मात्र धर्म और राज्य के पृथक्करण की बात नहीं करती, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और समावेश की मांग करती है।

भारत में पंथनिरपेक्षता का स्वरूप न तो फ्रांसीसी कठोरता जैसा है और न ही अमेरिकी सख्ती जैसा; यह एक समावेशी विचारधारा है जो 'सर्व धर्म समभाव' के सिद्धांत पर आधारित है। ऋग्वेद, भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ, न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी समृद्ध है। इसमें "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" जैसे सूक्तों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सत्य एक है, लेकिन ज्ञानीजन उसे विभिन्न नामों और दृष्टिकोणों से व्यक्त करते हैं। यह मंत्र बहुलता, सहिष्णुता और धार्मिक समरसता की भारतीय अवधारणा की जड़ है और आधुनिक पंथनिरपेक्षता के मूल तत्वों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

जैन दर्शन में अनेकांतवाद पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत को और गहराई प्रदान करता है। महावीर स्वामी द्वारा विकसित यह विचारधारा स्वीकार करती है कि कोई भी वस्तु या सत्य केवल एक दृष्टिकोण से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। प्रत्येक दृष्टिकोण आंशिक सत्य प्रस्तुत करता है और सभी दृष्टिकोणों के सम्मिलित विवेचन से सम्पूर्ण सत्य के निकट पहुँचा जा सकता है। यह सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और विविध मतों के सम्मान की प्रेरणा देता है।

सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से, भारतीय पंथनिरपेक्षता राज्य और धर्म के पृथक्करण से अधिक, धर्मों के बीच समरसता, सम्मान और बहुलता को महत्व देती है। ऋग्वेद और जैन दर्शन दोनों ही यह सिखाते हैं कि धार्मिक और दार्शनिक विविधता न केवल स्वीकार्य है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से सम्मान देना चाहिए। यही दृष्टिकोण आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए आधारशिला प्रस्तुत करता है, जहाँ सभी मतावलंबियों को समान सम्मान प्राप्त हो और सामाजिक समरसता और एकता बनाए रखी जा सके।

भारतीय परंपरागत विचारों के अतिरिक्त, प्राचीन भारतीय शासकों के दृष्टिकोण में भी पंथनिरपेक्षता एक मूल्य के रूप में स्थापित रही है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सम्राट अशोक हैं, जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक केवल साम्राज्यवादी रणनीति और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अपने शासन का आधार बनाया। कलिंग युद्ध (लगभग 261 ईसा पूर्व) के बाद अशोक ने हिंसा और विस्तार की नीति को त्याग कर 'धम्म' के प्रचार को मुख्य उद्देश्य बनाया। उनके धम्म का आशय किसी एक संप्रदाय के प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह नैतिकता, अहिंसा, दया, समता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर आधारित एक सार्वभौमिक जीवनदर्शन था।

अशोक के अभिलेखों में बार-बार यह संदेश दिया गया है कि सभी संप्रदायों को समान आदर मिले और किसी को भी अपमानित नहीं किया जाए। बाराबर की गुफाओं, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, धौली और मेहरौली स्तंभों पर उकेरे गए शिलालेखों में यह नीति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। शाहबाजगढ़ी लिपि में उन्होंने लिखा कि राजा प्रियदर्शी सभी संप्रदायों के बीच सौहार्द और आपसी सम्मान बढ़ाना चाहता है और कोई भी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरों का अपमान न करे। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में उन्होंने बुद्ध के जन्मस्थान पर स्तंभ स्थापना और क्षेत्र कर-मुक्त करने की बात कही, जो धर्मों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है, फिर भी उन्होंने कभी बौद्ध धर्म को राज्यधर्म नहीं घोषित किया।

अशोक का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारत में पंथनिरपेक्षता केवल वैचारिक सिद्धांत नहीं थी, बल्कि शासकीय नीति और सामाजिक व्यवहार में लागू की जाने वाली नैतिक और दार्शनिक मान्यता थी। उनका शासन इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की परंपरा गहरी और पुरातन है।

अशोक का धम्म और आधुनिक भारतीय पंथनिरपेक्षता की जड़ें स्पष्ट रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं। अशोक का नैतिक दर्शन यह सिखाता है कि सभी धर्मों में सत्य का अंश होता है और सभी को समभाव से देखा जाना चाहिए। उनके शिलालेख और महामात्रों की नियुक्ति यह दर्शाती है कि वे विभिन्न संप्रदायों के बीच संवाद और सम्मान स्थापित करने में विश्वास रखते थे। धौली शिलालेख में उन्होंने बाह्य अनुष्ठानों से अधिक आचरण और नैतिकता को महत्व दिया। यह दृष्टिकोण आधुनिक पंथनिरपेक्षता के मूल तत्व धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता - के साथ मेल खाता है।

आधुनिक भारत में पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत को विभिन्न विचारकों ने अलग-अलग दृष्टिकोण से समझाया। महात्मा गांधी ने इसे नैतिक और आत्मिक अनुशासन के रूप में देखा, जिसमें सभी धर्मों में सत्य का अंश मान्यता प्राप्त करता है और दूसरों के धर्म का आदर अनिवार्य होता है। जवाहरलाल नेहरू ने पंथनिरपेक्षता को राज्य और धर्म के स्पष्ट पृथक्करण के रूप में परिभाषित किया, जबकि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे सामाजिक न्याय और समानता के संदर्भ में जोड़ा, ताकि कोई धर्म किसी वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन न करे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे राष्ट्रीय एकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आधार बताया, और राममनोहर लोहिया ने इसे सामाजिक व्यवहार और वर्गहीन समाज की दिशा में आवश्यक कदम माना। राजेन्द्र प्रसाद ने भारतीय इतिहास और संस्कृति में पंथनिरपेक्षता की प्राचीन जड़ों पर बल दिया, जबकि विनोबा भावे ने इसे व्यक्तिगत नैतिक मूल्य और सामाजिक एकता का प्रतीक माना।

इस प्रकार, अशोक से लेकर आधुनिक विचारकों तक भारतीय पंथनिरपेक्षता केवल कानूनी या राजनीतिक तटस्थता नहीं, बल्कि एक समग्र नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य रही है। यह धर्मों के सह-अस्तित्व, सामाजिक समानता, और मानव कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है, जो भारतीय समाज की ऐतिहासिक और बौद्धिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है।

इन सभी विचारकों के दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि भारतीय पंथनिरपेक्षता केवल एक राजनीतिक नीति नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक सिद्धांत है। यह विविधताओं में एकता को बनाए रखते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह धर्मों से दूरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान और सक्रिय संवाद की नीति है, जो भारत को एक सच्चे बहुलतावादी और न्याय आधारित समाज बनाने की दिशा में ले जाती है। आगे चलकर भारतीय संविधान में भी पंथनिरपेक्षता के इसी अर्थ को स्वीकार किया गया।

निष्कर्ष:-

भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा आरंभ से ही अंतर्निहित थी, यद्यपि 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से इसे प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। भारत में पंथनिरपेक्षता का अर्थ केवल यह नहीं है कि राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि यह भी कि राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा और नागरिकों को अपनी धार्मिक पहचान के साथ जीने की पूर्ण स्वतंत्रता देगा। भारतीय समाज की बहुलतावादी प्रकृति को देखते हुए यह जरूरी था कि राज्य न केवल तटस्थ हो, बल्कि धर्मों के सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित भी करे।

संदर्भ सूची

1. सीतलवाड़, एम. सी., सेक्युलरिज्म, नई दिल्ली, 1967, पृष्ठ 3-4
2. कॉप्सन, एंड्रू, सेक्युलरिज्म, ए वेरी शॉर्ट इनट्रोडक्सन, ओयूपी, पृष्ठ 31-32
3. वही
4. स्मिथ, ग्रीम, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सेक्युलरिज्म, लंदन, 2008, पृष्ठ 27
5. वही, पृष्ठ 138
6. वही
7. होलिओक, जॉर्ज जेकोब, इंग्लिश सेक्युलरिज्म ए कनफेशन ऑफ बिलिफ, शिकागो, 1896, पृष्ठ 35- 36
8. वही, पृष्ठ 48-49
9. वही, पृष्ठ 116-17
10. तेजानी, शबनम, इंडियन सेक्युलरिज्म, ए सोशल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ 2

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता का अध्ययन

मो० जमील

शोध छात्र, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)

डॉ० योगेश कुमार

शोध निर्देशक, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)

संक्षिप्त सारांश-

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा जौनपुर जनपद के बदलापुर के सदर तहसील के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् उच्च शिक्षा के विद्यार्थी के मध्य लिंग के आधार पर विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता, का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अध्ययन के दौरान बहुस्तरीय सम्भावित प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया गया तथा स्वनिर्मिति शोध उपकरण का प्रयोग करके ऑकड़ों का एकत्रियकरण के पश्चात् यह पाया गया कि छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता, छात्रों की अपेक्षा बेहतर है।

मुख्य शब्दः- विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता, मध्यमान, स्वनिर्मिति शोध मापनी, बहुस्तरीय प्रतिदर्शन विधि इत्यादि।

प्रस्तावनाः- शिक्षा सृष्टि में मानव विकास के सर्वाधिक शक्तिशाली और अपरिहार्य साधनों में मानी जाती है। शिक्षा के बिना मानव जीवन उसी प्रकार अपूर्ण है जैसे ''सुर बिना वीणा'', रोशनी बिना दीये के और मतलब बिना शब्दों के जिस प्रकार अपूर्ण रहते है। जिस प्रकार इस विश्व के निर्माकर्त्ता ने इस धरती पर विभिन्न प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया है। उसी प्रकार उन प्राणियों के गुणों और विशेषताओं में भिन्नता भी प्रदान की है। जिसमें किसी को शारीरिक शक्ति प्रदान की है तो किसी में मानसिक संचेतना किसी को रूप प्रदान किया है तो किसी को गुण। जिसमें मनुष्य को सर्वाधिक बौद्धिक योग्यता प्रदान की है और जिसके दम पर वह प्रकृतिरूपी भगवान को भी चुनौती प्रदान करने लगा देने लगा हुआ है। अपनी बुद्धि को प्रखर करके, योग्य संस्कारों से पूर्ण होने तथा दक्षता और कौशलता से पूर्ण होने के लिए उसे शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ता है। वस्तुतः बुद्धि व भावना के परिमार्जन करने की सतत् प्रक्रिया ही शिक्षा है। इतना ही नहीं बालक के सर्वांगीण विकास के लिए भी हमारा ध्यान शिक्षा की प्रक्रिया पर ही रहता है और शिक्षा के द्वारा ही बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक, शारीरिक आदि बहुमुखी विकास की साधना करके प्राप्त किये जा सकते है। उपरोक्त विवेचन का तात्पर्य हुआ कि बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की भूमिका महतीय है और अतुलनीय है। श्री भर्तहरि की नीतिशतकम्1 में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि-

''येषां न विद्या, न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं, गुणों न धर्मः।''
ते मृत्युलोके भूवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।।''

जिसका अर्थ हुआ जिन व्यक्तियों में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील व धर्म ये छः गुण नहीं होते हैं वे इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में मृग की भाँति विचरण करते हैं। इसी मृग की भाँति विचरते प्राणी को मानव बनाने का कार्य भी शिक्षा ही करती है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट किया जाय तो-

Those who have neither knowledge, nor good conduct nor virtue, nor the observance of duties, pass their life in this world of mortals like beasts in human from and are only a burden on the planet.

अतएव शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन करके उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य सामाजिक नागरिक बनाया जाता है। इसीलिए शिक्षा मानव के विकास का मूल साधन माना जाता है। शिक्षा को जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। जो मनुष्य के जन्म से ही अपना कार्य आरम्भ कर देती है और जीवन भर मनुष्य के साथ चलती रहती है। इसीलिए शिक्षा अपने वास्तविक अर्थ में समाज में सदैव चलने वाली, सीखने-सिखाने वाली की प्रक्रिया कहलाती है। दार्शनिक विचारधारा का प्रमुख केन्द्र मनुष्य होता है क्योंकि दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य जीवन के अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मानी जाती है।

शोध अध्ययन का औचित्यः- कहा जाता है विद्यार्थी ही राष्ट्र के निर्माता हैं इसीलिए आज के छात्र कल के नागरिक हैं। जिन्हें देश की प्रतिष्ठा, विकास, एकता, रक्षा एवं संप्रभुता बनाये रखने का दायित्व निभाना होता है परन्तु भारत में ही नहीं समकालीन विश्वभर

में छात्रों का अधिकाँश भाग अनुशासनहीनता, क्षेत्रवाद तथा साम्प्रदायिकता के उन्माद जैसी संकीर्ण भावनाओं से आज ग्रसित है। विद्यार्थियों में निरन्तर नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है और वे स्वार्थ, छल, कपट तथा विकृत राजनीतिक विचारधारा की ओर उन्मुख होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आज शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों का समूह छात्र एकता जिन्दाबाद का नारा लगाते हुये सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखलाई पड़ता है तो कहीं हिन्दी के विरोध में उत्तेजित छात्र बसें, फूँकते नजर आते हैं और कहीं उर्दू या अंग्रेजी के विरोध में सार्वजनिक सम्पत्ति का विनाश करते हुए भी। इतना ही नहीं कहीं आरक्षण समर्थक तो कहीं आरक्षण विरोधी छात्रों के समूह नैतिकता और मानव मूल्यों को भुलाकर मरने-मारने पर उद्यत हैं। आज का विद्यार्थी विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ छात्र होने की अपेक्षा किसी संगठन या राजनीतिक दल का अध्यक्ष, मंत्री कहे जाने पर अधिक गौरव महसूस करता है। इतना ही नहीं विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों की नजर भी बड़े शिक्षण संस्थानों के ऊपर लगी रहती है। विद्यार्थियों को राजनीतिक दलों से जोड़ने और उन्हीं में से भविष्य के राजनीतिज्ञ तैयार करने की जुगत में लगे रहते हैं। कुछ शिक्षण संस्थानों में तो ऐसा प्रतीत होता है मानों शिक्षा गौण और राजनीति प्रधान हो गयी है। ऐसे में विद्यार्थी और राजनीति एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और ऐसे वातावरण में विद्यार्थियों की राजनीति में रूचि भी विशेष विचारणीय हो जाता है। अत: विद्यार्थियों के राजनीतिक अभिवृत्ति के वर्तमान स्थिति पर विचार करने से पूर्व छात्र राजनीति के अतीत और उसके निरन्तर बदलते हुए स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसी सन्दर्भ भारतीय शिक्षा विचारक रवीन्द्रनाथ टैगोर का विचार है कि- शिक्षा वह है जो जीवन की सम्पूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है।

शोध अध्ययन का महत्व:- स्नातक स्तर की शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर होता है। इस स्तर जहाँ देश को कुशल प्रशासक, अच्छे व्यस्थापक, निर्माणकर्ता उत्पादक, व्यवसायी चिकित्सक प्राप्त होते हैं वहीं दूसरी और इन्हीं संस्थानों से कुशल राजनेता भी उत्पन्न होते हैं। जो देश को सही और आवश्यक संचालन के लिए नीति निर्माता के साथ-साथ दिशा बोध कराने के लिए चिन्तक और चिन्तन का कार्य करते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राजनैतिक विचारमंचों की बिगड़ी अवदशा में सुधार करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक प्रयास किये हैं। वस्तुत: भारतीय छात्र संघीय व्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में एक ओर राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि, लिंगदोह समिति की व्यवस्था तथा विकास एवं परिवर्तन की राजनीतिक आवश्यकता थी तो दूसरी ओर भारत में अध्ययनरत छात्रों की विशालता, सांस्कृतिक, धार्मिक, अनेकता तथा सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन था। फिर भी इन तत्वों के होते हुए भी भारत में उदित, विकसित तथा प्रचलित विद्यार्थियों की राजनैतिक अभिवृत्ति से उत्पन्न छात्र संघ व्यवस्था अपने आप में अनोखी और निराली रही है। यद्यपि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज उड़ीसा में कॉलेज से विश्वविद्यालय में तब्दील रेवेन्शा विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में उज्जैन विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध तमाम कॉलेजों के प्रशासन ने छात्र संघों के निर्माण के लिए चुनाव प्रक्रिया को ''मेधा के आधार पर चयन प्रक्रिया'' में तब्दील करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं बिहार के मगध विश्वविद्यालय, दिल्ली की जामिया-मीलिया विश्वविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव को रोकने के उद्देश्य से प्रोस्पेक्टस में यह शर्त जोड़ा गया है कि कैम्पस में छात्रों को किसी भी धरना-प्रदर्शन या खुलेआम राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना आपराधिक जुर्म समझा जायेगा और इसके लिए सम्बन्धित छात्र दंड का भागी होगा तथा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश न्यायालय के फैसले के तहत छात्र संघ चुनावों में अनेक पाबंदियाँ लगायी गयी हैं और इस सन्दर्भ में लिंग्दोह आयोग (2005) द्वारा छात्र संघ चुनाव के लिए आचार संहिता थोपने के नाम पर छपे पर्चे व पोस्टर, कैम्पस में सभा तथा जुलूसों के आयोजन और छात्र संघ चुनाव से जुड़े ढेरों आवश्यक अधिकारों की कटौती का प्रावधान बनाया। जिसमें छात्र संघ पदाधिकारी के रूप में एक बार चुनाव लड़ना, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर में ही चुनाव प्रचार करना, 5000 अधिकतम राशि व्यय करना, चुनाव व्यय का ब्यौरा दो सप्ताह में देना, चन्दा वसूली का कानूनी प्रतिबन्ध करना, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट, विज्ञापन तथा नारेबाजी पर प्रतिबन्ध, परिसर में घातक एवं धारदार हथियार पर प्रतिबंध, चुनाव नियम उल्लंघन करने पर पद से हटाने का प्रावधान, चुनाव आचार संहिता को तड़ने पर दो वर्ष का चुनाव लड़ने का प्रतिबंध साथ ही उस वर्ष की परीक्षा से भी वंचित किया जाना, चुनाव में दुर्व्यवहार करने पर दण्ड का प्रावधान, संस्थान द्वारा निर्धारित स्थान (सायकिल स्टैण्ड तथा बास्केट बॉल कोर्ट के अलावा अन्यत्र प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध, झूठे तथ्य या प्रमाण प्रस्तुत करने पर मुकदमा चलाने और हर्जाना राशि के भुगतान का विधान, किसी अन्य संस्थान, व्यक्ति या समिति द्वारा झूइे या कूटरचित प्रमाण प्रस्तुत करने, किसी को हटाने या चुनाव न लड़े से रोकने में मदद सहयोग या सहायता करने पर कानूनी आपराधिक मुकदमा चलाने, किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण, उत्पीड़न एवं अपराध पर प्रतिबंध, किसी भी प्रकार का बकाया न होने, प्रत्याशी का 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य, प्रत्याशी का अपराधिक रिकार्ड न होने कभी आपराधिक कृत्य के लिए दण्डियत या दुराचरण के लिए विचारित न किया गया हो, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी कभी दोषी न करार किया गया हो, सामुदायिक भाषायी, धार्मिक, जातीय तथा साम्प्रदायिक कृत्यों में संलिप्त उत्प्रेरण या प्रतिभाग का दोषी न होना, प्रत्याशियों के निजी जीवन का आलोचना का प्रतिबंध, जातीय एवं साम्प्रदायिक भावना के साथ प्रचार पर प्रतिबंध, रिश्वत देना, डराना-धमकाना, प्रतिरूपण अफवाह बैलाना, समय समाप्ति पर जनसभा या जुलूश निकालने पर प्रतिबंध, परिसर के बाहर रैलियाँ, जनसभा प्रचार पर प्रतिबंध प्रचार के लिए ध्वनि विस्तार यंत्रों, वाहनों जानवरों के प्रयोग पर प्रतिबंध तथा लिखित अनुमति से बिना व्यवधान किये रैली या जनसभा करने की अनुमति दी जा

सकती है। इत्यादि प्रतिबंध और सुझाव लागू किये गये। परन्तु नोट करने की बात यह है कि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और कुछ दूसरे राज्यों में बहुत पहले ही छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज, लखनऊ विश्वविद्यालय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों और गुजरात के सात में से छः विश्वविद्यालय में लम्बे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं कराये गये। वहाँ पर आन्तरिक छात्र कल्याण समितियों का गठन किया गया है। परन्तु इन संस्थानों के छात्र नेता लम्बे समय से दुबारा भी छात्रसंघ चुनाव को छात्रसंघ आन्दोलनों की माँग पर शुरू किये जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सम्बन्धित साहित्यः- शोध विश्वसनीय समाधान और निष्कर्षों तक पहुँचने की वह प्रक्रिया है, जिसमें योजनाबद्ध कार्य और तत्सम्बन्धी प्राप्त सामग्री का विधिवत संकलन, विश्लेषण और व्याख्यान समाविष्ट होते हैं। शोध द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। शोध की प्रक्रिया में एक निश्चित वैज्ञानिक कार्य विधि का पालन करते हुए तथ्यों के आंकलन पर शोधार्थी की दृष्टि रहती है और उपलब्धि रूप में आंकलित तथ्यों के विश्लेषण और तर्कपूर्ण परीक्षण द्वारा उपलब्ध निष्कर्षों को वह प्रस्तुत करता है। शोध की प्रक्रिया में वैज्ञानिक निरीक्षण का तत्व प्रमुख होता है। वैज्ञानिक परीक्षण सदैव क्रमबद्ध, सोद्देश्य एवं सुनियोजित होता है। शोध में भी ऐसा ही निरीक्षण आता है। शोध ज्ञान के प्रसार का माध्यम है और प्राप्त साहित्य तथ्यांक सामग्री के विश्लेषण से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। पूर्व में हुए शोध और शोध विषय से सम्बन्धित साहित्य के द्वारा विषय पर प्राप्त निष्कर्षों को पहले से अधिक युक्तीपूर्ण एवं नवीन सिद्ध शोध के लिए एक मानक शोध प्रक्रिया है।

विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता से सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षणः-

पालिवॉल, राजेश (2004) ने विभिन्न जाति के आधार पर बालिका विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता का अध्ययन नामक विषय पर अध्ययन किया। न्यादर्श के रूप में बन्दुेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से सम्बद्ध 6 सह-शिक्षण महाविद्यालयों से 240 सामान्य बालिकाएँ, 140 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 80 अनुसूचित जाति की बालिकाओं को यादृच्छिक विधि से चयन किया गया। उपकरण में बालिकाओं के व्यक्तित्व को मापने के लिए कैटेल के 16 पीएफ प्रश्नावली एवं विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता को मापने के लिए ए0के0पी0 सिन्हा एवं आर0पी0 सिंह द्वारा कॉलेज विद्यार्थी विषय वस्तु विश्लेषण अनुसूची का प्रयोग किया गया।

कौर कुलवन्त (2004) ने आदर्श विद्यालयों और सामान्य विद्यालयों के अध्ययनरत हाईस्कूल छात्रों के उच्च, सामान्य व निम्न शैक्षिक उपलब्धि के स्तर के बीच विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि छात्रों की स्वाध्याय आदतें और विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता के मध्य एक सकारात्मक सह-सम्बन्ध पाया जाता है। यह सह-सम्बन्ध आदर्श विद्यालय के छात्रों में सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की तलुना में अधिक विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता वाले पाये गये।

प्रकाश चन्द्र (2005) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्रों की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता तथा शैक्षिक समस्याओं का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि छात्रों की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता और शैक्षिक उपलब्धि, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर और स्वाध्याय आदतों के मध्य, धनात्मक सह सम्बन्ध पाया गया। यह सह-सम्बन्ध 0.13 से 0.46 स्तर तक था। विभिन्न चरों जैसे छात्रों की समस्याओं और विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता तथा शैक्षिक समस्यायें और शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा, समस्यायें तथा सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्य ऋणात्मक सह-सम्बन्ध पाया गया है और यह सह-सम्बन्ध 0.03 से -0.48 स्तर तक था।

सत्या बी0सी0 (2005) ने छात्रों की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किये-

1. उच्च विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता वाले छात्रों की बुद्धि निम्न विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता वाले छात्रों की तुलना में अधिक पायी गयी।
2. छात्रों की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता और उनकी शैक्षिक उपलब्धि के बीच एक धनात्मक सम्बन्ध पाया गया।
3. अधिक विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता वाले छात्रों की स्वाध्याय आदतें भी अच्छी पायी गयी। जबकि कम विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता वाले छात्रों में स्वाध्याय आदतें भी कम पायी गयी।
4. शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा व स्वाध्याय आदतों के मध्य कोई भी सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

अध्ययन का उद्देश्यः- प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ळा द्वारा अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि. ''स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता का अध्ययन करना।''

शोध अध्ययन की परिकल्पनाः- उद्देश्य की पूर्ति हेतु शून्य परिकल्पना निर्मित की गई थी कि ''स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता में सार्थक अन्तर नहीं है।''

शोध समग्र (जनसंख्या):- किसी भी शोध अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्यों या सूचनाओं का एकत्रीकरण करना शोध का एक महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है। सामान्यतया शोध अध्ययन की इकाईयों का चुनाव दो प्रकार पद्धतियों से किया जा सकता है।

जिसमें पहला संगणना पद्धति तथा दूसरा निदर्शन पद्धति। संगणना पद्धति- वह पद्धति जिसमें समग्र की सभी इकाईयों को शोध अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है जबकि निदर्शन पद्धति में समग्र में से केवल कुछ प्रतिनिधि इकाईयों को निदर्शन के रूप में चयनित करके उनका अध्ययन किया जाता है। निदर्शन पद्धति की विशेषता यह है कि इसके आधार पर चुनी गई कुछ इकाईयों का समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करना अति आवश्यक है। इसीलिए शैक्षिक शोध अध्ययनों में बहुधा निदर्शन पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। यद्यपि सामाजिक अध्ययन चाहे किसी विशाल क्षेत्र से सम्बन्धित हो या सीमित क्षेत्र से शोध अध्ययन की इकाईयों का आकार बहुत विशाल होता है, इसलिए शोधार्थी के लिए यह सम्भव नहीं हो पाता है कि वह शोध अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाईयों से सूचनाएँ प्रत्यक्ष सम्पर्क के द्वारा संकलित कर सकने में सक्षम हो सके। अत: उसे शोध कार्य को सम्पादित करने की दिशा में अग्रसर होने के लिए निदर्शन प्रविधि का सहारा लेना ही पड़ता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध समग्र के लिए जौनपुर जनपद में स्थित सभी महाविद्यालयों के राजनीति विज्ञान विषय से अध्ययनरत कला संकाय के सभी विद्यार्थियों को शोध समग्र या शोध जनसंख्या के रूप में निर्धारित किया है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट किया जाय तो- प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन के लिए जौनपुर जनपद के अन्तर्गत वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध जौनपुर जनपद के सभी महाविद्यालयों के बी0ए0 तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को शोध समग्र अर्थात् शोध जनसंख्या के रूप में निर्धारित किया गया है। अतैव जौनपुर जनपद उ0प्र0 राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है तथा अनुसंधित्सु ने शोध अध्ययन की जनसंख्या के रूप में जौनपुर जनपद के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शामिल किया है।

शोध न्यादर्श एवं निदर्शन:- शोधार्थी के लिए जौनपुर जनपद के सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से उपकरणों का प्रशासन कर शोध सूचनाएँ एकत्रित रखना अत्यन्त समय और श्रम साध्य तथा सामर्थ्यपूर्ण कार्य है जो कि बहुत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। इस कठिनाई से बचने के लिए शोधार्थी ने निदर्शन पद्धति का प्रयोग उचित माना और शोध निर्देशक महोदय से परामर्श प्राप्त कर निदर्शन पद्धति का प्रयोग आँकड़ों के संकलन के लिए किया है। यद्यपि सभी प्रकार के शोध कार्यों में समष्टि एवं उससे चुने गए प्रतिदर्श का विशेष महत्व माना जाता है। समष्टि में से ही शोध कार्य के लिए समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों या सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसे प्रतिदर्श कहा जाता है। वस्तुत: न्यादर्श की कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपनी विशेषताएँ निर्धारित की गयी है। एक निश्चित भू-भाग या क्षेत्र या जनसंख्या या समष्टि से प्रतिदर्शों का चयन किया जाता है। चुने गये प्रतिदर्शों में प्रतिनिधि या नेतृत्व का गुण होने आवश्यक है, जिससे वह समष्टि का प्रतिनिधित्व कर सके। साथ ही शोधार्थी को किसी पूर्वाग्रह से रहित होकर ही प्रतिदर्श का चयन करना चाहिए। साथ ही यह भी अत्यावश्यक है कि समष्टि अच्छी तरह से परिभाषित की गयी हो। यद्यपि प्रतिदर्श केवल व्यक्तियों को लेकर ही नहीं बल्कि व्यवहारों, प्रेक्षणों, घटनाओं, विभिन्न परीक्षणों या किसी भी प्रकार की इकाईयों को लेकर बनाये जा सकते हैं। प्रतिदर्श की संख्या जितनी होगी उसमें उतनी ही इकाईयों की संख्या निर्धारण किया जाता है। न्यादर्श में संख्या का निर्धारण अनेक स्तरों पर होता है परन्तु न्यादर्श संख्या चयन के समय इतना ध्यान अवश्य रखा जाता है कि प्रतिदर्श की इकाईयों की संख्या उतनी ही अवश्य होनी चाहिए जिससे वे समष्टि का प्रतिनिधत्यात्मक प्रतिनिधि होने के सारे गुण मौजूद हो सके। इसीलिए न्यादर्श का किसी शोध कार्य में महत्व होता है ताकि उनके आधार पर किसी समष्टि में मिलने वाले गोचरों के बारे में सामान्यीकरण किया जा सके तथा न्यादर्श का चयन भी इसीलिए भी किया जाता है कि चयन की विशेष प्रक्रिया का उपयोग कर उसे समष्टि का प्रतिनिध्यात्मक रूप दिया जा सके। जिससे न्यादर्श का अध्ययन कर समष्टि के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने में सफलता अर्जित की जा सके।

इस प्रकार शोध अध्ययन में की जाने वाली गुणों और विशेषताओं का आंकलन समष्टि में और न्यादर्श में भी उपस्थित रहते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के चुनाव के लिए सामान्य दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में निदर्शन के अन्तर्गत टिपेट या लॉटरी विधि अपनायी गयी है। क्योंकि लॉटरी विधि में समष्टि की सभी इकाईयों के चयन की सम्भावना बराबर बनी रहती है। लाटरी विधि के प्रयोग में सभी इकाईयों को अनुक्रमानुसार संख्या प्रदान कर अलग-अलग पर्ची बनाकर फिर समस्त पर्ची को एक ड्रम में डालकर पूरी तरह मिला दिया जाता है। पुन: वांछित प्रतिदर्श जो अध्ययन हेतु लिया जाना है उसमें एक-एक कर पर्ची निकालकर उसकी क्रम संख्या नोट करते जाते हैं और पुन: उसे डिब्बे में डाल दिया जाता है। इस प्रकार निर्दिष्ट संख्या के प्राप्ति तक इसीविधि का प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रक्रिया को अपनाने से समष्टि (जनसंख्या) के सभी (इकाईयों) सदस्यों के चुने जाने की सम्भवना बराबर होती है।

अतएव प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के चयन हेतु 'बहुस्तरीय समसम्भाविक प्रतिचयन विधि' का प्रयोग किया गया है तथा इसमें न्यादर्श का चयन विभिन्न स्तरों पर होता है तथा प्रत्येक स्तर में उससे सम्बन्धित जनसंख्या को कुछ खास खण्डों या वर्गों में विभक्ति किया जाता है। समग्र का यह स्तरीकरण चरों के आधार पर किया जाता है जो कि अध्ययनगत परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने इसका चयन अग्रलिखित प्रकार से किया है-

जौनपुर जनपद के सभी महाविद्यालयों में राजनीति विज्ञान विषय के तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों को अलग-अलग 6 तहसीलों में बाँटने के पश्चात यादृच्छिक विधि से दो तहसीलों बदलापुर तथा जौनपुर सदर का चुनाव किया गया। इसके उपरान्त दोनों तहसीलों के 63

महाविद्यालयों में से 10-10 महाविद्यालयों का चुनाव भी लाटरी विधि के द्वारा कर लिया गया। चयनित किये गये दोनों तहसीलों के महाविद्यालयों को निम्न रूपों में प्रदर्शित किया गया है-

बदलापुर (तहसील) जौनपुर के चयनित महाविद्यालयः-

1. सल्तनत बहादुर पी0जी0 कॉलेज, बदलापुर जौनपुर।
2. माँ शारदा देवी कन्या महाविद्यालय, कदेरेपुर बदलापुर, जौनपुर।
3. कु0 मायावती गवर्नमेन्ट गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, बदलापुर जौनपुर।
4. वंशा देवी महाविद्यालय बदलापुर, जौनपुर।
5. रामदेव सिंह महाविद्यालय महमूदपुर बहरीपुर, जौनपुर।
6. श्री जे0पी0 सिंह महिला महाविद्यालय केवटाली, बदलापुर, जौनपुर।
7. ब्रह्मलीन श्री पुजारी महराज महाविद्यालय तियरा, बदलापुर जौनपुर।
8. श्री श्याम बिहारी पी0जी0 कॉलेज, बदलापुर जौनपुर।
9. गौरीशंकर महाविद्यालय, बदलापुर जौनपुर।
10. श्री बजरंग पोस्ट ग्रेज्युएट कॉलेज, घनश्यामपुर जौनपुर।

जौनपुर सदर (तहसील) के चयनित महाविद्यालयः-

1. तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर।
2. राजकृष्ण दत्त पी0जी0 कॉलेज, जौनपुर।
3. गोविन्द वल्लभपन्त महाविद्यालय, जौनपुर।
4. शिया कॉलेज, जौनपुर।
5. मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, जौनपुर।
6. राम किशुन महाविद्यालय, जौनपुर।
7. गुलाबी देवी पी0जी0 कॉलेज, जौनपुर।
8. राज बहादुर यादव महाविद्यालय, जौनपुर।
9. राजेश कुमार महाविद्यालय, कोहारा जौनपुर।
10. रामदेव डिग्री कॉलेज, मीरागंज, जौनपुर।

शोध आँकड़ों का संकलनः- शोध तथ्यों का संकलन शैक्षिक अनुसंधान हेतु सर्वाधिक आवश्यकता वाले विषयों के रूप में जाना जाता है। तथ्यों (आकड़ों) के संकलन के लिये यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वारा उन सूचना-स्रोतों का निर्धारण किया जाय, जिनसे तत्सम्बन्धी विश्वसनीय सूचनाएँ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है और इन स्रोतों को प्रमुख रूप में दो भागों-प्राथमिक स्रोत व द्वितीय स्रोत में बाँटा जाता है। शोधार्थी प्राथमिक तथ्यों की जानकारी हेतु अध्ययन क्षेत्र में स्वयं जाकर अध्ययन विषय से सम्बन्धित मामलों को स्वयं अवलोकन करने के साथ-साथ सम्बन्धित लोगों से मिलकर सूचना एकत्रित करने का कार्य करता है तथा द्वितीयक स्रोतों द्वारा शोधार्थी सम्बन्धित लिखित प्रलेखों-यथा गजेटियर पाण्डुलिपि, अभिलेख, पुस्तकें, शोध प्रबन्ध आदि से प्राप्त करता है। इस प्रकार घटित हो चुकी जानकारी को द्वितीयक श्रोतों से प्राप्त किया जाता हैं।

शोध उपकरण प्राथमिक तथ्यों के एकत्रित करने हेतु आवश्यक साधन होते हैं। उपकरण दो प्रकार के होते हैं जैसे स्वनिर्मित तथा मानकीकृत मापनी। इसमें से शोधार्थी द्वारा अपने अध्ययन विषय की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सृजित या पूर्व-मानकीकृत शोध उपकरणों जिनके उत्तर निदर्श में सम्मिलित लोगों से प्राप्त कर उन्हें आवश्यकतानुसार व्यवस्थित किया गया है। इस सन्दर्भ में गुडे एवं हॉट 16 नामक विद्वानों ने लिखा है कि- शोध उपकरण प्रश्नों की एक सामूहिक श्रृंखला का नाम है जिनके उत्तर शोधार्थी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति (प्रयोज्य) से आमने-सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। ताकि शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सके।

अतः किसी भी शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह शोध में प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों व उपकरणों के चयन से पहले उनकी अच्छी तरफ निरीक्षण व उपयोगिता का परीक्षण कर ले ताकि सर्वेक्षण काल में उसे यह भ्रम न हो कि उसने अनुपयुक्त प्रविधियों व उपकरणों का चयन कर लिया है। साथ ही यह तय कर लिया जाना चाहिए कि शोध अध्ययन हेतु सहभागी व असहभागी निरीक्षण तथा साक्षात्कार हेतु प्रमापीकृत उपकरणों, अनुसूची व प्रश्नावली में किसका प्रयोग किया जाना उचित है। अतः शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध

अध्ययन हेतु यह अनुभव किया कि प्रस्तुत अध्ययन में सहभागी निरीक्षण एवं स्वनिर्मित तथा मानकीकृत मापनी का प्रयोग अधिक उपयुक्त है।

शोध आँकड़ों का संकलनः– प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोध सम्बन्धित ऑकड़ों के एकत्र करने हेतु शोधर्थी द्वारा स्वनिर्मित विषय वस्तु विश्लेषण मापनी का प्रयोग किया गया जिसकी विश्वसनीयता व वेधता उपर्युक्त पायी गयी।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकिः– प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोध सम्बन्धित ऑकड़ों को एकत्र करने हेतु शोधर्थी द्वारा स्वनिर्मित विषयवस्तु विश्लेषण मापनी का प्रयोग किया गया जिसकी विश्वसनीयता व वेधता उपर्युक्त पायी गयी।

1. माध्य की दीर्घ विधि
2. मध्यमान की लघु विधि
3. मानक विचलन
4. क्रान्तिक अनुपात मान

समंकों का विश्लेषण एवं व्याख्याः

प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त ऑकड़ों की व्याख्या व विश्लेषण उद्देश्य व परिकल्पना को आधार मानकर की गयी जो इस प्रकार है।

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता का अध्ययनः

शोध उद्देश्य सं0 – स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना– स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता में सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या .1: छात्र एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता का अध्ययन

क्र0सं0 (SR)	शोध चर (V)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (δD)	माध्य अन्तर D(M~~M)	क्रान्तिक अनुपात (C.R.)
1	स्नातक स्तर के छात्र	300	89.83	9.21	0.714	1.94	2.717
2	स्नातक स्तर की छात्राएं	300	91.77	8.86			
स्वतंत्राशमान ¾ 598 के सार्थकता स्तर 0-05 तथा 0-01 के मान ¾ 1-96 व 2-59 क्रमशः पर सार्थक							

सारणी निर्वचनः स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता के अध्ययन में सारणी संख्या 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर के छात्रों के विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता का मध्यमान मान 89.83 तथा मानक विचलन 9.21 प्राप्त हुआ जबकि छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता का मध्यमान मान 91.77 तथा मानक विचलन 8.86 प्राप्त हुआ। प्राप्त मानों की सांख्यकीय पद्धतियों से विवेचना करने पर दोनों वर्गों के मध्यमान मानों की मानक त्रुटि 0.714 तथा माध्य अन्तर 1. 94 प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर क्रान्तिक अनुपात मान 2.717 प्राप्त हुआ जो कि पूर्व निर्धारित स्वतंत्रांशमान 598 के सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 के मान 1.96 तथा 2.59 से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पित कल्पना स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता में सार्थक अन्तर नहीं है अस्वीकृति हो जाती है और स्पष्ट हो जाता है कि परिकल्पना सार्थकता के दोनों स्तरों पर सार्थक है। अर्थात् स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता में असमानता के साथ सार्थक अन्तर है। यद्यपि दोनों वर्गों की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता के मध्यमान मानों की तुलना करने पर स्नातक स्तरीय छात्राओं की विषयवस्तु विश्लेषण योग्यता आंशिक रूप से छात्रों से उच्च स्तर की पायी गयी।

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता सम्बन्धी अध्ययन का निष्कर्षः–

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता के अध्ययन में पाया गया कि स्नातक स्तर की छात्राओं की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता छात्रों की अपेक्षा उच्च स्तर की पायी गयी तथा छात्रों और छात्राओं की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता में असमानता के साथ सार्थक अन्तर भी पाया गया। अर्थात् स्नातक स्तर की छात्राओं की विषय वस्तु विश्लेषण योग्यता छात्रों की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुई है। प्राप्त परिणाम के समान ही पूर्ववर्ती शोध से परिणाम मिले हैं जिसमें हैदर जैनूल भट्ट (2021) ने अपने शोध कार्य ''अनुदानित तथा गैर अनुदानत महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में संवैधानिक प्रवृत्ति के विकास में राजनैतिक गुणों, मूल्यों और प्रवृत्ति की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन'' से पाया कि महाविद्यालयी छात्र और छात्राओं के संवैधानिक प्रवृत्ति और राजनैतिक गुणों में सार्थक अन्तर है।

शैक्षिक निहितार्थः- वस्तु विद्यार्थी ही देश के भविष्य का कर्णधार होता है, उसी को ही सामाजिक और राजनैतिक मूल्यों का सृजन और संरक्षण करना होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास और अनुपालन भी विद्यार्थियों को करनी पड़ती है। ऐसे में विद्यार्थियों में राजनैतिक अभिवृत्ति का होना काफी लाभदायक माना जा सकता है। वस्तुतः शिक्षण संस्थान ही वह स्थल होते हैं जो एक ही समाज और सांस्कृतिक समूह के भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों का परिमार्जन देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप करते हैं। चूँकि अभिवृत्तियों पर परिवर्तन की परिस्थितियों का प्रभाव पाया जाता है ऐसे में स्नातक विद्यार्थियों में पायी जाने वाली राजनैतिक अभिवृत्ति भी परिवर्तनशील होने के साथ-साथ परिमार्जनशील मानी जाती है। स्नातक विद्यार्थियों का जीवन देश के भावी नागरिक के रूप में चारित्रिक, आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक विकास का रचनाकाल माना जाता है। ऐसे में विद्यार्थियों द्वारा अधिक ज्ञान का अर्जन और अध्यात्मिक, चारित्रिक और भौतिक विकास कर लिया जाता है वही उसके भावी जीवन के विकसित होने की आधार शिला रखता है। वस्तुतः स्वतन्त्रोत्तर काल के बाद भारतीय युवा नवउदित राष्ट्र को नयी मंजिलों पर ले जाने के लिए बहुआयामी तरीकों और युक्तियों को अपनाता गया और कमोवेश आज भी यही प्रयास जारी है। लेकिन भारतीय युवाओं के लक्ष्यों में एकाग्रता न होकर विमुखता का समावेश हुआ जिसमें भटकाव आना स्वाभाविक है, इससे उनमें अनुशासनहीनता और लोलुपता का विकास हुआ और वे शैक्षिक सरोकारों से पीछे हटते जा रहे हैं। इस परिस्थिति के निरीक्षण के लिए विद्यार्थियों में अच्छी अध्ययन आदत का विकास किया जाय, उनमें अध्ययन विषयों की समझ और विश्लेषण योग्यता का विकास सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही ऐसी प्रवृत्तियों का विकास किया जाय जिसमें उनमें जनतंत्रीय भावना का विकास, मानवीय मूल्यों का समावेशन तथा सदृश्यता और संवेदनशीलता का विकास किया जा सके। उपरोक्त गुणों का विद्यार्थियों में प्रादुर्भाव करने के लिए उनके राजनैतिक अभिवृत्ति का विकास किया जाय।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

- कौर कुलवंत (2004): पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध अध्ययन, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
- चौधरी वी0पी0 (2008): लघु शोध प्रबन्ध शिक्षा संकाय, एम.एड. उपाधि हेतु, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर.
- चोपडा एस0एल0 (2012): लघु शोध प्रबन्ध एम.एड. उपाधि हेतु अध्ययन, शिक्षा संकाय, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या.
- पालिवाल राजेश (2004): पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध अध्ययन, शिक्षा संकाय, महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ वाराणसी.
- प्रकाश चन्द्र (2005): लघु शोध प्रबन्ध एम.ए. उपाधि हेतु, शिक्षा संकाय, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या.
- नायर वी0एस0 (2010): लघु शोध प्रबन्ध शिक्षा संकाय, महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी.
- वर्मा वी0पी0 (2014): लघु शोध प्रबन्ध, एम.एड. उपाधि हेतु अध्ययन, शिक्षा संकाय, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या.
- सत्या वी0सी0 (2009): लघु शोधप्रबन्ध एम.एड. उपाधि हेतु शिक्षा संकाय, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या.

अरवल जिले में ग्रामीण अवसंरचना विकासः वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ

पूजा कुमारी

शोधार्थी, भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्याय, बोध गया

सारांश

अरवल जिला, जो बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है, राज्य के सबसे छोटे और ग्रामीण-प्रधान जिलों में से एक है। 2001 में जहानाबाद जिले से अलग करके स्थापित किया गया, अरवल लगभग 483 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 700,843 है, जिसमें से लगभग 99.8 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अरवल में ग्रामीण अवसंरचना विकास सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था कृषि-आधारित है और यह बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। यह लेख प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रों सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई की वर्तमान स्थिति की जांच करता है, जो सरकारी रिपोर्टों, जनगणनाओं और सर्वेक्षणों से 2025 तक के आँकड़ों पर आधारित है। यह प्रमुख चुनौतियों जैसे वित्तीय बाधाओं, नौकरशाही अक्षमताओं और पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण भी करता है। इस लेख के माध्यम से सतत विकास के लिए सिफारिशें प्रदान की गई हैं, जिसमें नीति हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया है।

संकेताक्षरः ग्रामीण अवसंरचना, विकास, ग्रमीण विकास, केंद्रीय योजनाएं, सुदृढ़ीकरण।

परिचय

बिहार, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्यों में से एक है, ने 2000 के मध्य से ग्रामीण विकास में प्रगति की है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़कों के लिए, जल जीवन मिशन पानी के लिए, और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) विद्युतीकरण के लिए। हालांकि, जिला-स्तरीय असमानताएं बनी हुई हैं, विशेष रूप से अरवल जैसे अविकसित क्षेत्रों में। अरवल की ग्रामीण अवसंरचना उसके 699,563 ग्रामीण निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। जिले की जीडीपी वृद्धि बिहार की 2025-26 में 22 प्रतिशत के साथ सरेखित है, लेकिन अवसंरचना की कमी समावेशी विकास में बाधा डालती है।

जनसांख्यिकीय रूपरेखा (ग्रामीण फोकस)

जनगणना-2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या -7.01 लाख, घनत्व-1099 व्यक्ति/किमी, शहरी आबादी -7.4 प्रतिशत, साक्षरता -69.54 प्रतिशत (ग्रामीण साक्षरता -66.8 प्रतिशत), लैंगिकानुपात - 927-928। भाषा में मगही प्रमुख (86.5 प्रतिशत), हिन्दी/उर्दू द्वितीयक। कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में धान-गेहूँ-मक्का प्रधान फसल चक्र है। ये सभी मान ग्रामीण अवसंरचना की माँग-प्रोफाइल (विद्यालय/आंगनवाड़ी, पीएचसी/सब-सेंटर, ग्रामीण सड़क, नल-जल, सिंचाई) की तीव्रता को दर्शाते हैं।[1]

तालिका.1 रू जनसांख्यिकीय संकेतक ;2011द्ध

संकेतक	मान
कुल जनसंख्या	700,843
ग्रामीण जनसंख्या	648,994
शहरी जनसंख्या	51,849
साक्षरता दर (ग्रामीण/कुल)	69.54%/66.79%
लैंगिकानुपात	927–928
शहरीकरण	7.4%

ग्रामीण परिवहन अवसंरचना

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में ग्रामीण सड़कों का कुल नेटवर्क 1.12 लाख किमी से अधिक है, जिला-वार नेटवर्क में अरवल का आँकड़ा सबसे कम (485 किमी) दर्ज किया गया - यह जिले के छोटे भौगोलिक आकार, सीमित ग्राम-घनत्व सड़क कवरेज और ऐतिहासिक रूप से कम निवेश का संकेत है। राज्य सरकार या केंद्र की योजनाओं - पीएमजीएसवाई, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क/उन्नयन योजनाओं-से हाल के वर्षों में नए मार्गों/पुलों का निर्माण बढ़ा है (2022-25 में व्यापक स्वीकृतियाँ/सम्पन्न कार्यय 2024-25 में बिहार के PMGSY-III बैच-I में जिला-वार कार्य स्वीकृत हुए)। फिर भी, "न्यूनतम नेटवर्क" का टैग बताता है कि अंदरूनी हैबिटेशन तक ऑल-वेदर कनेक्टिविटी और रखरखाव पर अभी काफी काम अपेक्षित है।

ग्रामीण सड़कें अरवल में बाजार पहुंच के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां कृषि प्रमुख है। पीएमजीएसवाई के तहत कई सड़कें स्वीकृत और पूर्ण की गई हैं। 2011 तक, 95.65 प्रतिशत गांवों में पक्की सड़क पहुंच थी, जो 2001 में 36.46 प्रतिशत तक बढ़ी है। हाल की पीएमजीएसवाई डेटा (2020-2024) अरवल में 200 किमी से अधिक सड़कों का निर्माण या उन्नयन दिखाती है।[2]

ऊर्जा पहुँच (विद्युतीकरण)

सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2018 के अंत तक बिहार "100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने वाले राज्यों" में गिना गया। 2023-25 की अद्यतन आधिकारिक सूचनाएँ बताती हैं कि राष्ट्र-स्तर पर 100 प्रतिशत लक्ष्य की दिशा में कनेक्शन कवरेज के साथ विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर सुधार जारी है। अरवल जैसे ग्रामीण जिलों में कनेक्शन की सार्वभौमिकता तो बहुत बढ़ी है, पर सप्लाई की विश्वसनीयता व किफायती उपयोग (जैसे कृषि-पम्प, माइक्रो-एंटरप्राइज) को लेकर कार्य-योजना की जरूरत है।[3]

पेयजल व स्वच्छता

जल जीवन मिशन (हर घर जल) के तहत देश-स्तर पर 2019 के 17 प्रतिशत से 2025 में 80-81 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों तक नल-जल पहुँच दर्ज की गई। बिहार में फंक्शनैलिटी आकलन (2022) में मात्रा/नियमितता/गुणवत्ता सूचकांकों पर राज्य का प्रदर्शन औसत से बेहतर दिखा। अरवल हेतु ब्लॉक-वार घर-जोड़ों के डेटा पोर्टल प्रविष्टियाँ उपलब्ध हैं, यद्यपि सार्वजनिक डैशबोर्ड पर जिला-समेकित ऐतिहासिक निर्यात सीमित है। स्थलस्तरीय अनुभव इंगित करता है कि जल-स्रोत की स्थिरता (ग्राउंडवाटर/वॉटर-क्वालिटी), समुचित ओएंडएम, ग्राम जल-समितियाँ और पेयजल-पर्यवेक्षण (FHTC कार्यशीलता) सबसे महत्त्वपूर्ण आयाम हैं।

सीजीडब्ल्यूबी प्रोफाइल के अनुसार अरवल जिला में दर्ज की गई औसत वार्षिक वर्षा - 963 मि.मी है। भूजल-आधारित पेयजल या सिंचाई दोनों में गुणवत्ता स्तर के मौसमी उतार-चढ़ाव का अनुशासनिक प्रबंधन आवश्यक है। सोन नदी तटवर्ती ग्रामों में रेत-आधारित एक्विफर, बाढ़-कटाव तथा रेत-खनन से परिवर्तित प्रवाह जैसे तत्व पाइप्ड-जल या मिनी-पाइप्ड योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।[4]

ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना

जिला पोर्टल पर दर्ज सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सदर अस्पताल (अरवल) और प्रत्येक प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं साथ में उप-केन्द्र (एससी) नेटवर्क का विस्तार आवश्यक है। जिले में कुल 5 PHC और 47 सब-सेंटर का उल्लेख कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) के जिला प्रोफाइल में मिलता है। कोविड-पश्चात काल में टीकाकरण/एमसीएच सेवाओं, एएनएम-एचडब्ल्यूसी के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर रहा है, पर एम्बुलेंस उपलब्धता, डायग्नोस्टिक्स, रेफरल-लॉजिस्टिक्स और एचडब्ल्यूसी-स्तरीय टेली-कंसल्टेशन के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में मानव संसाधन जैसे डॉक्टर, नर्स तथा एलटी की 24×7 उपलब्धता, मातृ-शिशु स्वास्थ्य के लिए एमरजेंसी ट्रांसपोर्ट और ब्लड-स्टोरेज, एचडब्ल्यूसी-ओपीडी, टेली-मेडिसिन के लिए बिजली-इंटरनेट की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाना बाकी है।[5]

कृषि-सिंचाई और जल-संसाधन

अरवल पूरी तरह कृषि-उन्मुख अर्थव्यवस्था वाला जिला है धान/गेहूँ/मक्का मुख्य फसलें। PMKSY के जिला सिंचाई योजना (2017) और CGWB की भूजल पुस्तिका मात्रा-गुणवत्ता व सूक्ष्म-सिंचाई की सम्भावनाओं पर बल देती है। राज्य-स्तर पर सकल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान 63 प्रतिशत और नहरों का 31 प्रतिशत आँका गया है। इस पैटर्न की पृष्ठभूमि में अरवल में ग्राउंडवॉटर-आधारित सिंचाई का भार अधिक सम्भावित है। इसलिए ऊर्जा विश्वसनीयता, स्कीम-स्तर पर डीपीआर में सोर्स-सस्टेनेबिलिटी और माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप/स्प्रिंकलर) का विस्तार जरूरी है।[6]

अरवल जिले में ग्रामीण अवसंरचना विकास हेतु सुझाव

अरवल जिले की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियाँ इसे बिहार के अपेक्षाकृत अविकसित जिलों में रखती हैं। यहाँ की 99 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण है और मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन आधारभूत अवसंरचना की कमी इसके सामाजिक-आर्थिक विकास को बाधित करती है। इस स्थिति में ग्रामीण परिवहन, ऊर्जा, पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि-सिंचाई जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस और बहु-आयामी कदम उठाने की आवश्यकता है।[7]

सबसे पहले परिवहन अवसंरचना की बात करें तो यद्यपि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहल से गाँवों तक पक्की सड़कों का विस्तार हुआ है, फिर भी आंतरिक बस्तियों और दूरस्थ हैबिटेशन तक ऑल-वेदर कनेक्टिविटी अभी अधूरी है। अरवल में सड़क नेटवर्क राज्य के अन्य जिलों की तुलना में न्यूनतम है, जिससे कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने और लोगों की आवाजाही में बाधा आती है। इस चुनौती का समाधान पंचायत स्तर पर सड़क रखरखाव समितियाँ गठित करके किया जा सकता है ताकि नई बनी सड़कों का संरक्षण और समय पर मरम्मत सुनिश्चित हो। इसके साथ ही छोटे पुल, कलवर्ट और बरसाती नालों पर स्थायी संरचनाएँ बनाना आवश्यक है ताकि मानसून के दौरान गाँव कटे न रहें।[8]

विद्युतीकरण के क्षेत्र में सौभाग्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बाद घरेलू कनेक्शन लगभग सार्वभौमिक हो गए हैं, किंतु बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता अभी भी बड़ी चुनौती है। विशेषकर कृषि और सूक्ष्म उद्योगों के लिए नियमित और किफायती बिजली उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए लोड मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट मीटरिंग को लागू करना चाहिए। साथ ही, सौर ऊर्जा और माइक्रो-ग्रिड जैसे नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

पेयजल और स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल-जल योजना का स्थायी क्रियान्वयन आवश्यक है। केवल पाइपलाइन और कनेक्शन देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जल की गुणवत्ता, मात्रा और नियमित आपूर्ति पर ध्यान देना होगा। अरवल जैसे भूजल-निर्भर जिलों में जल स्रोत की स्थिरता बनाए रखने के लिए वर्षा जल संचयन, चेक डैम और रिचार्ज कुएँ जैसी संरचनाएँ बनाई जानी चाहिए। जल की गुणवत्ता जाँचने के लिए पंचायत स्तर पर वॉटर-टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जाए और ग्राम जल समितियों को संचालन और रखरखाव में सक्रिय भागीदारी दी जाए। स्वच्छता की दृष्टि से शौचालय निर्माण के साथ-साथ उनके उपयोग और ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है।[9]

स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई कमियाँ हैं। सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, लेकिन उनमें संसाधनों और मानव बल की कमी बनी रहती है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर पीएचसी को 24×7 सेवा केंद्र के रूप में सुदृढ़ करना आवश्यक है, जिसमें एम्बुलेंस, ब्लड-स्टोरेज और डायग्नोस्टिक सुविधाएँ उपलब्ध हों। उप-केन्द्रों और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली-मेडिसिन और डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली लागू करके विशेषज्ञ परामर्श तक ग्रामीणों की पहुँच आसान बनाई जा सकती है। डॉक्टर, नर्स और लैब तकनीशियनों की कमी दूर करने के लिए स्थानीय युवाओं को पैरामेडिकल प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जा सकता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित प्रसव, आपातकालीन परिवहन और पोषण योजनाओं का बेहतर एकीकरण जरूरी है।

शिक्षा और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की अवसंरचना को सुधारना होगा। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय उपलब्ध कराना बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बना सकता है। साथ ही, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा सकती है। ग्रामीण युवाओं को केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वे कृषि से इतर स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में कौशल विकास केंद्र खोले जाने चाहिए।

कृषि और सिंचाई, जो जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में सिंचाई का अधिकतर हिस्सा भूजल पर आधारित है, जिससे जलस्तर पर दबाव बढ़ता है। इस स्थिति में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विस्तार करना अनिवार्य है। फसल विविधीकरण के माध्यम से केवल धान-गेहूँ-मक्का चक्र पर निर्भरता कम करके दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। जल संरक्षण के लिए सोन नदी तटवर्ती इलाकों में सामुदायिक तालाब पुनर्जीवन और चेक डैम निर्माण किया जाए। साथ ही, सोलर पंप को सब्सिडी पर उपलब्ध कराकर किसानों को ऊर्जा और पानी दोनों की समस्या से राहत दी जा सकती है।[10]

इन सभी क्षेत्रों में सुधार तभी संभव है जब प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर लचीलापन और जवाबदेही लाई जाए। ग्राम समितियों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएँ और प्रत्येक अवसंरचना योजना की निगरानी के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया जाए। इसके साथ ही, अरवल को विशेष पिछड़ा जिला मानकर अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध कराई जाए ताकि योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन हो।

अंततः, किसी भी योजना की सफलता सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है। गाँव स्तर पर नियमित सामुदायिक बैठकें आयोजित कर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाए और पंचायत भवनों में सूचना बोर्ड लगाकर प्रगति सार्वजनिक की जाए। स्वयं सहायता समूहों और विशेषकर महिलाओं को जल, स्वच्छता और पोषण जैसी योजनाओं में भागीदारी देकर सामुदायिक स्वामित्व बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

अरवल जिले में ग्रामीण अवसंरचना विकास की स्थिति स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि यहाँ अभी भी अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं, हालाँकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना और स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी सरकारी पहलों ने बुनियादी स्तर पर सुधार की नींव रखी है। फिर भी, सड़कों की सीमित पहुँच, बिजली आपूर्ति की अनियमितता, जल-स्रोतों की अस्थिरता, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की कमी तथा कृषि-सिंचाई के लिए अपर्याप्त संसाधन जैसी समस्याएँ जिले के विकास मार्ग में अवरोध बनी हुई हैं।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि अवसंरचना विकास को केवल निर्माण तक सीमित न रखकर उसके रखरखाव, गुणवत्ता और स्थानीय भागीदारी पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। विशेषकर, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए विश्वसनीय सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन का विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में भी पर्याप्त निवेश और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

समग्र दृष्टि से कहा जा सकता है कि अरवल जैसे छोटे और ग्रामीण-प्रधान जिलों में सतत विकास तभी संभव है जब सरकारी निवेश, प्रशासनिक जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी एक साथ काम करें। यदि जिला-विशेष की चुनौतियों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए, तो अरवल न केवल अपनी आंतरिक विकास आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा बल्कि बिहार की समग्र प्रगति में भी सार्थक योगदान दे सकेगा।

संदर्भ सूची:

1. भारत सरकार (2011). जनगणना-2011: जिला जनगणना पुस्तिका, अरवल, बिहार. रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली।
2. सिंह, एस.के. (2015). ग्रामीण विकास एवं अवसंरचना. नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी।
3. वर्मा, आर.पी. (2018). बिहार का सामाजिक-आर्थिक भूगोल. पटना: विद्यार्थी प्रकाशन।
4. कुमार, अजय (2016). ग्रामीण बिहार: विकास की चुनौतियाँ. नई दिल्ली: रावत प्रकाशन।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2022). ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6. मिश्रा, एन. एवं चौधरी, वी. (2019). भारत में ग्रामीण अवसंरचना और योजनाएँ. जयपुर: आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स।
7. भारत सरकार (2011). जनगणना-2011: जिला जनगणना पुस्तिका, अरवल, बिहार. रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली।
8. ग्रामीण विकास मंत्रालय (2022). प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-प्रगति रिपोर्ट. भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. कुमार, आर. एवं सिंह, अ. (2021). बिहार में ग्रामीण अवसंरचना और विकास की चुनौतियाँ: जिला-स्तरीय विश्लेषण. ग्रामीण विकास अध्ययन पत्रिका, खंड 39(2), पृ. 145-162।
10. प्रसाद, आर. (2020). भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास. वाराणसी: गंगा पब्लिकेशन।

"हिंदी दलित कथा साहित्य में दलित स्त्री की अन्त:व्यापी वेदनाओं की अभिव्यक्ति: एक गहन चिंतन"

डॉ० बबलू सिंह

एसो. प्रोफेसर हिन्दी विभाग, जे. एस. हिन्दू पी०जी० कालेज, अमरोहा, सम्बद्ध-एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

सारांश (Abstract)

हिंदी दलित कथा साहित्य में दलित स्त्री की अन्त:व्यापी वेदनाओं की अभिव्यक्ति का एक गहन चिंतन है। दलित स्त्री विमर्श एक नवोदित विचारधारा है, जिसकी सैद्धान्तिकी अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। यह विमर्श ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और दलित पितृसत्ता – दोनों की दोहरी उत्पीड़न व्यवस्था के बीच फंसी हुई दलित स्त्री की पीड़ा को स्वर देता है। अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ जाति, वर्ग और लिंग के त्रैविधिक शोषण की शिकार रही हैं, जिन्हें साहित्यिक अभिव्यक्ति और विमर्श की मुख्यधारा में बहुत देर से स्थान मिला है। साहित्यिक अभिव्यक्ति इस बात को रेखांकित करता है कि किस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भी दलित स्त्रियों के मुद्दे मुख्य स्त्री विमर्श और मुख्य दलित विमर्श – दोनों में उपेक्षित रहे।

दलित स्त्री लेखन, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में अपनी स्वतंत्र पहचान की माँग करता है और यह स्पष्ट करता है कि इन स्त्रियों के मुद्दे केवल 'देह मुक्ति' तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी अस्मिता, जीविका, सामाजिक गरिमा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। यह लेख सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और डॉ. अम्बेडकर जैसे महान चिंतकों द्वारा दलित स्त्री विमर्श को दिए गए वैचारिक आधार को भी रेखांकित करता है। साथ ही यह भी उजागर करता है कि कैसे मुख्यधारा के स्त्री लेखन ने जानबूझकर दलित स्त्रियों के योगदान और संघर्षों को स्त्री आंदोलन के इतिहास से बहिष्कृत किया है।

मूल शब्द: डॉ. अम्बेडकर, स्त्री मुक्ति, हिन्दू कोड बिल, स्त्री शिक्षा, सामाजिक न्याय, दलित नारी चेतना, स्वाभिमान, वेश्यावृत्ति और मुक्ति, नारी अधिकार, भारत में शिक्षा और सशक्तिकरण

परिचय

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सदियों से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवधारणाओं की जटिलताओं में उलझी रही है। एक ओर उन्हें देवीस्वरूपा कहकर पूजनीय बताया गया, तो दूसरी ओर व्यावहारिक जीवन में उन्हें पराधीनता, अशिक्षा और पुरुषसत्तात्मक शोषण की बंदिशों में कैद किया गया। जब स्त्री की पहचान केवल गृहस्थ जीवन, पारंपरिक भूमिकाओं और समर्पण तक सीमित थी, तब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने न केवल दलितों बल्कि समस्त स्त्री समाज के लिए समानता, सम्मान और अधिकार की बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने स्त्रियों को सामाजिक पुनर्रचना की धुरी माना और उनके अधिकारों की संविधानिक, सामाजिक तथा नैतिक प्रतिष्ठा के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। उनका स्त्री विमर्श महज वैधानिक सुधारों का नहीं, बल्कि स्त्री की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और गरिमा की स्थापना का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

इसी जागरण के प्रकाश में दलित साहित्य का उद्भव हुआ, जो केवल रचनात्मकता का पर्याय नहीं, बल्कि सामाजिक असमानताओं, जातिगत उत्पीड़न और ऐतिहासिक बहिष्करण के विरुद्ध प्रतिरोध की चेतना का साहित्यिक स्वरूप है। यह साहित्य डॉ. अम्बेडकर की क्रांतिकारी विचारधारा की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ, जो न्याय, समता और आत्मसम्मान की मूलभूत अवधारणाओं को लेकर विकसित हुआ। इसमें दलित स्त्रियों की भागीदारी ने एक नई साहित्यिक धारा को जन्म दिया, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के यथार्थ को – जो दोहरी (स्त्री होने के नाते) और तिहरी (दलित होने के नाते) शोषण से उपजा था – आत्मकथाओं, कहानियों और कविताओं के माध्यम से सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया।

दलित स्त्री की पीड़ा केवल पितृसत्तात्मक संरचना से संघर्ष नहीं है, बल्कि उसमें जातिगत, वर्गीय और लैंगिक शोषण की त्रिस्तरीय पीड़ाओं का अंत:संघर्ष शामिल है। वह एक ऐसा अनुभव-क्षेत्र है, जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ा का, बल्कि सामूहिक चेतना और सामाजिक संघर्षों का भी प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी दलित कथा साहित्य में यह अंतर्वेदना अनेक रूपों में सामने आती है – कभी आत्मग्लानि, कभी प्रतिरोध, कभी साहस और कभी सामाजिक अस्वीकार्यता के रूप में। प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य इसी अन्त:व्यापी

वेदना को कथा साहित्य के माध्यम से पहचानना, समझना और उस सामाजिक यथार्थ को सामने लाना है जिसे अक्सर मुख्यधारा के स्त्री विमर्श में उपेक्षित किया गया है। हिंदी दलित कथा साहित्य दलित स्त्री के उस रूप को रेखांकित करता है जो केवल पीड़िता नहीं, अपितु संघर्षशील, संवेदनशील, और परिवर्तन की वाहिका भी है।

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में स्त्री न तो केवल जातीय इकाई थी, न ही धार्मिक या लैंगिक परिधियों में बंधी हुई सत्ता; वह चेतन समाज की आधारशिला थी। उन्होंने बार-बार इस बात पर बल दिया कि जब तक स्त्रियाँ शिक्षित, संगठित और आत्मसम्मान से युक्त नहीं होंगी, तब तक किसी भी सामाजिक क्रांति की कल्पना अधूरी रहेगी। उनके नारी विमर्श की जड़ें मानवतावादी दृष्टिकोण, बौद्ध नैतिकता और समतामूलक समाज की उनकी परिकल्पना में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अत: यह न केवल दलित स्त्री के साहित्यिक स्वर को पढ़ने का प्रयास है, बल्कि उस विमर्श को पुनर्परिभाषित करने की भी एक कोशिश है जो आज के समकालीन सामाजिक विमर्शों के केंद्र में है। इस संदर्भ में दलित स्त्री लेखन सामाजिक परिवर्तन की चेतना के साथ साहित्यिक इतिहास का पुनर्लेखन भी है, जो सामाजिक न्याय, संवेदना और प्रतिरोध के त्रिकोण में अपना वजूद रचती है।

दलित स्त्री : त्रिगुणात्मक शोषण की यातना और अस्मिता की तलाश

दलित स्त्री भारतीय समाज की वह त्रस्त इकाई है जो न केवल स्त्री होने के कारण पितृसत्ता की ग्रंथियों से पीड़ित है, बल्कि दलित जाति से होने के कारण सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक रूप से निम्न वर्ग से संबंधित होने के कारण श्रमशोषण की त्रिगुणात्मक पीड़ा से भी जूझती है। उसकी पीड़ा केवल बाह्य शोषण तक सीमित नहीं, बल्कि उसका शरीर, चेतना और अस्मिता - तीनों ही स्तरों पर वंचना का शिकार हैं। यह ऐसा शोषण है जो उसे सवर्ण स्त्री से भी कहीं अधिक पीड़ा और उपेक्षा की गर्त में धकेल देता है।

डॉ. मैनेजर पांडे का कथन कि ष्दलित स्त्री का शोषण तीन स्तरों पर होता है - "तिहरे शोषण का शिकार भी दलित होती है। दूसरे वर्षों और वर्गों के पुरुष की तरह दलित स्त्री भी अपने घर परिवार में स्त्री के साथ लगभग वैसा ही व्यवहार करता है, जैसा दूसरे वर्णों-जातियों के लोग अपनी स्त्रियों के साथ करते हैं। यह बात मैं अनेक दलित स्त्रियों की आत्मकथाओं के आधार पर कह रहा हूँ. .. इस लिए मैंने आपसे कहा कि दलित स्त्री का शोषण और दमन, उसकी पराधीनता तीन स्तरों पर है।" इस त्रासदी को सूक्ष्मता से उद्घाटित करता है। कार्यस्थल पर पुरुष श्रमिकों की तुलना में उन्हें आधा पारिश्रमिक मिलना और साथ ही यौन शोषण का शिकार होना इस शोषण के दोहरे चरित्र को दर्शाता है।

दलित स्त्री आत्मकथाओं में यह त्रासदी मुखर रूप से उभरती है। मोहनदास नैमिशराय ने भी दलित स्त्रियों के संबंध में बताते हुए लिखा है कि "दलित समाज जहाँ एक ओर अपने अंदर एक मध्यवर्ग के उदय से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है वहीं उसे दलित आंदोलन के भीतर एक और आंदोलन की आहटें सुननी पड़ रही हैं। यह है दलित महिला का आंदोलन जो समग्र महिला समुदाय के मुक्ति आंदोलन का हिस्सा होने के साथ-साथ दलित समाज में पितृसत्ता का प्रश्न उठाता है। दलित महिलाओं की त्रासदी यह है कि उन्हें एक गाल पर ब्राह्मणवाद का थप्पड़ खाना पड़ता है तो दूसरे गाल पर पितृसत्ता का थप्पड़ खाना पड़ता है।" एक दलित स्त्री के लिए तो शिक्षा और आत्मनिर्भरता कोई सहज विकल्प नहीं होता, बल्कि उसे सामाजिक तानों, घरेलू विरोध और आर्थिक दुश्वारियों से जूझते हुए अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है।

इस संदर्भ में रजत रानी 'मीनू' लिखती हैं कि "'सिमोन द बोउवार' के मत से थोड़ा हटकर यदि भारतीय परिवेश में देखें तो दलित स्त्री मात्र स्त्री होने की त्रासदी नहीं झेलती बल्कि उसका दलित जाति से होने के कारण वह लिंग भेद और जाति भेद सहते हुए दोहरे-तिहरे आक्रमण झेलती है। एक पुरुष प्रधान समाज होने के कारण वह अपने ही समाज के पुरुषों की दृष्टि में भी वह दूसरे दर्जे की प्राणी हैं जो उनके अनुसार कम बुद्धि की है।... दूसरी ओर गैर दलित समाज उसे दो तरह से कमजोर पाता है, एक तो वह स्त्री है, दूसरे वह दलित जाति से होती है।"

समकालीन हिन्दी दलित कथा साहित्य में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ स्त्रियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। ऐसे कौन-से कारण हैं? उनका अपना समाज, उनकी निर्धनता, धर्म या यह पूँजीवादी समाज जो उनसे उनकी मेहनत से उत्पाद तो कर रहा है सस्ते श्रम मूल्य पर, लेकिन यह पूँजीवादी समाज इसके बदले इन स्त्रियों को क्या दे रहा है? व्यावहारिक जीवन से गुजरते हुए और दलित कथा साहित्य को पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि यह पूरा का पूरा समाज उन्हें कुछ दे रहा है तो वह है दर्द, यातना, कुंठा। जो कई रूपों में उन्हें दिया जा रहा है। यह 'दर्द' भूख का, गरीबी की विवशता का, मानसिक और शारीरिक शोषण का तथा सताए जाने का है।

उदाहरण के लिए, 'योराज सिंह बेचौन की आत्मकथा 'मेरा बचपन मेरे कंधों पर' में माँ के संघर्षों का चित्रण हमें यह दिखाता है कि कैसे एक दलित स्त्री जीवन की हर इकाई में त्याग, अपमान और शोषण को अपना शनियमित जीवनश मानकर जीती है। वह विरोध नहीं करती, क्योंकि विरोध करने का सामर्थ्य - शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक संरक्षण - उससे छीन लिया गया है।

इस त्रिगुणात्मक शोषण की मार्मिक अभिव्यक्ति रजतरानी 'मीनू' के कथन में मिलती है -

"दलित स्त्री स्त्री होने की त्रासदी से ही नहीं, बल्कि दलित जाति की दोहरी त्रासदी से भी जूझती है। "वह अपने ही समाज के पुरुष की दृष्टि में भी दूसरी श्रेणी की मानी जाती है।"

इस समाज में दलित स्त्री का अस्तित्व 'स्त्री' से अधिक 'श्रमिक योनि' या 'वासना की वस्तु' में समेट दिया गया है। 'सिमोन द बोउवार' के कथन "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है" का भारतीय सन्दर्भ में रूपांतरण करें तो यह कहा जा सकता है - "दलित स्त्री समान स्त्रीत्व के साथ जन्म लेती है, पर जाति और वर्ग के भेद उसे शोषण की मूर्ति बना देते हैं।"

यह स्थिति सिर्फ अतीत की नहीं, वर्तमान की भी सच्चाई है। दलित स्त्री का शोषण इतना व्यवस्थित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बन गया है कि वह खुद भी इस अन्याय को श्भाग्यश मान बैठी है। यही सबसे बड़ा संकट है - जब पीड़िता अपनी पीड़ा को नियति समझने लगे।

इस त्रैतीय शोषण की सबसे करुणाभरी गवाही हमें तब मिलती है जब दलित स्त्रियाँ आत्मकथाओं में अपने जीवन को शब्दों में पिरोती हैं। उनके शब्द केवल वाक्य नहीं, वे 'रक्तस्नात अनुभव' हैं। वे कहती नहीं, जीती हैं जाति का दंश, लिंग का अपमान, और वर्ग का शोषण।

इसलिए, दलित स्त्री विमर्श केवल स्त्री विमर्श नहीं है, यह भारतीय सामाजिक ढांचे के सबसे क्रूर और अमानवीय यथार्थ से साक्षात्कार है। यह हमें मजबूर करता है - देखने, सुनने और अंततः बदलने के लिए।

दलित स्त्री की त्रिगुणात्मक पीड़ा और आत्मसंघर्षः

दलित स्त्री की स्थिति भारतीय सामाजिक संरचना का सबसे गूढ़ और पीड़ादायक प्रश्न है। वह न केवल एक स्त्री है, बल्कि एक जाति भी है - और यही दोहरी नहीं, त्रिगुणात्मक पीड़ा का कारण बनता है: जाति, लिंग और वर्ग - इन तीनों के अत्याचारों का समेकित बोझ उसकी आत्मा पर है। वह अपने ही समाज में, अपने ही परिवार में और समूचे सामाजिक ढांचे में, एक 'अदृश्य अस्मिता' के रूप में अस्तित्व में है, जिसे सिर्फ 'देह' और 'सेवा' के संदर्भ में देखा जाता है।

दलित स्त्री का शोषण महज बाहरी शक्तियों द्वारा नहीं होता, बल्कि वह उस पितृसत्ता का शिकार भी है जो सवर्ण ही नहीं, स्वयं दलित समुदाय के पुरुष भी ओढ़े हुए हैं। डॉ. मैनेजर पाण्डेय के शब्दों में - "दलित स्त्री का शोषण और दमन, उसकी पराधीनता तीन स्तरों पर है।" वह एक स्त्री होने के नाते पितृसत्तात्मक दबाव झेलती है, दलित होने के नाते सामाजिक बहिष्कार और जातिगत उत्पीड़न झेलती है, और गरीब होने के नाते आर्थिक और श्रम शोषण का शिकार होती है।

श्रम की दुनिया में दोहरा अन्याय जब पुरुष मजदूर को एक दिन के लिए 100 रुपये मिलते हैं, दलित स्त्री को उसी काम के लिए महज 40-50 रुपये। और यही नहीं, उसके शरीर को भी कार्यस्थल पर शोषण का साधन समझा जाता है। वह मजदूर भी है, भोग्या भी। एक त्रासदी जो न आँकड़ों में दर्ज होती है, न ही कानून की पहुँच में आती है।

आत्मकथाओं में उभरती यथार्थ की चीत्कार दलित स्त्री की त्रासदी को उनकी आत्मकथाओं में अत्यंत मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उषा चौहान, कुंती, कौशल्या बैसंत्री, बबीता घासी - इनकी आत्मकथाएँ महज व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, एक जातिगत और लैंगिक इतिहास की अभिव्यक्ति हैं। कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा 'दोहरा अभिशाप' (1999) में वे स्वयं स्वीकारती हैं कि-

"मैंने जाति के कारण अपमान सहा, और स्त्री होने के कारण अपवित्र समझी गई। मेरे लिए कोई मार्ग नहीं था सिवाय चुप रहकर सब सह लेने के।"

यह मौन पीड़ा ही दलित स्त्री की पहचान बन गई है - न वह सवाल कर सकती है, न प्रतिरोध।

'यौन शुचिता' पर टिकी सामाजिक दृष्टि समाज में दलित स्त्री की देह को 'सेक्स ऑब्जेक्ट' समझा जाना, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। उसकी यौनिकता को सामाजिक नियंत्रण और नैतिकता के फ्रेम से बाहर रख दिया गया है। जयप्रकाश कर्दम लिखते हैं -"दलित स्त्री केवल योनि नहीं है जैसी कि कोई आम स्त्री हो सकती है, बल्कि वह 'योनि' के साथ-साथ एक जाति है।" यह कथन स्पष्ट करता है कि दलित स्त्री की यौन शुचिता पर सामाजिक मूल्य नहीं, बल्कि भोग की दृष्टि हावी है।

अहल्या से लेकर आज तकः प्रतिरोध का पत्थर भारतीय पौराणिक कथा में अहल्या को इन्द्र द्वारा छलपूर्वक भोगा गया और समाज ने उसे पत्थर बना दिया। यह कथा आधुनिक दलित स्त्रियों की भी प्रतीकात्मक गाथा बन चुकी है। दलित स्त्री भी इन्द्रों द्वारा भोगी जाती है, फिर समाज उसे पत्थर सा मौन बना देता है।

दलित स्त्री की 'स्वतंत्रता': मिथ या यथार्थ? कुछ दलित पुरुष लेखकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि दलित समाज में स्त्रियाँ 'स्वतंत्र' हैं क्योंकि वे श्रम करती हैं। जैसे ओमप्रकाश वाल्मीकि का कथन -"हमारे यहाँ स्त्री स्वतंत्र है क्योंकि वह श्रम से जुड़ी है।"

मगर आत्मकथात्मक अनुभव इस मिथ को खंडित करते हैं। मोहनदास नैमिशराय के अनुसार –"दलित महिला को एक गाल पर ब्राह्मणवाद का थप्पड़ खाना पड़ता है, तो दूसरे गाल पर पितृसत्ता का।" यह दोहरी नहीं, तिहरी त्रासदी है – और इससे अधिक भयावह अस्तित्व क्या होगा?

'मौन' की राजनीतिकता और अस्मिता की खोज दलित स्त्रियाँ इस शोषण को इतना आंतरिक बना चुकी हैं कि यह उनकी नियति जैसी लगने लगी है। "जितना पालन एक पंडित अपनी पंडिताई का नहीं करता, उससे अधिक दलित स्त्रियाँ अपनी दरिद्रता तथा शूद्रता का पालन करती हैं।" इस वाक्य में उनके भीतर गहरे बैठे 'आत्म-अस्वीकरण' का उद्घाटन है।वे इंसान हैं – यह वे स्वयं भूल चुकी हैं। यही सबसे बड़ी पराजय है, और यहीं से उनकी मुक्ति की यात्रा भी शुरू होती है।

स्त्री विमर्श के केंद्र में दलित स्त्री स्त्री विमर्श में अक्सर 'सवर्ण स्त्री' की पीड़ा केंद्र में रही है, जबकि दलित स्त्री की पीड़ा एक 'बाहरी घटना' की तरह देखी जाती है। रजतरानी 'मीनू' इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहती हैं –"दलित स्त्री मात्र स्त्री होने की त्रासदी नहीं झेलती बल्कि वह लिंग भेद और जाति भेद सहते हुए तिहरे आक्रमण झेलती है।"

डॉ. अम्बेडकर और नारी चेतना: एक समावेशी सामाजिक दृष्टि

भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति और उनके अधिकारों के संदर्भ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दृष्टिकोण युगांतरकारी रहा है। वे न केवल दलित समुदाय के सशक्तिकरण के प्रतीक थे, बल्कि स्त्री समाज के उद्धार और उन्हें गरिमामयी स्थान दिलाने के लिए भी उन्होंने जीवनपर्यंत संघर्ष किया। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तब तक संभव नहीं है, जब तक वहाँ की स्त्रियाँ शिक्षित, जागरूक और समानाधिकार प्राप्त न हों। डॉ. अम्बेडकर के स्त्री विषयक विचार उनके आध्यात्मिक आदर्शों – महात्मा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले आदि से प्रभावित थे। साथ ही, उनकी अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी की यात्राओं ने उनके दृष्टिकोण को व्यापकता और तात्कालिकता प्रदान की।

डॉ. अम्बेडकर स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने अपने घर से ही इसकी शुरुआत की – अपनी अशिक्षित पत्नी रमाबाई को शिक्षित किया। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था कि "माता-पिता बच्चे को जन्म नहीं, उसका कर्म, उसका संस्कार गढ़ते हैं।" इसीलिए वे कहते हैं कि लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा मिले, तभी समाज प्रगति करेगा। उनके अनुसार शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही समाज में क्रांति लाने के तीन स्तंभ हैं – "शिक्षित बनो, संगठित होओ, संघर्ष करो।" वे स्त्रियों को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी बनाने के पक्षधर थे। उनका प्रसिद्ध कथन "शिक्षा शेरनी का दूध है" इस बात को प्रतिपादित करता है कि बिना शिक्षा के न तो व्यक्ति और न ही समाज स्वतंत्र और विवेकशील बन सकता है।

डॉ. अम्बेडकर ने धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा करते हुए स्त्रियों और दलितों के शोषण की जड़ों की पहचान की। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में स्त्री को दोयम दर्जे की नागरिक मानने की मानसिकता का उन्होंने सार्वजनिक रूप से विरोध किया। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया और इसके विरोध में जन चेतना फैलाने का कार्य किया। यही नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिन्दू कोड बिल का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों में वैधानिक अधिकार देना था। इस बिल में विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वतंत्रता, संपत्ति में समानता, तलाक का अधिकार, बहुपत्नी प्रथा का अंत और राजनीतिक अधिकार जैसे प्रावधान शामिल थे।

हालाँकि इस बिल का नेहरू मंत्रिमंडल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे प्रमुख नेताओं ने विरोध किया और यह पारित नहीं हो सका। डॉ. अम्बेडकर ने इसे स्त्रियों के अधिकारों के विरुद्ध षड्यंत्र मानते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि अम्बेडकर केवल संवैधानिक पदों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति के लिए कार्यरत थे। गैरी ओम्वेड्ट के शब्दों में, "Ambedkar was the first to envision a radical social democracy where women and Dalits are equals in nation-building." डॉ. अम्बेडकर का स्त्री विमर्श केवल हिन्दू स्त्रियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा और जोगिनी प्रथा में फँसी महिलाओं के बीच जाकर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। 1936 में बम्बई के दामोदर हॉल में ऐसी ही एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आप रूखा-सूखा ही खाइए, मगर सम्मान से जीइए। ब्राह्मणी के पेट से जन्म लेना पुण्य नहीं है, और किसी वेश्या के गर्भ से जन्म लेना पाप नहीं है।"

उनकी इस समावेशी दृष्टि से प्रेरित होकर अनेक स्त्रियाँ समाज-सुधार आंदोलनों से जुड़ीं। इनमें रमाबाई अम्बेडकर, सुराबाई मोहिते, अंजनीबाई देशभ्रांतर, सीताबाई गायकवाड़, दमयंती देशभ्रांतर, शांताबाई सरौदे, बेबी कांबले आदि स्त्रियों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन महिलाओं ने न केवल लेखन और प्रकाशन के माध्यम से जनजागरण किया बल्कि स्कूल, छात्रावास और अनाथालय जैसे सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी निभाई। उज्ज्वला मजगांवकर जैसे लेखकों ने लिखा कि "Ambedkar's feminism is grounded not merely in political theory but in lived eñperience, which makes it transformative in Indian context." अर्थात् डॉ. अम्बेडकर का स्त्रीवाद केवल सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक जीवंत सामाजिक आंदोलन था।

डॉ. अम्बेडकर का यह भी मानना था कि नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, और उसके जागरण के बिना समाज का विकास असंभव है। उन्होंने संविधान निर्माण के समय यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक को लिंग-भेद रहित समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय स्त्री को 'गहना' मानते हुए उसके आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा। बी.एस. वासुदेवन इस पर टिप्पणी करते हैं कि "Ambedkar challenged not just caste but also patriarchy deeply embedded in religious customs and scriptures." इस प्रकार, डॉ. अम्बेडकर का नारी विमर्श भारत में सामाजिक क्रांति का आधारस्तंभ बना।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर का स्त्री विषयक दृष्टिकोण केवल वैधानिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने स्त्री चेतना, आत्मगौरव और सामाजिक पुनर्गठन की एक सम्यक सोच विकसित की। उनका जीवन-दर्शन आज भी भारत की स्त्रियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है, जो समानता, शिक्षा, स्वाधीनता और सम्मान की ओर अग्रसर हो रही हैं। वे न केवल दलितों के मुक्तिदाता थे, बल्कि भारतीय नारी समाज को नई दृष्टि देने वाले युगदृष्टा भी थे।

निष्कर्षः

दलित नारी की वेदना भारतीय समाज की वह चुप सच्चाई है, जिसे देखने-सुनने से हम बार-बार कतराते हैं। वह केवल एक स्त्री नहीं, वह एक संघर्षरत चेतना है, जो अपने अस्तित्व, अपनी देह और अपनी पहचान के लिए सदियों से जूझ रही है। उसके हिस्से में न तो सवर्ण स्त्री की सामाजिक सहानुभूति है, न ही अपने समाज का नैतिक समर्थन। वह लिंगभेद की शिकार है, जातिभेद की शिकार है, वर्ग भेद की शिकार है - तीहरी पीड़ा का बोझ उसकी पीठ पर लदा है, जिसे न वह पूरी तरह उतार सकती है, न ही अनदेखा कर सकती है।

उसकी देह को भोग्या समझा गया, उसकी आत्मा को अपवित्र घोषित किया गया, और उसके श्रम को सस्ता बना दिया गया। फिर भी वह जीती है - अपने बच्चों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए। यह वेदना केवल निजी नहीं, सामाजिक और राजनीतिक भी है।

आज जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि दलित स्त्री की मौन चीत्कार को भी उसी गंभीरता से सुना जाए। वह 'अहल्या' नहीं जो पत्थर बन जाए, बल्कि वह एक 'द्रौपदी' भी है जो अपने चीरहरण पर सवाल उठाने की हिम्मत रखती है। उसका साहित्य, उसकी आत्मकथाएँ और उसका मौन - सबमें एक तीव्र प्रतिरोध की आग है, जिसे पहचानना और स्वर देना हमारी जिम्मेदारी है।

जब तक दलित स्त्री की पीड़ा को स्त्री-विमर्श और समाज-सुधार की केन्द्रीय धारा में स्थान नहीं मिलेगा, तब तक सामाजिक न्याय की कोई भी परिभाषा अधूरी रहेगी। उसके आँसू केवल सहानुभूति नहीं, हमारी सामूहिक असंवेदनशीलता का प्रमाण हैं। इसलिए आज की आवश्यकता है - न सिर्फ दलित स्त्री की पीड़ा को पहचानने की, बल्कि उसे एक सक्रिय सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार बनाने की।

दलित स्त्री की वेदना ख्र एक शरीर की नहीं, पूरे समाज की आत्मा की कसौटी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

अम्बेडकरवादी कहानी रचना और दृष्टि संपा. तेज सिंह, लोकमित्र प्रकाशन, दूसरी आवृत्ति 2012, शाहदरा, दिल्ली
अंगारा - डॉ. कुसुम मेघवाल, प्रकाशक : डॉ. कुसुम मेघवाल, प्रबंधक मूल निवासी प्रकाशन, संस्करण 2006, उदयपुर
आवाजें - मोहनदास नैमिशराय, समता प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2012, दरियागंज, नई दिल्ली
आधे पर अंत - विपिन बिहारी, अतीश प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2001, हरिनगर, दिल्ली
घुसपैठिये - ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्ण प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2003, जगतपुरी, दिल्ली
टूटता वहम - डॉ. सुशीला टाकभौरे, अनिरूद्ध बुक्स, संस्करण 2012, आजादपुर, दिल्ली
दलित कहानी - संचयन, चयन एवं संपादन रमणिका गुप्ता, साहित्य अकादमी, पुनर्मुद्रण 2009, फिरोजाशाह मार्ग, नई दिल्ली
दलित महिला कथाकारों की चर्चित कहानियाँ संपा. डॉ. कुसुम वियोगी, संगीता प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2009, शाहदरा, दिल्ली
प्रतिनिधि कहानियाँ ओमप्रकाश वाल्मीकि, किताबघर प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2013, दरियागंज, नई दिल्ली
भरोसे की बहन श्यौराज सिंह बेचौन, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2010, दिल्ली
भारतीय दलित साहित्य कथा-कोश संपादन रमणिका, गुप्ता, यश पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण 2010, चाँद मोहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली

जाति तथा क्षेत्रीय दलों की राजनीति

राज कुमार

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन, मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांशः-

भारत के क्षेत्रीय दलो की राजनीति में जाति विशेष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न जातियॉ कभी सीधे तौर पर, कभी संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय दलो के साथ मिलकर राजनीति में उलटफेर करती रहती हैं। लगभग सभी दल चुनाव में जीत के लिए टिकट बॅटवारे से लेकर वोट प्राप्त करने तक जातीय समीकरणो के अनुसार अपना गणित लगाते हैं और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। यह गठजोड़ भारतीय राजनीति के शुरूआत से होती चली आ रही है। राजनीतिक दलों के लिए जातीय समीकरण साधना उनका मूल मंत्र बन चुका है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध पत्र क्षेत्रीय दलों की राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण करता है।

परिचयः-

भारत में धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय की राजनीति एक परम्परा बन चुका है। जब से जाति और वर्ग बने तभी से एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजनीति होती रही है और इसी के चलते कुछ जातियों का वर्चस्व स्थापित हो गया और कुछ हाशिए पर चले गये। धीरे-धीरे धर्म और राजनीति के गठबंधन से भी संगठन बनने लगे। यहाँ तक कि विभिन्न राजाओं ने भी अपने फायदे के लिए समय-समय पर विभिन्न धर्म का पालन किया और आवश्यकतानुसार धर्म परिवर्तन भी किया और कराया। आजादी के बाद भारत में धर्म तथा जातिगत गठबंधन से विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ।

भारत के पहली बार जब पंडित नेहरू के अगुवाई में कार्यवाहक सरकार बनी तो ऐसे में यह प्रयास किया गया कि सरकार में सभी धर्मो का प्रतिनिधित्व रखने वाले तथा सभी विचारधाराओं को मानने वाले प्रतिनिधि इसमें शामिल हो परन्तु देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाति तथा धर्म की राजनीति की जड़े क्षेत्रीय स्तर पर जमने लगी थी। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ-साथ जाति व्यवस्था को भी समाप्त हो जाना था। कुछ ऐसे भी विद्वान थे जो जाति व्यवस्था की तत्कालीन राजनैतिक विकास और व्यवस्था में जाति को बाधक मानते थे।[1] क्षेत्रीय राजनीति को विभिन्न प्रकार के जातीय संगठन भी प्रभावित करते हैं।[2] दल चाहे वह क्षेत्रीय हो अथवा राष्ट्रीय जातिगत राजनीति से कभी परहेज नहीं करते हैं।[3]

जाति व्यवस्था का स्वरूप

जाति व्यवस्था हर समाज में विद्यमान है चाहे वह हिन्दू समाज हो, मुस्लिम समाज अथवा ईसाई समाज। यह एक पुरानी व्यवस्था है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वैदिक काल से माना जाता है जहाँ पर धार्मिक कार्य करने के लिए ब्राह्मण, सुरक्षा का कार्य क्षत्रिय, खेतीबारी का कार्य वैश्य तथा शूद्र अन्य तीन वर्गों का सेवा सत्कार करते थे। वास्तव में जाति प्रथा का आरम्भिक दौर कर्म (कार्य) पर आधारित था पर धीरे-धीरे जन्म आधारित होता चला गया। वास्तव में कर्म के आधार पर आरम्भ में जाति प्रथा उपयोगी थी परन्तु धीरे-धीरे जन्म के आधार ने इसे अभिशाप बना दिया। श्रम विभाजन हर समाज की आवश्यकता होती है और उसके विकास में सहायक सिद्ध होती है।

जाति और राजनीति का सम्बन्ध

भारत में जाति और राजनीति का हमेशा से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। चाहे क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हमेशा से ही ये जातिगत आधार पर राजनीति करते आये हैं। टिकट बॅटवारे से लेकर सत्ता के गलियारे तक जाति का प्रभाव भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विभिन्न पार्टियाँ जातिगत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए आपसी गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं और जिस क्षेत्र में जिस जाति के ज्यादा वोटर होते हैं उस क्षेत्र में उसी जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है।

प्रारम्भ में ऐसा देखा गया कि जो जातियाँ आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत थी उनका राजनीति पर वर्चस्व बना रहा और ज्यादातर राजनीतिक लाभ भी उन्हीं के झोली में जाते रहे हैं। धीरे-धीरे समय बीतता गया और मध्यम वर्गीय तथा निम्न जातियाँ भी राजनीति में रूचि लेने लगीं। अन्य जातियाँ भी अपने राजनैतिक अधिकार और लाभ से परिचित होने लगीं क्योंकि उन्हें यह आभास हो

गया कि जब तक उनकी राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तब तक वे न तो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पायेंगे और न ही वे सामाजिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी वर्ग, समाज अथवा जाति, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय व अधिकार के बिना कभी भी आगे बढ़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकता।

जाति का राजनीतिकरण

जातिवाद हमारे समाज का एक लक्षण बन चुका है क्योंकि यह व्यवस्था हमारे जाति अथवा वर्ग तथा सीमित न रहकर हमारे मन-मस्तिष्क में घर कर चुकी है कई बार तो ऐसा होता है कि तमाम प्रतिभाशाली लोग जाति विशेष के होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों का हाल तो ऐसा है कि वे भरे मंच से सम्मेलनों में जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की बातें करते हैं परन्तु वे खुद जातिगत राजनीति करने से परहेज नहीं करते हैं। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि लगभग प्रत्येक जातियों का अपना-अपना संगठन या संघ बन चुका है जो कि ज्यादातर क्षेत्रीय दलों अथवा राष्ट्रीय दलों के साथ राजनीतिक साझेदारी भी करते हैं। कई संगठन तो ऐसे होते हैं कि वे अपनी जाति के आधार पर क्षेत्रीय राजनीति भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कई ऐसे दल हैं जो जाति के आधार पर ही राजनीति करते हैं और वे इसमें सफल भी हुए हैं जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी आदि।

यह भी एक सत्य है कि जाति तथा राजनीति का सम्बन्ध स्थिर न होकर परिवर्तनशील रहता हैं।[4] आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। जाति का प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति एवं राज्य राजनीति पर प्रायः ज्यादा देखने को मिलता है।[5] सामान्यतः देखने को मिलता है कि कई क्षेत्रीय संगठन ऐसे भी होते हैं जो चुनाव से पहले किसी विशेष दल के प्रति अपना समर्थन घोषित करते हैं और कुछ जातीय संगठन ऐसे होते हैं कि वे चुनाव के समय न्यूट्रल बने रहते हैं। ये संगठन ऐसा इसलिए करते हैं कि वे अपने द्वारा समर्थित दल के सत्ता में आने के बाद निजी और राजनैतिक लाभ प्राप्त कर सकें और उनके संगठन को मजबूती भी मिल सके। वर्तमान में जातिगत जनगणना भारतीय राजनीति में एक अहम मुद्दा है।

कुछ विशेष जातियॉ भारतीय राजनीति में शुरू से ही सक्रिय रहीं और उनका वर्चस्व बना रहा। ये जातियाँ ज्यादातर क्षेत्रीय और ग्रामीण राजनीति में हावी रही हैं। प्रायः कई राज्यों में भी देखा गया है कि जहाँ जिस जाति की बहुलता होती हैं मुख्यमंत्री भी उसी जाति का होता है। अब राष्ट्रीय पार्टियाँ भी इसी फार्मूलों पर कार्य करने लगीं हैं कि चुनाव के पश्चात किसी ऐसे नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है कि वे जातीय समीकरण साधने में कामयाब रहे।

जातियों का संगठनात्मक रूप शासन और प्रशासन दोनों को प्रभावित करता है जैसे कुछ जातियाँ सम्मिलित रूप से प्रयासरत रहती हैं कि आरक्षण को और अधिक समय के लिए विस्तार दिया जाय तथा कुछ इस प्रयास में रहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाय। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा टिकट बॅटवारे के समय जातिगत आँकड़ो का भली भॉति विश्लेषण किया जाता हैं यहाँ तक कि चुनाव के समय प्रत्याशी के जातिगत समर्थन के लिए वहाँ के वोटरों को उकसाया जाता है कि वे अपनी ही जाति के प्रत्याशी को ही वोट करें। राज्यों के साथ-साथ केन्द्र के मंत्रिमण्डल में भी जातिगत प्रतिनिधित्व शुरू से चला आ रहा है। यहाँ तक कि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली भर्तियों में विभिन्न जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

''टिंकर के अनुसार-''राज्य की राजनीति जातियों की राजनीति है।''[6] राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा राज्य की राजनीति पर जातिगत प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जातिगत समीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, करेल, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु आदि। तमिलनाडु में रामास्वामी नायकर ने द्रविड़ कड़गम संगठन बनाया और आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्राहमण जैसी जातियों को उच्च स्थानों पर आसीन न होने दिया जाय। यही संगठन आगे चलकर 1916 में ''जस्टिस पार्टी'' के रूप में स्थापित हो गया और अब इसका उद्देश्य ब्राहमण को छोड़कर अन्य जातियों के हित के लिए संघर्ष करना था। 1949 में ब्राहमण विरोधी आन्दोलन सी0एन0 अन्नादुराई के अगुवाई में डी0एम0के0 के साथ शुरू हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात भी तमिलनाडु राज्य में ब्राहमण तथा निचले वर्गों के बीच काफी संघर्ष चला और इस संघर्ष में निचले वर्गों की जीत हुई।

रूडाल्फ एण्ड रूडाल्फ के अनुसार-भारतीय जाति परम्परा कृषक वर्ग में प्रतिनिधिक लोकतंत्र मे सहायक सिद्ध हुई है।[7]

भारतीय राजनीति में राजनीति और जाति व्यवस्था का गहरा सम्बन्ध है जिसका कोई निश्चित मूल्यांकन करना कठिन है। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति पृथकतावाद की ओर अग्रसर होता है ऐसी स्थिति मे राष्ट्र हित की तुलना में व्यक्तिगत अथवा जातीय हित ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है।

रजनी कोठारी ''कास्ट इन इण्डियन पालिटिक्स, में बताया है कि भारत देश की राजनीति तथा जातीय व्यवस्था के आपसी सम्बन्धों के बारे में यह उम्मीद लगाना कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्थापित होने के बाद जाति व्यवस्था कम हो जानी चाहिए, यह एक भ्रामक

और स्वप्निल विचार है।8 रजनी कोठारी जी का यह मानना है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का पूर्णत: लोप होना संभव नहीं है। अत: यह मानना सही नहीं है कि भारत देश में जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है। सत्य तो यह है कि किसी भी प्रकार से राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है तथा ये दोनों एक दूसरे को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक व्यवस्था में जातियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत देश के करीब सभी राज्यों की राजनैतिक व्यवस्था में जाति का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा आदि। मूल रूप से जाति का राजनीतिकरण सबसे पहले बिहार राज्य में शुरू हुआ। राजस्थान में जाट तथा राजपूतों के मध्य राजनीतिक संघर्ष होता रहा है। हरियाणा की राजनीतिक व्यवस्था में दलित, जाट तथा अहीर जातियों के मध्य राजनीतिक संघर्ष चलता रहा है।

वहीं गुजरात में अनाबिल तथा पाटीदार के मध्य राजनीतिक संघर्ष दिखाई पड़ता है तथा आन्ध्रप्रदेश में रेड्डी तथा कम्पा जातियों के मध्य राजनीतिक संघर्ष दिखाई पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में दलित जातियों तथा ब्राह्मणों के मध्य राजनीतिक संघर्ष दिखाई पड़ता है।

भारत देश में कई राजनीतिक दलों का निर्माण ही जाति के आधार पर हुआ है। स्वतंत्रता से पहले चेन्नई में जस्टिस पार्टी तथा मुम्बई में इण्डिपेन्डेन्ट पार्टी की स्थापना मे जाति की भूमिका प्रमुख रही। स्वतंत्रता के पश्चात सन् 1951 में तमिलनाडु टायलर्स पार्टी का जाति के आधार पर ही गठन हुआ। जनता पार्टी जिसकी स्थपना राजा रामगढ़ के द्वारा की गई थी इसका भी मुख्य आधार जाति ही था। भारत के दलित वर्ग का जाति आधारित संगठन रिपब्लिकन दल था। इसी तरह राजस्थान में जाट सभा तथा राजपूत सभा का गठन भी जाति के आधार पर ही हुआ था। भारत देश के लगभग सभी नेता और राजनैतिक संगठन जाति व्यवस्था का विरोध करते दिखते हैं परन्तु वास्तविकता में ये सारे संगठन और नेता जातिगत राजनीति करते ही दिखते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन् पूरे देश की राजनीति पर जातीय व्यवस्था का गहरा प्रभाव है। जातियों में भी आपस में खींचतान रहती है जिसे शासन तथा प्रशासन दोनों प्रभावित रहता है। ग्रेनविल आस्टिल के शब्दों में, ''स्थानीय तथा राज्यस्तरीय राजनीति में जातीय संगठन तथा समुदाय निर्णय की प्रक्रिया में उसी प्रकार प्रभाव डालते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों के दबावगुट वहॉ पर प्रभाव डालते हैं।''

जाति व्यवस्था का एक पक्ष है लौकिक पक्ष जिसके अन्तर्गत जाति व्यवस्था के विशेष तथ्यों पर सबका ध्यान केन्द्रित रहता है जैसे विवाह जाति के अन्दर ही हो, जातिगत रीति रिवाज स्थाई तौर पर बना रहे परन्तु इसके विपरीत प्रत्येक जातियों में आपसी प्रतिद्वन्दिता पायी जाती है और वे अपने मान सम्मान अथवा पद तथा प्रतिष्ठा के लिए संघर्षरत रहते है। जातियों के अन्दर भी लोगों द्वारा अपनी विशेष प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास किया जाता है तथा अन्दर ही अन्दर गुटबन्दी भी चलती रहती है। व्यवसाय, स्थान तथा धर्म के आधार पर भी जातियों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है।

जाति व्यवस्था का दूसरा पक्ष है एकीकरण जिसके अन्तर्गत व्यक्ति का समाज के साथ सम्बन्ध से है। प्रत्येक व्यक्ति का उसके जन्म के साथ ही जाति के आधार पर समाज में उसका स्थान लगभग तय ही रहता है। इससे उस व्यक्ति को उसके समाज से एक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तथा अपने बिरादरी अथवा समाज के प्रति उसकी निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। किसी भी जनतन्त्र के भीतर विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा रहती है। जिसके फलस्वरूप विभिन्न गुट आपस में मिलते हैं और साथ कार्य भी करते हैं। अनेकता में एकता भारत देश के लोगों के लिए एक मूल मंत्र है जो कि भारत के लोकतांत्रिक धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।

जाति व्यवस्था का तीसरा पक्ष है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति में चेतना का बोध अथवा प्रसार होता है। किसी भी व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके जाति की स्थिति में भी बदलाव दिखाई पड़ता है। कोई भी जाति एक तरफ किसी वर्ण से संलग्न रहती है तो दूसरी तरफ उसका कुछ व्यवसाय, श्रेणी और रीति-रिवाज होता है। सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न जाति वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के कार्य अथवा व्यवसाय से संलग्न रहते हैं और समय परिस्थिति के कारण उनके व्यवसाय और कार्यों में भी परिवर्तन होता रहता है इसलिए इसमें भी परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ती है।

जाति और राजनीति में अन्त:क्रिया होती रहती है इसके अन्तर्गत जातियों में आपसी शक्ति तथा प्रभाव डालने का प्रयास जारी रहता है। प्रारम्भ में शिक्षा अधिकांशत: उच्च जातियों की पहुँच तक ही सीमित रहीं जिसका तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्गों ने लाभ उठाया। तत्पश्चात शिक्षा और उससे प्राप्त होने वाली पद प्रतिष्ठा का लाभ भी सिर्फ ऊँची जातियों को ही मिला। फिर अन्य ऊँची जातियां जो शिक्षा , पद और प्रतिष्ठा के लाभ से वंचित रह गयी उनके मन में द्वेष भावना उत्पन्न हुई और वे लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संगठनों का सहारा लेने लगे। इस प्रकार दो ऊँची ही जातियों में द्वंद आरम्भ हो गया। इस प्रकार की प्रक्रिया में ज्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई जाति श्रेष्ठ हो जाती है तो दूसरी जाति के लोग उसके खिलाफ होने लगते हैं, इसके दूसरे चरण में लाभ, पद तथा प्रतिष्ठा पाने वालों की संख्या और अधिक हो जाती है साथ ही साथ अलग-अलग जातियों की भी स्पर्धा शुरू हो जाती है। नेताओं के साथ-साथ अलग-अलग गुटबंदी होने लगती है जिसमें अलग-अलग जातियों के लोग भी शामिल रहते है। ये गुट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अन्य जाति के लोगों को भी अपने गुट में शामिल करते हैं। इस प्रकार जातीय व्यवस्था में और अधिक जटिलता आ जाती है। ऐसे गुट या संगठन समय-समय पर संगठन में जुड़े व्यक्तियों अथवा परिवारों की आर्थिक अथवा सामाजिक सहायता भी करते रहते

हैं। कभी-कभी कई जातियां सीधे राजनीति में शामिल हो जाती हैं और दूसरी जाति के लोगों को भी अपने साथ ले लेती हैं। जब नये राजनीतिक संगठनों की स्थापना होती है तो जातिगत गुटबन्दी का भी एक नया रूप दिखाई देता है और तत्कालीन समय और स्थान पर नई प्रतिद्वन्दिता देखने को मिलती है। ऊँची जातियों के प्रभाव को फलस्वरूप कुछ नेताओं ने अपना दल मजबूत करने के लिए निम्न जाति के लोगों को भी अपने साथ में किया। इससे निम्न जाति के लोगों को भी लाभ प्राप्त हुआ।

इसके तृतीय चरण में राजनीतिक मूल्यों की वृद्धि हुई और जाति व्यवस्था कमजोर हुआ तथा शहरीकरण तथा शिक्षा व्यवस्था के प्रसार से सामाजिक परिवर्तन हुआ। जाति व्यवस्था कमजोर होने के कारण राजनीति में सभी जातियों का आगमन हुआ। नई शिक्षा के साथ-साथ समाज के व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहा जिससे समाज को एक-एक नई दिशा मिली। आधुनिकता का प्रसार हुआ। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के ढाँचों में भी बदलाव हुआ। वर्तमान में जाति का राजनीति में व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। रजनी कोठारी के शब्दों में, ''राजनीति में जातिवाद और जाति का राजनीतिकरण दोनों प्रवृत्तियाँ एक साथ दिखाई पड़ती है।''[9]

लोकतांत्रिक राजनीति में जाति संगठन को बल प्रदान करती है। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार के रूप में विद्यमान हो चुका है। जाति व्यवस्था वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावशाली दिखाई पड़ती है। चुनाव में नामाकंन से लेकर मतदान तक सभी कार्यों पर जातिवाद का प्रभाव रहता है। जाति विशेष के उम्मीदवार को उसी जाति के बहुलता वाले क्षेत्र को टिकट देकर चुनाव में उतारा जाता है। प्रत्याशियों द्वारा जातिगत भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है इस प्रकार चुनाव में ज्यादातर जातिगत गुटबन्दी देखने को मिलती है।

निष्कर्षः-

जाति व्यवस्था का भारतीय राजनीति पर नकारात्मक अथवा सकारात्मक जो भी प्रभाव पड़े पर यह स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण कारक बन चुका है। यद्यपि जातिगत व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। परम्परावादी जाति की व्यवस्था किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास में बाधक हैं तथा यह राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए भी अच्छा नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थः-

1. रजनी कोठारीः कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स
2. रजनी कोठारीः पॉलिटिक्स इन इण्डिया
3. "With the new context of Political democracy caste remains a central elements of India"-Rudolphs
4. J.C. Johari, Reflection on Indian Politics (New Delhi 1974)
5. "Caste plays a major role in state and local politics but it is marginal at the all India level"-M.k~ Brecher: Sucesson in India.
6. "....state politics will be caste politics throughout most of India for many years of come"-Tinker
7. लायड आई0 रूडाल्फ एण्ड एस0 हावर रूडाल्फ, दि मडर्निटी ऑफ ट्रेडीशन (लोरियण्ट लाग मैन 1969)
8. रजनी कोठारीः कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स
9. रजनी कोठारीः कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स

व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन

राहुल कुमार यादव

शोध छात्र, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)

डॉ० योगेश कुमार

शोध निर्देशक, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)

संक्षिप्त सारांश- शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंगों- अध्यापक, छात्र व पाठ्यक्रम में अध्यापक का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक काल में अध्यापन कार्य एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता था। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में सभी आदर्श अध्यापक के चारों ओर केन्द्रित रहते थे। इस समय का अध्यापक वैदिक रूझान व श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त, अपने विषय में निपुणता प्राप्त, अध्यापन के प्रति समर्पित, सद्आचरण करने वाला, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला तथा सर्वोच्च सत्ता के ज्ञान के प्रति लालायित रहता था। मध्यकाल में अध्यापक प्रशिक्षण उपेक्षित रहा। इस काल में मौलवी अध्यापन कार्य करते थे। चौदहवीं शताब्दी में कक्षा नायकीय प्रणाली अधिक प्रचलित थी। ब्रिटिश काल में अध्यापन एक वृत्ति के रूप में विकसित होने लगा था।

मुख्य शब्दः- सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति, शैक्षिक आकांक्षा, स्वनिर्मित मापनी, अभिवृळिा, मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि, CR मूल्य इत्यादि।

प्रस्तावनाः- भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश होने के साथ ही वर्तमान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का भी एक सशक्त देश है। यहाँ की भौगोलिक संरचना ही इसकी विभिन्न विविधताओं का मूल कारक है, यह भौगोलिक संरचना ही है, जिसके परिणामस्वरुप इस देश के नागरिकों की जीवन शैली तथा सांस्कृतिक व सामाजिक स्वरुप भी अलग-अलग हैं। कहीं पर समतल मैदानी क्षेत्र, तो कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र हैं। जिसके कारण मानव अपने-अपने तरीके से जीवनयापन के अनुरुप विकल्पों का चयन करता है। मानव समुदाय, परिवेश के अनुरुप सर्वोत्कृष्ट विकल्पों का उपयोग करता है और उन्हीं विकल्पों के परिवर्धन हेतु तत्पर रहता है। मानव समुदाय परिवेश के विकल्पों का उचित उपयोग करता हुआ, अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह परिवेश में उपलब्ध संगत साधनों का बेहतर उपयोग करता है और अपनी अगली संतति के लिए उसके सदुपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल मानव के जीवन स्तर में सुधार के रूप में मिलता है। मानव जीवन, इन्ही संगत साधनों के आधार पर ही अपनी उत्कृष्टता पर पहुँचता है। मानव जीवन के लिए इन संगत साधनों की प्रचुरता व अल्पता ही विभाजक का कार्य करती है और इस प्रकार मानव जीवन, ग्रामीण, शहरी, आदिवासीय आदि रुप ग्रहण करता है।

अध्ययन की पृष्ठभूमिः- स्नातक स्तर पर किशोर युवक-युवतियाँ आती हैं, जिनमें अपार ऊर्जा का स्तर होता है और उनमें कुछ कर गुजरने की स्थिति होती है। साथ ही अपने जीवन का आकार धारण करते हैं, आकांक्षायें बढ़ती हैं, समायोजन करने का दायरा बढ़ता है। इसके सामाजीकरण की भूमिका में नेतृत्व का गुण विकसित होने लगता है। नेतृत्व का गुण इस प्रकार का होता है, जो कि कक्षा से पोषित होकर समाज तक आता है और राष्ट्र की सेवा को तत्पर हो जाता है और स्नातक स्तर पर विद्यार्थी छात्र संघ से परिचित होता है तथा उसमें संघ की भावना का विकास होता है। जहाँ एक टीम की भावना पोषित होती है और अच्छे से अच्छे भारतीय मूल्यों की प्राप्ति करने में सहायक होते है। स्नातक स्तर पर शिक्षा, विद्यार्थियों को उपकरण व कनेक्शन देती है; जिससे वे अपने समाज व राष्ट्र का संरक्षरण करते हैं। जिससे राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर हमारी समझ बढ़ती है। अब तो नयी शिक्षा नीति 2020 में स्नातक शिक्षा का पाठ्यक्रम तीन व चार वर्षीय दो प्रकार का संचालित हो रहा है।

तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में भी अलग-अलग वर्षो के पूर्ण होने पर क्रमशः सर्टीफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री प्रदान करने का प्राविधान है और चार वर्षीय पाठ्यक्रमों में अन्तिम वर्ष आनर्स की डिग्री, जो शोधपरक होगी, जिससे विद्यार्थी सीधे शोध की ओर उन्मुख होता है। अर्थात् हमारी नयी शिक्षा नीति 2020 यह चाहती है कि भारतीय स्नातक हों, तो पूर्ण कौशल से सम्पन्न हो। जिससे स्किल्ड इंडिया व न्यू इंडिया का कान्सेप्ट पूर्ण हो सके और हमारा देश विकासशील से विकसित में परिवर्तित हो जाये।

अध्ययन का औचित्यः- शिक्षा नीति 1968 में माध्यमिक शिक्षा की संरचना को महत्वपूर्ण बताते हुये उच्च शिक्षा को पूरी तरह से प्रभावित करने पर जोर दिया गया। जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से मजबूत हो सके तथा राष्ट्र का निर्माण हो। छात्र विज्ञान, तकनीकी व कौशल के क्षेत्र में पूर्ण अग्रसर हो और आगे विकास करता हुआ भविष्य में अच्छा वैज्ञानिक, साहित्यकार व शिल्पी व चिकित्सक तैयार हो, ताकि राष्ट्र विकसित हो सके। उस समय चिन्ता का विषय था कि देश गुलामी के बाद प्रथम शिक्षा नीति में शैक्षिक संस्थानों की वृद्धि के साथ-साथ संसाधनों में वृद्धि करने का लक्ष्य था और साथ ही गुणात्मक शिक्षा की महत्वपूर्ण संकल्पना रखी गयी। जिसमें लक्ष्य रखा गया कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

नयी शिक्षा नीति 1986 में भी यह बात स्पष्ट की गयी कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन रोकने के लिये प्राथमिक स्तर को मजबूत किया जाये, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल सके और शिक्षा-शिक्षण के रुप को अंगीकार किया जा सके। छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ उन्मुख किया जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर पर सुविधायें मुहैया कराते हुये उच्च शिक्षा पर अधिक से अधिक अधिकार दिया जाये ताकि सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास को एक उचित प्रारुप दिया जा सके। कार्य योजना (1992) में 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करते हुये भी विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास की बात कही गयी। साथ ही आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने वंचित वर्गों की शिक्षा व शैक्षिक उत्थान पर जोर दिया है और कहा कि विद्यार्थियों में शैक्षिक आकांक्षा की वृद्धि अति आवश्यक है और उनमें शिक्षा के प्रति ललक होनी भी चाहिये। नयी शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा में नियोजित प्रयास करने की बात कही गयी है जिससे भावी भारत मजबूत हो सके और साथ ही उनके सशक्त विकास का रास्ता विकसित हो सके।

इस प्रकार समय-समय पर समितियों, आयोगों तथा शिक्षा नीतियों में यह चिन्ता का विषय रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी अपनी भूमिका को समझ सके कि उसका समाज के लिये क्या महत्व है और उसे भविष्य में क्या योगदान करना है। इसके लिये उसमें सामाजिक बुद्धि का विकास करना है, साथ ही शैक्षिक आकांक्षा में विकास होना चाहिये; जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि का सीधा सम्बन्ध होता है और उसका विकास सभी रूप में परिपूर्णता को प्राप्त कर सके।

साहित्यावलोकनः- किसी शोध का मुख्य आधार उसका साहित्य होता है जो उसे उचित निर्देशन देते हुए शोध को एक नया आयाम अनुसंधानकर्त्ता को प्रदान करता है। शोध के क्षेत्र में हो रहे नये तथा प्रभावशाली अन्य शोधों की जानकारी प्रस्तुत अध्ययन को एक सृजनात्मक रुप देती है तथा अनुसंधानकर्त्ता को नकल तथा पुनः दोहराव से बचाती है। सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से होता है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षणः-

शोधकर्त्ता ने छात्रों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु अनेक शैक्षिक साहित्यों जैसे-सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिसर्च, समसामायिक पत्र-पत्रिकाएं, शोध प्रबन्धों, लघुशोध प्रबन्धों, समस्या से सम्बन्धित पुस्तकों, जर्नल, ज्ञानकोष आदि का विस्तृत अध्ययन किया जिनमें भारतीय शिक्षाशस्त्रियों एवं शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गये प्रमुख अध्ययन इस प्रकार हैं-

अरविंद कोरला (2020) "यह अध्ययन मानवीय चेतना के एक सिद्धाँत को तैयार करने का प्रयास है, जिसका उपयोग प्रयोगों और साथ ही चेतना के कम्प्यूटर सिमुलेशन को चलाने के लिये किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि मनुष्य सोचते हैं, जबकि लाठी और पत्थर नहीं और यह कि जानवर कहीं न कहीं इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे प्राइमेट हैं या चीटियां। जहाँ चेतना शुरु होती है, उसकी सीमा निर्धारित करना निश्चित रूप से मुश्किल होती है और हमारी चेतना की परिभाषा पर निर्भर करती है; जितना कि उस चेतना की मापने की हमारी क्षमता पर। यह चर्चा शुरु करने के लिये एक अच्छी जगह मानव दृश्य चेतना है सबसे पहले क्योंकि यह बहुत विकसित है और हमारे लिये बहुत ज्वलंत है। साथ ही यह भी क्योंकि हम इसे स्पर्श या स्वाद के साथ की तुलना में अधिक आसानी से प्रयोग कर सकते हैं।''

सम्पादकीय क्रिसलय एजूकेयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, मार्च (2021) "सामाजिक जागरुकता बच्चे की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक छात्र को अन्य लोगों के परिप्रेक्ष्य पर विचार करने और उनकी आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाता है। सामाजिक जागरुकता विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ बातचीत करके उनके सामाजिक कौशल को बेहतर बनाने का मौका देती है। जो छात्र सामाजिक रुप से जागरुक हैं, वे उपलब्ध संसाधनों को पहचान सकते हैं और उनका उपयोग समाज की जरुरतों को पूरा करने के लिये कर सकते हैं। यह कक्षा में उनके व्यवहार को भी दर्शाता है। साथ ही यह एक ऐसा वातावरण बनाता है, जो सीखने के लिये एक आदर्श है। यह संचार, सहयोग, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिकता के कौशल को सिखाता है, जो उनके पेशेवर जीवन में सहायक होता हैं। सामाजिक जागरूकता छात्र के व्यवहार करने के तरीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शिक्षाविदों में उनके प्रदर्शन को भी

प्रभावित करता हैं। सामाजिक रुप से जागरुक छात्र स्कूल में अन्य छात्रों के साथ आकर्षक और अधिक संवाद करने के लिये खुले होते हैं। अधिक सामाजिक रुप से जागरुक रहने पर छात्र, अन्य छात्रों के दृष्टिकोणों को समझ लेते हैं और उनके आस-पास के वातावरण के आदी हो सकते हैं। यह कक्षा में परीक्षण करने वाले व्यवहार को कम करने और अनुकूल वातावरण बनाये रखने में मदद करते हैं। अच्छे सामाजिक जागरुकता कौशल वाले छात्र आसानी से अन्य लोगों के साथ सकारात्मक बातचीत में शामिल हो सकते हैं, उनके नकारात्मक व्यवहारों में कमी आती है।''

पीटर उल्लास (2021) "इस अध्ययन में ऐजेंसी की भावना, आत्मविश्वास की रेटिंग के अलावा योज्य प्रभावों का निरीक्षण करने के लिये एक सूचना सैद्धांतिक दृष्टिकोण का भी अध्ययन किया गया और परिणाम सकारात्मक पाये गये।''

फनडिजि (2021) "चेतना एक लम्बा इतिहास है जो दार्शनिक जाँच का विषय है लेकिन वैज्ञानिक जाँच की एक वस्तु के रुप में इसकी स्थिति तुलनात्मक रुप से इसका हालिया विकास है। चेतना, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये पारम्परिक दृष्टिकोणों को हटा देती है। क्योंकि यह सीधे माप के तृतीयक अवलोकन विधियों या उद्देश्य प्रणालियों तक पहुँच योग्य नहीं है। शोधकर्ळा विभिन्न तरीकों से इन चुनौतियों का सामना करते हैं। वैज्ञानिकों के लिये चेतना के माध्यम से सोचने में मदद करने के लिये दर्शन की अपील करना आम है। दार्शनिक प्रश्न वैज्ञानिक अध्ययन को प्रेरित कर सकते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों के लिये सैद्धांतिक नींव प्रदान कर सकते हैं और अंतर्विषयक अनुसंधान सहित, अंत:विषय; सहयोग दार्शनिकों में बढ़ती रुचि के साथ, कैसे ठीक से रुचि विकसित की है, वे चेतना के अध्ययन के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने वैचारिक व सैद्धांतिक योगदान को प्रभावी ढंग से एकीकृत कर सकते हैं। इस शोध विषय के साथ हम चेतना अनुसंधान में दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के एकीकरण को मंच प्रदान करते हैं। चेतना के दार्शनिक सिद्धांत,वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये परीक्षण योग्य परिकल्पना उत्पन्न कर सकते हैं। हमें इन परिकल्पनाओं को तैयार करने और उन अध्ययनों को डिजाइन करने के बारे में कैसे जाना जा सकता है, उनकी परख कैसे होगी।''

शैक्षिक आकांक्षा से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण:-

देवनाथ मनिका (2020) ''यह अध्ययन यह जानने के लिये किया गया था कि माध्यमिक स्तर पर छात्र व छात्राओं की शैक्षिक आकाँक्षा स्तर का अध्ययन करना था। परिणाम से स्पष्ट हुआ कि शैक्षिक आकाँक्षा स्तर पर छात्र व छात्राओं के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। जब यही अध्ययन क्षेत्र, को आधार मानकर किया गया; तब यह पाया गया कि ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक आकाँक्षा के मध्य सार्थक अन्तर नही है।''

जोशी आर. (2020) ''यह अध्ययन माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा व सामाजिक बुद्धि के अध्ययन पर आधारित है। इसका नमूना 200 छात्रों का है, जिसका निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शैक्षिक आकाँक्षा व सामाजिक बुद्धि में सार्थक सहसम्बन्ध होता है परन्तु लिंगों के मध्य सार्थक अन्तर भी होता है।''

चौधरी मोना (2021) ''अध्ययन का उद्देश्य भारत के दिल्ली और एन.सी.आर. में स्नातक प्रबन्धन के 547 संस्थानों की कैरियर आकाँक्षाओं का पता लगाना था ताकि भविष्य की कैरियर विकास गतिविधियों को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। पहले चरण में कैरियर की आकांक्षा स्तर और क्षेत्र पर लिंग व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन किया गया। जबकि दूसरे चरण में युवाओं की कैरियर आकाँक्षाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया गया। तीसरे चरण में उद्यमिता की ओर छात्रों की फोकस की मात्रा का कैरियर आकाँक्षा की तरफ अध्ययन किया गया। अन्तिम चरण में कैरियर की आकांक्षाओं के स्तर और छात्रों के शैक्षिणिक प्रदर्शन के बीच सम्बन्ध का अध्ययन किया गया। अध्ययन चरों के बीच सम्बन्धों को समझने के लिये सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष बताते हैं कि छात्रों में उच्च कैरियर की महत्वाकांक्षायें हैं लेकिन वे उचित स्तर पर नहीं है अपेक्षाकृत कम एकेडमिक प्रदर्शन भी दिखाया है। नीति निर्माता देश के युवाओं और उनकी आकाँक्षाओं के लिये अनुकूल वातावरण बनाने के लिये नीतियाँ विकसित कर सकते हैं।''

बोरा भार्गव प्रतिम (2021) ''शैक्षिक आकाँक्षा छात्र जीवन का एक अभिन्न अंग है, यह हमेशा छात्रों के शैक्षणिक जीवन के भविष्य से जुड़ा होता है। शैक्षिक आकाँक्षा का अर्थ है, औपचारिक स्कूली शिक्षा का स्तर जिसे कोई पूरा करना चाहेगा। शैक्षिक आकाँक्षा भविष्य के प्रदर्शन के लिये उसकी क्षमता का अनुमान है। यह अध्ययन असम के बरपेटा जिले के चार क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों पर किया गया था। 463 छात्रों का प्रतिदर्श चुना गया। शैक्षिक आकाँक्षा मापी गयी जो क्षेत्रगत् समान पायी गयी परन्तु लिंग के आधार पर सार्थक अन्तर रखती है।''

अध्ययन का उद्देश्य:- प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्ता द्वारा अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि. ''व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।''

शोध अध्ययन की परिकल्पना:- उद्देश्य की पूर्ति हेतु शून्य परिकल्पना निर्मित की गई थी कि ''व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।''

अध्ययन के प्रकार:- प्रस्तुत अध्ययन विवरणात्मक प्रकार का अनुसंधान था क्योंकि सारे चरों का विवरण, वर्तमान के सम्बन्ध में देखा गया था। बेस्ट के शब्दों में, ''विवरणात्मक अनुसंधान वर्तमान स्थिति की व्याख्या तथा विवेचना प्रस्तुत करता है। इसका सम्बन्ध उन स्थितियों तथा सम्बन्धों से है, जिनका अस्तित्व वर्तमान में है, अथवा उन व्यवहारों से है, जो कि प्रचलित हैं, व उन दृष्टिकोणों अथवा अभिवृळियों से है, जिनका प्रचलन है, व ऐसे प्रक्रमों से है, जो कि सक्रिय हैं, तथा उन प्रभावों से है, जिन्हें अनुभव किया जा रहा है, अथवा उपनीतियों से है, जो कि विकासशील हैं।

स्पष्टत: ऐसे अनुसंधान का स्वरुप अत्यधिक व्यापक, विस्तृत तथा विषम होता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अध्ययन-जैसे सर्वेक्षण, विकासात्मक अध्ययन, व्यक्तिवृत अध्ययन, अन्तर्वस्तु अध्ययन, जनमत अध्ययन, सहसम्बन्ध अध्ययन व उन्नति अध्ययन आदि सम्मिलित रहते हैं। इन विभिन्न तथा विविध अध्ययनों को एक ही प्रकार के अनुसंधान के अन्तर्गत सम्मिलित करना, निश्चितत: सुविधाजनक तथा वैधानिक है।

अध्ययन विधि:- प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि प्रयोग की गयी थी, जिसमें शोध उपकरणों को प्रशासित करते हुये आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। जिसमें वर्तमान से सम्बन्धित घटनाओं का विश्लेषणात्मक विवरण होता है। सर्वेक्षण विधि के तहत आंकड़ों का संकलन करते हुए निरीक्षण किया जाता है। जिसमें आंकड़ों की सहायता से वर्तमान घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। सर्वेक्षण का इंग्लिश रूपान्तर "Survey" दो शब्दों Sur+vey से मिलकर बना है। मूल रुप से, Sur (Sor) तथा अमल (veeir) पर आधारित है, जबकि Sor का अर्थ over तथा veeir का अर्थ to look होता है। इस प्रकार Survey का सम्मिलित मूल अर्थ ऊपर से देखना, अवलोकन अथवा अन्वेषण होता है। शब्द कोष के अनुसार भी सर्वेक्षण का अर्थ प्राय: सरकारी आलोचनात्मक निरीक्षण होता है, जिसका उद्देश्य एक क्षेत्र की किसी एक स्थिति अथवा उसके प्रचलन के सम्बन्ध में यथार्थ सूचना प्रदान करना होता है, जैसे स्कूलों का सर्वेक्षण।

समष्टि:- प्रस्तुत अध्ययन की समष्टि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र थे जो जौनपुर जनपद के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् थे और सभी महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध थे। समष्टि का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित किसी अध्ययन की वह सम्पूर्ण ईकाई समष्टि कहलाती है, जिस पर शोध कार्य आधारित होता है।

प्रतिदर्श:- प्रस्तुत अध्ययन का न्यादर्श कुल 400 छात्रों का है। किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा प्रतिदर्श या नमूना है। यह माना जाता है कि प्रतिदर्श के सांख्यिकीय गुण पूरी राशि के सांख्यिकीय गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

न्यादर्श:- शोधकर्त्ता द्वारा समय और धन की अल्पता के कारण आगमनात्मक प्रविधि अपनाते हुए, समष्टि से एक छोटा समूह अध्ययन हेतु चयनित किया जाता है; जिसे न्यादर्श कहते है। न्यादर्श पूरी समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत अध्ययन में जौनपुर जनपद के यादृच्छिक न्यादर्श प्रविधि द्वारा कुल चार सौ व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का चयन किया गया था, जिनके वितरण का आधार लिंग व शहरी-ग्रामीण था। अनुसंधान में प्राय: प्रचलित विधि का प्रयोग सम्भव नहीं होता, क्योंकि इस विधि के द्वारा अध्ययन धन, समय व सुविधा के दृष्टिकोण से सापेक्षत: अत्यधिक व्ययसाध्य एवं जटिल होता है। इसके विपरीत, व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अप्राचलिक विधि द्वारा अध्ययन, पर्याप्त मात्रा में सुगम, सरल, अल्प-व्ययी तथा शुद्ध रहता है। अप्राचलिक विधि के अध्ययन का आधार प्रतिदर्श होता है।

प्रतिदर्श एक समष्टि का वह अंश होता है, जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिलम्ब रहता है। पी0 वी0 यंग के शब्दों में "एक प्रतिदर्श अपने समस्त समूह का एक लघु-चित्र होता है।''

यदि समष्टि का स्वरुप सजातीय रहता है, तब प्रतिदर्श के चयन में विशेष कठिनाई नहीं होती, परन्तु जब समष्टि का स्वरुप विषम जातीय रहता है; तब प्रतिदर्श की इकाईयों के चयन के लिए प्रतिचयन प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ता है।

तालिका-1 न्यादर्श विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय	छात्र	छात्रायें	योग
1.	टी0 डी0 पी0 जी0 कॉलेज, जौनपुर	50	50	100
2.	राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ, जौनपुर	50	50	100
3.	श्री गणेश राय पी0जी0 कॉलेज डोभी, जौनपुर	50	50	100
4.	मोहम्मद हसन पी0 जी0 कॉलेज, जौनपुर	50	50	100
कुल योग-400		**200**	**200**	**400**

तालिका-2 क्षेत्र के आधार पर न्यादर्श विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय	भाहरी	ग्रामीण	योग
1.	टी0 डी0 पी0 जी0 कॉलेज, जौनपुर	50	50	100
2.	राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ, जौनपुर	50	50	100
3.	श्री गणेश राय पी0जी0 कॉलेज डोभी, जौनपुर	50	50	100
4.	मोहम्मद हसन पी0 जी0 कॉलेज, जौनपुर	50	50	100
कुल योग–400		**200**	**200**	**400**

शोध उपकरण:-

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के संकलन हेतु शोध उपकरणों का निर्माण स्वयं शोधकर्त्ता द्वारा शोध निर्देशक के निर्देशन में किया गया। इनके विवरण अधोलिखित है।

सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृळि मापनी:-

सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृळि मापनी के निर्माण हेतु कुल 52 कथन चयनित किये गये थे जिन्हें पद विश्लेषण के आधार पर "t" मूल्य सार्थक पाये जाने पर अन्तिम रुप में 40 कथन चयनित हुए। इस कथन में कुल नकारात्मक कथन (18) क्रम संख्या ;3 ,4 ,5 ,8 ,9 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,21 ,22 ,26 ,29 ,32 ,39) तथा कुल सकारात्मक कथन (22) थे, क्रम संख्या (1 ,2 ,6 ,7 ,10 ,11 ,14 ,18 ,23 ,24 ,25 ,27 ,28 ,30 ,31 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,40) सकारात्मक कथनों पर सहमत पर 02 अंक, अनिश्चित पर 01 अंक तथा असहमत पर 00 अंक प्रदान करना था। जबकि नकारात्मक कथनों पर ठीक इसके विपरीत असहमत पर 02 अंक, अनिश्चित पर 01 अंक तथा सहमत पर 00 अंक प्रदान करना था। अर्ध-विच्छेदन विधि द्वारा विश्वसनीयता गुणांक 0.69 और विशेषज्ञों की मदद से वैधता गुणांक 0.75 पायी गयी। परिणामों की व्याख्या हेतु मानक प्राप्तांर्क प्राप्तांक रखा गया। मापनी पर अधिकतम प्राप्तांक 80 तथा न्यूनतम् 00 होंगे।

तालिका-3: सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति मापनी का विवरण

विवरण	प्रकृति व संख्या
कथन	40
नकारात्मक	3,4,5,8,9,12,13,15,16,17,19,20,21,22,26,29,32,39.
सकारात्मक	1,2,6,7,10,11,14,18,23,24,25,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40
प्रतिक्रिया	सहमत, अनिश्चित, असहमत.
प्राप्तांक	सकारात्मक के लिये– सहमत (02), अनिश्चित (01) तथा असहमत (00) नकारात्मक के लिये– असहमत (02) अनिश्चित (01) सहमत (00)
विश्वसनीयता गुणांक	0.69
वैधता गुणांक	0.75
मानक	Z प्राप्तांक (43.49–68.33) = औसत 43.49 से कम पर = न्यूनतम 68.33 से अधिक पर = अधिकतम

शैक्षिक आकांक्षा मापनी:-

शोधकर्त्ता ने कुल 100 कथन तैयार किये जिनको 370 विद्यार्थियों पर स्नातक स्तर के लिये प्रशासित किये और विश्लेषणोपरान्त कुल 60 कथन चयनित हुये क्योंकि उच्च व निम्न समूह के प्राप्तांकों के मध्यमानों की सार्थकता .05 पर 1.96 से अधिक पायी गयी। इनके मूल्यांकन हेतु अंक सहमत पर 02, अनिश्चित पर 01 तथा असहमत पर 00 अंक था। इनकी विश्वसनीयता गुणांक अद्धविच्छेद विधि द्वारा 0.72 तथा विशेषज्ञों की सहायता से वैधता गुणांक 0.84 प्राप्त हुआ। मानक का विकास प्रतिशत किया गया। जिसका विवरण सारणी से स्पष्ट होता है।

तालिका-4 मानक तालिका

भौक्षिक आकाँक्षा स्तर के अंक	वर्ग
80–100	अति उच्च
60–80	उच्च
40–60	सामान्य
20–40	निम्न
00–20	अतिनिम्न

प्रयुक्त साँख्यिकी तकनीकी:-

प्रस्तुत अध्ययन में CR मूल्य 2 x 2 प्रसरण विश्लेषण सारणी तथा प्रोडक्ट मूमेन्ट सहसम्बन्ध गुणांक का प्रयोग आंकड़ों के विश्लेषण हेतु किया गया।

उद्देश्य से सम्बन्धित विश्लेषण तथा व्याख्या:-

प्रस्तुत अध्ययन का षट्म उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि ''व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।'' इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शून्य परिकल्पना परीक्षण के लिये बनायी गयी थी ''व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।'' इसके परीक्षण हेतु निम्नलिखित विश्लेषण तालिका 4.1 निर्मित की गयी थी।

तालिका-4.1: व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सम्बन्ध दर्शाती तालिका।

विवरण	संख्या N	सहसम्बन्ध गुणांक (r)	स्वतंत्रांत्त df	सार्थकता स्तर	सारणी मान t	परिकलित मान t	परिणाम
व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति	200	0.17	199	0.05	1.98	2.43	H_0 स्वीकृत नहीं
व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा	200						

उपरोक्त तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0.17 प्राप्त हुआ है। यह धनात्मक सहसम्बन्ध गुणांक, दोनों चरों ;सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षाद्ध के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध प्रदर्शित कर रहा है, किन्तु यह सम्बन्ध सार्थक है अथवा नहीं, यह

जानने के लिए शोधकर्त्ता द्वारा t परीक्षण (सहसम्बन्ध गुणांक से सम्बन्धित) का प्रयोग किया गया है। जिसका परिकलन अध्याय 03 में वर्णित सूत्र का प्रयोग करते हुए किया गया है। इस आधार पर t का परिकलित मान 2.43 प्राप्त हुआ है जो ज के सारणी मान (df 199, = 0.05) 1.98 से अधिक है। परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि क्योंकि ज का मान परिकलित मान ज के सारणीमान से अधिक है। इसलिए शून्य परिकल्पना, व्यावसायिक शिक्षा के पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सार्थक सम्बन्ध नहीं है, स्वीकृत नहीं की जा सकती। शोधार्थी द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकल्पना 0.05 सार्थकता स्तर पर असत्य सिद्ध हुई। निष्कर्ष के तौर यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत् पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सार्थक रूप से धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जा रहा है। अर्थात् सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति बढ़ने पर शैक्षिक आकांक्षा में वृद्धि होती है, तथा अभिवृत्ति कम होने पर शैक्षिक आकांक्षा कम होती हैं। जिसका प्रमुख कारण सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों का सकारात्मक दृष्टिकोण और शैक्षिक आकांक्षा के प्रति जागरूकता होना हो सकता है।

शोध निष्कर्षः-

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषणोपरान्त निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं। व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत् पुरूष विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य सार्थक रूप से धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जा रहा है। अर्थात् सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति बढ़ने पर शैक्षिक आकांक्षा में वृद्धि होती है, तथा अभिवृत्ति कम होने पर शैक्षिक आकांक्षा कम होती हैं। जिसका प्रमुख कारण सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों का सकारात्मक दृष्टिकोण और शैक्षिक आकांक्षा के प्रति जागरूकता होना हो सकता है।

शैक्षिक निहितार्थः- व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को व्यापार के आधारभूत सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी देश के विकास में उस देश की शैक्षिक व्यवस्था का अत्यधिक महत्व होता है तथा ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से तात्पर्य है, जो कार्यकर्त्ता को अपने कार्य में निपुण बनाती है। इसका उदाहरण आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक में दी जाने वाली शिक्षा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय दिलाना और उनको जीविकोपार्जन योग्य बनाना है, जिससे उस देश का विकास निश्चित होता है। शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर सकती है, जब वह शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा हो। सामान्य शिक्षा के साथ सामाजिक आर्थिक जीवन के लिये उपयोगी शिल्पों एवं व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा का व्यावसायीकरण है।

व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुये इसे NCFK 2005 में भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में उसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का स्थान दिया जाता है, जो छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाये, इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कोठारी आयोग का रहा है।

शिक्षा एवं व्यवसाय जीवन के दो पहिये हैं, शिक्षा के बिना जीविकोपार्जन सम्भव नहीं और व्यवसाय बिना शिक्षा व्यर्थ है। अतः शिक्षा व व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं, मानवीय प्रगति के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय विकास के उपकरण हैं, आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। प्राचीन समय में शिक्षा ज्ञानोपार्जन का आधार मानी जाती थी, इसलिये सूत्र वाक्य बना; ज्ञान तृतीय मनु जस्य नेत्रम। उस समय शिक्षा केवल धनोपार्जन का माध्यम नहीं थी। विद्या अर्थकारी होनी ही चाहिये यह विचार निश्चित ही था। जीवलोक के छः सुखों में 'अर्थकारी' विद्या को भी एक सुख माना गया था। समय ने करवट बदली, भारतीय जनता को अंग्रेजी के साथ ही आधुनिक विषय ज्ञान-विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र आदि सिखाने का अभियान चला। भारत में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का जाल तो फैला किन्तु वह जीवनयापन की दृष्टि से अयोग्य रही। पढ़ लिखकर व्यावसायिक रूप से सफल बनना मात्र शिक्षा का ध्येय बन गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

- अरविंद कोरला (2020): ''दृश्य धारणा से और चेतना के सिद्धाँत की ओर'' ''सम्पादकीय क्रिसलय एजूकेयर प्राइवेट लिमिटेड बंगलौर, मार्च (2021)''
- पीटर उल्लास (2021): ''टेम्पोरल आकस्मिकता और ऐजेंसी की नब्ज में दृश्य इनपुट की अखंडता की भूमिका एकः मनोचिकित्सा अध्ययन'' अप्रैल 2021 प्रकाशित https//doi.org/10.3389/&psyg.2021.635202.
- फनडिजि (2021): ''चेतना अनुसंधान में दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एकत्रित करना'' प्पक 30 मार्च 2021.
- देवनाथ मनिका (2020); ''ए स्टडी ऑन एज्यूकेशनल एसपिरेशन ऑफ सेकेन्ड्री लेवल स्कूल स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू देयर जेडर, लोकेलिटी एण्ड एकेडेमिक एचिवमेंट'' मुक्त शब्द जर्नल वाल.-09, इसू-04 अप्रैल 2020.
- जोशी आर. (2020); ''खुफिया के सम्बन्ध में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा का एक अध्ययन'' इन्टरनेशनल एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च जर्नल 2020.
- चौधरी मोना (2021); ''स्नातक प्रबन्धन छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ कैरियर की आकांक्षाओं और इसके सम्बन्धों पर एक अध्ययन'' शिक्षा अर्थशास्त्र व विकास के अर्न्तराष्ट्रीय जर्नल 2021 वाल. 12 नं0-03.
- बोरा भार्गव प्रतिम (2021); ''असम के बारपेटा जिले के चार क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा'' मनोविज्ञान और शिक्षा जर्नल वाल. 58, नं. 02.

जवाहर लाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री की खाद्य सुरक्षा सम्बंधित नीतियों की तुलना

(A Comparison of Food Security Policies of Jawahar Lal Nehru and Lal Bahadur Shastri)

अनुपमा सिंह

शोधार्थी, इतिहास विभाग, राजा हरपाल सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

डॉ० मनोज कुमार सिंह

शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजा हरपाल सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का उल्लेख स्वतंत्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्रियों के रूप में किया जाता है जिन्होंने देश की कृषि नीतियों के निर्माण एवं कृषि अर्थव्यवस्था को आधारभूत संरचना प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ-साथ उनकी दूरदर्शिता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण ने लक्ष्योन्मुखी कृषि नीतियों के माध्यम से देश के कृषि क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया।

एक ओर जहाँ पंडित जवाहर लाल नेहरू का प्रधानमंत्रित्व काल (1947-1964) को भारतीय कृषि इतिहास का प्रथम चरण माना जाता है, वहीं सन् 1964 से सन् 1984 तक का काल कृषि इतिहास का दूसरा चरण माना जाता है जिसके अंतर्गत शास्त्री का प्रधानमंत्रित्व काल (1964-1966) संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है जिसमें कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं खाद्य सुरक्षा पर एकीकृत ध्यान दिया गया।

जवाहर लाल नेहरू की कृषि-नीति

पंडित नेहरू ने जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में पदभार सँभाला तो भारत विभाजन की त्रासदी, शरणार्थियों की आमद, भोजन की भारी कमी, बढ़ती मुद्रा स्फीति और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। पंडित जवाहर लाल नेहरू का व्यक्तित्व एक जमीनी नेता का था। भारतीय कृषि एवं किसानों के प्रति उनका विशेष लगाव था। यद्यपि उनकी शिक्षा विदेश में हुई थी फिर भी वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से भली-भाँति परिचित थे। वे भली-भाँति जानते थे कि जब तक भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं होगा, न तो भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार आएगा और न ही भारत आर्थिक रूप से प्रगति कर पाएगा।

ऐसे में नेहरू का भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान को श्रेय देना स्वाभाविक था। उनका प्रयास हर कीमत पर भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार लाना था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसानों के शोषण को अपनी आँखों से देखा था। इसलिए भारत की आजादी के बाद जब वे प्रधानमंत्री बने तो भारत के विकास के क्रम में उठाया गया उनका पहला कदम कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान किए जाने में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

भारत की आजादी के बाद सन् 1950 में जब नेहरू के नेतृत्व में पंचवर्षीय विकास योजनाएँ शुरू की गईं तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि अनुसंधान को भी प्राथमिकता दी गई। हालाँकि नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि "गरीबी से निपटने, जीवन स्तर को ऊपर उठाने, रक्षा और कई अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि पर दबाव कम करने के लिए तेजी से औद्योगीकरण आवश्यक है।" (डिस्कवरी ऑफ इंडिया)

नेहरू ने नवंबर 1952 में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा था,"हम निश्चित रूप से उद्योग को महत्त्व देते हैं लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम कृषि और खाद्य एवं कृषि से संबंधित मामलों को कहीं अधिक महत्त्व देते हैं। यदि हमारी कृषि का आधार मजबूत नहीं है तो हम जिस उद्योग का निर्माण करना चाहते हैं उसका आधार भी मजबूत नहीं होगा। क्योंकि यदि हमारा खाद्य मोर्चा टूट गया तो बाकी सारी व्यवस्थाएँ भी छिन्न-भिन्न हो जाएँगी। यदि हमारी कृषि हमारी आशा के अनुरूप मजबूत हो जाती है तो यह अपेक्षाकृत

आसान हो जाएगा कि हम औद्योगिक मोर्चे पर और तेजी से प्रगति करें। जबकि यदि हम केवल औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कृषि को कमजोर स्थिति में छोड़ देंगे तो अंततः हम समग्र रूप से कमजोर हो जायेंगे।"

आजादी के बाद भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए देश के हर क्षेत्र एवं हर वर्ग के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना जरूरी था और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन प्रणाली को अपनाया गया। नियोजन का यह मॉडल तत्कालीन सोवियत संघ की आर्थिक नीति से प्रभावित था जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन हुआ।

लाल बहादुर शास्त्री की कृषि-नीति

शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में कृषि नीति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के प्रयोग, किसानोन्मुखी नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन, आत्मनिर्भरता एवं खाद्य सुरक्षा को प्रधानता दी गयी। किसानों के उत्साह एवं भागीदारी के साथ-साथ सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को प्राथमिकता दिए जाने की नीति ने समेकित रूप से कृषि विकास की ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने भविष्य में भारत के माथे से 'शिप टू माउथ' (Ship to Mouth) वाली स्थिति का कलंक मिटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्थानीय निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं पर अधिक ध्यान देने के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दृष्टिकोण हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा पेश किया गया था। यद्यपि उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द नहीं गढ़ा था लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों से भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बढ़ाया और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और कई अन्य क्षेत्रों में उनका योगदान भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रारम्भिक कदम था।

शास्त्री के कार्यकाल की असाधारण उपलब्धियों में से एक हरित क्रांति का शुभारंभ था। इस परिवर्तनकारी कृषि आंदोलन का उद्देश्य खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना था जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री की कृषि नीति के मूल में लोगों को खाद्य-आपूर्ति के साथ-साथ भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाना था।

नेहरू एवं शास्त्री की खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण

स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी क्योंकि देश को लगातार खाद्यान्न की कमी, कम कृषि उत्पादकता और खाद्य आयात पर निर्भरता का सामना करना पड़ा। जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों को ही तेजी से बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपार चुनौती का सामना करना पड़ा। जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय किए लेकिन उनके दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत अंतर भी था। फिर भी उनकी नीतियों ने भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की आधारशिला रखी। एक ओर जहाँ नेहरू की नीतियों ने संस्थागत और ढाँचागत आधार तैयार किया वहीं दूसरी ओर शास्त्री के संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व ने महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रेरक प्रेरणा प्रदान की जिसने हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।

नेहरू की खाद्य सुरक्षा नीतियाँ: खाद्य सुरक्षा की नींव

खाद्य सुरक्षा के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण आधुनिक, औद्योगिक और समाजवादी भारत के उनके व्यापक दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग था। जवाहरलाल नेहरू ने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया। उनकी दीर्घकालिक आर्थिक एवं कृषि नीतियाँ समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप थीं जो राज्य की प्रभावी भूमिका एवं कृषि विकास के लिए एक मजबूत ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित थीं।

नेहरू की खाद्य सुरक्षा नीतियों की मुख्य विशेषताएँ

i) कृषि में संस्थागत सुधार

- नेहरू के समाजवादी नीति का एक मुख्य हिस्सा भूमि सुधार था जिसका उद्देश्य सामंती जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और भूमिहीनों को भूमि का पुनर्वितरण करना था। उनके शासन काल में किसानों को सशक्त बनाने के लिए जमींदारी उन्मूलन जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किये गये। यद्यपि इन सुधारों का उद्देश्य एक अधिक समतामूलक कृषि समाज का निर्माण करना था किंतु इनके क्रियान्वयन में चुनौतियाँ रहीं और ये पूर्णतया सफल नहीं रहे।
- ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया। कृषि, सिंचाई तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में इस योजना ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। राष्ट्रीय आय में भी 2.1 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई।

ii) पंचवर्षीय योजनाएँ और कृषि विकास

- नेहरू एक नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) के प्रबल समर्थक थे जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) ने कृषि क्षेत्र को एक मजबूत प्रोत्साहन दिया जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद देश में व्याप्त भीषण खाद्यान्न संकट से निपटना और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना था।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में भी यद्यपि कृषि विकास के लिए कार्यक्रमों का समावेश किया गया किंतु इस योजना में उद्योगों को कृषि के ऊपर प्राथमिकता देने के परिणामस्वरूप खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादनों में भारी कमी हो गयी। मुद्रा-स्फीति बढ़ गयी और विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया। स्वेज नहर संकट तथा अपर्याप्त वर्षा के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गई। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 4 प्रतिशत रही जोकि निर्धारित लक्ष्य 4.5 प्रतिशत से कम रही। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर मात्र 1.9 प्रतिशत रही।

iii) सिंचाई एवं बुनियादी ढाँचे का विस्तार: नेहरू ने बाँधों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा था। उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र को सुनिश्चित जल आपूर्ति करने के लिए भाखड़ा नांगल, हीराकुंड एवं दामोदर घाटी जैसी बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं में भारी निवेश किया। ये परियोजनाएँ सिंचित क्षेत्र के विस्तार और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई।

iv) राज्य-नियंत्रित खाद्य खरीद: सरकार ने खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खाद्य कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था की।

v) कृषि अनुसंधान और संस्थान: नेहरू सरकार ने अमेरिकी भूमि-अनुदान प्रणाली की तर्ज पर कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना को प्राथमिकता दी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) जैसे संस्थानों ने नई फसल किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही संस्थान बाद में हरित क्रांति की रीढ़ बने।

vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS): नेहरू का विचार था कि राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए सभी आवश्यक और अधिकाधिक कार्य किए जाने चाहिए। वे स्वतंत्रता को कघयम रखने के लिए आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के पक्ष में थे। नेहरू ने कहा था: 'यदि राज्य आर्थिक क्षेत्र के भाग में केंद्रीकृत होता है तो यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।'

इसी सोच के चलते देश के सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एवं शहरी और ग्रामीण जनता को रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन और उचित मूल्य की दुकानें शुरू की गई।

नेहरू के कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित चुनौतियाँ

- नेहरू द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत तक खाद्य उत्पादन में धीमी वृद्धि हुई।
- 1960 के दशक के मध्य तक भारत खाद्य आयात के लिए, विशेष रूप से पीएल 480 कार्यक्रम के तहत गेहूँ खघरीद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर था।
- चीन (1962) और पाकिस्तान (1965) के साथ युद्धों और लगातार पड़े सूखे ने भारत की खाद्य सुरक्षा की कमजोरी को उजागर कर दिया और खाद्य संकट गहरा होता चला गया।
- नेहरू के कार्यकाल में यद्यपि कृषि विकास को केंद्र में रखकर नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण तो किया गया लेकिन क्रियान्वयन में कमी के कारण इन नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभाव सीमित रहा।

शास्त्री की खाद्य सुरक्षा नीतियाँ: बदलाव की उत्प्रेरक

प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल (1964-1966) संक्षिप्त था लेकिन कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रत्यक्ष और व्यावहारिक था। शास्त्री को एक गंभीर खाद्य संकट विरासत में मिला जो सूखे, जनसंख्या वृद्धि और पाकिस्तान के साथ युद्ध (1965) से और भी बदतर हो गया। इस संकट से निपटने के लिए और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शास्त्री ने अधिक व्यावहारिक और उत्पादन-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया।

शास्त्री की खाद्य सुरक्षा नीतियों की मुख्य विशेषताएं:

i. कृषि को प्राथमिकता: शास्त्री की सरकार ने नेहरू के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगो पर के फोकस के विपरीत यह माना कि कृषि में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कृषि के आधुनिकीकरण, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए नीतियाँ शुरू कीं।

ii. हरित क्रांति को बढ़ावा: शास्त्री के प्रशासन ने कृषि सुधारों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और समर्थन प्रदान किया जिसकी परिणति बाद में चलकर हरित क्रांति के रूप दिखायी देती है। शास्त्री के कार्यकाल में डॉ एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जैसे कृषि वैज्ञानिकों की अगुवाई में कृषि उत्पादन को बढ़ाने एवं के नए तरीके शुरू किए गये। उन्होंने उच्च उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, आधुनिक सिंचाई तकनीकों एवं कृषि में आधुनिक मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों को उनकी उपज के लिए तैयार बाजार और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) और कृषि मूल्य आयोग जैसे संस्थागत तंत्रों का भी समर्थन किया।

iii. स्वैच्छिक खाद्य संरक्षण की अपील: शास्त्री ने नागरिकों से खाद्य संरक्षण के लिए एक दिन का 'उपवास' रखने का आग्रह किया। शास्त्री जी का मितव्ययिता का व्यक्तिगत आह्वान और भोजन बचाने के लिए उनकी 'एक दिन का उपवास' पहल जनता के दिलों में गहराई से उतर गई। इस नैतिक नेतृत्व ने खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए नागरिकों में साझा जिम्मेदारी और सामूहिक कार्रवाई की भावना को बढ़ावा दिया।

iv. घरेलू खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन: शास्त्री के कार्यकाल में उनके कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण सहयोगी एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री के तौर पर सी. सुब्रमण्यम ने शास्त्री द्वारा सौंपी गयी जिम्मेदारी को बखूबी निभायी। उन्होंने कृषि विकास एवं कृषि अनुसंधान से सम्बंधित ढाँचागत सुधार पर बल दिया जिससे घरेलू स्तर पर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कृषि विकास से जुड़ी संस्थाओं के पुनर्संगठन, कृषि वैज्ञानिकों के काम की स्थिति में सुधार और उनके वेतनमान को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों के काम में नौकरशाहों की दखघ्लअंदाजी को भी कम करने की कोशिश की।

उनके कार्यकाल में सुसुप्त संस्था मानी जाने वाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) को नया जीवन और पहचान मिली। आईसीएआर को सक्रिय करने के अलावा सुब्रमण्यम ने राज्य सरकारों को कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग-अलग फसलों पर शोध किया जा सके। उन्होंने प्रायोगिक खेती भी शुरू की और उन्नत कघ्स्म के बीजों के उत्पादन के लिए भारतीय बीज निगम की स्थापना की।[1] किसानों से बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया गया। शास्त्री के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आधार तैयार किया गया जो 1970 के दशक में जाकर साकार हुआ।

v. आयात पर निर्भरता में कमी: 'जय जवान, जय किसान' का नारा: हालाँकि शास्त्री के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अमेरिका से पीएल-480 गेहूँ का आयात किया जा रहा था किंतु बाद में इस आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की गयी। कृषि क्षेत्र में ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया जो अंतत: खाद्य स्वतंत्रता की ओर ले जा सकें। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में शास्त्रीका सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली योगदान 'जय जवान, जय किसान' का नारा था। इस शक्तिशाली नारे ने किसान की स्थिति को एक सैनिक एवं राष्ट्र के रक्षक के स्तर तक पहुँचा दिया। यह नारा आत्मनिर्भरता का आह्वान और एक प्रतीकात्मक कार्य था किंतु इसने वाह्य सैन्य आक्रमण और खाद्यान्न की कमी के दोहरे संकट के समय में देश को एकजुट किया।

vi. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करना: शास्त्री के कार्यकाल के दौरान भी नेहरू सरकार की कृषि सम्बंधित नीतियों को न केवल जारी रखा गया बल्कि उन्हें विस्तार भी दिया गया। कमी के दौरान खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राशनिंग प्रणाली का विस्तार किया गया तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन और उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर बल दिया गया। अनाज की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकारी खरीद तंत्र को मजबूत किया गया।

शास्त्री के कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित चुनौतियाँ

i शास्त्री के कार्यकाल में यद्यपि कृषि को केंद्र में रखकर कृषि विकास एवं खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनायी गयीं किंतु इन सबके बावजूद खाद्यान्न की कमी एक तात्कालिक समस्या बनी रही।

- हालाँकि शास्त्री ने अपनी महत्वाकांक्षी नीति के तहत कृषि उत्पादन को बढ़ाने एवं खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से डॉ एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जैसे कृषि वैज्ञानिकों की अगुवाई सम्पूर्ण देश में हरित क्रांति की शुरुआत की किंतु इसका शुरुआती लाभ केवल कुछ ही प्रदेशों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा।
- सन् 1965-66 में पड़े सूखे ने खाद्य संकट को और भी गहरा कर दिया जिससे राशनिंग व्यवस्था जारी रही।

तुलनात्मक विश्लेषण

खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित नेहरू और शास्त्री की कृषि नीतियों की तुलना उनके दृष्टिकोण, रणनीति, सरकार की भूमिका और प्राथमिकताओं के आधार पर की जा सकती है। नेहरू का दृष्टिकोण दीर्घकालिक संस्थागत और ढाँचागत सुधारों पर आधारित था। उन्होंने भूमि सुधार, सिंचाई परियोजनाओं का विकास और राज्य नियंत्रित खरीद जैसी नीतियों को अपनाया। कृषि क्षेत्र में उनकी प्राथमिकताएँ बुनियादी ढाँचे, जैसे बाँध और सिंचाई प्रणाली के विकास पर केंद्रित थीं। खाद्यान्न सुरक्षा के लिए भारत उस समय अमेरिका से पीएल-480 योजना के तहत गेहूँ के आयात पर निर्भर था। सरकार ने इस दौरान खरीद और वितरण में सक्रिय भूमिका निभाई और अधिकांश पहलें सरकारी नेतृत्व वाली थीं। हालाँकि इस नीति के बावजूद भी कृषि विकास धीमा रहा और खाद्यान्न आयात पर निर्भरता बनी रही।

शास्त्री की नीतियाँ तत्काल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित थीं। उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया तथा उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीक के उपयोग पर बल देने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत किया। सरकार ने कृषि में तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया जैसे कि भोजन को संरक्षित करने के लिए उपवास। यद्यपि हरित क्रांति की पहुँच सीमित रही एवं सभी किसानों तक नहीं पहुँच पाई किंतु आगे चलकर यही नीति भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने एवं कृषि विकास के लिये क्रांतिकारी साबित हुई।

नेहरू (1947-1964) और शास्त्री (1964-1966) के काल में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख आँकड़ों और संकेतकों की तुलना

पहलू	*जवाहर लाल नेहरू (1947-1964)*	*लाल बहादुर शास्त्री (1964-1966)*
सामान्य खाद्य स्थिति	• लगातार खाद्य कमी • आयात पर निर्भरता • आत्मनिर्भरता पर बल	• तीव्र खाद्य संकट (1965-66 के अकाल) • घरेलू उत्पादन बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता
अनाज उत्पादन (लगभग)	• 1951: लगभग 52 मिलियन टन • 1964: लगभग 89 मिलियन टन	• 1965-66: लगभग 72 मिलियन टन (अकाल वर्ष) • 1966: लगभग 74 मिलियन टन (सुधार आरंभ)
जनसंख्या वृद्धि	• 1951 में लगभग 36.1 करोड़ • 1964 में 47 करोड़	1966 में लगभग 48 करोड़
प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता	• 1951 में लगभग 144 किग्रा/वर्ष • 1964 में 171 किग्रा/वर्ष	1965-66 में घटकर 147 किग्रा/वर्ष
आयात पर निर्भरता	अमेरिका से पी.एल.480 योजना के तहत गेहूँ आयात (1956 से)	पी.एल.-480 पर निर्भरता जारी रही जब तक हरित क्रांति का आरंभ नहीं हुआ
मुख्य नीतियाँ / कार्यक्रम	सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) 'फूड ग्रो मोर' अभियान (1947-52) • पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, सिंचाई और भूमि सुधार पर बल	• सघन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP) का विस्तार • उच्च उत्पादक किस्म कार्यक्रम (HYVP) की शुरुआत (1965) • भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना (1965) • कृषि मूल्य आयोग (1965) की स्थापना
कृषि वृद्धि दर (औसत)	लगभग 2.5% प्रति वर्ष	लगभग 1% प्रति वर्ष (अकाल के कारण)
सिंचाई परियोजनाएँ	भाखड़ा-नांगल, हीराकुड, दामोदर घाटी जैसी बड़ी	लघु सिंचाई योजनाओं और ट्यूबवेलों को प्रोत्साहन
वैज्ञानिक/तकनीकी पहल	परियोजनाओं का निर्माण • आई.सी.ए.आर. का पुनर्गठन प्रारंभ	कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना • नए बीज, रासायनिक खाद और तकनीकी साधनों का प्रयोग आरंभ • हरित क्रांति का आरंभिक चरण
संस्थागत सुधार	• जमींदारी उन्मूलन • सहकारी समितियों और सामुदायिक विकास ब्लॉक की स्थापना वैज्ञानिकों और किसानों के बीच समन्वय बढ़ाना	• कृषि प्रशासन को सुदृढ़ करना
दृष्टिकोण / नारा	'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' और योजनाबद्ध विकास द्वारा आत्मनिर्भर भारत एकीकरण	'जय जवान, जय किसान'नारे के साथ राष्ट्र सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा का
उपलब्धि	आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास की नींव रखी	• हरित क्रांति की दिशा में निर्णायक कदम • कृषि आधुनिकीकरण का प्रारंभ

नेहरू की कृषि नीतियाँ ही स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि विकास के आवश्यक आधार थीं। नियोजित अर्थव्यवस्था बनाने, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और कृषि अनुसंधान निकायों की स्थापना पर उनके ध्यान ने कृषि विकास के लिए आवश्यक ढाँचा तैयार किया। नेहरू ने संस्थागत सुधारों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के लिए आधार तो तैयार किया लेकिन उनकी नीतियाँ खाद्यान्न की कमी को तत्काल हल नहीं कर पायीं।

इसके विपरीत शास्त्री का दृष्टिकोण अधिक तात्कालिक और व्यावहारिक था जो खाद्य उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर केंद्रित था। कृषि से सम्बंधित उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों ने यह दिखाया राजनीतिक इच्छाशक्ति, राष्ट्रीय मनोबल और साझा उद्देश्य की भावना से इस बुनियादी ढाँचे का उपयोग एक गंभीर संकट से उबरने और देश को खाद्यान्न की कमी वाले राष्ट्र से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में किया जा सकता है। शास्त्री के संक्षिप्त लेकिन निर्णायक नेतृत्व ने हरित क्रांति के लिए गति प्रदान की। हरित क्रांति को बढ़ावा देने की उनकी पहल भारत की खाद्य सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जिसने अंततः 1970 के दशक तक देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया।

संदर्भ- ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार, योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (1951ख्56)
2. D.R. Gadgil, Planning in India (1957)
3. First, Second & Third Five Year Plans, Planning Commission,
4. Bipan Chandra, India Since Independence (2008)
5. एस०के०पाण्डे, आधुनिक भारत, प्रयाग एकेडमी पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संस्करण -2014
6. 6. M.S. Randhawa,A History of Agriculture in India, ICAR, New Delhi, 1986, Vol. IV
7. अवस्थी, अमरेश्वर, अवस्थी, रामकुमार,आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन,रिसर्च पब्लिकेशंस जयपुर, नई दिल्ली
8. रामचंद्र गुहा, भारत नेहरू के बाद, दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास, अनुवाद- सुशांत झा, प्रकाशन- पेंगुइन बुक्स,पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट, 2021
9. भारत में कृषि विकास और नीति, केंद्रीय कृषि मंत्रालय रिपोर्ट, 1965-1966
10. Kumar, R. Economic Policies of Nehru and Shastri, Indian Journal of Political Economy, 1970
11. Singh, A. History of Green Revolution in India, New Delhi, 2005

पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण संरक्षण

डॉ० पी०एम० भुमरे

विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, एस.एम.बी.पी.के. महाविद्यालय, शंकरनगर, तह-बिलोली, जि.- नांदेड़

पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों के परस्पर सम्बन्धों को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। वैदिककाल से ही मानव प्रकृति अर्थात् जलवायु, अग्नि, सूर्य, वर्षा, पेड़-पौधों एवं किसी अज्ञात शक्ति जिसके द्वारा ही यह सम्पूर्ण संसार रचित है की पूजा करता आया है। विज्ञान, तकनीकी और संचार से बनती हुई इक्कीसवीं सदी ने नि:सन्देह दुनिया के भूगोल को तथा वर्तमान समय को पूर्णरूपेण परिवर्तित कर दिया है। यांत्रिक सभ्यता ने जहाँ मानव सभ्यता को विकास के चरम उत्कर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया हैं वहीं उसने मानव जीवन के समक्ष असंख्य कठिनाइयाँ एवं चुनौतियाँ भी उपस्थित कर दी हैं। इसके साथ-ही-साथ औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के बढ़ते हस्तक्षेप ने प्रकृति, वातावरण तथा जलवायु को गम्भीर नुकसान भी पहुँचाया है।

''जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जलस्तर, पृथ्वी एवं भू-गर्भ के तापमान में निरन्तर वृद्धि, असमय वर्षा, असमय गर्मी एवं असमय सर्दी का दुष्प्रभाव फसल चक्र पर दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारे पीने का पानी (पेयजल), जीवजन्तु, वनस्पति एवं मानव जीवन के समाज पर इसका कुप्रभाव किसी से भी छिपा नहीं है।''[1] भारतीय समाज में आदिकाल से ही प्रकृति पूजा की मान्यता प्रचलन में रही है।

पारिस्थितिकी की शब्द दुनिया में सर्वप्रथम सन् 1869 ई. में प्रचलन में आया था। जर्मनी के वैज्ञानिक अन्सर्ट हैकल ने इस शब्द का अर्थात् पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सन्तुलित वातावरण को पारिस्थितिकी तंत्र (ECOSYSTEM) भी कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण तथा असन्तुलन आदि के कारण पारिस्थितिकी अवनति हो रही है। जब पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों में मनुष्य अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तब उसके परिणाम स्वरूप अवक्रमण होता है इसे ही पारिस्थितिकी अवक्रमण की संज्ञा प्रदान की जाती है। जब हम पर्यावरण का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण का सही ज्ञान पारिस्थितिकी विज्ञान के बिना सम्भव नहीं है। अत: हम सकते हैं कि पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो प्राणियों एवं वातावरण के परस्पर सम्बन्धा तथा उनकी पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करता है।

कुछ विद्वतजनों ने पारिस्थितिकी के सम्बन्धा में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं-

''पारिस्थितिकी अध्ययन का एक ढंग है, जिसमें व्यक्ति, प्राणी तथा कुछ जीवों की जनसंख्या एवं समुदाय परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।''[2]

पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसका सम्बन्ध प्राणियों, पौधों, पशुओं तथा उनके पर्यावरण के आन्तरिक सम्बन्धों से होता है।

> ''पारिस्थितिकी के अन्तर्गत प्राणियों तथा सम्पूर्ण जैविक तथा भौतिक कारकों, प्रभावों या उनको प्रभावित करने वाले कारकों के सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है।''[3]

अत: हम उपरोक्त विद्वतजनों के विचारों के आधार पर कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी विज्ञान में प्राणियों तथा उनके वातावरण के आंतरिक सम्बन्धों, प्राणियों के आन्तरिक सम्बन्धों तथा जीवों के मध्य आंतरिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है।

सम्पूर्ण विश्व में युद्ध की विभीषिका ने पर्यावरण को गम्भीर खतरा पहुँचाया है। मिसाइल बन, राकेट, जैविक, रासायनिक आणविक हमलों ने केवल धारती के तापमान में ही वृद्धि नहीं की है बल्कि वायु एवं जल की गुणवत्ता को भी उच्च स्तर पर प्रभावित किया है। आणविक हथियारों के विस्फोट ने धरती की मिट्टी की गुणवत्ता को अत्यधिक प्रभावित किया है जिससे भू-गर्भीय नियंत्रण को भी खतरा उत्पन्न हो गया है कितने समय विनाशकारी भूकम्प आ जाये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी संदर्भ में रामदरश मिश्र जी की कुछ काव्य पंक्तियों इस प्रकार हैं-

''छोड़ जाऊँगा
कुछ कविता, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार
जिनमें होंगे
कुछ प्यार के फूल
कुछ तुम्हारे उसके दर्द की कथाएँ
कुछ समय-चिन्ताएँ।''[4]

''यह कौन-सी पूजा है जिसके लिए,

हँसते-महकते फूलों की असमय हत्या कर दी जाये,
और फिर उनकी,
पंखुड़ियाँ,
इधर-उधर कूड़े के ढेर पर,
फेंक दी जायें
दरअसल भगवान तो
अपने द्वारा सृजित
इन फूलों में बसते हैं
हँसते-महकते हुए।''[5]

कहने का तात्पर्य यह है कि यह कौन-सी पूजा है जिसके लिए पर्यावरणीय खतरा खुद निर्मित किया जाये। विकास के नाम पर तेजी से खड़े किये जा रहे कंकीट के जंगलों ने हमसे हमारी हवा, धूप, तथा बारिश को छीन लिया है जो पर्यावरण खतरे का खुला द्वार के समान है। आज मनुष्य कर्म भोगी कम सुविधा भोगी अधिाक बनता जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में तथा धार्मिक ग्रंथों, वेदों आदि में पर्यावरणीय अवयवों का विस्तृत विवरण दृष्टिगोचर होता है। उस कालखण्ड के मानव ने समस्त पदार्थों को महत्व प्रदान किया तथा उसकी उपयोगिता को स्वयं के जीवन में अनुभव भी किया परन्तु वर्तमान समय में ऐसा नहीं है।

भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी भू-भाग में ऋषि-मुनि या महान विद्वानों ने प्रकृति को बिना क्षति पहुँचाये उसकी सुरक्षा एवं समृद्धि में अपना सर्वस्व यहाँ तक कि स्वयं अपने को भी निछावर कर दिया। प्रकृति के आँगन में ही अपनी पर्णकुटियाँ निर्मित कीं, जहाँ पर पशु-पक्षियों का कलख, पेड़-पौधों की सुगन्धित हवा तथा स्वास्थ्यवर्धक वायु-जल तथा वनस्पतियों आदि की प्रचुर मात्रा स्थित थी। भोजन के रूप में उसने कन्दमूल, फल तथा जड़ी-बूटियों आदि का प्रयोग करके दीर्घायु जीवन व्यतीत किया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते है। हाँ इतना अवश्य है कि उस जीवनायु को हम इतिहास में अवश्य पढ़ते हैं। उस कालखण्ड के मानव के निवास स्थान के प्रतीत स्वरूप आज भी देश ही नहीं विश्व के अनेक वृहत् एवं समृद्ध नगर बड़ी-बड़ी नदियों के तट पर ही स्थित हैं। यही कारण है कि हमारे देश भारतवर्ष में अति प्राचीनकाल से ही पारिस्थितिकी सन्तुलन बना हुआ है। यही कारण है कि पारिस्थितिकी सन्तुलन के मधय में जीव, वनस्पति (जैवकीय) तथा अजैविकीय घटक एवं पर्यावरण की अन्तःक्रिया बनी रहती है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों का कथन है कि-

''पारिस्थितिकी असन्तुलन और पर्यावरण-प्रदूषण एक-दूसरे के पर्याय हैं।''[6]

मूलतः पारिस्थितिकी के दो तत्त्व होते हैं प्रथम ''प्राकृतिक पारिस्थितिकी तथा द्वितीय सामाजिक पारिस्थितिकी। प्राकृतिक पारिस्थितिकी के अन्तर्गत नवीनीकरण के योग्य एवं नवीनीकरण के अयोग्य तथा सामाजिक पारिस्थितिकी में जैविकीय एवं अजैविकीय का समावेश होता है। जैविकीय पारिस्थितिकी में उपभोक्ता, उत्पादक, विनाशक तथा कार्बनिक तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त अजैविकीय पारिस्थितिकी में कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्त्वों का ही समावेश रहता है।''[7]

मानव जीवन के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तथा सामाजिक पारिस्थितिकी ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पारिस्थितिकी में परिवार, समाज, देश तथा समस्त विश्व का सह-अस्तित्व ही मानवता के निर्माण में महत्व रखता है। पारिस्थितिकी में सामाजिक स्थान, व्यवसाय, व्यक्ति समूहों की प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, विस्थापन, उत्तराधिकार की प्रक्रियाएँ, मानव जीव शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है।

पर्यावरण का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक तत्वों, जीवों तथा वातावरण में सन्तुलन। ईश्वर ने इस नश्वर संसार की संरचना को दीर्घकाल तक बने रहने के लिए एक नियंत्रण की व्यवस्था की है। इस नियंत्रण को ही पर्यावरण की संज्ञा प्रदान की जाती है। यदि पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाये तो सम्पूर्ण मानव जाति खतरे में आ जाये। वर्तमान समय में पर्यावरण में असन्तुलन पैदा हो गया है। यही कारण है कि बीमारियाँ, असमय वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। आज सम्पूर्ण विश्व में मानवता खतरे के निशान के ऊपर से गुजर रही है। आये दिन अनेक प्राकृतिक-अप्राकृतिक घटनाओं के घटित होने सम्पूर्ण मानव जाति अत्यंत भयभीत है।

निष्कर्ष

ब्रह्माण्ड में पृथ्वी पर जीवन वह भी विशेषकर मानव जीवन का होना जितना आश्चर्यजनक है उतना ही इस धरा-धरातल पर मानव जीवन की प्रतिक्रियाओं की विविधता भी आश्यर्चजनक है। प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल उपहार का आनन्द समस्त जीवधारी इस पृथ्वी, जल तथा आकाश में लेना चाहते हैं। यही कारण है कि जीवन में हलचल (विकास) की गतिशीलता बढ़ गयी है विकास की गतिशीलता ने ही इस प्राकृतिक धारोहर की स्थिति में बाधा उत्पन्न कर दी है और उस बाधा का नाम है पर्यावरण असन्तुलन। मानव लालच में

अत्यधिक खनन, औद्योगिकीकरण, भौतिकता तथा प्रदूषण आदि के माध्यम से इस विरासत पर्यावरण को हानि पहुँचा रहा है। प्रदूषण अनेक तरह के हैं। यथा-मृदा प्रदूषण, जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी एवं तापीय प्रदूषण आदि। इनके कारण लगभग 27000 प्रजातियाँ प्रतिवर्ष विलुप्त होती जा रही हैं। अतः पर्यावरण को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। यदि पर्यावरण को नजर अन्दाज किया गया तो भविष्य में मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो जायेगा, कहीं ऐसा न हो कि मानव जाति ही न विलुप्त हो जाये।

संदर्भ

1. पर्यावरणीय संचेतना के समकालीन आयाम-डॉ. पवन कुमार रावत, पृ. 112, संस्करण 2025, संकल्प प्रकाशन कानपुर।
2. समकालीन विश्व में पर्यावरणीय मुद्दे-प्रीति नागोरा, पृ. 126, संस्करण 2022, संकल्प प्रकाशन कानपुर।
3. वही, पृ. 126
4. प्राची-सं. राकेश भ्रमर (रामदरश विशेषांक) वर्ष 08, अंक 03 अगस्त 2017
5. वही, अंक 03 अगस्त 2017
6. समकालीन विश्व में पर्यावरणीय मुद्दे-सं. प्रीति नागोरा, पृ. 127
7. वही, पृ. 127

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण बैंकों का योगदानः एक अवलोकन

रजनीश कुमार

शोध छात्र, अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर विभाग, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

डॉ० शारदा नन्द सहनी

शोध-निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, रामेश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

सारांश

ग्रामीण बैंकिंग हमारे देश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ग्राम अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बिना आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 को आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण लोगों, विशेष रूप से छोटे किसानों, कारीगरों, कृषि श्रमिकों और छोटे उद्यमियों को अस्थायी ऋण प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। यह अध्ययन ग्रामीण ऋण संरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका का एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मूल शब्दः सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, भारत, बिहार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक

प्रस्तावना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। इनका कार्यक्षेत्र भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है और यह राज्य के एक या एक से अधिक जिलों को कवर करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विभिन्न कार्य करते हैं जैसेः ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना, वेतन वितरण जैसे सरकारी कार्य करना, पेंशन वितरण, लॉकर सुविधा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई सेवाओं जैसी पैरा-बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना।

कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 26 सितंबर 1975 को पारित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। परिणामस्वरूप ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर 2 अक्टूबर 1975 को, पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी की सरकार इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करना था क्योंकि भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण है।

'प्रथमा बैंक', जिसका मुख्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था, पहला आरआरबी था। इसे सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी। अन्य चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गौर ग्रामीण बैंक (द्वारा प्रायोजित) थे। गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (प्रायोजित, भारतीय स्टेट बैंक), हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (प्रायोजित, पंजाब नेशनल बैंक), और जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, यूको बैंक द्वारा प्रायोजित थे।[1]

वर्तमान में भारत भर में 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिये प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने हेतु एक बढ़ा हुआ लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अनुसार उन्हें अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 75% या ANBC अथवा ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (CEOBE) के ऋण समतुल्य, जो भी अधिक हो, का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (चैस्) के रूप में देना होगा।[2]

समेकन के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों (RRB) को उच्च परिचालन लागत का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2023-24 में लागत/आय अनुपात 77.4% और वेतन/परिचालन खर्च अनुपात 72% था, जो अक्षमता को दर्शाता है। श्एक राज्य-एक आरआरबीश रणनीति, जिसका उद्देश्य 43 आरआरबी को 28 बैंकों में समेकित करके लागतों को युक्तिसंगत बनाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है, को वित्त मंत्रालय द्वारा 1 मई 2025 से क्रियान्वित किया गया था।[2]

भारत में गरीबी उन्मूलन और विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से इसके सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की आधारशिला रही है, जो इसके उत्पादन पैटर्न और उपभोग चक्र दोनों को आकार देती है। देश के शहरीकरण और औद्योगीकरण के बावजूद, इसकी लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये ग्रामीण क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी ढाँचे तक अपर्याप्त पहुँच सहित गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन बाधाओं को दूर करना न केवल ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए, बल्कि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक सशक्तिकरण के एक प्रेरक के रूप में ऋण के महत्व को समझते हुए भारत के नीति निर्माताओं ने ग्रामीण आबादी के लिए संस्थागत वित्त तक पहुँच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है।

परंपरागत रूप से ग्रामीण परिवार अनौपचारिक ऋण प्रणालियों (साहूकारों) पर निर्भर थे जो अक्सर ऊँची ब्याज दरों और दमनकारी शर्तों के साथ उनका शोषण करते थे। सुलभ, किफायती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं की कमी ने ग्रामीण भारत में गरीबी के चक्र को जारी रखा। ग्रामीण बैंक, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 1970 के दशक में ग्रामीण ऋण वितरण में वित्तीय अंतर को पाटने के लिए एक संस्थागत प्रतिक्रिया के रूप में उभरे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1975 के तहत स्थापित आरआरबी की अवधारणा ग्रामीण आबादी; विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती थी। वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी समितियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए सहकारी बैंकों की व्यावसायिकता और बुनियादी ढाँचे को सहकारी समितियों की स्थानीयकृत ऋण देने की प्रथाओं के साथ जोड़ा गया। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को ग्रामीण भारत की समग्र विकास प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना था।

स्वतंत्रता के बाद भारत की बैंकिंग रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं के विस्तार पर जोर देने के लिए पहले से ही विकसित हो रही थी। 1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने सरकार को विकासात्मक उद्देश्यों की ओर बैंकिंग गतिविधियों को निर्देशित करने की अनुमति दी। हालाँकि यह स्पष्ट था कि ग्रामीण उधारकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अकेले वाणिज्यिक बैंक अपर्याप्त होंगे, खासकर उन लोगों की जो पारंपरिक ऋण पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए इस अपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गई, जिन्होंने उन दूरदराज के इलाकों में भी शाखाएँ स्थापित करके अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जहाँ पहले बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं थीं।3

ग्रामीण बैंकिंग के आर्थिक प्रभाव

यद्यपि भारत में गरीबी कम करने के लिए सतत आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रहा है, फिर भी इस विस्तार के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत की लगभग 34% आबादी अभी भी प्रति दिन +2.00 से कम पर जीवन यापन करती है। क्या भारत के ग्रामीण गरीब आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक पुनर्गठन से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे यदि उनके पास वित्तपोषण तक आसान पहुंच हो?

कई आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार माइक्रोफाइनेंस या बिना बैंक वाले लोगों को वित्तीय वस्तुओं का वितरण, कम आय वाले परिवारों के लिए जीवन रक्षक हो सकता है जो अपनी उत्पादन और रोजगार रणनीतियों को बदलना चाहते हैं। उनकी संपत्ति अधिक सुरक्षित हो जाती है, वे आर्थिक तूफानों का सामना करने में बेहतर होते हैं और वे आर्थिक हाशिए के दुष्चक्र को तोड़ते हुए सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी चढ़ने के लिए पैसे उधार लेने में सक्षम होते हैं।

भारत में विशाल सामाजिक बैंकिंग प्रयोग ने इस परिवर्तन सिद्धांत के प्रति प्रारंभिक नीतिगत उत्साह को प्रतिबिंबित किया और गरीबी पर इसके प्रभाव के अर्ध-प्रयोगात्मक आँकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वे दर्शाते हैं कि ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण ऋण और बचत में भी वृद्धि हुई। उन्हें संरचनात्मक परिवर्तन के कुछ कमजोर संकेत भी मिले हैं; फिर भी प्रक्रियाओं की जाँच करने की उनकी क्षमता समेकित आँकड़ों पर उनकी निर्भरता के कारण बाधित होती है। उदारीकरण के बाद भारतीय बैंकों को अपनी शाखाएँ खोलने के स्थान तय करने में काफी छूट दी गई। परिणामस्वरूप अधिकांश भारतीय बैंकों की शाखाएँ महानगरीय क्षेत्रों में विस्तारित हुईं।[4]

ग्रामीण भारत से प्राप्त हमारे आधारभूत आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिकांश ग्रामीण परिवारों की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुँच नहीं है। आर्थिक उदारीकरण के बाद 25 वर्षों से भी अधिक समय तक भारतीय अधिकारियों और वाणिज्यिक बैंकों ने गरीबों के लिए ग्रामीण के रूप में सूक्ष्म ऋण तक पहुँच बढ़ाने को प्राथमिकता दी। यह पैटर्न विकासशील देशों की तरह ही विद्वानों के अध्ययनों में भी सही साबित हुआ। 2000 के दशक के प्रारंभ से निम्न-आय वाले परिवारों पर सूक्ष्म ऋण के प्रभावों को मापने के उद्देश्य से प्रायोगिक अनुसंधान में वृद्धि हुई है। सूक्ष्म ऋणों तक पहुँच बढ़ाने के प्रभाव का अध्ययन कई देशों में किया गया है; जिनमें दक्षिण अफ्रीका (2010), भारत (2015) और मोरक्को (2015) शामिल हैं।

ग्रामीण समाज पर बैंकिंग का प्रभाव

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत 18वीं शताब्दी से हुई। भारत का पहला बैंक 1770 ई. में ष्बैंक ऑफ हिंदुस्तानष् के रूप में शुरू हुआ और 1829-32 ई. में इसका परिसमापन हो गया। फिर 1786 ई. में 'जनरल बैंक ऑफ इंडिया' के रूप में एक और भारतीय बैंक की स्थापना हुई। भारत में बैंकिंग प्रणाली का कोई लंबा इतिहास नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तु विनिमय पद्धति का उपयोग किया जाता था। भारतीय कृषि बैंकिंग का विकास 1975 से शुरू हुआ। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधियों का विस्तार करना था। बैंकिंग क्षेत्र ने ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया।[5]

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार (GoI) कृषि बैंकिंग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। 1975 में RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकिंग का विस्तार करने और किसानों को बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) की स्थापना की। इसके बाद 1982 में RBI ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने कृषि नीतियों और योजनाओं को उनके पक्ष में लागू करने के लिए एक नए कृषि वित्त निगम 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)' की स्थापना की।[6]

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण बैंक

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) - मुख्य रूप से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (अब विलयित) - कृषि ऋण, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के पोषण और वित्तीय समावेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बैंक छोटे किसानों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमों को सस्ती दर पर ऋण प्रदान कर साहूकारी प्रथा को कम करने और रोजगार सृजन में सहायक हैं।

बिहार के विकास में वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक क्रियाकलाप को सहयोग और बढ़ावा देने के लिए औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से अधिक पूंजी की जरूरत होती है। बिहार में बैंकिंग सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक कार्यरत हैं।[7]

तालिका- : 31-03-2024 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों (समूह के अनुसार) की शाखाएं

बैंक समूह	शाखाओं की संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3979
निजी क्षेत्र के बैंक	1329
सहकारी बैंक	290
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2105
लघु वित्त बैंक	342
कुल	**8045**

स्रोत - आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति के रिपोर्ट

तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त एवं भुगतान बैंक 8045 शाखाओं के माध्यम से सेवाएं दे रहे है। यहाँ अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का वर्चस्व है।[8]

बिहार में ग्रामीण बैंकों का योगदान

- कृषि और ग्रामीण ऋण: ग्रामीण बैंक बिहार में कृषि, संबद्ध गतिविधियों, और ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के प्राथमिक स्रोत हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): बैंकों द्वारा केसीसी के माध्यम से किसानों को कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक, यंत्र) खरीदने हेतु समय पर ऋण की सुविधा दी जा रही है, जो उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है।
- महिला सशक्तिकरण और जीविका: स्वयं सहायता समूह (SHGs) की स्थापना और [जीविका] (BRLPS) के साथ मिलकर ग्रामीण बैंकों ने महिलाओं को स्वरोजगार (मछली पालन, मधुमक्खी पालन, किराना दुकान) के लिए ऋण उपलब्ध कराया है।
- वित्तीय समावेशन: सुदूर ग्रामीण इलाकों में शाखाओं का विस्तार और बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बनाकर इन्होंने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है।[9]

- तकनीकी और डिजिटल बैंकिंग: [ग्राहक सेवा केंद्रों (CSP)] के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को घर-घर पहुँचाया जा रहा है, जो बैंकिंग साक्षरता और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- विलय (Merger) का प्रभाव: [उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक] और [दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक] के विलय ने इन संस्थानों को अधिक पूंजीकृत और अधिक कुशल बनाया है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता में वृद्धि हुई है।[10]

चुनौतियाँ (Challenges)

शोध पत्रों के अनुसार, कमजोर तकनीकी बुनियादी ढांचा, कम वित्तीय साक्षरता, और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुरक्षा का अभाव अभी भी प्रमुख चुनौतियां हैं।

शोध दर्शाते हैं कि राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेशन, क्रेडिट उपलब्धता और ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा दे रहे हैं हालांकि, मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों के अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के बावजूद ऋण की सही समय पर उपलब्धता एक चुनौती है, और बैंकिंग सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है।[11]

निष्कर्ष

बैंकिंग संस्थान सभी क्षेत्रों में व्यापारिक समुदाय को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण भी प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यापारिक समुदाय और कृषक समुदाय को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तदनुसार, यह उद्योग और कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसके बाद, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि के साथ वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसलिए बैंकिंग संस्थान धन प्रवाह को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था में भौतिक संपत्ति बनाने में योगदान करने में सहायक है। बैंकिंग क्षेत्र जनता को आसान, सुरक्षित और सुलभ वित्तपोषण प्रदान करके दक्षता संचालित करने, वित्तीय प्रणाली में स्थिरता प्रदान करने और समान आर्थिक विकास को बढ़ाने में भी प्रभावी है। इसके अलावा यह देश में पूंजी निर्माण का मार्ग भी तैयार करता है। परिणामस्वरूप किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंकिंग क्षेत्र की कुशल दक्षता आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बचत और जमा निधियों के एकत्रीकरण को बढ़ाने में सहायक है। दावा किया गया है कि कुशल बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय बचत के एकत्रीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करने और भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए इन बचत का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण चालक के रूप में काम करता है।

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों (लगभग 80% जनसंख्या) पर टिकी है, जो अब जीविका (Jeevika) जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेश की ओर बढ़ रही है। बिहार ग्रामीण बैंक (उत्तर और दक्षिण बैंकों का विलय) और NABARD ग्रामीण क्षेत्रों में 8300+ शाखाओं के माध्यम से कृषि ऋण, MSME लोन और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण देकर ग्रामीण साक्षरता और विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

सन्दर्भ

1. रॉजर्स, गेरी, मिश्रा, सुनील के, और शर्मा, अलख एन (2016), "बिहार में ग्राम अध्ययन और सर्वेक्षण के चार दशक," हिमांशु, प्रवीण झा और गेरी रॉजर्स (संपादक) (2016), भारत में बदलता गांव: अनुदैर्ध्य अनुसंधान से अंतर्दृष्टि, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
2. शेट्टी, मेघा और भट, सुधींद्र (2022) भारत में ग्रामीण बैंकिंग के विकास पर एक केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ केस स्टडीज इन बिजनेस, आईटी एंड एजुकेशन। 346-357. 10.47992/IJCSBE.2581.6942.0201/
3. विवोहो, जमाल और सपुत्रो, नुगरोहो और पामंगकास, पुत्रा और त्रिनुगरोहो,इरवान और एरिफियांटो, डोडी और गोएस्टजाहजंती, फ्रांसिस्का। (2021) ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय आर्थिक विकास: इंडोनेशिया से साक्ष्य। बिजनेस एंड सोसाइटी का इंटरनेशनल जर्नल. 22. 818-827. 10.33736/आईजेबीएस.3761. 2021।
4. गौतम, राहुल और भीमावरपु, वेंकट मृदुला और रावल, आशी (2022) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारत में गरीबी उन्मूलन पर उनके प्रभाव पर अध्ययन। 5. 221-229.
5. सैयद, मज्दी (2019). भारत में गरीबी और रोजगार पर ग्रामीण बैंकिंग का प्रभाव. 10.13140/RG.2.2.33612.16004
6. आई बी, चिरप्पा और जे जी, नागवेनी (2020). भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका: एक अध्ययन।
7. त्सकपोर्नु, रेवरेंड प्रो. नेल्सन (2017) घाना में आर्थिक विकास पर ग्रामीण बैंकिंग का प्रभाव। डॉ. नेल्सन क्वेसी त्सकपोर्नु। सामुदायिक विकास।
8. रेड्डी, ए. अमरेंदर (2010). समावेशी विकास के लिए ग्रामीण बैंकिंग रणनीतियाँ द्य भारतीय आर्थिक समीक्षा, पृ.8.
9. अग्रवाल, प्रियंका (2020) वित्तीय समावेशन में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका. अनुसंधान - एनडीआईएम जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च. 2. 20-25. 10.56411/अनुसंधान. 2020.अ2प1.20-25.
10. राजेंद्रन, रत्चना और प्रोफेसर, रमानी (2020) भारत में सतत आर्थिक विकास और भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन - कारणात्मक संबंधों की खोज। 10.6084/m9.figshare.14129945.
11. Gautam, Rahul & Kanoujiya, Jagjeevan. (2022). Role of Regional Rural Banks in Rural Development and Its Influences on Digital Literacy in India. 5. 92-101.

मतदान व्यवहार में धर्म और नृजातीयता का प्रभाव: एक विश्लेषण

मिथिलेश कुमार माहथा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड

विषय प्रवेश:

भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने के कई कारक है। एकल एवं बहुल चिन्ह चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसमें धर्म, जातीयता, जाति, वर्ग एवं लिंग इत्यादि सभी कारक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तथा इनमें एकरूपता नहीं है। जातियता तथा अन्य बहुकारक उत्तर-पूर्वी भारत की राजनीति में प्रभावी रहे हैं। कई विद्वानों जैसे कि कंचन चंद्रा बी० एस० पी० को नृजातिवादी पार्टी मानती हैं, तथा इस पार्टी के समर्थन के लिए जाति की भूमिका को भी रेखांकित करती है। धर्म भी एक अन्य कारक है जो कि चुनावी राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाता है। कई राजनीतिक दल एवं नेता धर्म के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं। कई अवसरों पर भाषा ने भी राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा की है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडू जैसे राज्यों में भाषा की भूमिका निर्णायककारी रही है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने मतदान व्यवहार में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। विशेषकर धर्म के संदर्भ में इसकी भूमिका अधिक रही है।

मूल शब्द: चुनाव, मतदान, धर्म, नृजातीयता, प्रभाव।

मतदान व्यवहार में नृजातीयता का प्रभाव:-

'नृजातीयता' शब्द का प्रयोग दो तरह से किया जाता है[1]- एक, पहचान बनने का आधार एक से अधिक कारक होते है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति इत्यादि के रूप में करना तथा दूसरा, पहचान बनने का आधार केवल एक ही कारक होता है। नृजातीयता न केवल चुनावों में ही नहीं बल्कि यह राजनीति दलों के गठन में भी भूमिका रखती है। भारत में बहुजन समाज पार्टी एक नृजातीयता पर आधारित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का उदय दलितों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक आंदोलन में से हुआ था। बाद में ये वर्ग ही इस पार्टी का प्रमुख जनाधार बन गये थे। यह पार्टी प्रमुखता नृजातीयता समूहों, के हितों की बात करती है। इसका समर्थन प्रमुख रूप से दलित वर्ग करता है और इसमें अन्य समूह शामिल नहीं है। किसी भी नृजातीयता पार्टी की तीन प्रमुख विशेषताएँ होती है[2]- (i) इसमें एक समूह का निर्माण किसी मौलिक कारक जैसे जाति के आधार पर होता है, (ii) यह समूहों के सदस्यों को लामबंद करती है तथा समूहों, बाहरी लोगों को लाभबंद नहीं करती है और (iii) यह जातीय समूहों के हितों की ही महत्ता देती है। पार्टी केन्द्रिकृत नियमों का पालन करती है वह नये जातीय समूहों को शामिल करने में दिक्कत महसूस करती है लेकिन जो पार्टी इन नियमों से दूर है वह उन्हें शामिल करने में समर्थ होती है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ऐसी पार्टी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उन जातीय समूहों को किस तरह से अपने साथ रखती है और उन्हें उच्च पदों पर किस तरह से संजोकर रखती है।

यद्यपि विभिन्न कारकों के आधारों पर जातीयता का सबसे उपयुक्त उदाहरण, जिसने मतदान के व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर भारत तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों में किया जा सकता है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जातीयता आधारित निर्वाचक राजनीति और मतदान के व्यवहार के महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन क्षेत्रों में मौटे तौर पर दो प्रकार के नृजातीय समूह हैं- एक, जो अति प्राचीन काल से इन क्षेत्रों में रह रहे है, और दूसरा, जो लोग विभिन्न कारणों से रोजगार व्यापार या खेती के लिये समय अवधि में इन क्षेत्रों में प्रवास करते है। पहचान के निर्माण के आधार हैं, संस्कृति, (भाषा, पोशाक, खान-पान तथा लोक कला, आदि) इतिहास, अर्थव्यवस्था, भेदभाव और शोषक की वास्तविक या कथित भावना। इन चिन्हों पर विभिन्न जातीय समूहों का गठन किया गया है।[3] राजनैतिक प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक संघर्ष के समय ये राजनैतिक लामबंदी के प्रतीक बन जाते हैं। जातीय चिन्ह को संकेतों के आधार पहचाना जाता है जैसे, प्रवास, नागरिकता, पहचान संरक्षण तथा संस्कृति तथा भूमि की रक्षा के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इन मुद्दों पर एकजुटता क्षेत्रीय स्वायत्ता, आत्मनिर्णय, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार की सुरक्षा की माँग के लिये नहीं बल्कि इस अवधि में भी होती है जब चुनाव हो सके ये मुद्दे संयुक्त रूप से मतदान का व्यवहार काफी हद तक तय करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन

प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय दलों की जीत नस्लीय समूहों ने इस क्षेत्रों में मतदान के आचरण के निर्धारण के रूप में कई मार्करों पर गठित जातीयता के तथ्य को इंगित किया है।

मतदान व्यवहार में धर्म का प्रभावः-

भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र हैं। यह सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है तथा सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है। भारत में धर्म के आधार पर अपील करना या राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है।[4] धर्म लोगों के जीवन या प्रमुख भाग है इसलिए व्यवहार में धर्म को राजनीति से अलग करना असंभव है। धर्म न केवल लोगों के राजनीतिक व्यवहार पर प्रभाव डालता है बल्कि राजनीतिक दल एवं नेता धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो सके। कुछ राजनीतिक शास्त्रियों ने धर्म एवं राजनीति के बीच संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है। शकिर ने लिखा है कि भारत में धर्म पश्चिम से कहीं अधिक लोकप्रिय है।[5] भांभरी और वर्मा ने यह लिखा है कि विकासशील समाजों में धर्म और राजनीतिक में अंर्तसंबंध होता हैं। कई राजनीतिक दल विभिन्न धार्मिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते है।[6] यहाँ तक कि राजनीतिक एकगुटता एवं सरकार के निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भी चर्चा महत्वूपर्ण भूमिका अदा करता है।

भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों ने धार्मिक प्रतीकों के आधार पर राजनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। ये दल धार्मिक पहचान के आधार पर अपने प्रत्याशियों का भी चयन चुनाव लड़ने के लिये करते हैं, तथा जनता भी प्रायः धार्मिक आधार पर अपना देती है। इस प्रकार, धर्म भारत में मतदान व्यवहार में एक प्रमुख कार का कार्य करता है।[7] भारत में कुछ ऐसे दल हैं जो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक समर्थन के लिए करती है। भाजपा, शिव सेना, शिरोमणी अकाली दल तथा एम०आई०एम० इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक दल, नेता और संगठन धार्मिक मुद्दों और गैर-धार्मिक मुद्दों को साथ मिलाते है। यद्यपि धर्म मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप भूमिका रखता है। अतः हमेशा केवल धर्म निर्णायक नहीं होता। धर्म तब प्रभावी होता है जब इसे समुदाय की गैर-धार्मिक जरूरतों के साथ मिलाया जाता है। ये गैर-धार्मिक जरूरते हैं- शासन के मुद्दे, भ्रष्टाचार को दूर करना, सांस्कृतिक समस्याएँ, धार्मिक समुदायों के आम मुद्दे है। मतदाताओं का मानना है कि उनके एक पार्टी का उम्मीदवार चुनावों में चयन न केवल उनके धर्म की रक्षा करेंगे बल्कि, संस्कृति और आर्थिक हितों की भी रक्षा करेंगे तथा एक अच्छा शासन प्रदान करेंगे। धार्मिक लाभबंदीकरण में अकसर एक धार्मिक समुदाय को ऐसा लगता है कि दूसरे समुदाय के साथ पक्षपात करने से उसके हितों की अनदेखी की जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण विभिन्न धार्मिक समुदाय अलग-अलग प्रतिद्वंदी दल अथवा नेता को मत देते हैं।

भारत में वर्ष 1980 के दशक से धर्म मतदान के आचरण का नियमित निर्णायक बन गया है। इससे पहले, 1960 के दशक में यह प्रभावी हो गया था। यह वह समय था, जब देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जो सूखे, खाद्यान समस्या तथा कांग्रेस के विरुद्ध आम जनता का विरोध में परिलक्षित हुआ था।[8] विश्व हिन्दू परिषद और जनसंघ द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाने के अलावा समाजवादी दल और कम्युनिस्टों ने भी जनता को सूखे और खाद्यान संकट पर लामबंद किया। इसका प्रभाव वर्ष 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय में हुआ। जनसंघ की विजय में, धर्म मतदान के आचरण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक था।[9] लेकिन धर्म ही एकमात्र तत्व नहीं था बल्कि इसका संचालन आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ होता था। वर्ष 1967 के पूर्व के चुनावों में धर्म मतदान की प्रवृत्ति को निर्धारित करने में बहुत कम भूमिका निभाई। यह कांग्रेस के वर्चस्व का युग था, जिसमें राष्ट्र-निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन की निराशा, जाति और जाति आधारित संरक्षण प्रमुख निर्धारक तत्व थे।[10]

केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार (1977-1980) के पश्चात वर्ष 1980 में कांग्रेस ने नया नाम कांग्रेस (आई) रखा और इसने राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक चिन्हों का प्रयोग किया।[11] इसने लोगों का समर्थन खो देने के बाद नई रणनीति अपनाई खासकर मुसलमानों के लिए जिसने आपातकाल में की गई ज्यादतियों के कारण उनका समर्थन खो दिया था। कांग्रेस को वर्ष 1985-86 के उप-चुनावों में भी जबरदस्त झटका लगा था। उसने हिदुओं और मुसलमानों के बीच संतुलन स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने हिंदुओं का समर्थन लेने के उद्देश्य से अयोध्या में राम मंदिर की प्रस्तावित जगह पर शिलान्यास रखने की विश्व हिन्दू परिषद को अनुमति दी। कांग्रेस का यह कदम विश्व हिन्दू परिषद की उस माँग के उत्तर में था जिसमें यह माँग की गई थी कि मस्जिद के स्थान पर मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद से ताला हटा दिया जाये। इंदिरा गाँधी की हत्या के परिणामस्वरूप आंदोलन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कांग्रेसी सरकार ने फरवरी, 1986 में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी मंदिर का द्वारा खोल दिया।[12] यह दरवाजा कोर्ट के आदेश से खोला गया था। मुसलमानों के समर्थन के लिए कांग्रेस ने वर्ष 1985 में मुस्लिम महिला (अधिकार और तलाक) विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य था शाह बानो केस के प्रभाव को विफल करना था।[13] शाह बानो केस सर्वोच्च न्यायालय के शाह बानो नामक मुस्लिम महिला से संबंधित निर्णय के बारे में था। शाह बानो अपने पति के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुँची, जिन्होंने उसे तलाक दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष

1985 में शाह बानो पक्ष में निर्णय दिया कि उसे भरणपोषण के लिए भुगतान होना चाहिये।[14] इससे मुस्लिम समुदाय का एक मुखर गुट उत्तेजित हो गया जिसने अदालत द्वारा दी गई मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले लाभ से वंचित करने वाले कानून पारित करने पर दबाव डाला। मुसलमानों का समर्थन खोने के डर से कांग्रेस सरकार ने अदालत के आदेश से तलाकशुदा महिलाओं के लाभों को नकारने वाले विधेयक को पेश किया। सरकार के निर्णय ने नारीवादियों और समाज के अन्य लोकतांत्रिक वर्गों को नाराज कर दिया। उसने भाजपा को एक मसला भी मुहैया कराया जिसने कांग्रेस अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस के इस कदम को चुनावों में मुस्लिम समर्थन को प्राप्त करने के प्रयास का समझा गया। साथ ही हिंदुओं को सर्मथन लेने के लिए राजीव गाँधी ने अयोध्या में मंदिर का ताला खुलवा दिया इससे कांग्रेस और भाजपा के बीच धर्म के नाम पर समुदायों को संगठित करने की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति हुई।[15] तब से भाजपा की वर्ष 1984 में लोकसभा की मात्र दो सीट बढ़कर वर्ष 2019 में 303 सीटें हो गई। इसने कई राज्यों में भी स्वयं या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारें बनाई। भाजपा की तीन दशकों में हुई तीव्र वृद्धि इस बात का प्रतीक है कि धर्म चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व है।[16] लेकिन जैसे कि पहले ही कहा गया है, कि धर्म अकेला कार्य नहीं करता है। यह तभी प्रभावी होता है जब अन्य मुद्दे धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। भाजपा की विजय के पीछे कोई एक कारण नहीं है। शासन के अलावे, आवश्यक जरूरतें, चुनाव प्रचार के तरीके, नेतृत्व, रोजगार, भ्रष्टाचार, विचारधारा और राष्ट्रवाद के मुद्दे भी प्रमुख कारण रहे हैं।

निष्कर्षः-

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में चुनाव और मतदान व्यवहार में कई कारकों का प्रभाव होता है जिसमें जाति धर्म भाषा, लिंग, नृजातीयता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और राष्ट्रवाद जैसे कारकों का प्रभाव भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। इसमें जाति, धर्म और भाषा मतदान व्यवहार में सर्वाधिक प्रभावकारी कारक रहे हैं। परिणामस्वरूप मतदाता इसी से प्रेरित होकर अपनी जाति, धर्म और भाषा के प्रत्याशियों को मतदान करते हैं। इस प्रकार चुनाव एवं मतदान को भी इन कारकों से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे अंत में धर्म और नृजातीयता परस्पर संबंधित होकर मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक रहे हैं।

संदर्भ सूचीः

1. चंद्रा, के० (2000). द् ट्राँसफोरमेषन ऑफ एथनिक पोलिटिक्स इन इंडियाः द् डिक्लाइन ऑफ काँग्रेस एन्ड राइज ऑफ बहुजन समाज पार्टी इन होशियारपुर। जनरल ऑफ एशियन स्टडीज, 59 (1) पृ० 31.
2. चंद्रा, के० (2004). व्हाई, एथानिक पार्टीज एक्सीड, ये ट्रोनेज एन्ड एथनिक हैड काउन्ट्स इन इंडिया, कैम्ब्रिज, सी०यू०पी०, पृ० 27.
3. उपरोक्त, पृ० 28.
4. पल्शीकर, सुहास, कुमार संजय, एन संजय लोड़ा (2017). 'इलैक्टोरल पोलिटिक्स इन इंडियाः रिसर्जेश ऑफ बी०जे०पी०' राउटलेज, क्रांसिस एन टेलर ग्रुप, पृ० 36.
5. मोइन, शकीर (2019). 'इलैक्टोरल फार्रिशियेशन ऑफ माइनोदिरिज एन्ड इंडिया पोलिटिकल सिस्टम' इन महाजन, गुरप्रीत (2019). रीडिंग इंडिया सेलेक्सन, ओरियंट ब्लैक स्वान, नई दिल्ली, पृ० 28.
6. बांभरी, सी० पी० एवं वर्मा, पी० एस० (1972). वोटिंग बिहेवियर ऑफ मुस्लिम कम्यूनिटी. द इंडियन जनरल ऑफ पोलिटिकल साइंस, वोल्यूम 33, पृ० 167.
7. उपरोक्त, पृ० 169.
8. कुमार, आशुतोष. 'इलैक्ट्रोल पोलिटिक्स इन इंडियन पंजाब'. ए न्यू फेज साउथ एशिया रिसर्च, वोल्यूम-31, पृ० 38.
9. हसन, जोया (1998). क्वेस्ट फोर पॉवर, अपोजीशनल मूवमेंटल एन्ड पोस्ट काँग्रेस पोलिटिक्स, न्यू दिल्ली, ओ०यू०पी०, पृ० 13.
10. उपरोक्त, पृ० 18.
11. जज, परमजीत सिंह (2012). 'पंजाब इलैक्संस, एन्ड्यूरिंग अकाली दल'. ई०पी०डब्ल्यू० वोल्यूम, 47 (13), पृ० 21.
12. हसन, जोया (1998). क्वेस्ट फोर पॉवर, अपोजीशनल मूवमेंटल एन्ड पोस्ट काँग्रेस पोलिटिक्स, न्यू दिल्ली, ओ०यू०पी०, पृ० 22.
13. मुस्लिम महिला (अधिकार और तलाक) विधेयक-1985
14. AIR 1985 SC 945
15. शास्त्री, संदीप, सूरी, के० सी० एन्ड योगेन्द्र यादव (2009). इलैक्टोरल पोलिटिक्स इन इंडिया स्टेट्स, लोकसभा चुनाव इन 2014 एन बियोज, न्यू दिल्ली, ओ०यू०पी०, पृ० 38.
16. शाह, धनस्याम (2015). मेगा, मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंटः गुजरात 2014 इलेक्शंनः इन पॉल वैलेश, इंडिया 2014 इलैक्ट्रांस एवं मोदी लेड बी०जे०पी० स्वीप, न्यू दिल्ली सेज प्रकाशन, पृ० 23.